लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(ग्यारहवां सत्र)



(खंड 34 में अंक 1 से 10 तक हैं)

52 (21)
6 9 83.

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 3, मंगलवार, 22 फरवरी, 1983/3 फाल्गुन, 1904(शक)

विषय	पृष्ठ
नये मन्त्रियों का परिचय	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1-22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 23 से 27	1-19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	22-223
तारांकित प्रश्न संख्या : 21, 28, 29 और 31 से 40	22-32
अतारांकित प्रश्न संख्या : 231 से 279 और 281 से 460	33-221
सभा पटल पर रखे गये पत्र	224-256
असम के बारे में प्रस्ताव	224-254
श्री सन्तोष मोहन देव	224
श्रीमती इन्दिरा गांधी	230
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	236
प्रो० मधु दण्डवते	238
नये मन्त्री का परिचय	254-256
सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति	276
बैठकों की कार्यवाही-सारांश	276
राज्य सभा से सन्देश	276
विधेयकों पर अनुमति	277
सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति	277
बारहवां प्रतिवेदन	277
दिल्ली में पत्थर और बजरी की खानों में हुई दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य	278
श्री वीरेन्द्र पाटिल	278
कार्य-मन्त्रणा समिति	280
उन्तालीसवां प्रतिवेदन	280
दिल्ली प्रशासन (संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित किया गया	281
दिल्ली प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के बारे में वक्तव्य	282
श्री पी० वेंकटसुब्बैया	282
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित किया गया	283
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	283
श्री पी० वेंकटसुब्बैया	283
नियम 377 के अधीन मामले	283
(एक) हरियाणा के उन किसानों को मुआवजा देना जिनकी फसलें ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई थीं	283
श्री मनीराम बागड़ी	283

*किसी नाम पर अंकित * चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(दो) उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों को उनकी बकाया धनराशि का भुगतान	283
श्री महावीर प्रसाद	283
(तीन) डाक और तार विभाग के लिये लखीसराय (बिहार) में एक नये भवन के निर्माण की आवश्यकता	284
श्रीमती कृष्णा साही	284
(चार) फैक्टरियों में बच्चों को काम पर लगाने पर प्रतिबन्ध लगाने और सम्बन्धित कानून को कठोरता से लागू करने की आवश्यकता	285
श्री चन्द्रपाल शैलानी	285
(पांच) आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) में पुलिस द्वारा न्यायालयों में प्रवेश करके वकीलों न्यायालय कर्मचारियों तथा आम जनता का पीटा जाना	285
श्री चन्द्रजीत यादव	285
(छः) आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के समुचित विकास की आवश्यकता	286
डा० ए० कलानिधि	286
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	287-352
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	287
प्रो० के० के० तिवारी	295
श्री चन्द्रजीत यादव	346
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	358
कतिपय पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हाल ही में की गई वृद्धि के परिणामस्वरूप परिवहन के किराये और भाड़े की दरों में वृद्धि के समाचार	358
श्री भीखाभाई	358
श्री पी० शिवशंकर	363
श्री हरिकेश बहादुर	366
श्री एडुआर्डो फैलीरो	370
श्री राम विलास पासवान	373
श्री जैनुल बशर	379

लोक सभा

मंगलवार, 22 फरवरी 1983/3 फाल्गुन, 1904 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नये मन्त्रियों का परिचय

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं आपसे तथा आपके माध्यम से सभा से अपने सहयोगियों, संचार मंत्रालयों में राज्य मंत्री, श्री वी० एन० गाडगिल, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री कल्पनाथ राय, का परिचय कराता हूं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आमतौर पर प्रधान मंत्री ही इस प्रकार का परिचय कराता है । परम्परा का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह स्वामी जी कहते हैं । स्वामी जी अन-यूजुअल को यूजुअल और यूजुअल को अन-यूजुअल कह दें तो हम क्या कर सकते हैं ? स्वामी जी दिन को रात कहें, तो हम तारे चमका दें ।

श्री रामविलास पासवान : जिनको ड्राप किया गया है, उनका भी इंट्रोडक्शन होना चाहिये ।

श्री रतन सिंह राजदा : अब मंत्रिमण्डल में और कितने परिवर्तन होंगे ।

क्या यह एक असीम प्रक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : देखिये साहब, कई बातें बताई हुई अच्छी नहीं होती ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : रेस्तरां में 'आज के मीनू' की भांति प्रतिदिन नोटिस बोर्ड पर मंत्रियों की सूची लगाने सम्बन्धी मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ ?

(व्यवधान)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*23. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बी० एच० ई० एल०) के 2'0 मेगावाट के कितने सेट चालू किए गए;

(ख) क्या इन सेटों के कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि० द्वारा 200/210 मेगावाट क्षमता के सप्लाई किए गए सात यूनिट 1980-81 में चालू किए गए थे और पाँच यूनिट 1981-82 में चालू किए गए थे ।

सेटों के कार्य-निष्पादन की सतत् रूप से मानिटरिंग की जाती है तथा उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं । इसके परिणामस्वरूप इन यूनिटों के कार्य-निष्पादन में तेजी से सुधार हुआ है । 1980-81 में चालू किए गए यूनिटों का संयंत्र-भार अनुपात निम्नानुसार है :—

वर्ष	%
1980-81	23.7
1981-82	42.3
1982-83	55.9

(दिसम्बर, 1982 तक)

1981-82 की अन्तिम तिमाही के दौरान पांच यूनिटें चालू की गई थीं । अप्रैल-दिसम्बर, 1982 की अवधि में इन यूनिटों का संयंत्र और अनुपात 46% था ।

अध्यक्ष महोदय : एक सिंह, दूसरे सिंह को उत्तर दे रहा है ।

श्री राजेश कुमार सिंह : मान्यवर मैंने कार्य-निष्पादन के सम्बन्ध में मंत्री जी से पूछा था, इन्होंने कह दिया कि निष्पादन तेजी से चल रहा है । इन्होंने अभी 210 मेगावाट के जो सैट कमीशन किए हैं, पहला सैट सिंगरौली में कमीशन किया जो नवम्बर तक डेढ़ महीने से सिक सैट था, उसकी कोई अच्छी फंक्शनिंग नहीं थी । आप आश्चर्य मानेंगे कि एक ही नहीं जो इन्होंने 12, 13 सैट कमीशन किये बदरपुर, दुर्गापुर, भुवनेश्वर और कितनी ही अन्य जगहों पर उनमें से दुर्गापुर में जहां 621 अवर्स प्रथम निर्धारित कर दिया जाता है वह 450 अवर्स फिक्स था जिसमें भी वह 21 अवर्स ही चला । मैं जानना चाहता था कि यह तेजी से कार्य-निष्पादन हुआ है क्या ?

बदरपुर में 405 था तो वहाँ 200 ही चला । मेरे कहने का मतलब यह है कि सही मायनों में 40-50 करोड़ रुपये का लास हुआ । क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल थर्मल प्रोजैक्ट के लोगों ने, आपके विभाग के लोगों ने और बी. एच. ई. एल. के लोगों ने मिलकर यह बात स्वीकार की है कि भेल से जो यूनिट आ रहे हैं, उनमें मन्युफैक्चरिंग डिफैक्ट हैं और वह ठीक नहीं हैं ।

हाईड्रोजन लीकेज का भी प्रश्न है, क्या यह सही बात है और आपने क्या कार्य किया है ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कई खास यूनिट्स की चर्चा की है। जहां तक दुर्गापुर का सवाल है, वह 1981-82 में कमीशन हुआ और अप्रैल से दिसम्बर, 1982 तक उसकी परफार्मेन्स कोई बुरी नहीं है, 43.5 परसेंट है। जहां तक बदरपुर की माननीय सदस्य ने चर्चा की है, वह यूनिट नं० 5 है और, उसकी परफार्मेन्स 37.7 परसेंट है। और पिछले महीनों में और भी उसमें तरक्की हुई है।

श्री राजेश कुमार सिंह : सिंगरौली में ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : सिंगरौली में यूनिट नं० (1) जो 1981-82 में कमीशन हुई, उसका परफारमेन्स और भी बेहतर है। अप्रैल से दिसम्बर 1982 की अवधि में प्लान्ड लोड फैक्टर 65.3 परसेन्ट था। इस तरह की स्थिति हमारे सामने है लेकिन जहां तक मेल की तमाम 200-210 मेगावाट यूनिटों की परफारमेन्स का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ डेफिशिएंसीज थीं और उनके सुधार के लिए जो कार्यवाही की जानी चाहिए थी, वह कार्यवाही की गई और पिछले वर्षों में उसमें निरन्तर सुधार हुआ है। उसका परफारमेन्स भी आल इंडिया एवरेज से कम्परेबल है और हम आशा करते हैं कि आगे और भी अधिक सुधार हो जायेगा।

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष जी, सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में 19666 मेगावाट के के टार्गेट, जिसमें 14208 मेगावाट थर्मल, 4768 हाइडल और 600 मेगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी के जैनरेटर्स की सप्लाई के लिए भेल को कहा गया लेकिन मैं जानना चाहूँगा क्या यह सही है कि सरकार ने इस बारे में अब यह निश्चय किया है कि चूंकि उस वक्त तक वे सप्लाई नहीं दे पायेंगे इसलिए इन सारे प्लान्ट्स को बाहर से इम्पोर्ट किया जायेगा ? यदि यह सही है तो इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ? यदि नहीं तो कितने का आर्डर दिया है, कितने का नहीं दिया हैं और भविष्य में आर्डर देने का विचार कर रहे हैं या नहीं ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : माननीय सदस्य से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है कि इसके आर्डर्स भेल को न देकर इम्पोर्ट के आधार पर बाहर से सभी को मंगाया जाए, बल्कि सरकार की आमतौर से यह नीति रही है कि जो हमारी इंडीजीनस की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसका जितना अधिक से अधिक इस्तेमाल सम्भव है, उसको करने का प्रयास किया जाए।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दुर्गापुर परियोजना को कोयले की सप्लाई का बंद किया जाना

*24. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बकाया राशि का भुगतान न किये जाने के कारण कोल इंडिया लिमिटेड ने दुर्गापुर प्रोजेक्टस लिमिटेड को कोयले की सप्लाई बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी प्रथम दस कम्पनियों/प्रतिष्ठानों के क्या नाम है जिनकी ओर कोल इंडिया लिमिटेड की राशि बकाया है और उनमें से प्रत्येक की ओर कितनी राशि बकाया है; और

(घ) उसकी वसूली के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग)	(बकाया राशि-करोड़ रुपयों में)
1. उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	26
2. महाराष्ट्र बिजली बोर्ड	23
3. दामोदर घाटी निगम	21
4. बिहार राज्य बिजली बोर्ड	20
5. मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड	20
6. दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	14
7. बदरपुर ताप बिजली घर	12
8. इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी	10
9. सेन्ट्रल रेलवे	8
10. उत्तर रेलवे	7

(घ) कोयला कम्पनियां अपने सभी उपभोक्ताओं से बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने के लिए लगातार अनुरोध करती रही हैं । कोल इंडिया लि० के अध्यक्ष ने भी सभी बिजली बोर्डों और कम्पनियों के अध्यक्षों को बकाया राशि जल्दी देने के लिए पत्र लिखे हैं । इस मामले को केन्द्र सरकार ने भी सम्बद्ध राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर उठाया है ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मंत्री महोदय ने बकाया राशि का भुगतान न किये जाने के कारण कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दुर्गापुर प्रोजेक्टस लिमिटेड को कोयले की सप्लाई बन्द करने सम्बन्धी मेरे प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) का एक कोरा उत्तर दिया है । जो इस प्रकार है :—

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मेरे विचार में यह ब्यान कोल इंडिया लिमिटेड से आया है । उन्होंने इस बात का पता नहीं लगाया कि कोल इंडिया लिमिटेड ने दुर्गापुर प्रोजेक्टस के लिये सप्लायी बन्द कर दी है ।

पश्चिम बंगाल सरकार के उद्योग राज्य मंत्री जैसे जिम्मेवार व्यक्ति ने एक सार्वजनिक ब्यान द्वारा कहा है कि दुर्गापुर प्रोजेक्टस लिमिटेड द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के 4 करोड़ रुपये देय हैं । इस बारे में हुए आन्दोलन की चर्चा समाचारपत्रों में भी हुई है । उन सब आन्दोलनों के बाद, कोल इंडिया लिमिटेड ने एक बनावटी उत्तर दिया कि इसका कारण कोल इंडिया

लिमिटेड द्वारा कोयले की सप्लायी बन्द किया जाना नहीं बल्कि यह है कि ठेकेदार की दरें दुर्गापुर प्रोजेक्टस लिमिटेड से नहीं मिलती थीं।

अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने उत्तर देने से पहले पश्चिम बंगाल के उद्योग राज्य मंत्री के ब्यान के बारे में पूछताछ की थी ? यदि हां, तो क्या उन्होंने उनसे यह बात पूछी थी कि सप्लायी 4 करोड़ रुपये के बकाया के कारण बन्द की गयी थी, जबकि 10 अन्य कम्पनियों अथवा प्रतिष्ठानों पर 20 से 7 करोड़ रुपये का बकाया है, जो कोल इंडिया लिमिटेड से बड़े-बड़े कर्जदार ९ ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या यह सी० आई० एल० है या सी० आई० ए० ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह सी० आई० एल० है।

श्री दलबीर सिंह : जहां तक मंत्री महोदय द्वारा किये गये जिक्र का सम्बन्ध है, मैं कह सकता हूं कि हमें ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन हमने उनको सप्लायी बन्द नहीं की है और मैं विभाग द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार ही चल सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : दोनों ही माननीय मंत्री हैं। मैं किस पर विश्वास करूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : जहां तक इन छः माननीय मंत्रियों का सम्बन्ध है। यह माननीय सदस्य उस माननीय मंत्री को लिख सकते थे और बाद में ब्यान दे सकते थे। वह अच्छा होता।

मेरा दूसरा प्रश्न वसूली के बारे में है। यह एक बहुत दिलचस्प ब्यान है। कोल इंडिया लिमिटेड का कुछ अन्य कम्पनियों पर 26 करोड़, 23 करोड़ रुपये बकाया है और 10 ऐसी कम्पनियों में से दो केन्द्रीय रेलवे तथा उत्तरी रेलवे हैं। अब उत्तर यह है कि वे केवल राज्य सरकारों को लिख रहे हैं। प्रतीत होता है कि किसी ने रेलवे विभाग अथवा केन्द्रीय सरकार के विभागों को नहीं लिखा और वास्तविकता यह है कि कोल इंडिया यह सब इसलिये दिखा रहा है ताकि वह कर्मचारियों को आवास तथा अन्य सुविधायें देने से इनकार कर सके। मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोल इंडिया लिमिटेड किसी राजनैतिक भेदभाव के बिना बकाया राशि वसूल करने तथा कर्मचारियों को भुगतान करने का सचमुच प्रयत्न कर रहा है ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके ?

श्री दलबीर सिंह : जहां तक भेदभाव का सम्बन्ध है। हम दोषी व्यक्ति तथा अन्य के बीच कोई भी भेदभाव नहीं समझते। हम हर दोषी को लिखते हैं, चाहे वह कोई भी हो, और राशि वसूल करने के लिये विशेष उपाय करते हैं। भेदभाव आदि का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

*25. **श्री त्रिलोक चन्द :**

श्री रामविलास पासवान : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है और न्यायालय-वार न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या की तुलना में विद्यमान न्यायाधीशों की संख्या कितनी है; और

(ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के शेष रिक्त पद भरने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) एक विवरण, जिसमें 1-2-1983 को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, वास्तविक संख्या और रिक्त पदों की संख्या है, सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की नियुक्तियां की जाने के सम्बन्ध में सांविधानिक उपबन्ध जटिल है और उसमें विभिन्न सांविधानिक प्राधिकारियों को परस्पर विचार विमर्श करना होता है। उच्च न्यायालय में नियुक्तियों के लिए कुछ प्रस्ताव राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त हुए हैं और सरकार उन पर विचार कर रही है। अनेक मामलों में राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं, जिसके लिए उन्हें बार-बार स्मरण कराया जा रहा है।

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के विषय में सरकार विचार कर रही है।

विवरण

1-2-1983 की स्थिति के अनुसार

क्र० सं०	उच्च न्यायालय	स्वीकृति संख्या	वास्तविक संख्या	रिक्त पद
1.	इलाहाबाद	60	44	16
2.	आन्ध्र प्रदेश	26	22	4
3.	बम्बई	43	36	7
4.	कलकत्ता	39	29	10
5.	दिल्ली	27	21	6
6.	गौहाटी	9	8	1
7.	गुजरात	20	19	1
8.	हिमाचल प्रदेश	5	4	1
9.	जम्मू और कश्मीर	7	4	3
10.	कर्नाटक	24	23	1
11.	केरल	18	14	4
12.	मध्य प्रदेश	29	17	12

1 2	3	4	5
13. मद्रास	25	20	5
14. उडीसा	8	6	2
15. पंजाब और हरियाणा	23	22	1
16. पटना	35	32	3
17. राजस्थान	18	12	6
18 सिक्किम	2	2	—
	418	335	83
सच्चतम न्यायालय	18	13	5

श्री त्रिलोक चन्द : अध्यक्ष महोदय, अभी जो सवाल का जवाब सदन में मंत्री महोदय द्वारा दिया गया, उसको आपने भी सुना है। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय में 83 पद और उच्चतम न्यायालय में 5 पद जजों के खाली हैं, लेकिन मंत्री जी ने यह बताने का कष्ट नहीं किया कि ये पद कितने वर्षों से खाली हैं। इन्होंने कहा है कि यह एक बड़ी काम्प्लैक्स समस्या है। हर एक आदमी जानता है कि यह एक ज्वाइन्ट प्रक्रिया है जिसमें सभी अथारिटीज से पूछना पड़ता है। लेकिन मेरा प्रश्न तो यह था कि ये पोस्टें कब से खाली हैं—इसका जवाब आपने नहीं दिया है।

जहां तक जजों की खोज का सवाल है—सरकार अपने मन का जज खोजने में लगी रहती है, जब उसके मन का जज मिल जाता है तब एप्वाइन्टमेन्ट हो जाती है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैं माननीय सदस्य और हाउस को यह बतलाना चाहता हूं कि 1982 में हमने 59 एडीशनल जजेज को परमानेन्ट किया है, 17 फ्रेश एडीशनल जजेज एप्वाइन्ट किये हैं और 20 परमानेन्ट जजेज एप्वाइन्ट किये हैं। 1983 में 2 एडीशनल जजेज एप्वाइन्ड किये हैं और 4 परमानेन्ट जजेज एप्वाइन्ट किये हैं—इनकी संख्या आप देखेंगे, 102 बनती है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या इनमें शेडयूल्ड कास्ट्स के भी थे ?

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : इनमें महिलायें कितनी हैं ?

श्री जगन्नाथ कौशल : दूसरी बात—जो माननीय सदस्य कहते हैं कि सरकार इस खोज में रहती है कि जब तक सरकार के अपने मतलब के जज न मिलें तब तक सरकार उनको नहीं लगाती है, यह बात माननीय सदस्य बार-बार कहते हैं, बार-बार उसका जवाब एक ही है कि यह निराधार बात है कि सरकार ऐसी खोज में रहती है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : बहरूल इस्लाम की स्थिति क्या है।

श्री जगन्नाथ कौशल : सरकार उन जजेज की खोज में रहती है जो सूटेबिल हैं, जो कांस्टीट्यूशन की फिलास्फी में यकीन रखते हैं, जिनका कांस्टीट्यूशन के प्रति कमिटमेन्ट है, जिनका कांस्टीट्यूशन में विश्वास है···

श्री रामविलास पासवान : कौन सा कांस्टीट्यूशन ?

श्री जगन्नाथ कौशल : यह बात कहना कि कन्सलटेशन करने में समय नहीं लगता है, यह गलत बात है। जब तक ये अथारिटीज आपस में एग्री न करें, हमारी यह कोशिश होती है कि उनको री-कन्साइल करने के बाद हम बेस्ट आदमी को एप्वाइन्ट करें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : दर्शन क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : केवल प्रोफेसर ही इसे बता सकते हैं।

श्री त्रिलोक चन्द्र : ये 102 पोस्टें कब से खाली थीं ? कब से आपने इनको खाली डिक्लेअर किया था ? आप कहते हैं कि इस वक्त भी हाईकोर्ट में 83 और सुप्रीम कोर्ट में 5 पोस्टें खाली हैं—ये कब से खाली हैं ?

श्री जगन्नाथ कौशल : कुछ पोस्टें 1981 में खाली हुईं, कुछ 1982 में खाली हुईं। माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि यह कान्टीन्यूअस प्रोसेस है, जजेज रिटायर होते रहते हैं, अनफार्चुनेटली कुछ जजेज की डेथ हो गई, इसलिये ये पोस्टें खाली होती रहती हैं। लेकिन यह कहना कि सरकार इस मामले में सचेत नहीं है, गलत है। आप देखलें हमने एक साल में कितने एप्वाइन्टमेन्ट्स किये हैं।

श्री रामविलास पासवान : अभी मंत्री जी ने कहा कि अपोजीशन की तरफ से बार-बार यह प्रश्न किया जाता है कि आप पोलिटीकली मोटिवेटेड लोगों की चर्चा करते हैं और सरकार बार-बार इन्कार करती है, उसको निराधार साबित करती है। मैं यह जानना चाहता हूं—एक जज जिसने एक मुख्य मंत्री के केस में खुल्लमखुल्ला पक्षपात किया और पक्षपात करने के बाद आपने अपने टिकट से उसको चुनाव लड़ाने का काम किया··· (व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष जी, इससे इस मामले का सम्बन्ध क्या है ?

श्री रामविलास पासवान : मुख्य मंत्री के पक्ष में फैसला दिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह तो फैक्ट है।

श्री रामविलास पासवान : मुख्य मंत्री के पक्ष में फैसला दिया है, इसमें दो राय नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : न्याय जो होगा, वह किसी के पक्ष में तो होगा ही। इस पक्ष में हो या उस पक्ष में।

श्री रामविलास पासवान : जो पक्ष का पात्र होता है, उसी को पक्षपात कहते हैं। उनके पक्ष में फैसला दिया है, इसलिए पक्षपात हुआ है।··· (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब ये बज्रपात कर रहे हैं ।

श्री रामविलास पासवान : यह फैक्ट है । सरकार ने क्यों ऐसे आदमी को टिकट दिया, जो आदमी एक दिन पहले ऐसा फैसला देता है और उसको आप अपनी पार्टी मे ले लेते हैं ।... **(व्यवधान)**

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष जी, मुझे इसमें आपत्ति है ।

श्री रामविलास पासवान : वे पहले भी इनकी पार्टी में एम० पी० रह ुके हैं और बाद में जाकर इनकी पार्टी में रहे ।

अध्यक्ष महोदय : जब आदमी जज हो जाता है, तो उसके बाद वह और कुछ नहीं रहता है ।

श्री रामविलास पासवान : जजमेंट देने के लिए उन्हें जज नियुक्त किया गया । **(व्यवधान)**

श्री रामविलास पासवान : मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सरकार की नीति है...

श्री जगदीश टाईटलर : राष्ट्रपति पद के लिये उनका उम्मीदवार कौन था ? आप उत्तर दें ।

श्री रामविलास पासवान : भारत के राष्ट्रपति । वे कांग्रेस (आई) के नहीं थे ।

श्री जगदीश टाईटलर : वह भी सेवानिवृत होंगे उनकी भी मृत्यु होगी ।

श्री रामविलास पासवान : भारत का राष्ट्रपति किसी दल का पद नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : जज होने के बाद, पार्टी पोजिशन खत्म हो जाती है, यदि वह असली जज हो ।

श्री रामविलास पासवान : होना चाहिये ।

आचार्य भगवान देव : जनता पार्टी की सरकार में स्पीकर कौन थे, मैं इनसे यह जानना चाहता हूं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह भी एक धार्मिक मामला था । वह भगवान जगन्नाथ की पूजा कर रहे थे ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक नैतिक सिद्धान्त है, वह हर चीज का त्याग कर देता है । यदि वह असली जज है । तो उसे हर बात को छोड़कर न्याय देना चाहिये । क्या ऐसा नहीं है ? एक बार शपथ लेने के बाद, मेरे विचार में उसे किसी के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना होता है ।

प्रो० मधु दण्डवते : एक बार जब वह अध्यक्ष बन जाता है, तो वह पूर्णतः गैर-पार्टी व्यक्ति बन जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं इस सभा में बैठूंगा, उस समय तक मैं इस सिद्धान्त का पालन करता रहूंगा।

श्री रामविलास पासवान : मैं सरकार से एक किलयर-कट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : यह जो इन्होंने जज के बारे में कहा है, इसको एक्सपेंड करिये।...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि सभी मुख्य न्यायाधीशों की एक कान्फ्रेन्स हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, श्री चन्द्रचूड़ ने की थी और जिसमें नियुक्तियों आदि के सम्बन्ध में चर्चाएं हुईं थीं ? वे चर्चाएं क्या हैं यह मैं पूछना चाहता हूं।

आपने हाई कोर्टों के जजों के बारे में बतलाया कि हम विचार कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हाई कोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों ने कितने नाम रिकमेंड किये हैं, कितने नामों पर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स ने अनुमति दे दी है, उनका एप्रूवल आप ने किया है या नहीं और कितने आपके पास पेंडिंग हैं। मैं सरकार से यह पुनः पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो भी नियुक्त हों, वे निष्पक्ष हों और वे आपके लिए कमिटेड न रहें। क्या सरकार इस बात को साफ करेगी ?

श्री जगन्नाथ कौशल : मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार साफ कैसे करे। मैं बार-बार आपको कह रहा हूं कि जजों की नियुक्तियों में हमारा सिर्फ एक कंसिडरेशन हैं, और वह कंसिडरेशन है, एकता। संविधान में उसकी आस्था। उसे संविधान तथा कानून का पालन करना है। और यह अपोजिशन एक तरफ इंडीपेंडेंस आफ जुडीशियरी की दुहाई देती है और दूसरी तरफ इस किस्म की बात कर के इंडीपेंडेंस आफ जुडीशियरी पर सबसे बड़ा आघात ये करते हैं।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हमने एक प्रश्न पूछा था कि क्या हाई कोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों की कान्फ्रेंस हुई थी जिसकी अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश श्री चन्द्रचूड़ ने की थी ? यदि हां तो उसमें क्या विचार हुआ ?

श्री जगन्नाथ कौशल : चीफ जस्टिसिज की जो कांफ्रेंस हुई थी और उसमें जो विचार हुए थे, उनकी कोई सूची अभी तक हमारे पास चीफ जस्टिस आफ इंडिया ने नहीं भेजी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक बडी चिंता का मामला है। आप इस बात को मानेंगे कि सभा में ही नहीं बल्कि बाहर भी जो न्यायिक प्रणाली तथा प्रक्रिया में दिलचस्पी लेने वाले लोग हैं वे इस बात से चिंतित हैं कि कई वर्षों से अनेकों स्थान नहीं भरे जा रहे हैं। स्थान न केवल मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति से रिक्त होते हैं बल्कि जजों को पार्टी टिकट देने हेतु सेवानिवृत्त होने के लिये कहा जाता है और इससे भी स्थान रिक्त हो रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा, क्या इस बात का पता पहले नहीं चलता कि जज कब सेवानिवृत हो रहा है ? क्या उनकी आयु का पता

नहीं होता है ? स्थान जब भी खाली होगा, सबको उसका पता लग जायेगा, यदि समय-समय पर जज की आयु परिवर्तित न की जाये । मैं जानना चाहता हूं कि स्थान रिक्त होने से पहले ही उन्हें भरने के लिये कार्यवाही क्यों नहीं की जाती, क्या स्थान रिक्त होने के बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी, जब हर बात का पता चल जायेगा । कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 1 मार्च को सेवानिवृत हो रहे हैं और अब तक हमें पता नहीं कि अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा ।

एक माननीय सदस्य : जम्मू-कश्मीर में भी ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उच्चतम न्यायालय में भी 5 न्यायाधीशों के स्थान रिक्त हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इन 83 तथा 5 स्थानों में से कितने स्थान इस वर्ष भरे जायेंगे । मैं एक वर्ष का समय दे रहा हूं । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय न्यायाधीशों के तबादले सम्बन्धी प्रस्तावों को भी लागू किया जा रहा है और क्या मुख्य न्यायाधीश को अन्य उच्च न्यायालयों से लाने सम्बन्धी लिये गये निर्णय को आगे मुख्य न्यायाधीशो की नियुक्ति करते समय लागू किया जायेगा ? आप इन सब बातों का स्पष्टीकरण क्यों नहीं करते ताकि लोगों का पता चल सके ? अन्यथा टिप्पणियां होंगी और संदेह उत्पन्न होंगे ।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं माननीय सदस्य के नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि हमने अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में 27 वैकेन्सीज भरी हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अपने आंकड़े दे दिये हैं ।

श्री जगन्नाथ कौशल : हम वैकेन्सीज भरने के प्रोसेस में लगे हुये हैं । जब स्टेट्स से हमारे पास मुकम्मिल रिकमण्डेशन नहीं आती, और मुझे यह कहना अच्छा नहीं लगता कि आपकी स्टेट रिकमण्डेशन नहीं भेजती, चीफ मिनिस्टर यह कह कहते हैं कि हम रिकमण्डेशन भेजेंगे···

श्री सोमनाथ चटर्जी : सिफारिशें करने का क्या लाभ है ? जिन लोगों के बारे में उन्होंने आपत्ति की है, आपने उन लोगों को नियुक्त कर दिया है । अतः यह सब कहने का क्या लाभ है ? मुख्य मंत्री को उचित आदर देने सम्बन्धी यह तर्क निराधार हैं । उन्हें ये सब बातें स्पष्ट करने की क्या आवश्यकता है । **(व्यवधान)**

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं हाउस को·····

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे मुख्य मंत्रियों, अथवा राज्यपालों की सिफारिशों को कोई भी सम्मान नहीं दे रहे हैं । मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं । ये ऐसे बहाने क्यों बना रहे हैं ।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं हाउस की इन्फोरमेशन के लिये यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ हाउस यह कहता है कि चीफ जस्टिस की रिकमण्डेशन को ज्यादा वैल्यु दो, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर की बात को वैल्यु दो । अगर चीफ मिनिस्टर की बात नहीं मानेंगे··· **(व्यवधान)**

श्री सुनील मैत्रा : नहीं, नहीं । आप कहते है कि मुख्य मंत्री ने सिफारिश नहीं भेजी । यह बात ठीक नहीं है ।

श्री जगन्नाथ कौशल : आप में सुनने की शक्ति होनी चाहिये। जब चीफ मिनिस्टर यह कहे कि मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं रेकमण्डेशन नहीं भेजूंगा तो चीफ मिनिस्टर अपनी कांस्टीट्यूशनल रेसपांसिबिलिटी से भागता है। किसी चीफ मिनिस्टर को···(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : राज्यपाल को सिफारिशें भेजने दें।

श्री जगन्नाथ कौशल : कोई बात नहीं जब मैं बोलता हूं तो माननीय सदस्यों को मेरी बात सुनने में व्यस्त रहना चाहिये। जब वे बोलते हैं तो मैं बीच में बाधा नहीं डालता। अन्यथा मैं भी आपको हर वाक्य बोलने के बाद टोक सकता हूं···(**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप कैसे बाधा डाल सकते हैं ? हम सही बात बोलते हैं और आप बाधा नहीं डाल सकते।

श्री जगन्नाथ कौशल : मुझे यह बताने के लिए न कहें कि जो कुछ आप बोलते हैं, उसका अधिकांश भाग सही नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : एक अच्छा वकील होने के नाते इन्होंने असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया है।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं हाउस को यह बात बताना चाहता हूं कि न चीफ मिनिस्टर को और न चीफ जस्टिस को प्राइम पोजीशन देने के लिए तैयार हैं। कांस्टीट्यूशन में जो पोजीशन दी है हर अथारिटी को कंसल्टेशन करने का अधिकार है और जब कंसल्टेशन हमारे पास आती है तो जो हमको बैस्ट सूटेबल आदमी हमारे खयाल से होगा उसको हम अपायंट करेंगे।

(**व्यवधान**)

अनेक माननीय सदस्य : खड़े हुए।

(**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं पूछा जायेगा। कृपया बैठ जाइये।

(**व्यवधान**)

श्री रामविलास पासवान : उनका व्यवस्था का प्रश्न है ?

अध्यक्ष महोदय : उनके विचार को पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। सूची में से वह सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति चुन लेंगे। श्री यादव।

श्री जगन्नाथ कौशल : मुझे उत्तर पूरा करने दीजिए। उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के अनुसार भारत का राष्ट्रपति को सभी संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श करने

के उपरान्त नियुक्ति करनी होती है और जब मैंने यह कहा···। हमारे ख्याल से जो होगा, उसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट उसको अपायंट करेगी, प्रेसीडेंट आफ इंडिया उसको अपायंट करेगा और मैंने यही कहा है। उपयुक्तता के बारे में अन्तिम निर्णय भारत सरकार करती है और किसी को भी इस संदेह में नहीं रहना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करने वाले प्राधिकारी हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव।

श्री सोमनाथ चटर्जी : न्यायाधीशों के तबादले तथा बाहरी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है। भारत का राष्ट्रपति जिस बात पर विचार करता है वह मुख्य बात यह है कि नियुक्त किये जाने वाला व्यक्ति इस पद के उच्च कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिये उपयुक्त हो। जहां तक न्यायाधीशों के तबादले आदि का सम्बन्ध है···

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का प्रश्न भी इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : इसको कार्यान्वित किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री डी० पी० यादव।

श्री रतन सिंह राजदा : महोदय, वह नये सदस्य कौन हैं ?··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जहां मर्जी बैठो, मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : हम यादव जी का सहर्ष स्वागत करते हैं।

(व्यवधान)

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदय, यह क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री डी० पी० यादव।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, यह क्या है ? यह आया राम गया राम का एक अन्य उदाहरण है।

एक माननीय सदस्य : वापस घर जा रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कम से कम समय-समय पर उन्हें हमको सूचना देनी चाहिए।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह श्रीमती इन्दिरा गांधी की पार्टी के कार्य करने का ढंग है।

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव ।

इस हमाम में मुझे लगता है सारे···चलिए छोडिए । **(व्यवधान)**

श्री डी० पी० यादव : अध्यक्ष महोदय··· **(व्यवधान)**

श्री रतनसिंह राजवा : महोदय, क्या आपकी अनुमति से स्वस्थ्य परम्परा को कायम करने के लिए मैं एक सुझाव दे सकता हूं ? जो लोग दल बदलते हैं उन्हें प्रश्न पूछने के अधिकार से वंचित कर दिया जाना चाहिए । **(व्यवधान)** हमें इसका अनुसरण करना चाहिए । महोदय, हमें स्वस्थ्य परम्परा कायम करनी चाहिए ।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : अब उनको कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए । **(व्यवधान)**

श्री डी० पी० यादव : महोदय, आपको याद होगा कि इस सदन में ही पहले विधि मंत्री, श्री शिवशंकर जी ने हमें स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दिया था कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के नामों पर भी विचार किया जायेगा । इसके लिए संवैधानिक प्रावधान भी है । क्या माननीय विधि मंत्री यह बतायेंगे कि पहले विधि मंत्री श्री शिवशकर द्वारा पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त करने के बारे में दिये गये आश्वासन का क्या वर्तमान मंत्री महोदय भी पालन करेंगे ?

श्री जगन्नाथ कौशल : हाउस के सामने श्री शिवशंकर जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं उस स्टेटमेंट को ओन करता हूं । लेकिन, आपको मालूम होना चाहिए कि कांस्टीट्यूशन में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राईब्स के लिए हाईकोर्ट जजैज और सुप्रीम कोर्ट जजैज के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है ।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : शिवशंकर जी ने क्या कहा था ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं आप ? आप जवाब देंगे क्या ? उनको जवाब देने दीजिए ।

श्री जगन्नाथ कौशल : श्री शिवशंकर ने यह कहा था कि हमने सब स्टेट्स को लिखा है कि जहां भी शेड्यूल्ड कास्ट्स, बैकवर्ड क्लासेज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सूटेबिल कैंडीडेट्स अवेलएबिल हों वहां उनको प्रीफरेंस देनी चाहिए ।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : और महिलाओं के लिए, सर ?

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपने लिखित उत्तर के साथ संलग्न सूची को देखा है ? इस सूची में यह कहा गया है कि इलाहाबाद में 16 रिक्त पद हैं, कलकत्ता में 10 रिक्त पद हैं तथा मध्य प्रदेश में 29 पदों में से 12 पद रिक्त पडे हुए हैं । राजस्थान में भी 18 पदों में से 6 पद रिक्त पड़े हुए हैं । क्या ये रिक्त पद काफी लम्बे अरसे से रिक्त पड़े हुए ? ऐसा तो नहीं है कि कुछ पद अभी रिक्त हुए

हों तथा कुछ को इस अवधि के दौरान भर लिया गया हो । मध्य प्रदेश में 29 रिक्त पदों में से 12 पद रिक्त पड़े हुए हैं जिसका तात्पर्य यह है कि 40 प्रतिशत पद आज भी रिक्त पड़े हुए हैं । इस प्रकार की परिस्थितियों में मुकदमों को शीघ्र निपटाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है ? मुझे इतना मालूम है कि वहां पर निःसन्देह कांग्रेस (आई) का शासन है, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री तथा मुख्य न्यायाधीश के बीच एक सामान्य सूची के बारे में सहमति नहीं है, जिसकी वजह से यह मामला काफी लम्बे समय से विचाराधीन है । क्या यह बात सच है अथवा नहीं ? क्या इन रिक्त पदों को भरने के बारे में आप सदन को कोई आश्वासन दे सकते हैं ?

श्री जगन्नाथ कौशल : सदन की सूचनार्थ मैं यह बता सकता हूं कि इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों से 39 नाम प्राप्त हुए हैं । इलाहाबाद तथा मध्य प्रदेश से भी कुछ नाम प्राप्त हुए हैं और उन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और यथासंभव शीघ्र ही नियुक्तियां करने के लिए हम सभी प्रयास करेंगे ।

श्री जगपाल सिंह : कब तक कन्सीडरेशन करेंगे, 3 साल हो गये हैं ।

मालाबार हिल (बम्बई) टेलीफोन एक्सचेंज में आग

*26 **श्री बसन्त कुमार पण्डित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 दिसम्बर, 1 82 की विनाशकारी आग से बम्बई का नया मालाबार टेलीफोन एक्सचेंज पूर्णतः नष्ट-भ्रष्ट हो गया था;

(ख) यदि हां, तो आग के कारण अनुमानतः कुल कितने रुपये की आयातित आधुनिकतम स्वचालित उपस्करों की हानि हुई, कितने राजस्व की हानि हुई और कितनी सम्पत्ति नष्ट हो गई;

(ग) इस एक्सचेंज को बदलने में अनुमानतः कितनी लागत आएगी;

(घ) क्या आग का पता लगाने के लिए कोई जांच पड़ताल की गई थी, यदि हां, तो किसके द्वारा की गई और रिपोर्ट में क्या-क्या मुख्य मुद्दे बताये गए हैं;

(ङ) क्या हितैची ग्रुप के जापानी सप्लाईकर्ता ने अग्निकांड के स्थल का दौरा किया था और क्या उन्होंने अपनी जाँच के बारे में सरकार को लिखा है, यदि हाँ, तो उनका निष्कर्ष क्या है; और

(च) क्या सरकार को इस अग्निकांड में तोड़फोड़ करने वाले किसी तत्व का संदेह है; यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) (एक) मालाबार हिल टेलीफोन भवन में स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों को हुई हानि

का अनुमान लगाने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है । आशा है कि इस समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही मिल जाएगी ।

(दो) मालाबार हिल-II (822) टेलीफोन एक्सचेंज से लगभग 25.99 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई क्योंकि यह एक्सचेंज लगभग 22 दिनों तक खराब रहा था ।

मालाबार हिल-I (812) टेलीफोन एक्सचेंज के कारण राजस्व में हो रही हानि 1.23 लाख रुपये प्रतिदिन है । इस टेलीफोन एक्सचेंज को अभी फिर से चालू किया जाना है ।

(तीन) लगभग 2.22 लाख रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई है ।

(ग) लगभग 4 करोड रुपये ।

(घ) आग के कारणों का पता लगाने और उसकी जांच-पड़ताल करने के लिए डाक-तार विभाग ने एक समिति नियुक्त की है । आशा है कि इस समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही मिल जाएगी ।

(ड़) जी, हाँ । केवल प्रारम्भिक रिपोर्ट ही प्राप्त हुई है । अगली रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(च) इसका पता जांच समिति की रिपोर्ट के प्राप्त होने एवं उसका मूल्यांकन करने के पश्चात ही चलेगा ।

डा० वसन्त कुमार पण्डित : मेरा विचार है कि माननीय सचार मंत्री बम्बई टेलीफोन सलाहकार समिति में मेरे साथ लम्बे अर्से तक रहे हैं । उनको इसकी काफी जानकारी प्राप्त है। स्वचालित एक्सचेंजों की सम्पूर्ण प्रणाली को वह जानते हैं और वे मेरे प्रश्न का बड़े अच्छे ढंग से उत्तर दे सकते हैं । जहाँ तक मेरे प्रश्न के भाग (क) का सम्बन्ध है मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन दोनों समितियों, अर्थात एक मालाबार हिल में स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों को हुई हानि का पता लगाने तथा दूसरी आग लगने के कारणों का पता लगाने से सम्बन्धित है, के लिए किन-किन व्यक्तियों को नामजद किया गया है ।

बम्बई टेलीफोन के वर्तमान महाप्रबन्धक श्री पी० सी० जौहरी ने बम्बई में संगठन के अन्दर तथा बाहर टेलीफोन एजेन्टों, टेलीफोन परामर्शदाताओं तथा टेलीफोन दलालों के द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए निरन्तर अभियान चला रखा है। ये लोग भ्रष्ट कार्य-प्रणालियों में संलग्न हैं । अत: महाप्रबन्धक का कुछ विरोध हो रहा है। अत: मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या जापान के हितेची ग्रुप से बम्बई के लिए 40 स्वचालित एक्सचेंजों को खरीदने का कोई अनुबन्ध किया गया है और यदि हाँ, तो क्या इससे ओ० बाई० टी० तथा सामान्य वर्ग की सम्पूर्ण प्रतीक्षा सूचियों में दर्ज सभी व्यक्तियों को टेलीफोन दे दिया जायेगा

जिससे भ्रष्टाचार को अपनाने का कोई आधार नहीं रहे। इसके अतिरिक्त इन दो समितियों के निष्कर्ष कब तक प्राप्त होने की आशा है ? इन समितियों के सदस्यों के क्या नाम हैं ?

श्री विजय एन० पाटिल : समिति के सदस्यों की संख्या छः है तथा जबलपुर सर्किल के महाप्रबन्धक, श्री माथुर इसके अध्यक्ष हैं। फायर ब्रिगेड के प्रतिनिधियों तथा अन्य व्यक्तियों को जांच पड़ताल के दौरान बुलाया जा रहा है।

जहाँ तक प्रतीक्षा सूची का सम्बन्ध है हम बम्बई में तथा सारे देश में भी इनमें दर्ज सभी व्यक्तियों को टेलीफोन देने का प्रत्येक यथासम्भव प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे माननीय मित्र स्वयं सलाहकार समिति के सदस्य रह चुके हैं और वे यह जानते होंगे कि प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को टेलीफोन देने के लिए हमें केवल जापान से एक्सचेन्जों का आयात ही नहीं करना होगा बल्कि इसके लिए हमें भवनों का निर्माण भी करना होगा तथा उनको वातानुकूलित बनाने तथा उसके पश्चात उपकरणों को स्थापित करने की भी आवश्यकता होगी। लेकिन इसके बावजूद हम बम्बई तथा अन्य महानगरों में इस कार्य को प्रत्येक सम्भव प्राथमिकता प्रदान कर रहे हैं।

हमने जापान के हितेची ग्रुप और एन० ई० सी० से कुछ एक्सचेंज लेने का सौदा किया है और ये आ रही हैं। हम उन्हें चरणों में लगा रहे हैं। हम सिग्नेा में 10000 लाइन का एक्सचेंज स्थापित करने जा रहे हैं। बम्बई के अन्य टेलीफोन केन्द्रों में भी जिनमें मालाबार हिल एक्सचेंज शामिल है। हम वर्तमान क्षमता का विस्तार करने जा रहे हैं।

डा० विजय कुमार पण्डित : मेरे प्रश्न के भाग (क) में पूछे गये इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या हितेची से जापान के सप्लाईकर्त्ता आग लगने के कारणों का पता लगाने आए थे, आपने बताया कि उन्होंने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट दे दी है। क्या मैं जान सकता हूं कि यदि उनकी प्राथमिक रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि इस आग लगने का कारण तोड़फोड़ है और क्या अन्य बहुराष्ट्रीय ठेकेदार टेलीफोन माफिया के माध्यम से कार्य कर रहे हैं जिसने यह सब तोड़-फोड़ की है ? जब आपने 49 हितेची स्वचालित एक्सचेंज लेने का ठेका किया था, जो कि सबसे अच्छी थी, तो अन्य प्रतिद्वन्द्वी कौन थे जिन्होंने ये एक्सचेंज देने की पेशकश की थी और जिन्हें यह ठेका नहीं दिया गया था ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जापानी दल द्वारा यह सन्देह व्यक्त किया गया है कि इस तोड़फोड़ का कारण एक बहुराष्ट्रीय एजेंसी है। यह एक विचित्र प्रकार का अग्निकांड है जिसमें केवल पी. बी. सी. केबल्स को ही आग लगी। जो दो व्यक्ति इन्चार्ज थे, उन्हें पदच्युत कर दिया गया है। वे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस तोड़-फोड़ को भड़काया और उकसाया। तोड़-फोड़ के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि जापान की समिति की रिपोर्ट में क्या कहा गया है।

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : उन्होंने प्रारम्भिक रिपोर्ट दे दी है, और जब तक वे हमें अन्तिम रिपोर्ट नहीं दे देते मेरे लिए कोई वक्तव्य देना उचित नहीं होगा। तथापि, प्रारम्भिक रिपोर्ट में उन्होंने सुझाव दिया है कि 812 एक्सचेंज के उपकरणों को

पूरी तरह बदलना पड़ेगा। 822 एक्सचेन्ज के उपकरणों के बारे में उनका विचार है कि यद्यपि वे कुछ समय तक ठीक से काम कर सकते हैं तथापि इस पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है और इसका जीवन कुछ कम हो सकता है। अभी तक केवल प्रारम्भिक रिपोर्ट ही प्राप्त हुई है।

जहां तक तोड़ फोड़ का सम्बन्ध है, अभी तक उन्होंने अपनी जांच के बारे में कुछ नहीं लिखा है और मेरे लिए अभी कोई वक्तव्य देना उचित नहीं होगा क्योंकि आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि मैं उनकी जांच पड़ताल को प्रभावित करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

श्री रतनसिंह राजदा : महोदय, मालाबार हिल में इस आग के कारण करीब 19000 लाइनें खराब हो गई हैं। मालाबार हिल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है क्योंकि वे बाहरी लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। जब मैं भूतपूर्व मंत्री से मिला था तो मैंने उन्हें कुछ सुझाव दिये थे कि मालाबार हिल क्षेत्र के प्रत्येक कोने में अस्थायी सार्वजनिक टेलीफोन लगाए जाने चाहिएं; और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि आम आदमी को, जो बाहरी लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहते हैं, राहत देने के लिए 15 दिनों में ही करीब 50 सार्वजनिक टेलीफोन लगाए जाएंगे। मेरे विचार से इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में क्या कहना है।

दूसरे, महोदय, श्री जोहरी महाप्रबन्धक ने वचन दिया था कि गामदेवी एक्सचेन्ज तथा अन्य करीब के टेलीफोन-केन्द्रों से उन लोगों को एक-एक टेलीफोन कनेक्शन दिया जायेगा जिनके पास 2 या 3 टेलीफोन हैं। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई सन्तोषजनक कार्य नहीं हुआ है।

तीसरे, महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस तोड़-फोड़ में किन लोगों का हाथ है और क्या उन्होंने इनमें से किसी को पदच्युत किया है ?

श्री विजय एन० पाटिल : महोदय, सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के प्रश्न को अत्यधिक प्राथमिकता दी जा रही है और प्रत्येक ऊंची इमारत में एक सार्वजनिक टेलीफोन लगाया जा रहा है। अस्पतालों, दमकल-केन्द्र, पुलिस-थाना और अन्य सार्वजनिक उपयोग के स्थानों पर भी टेलीफोन लगाए जाने को प्राथमिकता दी जा रही है। मैं इसे विस्तार में पढ़ना चाहता हूँ—

गामदेवी, सैन्ट्रल और बाइकल्ला एक्सचेन्ज से करीब दो सप्ताह में ही करीब 800 टेलीफोन कनेक्शन दिए गए थे। 822 एक्सचेन्ज को 21 जनवरी को पुन: चालू किया गया था और करीब 9000 व्यक्तियों को पुन: इसकी सेवा प्रदान की गई। जून 1983 तक बाइकल्ला एक्सचेन्ज से करीब 4000 कनेक्शन और दिए जाएंगे। अब तक करीब 150 सार्वजनिक टेलीफोन बूथ लगाए जा चुके हैं।

तोड़-फोड़ के सम्बन्ध में, मेरे वरिष्ठ सहयोगी पहले ही उत्तर दे चुके हैं। जांच कार्य जारी है और हम इस बारे में कोई उत्तर नहीं दे सकते।

महोदय, माननीय सदस्य ने एक मुद्दा यह उठाया था कि जिन लोगों के पास तीन

टेलीफोन हैं उन्हें केवल एक ही टेलीफोन दिया जाए। ऐसा भी किया जा रहा है। लेकिन उन्हें अन्य दो टेलीफोन वापिस देने का निवेदन किया गया है ताकि वे अन्य लोगों को दिए जा सकें। करीब 300 मामलों में ऐसा किया जा रहा है।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : अध्यक्ष जी, मालाबार हिल एक्सचेन्ज में दो नम्बर 822 और 812 के बजाए 822 शुरू कर दिया है जिसकी वजह से शांताक्रुज एक्सचेन्ज में जितने लोग वेटिंग लिस्ट में थे वे कैंसिल कर दिए गए हैं। मेरे पास ऐसी शिकायत आई है कि कई जगहों पर जिनके पास तीन-तीन टेलीफोन हैं 822 नम्बर से उनको दे दिए हैं लेकिन दूसरे बन्द कर दिए हैं। हमारे पास ऐसी शिकायत आई है, आपके पास नहीं आई होगी। तो क्या जिनके पास तीन-तीन टेलीफोन हैं उनको केवल एक ही देकर बाकी दो दूसरों को देने की व्यवस्था करेंगे ? बाद में जब सभी एक्सचेन्ज ठीक हो जाएं तब उनको आप दे दीजिए लेकिन अभी शांताक्रुज और बाकी जगह पर नये एक्सचेन्ज जो हैं उनके नम्बर्स जैसे है उस पर टेलीफोन देने की व्यवस्था क्या आप कर सकते हैं ?

श्री विजय एन० पाटिल : ऐसे 1,200 केसेज हैं जिनमें एक घर में एक से ज्यादा टेलीफोन हैं। उनसे यह रिक्वेस्ट की गई है कि एक लेकर बाकी दो टेलीफोन अपने किसी मित्र या रिलेटिव को उसी एक्सचेन्ज में देना चाहें तो उसके लिए लिखकर दे दें। 300 लोगों की एप्लीकेशन्स आई हैं, उनको हमने प्रोसेस किया है और उनको टेलीफोन दिए जा रहे हैं।

शांताक्रुज एक्सचेंज के बारे में आपकी जो इन्फार्मेशन है वह सही नहीं है।

नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में "स्वर्ण मयूर" पदक न दिया जाना

* 27. **श्री मूलचन्द डागा** :

श्री हनान मोल्लाह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 19 जनवरी, 1983 के "नवभारत टाइम्स" में "स्वर्ण मयूर की मरीचिका" शीर्षक से प्रकाशित एक सम्पादकीय टिप्पण की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि 9-सदस्यीय निर्णायक मण्डल के अध्यक्ष, ब्रिटिश निदेशक श्री लिण्डसे एन्डर्सन ने कहा था कि नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित की गई फिल्में घटिया स्तर की थीं अतः किसी भी फिल्म को "स्वर्ण मयूर" पदक दिए जाने के योग्य नहीं पाया गया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और उक्त घटिया स्तर के नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह को आयोजित करने के लिए कौन प्राधिकारी उत्तरदायी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत के नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्रतियोगिता विभाग की किसी भी फिल्म को उच्चतम पुरस्कार अर्थात "स्वर्ण मयूर" के योग्य नहीं पाया गया था। भारत के नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की जूरी के अध्यक्ष ने जूरी की ओर से दिए अपने सरकारी वक्तव्य में, अन्य बातों के साथ, यह कहा था कि "हमने इस समारोह के दौरान फिल्म निर्माण में काफी समय से तथा हाल ही का अनुभव रखने वाले दोनों प्रकार के देशों की उच्च तकनीकी उपलब्धि के बेहतर कार्य को देखा है, किन्तु हमें खेद के साथ यह कहना पड़ रहा कि हमारी राय में किसी भी फिल्म ने अभिव्यक्ति की शक्ति, विषय के महत्व या संकल्पना की मौलिकता, जो किसी भी लघु या फीचर फिल्म को "स्वर्ण मयूर" का पुरस्कार दिए जाने का औचित्य ठहराती है, को नहीं दिखाया है।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के प्रतियोगिता विभाग में फिल्मों की प्रविष्ठि पेरिस के इंटरनेशनल फेडरेशन आफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसियशन (एफ. आई. ए. पी. एफ.) द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार विनियमों द्वारा विनियमित होती है। इनके अनुसार, प्रतियोगिता विभाग में प्रविष्ठ होने वाली फिल्में को अन्य प्रतियोगी अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित हुई नहीं होनी चाहिए तथा वे समारोह से 2 वर्ष पहले के भीतर ही बनाई हुई होनी चाहिए। फिल्मों की प्रविष्ठियां भाग लेने वाले देशों के सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा की जाती है। फिल्मों का प्रिव्यू समारोह के प्रबन्धकों द्वारा गठित एक चयन समिति द्वारा किया जाता है। समारोह के अनन्य स्वरूप के कारण तथा विश्व के सभी भागों में आयोजित किए जा रहे बड़ी संख्या में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी समारोहों के कारण भी, भारतीय समारोह के प्रतियोगिता विभाग में उत्कृष्ठ प्रविष्ठियों को हासिल करना कठिन है। वर्तमान मामले में चयन समिति ने इस विभाग में प्राप्त 45 प्रविष्ठियों में से 24 फीचर फिल्मों का चयन किया था। "स्वर्ण मयूर" पुरस्कार न देने के कारण बताते हुए जूरी के अध्यक्ष ने इस बात पर बल दिया था कि ऐसा उच्चतम स्तरों की फिल्मों को स्वीकार करने की आवश्यकता पर बल देने के विचार से किया जा रहा है। भूतकाल की तरह, फिल्म समारोह निदेशालय (राष्ट्रीय विकास निगम) ने भारत के नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन फिल्म उद्योग तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से किया था।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष जी, जब सरकार अपनी असफलता ढंग से छिपाना चाहती है तो सदन की मेज पर एक स्टेटमेंट रख देती है। मसल है कि मुर्गी तो अपनी जान से गई और खाने वाले को मजा नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता था आप यही सवाल करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : पचास लाख रुपया खर्च हुआ। यह सोने का मोर किसको मिल गया, पता नहीं। यह जो मिलना था और आज तक नहीं मिला तो इसका क्या कारण था ?

उन्होंने लिखा है—

.....''लेकिन हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे विचार से किसी भी फिल्म ने अभिव्यक्ति की शक्ति, विषय के महत्व अथवा सकल्पना की मौलिकता, जो कि किसी भी लघु या फीचर फिल्म को "स्वर्ण मयूर का पुरस्कार दिए जाने का औचित्य ठहराती है, को नहीं दिखाया है।'

मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रबन्धक कौन थे, किन्होंने यह सिलैक्ट कमेटी या चयन समिति बनाई और किस आधार पर इन फिल्मों का सिलैक्सन हुआ ?

श्री एच० के० एल० भगत : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री डागा जी से आदर के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी कमियों को छिपाना नहीं चाहती है। जैसा कि आपने कहा कि इसमें 50 लाख रु० का खर्चा हुआ और देखने वालों को मजा नहीं आया। खर्चा 57.13 लाख का हुआ और 28.4 लाख की आमदनी हुई और 28.6 लाख का डैफिसिट हुआ। मैं उनको एग्जैक्ट फिगर्स दे रहा हूं। दूसरी बात आपने यह पूछी कि इन फिल्मों को सिलैक्ट कौन करता है ? इसके लिए सिलैक्शन कमेटी बनी हैं। प्रोमिनेंट लोग इस सिलैक्शन कमेटी में हैं। यदि वे चाहें, तो मैं उनको नाम भी दे सकता हूं। इन्टरनेशनल आर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स बने हुए हैं, उसी के अनुसार इन फिल्मों का चयन होता है। उन्हीं का चयन किया जाता है, जो दो साल पहले बनी हों और इन्टरनेशनल कम्पीटीशन में न गई हों। दुनिया में छः ए-ग्रेड के नेशनल कम्पीटीशन होते हैं। इन फिल्मों की मार्केट बहुत ज्यादा होती है। कुछ फारन-एक्सचेंज की वजह से प्राब्लम्स आती हैं। जनवरी में हमारे यहां फिल्म फैस्टवल होता है। इसके फौरन बाद ही मनीला में होता है। मार्केट बहुत ज्यादा है। कुछ बेसिक डिफिकल्टीज हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है। नेशनल डेवेलपमेंट फिल्मस कारपोरेशन कम्पीटीशन दो साल से कर रहा है। वह इस पर विचार कर रहा है। बोर्ड ने इस पर विचार किया है। हम चाहते हैं कि और ज्यादा एफर्टस की जरूरत है। अच्छी से अच्छी फिल्म प्राप्त की जाए, नहीं तो एक जगह जाती है, तो दूसरी जगह जा नहीं सकती है। इसमें जो कमियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी, ताकि अगले फिल्म फैस्टिवल में अच्छी से अच्छी फिल्में ले आए। चेयरमैन आफ जूरी ने जो आब्जरवेशन्स दी हैं, हम उसका आदर करते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए आईन्दा जो कमियां हैं, उनको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे।

श्री मूलचंद डागा : अध्यक्ष महोदय, वे थोड़ी बहुत बात तो मान गए हैं। "हर वर्ष हम फिल्म समारोह का आयोजन करते हैं और हर वर्ष हम स्वयं को मूर्ख बनाते हैं। यदि हमारा कुछ आत्म-सम्मान होता तो हमने इस तरह की जम्बूरीस का आयोनन करना काफी समय पहले

ही छोड़ दिया होता।" मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो चयनकर्ता हैं, उनकी क्वालिफिकेशन्स क्या हैं ? क्या खर्चा हुआ या वे सारा का सारा कचरा या घास उठाकर ले आए और यहां प्रदर्शन कर दिया ?

श्री एच० के० एल० भगत : अध्यक्ष महोदय, मैं डागा जी से कहना चाहता हूं कि फिल्म फैस्टिवल के बारे में जो आब्जर्वेशन दे रहे हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। फिल्म फैस्टिवल अच्छा हुआ है, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं। उन्होंने कहा है कि फिल्म फैस्टिवल हर साल करते हैं और हर साल ऐसा होता है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि फिल्म फैस्टिवल आल्टरनेटिव्ली होता है। इसमें एक नान कम्पिटिटीव होता है और दूसरा कम्पिटिटीव होता है। कम्पिटीटिव आल्टर्नेट इयर होता है। जो कमियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। जो आब्जर्वेशन्स उन्होंने फिल्म फैस्टिवल और सिलैक्शन कमेटी के बारे में दी हैं, उनसे मैं एग्री नहीं करता हूं। सिलैक्शन करने वाले बहुत काम्पिटैंट होते हैं।

श्री हनान मोल्लाह : मैं जानना चाहता हूं कि :

(क) इस तरह के समारोह आयोजित करने का क्या उद्देश्य है, पिछले समारोह में कितना खर्च किया गया और इस समारोह पर जो धन खर्च किया गया क्या वह इसके लिए उपयुक्त साबित हुआ; और

(ख) ये इन समारोहों के लिए फिल्मों के चयन का क्या आधार है ? क्या पिछले समारोह के लिए चुनी गई फिल्मों के समय इस आधार को उचित रूप से अपनाया गया; और यदि नहीं, तो क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विद्युत विकास सम्बन्धी भारत-सोवियत रूस कार्यकारी दल

*21. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**

श्री बी० वी० देसाई : क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विद्युत सम्बन्धी भारत-सोवियत रूस कार्यकारी दल ने बिजली प्रणाली के विकास, पारेषण और पन बिजली एककों के निर्माण में संभव सहयोग की सम्भावनाओं पर विचार विमर्श किया है;

(ख) क्या भारत-सोवियत रूस के विशेषज्ञों की एक बैठक 8 दिसम्बर, 1982 को हुई थी;

(ग) यदि हां, तो किन बिषयों पर चर्चा की गई थी और क्या निर्णय लिए गए थे; और

(घ) यदि कोई समझौता हुआ है तो उसका ब्यौरा क्या है और कार्य कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्री (पी० शिवशंकर) : विद्युत पर भारत-सोवियत कार्यकारी दल की दूसरी बैठक नई दिल्ली में 9 से 14 दिसम्बर, 1982 को हुई थी। कार्यकारी दल ने विंध्याचल ताप विद्युत केन्द्र तथा सम्बद्ध पारेषण लाइनों के निर्माण में हुई प्रगति की तथा ताप विद्युत और जल-विद्युत परियोजनाओं में और विद्युत प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की थी। जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था, उनमें भारत में विद्युत केन्द्रों में प्रतिष्ठापित सोवियत डिजाइन के विद्युत उपस्करों का अनुरक्षण और मरम्मत, सोवियत रूस से फुटकर पुर्जों की सप्लाई तथा भारत में फुटकर पुर्जों का उत्पादन शामिल है। बैठक के अन्त में एक प्रोतोकोल पर तथा 1984-85 के लिए भारत और यू० एस० एस० आर० के बीच सहयोग के कार्यों के एक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए। प्रोतोकोल में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय इंजीनियरों और विशेषज्ञों को कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में उनकी कार्यकुशलता और कार्यक्षमता में सुधार लाने के लिए सहायता हेतु यू- एस० एस० आर० भेजे जाने का भी प्रावधान है। विशिष्ट समस्याओं पर भारतीय संगठनों को सलाह देने के लिए सोवियत विशेषज्ञों को भारत में तैनात करने का भी प्रावधान है।

पिछड़े तथा पर्वतीय क्षेत्रों में पी० सी० ओ० तथा सी० ओज का विस्तार कार्यक्रम

*28 **श्री भीम सिंह :**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े तथा पर्वतीय क्षेत्रों में पब्लिक काल आफिस तथा काल आफिस का एक विस्तार कार्यक्रम बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कथित कार्यक्रम का समयबद्ध ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) देश के पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में 23,528 स्थानों को सार्वजनिक टेलीफोन घर और संयुक्त डाकतार घर प्रदान करने के लिए चुना गया है। 31.3.83 तक पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में 14,126 सार्वजनिक टेलीफोन घर तथा 14,081 संयुक्त डाकतार घर प्रदान किए गए हैं। शेष स्थानों में यह सुविधा वित्तीय एवं साज-समान सम्बन्धी कठिनाइयों को मद्दे नजर रखते हुए उत्तरोत्तर प्रदान की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) उपरोक्त सभी स्थानों में यह सुविधा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तरोत्तर

यथासंभव प्रदान करने की योजना है बशर्ते कि साज-सामान और वित्तीय साधन उपलब्ध रहें।

बन्धुआ मजदूरों का छुड़ाया जाना तथा उनका पुनर्वास

*29. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति:** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बन्धुआ मजदूरों को छुड़ाये जाने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है, विशेष कर आन्ध्र प्रदेश के बारे में; और

(ख) उनमें से कितने मजदूरों का पुनर्वास किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 31-12-1982 की स्थिति के अनुसार पता लगाए गए और मुक्त कराए गए बन्धुओं की कुल संख्या 1,52,338 थी जिसमें आन्ध्र प्रदेश से सम्बन्धित संख्या 13,458 थी।

इन रिपोर्टों के अनुसार, 31-12-1982 तक पुनर्वासित व्यक्तियों की कुल संख्या 1,11,76[illegible] थी, जिससे आन्ध्र प्रदेश से सम्बन्धित संख्या 9,449 थी।

विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा औषध नीति सम्बन्धी उपबन्धों का उल्लंघन

*31. **श्री बी० डी० सिंह :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी औषधि कम्पनियां खुले आम नई औषध नीति संबंधी उपबन्धों का उल्लघन कर रही हैं जिनके अनुसार उन्हें दो वर्षों के भीतर 'बल्क' औषधियों का उत्पादन करना चाहिए और वे जानबूझकर 'बल्क' औषधियों का उत्पादन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और 1980-81 और 1981-82 में हुए उत्पादन के मुकाबले में 1979-80 में 'बल्क' औषधियों के कुल उत्पादन में बहुराष्ट्रिक कम्पनियों द्वारा कितना उत्पादन किया गया; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) से (ग) नई औषध नीति के पैराग्राफ 21 में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि आयातित बल्क औषधों पर आधारित औषध फार्मूलेशनों का निर्माण करने वाली विदेशी कम्पनियों को दो वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर सम्बन्धित बल्क औषधों का निर्माण मूल अवस्था से करना होगा। अनेक विदेशी औषध कम्पनियों ने अपने फार्मूलेशनों के उत्पादन में प्रयोग किए जा रहे कुछ आयातित बल्क औषधों का निर्माण करने के लिए

अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन दिया है। तथापि, उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र-आरक्षण आदि से सम्बन्धित अन्य नीति मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए केवल निम्नलिखित मामलों में अनुमतियां प्रदान की गई हैं :—

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	बल्क औषध का नाम	अनुमोदित क्षमता
1.	मै० सेन्डोज (इंडिया) लि०	क्लोपेमाइड	200 किग्रा०
2.	मै० बुरोच वेलकम एण्ड कंपनी (आई.) प्रा० लि०	पोलिमिक्सिन बी सल्फेट	2000 बी० यू०
3.	मै० फाइजर लिमिटेड	ओलिनडोमाइसिन पालिमिक्सिन	3000 बी० यू०
		बेक्टोरेसिन और जिंक बेसिट्रेसिन	1000 बी० यू०
		1. भेषजी के लिए	70 बी० यू०
		2. पशु चिकित्सा के लिए	1500 बी० यू०

1979-80 से 1981-82 के 3 वर्षों के दौरान बल्क औषध उत्पादन का मूल्य (स्थिर मूल्यों पर) और उक्त उत्पादन में विदेशी क्षेत्र का अंश निम्नलिखित है :—

वर्ष	बल्क औषधों के उत्पादन का कुल मूल्य	विदेशी क्षेत्र का अंश
1979-80	रु. 226 करोड़	रु. 53 करोड़
1980-81	रु. 240 करोड़	रु. 53 करोड़
1981-82	रु. 289 करोड़	रु. 72 करोड़

औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत पहले से ही जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों को वापस लेने और उन पर नई शर्तें लागू करने का कोई प्रावधान न होने के कारण उपरोक्त रीति विषयक निर्णय को उक्त अधिनियम में संशोधन करने के बाद ही पूर्णतः कार्यान्वित किया जा सकता है। तथापि, उन मामलों में जहां सितम्बर, 1980 की नीति के अधीन विदेशी कंपनियों ने स्थापित क्षमताओं को मान्यता देने के लिए आवेदन किया हुआ है, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और औषध नीति के क्षेत्र—आरक्षण आदि जैसे मानदण्डों की शर्तें के साथ मूल निर्माण को एक शर्त के रूप में लगाया जा रहा है।

राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रसारण

*32. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन कार्यक्रमों में हाल में किये गये कुछ परिवर्तनों पर कुछ राज्यों ने रोष प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिदिन प्रसारित किये जा रहे कार्यक्रमों पर किन-किन राज्यों ने आपत्ति उठाई है;

(ग) क्या इन राज्यों ने कुछ कार्यक्रमों का प्रसारण करने से इन्कार कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसको दूरदर्शन के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय की मंजूरी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य मंत्री तथा ससदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) दूरदर्शन के "राष्ट्रीय कार्यक्रम को राज्यों के सूचना मंत्रियों के जुलाई, 1982 में हुए सम्मेलन में इसके उद्देश्यों और इसकी मोटी योजना पर विचार-विमर्श कर लिए जाने तथा इनको स्वीकृत कर लिए जाने के बाद 15 अगस्त, 1982 से चालू किया गया था। उसके बाद राज्यों तथा सामान्य दर्शकों से समय समय पर सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनको ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय कार्यक्रम में उपयुक्त आपरिवर्तन किए गए हैं ताकि विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों के क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रभावित न हों और राष्ट्रीय कार्यक्रम विभिन्न वर्गों के दर्शकों को अधिक से अधिक स्वीकार्य हों।

परादीप उर्वरक संयंत्र को चालू करना

*33. **श्री अर्जुन सेठी** :

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में परादीप उर्वरक संयंत्र को शीघ्र चालू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस मामले में निश्चित निर्णय लेने में असाधारण विलम्ब हुआ है; और

(ग) परियोजना को चालू करने के लिए क्या संशोधित समय निर्धारित किया गया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) परादीप फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करने के लिए परादीप फास्फेट्स लिमिटेड नामक एक नई कंपनी स्थापित की गई है। भारत सरकार ने नारु सरकार से एक वित्तीय सहभागिता करार किया है जिसमें कंपनी को 40 प्रतिशत साम्यता की व्यवस्था है। डाई-अमोनियम फास्फेट प्लांट स्थापित करने के लिए

मुख्य ठेका दे दिया गया है। कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक मण्डल नियुक्त कर लिया गया है और प्रमुख कार्मिकों की नियुक्ति के लिए कार्यवाही की जा रही है। प्रोजेक्ट का सिविल निर्माण कार्य भी आरम्भ किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रोजेक्ट दो चरणों में स्थापित किया जाएगा। प्रथम चरण में 1.3.86 तक तथा दूसरे चरण में 1.11.86 तक वाणिज्यिक उत्पादन के आरम्भ होने की संभावना है।

तेल और गैस के लिए सर्वेक्षण

*34. **श्री चित्त महाटा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तेल और गैस का पता लगाने के लिये हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां। ऐसे सर्वेक्षण निरन्तर चलने वाले कार्यक्रम हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) 1982-83 के दौरान सर्वेक्षणों के लिए आवंटित की गयी धनराशि निम्न प्रकार है :—

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग

1. तटीय	2,283 लाख रुपये
2. अपतटीय	1,893 लाख रुपये

आयल इंडिया लिमिटेड

तटीय	1,200 लाख रुपये

विवरण

1. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने हाल में निम्नलिखित स्थानों पर सर्वेक्षण किये हैं :

भू-कम्पीय सर्वेक्षण :

गुजरात : जोताना, बालोल, धीनज, लिच, नन्दासन, लांभनेज, इन्दरोरा, वालेद, सनोदा, सानन्द, कोलट, नवगाम, सिसोदरा, कोसाम्बा, अंकलेश्वर का दक्षिण।

असम : तिताबर, बारहोल्ला, उरायमघाट, खोराघाट, यामफर, बोकाजन-दिमापुर, नामती, नापमुआ, सोनारी व राजाबारी ।

त्रिपुरा : रोखिया, अगरतल्ला, बारमुरा ।

पश्चिमी बंगाल : बुर्दवान, मेमारी, पल्लासे, बहरमपुर, जलांगी, डायमंड हार्बर, बोदरा, पोर्ट-केनिंग, कृष्ण नगर, छपरा व कलकत्ता ।

उत्तर प्रदेश : एटा, उझानी ।

बिहार : बाघा, रामनगर

राजस्थान : गोटारू, शाहगढ़, लोंगवाल

हिमाचल प्रदेश : सूरी नगर

आन्ध्र प्रदेश : अमलपुरम, अमाहजेरट, भीमडोल, टडेपल्लीगुडम, राजामुन्दरी, काकीनाडा, भीमावरन, बन्दुमोल्ली, रेपाल्लो, तिनाली, गुंटुर ।

तमिलनाडु : नागापटटीनम, तिरुवरूर नन्नीलम, वेदारनयम, तिरुपुन्डी, तिरिथुरैपुंडी, आदिरामापटनम, वृधीचलम, श्री मुहनम, जथामकोन्डन व आर्यालुर ।

प्रेविटी मैगनेटिक सर्वेक्षण

हिमाचल प्रदेश : मंडी, पठानकोट, धर्मशाला

पश्चिमी बंगाल : सेरमपुर, बरसात, डमडम

असम : दोमापुर, मिकिर हिल्स

ज्योलोजिकल मैपिंग

असम : बन्दरसोलिया, चारायोदेयो, संतक, लक्ष्मीजान, पथोवारा

त्रिपुरा : बारमुरा

नागालैंड :

मध्य व दक्षिण अंडमान द्वीप

भू-वैज्ञानिक आंकड़ों की मौके पर जाँच तथा संकलन

जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान व आन्ध्र प्रदेश में प्रनहिता-गोदावरी क्षेत्र ।

फील्ड सीजन 1982-83 के दौरान (31.12.1982 तक) भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों में की गयी प्रगति इस प्रकार है :

(क) भू-भौतकीय सर्वेक्षण

1375 मानक लाइन किलोमीटर (एस एल के)

61.25 ग्राउन्ड लाइन किलोमीटर (जी एल के)

(ख) गुरुत्व चुम्बकीय

980 जी. एम. (गुरुत्व चुम्बकीय) स्टेशन

127 रिपीट स्टेशन

(ग) भू-वैज्ञानिक फील्ड पार्टी

सिमी विस्तार मेपिंग (एस डी एम) 791 सक्वेयर किमी.

लाइन किमी. ट्रावर्सिंग···35

(घ) अपतट क्षेत्र

24518 लाइन किमी. डाली गई हैं ।

2. आयल इंडिया लिमिटेड नें निम्नलिखित सर्वेक्षण किए हैं :

नाहोरकटिया, नाहोरकटिया विस्तार, हजरीजन, मोरान तथा बुम दुम खनन पट्टा क्षेत्रों में तथा अरुणाचल प्रदेश में निगरू पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस क्षेत्र में भू-भौतकीय सर्वेक्षण किए गये है । 1982-83 के दौरान दिसम्बर, 1982 तक कुल 130 लाइन किलोमीटर भू-कम्पीय सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया ।

नये क्षेत्र : उड़ीसा में 8 फरवरी, 1983 तक 2201 लाइन मिलोमीटर भू-कम्पीय सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया ।

डाक के भेजने और उसके वितरण में हुए विलम्ब के बारे में शिकायत

*35. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :**

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक के भेजने और उसके वितरण में हुए बिलम्ब के बारे में कुछ जगहों से आई शिकायतों का उन्हें जानकारी है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सारे मामले की जाँच की गई है और क्या डाक भेजने में बिलम्ब को दूर करने और उसका शीघ्र वितरण करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हाँ । यह विलम्ब अधिकतर मुद्रित पेपरों, पत्रिकाओं, बुक पैकेटों, विज्ञापन सामग्री और वाणिज्यिक परिपत्रों के सम्बन्ध में देखा गया है ।

(ख) विभाग को पिछले कुछ अरसे से द्वितीय श्रेणी की डाक की ढुलाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है । द्वितीय श्रेणी की डाक की मात्रा में भी पहली श्रेणी की डाक की अपेक्षा तेजी से वृद्धि हो रही है । बधाई पत्रों, निमंत्रण पत्रों और वाणिज्यिक परिपत्रों जैसी डाक

को प्रथम श्रेणी के डाक के समान हवाई डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता क्योंकि इसमें काफी अधिक खर्चा पड़ता है और जनता ऐसी डाक के लिए कम डाक शुल्क अदा करती है। इस स्थिति से निपटने के लिए विभाग ने कुछ चुनिंदे सार्टिंग सैक्शनों को ट्रांजिट सैक्शनों में बदलने के सम्बन्ध में एक नीति-निर्णय लिया है। सार्टरों को मेल वैन में चलने-फिरने के लिए तथा स्वयं छटाई के कार्य के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होगी। चलती गाड़ियों में सार्टिंग कार्य को कुछ हद तक समाप्त करने से बन्द थैलों की ढुलाई के लिए अधिक स्थान उपलब्ध होगा। इससे विभाग को मौजूदा स्थान में ही अधिक संख्या में बन्द थैलों की ढुलाई करने में सहूलियत होगी और परिणाम स्वरूप इन थैलों को बेहतर तरीके से रखा जा सकेगा और उनमें रखी डाक का वितरण भी शीघ्र हो सकेगा। सार्टिंग सैक्शनों को हाल ही में ट्रांजिट सैक्शनों में बदलने के परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं।

फिर भी, कुछ स्टाफ ने इस परिवर्तन के खिलाफ दिसम्बर 82 और जनवरी, 83 में "धीरे काम करो" आन्दोलन किया था जिसकी वजह से डाक में कुछ विलम्ब हुआ।

डाक के शीघ्र प्रेषण और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर डाक थैलों की जांच कर डाक को मानीटर करने की एक नई प्रणाली आरम्भ की गई है। सीधे थैले आरम्भ करने के आदेश भी दे दिए गए हैं।

विश्व बैंक वित्त-पोषित परियोजनाओं से पारेषण लाइनों के निर्माण की लागत को असम्बद्ध करना

*36. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजनाओं से पारेषण लाइनों के निर्माण की लागत को असम्बद्ध नहीं किया है और इसके कारण केबलों और कन्डक्टरों के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमन्त्रित करने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है; और

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा मुख्य रूप से विश्व बैंक द्वारा सहायता-प्राप्त सिंगरौली, कोरबा, रामागुण्डम तथा फरक्का विद्युत परियोजनाओं के मामले में ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) :(क)और (ख)राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की सिंगरोली कोरबा, रामागुण्डम तथा फरक्का परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक के वित्त पोषण से पारेषण लाइनों के निर्माण की लागत को अलग नहीं किया गया हैं क्योंकि यह बैंक द्वारा वित्त पोषित की जा रही परियोजना लागत का एक भाग है।

बैंक के साथ हुए ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार ऋण राशि के एक भाग को पारेषण

उपस्करों के लिए रखा गया है जिसमें अन्य सामग्री के साथ-साथ कन्डेक्टर भी शामिल हैं। विश्व बैंक के साथ हुए समझौते में सामग्री प्राप्त करने के लिए दी गई शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा ऐसे उपस्कर और सामग्री को बैंक द्वारा निर्धारित की गई अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली प्रक्रियाओं के अन्तर्गत प्राप्त करना अपेक्षित है।

अवैध तेल शोधक कारखानों द्वारा चोरी से प्राप्त किए गये कच्चे तेल का शोधन

*37. **श्री जगपाल सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूरत में ऐसे अवैध तेल शोधक कारखानों का पता चला है जो चोरी से प्राप्त किए गए कच्चे तेल का शोधन करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) :(क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ध्यान में यह आया है कि सूरत में एक परिसर में उपकरण और रसायन है जिनको अशोधित तेल के कुछ स्थानीय परिशोधन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

(ख) इस मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा और आगे जाँच पड़ताल की जा रही है।

कोयले से तरल ईंधन के उत्पादन के लिये परियोजना प्रतिवेदन

*38. **श्री टी० एस० नेगी** :
श्री नीरेन घोष : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले से तरल ईंधन के उत्पादन के सम्बन्ध में, जिसके लिये 1956 में किसी समय स्वर्गीय डा० जे० सी० घोष से पहली बार परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस गम्भीर भूल के लिए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) कोयले से तरल ईंधन बनाने के प्रश्न पर समय-समय पर विचार हो चुका है। यह देखा गया है कि कोयले से तरल ईंधन बनाने की लागत और तेल आयात करने की लागत की ठीक तुलना करें तो यह पता चलता है कि 1956 में भी तेल आयात करना कोयले से तेल बनाने की अपेक्षा सस्ता रहा होता। उसके बाद भी वर्ष 1977 और 1980 में किए गए अध्ययनों से यही निष्कर्ष निकले हैं।

बिल्कुल हाल ही में, जब यह प्रश्न दूसरे सदन में उठाया गया था, तो मैंने इस मामले

की एक बार फिर जाँच करवाई थी और अब यह निर्णय लिया गया है कि एक 'विशेषज्ञ वर्ग' बनाया जाये जो कोयले से तेल बनाने की उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकियों को पुनरीक्षा करे और इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध सबसे अधिक किफायती प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए पायलट संयंत्र सुविधाएं स्थापित करने की साध्यता की जांच करे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गन्तव्य स्थानों पर कम कोयला पहुंचना

*39. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल द्वारा भेजा गया कोयला गंतव्य स्थान पर उपभोक्ताओं को प्रायः 5% से 15% के बीच कम प्राप्त होता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उपभोक्ताओं को कम कोयले की सप्लाई के लिए उत्तरदायी कारणों में से एक कारण कोयला भरने के लिए उत्तरदायी कोयला खान कर्मचारियों द्वारा कम कोयला भरना है; और

(ग) यदि हां, तो मुहानों पर निर्देशानुसार कोयला भरने का कार्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) कोयला कम प्राप्त होने के सम्बन्ध में उपभोक्ता कभी-कभी शिकायत करते हैं। परन्तु कोयला कम्पनियां गन्तव्य स्थान पर कोयला कम प्राप्त होने के लिए जिम्मेदार नहीं है। कोयला एफ. ओ. आर. कोलियरी आधार पर बेचा जाता है और कोयले का वजन तोल के बाद रेलवे-ब्रिज क्लर्क द्वारा जारी रेलवे रसीद में प्रमाणित किया जाता है। कोयला कम्पनियों को यह सुनिश्चित करने के सख्त अनुदेश दिए जा चुके हैं कि लदान स्थल पर कम लदान नहीं हो। कोल इण्डिया लि० ने लदान-स्थलों पर अनेक वे ब्रिज लगाए गए हैं।

हल्दिया तेल शोधक कारखाने का विस्तार

*40. **श्री अजित कुमार साहा** :

श्री चित्त बसु : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया तेल शोधक कारखाने के विस्तार-कार्य में और विलम्ब होगा;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या देश की पेट्रोलियम-उत्पादों सम्बन्धी आवश्यकता को देखते हुए कारखाने का तुरन्त ही विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) हल्दिया रिफाइनरी का विस्तार सातवीं योजना अवधि के दौरान किया जाना है। ऐसा पूर्वानुमान है कि इसमें कोई देरी नहीं होगी।

कच्छ की खाड़ी में ज्वार-विद्युत सम्बन्धी अध्ययन

231. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ की खाड़ी में ज्वार भाटे से विद्युत का उत्पादन करने की सम्भावना का अध्ययन किया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या ज्वार-विद्युत स्टेशनों के लिए स्थलों का चयन कर लिया गया है; और

(ग) इन ज्वार विद्युत स्टेशनों की स्थापना कब तक हो जाएगी और इन पर कितनी लागत आने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ग) दिसम्बर, 1980 में भारत सरकार ने कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय विद्युत परियोजनाओं के लिए अन्वेषण तथा अध्ययन करने के लिए 218.38 लाख रुपये के अनुमान की राशि स्वीकृत की थी, जिससे प्रारम्भिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय विद्युत परियोजना के लिए अन्वेषण तथा अध्ययन कार्य प्रगति पर है और इनके मार्च, 1986 तक पूरा हो जाने की आशा है। इस समय जो अध्ययन तथा अन्वेषण कार्य चल रहे हैं, उनसे परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने के बाद ही ज्वारीय विद्युत केन्द्र की स्थापना के बारे में निर्णय लेना सम्भव हो सकेगा। परियोजना की अनुमानित लागत इस समय ज्ञात नहीं है। परियोजना रिपोर्ट के तैयार हो जाने के बाद ही यह उपलब्ध हो सकेगी।

भारत कोकिंग कोल लि० की कनकनी कोयला खान में धंसाव

232. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि नवम्बर, 1982 में भारत कोकिंग कोल लि० एरिया नं० 5 की कनकनी कोयला खान में बड़े पैमाने पर धंसाव हो गया था जिससे श्रमिकों के मकान गिर गए, यदि हां, तो ब्यौरेवार तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या इस घटना की कोई जांच की गई है, यदि हां, तो जांच समिति का ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) यह सच है कि यह धंसाव उन ठेकेदारों द्वारा रेत की ढुलाई के अभाव में हुआ है। जिनको रेत भरने के लिए भुगतान कर दिया गया था परन्तु जिसे कोयला निकालने के बाद खाली हुई जगह भरने के लिए कभी भी नहीं डाला गया; और

(घ) यदि हां, तो भारत कोकिंग कोल लि० के साथ धोखा धड़ी करने वाले ठेकेदारों और ऐसा करने की अनुमति देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) नवम्बर, 1982 में भा. को. को. लि. की कनकनी कोलियरी में पड़े पैमाने पर धँसाव नहीं हुआ था। जब खा. सु. म. नि. की अनुमति से भूमिगत कोयला निकाला जा रहा था, उस समय कम्पनी के आवासीय मकानों और धरातल की अप्राधिकृत झोपड़ियों में दरारें आ गई थीं। इन मकानों के निवासियों को दूसरे निवास स्थान दे दिए गए थे। यह प्रभावित मकान इसलिए नष्ट कर दिए गए थे कि कहीं अप्राधिकृत व्यक्ति इन पर फिर कब्जा न कर लें।

(ख) इस मामले की जांच खा. सु. म. नि. के और भा. को. को. लि. मुख्यालय के अधिकारियों ने की थी। यद्यपि कोयला निकालने का काम रेत भराई के साथ किया जा रहा था फिर भी आग के कारण कुछ धंसाव की आशंका थी। खा. सु. म. लि. के निदेश के अनुसार मकान नष्ट कर दिए गए थे और कार्य पुनः शुरू कर दिया गया था। क्षेत्र में ऊपर की सीमों में आग लगी हुई है और उन्हें पहले ही सील कर दिया गया था।

(ग) यह दरारें रेत भराई में कमी के कारण नहीं आईं। रेत कम्पनी के रज्जुमार्गों से लाई गई थी और इस काम में किसी ठेकेदार को नहीं लगाया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रंगीन टेलीविजन शुरू किया जाना

233. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रंगीन टेलीविजन शुरू हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो कितने दूरदर्शन केन्द्रों से टेलीविजन के रंगीन कार्यक्रम दिखाने शुरू किए जा चुके हैं;

(ग) ऐसे दूरदर्शन केन्द्र कौन-कौन से हैं; और

(घ) देश में विद्यमान सभी दूरदर्शन केन्द्रों से किस वर्ष तक रंगीन टेलीविजन शुरू हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली से रंगीन में टेलीकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों को मौजूदा 40 दूरदर्शन प्रेषण केन्द्रों (विवरण संलग्न है) से रिले किया जा रहा है। रंगीन में प्रचालन के लिए मौजूदा ट्रांसमीटरों तथा स्टूडियो में आपरिवर्तन करने की कार्रवाई संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध ढंग से की जा रही है। बंगलौर, अहमदाबाद, त्रिवेन्द्रम और गोहाटी में दूरदर्शन केन्द्रों तथा कसौली, कोडैकनल, आसनसोल, मुर्शिदाबाद,

पणजी, विजयवाड़ा, वाराणसी और कटक में रिले केन्द्रों की स्थापना की छठी योजनागत स्कीमों को सीधे रंगीन में प्रचालन के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण

रंगीन कार्यक्रम रिले करने वाले दूरदर्शन प्रेषण केन्द्रों की सूची

1. दिल्ली
2. बम्बई
3. श्रीनगर
4. अमृतसर
5. पुणे
6. कलकत्ता
7. मद्रास
8. लखनऊ
9. मसूरी
10. कानपुर
11. जलंधर
12. पिंज
13. जयपुर
14. गुलबर्ग
15. हैदराबाद
16. सम्बलपुर
17. मुजफ्फरपुर
18. बंगलौर (अन्तरिम)
19. नागपुर (अन्तरिम)
20. पणजी (अन्तरिम)
21. त्रिवेन्द्रम
22. भोपाल
23. पटना
24. भुबनेश्वर
25. शिमला
26. गंगतोक
27. गोहाटी
28. इम्फाल
29. अगरतला
30. शिलांग
31. कोहिमा
32. ईटानगर
33. ऐजवाल
34. देवरिया
35. जम्मू
36. पोर्ट ब्लेयर
37. इन्दौर
38. सूरतगढ़
39. मालदा
40. काकीनाडा

नोट : क्रम संख्या 21 से 40 तक के सम्मुख उल्लिखित केन्द्र नवें एशियाई खेलों के कवरेज के सम्बन्ध में लगाए गए अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर हैं।

एल० पी० जी० वितरकों की नियुक्ति

234. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या ऊर्जा मंत्री साउथ दिल्ली कालोनी में नये एल० पी० जी० कनेक्शन देने के बारे में 19 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2553 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1979 के दौरान साउथ दिल्ली में आनन्द निकेतन में स्थित "अहका

फ्लेम्स" में किए गए शेष पंजीकरणों के बारे में कार्यवाही करने के लिए भारतीय तेल निगम के एल० पी० जी० वितरक की नियुक्ति के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) उन्हें गैस कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ बस्तियों में फरवरी, 1979 में किए गए अथवा इसके बाद किए गए पंजीकरणों पर गैस के कनैक्शन प्रदान किये जा चुके हैं; और

(घ) जो व्यक्ति 3 वर्ष या इससे अधिक अवधि से प्रतीक्षारत हैं, उन्हें गैस कनेक्शन देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है।

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) मैसर्स अल्का फ्लेम्स के पास गैस कनैक्शनों के लिए शेष पंजीकरण को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र के तुल्य एक क्षेत्र एक नए एल० पी० जी० वितरक को आबंटित किया गया है, जिसके द्वारा करीब 5/6 महीनों की अवधि के अन्दर कार्य आरम्भ किये जाने की सम्भावना है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) जहां कहीं समान निश्चित तिथि से एक दूसरे की प्रतीक्षा सूचियों के प्रति गैस कनेक्शन देना सम्भव माना गया है, तेल उद्योग द्वारा पहले से ही नये कनैक्शन प्रदान करना आरम्भ कर दिया गया है। आगे और प्रतीक्षा सूचियों को यथा सम्भव कम करने के लिए दिल्ली में नई एल०पी०जी० एजेन्सियां खोली जा रही हैं।

बेरोजगारी सम्बन्धी स्थिति

535. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 मार्च, 1982 तक देश के सभी रोजगार केन्द्रों में दर्ज व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को अब तक रोजगार प्राप्त हो चुका है!

(ग) कितने व्यक्तियों को अभी रोजगार मिलना शेष है; और

(घ) क्या ऐसे नए वर्ग के व्यक्तियों के बारे में कोई विचार किया जा रहा है, जो अनुभवहीन तथा समर्थ आयु के हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) 31 मार्च 1982 की स्थिति के अनुसार देश के रोजगार कार्यालयों में दर्ज व्यक्तियों की सख्या 180.29 लाख थी।

(ख) पहली अप्रैल से 31 दिसम्बर, 1982 की अवधि के दौरान रोजगार कार्यालयों में

दर्ज नौकरी चाहने वालों में से कुल 3.56 लाख व्यक्तियों को रोजगार में लगाया गया।

(ग) 31 दिसम्बर, 1982 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर व्यक्तियों की संख्या 197 53 लाख थी।

(घ) जी, नहीं।

थार मरुस्थल में तेल/गैस की खोज

236. **श्री शान्तुभाई पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थार मरुस्थल में भारत पाकिस्तान सीमा के समीप पाकिस्तान ने अपने सीमा क्षेत्र में भारी मात्रा में तेल अथवा गैस की खोज की है;

(ख) क्या थार मरुस्थल के भारतीय सीमा क्षेत्र में तेल/गैस के पाये जाने की भारी संभावना को देखते हुए भारत सरकार द्वारा तेल/गैस की कोई खोज की गई है अथवा किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है।

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) बताई गई सूचना के अनुसार पाकिस्तान द्वारा बड़े गैस क्षेत्र का पता लगाया गया है और सम्भवत: कुछ तेल क्षेत्र उनकी सीमा के आस-पास भारतीय पाकिस्तान सीमा में थार मरुस्थल क्षेत्र में भी है।

(ख) जी, हां।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा थार मरुस्थल में दो भूकम्पीय दल और एक अन्वेषी खुदाई रिग लगाया गया है।

आयल इन्डिया लि० का 1983-84 के दौरान भूकम्पीय सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है और इन सर्वेक्षणों के परिणामों पर खुदाई कार्यक्रम निर्भर करेगा।

आर० एम० एस० के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

237. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक-तार बोर्ड ने चलती रेल गाड़ियों में डाक की छटाई का काम बन्द कर दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि आल इन्डिया आर० एम० एस० और एम० एम० एस० के कर्मचारियों ने इस निर्णय के विरोध में हड़ताल करने की धमकी दी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कदम उठा रही है ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटील) : (क) जी, हां। कुछ रेलों में चलती रेलगाड़ियों में डाक-छंटाई का कार्य समाप्त कर दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) चूंकि यूनियनों ने बाद में आन्दोलन हड़ताल स्थगित कर दिया है, अत: फिलहाल उनकी धमकी का सामना करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कनाडा की फर्म के सहयोग से टीका संयंत्र की स्थापना

238. **श्री के० मालन्ना : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा की कनाट लैबोरेटरीज ने मनुष्यों और पशुओं के उपयोग के लिए कई प्रकार के टीकों का निर्माण करने हेतु भारत में एक टीका संयंत्र की स्थापना करने की पेशकश की है; और

(ख) इस सम्बन्ध में यदि कोई करार किया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) कनाडा की मै० कनाट लैबोरेटरीज ने खसरा, पोलियों (साठ) और रैबिज (मनुष्य और पशु) टीकों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्ताव किया है। अभी तक प्रस्ताव पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया ग।

पटना में दूरदर्शन रिले केन्द्र

239. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेलों के दौरान पटना में दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए एक प्रसारण केन्द्र स्थापित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इसे स्थायी केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रसारण केन्द्र को दूरदर्शन केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने या पटना में एक और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मुल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) पटना में अल्प शक्ति वाला एक टी०वी० रिले ट्रांसमीटर एशियाई

खेलों से पहले चालू किया गया था। इस ट्रांसमीटर द्वारा दिल्ली से प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों को टेलीकास्ट किया जाना जारी है। छठी योजना में पटना में एक कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। दूरदर्शन केन्द्र के लिए स्थान का चयन छज्जू बाग में किया गया है।

आल इण्डिया आल्कोहल-बेस्ड इण्डस्ट्रीज डेवलपमेन्ट एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन

240. **श्री डी०पी० जदेजा** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में आल इंडिया अल्कोहल-बेस्ड इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट एसोसिएशन का कोई वार्षिक सम्मेलन तथा अल्कोहल-बेस्ड इन्डस्ट्रीज का कोई सेमिनार हुआ था;

(ख) एसोशिएशन द्वारा सरकार को बताई गई समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) समस्याओं को हल करने तथा इस सम्बन्ध में सुधारात्मक उपाय करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही हैं;

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) जी, हाँ।

(ख) अल्कोहल पर आधारित अखिल भारतीय उद्योगे संघ द्वारा बताई गई समस्याए मुख्यत: निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :—

(i) विभिन्न राज्यों में औद्योगिल अल्कोहल पर शुल्क की विविधता के कारण अल्कोहल पर आधारित रसायन अद्योगों द्वारा अल्कोहल के उठान में कठिनाई को दूर करने के लिये कर व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता।

(ii) शीरे पर अत्यधिक उत्पादन शुल्क, जिससे अल्कोहल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होती है, का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता।

(iii) शीरे के लिये पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था।

(iv) अधिशेष अल्कोहल को कुछ आसवनियों को भेजने के बजाए उसका एक संयुक्त मूल में भंडार करना।

(v) राष्ट्रीय अल्कोहल नीति तैयार करने की आवश्यकता ताकि अल्कोहल के उत्पादन और उसकी उपलब्धता को बढ़ाया जा सके और अल्कोहल पर आधारित रसायन उद्योगों का विकास सुनिश्चित किया जा सके।

(vi) सरकार केन्द्रीय शीरा बोर्ड की बैठकों में विचार-विमर्श के माध्यम से और मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखकर इस बात पर निरन्तर जोर देती रही है कि औद्योगिक अल्कोहल पर उनके द्वारा लगाये गये करो में कमी की जाये ताकि अल्कोहल पर आधारित रसायनों के

उत्पादन के लिये अल्कोहल के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके। सरकार ने मामले की जांच करने के लिये फरवरी, 1976 में डा० बिमल जलान, आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों को केन्द्रीय शीरा बोर्ड द्वारा दिनांक 18-12-1976 को हुई अपनी बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। सिफारिशों का तेजी से कार्यान्वयन करने हेतु राज्य सरकारों से बार-बार अनुरोध किया गया है।

शीरा नियंत्रण (भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिये निधि का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत उस राज्य में, जहां शीरा नियंत्रण आदेश 1976 लागू है, स्थित प्रत्येक चीनी कारखाने अथवा खण्डसारी कारखाना एकक के लिए अपने शीरे की बिक्री का 33 1/3 प्रतिशत के बराबर धनराशि निकाल कर एक अलग खाते में रख देना अपेक्षित है। इसी प्रकार के प्रावधान राज्य शीरा नियंत्रण आदेशों में भी विद्यमान है। चीनी एककों द्वारा इस धनराशि का उपयोग शीरे के भण्डार के लिये टैंकों का निर्माण करने हेतु किया जाना है। केन्द्रीय शीरा बोर्ड की बैठकों में राज्य सरकारों से शीरे की भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिये अनुरोध किया जाता है।

सरकार ने अल्कोहल उद्योग और अल्कोहल पर आधारित उद्योग के महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच करने के लिये हाल ही में अल्कोहल पर लगाये जाने वाले शुल्कों और शीरे पर लगाये जाने वाले उत्पादन शुल्क को सुव्यवस्थित करने, शीरे और अल्कोहल के लिए भण्डारण की व्यवस्था तथा अल्कोहल और अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के क्षमता उपयोग के लिये तीन कार्यकारी दल गठित किये हैं।

दूरदर्शन केन्द्र, मण्डी हाउस आदि में दिहाड़ी पर काम करने वाले कर्मचारी

241. **श्री निहाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंडी हाउस पर स्थित दूरदर्शन मुख्यालय तथा संसद मार्ग पर स्थित उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र में पृथक-पृथक रूप से दिहाड़ी पर कितने-कितने आर्टिस्ट, लिपिक तथा श्रेणीचार के कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें से ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है, जिनका नाम रोजगार केन्द्रों द्वारा भेजा गया था और वे 240 दिन की सेवा पूरी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया है; और

(ग) उन्हें सेवा में नियमित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा ससदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क)

	दूरदर्शन महानिदेशालय	दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली	उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली
कलाकार	शून्य	56	36
लिपिक	शून्य	शून्य	शून्य
चतुर्थ श्रेणी	36	22	2
(ख) :			
कलाकार	शून्य	शून्य	शून्य
लिपिक	शून्य	शून्य	शून्य
चतुर्थ श्रेणी	4	19	2

(ग) इनका नियमन नियमित रिक्तियों की उपलब्धता तथा इस बारे में निर्धारित अन्य शर्तों पर निर्भर करता है।

हल्दिया तेल शोधक कारखाने की क्षमता

242. **श्री नारायण चौबे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया तेल शोधक कारखाने की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) संस्थापित क्षमता की तुलना में औसत उत्पादन कितना है।

(ग) क्या हल्दिया तेल शोधक कारखाने की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो कितना;

(घ) यह कार्य कब तक शुरू होगा; और

(ङ) नए कार्य के लिए श्रमिकों और कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) हल्दिया शोधनशाला की वर्तमान स्थापित क्षमता 2.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवष की है और गत 3 वर्षों के दोरान उत्पादन का समग्र औसत प्रतिशत 94.4% रहा है।

(ग) व (घ) जी, हां। हल्दिया शोधनशाला को 3 मिलियन मी. टन प्रतिवर्ष से विस्तार करने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है। उत्पाद मांग के अपेक्षित पेटर्न को पूरा करने के लिए अनेक वैकल्पिक संसाधन योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। उचित संसाधन योजना के चयन के बाद शोधनशाला के विस्तार के लिए सम्भाव्यता रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

(ङ) आशा है कि विस्तार सुविधाओं के संचालन और अनुरक्षण के लिए लगभग 850 कार्मिकों की आवश्यकता होगी।

बोकारो इस्पात नगर के सेक्टर छः में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

243. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात नगर के सैक्टर छः की जनसंख्या दस हजार से अधिक है;

(ख) क्या यह सच है कि कथित सैक्टर में कोई भी सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार कथित सैक्टर में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिए क्या कदम उठा रही है और कितने समय के भीतर खोलेगी ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) बोकारो इस्पात नगर का सैक्टर छः अपेक्षाकृत नया है। इस सैक्टर में 28.2.1983 को एक डाकघर खोलने का कार्यक्रम है। डाकघर खोलने के साथ-साथ इसके परिसर में एक सार्वजनिक टेलीफोन भी लगा दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश में बन्धुआ मजदूर

244. **श्री रामलाल राही** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बन्धुआ मजदूरों की संख्या सर्वाधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया जा चुका है और उनका पुनर्वास करके उन्हें जीविका के साधन प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) बन्धुआ मजदूर रखने वाले व्यक्तियों तथा ग्रुपों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से प्राप्त हुई रिपोर्टों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में बन्धुआ श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक नहीं है।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश में पता लगाए गए तथा मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों की कुल संख्या 8,664 है, जिनमें से 31.12.1982 तक 6,810 बन्धुआ श्रमिकों का पुनर्वास किया जा चुका है।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार से उपलब्ध हुई नवीनतम सूचना के अनुसार, बन्धुआ श्रमिक रखने वालों के विरुद्ध बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अधीन 342 मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक 117 मामलों में दोष सिद्ध हुआ है, 41 मामलों में अभियुक्त बरी हो

गए हैं, 110 मामले अभी न्यायालय में लम्बित हैं और 27 मामलों में अभी जांच पड़ताल नहीं हुई है। अपराधी पक्षकारों से जुर्माने के रूप में 990 रुपये की राशि वसूल की गई है।

बरौनी में पेट्रोकेमिकल काम्पलैक्स

245. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मंत्री बरौनी में एरोमैटिक्स कॉम्पलैक्स के बारे में 12 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1465 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बरौनी में प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल काम्पलैक्स से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है तथा इसका काम कब शुरू होगा और समाप्त हो जाएगा और उसकी अनुमानित लागत क्या होगी ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है।

उर्वरक उत्पादन

246. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 के दौरान उर्वरक की कुल कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ है;

(ख) गत वर्ष उर्वरक के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(ग) देश की मांग को पूरा करने के लिए उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

	1982 में उत्पादन (लाख टन)	1981 के उत्पादन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
नाइट्रोजन	33.76	13 प्रतिशत
पी2 ओ5	10.02	9.5 प्रतिशत

(ग) उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन को काफी बढ़ाने के लिए उर्वरक उत्पादन क्षमता में काफी विस्तार करने की योजना बनाई गई है।

जिला बस्तर (मध्य प्रदेश) के लिए दूरदर्शन की सुविधा

247. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के गांवों में दूरदर्शन सुविधा उपलब्ध कराने की कोई नीति तैयार की है ताकि वे राष्ट्रीय प्रसारण कार्यक्रम देख सकें; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के विचाराधीन मध्य प्रदेश के उस बस्तर जिले में दूरदर्शन सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है, जो एक पिछड़ा क्षेत्र है तथा जहाँ की 80 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासी है, ताकि वे राष्ट्रीय दूरदर्शन कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण देख सकें ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) उपलब्ध ससाधनों के अन्दर दूरदर्शन सेवा का विस्तार देश के सभी भागों, जिनमें पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं, में उत्तरोतर किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में दूरदर्शन सेवा का विस्तार भी भावी योजनाओं में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

आर० ओ० बी० एम० डिवीजन की यथापूर्व स्थिति के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

248. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर० ओ० बी० एम० डिवीजन, बेलगाम के कर्मचारियों ने दिनांक 10 जनवरी, 1983 को आर० ओ० बी० एम० डिवीजन, बेलगाम (महाराष्ट्र मंडल) की यथापूर्व स्थिति बनाये रखने तथा इसे स्थानांतरित न करने के सम्बन्ध में डाक तार महानिदेशक को एक प्रतिवेदन भेजा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटील) : (क) जी, हाँ।

(ख) पोस्टमास्टर जनरल को इस आशय के अनुदेश जारी किए गए हैं कि यदि उक्त सैक्शन को ट्रांसिट सैक्शन में बदला जाए या समाप्त किया जाए तो उससे प्रभावित स्टाफ को स्थानीय आर० एम० एस/डाक यूनिटों में स्थानांतरण करने का विकल्प दिया जाए।

दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाना

249. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में निकट भविष्य में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ये एक्सचेंज कितने और किन-किन स्थानों पर लगाये जाने की संभावना है और कब तक तथा प्रत्येक एक्सचेंज की कितनी क्षमता होगी;

(ग) क्या कोई प्रयोग किया गया है और ये कहाँ तक सफल रहे हैं, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या देश के अन्य भागों में भी ऐसे एक्सचेंज लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 14 टेलीफोन एक्सचेंज (जिनमें दो का विस्तार होना है) स्थापित किए जाने की संभावना है :

क्रमांक	स्थान का नाम	क्षमता
1.	तीस हजारी IV	10000 लाइन
2.	ईदगाह IV	10000 लाइन
3.	नेहरू प्लेस III	10000 लाइन
4.	करोल बाग IV	10000 लाइन
5.	सेना भवन	10000 लाइन
6.	किदवाई भवन	10000 लाइन
7.	राजौरी गार्डन III	10000 लाइन
8.	तीस हजारी IV (विस्तार)	10000 लाइन
9.	नेहरू प्लेस III (विस्तार)	10000 लाइन
10.	करोल बाग टेंडम	4000 लाइन
11.	राजौरी गार्डन V	10000 लाइन
12.	ओखला	10000 लाइन
13.	शाहदरा दक्षिण	15000 लाइन
14.	शक्ति नगर	10000 लाइन

इन एक्सचेंजों को 1983 के अन्त से उत्तरोत्तर चालू किए जाने की संभावना है।

(ग) जी, हां। दूर संचार अनुसंधान केन्द्र द्वारा तैयार किए गए एक देशी इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज का राजौरी गार्डन, नई दिल्ली में 300 से अधिक टेलीफोन उपभोक्ताओं पर 1.1.81 से 3.4.81 तक सफलतापूर्वक वाणिज्यिक परीक्षण किया गया है।

(घ) जी, हां।

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में डाक का विलम्ब से वितरण

250. **श्री जैनुल बशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या बाहर से आने वाली डाक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के डाकघरों में 15 से 20 दिनों के विलम्ब के बाद पहुंचती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जितनी जल्दी संभव हो सके, उतनी जल्दी डाक के वितरण के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

सचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटील) : (क) ऐसी रिपोर्ट मिली है कि जमानिया मुख्य डाकघर के अधीन डाकघरों में 8 से 10 दिन का विलम्ब था। अन्य डाकघरों के लिए डाक में विलम्ब नहीं था।

(ख) यह विलम्ब जनवरी, 1983 में डाक गाड़ियां रद्द करने के कारण था।

(ग) इस जिले में डाकघरों की मौजूदा डाक और वितरण व्यवस्था संतोषजनक है। डाक गाड़ियां रद्द किए जाने के स्थिति में उपयुक्त अन्य व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं।

लो-पावर दूरदर्शन प्रसारण और रिले केन्द्र

251. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 जनवरी, 1983 तक भारत में कितने और कौन-कौन से "लो पावर" दूरदर्शन प्रसारण और रिले केन्द्र काम कर रहे थे;

(ख) सरकार का दिनांक 1 फरवरी, 1983 से 31 मार्च, 1981 के दौरान तथा दिनांक 1 अप्रैल, 1984 से 31 मार्च, 1981 के दौरान भारत में कितने और किन-किन स्थानों पर नए 'लो पावर' प्रसारण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) प्रस्तावित गोरखपुर दूरदर्शन केन्द्र की क्या स्थिति है तथा अब तक इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 31 जनवरी 1983 को कार्य कर रहे अल्पशक्ति वाले 20 दूरदर्शन रिले केन्द्रों की सूची विवरण में दी हुई है।

(ख) अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर नवें एशियाई खेल, 1982 को कवर करने के संदर्भ में प्रयोगात्मक आधार पर स्थापित किए गए थे। इस प्रयोग का मूल्यांकन किया जा रहा है। दूरदर्शन संजाल के विचार के लिए भविष्य में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का उपयोग इस मूल्यांकन के परिणामों तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) इन्सैट योजना के अंग के रूप में छठी योजना अवधि के दौरान गोरखपुर में 10 किलोवाट के एक ट्रांसमीटर तथा कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं से युक्त दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। ट्रांसमीटर के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है तथा उनका अधिग्रहण किया जा रहा है। प्रेषण उपकरणों के लिए आर्डर दे दिया गया है तथा इनकी सप्लाई निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होने की उम्मीद है। दूरदर्शन केन्द्र के छठी योजना अवधि के अंत तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

विवरण

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम
1.	जम्मू
2.	शिमला
3.	देवरिया
4.	सूरतगढ़
5.	गोहाटी
6.	ईटानगर
7.	गंगतोक
8,	शिलांग
9.	कोहिमा
10.	इम्फाल
11.	ऐजवाल
12.	अगरतला
13.	मालदा
14.	पटना
15.	भुवनेश्वर
16.	पोर्ट ब्लेयर
17.	काकीनाडा
18.	त्रिवेन्द्रम
19.	इंदौर
20.	भोपाल

एक्रिलिक फाइबर और जाइलीन्स का उत्पादन

252. श्री रघुनन्द लाल भाटिया : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में एक्रिलिक फाइजर और बाइ-लीन्स के उत्पादन का लक्ष्य कितना है;

(ख) इन क्षेत्रों में इस योजना आवास के दौरान मंजूर की गई नई तथा अतिरिक्त क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें कितना विदेशी सहयोग है;

(घ) क्या उत्पादन में वृद्धि करने की अनुमति देने के लिए सरकारी क्षेत्र को अधिमानता

दी जायेगी और क्या सरकारी उपक्रमों को नवीनतम विदेशी तकनीकी का उपयोग करने दिया जा रहा है यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या भारत को विभिन्न जलवायु में एक्रिलिक और ऐसे ही अन्य फाइबर के प्रयोग के लिये कोई परीक्षण किया गया ०, यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और क्या गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा अत्यधिक विस्तार करने और सरकारी क्षेत्र द्वारा पूंजी निवेश करने की अनुमति देने से पहले सरकार का विचार यह परीक्षण शीघ्र करने का है।

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) एक्रिलिक फाइबर और जाइलीन्स के उत्पादन का लक्ष्य क्रमशः 14 हजार मी० टन और 57 हजार मी० टन है।

(ख), (ग) और (घ) चालू योजना अवधि में एक्रिलिक फाइबर उत्पादन के लिए 34 हजार मी० टन प्रतिवर्ष की अतिरिक्त क्षमता स्वीकार की गई है जिसमें 12 हजार मी० टन प्रतिवर्ष सरकारी क्षेत्र में है और 22 हजार मी० टन प्रतिवर्ष गैर सरकारी क्षेत्र में है। चालू योजना अवधि में जाइलीन्स उत्पादन के लिए 56 हजार मी० टन प्रतिवर्ष अतिरिक्त क्षमता स्वीकार की गई है। सभी सरकारी क्षेत्रों में।

एक्रिलिक फाइबर में जाइलीन्स के उत्पादन के लिए अतिरिक्त स्वीकृत क्षमता स्थापित करने के वास्ते विदेशी तकनीकी सहयोग को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ङ) एक्रिलिक और दूसरे फाइबर काफी मात्रा में और अन्य अनुरूप फाइबरों के साथ मिश्रण भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। विभिन्न भारतीय जलवायु में परीक्षण करना जरूरी नहीं समझा गया है क्यों उनकी गुणधर्मिता जानी पहचानी है।

कोटा और झालावाड़ के बीच किसी स्थान पर आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

253. **श्री चतुर्भुज** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कोटा और झालवाड़ के बीच किसी स्थान पर एक आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये किसी स्थान का चयन किया गया है और स्थान के चयन के लिये क्या माप दण्ड अपनाया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) चालू योजना अवधि (1980-85) के दौरान कोटा में स्थानीय रेडियो स्टेशन स्थापित करने का अनुमोदित योजनागत प्रस्ताव है।

इस प्रकार का स्थानीय रेडियो स्टेशन सामुदायिक सेवा उपलब्ध करेगा। अधिकांश कायक्रमों को स्थानीय लोगों को शामिल करके स्थानीय तत्वों के साथ स्थानीय रूप से तैयार किया जाएगा। ये कार्यक्रम विकासात्मक संचार पर आधारित होंगे और इनके विषय एकीकृत ग्रामीण विकास, सूखा निवारण, आदिवासी क्षेत्र विकास इत्यादि जैसे होंगे।

कोटा का चयन इन बातों को ध्यान में रखते हुए तथा इस क्षेत्र के लिए आई० टी० यू० द्वारा आवंटित फ्रिक्वेंसियों की उपलब्धता के संदर्भ में किया गया है।

सलीमपुर, उत्तर प्रदेश में अगरबत्ती (एरोमेटिक्स) काम्पलैक्स का निर्माण

254. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश में अगरबत्ती काम्पलैक्स स्थापित करने के बारे में 8 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3230 के उत्तर में सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सलीमपुर, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में अगरबत्ती काम्पलैक्स का निर्माण करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इस काम्पलैक्स के लिये कितनी भूमि की आवश्यकता है और इस प्रयोजन के लिए अब तक कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(ग) क्या भूमि सर्वेक्षण तथा परीक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है और क्या प्रोसेस लाइसेंस धारियों का चयन और अनुमोदन हो चुका है; और

(घ) इन काम्पलैक्स का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है।

ऊर्जा मंत्रालय के पैट्रोलियम विभाग के राज्य मंत्री (श्री गागीं शंकर मिश्र) : (क) स्थल का चयन किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी है, संभावत: रिपोर्ट तैयार कर दी गई है और परियोजना के लिए एक कार्यकारी दल की स्थापना की जा चुकी है।

(ख) हरा क्षेत्र, नगर क्षेत्र और पुनर्वास प्रयोजनों के लिए क्षेत्र सहित लगभग 2000 एकड़ भूमि की अनुमानित आवश्यकता होगी। राज्य सरकार द्वारा निजी भूमि को अधिग्रहण करने के लिए अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी है।

(ग) संयंत्र क्षेत्र के लिए भूमि सर्वेक्षण एवं मिट्टी का परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं। प्रोसेस लाइसेंसर्स का अभी चयन नहीं किया गया है।

(घ) इस काम्पलेक्स को पूरा करने में लगभग 5 वर्ष लगेंगे।

फाइबर आप्टिक संचारण की शुरूआत

255. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संचार तंत्र के आधुनिकीकरण के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं; और

(ख) "फाइबर आप्टिक" संचार (ट्रांस्मीशन) को कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटील) : (क) संचारण परिपथ-जाल में बड़े पैमाने पर रेडियो रिले प्रणालियां और समाक्ष केबिल प्रणालियां संस्थापित की जा रही हैं। इस क्षेत्र में अंकीय तकनीक भी शुरू की जा रही है। भारतीय परिपथ-जाल में उपग्रह संचार प्रणाली पहले से ही प्रचलित हैं।

(ख) पुणे में शिवाजी नगर और छावनी एक्सचेंजों के बीच "आप्टिकल फाइबर" प्रणाली प्रायोगिक तौर पर चालू है : ऐसी कुछ और प्रायोगिक प्रणालियों की योजना बनाई जा रही है। सातवीं योजना के दौरान बड़े पैमाने पर "आप्टिकल फाइबर" प्रणाली शुरू होने की संभावना है।

तट पर स्थित तेल शोधक कारखानों द्वारा गैस का उपयोग

256. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में तट पर स्थित तेल शोधक कारखानों को इस ढग से नहीं बनाया गया है कि उनमें गैस और बम्बई हाई से, प्राप्त होने वाले कुछ प्रकार के कच्चे तेलों का उपभोग किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस समस्या का समाधान किस प्रकार करना चाहती है;

(ग) क्या किसी नई तकनीकी का आयात किया जायेगा या वर्तमान तेल शोधक कारखानों का कुछ और विस्तार किया जायेगा ताकि कच्चे तेल का पूरा उपभोग किया जा सके क्योंकि देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए निकट भविष्य में देश में वर्तमान की तुलना में अधिक कच्चे तेल का उत्पादन होने लगेगा; और

(घ) यह निश्चय करने के लिए इसमें समय का अंतराल न पड़ और कच्चे तेल को साफ करने की प्रक्रिया में विलम्ब न हो जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को हानि न पहुंचे, क्या अग्रिम योजना बनाई जा रही है।

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (घ) क्योंकि बम्बई हाई अशोधित तेल से स्नेहथ तेल उत्पन्न नहीं होते हैं, इसका संसाधन हल्दिया, मद्रास की शोधनशालाओं में तथा बम्बई स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम शोधनशाला में नहीं किया जाता है जहां कि स्नेहक तेल उत्पादित होते हैं। तट पर आधारित अन्य शोधनशालाएं अर्थात् कोचीन तथा विशाखापत्तनम में स्थित शोधनशालाएं, बम्बई स्थित भारत

पेट्रोलियम शोधनशाला पहले ही बम्बई हाई अशोधित तेल का संसाधन कर रही है। सारे बम्बई हाई अशोधित तेल का संसाधन सुनिश्चित करने के लिए, कोचीन, मद्रास, विशाखापत्तनम स्थित शोधनशालाओं का तथा बम्बई स्थित भारत पेट्रोलियम शोधनशाला का विस्तार तथा आधुनिकीकरण किया जा रहा है जिससे कि पेट्रोलियम उत्पादों की मांग के आवश्यक पैटर्न को पूरा किया जा सके। इन प्रायोजनाओं के 1984-85 के अन्त में पूरा हो जाने की आशा है। बम्बई हाई को सम्बद्ध गैस को शोधनशाला ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। चूंकि यह बम्बई में उपलब्ध हैं, बम्बई स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम शोधनशाला में ईंधन के रूप में कुछ गैस के उपयोग के लिए पहले ही प्रबन्ध किए जा चुके हैं। इस शोधनशाला में तथा बम्बई स्थित भारत पेट्रोलियम शोधनशाला में गैस के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

ऊर्जा संरक्षण के लिए नए आयोग का गठन

257. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऊर्जा संरक्षण के लिए नए आयोग का गठन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग का गठन कब तक कर दिया जाएगा और उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो इस आयोग के सदस्य होंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) ऊर्जा परामर्शदात्री बोर्ड की स्थापना का मामला विचाराधीन है।

बल्क औषधों तथा मध्यवर्ती औषधियों का उत्पादन

258. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बल्क औषधों तथा मध्यवर्ती औषधियों का उत्पादन देश की मांग से कम पड़ता है;

(ख) वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में दिसम्बर, 1982 तक बल्क औषधों तथा मध्यवर्ती औषधियों का कुल कितने मूल्य का उत्पादन हुआ; और

(ग) देश में ही बल्क औषधों का तथा मध्यवर्ती औषधियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ताकि आयात-खर्च में कटौती की जा सके ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हाँ।

(ख) यथाअपेक्षित तथा उपलब्ध सीमा तक प्रयुक्त औषधों तथा औषध मध्यवर्तियों, रसायनों एवं घोलकों के आयात का कुल मूल्य नीचे दिया गया है :—

(रु० करोड़ों में)

	1980-81	1981-82
प्रपुंज औषध	87.24	105.1
औषध मध्यवर्ती रसायन एवं घोलक	15.68	29.34

1982-83 में कुल 77.09 करोड़ रुपए के प्रपुंज औषधों और मध्यवर्तियों (फार्मूलेशनों सहित) का आयात किया गया है ।

(ग) देश में औषधों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

1. बड़ी संख्या में औद्योगिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं और उनके कार्यान्वयन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और कार्यान्वयन में यदि कोई समस्या उत्पन्न हो तो उन्हें निपटाने के उपाय किए जाते हैं ।

2. उपयोगिता क्षमता में सुधार करके सरकारी क्षेत्र में प्रपुंज औषधों और फार्मूलेशनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ।

3. स्वत: वृद्धि, स्थापित क्षमताओं की मान्यता की योजनाएं तथा उच्चतम उत्पादन निष्पादन पर आधारित उच्चतर क्षमताओं को पुन: पृष्ठांकित करने की योजनाओं को कुछ शर्तों के अध्यधीन औषध उद्योग पर लागू किया गया है। देश में औषधों के उत्पादन को और बढ़ाने के लिए यदि अतिरिक्त उपाय करने आवश्यक होंगे, तो वे किए जाएंगे ।

वे राज्य जिनमें बिजली का संकट है तथा जिनमें बिजली की कटौती की जाती है

259. **श्री भीखा भाई :**

श्री नरसिंह मकवाना : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें बिजली का संकट है और जिसमें हैंडलूम और पावरलूम सहित सभी प्रकार के उद्योगों में बिजली की कटौती की जाती है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें केवल बड़े/मध्यम श्रेणी के उद्योगों में ही बिजली की कटौती की जाती है; और

(ग) अन्य राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की तुलना में राजस्थान में बिजली सप्लई की स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर आजाद) : (क) और (ख) राज्यों द्वारा विद्युत कटौतियां उस समय लगाई जाती है जबकि सभी स्त्रोतों से उपलब्ध विद्युत आवश्यकता के अनुरूप नहीं होती है । जब कभी भी विद्युत कटौतियां लगाई जाती हैं तो सभी विद्युत उपभोक्ता वर्गों पर प्रभाव पड़ता है यद्यपि विद्युत प्रतिबन्धों की मात्रा एक समान नहीं होती । इस

समय दिल्ली, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में विद्युत प्रतिबन्ध लागू हैं।

(ग) राजस्थान में इसके पड़ौसी राज्यों की तुलना में जनवरी, 83 के महीने के दौरान विद्युत सप्लाई निम्नानुसार रही है :—

राज्य का नाम	कमी%
राजस्थान	29.5
दिल्ली	5.0
उत्तर प्रदेश	0.3
हरियाणा	8.7
पंजाब	12.9
मध्य प्रदेश	1.1

अल्कोहल के उत्पादन के लिए शीरे का उपयोग

260. **श्री रसीद मसूद :**

श्री डी० बी० सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल संकट को देखते हुए सरकार ने चीनी उत्पादन राज्यों, डिस्टिलरी उद्योगों आदि के सहयोग से एलकोहल के उत्पादन में शीरा के अधिक से अधिक उपयोग के लिए कोई कदम उठाए हैं क्योंकि एलकोहल पर आधारित उद्योगों के लिए यह एक अनिवार्य फीड-स्टाक बन गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) जी, हां।

(ख) अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के लिए फीड-स्टाक के रूप में अल्कोहल की उपलब्धता में सुधार करने की दृष्टि से राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि (1) उपलब्ध समस्त शीरे का लाभदायक प्रयोग सुनिश्चित करें, (2) अल्कोहल के उत्पादन के लिए खाण्डसारी शीरे के प्रयोग को बढ़ावा दें और (3) चीनी कारखानों द्वारा शीरे के लिए पर्याप्त और उचित भण्डारण सुविधाओं का सृजन सुनिश्चित करवायें। अल्कोहल उत्पादन की दक्षता, फर्मेन्टेशन के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार, ईंधन बचत और अल्कोहल पर आधारित उद्योग के विकास की जांच करने के लिए सरकार ने तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति भी गठित की थी। जनवरी 1980 में प्रस्तुत की गई इस समिति की रिपोर्ट राज्य सरकारों और आसवनी उद्योग को भेज दी गई है।

जनवरी 1983 में हुई केन्द्रीय शीरा बोर्ड की पिछली बैठक के बाद सरकार ने अल्कोहल और अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अल्कोहल पर लगाए गए विभिन्न करों, शीरे के भंडारण और क्षमता उपयोग पर तीन कार्य-दल गठित किए हैं।

बम्बई कपड़ा मिल हड़ताल का समाधान किया जाना

261. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रताप ने टिप्पणी की है कि बम्बई में कपड़ा श्रमिकों की काफी समय से चली आ रहा हड़ताल से उत्पन्न विवाद को औद्योगिक न्यायालय को सौंप करके हल किया जा सकता है और सरकार, प्रतिनिधि यूनियन तथा अन्य यूनियनें उस न्यायालय के सामने अपने अपने पक्ष पेश कर सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बम्बई में एक वर्ष पुरानी कपड़ा हड़ताल को हल करने के लिए इस सुझाव को मानने को तैयार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जो रिट याचिका बम्बई के एक अधिवक्ता द्वारा जुलाई, 1982 में दायर की गई थी जिसमें बाद में एक दूसरे अर्जीदार के रूप में बम्बई मिल ओनर्स ऐसोसिएशन भी शामिल हो गई थी, उसकी स्वीकृति-पूर्व (प्री-एडमिशन) सुनवाई के दौरान 12 अगस्त, 1982 को बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रताप ने यह जानना चाहा कि क्या महाराष्ट्र सरकार बम्बई मिल ओनर्स ऐसोसिएशन और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान विवाद को बम्बई औद्योगिक संबंध अधिनियम की धारा-73 के अधीन विनिश्चय हेतु औद्योगिक न्यायालय को भेजने के लिए राजी है या नहीं।

(ख) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को यह बतलाया था कि निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस विवाद को औद्योगिक न्यायालय के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है :—

(i) एक अधिनिर्णय पहले से ही अस्तित्व में है जो लागू है तथा जिसमें दिसम्बर, 1984 के अन्त तक कर्मकारों की मांगें सम्मिलित है;

(ii) महाराष्ट्र गिरनी कामगार यूनियन नामक जिस यूनियन ने हड़ताल का आह्वान किया है, उसे बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम के अधीन बम्बई टैक्सटाइल कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कपड़ा उद्योग की मान्यता प्राप्त एवं अनुमोदित यूनियन राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ चली आ रही है; और

(iii) कपड़ा उद्योग की समस्याओं तथा हड़ताली कपड़ा श्रमिकों की मांगों की जांच करने के लिए, भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय त्रिपक्षीय समिति नियुक्त की है।

एरोमेटिक और कैपरोलेक्टम संयंत्र

262. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित एरोमेटिक और कैपरोलेक्टम संयंत्र की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) स्थान, अनुमानित लागत और पूरा होने की अवधि सम्बन्धी ब्योरा क्या है ।

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गागों शंकर मिश्र) : (क) तथा (ख) तीन नई एरोमैटिक परियोजनाएं छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल हैं । उनके स्थान, अनुमानित लागत और पूरा होने की अवधि इस प्रकार है :—

परियोजना	स्थान	लगभग पूंजीगत लागत	पूरा होने की अवधि
1. भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन का एरोमैटिक यूनिट	बम्बई रिफाइनरी	52	लगभग 3 वर्ष
2. कोचीन रिफाइनरीज का एरोमैटिक यूनिट	कोचीन	76.14 (अन्तरिम)	लगभग 3 वर्ष
3. एरोमैटिक संयंत्र उत्तर प्रदेश	सलीमपुर	427	लगभग 5 वर्ष

सभी परियोजनाओं के लिए स्थलों का चुनाव कर लिया गया है । बम्बई स्थित पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड का एरोमैटिक यूनिट कार्यान्वित किया जा रहा है । कोचीन में एरोमैटिक यूनिट से सम्बन्धित संशोधित संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है । उत्तर प्रदेश में परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं और संयंत्र क्षेत्र के लिए भूमि सर्वेक्षण तथा मिट्टी परीक्षण का कार्य पूरा हो चुका है ।

उद्योग मण्डल (केरल) में 50 हजार टन प्रतिवर्ष के कैपरोलेक्टम का निर्माण करने के लिए फैक्ट को आशय पत्र जारी कर दिया गया है । कैपरोलेक्टम के निर्माण के लिए अन्य आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है ।

बम्बई में सागर विकास में आग

263. **श्री सुभाष यादव :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई में सागर विकास में लगी आग के कारणों का पता लगाने का जांच कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार आग लगने के कारण निम्न प्रकार हैं :

सागर विकास जैक अप रिग 5 मई 1982 को प्लेटफार्म एम जे में स्थित था। 1314 मीटर की गहराई तक खुदाई किए जाने के बाद कूप के 1662 मीटर की गहराई तक पहुँचने पर 27 जुलाई को कई सरन्ध्र गैस युक्त परतें मिली। जब ड्रिल पाइप कुछ थोड़े से परिवर्तन के लिए खींची जा रही थी, इस गहराई तक पहुचने के पश्चात् 28 जुलाई को 01.40 घंटे पर ड्रिल पाइप के माध्यम से कूप सक्रिय हो गया। अतः क्षपण निश्चित किए जाने के बाद बी. ओ. पी. की बन्द लाइन के माध्यम से 28, 29 और 30 जुलाई को कीचड़ की 1.19 विशिष्ट गुरुत्व को कम करने के लिए कार्यवाही की गई थी।

दिनांक 30 जुलाई को कूप खोलने के और गिरी हुई ड्रिल स्ट्रिंग को ऊपर उठाने के प्रयास किये जाने का निर्णय लिया गया था। दो स्टेंड और एकल ड्रिल पाइप बैठाई गई। दूसरे स्टेंड के नीचे पहुँचते ही कूप सक्रिय हो गया। 'केली काक' को तेज करने के और बी. ओ. सी. की पाइप रैम जिससे प्रवाह पकड़ा जा सके, को बन्द करने का प्रयास भी असफल रहा। 0 जुलाई को 2103 घण्टे पर कूप सक्रिय होगा और 2 अगस्त, 1982 को 06:7 घण्टे पर आग लग गई। आग अपने आप ही 5 अगस्त को तीव्रता में कमी और प्रवाह में बाधा आने के कारण बुझ गई। कूप को 12 सितम्बर 1982 को ढक दिया गया और बन्द कर दिया गया।

(ग) तेल अन्वेषण में आग लगना एक व्यावसायिक बाधा है। लेकिन जब कभी आग लग जाती है तो ऐसी आग लगने के कारणों का पता लगने के लिए और संचालन प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए क्या उपाय अवश्य अपनाए जायें इसके लिए एक जांच आयोजित की जाती है। जांच समिति, जिसने इस आग के लगने के कारणों की जांच की थी, ने ऐसी भावी घटनाओं से बचने के लिये 21 प्रमुख सिफारिशें की हैं और इन सबको तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि जांच समिति द्वारा विशिष्ट कमियों के लिए उत्तरदायी ठहराये गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाये। रिग के प्रयोजना प्रबन्धक को बरखास्त कर दिया गया है।

राज्य विद्युत बोर्डों का खराब कार्य निष्पादन

264. **श्री हरिहर सोरेन :**

श्री चिन्तामणि जेना : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने इस बात पर ध्यान दिया है कि विद्युत उत्पादन और वित्तीय मामले में राज्य विद्युत बोर्डों का कार्य-निष्पादन खराब है;

(ख) यदि हां, तो राज्य विद्युत बोर्डों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है; और

(ग) विद्युत केन्द्रों से अधिक विद्युत उत्पादन के लिए राज्य विद्युत बोर्डों का अब क्या विशेष उपाय करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) राज्य बिजली बोर्डों का समग्र प्रबन्ध तथा वित्तीय निष्पादन सहित कार्य-निष्पादन केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए चिन्ता का विषय रहा है। राज्य बिजली बोर्डों के समग्र कार्य-निष्पादन के लिए मूल रूप से राज्य सरकारें जिम्मेवार हैं।

(ख) विद्युत विभाग ने राज्य बिजली बोर्डों को, उनके परियोजना प्रबन्ध कार्यकलापों, वित्तीय तथा प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन, कार्मिकों का प्रशिक्षण आदि सहित उनके प्रबन्ध में सुधार लाने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। राज्य बिजली बोर्डों के कार्य-निष्पादन की समय-समय पर संवीक्षा की जाती है। राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय प्रबन्ध सहित समग्र प्रबन्ध में सुधार लाने के लिए, उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए राज्य पूरी तरह से सक्षम हैं।

(ग) ताप विद्युत केन्द्रों की क्षमता उपयोगिता में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें ये उपाय शामिल हैं :

(1) राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों को संयंत्र सुधार कार्यक्रम तैयार करने तथा उन्हें लागू करने में सहायता।

(2) बन्दियों की अवधि कम करने के लिए सुरक्षात्मक रख-रखाव तकनीकें अपनाना।

(3) स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतों से अतिरिक्त पुर्जों की व्यवस्था करना।

(4) अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोयले की अपेक्षित मात्रा में व्यवस्था करना।

(5) विशेष रूप से 110/120 मेगा० तथा 200/210 मेगावाट यूनिटों के लिए टास्क फोर्स को शीघ्र सुस्थिर करने के लिए उनके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए गठित किया गया है।

(6) प्रचालन कार्य-कलापों की मानीटरिंग करने तथा परामर्श देने के लिए के. वि. प्रा. से प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमण-दलों के दौरों की व्यवस्था करना।

(7) विद्युत केन्द्रों के इंजीनियरों और प्रचालन तथा रख-रखाव कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

इण्डियन आयल कार्पोरेशन, पूर्वी क्षेत्र में नैमित्तिक कर्मचारियों को रोजगार

265. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कार्पोरेशन (मार्केटिंग डिवीजन), पूर्वी क्षेत्र द्वारा इण्डियन आयल श्रमिक यूनियन और इण्डियन आयल एम्पलाइज यूनियन, कलकत्ता के साथ एक समझौता किया गया था कि नैमित्तिक कर्मचारियों का एक 'कामन पैनल' बनाया जायेगा और यदि हां, तो क्या यह पैनल बनाया गया है, और कब; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इण्डियन आयल कार्पोरेशन (मार्केटिंग डिवीजन), पूर्वी क्षेत्र में 2 जनवरी, 1981 के पश्चात किसी नैमित्तिक कर्मचारी को रोजगार दिया गया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसे किस तारीख से नौकरी पर रखा गया है; और

(ग) क्या 2 जनवरी, 1981 के पश्चात् किसी नैमित्तिक कर्मचारी को सेवा से निकाला गया था समाप्त कर दी गई और क्या किसी नैमित्तिक कर्मचारी को इस दिन या इस दिन के पश्चात नौकरी पर रखा गया है; और यदि हां, तो इन कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और ऐसी नियुक्तियों और बर्खास्तगी की तारीख क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) यद्यपि इण्डियन आयल कार्पोरेशन (मार्केटिंग डिवीजन) पूर्वी क्षेत्र ने इण्डियन आयल एम्पलाईज यूनियन, इण्डियन आयल श्रमिक यूनियन कलकत्ता के बीच कोई औपचारिक समझौता नहीं किया परन्तु कुछ मामले जिसमे नमित्तिक कर्मचारियों का एक 'कामन पैनल' तैयार करने सहित कुछ मामलों पर समझौता हो गया है; इस समय 'कामन पैनल' तैयार किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दिनांक 2.1.1981 के बाद केवल एक नैमित्तिक कर्मचारी को सेवा से निकाला गया था क्योंकि उसने स्टाफ कार चलाने के लिए नैमित्तिक कर्मचारी के रूप में अपनी नियुक्ति के दौरान दो दुर्घटनायें की थीं। दिनांक 2.1.1981 के पश्चात नियुक्त किये गये अथवा लिये गये नये नैमित्तिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

कोयला खान विनियम, 1957 में संशोधन

266. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयला खान विनियम, 1957 में संशोधन के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और क्या परिवर्तन किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या नये संशोधन के अन्तर्गत कोयला खानों में आग लगने की घटनाओं पर भी विचार किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो कोयला खानों में आग से सुरक्षा के लिए इससे कितनी सहायता मिलने की आशा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (घ) कोयला खान विनियम, 1957 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है, ताकि ओपन-कास्ट और भूमि के नीचे की खानों के लिए अलग से विनियमों की व्यवस्था की जा सके और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ कोयला खानों में आग के सम्बन्ध में कार्यवाही किए जाने के लिए उपबंध निर्दिष्ट होंगे, ताकि आग की रोकथाम की जा सके।

यह बताना संभव नहीं है कि प्रस्तावित संशोधन को लागू करने में कितना समय लगेगा।

लक्ष्य की प्राप्ति

267. **श्री सुधीर कुमार गिरी :**

प्रो० रूप चन्द पाल : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के लिए विद्युत का निर्धारित लक्ष्य क्या था; उसका वर्षवार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान लक्ष्य की प्राप्ति हुई है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार लक्ष्य की प्राप्ति किस प्रकार करेगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) छठी पंच-वर्षीय योजना में 19666 मेगा. की कुल अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता की योजना थी। जिसमें 14208 मेगा. ताप विद्युत, 4768 मेगा. की जल-विद्युत और 690 मेगा. न्यूक्लीय विद्युत क्षमता शामिल है। छठी योजना को तैयार करते समय नई विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि का सोपानबद्ध रूप में वर्षवार ब्योरा नीचे दी गई तालिका के अनुसार लगाया गया था:—

वर्ष	जल विद्युत	ताप विद्युत	न्यूक्लीय विद्युत	जोड़ (मेगा.)
1980-81	407	1825	45	2687
1981-82	939	2913	235	4087
1982-83	1374.5	2980	—	4354.5
1983-84	1086	3150	—	4236
1984-85	961.5	3340	—	4301.5
	4768	14208	690	19666

2687 मेगा. की अतिरिक्त क्षमता चालू करने के लक्ष्य की तुलना मे वर्ष 1980-81 में कुल 1823 मेगावाट क्षमता प्राप्त की गई थी। वर्ष 1981-82 के लिए 3212 मेगावाट का संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसकी तुलना में कुल 2175 मेगा. क्षमता प्राप्त की गई थी।

1982-83 के लिए 3482 मेगा. की नई विद्युत उत्पादन क्षमता को चालू करने के संशोधित लक्ष्य की तुलना में कुल 1930 मेगा क्षमता चालू/रोल की गई है। 1982-83 के दौरान जोड़ी जा रही कुल क्षमता लगभग 2800-3000 मेगा. होने की संभावना है।

(घ) परियोजनाओं को चालू करने में कमियां निम्नलिखित एक अथवा एक से अधिक कारणों से होती हैं—

(1) भूमि अधिग्रहण में विलम्ब।

(2) अपर्याप्त स्थल अन्वेषण।

(3) सिविल कार्यों सहित परियोजना निवेशों में विलम्ब।

(4) परियोजनाओं के लिए इंजीनियरी विशिष्टयों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब।

(5) आनुषंगिक उपस्करों के लिए आर्डर देने/ठेके देने में विलम्ब।

(6) विभिन्न सप्लाईकर्त्ताओं द्वारा उपस्करों की सप्लाई में विलम्ब।

(7) महत्वपूर्ण निर्माण सामग्रियों की कमी।

(8) औद्योगिक सम्बन्धों का मधुर न होना।

(9) निधियों की अपर्याप्त व्यवस्था।

(ङ) वर्तमान प्रगति को ध्यान में रखते हुए यह आशा की जाती है कि छठी योजना अवधि के दौरान नई विद्युत उत्पादन क्षमता में लगभग 14000 मेगावाट की कुल वृद्धि होगी।

समुद्र में तेल की खोज

268. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय समुद्र तट के आसपास गहरे पानी में तेल और गैस के भण्डार की सम्भावनाओं के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) समुद्र से अधिक तेल निकालने की योजनाएं क्या हैं; और

(ग) क्या तेल निकालने के लिए नये तरीके अपनाने का भी विचार है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क)

तथा (ख) : इस समय अपतटीय घाटियों में तेल तथा गैस भण्डारों के अनुमान केवल 200 मीटर आइसोबाथ तक के हैं। किन्तु जहां तक कृष्णा-गोदावारी अपतटीय घाटी का सम्बन्ध है वहां गहरे जल में कुछ आशाजनक संभावनाएं दिखाई दी हैं, तेल तथा गैस के पूर्वानुमानित भण्डारों का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड दोनों ने तटीय तथा अपतटीय घाटियों में तेजी से खोज करने तथा उनका लाभ उठाने के लिए सापेक्ष महत्व की योजनाएं तैयार कर रहे हैं। ये योजनाए सम्भव हाइड्रोकार्बन साधनों को हाइड्रोकार्बन भण्डारों में बदलने की सम्भाव्यता को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं।

(ग) जी हां, जब कमी सम्भव होगा तुरन्त उत्पादन प्रणालियों और समुद्र के भीतर की सम्पूरित प्रणालियों को प्रयोग में लाने का प्रस्ताव है।

कोयले के उत्पादन में कमी

269. **श्री फूल चन्द्र वर्मा :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कोयले का वर्ष-वार उत्पादन कितना है; और

(ग) इन वर्षों के दौरान उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये थे ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में कोयले के उत्पादन में सुधार हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल है—

(1) कोयला खानों के लिए बिजली की सप्लाई को उच्चतर अग्रता प्रदान की गई है और कोयला खानों में बिजली सप्लाई की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए वितरण प्रणाली को युक्तिपूर्ण बनाया जा रहा है। बिजली की दीर्घकालीन कमी वाले खनन क्षेत्रों में गैस टरबाइन्स लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, विद्यमान ग्रहीत डीजल सेटों से बिजली का अधिकतम उत्पादन किया जा रहा है और जो सेट स्थापित किए जा रहे हैं उनके बाकी काम को पूरा करने की गति तेज की जा रही है।

(2) खनन हेतु भूमि अधिग्रहण का काम सम्बद्ध राज्य सरकारों और विशेषत: बिहार और बंगाल की राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके और उनकी सहायता से तेज किया जा रहा है।

(3) कोयला क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था तथा औद्योगिक सम्बन्ध स्थिति में सुधार के लिए सम्बद्ध राज्य सरकारों के निकट सम्पर्क बनाए रखना ।

(4) कोयले के उत्पादन, उत्पादकता और संरक्षण मे सुधार के लिए उद्देश्य से खानों में बेहतर खनन प्रौद्योगिकी के लिए विदेशों से सहायोग प्राप्त किया जा रहा है ।

मजदूरों को विदेश भेजने में कथित भ्रष्टाचार

270. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :**

श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्री बापू साहेब परुलेकर : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में मजदूरों को विदेशों में भेजने में व्याप्त घोर-भ्रष्टाचार के मामले बार-बार आये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पद्धति में मौजूदा भ्रष्टाचार को समूल विनाश करने के लिए कोई नये कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार मजदूरों को विदेशों में भेजने के लिए बनाई गई पद्धति को और आसान बनाने पर विचार कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) भरती एजेंटों और नियोजकों द्वारा भ्रष्ट प्रथाओं का अनुसरण किए जाने की घटनाएं समय-समय पर सरकार के ध्यान में आई हैं ।

(ख) और (ग) : उत्प्रवास की वर्तमान प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्च, 1979 में निर्धारित की गई थी । जब उत्प्रवास को विनियमित करने सम्बन्धी नया कानून संसद द्वारा पारित कर दिया जाएगा, तो इस प्रक्रिया का स्थान एक संशोधित प्रक्रिया ले लेगी । इस विधान के लम्बित रहने तक सरकार ने विदेशों में रोजगार की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि वे भरती के क्षेत्र में विद्यमान भ्रष्ट तत्वों के भ्रष्ट व्यवहार का शिकार न हो जाए । उठाये गये इन कदमों में 'क्या करना चाहिए' और 'क्या नहीं करना है' के बारे में आकाशवाणी द्वारा प्रचार रोजगार के देशों में कामकाज और रहन-सहन की दशाएं और प्रत्याशित मजदूरी दर्शाने वाली पुस्तिकाओं का परिचालन दूरदर्शन पर उत्प्रवास प्राधिकारियों के साथ भेंटवार्ता रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों के लिए अपेक्षित मुख्य सूचना के बारे में न्यूजरील का निर्माण इत्यादि शामिल हैं ।

(घ) वर्तमान प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों

को ध्यान में रखकर तैयार की गई है । जब उत्प्रवास को विनियमित करने सम्बन्धी नया कानून लागू हो जाएगा, तो उसे प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा ।

माउंट आबू में रेडियो तथा दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

271. **श्री विरदा राम फूलवाडिया** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी राजस्थान के जालोर तथा सिरोही में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के रिले केन्द्र की स्थापना की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि माउंट आबू इस केन्द्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है; और

(ग) यदि हां, तो क्या वहां पर केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क), (ख) और (ग) वित्तीय संसाधनों के अभाव तथा सापेक्ष प्राथमिकताओं के कारण राजस्थान में माउंट आबू सहित जालोर/सिरोही में रेडियो और दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बम्बई हाई क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का जलना

272. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस चौंकाने वाली स्थिति की ओर आकर्षित किया गया है कि बम्बई हाई क्षेत्र में प्राकृतिक गैस को जिसे बचाया जा सकता है जलकर बर्बाद हो जाती है, इस प्रकार उत्पादित गैस के लगभग 50% की हानि होती है तथा यदि हाँ, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है और पहले से कार्यवाही न किए जा सकने की असफलता के क्या कारण हैं । (दिनांक 1 जनवरी, 1983 के 'बिजनेस स्टेंडर्ड' के अनुसार);

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि ऐसी राष्ट्रीय हानि के परिणामस्वरूप विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में ऊर्जा की कमी रही है तथा जंगल काटे जा रहे हैं तथा यदि हां, तो इस क्षतिपूर्ति तथा सुधार के लिए सरकार के ध्यान में क्या कदम हैं या क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का समाज के कमजोर वर्गों को जंगलों का काटा जाने से रोकने के लिए राज सहायता प्राप्त दरों पर गैस की बिक्री का प्रबन्ध करने का विचार है, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में जिससे जंगलों के काटे जाने में अवश्य कमी आयेगी, प्राकृतिक सम्पत्ति तैयार होगी और बाढ़ आदि सम्बद्ध समस्याओं की कमी हो जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शकर मिश्र) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

किसी भी तेल क्षेत्र में तुरन्त विकास के लिए अपरिष्कृत तेल के उत्पादन की प्रारम्भिक अवस्था में संबद्ध गैस (जो कि अपरिष्कृत तेल में थोड़े से अनुपात में मौजूद होती है) का भड़क उठना पूरे विश्व भर में एक सामान्य प्रक्रिया है। अपरिष्कृत तेल जो कि तरल पदार्थ का उत्पादन और उसका परिवहन (यथा आवश्यकता समुद्री जहाजों, सड़क और रेल टेन्कों द्वारा) बहुत कम समय में ले जाना अपेक्षाकृत सरल है। किन्तु प्राकृतिक गैस के एकत्रीकरण और परिवहन के लिए अनेक प्रकार की विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है जैसे संसाधन, संपीडन और उसके परिवहन के लिए उच्च दबाव वाली पाइपलाइनों की आवश्यकता होती है जिनके लिए भारी राशियां लगानी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त, इसके उपयोग करने वालों को भी अपनी वर्तमान सुविधाओं में परिवर्तन करने के लिए काफी बड़ी धनराशि लगानी पड़ती है। इसलिए नई सुविधाएं जुटाने के बाद बहुत लम्बी विकास अवधि अनिवार्य होती है। जब तक पूरी सम्बद्ध गैस जो कि अपरिष्कृत तेल की काफी कम औसत में होती है, के उत्पादन उसे एकत्रित, संसाधित करने, उसके परिवहन और उपयोग करने तक अपरिष्कृत तेल के उत्पादन को स्थगित रखने में पैसा खर्च हो जाता है और सामान्य रूप से इसे लागत प्रभावी नहीं पाया जाता है।

बम्बई हाई क्षेत्र से उपलब्ध प्राकृतिक गैस के एकत्रीकरण, संसाधन, संपीडन, परिवहन और उपयोग की योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने के लिए पहले से की गई कार्यवाही के कारण औद्योगिक संयंत्र अब उस सारी सम्बद्ध गैस का पूरा उपयोग कर रहे हैं जो कि समुद्र बीच की पाइप लाइनों द्वारा ऊरान संयंत्र तक तट पर लाई जा सकती है। तट पर जो भी गैस जलती है वह तभी जलती है जबकि अस्थाई नकनीकी कठिनाइयों के कारण इन औद्योगिक संयंत्रों में अस्थाई तौर पर कोई व्यवधान उपस्थित हो जाता है। ये औद्योगिक संयंत्र जिनमें से मुख्य हैं राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स का ट्राम्बे उर्वरक संयंत्र, टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एम. एस. ई. बी.) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन की शोधनशाला इस मामले में अग्रिम कार्यवाही करने के लिए विगत में आयोजित अध्ययनों से प्रमुख क्षमता उपभोक्ता के रूप में जाने गए थे।

सम्बद्ध गैस की कुछ मात्रा को अपतट पर अभी भी जलाया जा रहा है परन्तु पहले इसके उपयोगकर्ताओं का पता भी लगा लिया गया था और उनकी सुविधाएं, जिन पर बड़ी मात्रा में निवेश अपेक्षित है, पूरी होने वाली हैं। इनमें से मुख्य थाल वैशट में नया बडा उर्वरक संयंत्र, दीपक फर्टीलाइजर्स का लघु उर्वरक संयंत्र और टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी का नया 500 मेगावाट का विद्युत स्टेशन है। आगामी कुछ महीनों में इन सुविधाओं को पूरा होने से अपतट में बहुत ही कम जलाई जाने वाली मात्रा भी समाप्त हो जाएगी। और प्रमुख उपयोगकर्ताओं का जो नीचे

दिए गए हैं, अनुकूलतम रूप से उत्पादित की जाने वाली सम्बद्ध गैस का उपयोग करने के लिए और साथ ही इस तेल क्षेत्र जो विश्वासाधीन है से बढ़ने वाली मात्रा का उपभोग करने के लिए पता लगाया गया है, जिससे कि अशोधित तेल के साथ उत्पादित की जाने वाली सम्बद्ध गैस की सही-सही मात्रा का इस अवस्था में बताना कठिन है।

—हजिरा में उर्वरकों का उत्पादन जिसके पूरा करने के लिए कार्यक्रम आरम्भिक वर्ष 1982 बनाया गया है।

—शोधनशालाओं में सम्मिलित साइकिल विद्युत भाप सृजन सहित हीटरों और भट्टियों में आग लगना।

—हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स को सप्लाई।

—कुछ प्रमुख शहरों को सप्लाई।

—एम. एस. ई. बी. की दूसरी अवस्था 4×60 मेगावाट यूनिट।

विद्यमान और ऊपर दर्शाए गए नए आउटलेटों के सृजन से उपलब्ध गैस को, कुछ ग्राहकों द्वारा उठाने में कुछ विलम्ब होने पर भी पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सकेगा।

इस गैस में वह विखंडन बहुत ही कम है जिसे अलग करके एल. पी. जी. (खाना पकाने की गैस) के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उरान में एल. पी. जी. विखंडन संयंत्र मार्च 1981 में चालू किया गया था तथा अब लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की दर से उत्पादन किया जा रहा है। इससे देश में पहाड़ी क्षेत्रों सहित वितरण के लिए शोधनशालाओं से उपलब्ध एल. पी. जी. (खाना पकाने की गैस) की मात्रा में वृद्धि करने में सहायता मिली है जिससे 1981-82 में उपलब्ध खाना पकाने की गैस की सप्लाई की तुलना में 1982-83 में खाना पकाने की गैस की सप्लाई लगभग 45% बढ़ गई है।

मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है

273. **श्री बाबूराव परांजपे**। क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में पिछले वर्षों में माँग की पूर्ति के लिए विद्युत का पर्याप्त उत्पादन नहीं हुआ है;

(ख) मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थापित क्षमता, औसत उत्पादन तथा विद्युत की माँग कितनी है;

(ग) क्या किसी आदर्श विद्युत प्रणाली के लिए स्थापित क्षमता, औसत विद्युत उत्पादन तथा विद्युत की मांग के लिए अनुपात बनाए रखने के लिए कोई स्थापित व्यवस्था है;

(घ) अगले दस वर्षों में मध्य प्रदेश में विद्युत की मांग की पूर्ति के लिए स्थापित क्षमता बढ़ाने के लिए परिमाण तथा योजनाओं का क्या आकलन किया गया है; और

(ङ) क्या ऊपर (घ) में बताई गई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना आयोग द्वारा कोई प्रावधान किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) यह सच है कि मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन आवश्यकता से कम है। तथापि प्रत्याशित आवश्यकता और उपलब्धता के बीच का अन्तर काफी कम हो गया है।

(ख) 31.1.83 की स्थिति के अनुसार राज्य की प्रतिष्ठापित क्षमता 1887.5 मेगावाट है इसमें 1772.5 मेगावाट ताप विद्युत तथा 115 मेगावाट जल विद्युत क्षमता शामिल है। अप्रैल, 1982 से जनवरी, 1983 की अवधि के दौरान औसतन सकल ऊर्जा उत्पादन 21.5 मेगावाट आवर प्रतिदिन था। इसकी तुलना में प्रत्याशित सकल आवश्यकता 22.10 मेगावाट आवर प्रतिदिन थी।

(ग) औसत उत्पादन तथा भार मांग के लिए प्रतिष्ठापित क्षमता का अनुपात बनाए रखने के लिए कोई स्थापित प्रक्रिया नहीं हैं। तथापि जब विद्युत की आवश्यकता होती है तो उत्पादन यूनिटों को अधिकतम संभव क्षमता तक चलाने का बिजली बोर्डों का अपना प्रयास होता है यथासम्भव यूनिट उत्पादन/यूनिट प्रतिष्ठापित क्षमता प्राप्त करने के लिए भी बिजली बोर्डों की अपनी व्यवस्था होती है।

(घ) और (ङ) 11वें वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार जिसे अभी हाल में अन्तिम रूप दिया है 1991-92 में मध्य प्रदेश में व्यस्ततम भार 434 मेगावाट होने की सम्भावना है तथा ऊर्जा की आवश्यकता 28058 मिलियन यूनिट होने की सम्भावना है। पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय, ऐसी आयोजना की जाती है कि पंचवर्षीय योजना के अन्त में माँग और सप्लाई की स्थिति समतुल्य हो। विद्युत सेक्टर को उपलब्ध कराए जाने वाली निधियों की मात्रा, निधियों की कुल उपलब्धता तथा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की आवश्यकता पर निर्भर करती है।

तेल तथा गैस के विकास के लिए ब्रिटेन का प्रस्ताव

274. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन ने भारत में तेल तथा गैस के संसाधनों के विकास के लिए अपने विशेषज्ञ भेजने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार के अधिकारियों ने ब्रिटिश सरकार से बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है।

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) भारत यू. के. सहयोग के भाग के रूप में, यू. के. सरकार ने अन्य क्षेत्रों सहित तेल अन्वेषण एवं विकास क्षेत्र में हमारे विकास प्रयासों में भारत को सहायता प्रदान करने की रुचि व्यक्त की थी। कुछ परियोजनाएं माल एवं सेवाओं को पहचाना गया है जिन पर यू. के. की सहायता के लिए विचार किया जा सकता है बशर्ते कि तकनीकी रूप से उपयुक्त प्रतियोगी हों और हमारे डिलीवरी कार्यक्रम को पूरा करती हों।

इस सम्बन्ध में 3 और 4 फरवरी 1983 को नई दिल्ली में एक ब्रिटिश शिष्ट मंडल के साथ विचार-विमर्श भी किया गया है। इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

सिंगरौली से राजस्थान को बिजली का आवंटन और सप्लाई

275. **श्री राम सिंह यादव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान राज्य को सिंगरौली (एस. टी. पी. सी. परियोजना) से कुल 34 मेगावाट बिजली आवंटित की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय राजस्थान को सिंगरौली विद्युत परियोजना से केवल 17 मेगावाट बिजली मिल रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार राजस्थान को बिजली की बहुत कम सप्लाई होने के कारण राज्य को 34 मेगावाट बिजली का आवंटित करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र की अपनी 2000 मेगावाट की चरम क्षमता से राजस्थान को 300 मेगावाट क्षमता का कुल आवंटन किया गया है। सिंगरौली में 200 मेगावाट की पहली यूनिट चालू कर दी गई है और इससे राजस्थान को लगभग 18 मेगावाट क्षमता का आवंटन किया गया है। सिंगरौली में 200 मेगावाट के दूसरे यूनिट को हाल ही में समकालित किया गया है और अभी इसका वाणिज्यिक प्रचालन किया जाना है।

सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र से राजस्थान को इस समय अपने हिस्से से अधिक विद्युत सप्लाई की जा रही है।

राज्यों में खोले गये कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल

276. **श्री राम अवध** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना के अन्तर्गत कितने अस्पताल खोले गए; और

(ख) इन अस्पतालों तथा औषधालयों से कितने कर्मचारियों ने चिकित्सा-सुविधा प्राप्त की तथा उसका पूरा ब्योरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) 16 (सोलह), जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

राज्य	अस्पतालों की संख्या
1. बिहार	दो
2. गुजरात	चार
3. कर्नाटक	एक
4. महाराष्ट्र	दो
5. तमिलनाडु	एक
6. उत्तर प्रदेश	चार
7. पश्चिम बंगाल	दो

(ख) इन नए अस्पतालों में जिन श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा दी गई, उनके सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि, एक विवरण संलग्न है जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान सम्बन्धित राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों में भर्ती किए गए रोगियों की संख्या और विशेषज्ञ जांच के लिए निर्दिष्ट रोगियों की संख्या सम्बन्धी समग्र स्थिति दी गई है।

विवरण

राज्य का नाम	1979-80		1980-81		1981-82	
	अस्पतालों में भर्ती किए गए रोगियों की संख्या	विशेषज्ञों को जांच के लिए निर्दिष्ट रोगियों की संख्या	अस्पतालों में भर्ती किए गए रोगियों की संख्या	विशेषज्ञों को जांच के लिए निर्दिष्ट रोगियों की संख्या	अस्पतालों में भर्ती किए गए रोगियों की संख्या	विशेषज्ञों को जांच के लिए निर्दिष्ट रोगियों की संख्या
1. बिहार	259	17,931	180	21,361	129	14,901
2. गुजरात	16,364	1,94,080	16,582	1,60,453	17,013	2,02,719
3. कर्नाटक	50,143	2,04,106	32,103	1,95,015	29,820	1,64,977
4. महाराष्ट्र	90,062	1,07,793	89,614	1,88,485	1,05,348	2,13,953
5. तमिलनाडु	12,240	1,55,954	12,680	1,48,649	14,635	1,68,894
6. उत्तर प्रदेश	19,636	76,231	16,314	1,24,399	16,966	1,16,914
7. पश्चिम बंगाल	उपलब्ध नहीं है।	1,24,650	उपलब्ध नहीं है।	1,20,580	उपलब्ध नहीं है।	1,20,592

विद्युत के उत्पादन में लगातार सुधार

277. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विद्युत उत्पादन में लगातार सुधार का दावा कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सुरक्षित विद्युत उत्पादन एककों की स्थापना के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) इस वर्ष विद्युत की स्थिति में सुधार हुआ है। गत वर्षों की तुलना में देश में विद्युत कमी की प्रतिशतता में कमी हुई है।

(ख) प्रमुख क्षेत्र के कुछ सरकारी उद्यमों, जैसे कि अल्यूमीनियम, स्टील आदि जिनको सुनिश्चित विद्युत सप्लाई की आवश्यकता होती है तथा उत्पादन यूनिटों की अप्रत्याशित बड़ी मात्रा में बंदी या किसी अन्य कारण से विद्युत की अत्यधिक कमी के कारण विद्युत की कटौतियां सहन नहीं कर सकते इसलिए कैप्टिव उत्पादन यूनिटें प्रतिष्ठापित की अनुमति दी गई है।

दिल्ली में डाक के थैलों की कमी के कारण डाक का जमा होना

278. **श्री उत्तम राव पाटिल :** क्या **सचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1982 के नवम्बर, दिसम्बर महीनों में और जनवरी, 1983 के पहले पखवाड़े में दिल्ली मण्डल में डाक के थैलों की कमी के कारण डाक का जमाव हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो ऊपर बताई गई प्रत्येक अवधियों में कितने दिनों तक डाक का वितरण नहीं हो सका तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटील) : (क) और (ख) कैनवास के थैलों की कुछ कमी आई थी जिसे पड़ोसी सर्किलों से प्राप्त कर दूर कर दिया गया था। इस कमी के कारण डाक को रोक कर नहीं रखना पड़ा।

डी० वी० सी० द्वारा कलकत्ता विद्युत प्रदाय का विद्युत की पूर्ति में कमी

279 **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष डी. वी. सी. ने कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम को विद्युत के अपने योगदान में लगातार कमी की है लेकिन उसी अवधि के दौरान अन्य राज्य विद्युत बोर्डों को विद्युत का बढ़ा हुआ कोटा देना जारी रखा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं विशेषकर जबकि पश्चिम बंगाल ने डी. वी. सी. के निर्माण में धन दिया था;

(ग) क्या सरकार का डी. वी. सी. के प्राधिकारियों से इस सम्बन्ध में अपनी नीतियां बदलने को कहने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं। 1981-82 के दौरान कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को ऊर्जा की सप्लाई 558.76 मिलियन यूनिट थी। इसकी तुलना में 1980-81 में यह सप्लाई 306.50 मिलियन यूनिट थी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिजली की राज्यवार मांग और पूर्ति की वास्तविक स्थिति

281. **श्री एन० आर० राकेश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिजली की पूर्ति और मांग की राज्यवार वास्तविक स्थिति क्या है और कितनी बिजली कम/अधिशेष होने का अनुमान है;

(ख) आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए राज्यवार कितनी अवधि निर्धारित की गई; और

(ग) क्या बिजली की कमी से कृषि, उर्वरक, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों जैसे कोयला खदान इस्पात, धातु, कपड़ा आदि के उत्पादन पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और उत्पादन में कितनी गिरावट आई है या विभिन्न क्षेत्रों में योजना लक्ष्यों की प्राप्ति में कहां तक असफलता हुई है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसका कुल मिलाकर क्या प्रभाव पड़ा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जनवरी, 1983 के महीने के दौरान प्रणालीवार अनुमानित आवश्यकता, उपलब्धता तथा ऊर्जा की कमी विवरण में दिखाई गई है।

(ख) जबकि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, तथापि कमी को दूर करने की प्रक्रिया क्रमशः होगी। कमी के लिए उत्तरदायी कारण जटिल है और इसमें बहुत सी दूर की जाने वाली कठिनाइयां शामिल हैं जैसे कि उपस्करों की सुपुर्दगी, निधियों की उपलब्धता, प्रचालन एजेन्सियों का कार्य-निष्पादन आदि हैं।

(ग) उद्योगों पर लगाई जाने वाली विद्युत कटौती से इसके उत्पादन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तथापि, विद्युत की कमी के कारण उत्पादन में हुई हानि का पता लगाना संभव नहीं है क्योंकि उत्पादन अन्य कई निवेशों पर भी निर्भर करता है।

विवरण				
1	2	3	4	5
राज्य/क्षेत्र का नाम	प्रत्याशित आश्वयक्ता (मेगावाट आवर)	सप्लाई (गे. वा. आवर)	कमी (—) अधिकता (+)	कमी (%)
उत्तरी क्षेत्र				
हरियाणा	358	327	31	8.7
हिमाचल प्रदेश	51	50	1	2.0
जम्मू व कश्मीर	126	83	43	34.1
पंजाब	519	452	67	12.9
राजस्थान	528	372	156	29.5
उत्तर प्रदेश	1387	1258	129	9.3
दिल्ली	358	340	18	5.0
चण्डीगढ़	22	26 (+)	4+	18.1
एन. एफ. एफ.	69	17	52	75.4
जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	3418	2925	493	14.4
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	943	976 (+)	33 (+)	3.5
मध्य प्रदेश	707	699	8	1.1
महाराष्ट्र	1934	1701	233	12.0
गोवा	43	29	14	32.6
जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	3627	3405	222	6.1
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	896	886	10	1.1
कर्नाटक	745	683	61	8.2
केरल	377	329	48	12.7
तमिलनाडु	1053	761	292	27.7
पाण्डिचेरी	16	16	—	—
जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	3087	2676	411	13.3

1	2	3	4	5
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	330	266	64	19
पश्चिमी बंगाल	604	480	124	20.5
दामोदर घाटी निगम	462	418	44	9.5
उड़ीसा	341	260	59	16.9
सिक्किम	3	3	—	—
जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	1734	1457	291	16.6
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	99	120 (+)	21 (+)	21.2
अखिल भारत	11979	10583	1396	11.7

बम्बई हाई में गैस का जलना

28?. **श्री दौलत राम सारण** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन में वृद्धि तथा कोई खरीदार न होने के कारण बम्बई हाई क्षेत्र की गैस को जला दिया जाता है तथा अगले 2-3 वर्षों तक लगातार जलाया जाता रहेगा जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक दिन काफी हानि हो रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो मूल्य में प्रतिदिन होने वाली हानि की सीमा का आंकलन बताते हुए तथा हानि को कम करने तथा नये गैस उपभोक्ताओं की खोज के लिए सरकार द्वारा विचारे गए कदमों सहित उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मत्रालय के पैट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) :

विवरण

बम्बई हाई क्षेत्र से प्राप्त होने वाली समस्त सम्बद्ध गैस को, औद्योगिक संयंत्र पूर्ण रूप से उपयोग में ला रहे हैं, जिसे सम्पीड़ित किया जा सकता है और तट पर समुद्र के भीतर बिछाई गई पाइपलाइन और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के उरान सयंत्र, जिन दोनों को जुलाई, 1981 में आरम्भ किया गया था, तक लाया जा सकता है। अस्थायी तकनीकी कठिनाइयों के कारण जब इन औद्योगिक संयंत्रों में से किसी के संचालन में अस्थायी रूप से बाधा आती है केवल तब ही तट पर गैस जलाई जाती है। ये औद्योगिक संयंत्र जिन से मुख्य राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स का ट्राम्बे उर्वरक संयंत्र, टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एम. एस. ई. बी.) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन की शोधनशाला है, इस मामले में

अग्रिम कार्रवाई करने के लिए विगत में आयोजित अध्ययनों से प्रमुख क्षमता उपभोक्ता रूप में जाने गये थे।

सम्बद्ध गैस की कुछ मात्रा को अपतट पर अभी भी जलाया जा रहा है, परन्तु पहले इसके उपयोगकर्ताओं का पता भी लगा लिया गया था और उनकी सुविधायें, जिन पर बड़ी मात्रा में निवेश अपेक्षित है, पूरी होने वाली है : इनमें से मुख्य थाल वैशट में नया बड़ा उर्वरक संयंत्र, दीपक फर्टिलाइजर्स का लघु उर्वरक संयंत्र और टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी का नया 500 मैगावाट का विद्युत स्टेशन है। आगामी कुछ महीनों में इन सुविधाओं को पूरा होने से अपतट में बहुत ही कम जलाई जाने वाली मात्रा भी समाप्त हो जाएगी।

और प्रमुख उपयोगकर्ताओं का जो नीचे दिये गये हैं, अनुकूलतम रूप से उत्पादित की जाने वाली सम्बद्ध गैस का उपयोग करने के लिए और साथ ही इस तेल क्षेत्र जो विकासाधीन है से बढ़ने वाली मात्रा का उपभोग करने के लिए, पता लगाया गया है, जिससे कि अशोधित तेल के साथ उत्पादित की जाने वाली सम्बद्ध गैस की सही मात्रा का इस अवस्था में बताना कठिन है।

—हाजिरा में उर्वरकों का उत्पादन जिसके पूरा करने के लिए कार्यक्रम आरम्भिक वर्ष 1984 बनाया गया है।

—शोधनशालाओं में सम्मिलित साइकिल विद्युत-भाप सृजन सहित हीटरों और भट्टियों में आग लगना।

—हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स को सप्लाई;

—कुछ प्रमुख शहरों को सप्लाई।

—एम. एस. ई. बी. की दूसरी अवस्था 4 × 60 मेगावाट यूनिट।

विद्यमानता और ऊपर दर्शाये गए नए आउटलेटों के सृजन से उपलब्ध गैस का कुछ ग्राहकों द्वारा उठान में कुछ विलम्ब होने पर भी पूर्ण रूप से उपयोग।

उर्वरकों का उत्पादन लक्ष्य

283. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अलूरी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 में देश में उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य क्या था;

(ख) क्या वर्ष 1981-82 के लिये उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त हो चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) 1981-82 में उर्वरकों का लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार था :—

	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन (लाख टनों में
नाइट्रोजन	32.00	31.44
पी2 ओ5	9.25	9.49

(ग) यद्यपि पी2 ओ5 का उत्पादन लक्ष्य से अधिक हुआ लेकिन नाइट्रोजन के उत्पादन में लक्ष्य की तुलना में अ शिक कमी हुई । यह कमी मुख्य रूप से नये संयंत्रों को प्रारम्भ करने में विलम्ब के कारण हुई ।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

284. **श्री हरीश रावत :**
श्री संतोष मोहनदेव :
श्री आर० पी० गायकवाड :
श्री भीखा भाई :
श्री के० लकप्पा । क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में एक नीति निर्णय लिया है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सम्बन्धित राज्य से बाहर का होगा; और

(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त निर्णय का ब्यौरा क्या है और उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में यह नीति निर्णय कब तक लागू होगी ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) सरकार ने यह घोषणा 28-1-1983 को की है कि सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति बाहर से होंगे । इस नीति की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

यह बताना सम्भव नहीं है कि इस नीति को सभी उच्च न्यायालयों में कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ।

विवरण

जिम्मेदार निकायों से बार-बार मांग किए जाने के परिणामस्वरूप, सरकार ने इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करके यह नीति अपनाने का विनिश्चय किया है कि सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति बाहर से होंगे और इस नीति को कियान्वित करते समय कुछ व्यापक मार्गदर्शक सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाएगा। ये मार्गदर्शक सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :—

(i) मुख्य न्यायमूर्तियों के रूप में उन्नत किए जाने के प्रयोजन के लिए अवर न्यायाधीशों की परस्पर ज्येष्ठता की गणना उनके स्वयं के उच्च न्यायालय में उनकी ज्येष्ठता के आधार पर पर की जाएगी और उपयुक्तता के अधीन रहते हुए, उनको अन्य उच्च न्यायालयों में मुख्य न्याय-

मूर्तियों के रूप में उनकी नियुक्ति किए जाने के लिए तब विचार किया जाएगा जब उनके अपने उच्च न्यायालय में ऐसी नियुक्ति के लिए सामान्य रूप से उनकी बारी आ जाती ।

(ii) किसी मुख्य न्यायमूर्ति को, जिसे केवल एक वर्ष या इससे कम समय में सेवानिवृत्त होना है, अन्य उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा ।

(iii) किसी उच्च न्यायालय में किसी ऐसे अवर न्यायाधीश के बारे में जिसे, उस समय जब मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में उन्नत किए जाने के लिए उसकी बारी आती है, एक वर्ष या इससे कम समय में सेवानिवृत्त होना है, उपयुक्तता के अधीन रहते हुए, यदि उस अवधि के दौरान उस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त हो जाता है, तो उसके स्वयं के न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा ।

2. उपर्युक्त नीति को क्रियान्वित करते समय, नियुक्तियां/स्थानांतरण, यथास्थिति, संविधान के अनुच्छेद 217 या अनुच्छेद 222 के उपबन्धों के अनुसार की जाएंगी/किए जाएंगे ।

बिहार में बिजली की कमी

85. **श्री तारिक अनवर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में राज्य सरकार द्वारा अनेक उपाय करने के बावजूद लगातार हो रही बिजली की तीव्र कमी की जानकारी है जिसके कारण उद्योगों और सामान्य जनता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या इस समस्या को हल करने के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जनवरी, 1983 के महीने में बिहार में बिजली ऊर्जा की उपलब्धता, आवश्यकता की तुलना में 19.4 प्रतिशत तक कम थी ।

(ख) से (घ) मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए काफी कदम उठाए गए हैं । इनमें ये उपाए शामिल हैं :—

(1) विद्यमान ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों से अधिकतम उत्पादन ।

(2) उत्पादन क्षमता बढ़ाने के कार्य में तेजी लाना ।

(3) अधिकता वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को विद्युत अन्तरण करने के लिए व्यवस्था करना ।

ऊर्जा के समुदतटीय और तट-दूर स्त्रोतों का पता लगाने का प्रस्ताव

286. **श्री डी० पी० यादव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1983-84 के दौरान ऊर्जा के नए स्त्रोतों की खोज करने के लिए समुद्रतटीय और तट-दूर दोनों स्त्रोतों का पता लगाने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन स्त्रोतों की अनुमानित क्षमता कितनी होगी ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य. मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग लगातार नए-नए क्षेत्रों में तेल/गैस का पता लगाने का प्रयास कर रहा है। वर्ष 1983-84 के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने निम्नलिखित नए क्षेत्रों में खोज करने की योजना बनाई है।

तटीय क्षेत्र :—गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र, नागालैंड, कावेरी, हिमालय पादगिरि क्षेत्र और गंगा-वादी, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और आन्ध्र प्रदेश

तटेतर क्षेत्र :—पश्चिम तट, कच्छ और पूर्वी तट

2. इसी प्रकार आयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के नए क्षेत्रों और महानदी घाटी के तटेतर क्षेत्रों में खोज खुदाई करने की योजना बनाई है।

3. इन नए क्षेत्रों में तेल तथा गैस के अनुमानित भंडार के बारे में निश्चित रूप से तभी बताया जा सकता है जब खोज सम्बन्धी खुदाई से हाइड्रोकार्बनों की खोज हो जाए।

केन्द्रीय शीरा बोर्ड का कार्यकरण

287. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय शीरा बोर्ड का गठन कब किया गया था;

(ख) इस बोर्ड को क्या कार्य सौंपा गया था;

(ग) क्या यह अपने सभी कार्यों को उचित ढंग से निभा रहा है, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : केन्द्रीय शीरा बोर्ड आरम्भ में अक्टूबर 1969 में गठित किया गया था। इसे 15 नवम्बर, 1978 को पुनर्गठित किया गया था। दिनांक 17 दिसम्बर, 1982 की अधिसूचना द्वारा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

1. शीरा/अल्कोहल के उत्पादन के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य-सरकारों और खाद्य विभाग (शर्करा निदेशालय) से आवश्यक आंकड़े एकत्र करना।

2. सम्बन्धित राज्य सरकारों के लिए शीरा/अल्कोहल का अन्तर-राज्यीय आवंटन तैयार करना।

3. शर्करा वर्ष के आरम्भ में शीरा/अल्कोहल के निर्यात के लिए सम्भावित राज्यवार उपलब्धता का निर्धारण करना तथा उसके निर्यात के लिए योजना तैयार करना।

4. उचित आंकड़े एकत्र करके विभिन्न राज्यों में शीरा के मूल्य पर निगरानी रखना तथा आधिक्य वाले राज्यों द्वारा अन्य राज्यों को दिए गए अल्कोहल तथा शीरा पर लगाए जाने वाले विभिन्न करों की दर में समानता लाने का प्रयास करना।

(ग) जी, हां। वर्षानुवर्ष शीरा तथा अल्कोहल की उपलब्धता तथा राज्यों में उनकी मांग एवं निर्यात के लिए आधिक्य, यदि कोई हो, का मूल्यांकन केन्द्रीय शीरा बोर्ड की बैठकों में होता है जो सामान्यत: वर्ष में एक बार होती है। शीरा तथा अल्कोहल का आवंटन आधिक्य वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को किया जाता है जो इन बैठकों में हुए विचार-विमर्श पर आधारित होते हैं। अल्कोहल का उपयोग करने वाले उद्योगों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों, विशेष रूप से अल्कोहल पर राज्यों द्वारा लगाए गए उपकरों, पर भी विचार-विमर्श किया जाता है और राज्यों से बार-बार अनुरोध किया गया है कि उपकरों को कम करें ताकि उच्चकोटि वाली रसायनिक मदों के उत्पादन के लिए अल्कोहल के उपयोग को बढ़ावा मिले।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जवाहर लाल नेहरू पर फिल्म

288. **श्री कमल नाथ :**

श्री चिन्तामणि जेना : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या भारत रूस सह निर्माण से बनने वाली फिल्म "नेहरू" की शीघ्र शूटिंग होने वाली है;

(ख) यदि हां, तो फिल्म के कब तक पूरी होने की संभावना है; और

(ग) इस फिल्म में भारत का योगदान क्या होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) फिल्म की शूटिंग पहले ही शुरू हो चुकी है।

(ख) रिलीज के लिए फिल्म के 1984 के शुरू तक तैयार हो जाने की संभावना है।

(ग) फिल्म का सह-निर्माण, परस्पर लाभ तथा बिना मुद्रा विनिमय आधार पर किया जा रहा है। प्रत्येक पक्ष अपने क्षेत्र में फिल्म के निर्माण पर सभी खर्चे करेगा। दोनों पक्ष अपनी अभिलेखा सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करेंगे। शूटिंग का अधिकांश भाग भारत में किया जाएगा। सम्पादन और रिकार्डिंग सोवियत संघ में की जाएगी। फिल्म के निर्माण के लिए अपेक्षित लगभग सारी कोरी फिल्में सोवियत पक्ष द्वारा उपलब्ध की जाएंगी।

झरिया कोयला क्षेत्र में आग लगना और कोयले का अवरुद्ध होना

289. **श्री एन० ई० होरो :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झरिया कोयला क्षेत्र में भूमिगत और कभी-कभी सतह पर आग लगने से, जो 110 बार लगी है, 48 मिलियन टन बहुमूल्य कोकिंग कोल अवरुद्ध हो गया है जिसका उपयोग 29 मिलियन टन स्टील का उत्पादन करने, 142 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने या 30 मिलियन टन पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के बराबर है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार लगने वाली आग को बुझाने के लिए कोई योजना तैयार करने के बारे में प्रयास किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिमी बंगाल की बिजली परियोजनाओं की मंजूरी

290. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्तमान विद्युत संकट से निबटने हेतु केन्द्र से राज्य की चार बिजली परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया था और उनकी कुल मांग कितनी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ग) राज्य से निम्नलिखित ताप विद्युत स्कीमें आर्थिक-तकनीकी स्वीकृति के लिए प्राप्त हुई हैं तथा ये स्कीमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं :—

स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता	प्रस्तुत करने की मूल तिथि
1. सदर्न उत्पादन केन्द्र (सी. ई. एस. सी.) के यूनिट 1 और 2 को प्रतिस्थापित करना	2 × 60 मेगावाट	सितम्बर, 1981
2. मुर्शीदाबाद ताप विद्युत केन्द्र	4 × 500 मेगावाट	15.10.1982
3. संथालडीह ताप विद्युत केन्द्र (विस्तार)	2 × 120 मेगावाट	8 2.1983
4. दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र का नवीकरण	2 × 25+3 × 75 मेगावाट	16.12 1981

परियोजना के मूल्यांकन के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सभी मुख्य निवेशों जैसे भूमि, जल, कोयले की ढुलाई, विद्युत का पारेषण आदि की सुलभता सुनिश्चित करना होता है। तकनीकी एवं आर्थिक पैरामीटरों के आधार पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण परियोजना की समीक्षा करता है और पर्यावरण विभाग की स्वीकृति सहित सभी सम्बन्धित एजेन्सियों की समुचित स्वीकृति प्राप्त करता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने प्रथम तीन परियोजनाओं के लिए टिप्पणियां एवं स्पष्टीकरण मांगें हैं और परियोजना प्राधिकरियों से स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है। दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र के नवीकरण के सम्बन्ध में 27 दिसम्बर, 1982 को स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं तथा मामला केन्द्रीत विद्युत प्राधिकरण के पस समीक्षाधीन है।

दूसरे प्रेस आयोग की सिफारशें

291. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :**

श्री सन्तोष मोहन देव :

श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे प्रेस आयोग की सिफारिशों के बारे में अन्तिम रूप से सरकार ने फैसला कर लिया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) मामले को यथासंभव जल्दी से जल्दी अन्तिम रूप दिया जा रहा है। तथापि, निश्चित रूप से यह बताना कठिन है कि अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा।

बिजली सप्लाई हेतु पश्चिम बंगाल का दामोदर घाटी निगम से अनुरोध

291. **प्रो० रूप चन्द पाल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने दामोदर घाटी निगम से कम से कम एक घण्टे के लिए प्रतिदिन 5.30 सायंकाल से 6.30 सायंकाल रात तक लगातार बिजली देकर कलकत्ता प्रणाली को सहायता करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दामोदर घाटी निगम ने पश्चिम बंगाल के अनुरोध पर कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) क्या सरकार कुछ कार्यवाही करेगी ताकि दामोदर घाटी निगम से कलकत्ता प्रणाली को उपयुक्त समय में बिजली मिल सके ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह)। (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र के नान्देड़ और परमाणी जिलों में टेलीफोन एक्सचेंज के भवनों के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण

293. **श्री उत्तम राठौर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन विभाग ने जहां पर उन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज बना है भवनों के निर्माण के लिए सरकारी और गैर-सरकारी जमीन अधिग्रहण करने की कोशिश की है; और

(ख) क्या एक्सचेंज के लिए महाराष्ट्र के नान्देड़ और परमाणी जिलों में भी ऐसी जमीन अधिग्रहीत करने के प्रयास किये गए थे और यदि हां, तो 1981-82 और 1982-83 के दौरान इस प्रकार कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई थी और उस पर कितना खर्च हुआ ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। नान्देड़ और परमाणी जिलों के कुछ स्थानों पर 0.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है जिसके लिए टाउन प्लानिंग अधिकारियों के समक्ष मांग प्रस्तुत की गई है। अभी तक न तो कहीं पर भूमि का अधिग्रहण ही किया गया है और न ही 1981-82 और 1982-83 के दौरान इस पर कोई खर्चा किया गया है।

टेलीफोन सुविधाओं का विस्तार

294. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टेलीफोन सुविधाओं का विस्तार करने के लिए वर्तमान योजनायें क्या हैं;

(ख) क्या कोई भावी योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या है; और

(ग) क्या मांग करने पर तुरन्त टेलीफोन कनेक्शन देना संभव होगा; यदि हां, तो कब तक ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटील) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीफोन परिपथजाल में 113.3 लाख का विस्तार करने का कार्यक्रम है।

(ख) और (ग) 1990 तक वस्तुतः मांग करने पर टेलीफोन प्रदान करने के उद्देश्य से एक भावी योजना तैयार की गई है। इसके लिए इस दशक के दौरान, परिपथजाल में लगभग 50 लाख लाइनों की वृद्धि की आवश्यकता है, जिस पर अनुमानतः 10,000 करोड़ रुपए लागत आएगी। इस भावी योजना में निम्न बातें भी शामिल हैं—

(1) मांग करने पर टेलेक्स लाइनों की व्यवस्था;

(2) स्थानीय टेलीफोन परिपथजाल का पूर्णरूपेण स्वचलीकरण;

(3) 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में एस. टी. डी. की व्यवस्था;

(4) आबादी वाले अधिकांश स्थानों पर 5 कि. मी. के घेरे में सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराना।

इस दशक के दौरान, दो नई फैक्टरियां, जिसमें प्रत्येक फैक्टरी से 5 लाख लाइन के इलेक्ट्रानिक टेलीफोन स्विचिंग उपस्कर तथा एक केबिल फैक्टरी जिसमें 30 लाख कंडक्टर किलो-मीटर केबिल प्रतिवर्ष उत्पादन होगा, स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

आप्टिकल फाइबर केबल्स से एक्सचेंजों को जोड़ना

295. **श्री अमल दत्त** : क्या **सचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि देश के 1/3 टेलीफोन बड़े शहरों में सीमित है और गाँवों में जहां 80 प्रतिशत जनता रहती है केवल 18 प्रतिशत टेलीफोन हैं;

(ख) क्या सरकार ने पलस कोड मौडयूलेशन प्रणाली लगाने के बारे में कोई कार्यवाही की है जिससे केबल्स की क्षमता 30 गुना तक बढ़ाई जा सकती है;

(ग) क्या सरकार ने एक्सचेंजों को आप्टिकल फाइबर केबल्स या माइक्रोवेव से जोड़ने के बारे में कोई कार्यवाही है; और

(घ) परम्परागत कामर केबल्स के स्थान पर इनमें से किसी एक का उपयोग करने से लागत में कितनी बात होगी ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटील) : (क) जी, हाँ। सामान्य तौर पर यह स्थित है।

(ख) जी, हां। स्थानीय परिपथजाल में अनेक स्थानों पर विभिन्न प्रणालियां स्थापित की गई हैं।

(ग) जी, हां। पुणे में शिवाजी नगर और छावनी एक्सचेंजों के बीच एक प्रायोगिक आप्टिकल फाइबर प्रणाली और कलकत्ता में कोसीपुर एवं टेलीफोन भवन के बीच एक सूक्ष्मतरंग प्रणाली कार्य कर रही है। कुछ और प्रणालियों की योजनाये तैयार की जा रही हैं।

(घ) चूंकि इन प्रणालियों का उत्पादन अभी देश में नहीं किया जाता है अतः विश्वसनीय एवं सार्थक तुलना में सम्भव नहीं है। परन्तु आयात की लागत के आधार पर वे प्रणालियां आम तौर पर बड़ी क्षमता, मध्यम एवं लम्बी दूरी के जंकशनों के लिए परम्परागत केबिलों के स्थान पर एक आकर्षक विकल्प प्रस्तुत करती है।

महरौली रोड (दिल्ली) के फतेहपुर बेरी खान में मजदूर की मृत्यु

296. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 जनवरी, 1983 को महरौली रोड पर फतेहपुर बेरी की एक खान में, जो दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के स्वामित्व में है दीवार गिरने से एक सात वर्षीय बच्चे सहित चार मजदूरों की मृत्यु हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और मृतकों के आश्रितों को कितना मुआवजा दिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि उपर्युक्त खान के मजदूरों ने पर्याप्त सुरक्षा उपाय न होने के विरुद्ध हाल में विरोध प्रकट किया था और इस बारे में श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री को एक ज्ञापन दिया था; और

(घ) यदि, हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन/दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने दुर्घटना के प्रत्येक मामले में मृतक व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी को 5,000 रु० का अनुग्रहपूर्वक भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त, यह निर्णय किया गया है कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों के

अधीन जो मुआवजा निर्धारित किया जाए, उसका भी भुगतान किया जाना चाहिए।

(ग) जी, हां।

(घ) दिल्ली उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति श्री वी० एस० देशपाण्डे की अध्यक्षता में एक जांच न्यायालय नियुक्त किया गया है ताकि वह अन्य बातों के साथ खानों में दुर्घटनाओं के कारण/कारणों की जाँच करें और सुधारात्मक उपायों का सुझाव दें।

इस बीच, अधिकारी तथा मन्त्री स्तरों पर हुई बैठकों के बाद, दिल्ली प्रशासन को निम्नलिखित कार्यवाही करने को कहा गया है—

1. ऐसे स्थानों पर खनन प्रक्रिया रोक दी जाए जहां खतरनाक स्थिति पाई जाए।

2. पुलिस टुकड़ियां बैठाई जानी चाहिएं और ऐसे क्षेत्रों को निषेधज्ञायें जहां लागू हैं, छान डालना चाहिए ताकि खनन प्रक्रियाएं रोकी जा सके।

3. उन व्यक्तियों को, जो कुछ खानों के बन्द हो जाने पर बेकार हो गये हैं, रोजगार देने के लिए नए खनन क्षेत्रों का पता लगाया जाये और दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम बिना किन्हीं बिचौलियों के इन क्षेत्रों में स्वयं व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से खनन सक्रियाएं आरम्भ करें।

4. दिल्ली प्रशासन खानों में काम काज की दशाओं को सुधारने, विशेषकर उस अधिभार इत्यादि, जो खतरनाक है, को हटाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करें और पीने के पानी तथा अन्य अनिवार्य सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करें।

5. दिल्ली प्रशासन कानून के अनुसार मुआवजे के भुगतान के लिए शीघ्र व्यवस्था करें।

इसके अतिरिक्त, मुख्य श्रमायुक्त, और खान सुरक्षा महानिदेशक को निदेश दिए गए हैं कि वे अपने निरीक्षण तेज कर दें और श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ करें।

गुजरात द्वारा कच्चे खनिज तेल पर रायल्टी की दर बढ़ाने की मांग

297. **श्री छोटूभाई गामित : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार तथा गुजरात के सभी राजनैतिक नेताओं ने संयुक्त रूप से कच्चे खनिज तेल पर रायल्टी की दर बढ़ाने की मांग की है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) कच्चे खनिज तेल पर रायल्टी न बढ़ाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किए जाने की सम्भावना है और रायल्टी कितनी बढ़ाई जाएगी तथा तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) गुजरात सरकार और गुजरात के कई राजनीतिक नेताओं ने गुजरात में उत्पादित कच्चे तेल पर रायल्टी की अदायगी में वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन किये हैं।

(ख) और (ग) 1 अप्रैल 1981 से रायल्टी की दर प्रति मी. टन के लिए 42 रुपये से बढ़ाकर प्रति मी. टन 61 रुपये की गई। तेल क्षेत्र (विनियमन एव विकास) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार रायल्टी की दर 4 वर्षों की अवधि के दौरान एक ही बार बढ़ाई जा सकती है।

(घ) मामला विचाराधीन है।

ग्रेच्यूटी अधिनियम में संशोधन

298. श्री जगदीश टाईटलर : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपने कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी का भुगतान करने की प्रणाली में अधिकतम सीमा तथा वेतन सीमा, आदि को समाप्त करने जैसे भारी परिवर्तन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अनुमति के लिए सरकार के समक्ष रखे गए प्रस्तावों का ब्योरा क्या है; और

(ग) कर्मचारियों की भलाई के लिए ये उपाय कब किए जायेंगे ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के कतिपय पहलुओं अर्थात् इस अधिनियम की परिधि का 1600 रुपये प्रतिमास तक मजदूरी पाने वाले व्यक्तियों पर विस्तार आदि, करने में संशोधन किए जाने हेतु एक विधेयक संसद में पहले ही पेश किया गया है। लालाप्पा लिंगाप्पा तथा अन्य बनाम लक्ष्मी विष्णु टैक्सटाइल मिल्स, शोलापुर के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में अधिनियम में और संशोधन करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों पर कार्यवाही की जा रही है।

दूरदर्शन पर विज्ञापन के माध्यम से अर्जित राजस्व

299. श्री जार्जफर्नांडिस : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में लाइसेंस-शुदा टेलीविजन सेटों की संख्या कितनी है;

(ख) लाइसेंस शुल्क, विज्ञापनों, प्रायोजित कार्यक्रमों तथा रायल्टी आदि के माध्यम से प्रति वर्ष कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया; और

(ग) संस्थापना संचालन तथा अन्य मदों पर कार्य सहित प्रति वर्ष कुल कितना व्यय होता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1981-82 में टी० वी० लाइसेंसों की संख्या 18.43 लाख थी।

(ख) 1981-82 में (1) लाइसेंस शुल्क के माध्यम से 8.82 करोड़ रुपए, (2) विज्ञापनों और प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से 9,53,61,22 रुपए और (3) रायल्टी के माध्यम से शून्य राजस्व अर्जित हुआ था।

(ग) 1981-82 के दौरान दूरदर्शन विज्ञापन सेवा पर हुआ कुल व्यय 1,77,36,900/-रुपए था।

धनबाद क्षेत्र में सीधी डायलिंग प्रणाली

300. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला माफिया दल तथा समाज विरोधी तत्वों और अन्य अपराधियों के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्यवाही करने, और जिला धनबाद तथा 5 से 25 किलोमीटर तक फैली बी. सी. सी. एल व अन्य औद्योगिक कोयला खानों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए आसनसोल काम्पलेक्स टेलीफोन प्रणाली की तरह सीधी डायलिंग प्रणाली व्यवस्था करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान दोषपूर्ण ट्रंक प्रणाली, जिसके अधीन कोयला खानों के क्षेत्रों तथा अन्य केन्द्रीय संस्थानों के लोगों को जी. टी. रोड गोविन्दपुर अन्य स्थानों में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धनबाद के बिजली अधिकारियों से सम्पर्क करने में 4 से 5 घटे लग जाते हैं, को बदलने और धनबाद को सीधी डायलिंग प्रणाली उपलब्ध कराने का है, ताकि लोगों की बार-बार की जा रही मांग अविलम्ब पूरी की जा सके ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटील) : (क) बिहार कोयला खान क्षेत्र के 9 एक्सचेंजों में से 5 एक्सचेंजों में सीधी डायलिंग सुविधा पहले से ही मौजूद है। शेष एक्सचेंजों को भी उत्तरोत्तर जोड़ दिया जाएगा जो कि परियात और साधन एवं उपस्कर की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ख) जब तक 7 वीं योजना के आरम्भ में गोविन्दपुर के निकट एक बडा मुख्य एक्सचेंज स्थापित नहीं हो जाता तब तक संशोधित निष्पादन के साथ वर्तमान ट्रंक प्रणाली चालू रहेगी।

अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम आयोग का सुझाव

301. **श्री बालकृष्ण वासनिक** :

श्री के० मलन्ना : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सरकार को आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम की पुनरीक्षा करने तथा हड़ताल की पाबन्दी वाली सेवाओं की संख्या में कमी करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) :(क) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय ने यह आशा व्यक्त की थी कि भारत सरकार इस प्रकार की पुनरीक्षा की संभावना के बारे में विचार करेगी।

(ख) इस अवस्था पर इस विधान की पुनरीक्षा करना आवश्यक नहीं समझा गया और इस प्रकार की पुनरीक्षा आवश्यक भी प्रतीत नहीं होती क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं कि इस अधिनियम का अवलम्ब केवल आवश्यक इन्तहाई अत्यावश्यकता के मामलों में ही लिया जाए।

राज्यों में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करना

302. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1983 और 1984 के दौरान विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने का निर्णय किया है या स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1975 से 1982 के दौरान प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की कितनी न्यायपीठ स्थापित की गई है;

(घ) क्या गुजरात तथा अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए 1980 से 1982 के दौरान जनता, राज्य सरकारों, बार एसोसिएशनों, विभिन्न संगठनों तथा संस्थानों और वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक मांग तथा उपर्युक्त प्रत्येक से प्राप्त अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है; और

(च) प्रत्येक अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ङ) 1975 से 1982 के दौरान उच्च न्यायालय की निम्नलिखित स्थायी न्यायपीठों की स्थापना की गई :

राज्य का नाम	न्यायपीठ और उच्च न्यायालय का नाम	तारीख जिससे न्यायपीठ ने कार्य करना आरम्भ किया
बिहार	रांची (पटना)	19-4-1976
राजस्थान	जयपुर (राजस्थान)	1-1-1977
महाराष्ट्र	गोवा (बम्बई)	30-10-1982

2. विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना करने के लिए विभिन्न वर्गों द्वारा अभ्यावेदन/ज्ञापन दिए गए हैं और मांग की गई है।

3. जहाँ तक गुजरात राज्य का सम्बन्ध है, श्री पटेल रामजी भाई बी० मावाणी, संसद सदस्य (लोक सभा) ने मई, 1981 में सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना के लिए तत्कालीन केन्द्रीय विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री को एक पत्र लिखा था। विधान सभा सदस्यों/बार एसोसिएशनों आदि ने राजकोट, सूरत और बड़ौदा में न्यायपीठों की स्थापना के लिए राज्य सरकार को अभ्यावेदन दिया है। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। केन्द्रीय सरकार ऐसे विषय पर राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार करती है।

4. जहां तक अन्य राज्यों का सम्बन्ध है, स्थिति निम्न प्रकार है :

(I) केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना

राज्य सरकार ने त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना का प्रस्ताव सितम्बर, 1971 में भेजा था। कुछ कानूनी परामर्श पूरा करने के लिए उन्हें जुलाई, 1973 में पत्र लिखा गया था। राज्य सरकार ने जून, 1976 में सूचित किया कि वह उस विषय पर अभी विचार कर रही है। उसके बाद उससे कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(II) मद्रास उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना

राज्य सरकार ने मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना का प्रस्ताव सितम्बर, 1977 में भेजा था। कुछ ऐसे परामर्शों को, जिनको पूरा किया जाना आवश्यक था, पूरा करने के पश्चात् तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जुलाई, 1980 में पुनः यह प्रस्ताव किया कि मद्रास उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ मदुरै में स्थापित की जाए। इस विषय पर भारत सरकार विचार कर रही है।

(III) बम्बई उच्च न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना

जनवरी, 1977 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमन्त्री ने औरंगाबाद में एक स्थायी न्याय पीठ की स्थापना का प्रस्ताव किया था। राज्य सरकार से कुछ परामर्शों को पूरा करने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार ने अप्रैल, 1978 में सुझाव दिया था कि बम्बई उच्च न्यायालय की दो न्यायपीठ स्थापित की जाएं, जिसमें से एक औरंगाबाद में और दूसरी पुणे में हो। किन्तु राज्य सरकार ने अपने तारीख 28 फरवरी, 1981 के पत्र में सूचित किया है कि एक स्थायी

न्यायपीठ औरंगाबाद में स्थापित की जाए। अभी इस विषय पर विचार किया जा रहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद में एक सर्किट न्यायपीठ स्थापित कर दी। केन्द्रीय सरकार औरंगाबाद में स्थायी न्यायपीठ का सृजन करने के लिए सहमत हो गई है और उसने राज्य सरकार को ऐसे विभिन्न प्रशासनिक प्रबन्ध करने के लिए लिखा है जिन्हें किया जाना अपेक्षित है।

(IV) गौहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की अगरतला और इम्फाल में स्थापना

त्रिपुरा और मणिपुर के मुख्यमन्त्रियों ने यह अनुरोध किया है कि गौहाटी उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठें अगरतला और इम्फाल में स्थापित की जाएं। गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1971 की धारा 31 (3) के अधीन प्रबन्ध किया है, जिसके अनुसार गौहाटी उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अगरतला और इम्फाल में उपलब्ध रहता है। जब आवश्यक समझा जाता है तब खण्ड न्यायपीठ का गठन किया जाता है। किन्तु मुख्यमन्त्रियों ने इच्छा व्यक्त की कि पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1971 की धारा 31 (2) के अधीन स्थायी न्यायपीठों की स्थापना की जाए। अगरतला और इम्फाल में कार्य की मात्रा को देखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 31 (2) के अधीन स्थायी न्यायपीठ का औचित्य नहीं है।

(V) गौहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की कोहिमा में स्थापना

नागालैंड सरकार ने अक्टूबर, 1971 में प्रस्ताव भेजा था कि गौहाटी उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ कोहिमा में स्थापित की जाए। इस समय वहां एक सर्किट न्यायपीठ कार्य कर रही है। कार्य की मात्रा को देखते हुए स्थायी न्यायपीठ का औचित्य नहीं है।

(VI) गौहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की मेघालय में स्थापना

मेघालय में कार्य की मात्रा को देखते हुए पृथक् न्यायपीठ का औचित्य नहीं है।

(VII) कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की हुबली धारवाड़ में स्थापना

कर्नाटक सरकार ने प्रस्ताव किया था कि हुबली धारवाड़ में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना की जाए। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से 15 सितम्बर, 1981 के पत्र द्वारा विस्तृत जानकारी मांगी गई थी, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस विषय में आगे कार्रवाई राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने पर की जाएगी।

(VIII) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिए स्थापना

राज्य सरकार ने भारत सरकार से सिफारिश की है कि उत्तर प्रदेश के उन पश्चिमी जिलों के लिए एक न्यायपीठ स्थापित करने के लिए विधान तैयार किया जाए, जो गढ़वाल, मेरठ, आगरा, मुरादाबाद, बरेली और कुमायूं के कमिश्नरी डिवीजनों में समाविष्ट हैं। उसमें

प्रस्तावित न्यायपीठ के स्थान के बारे में निर्णय भारत सरकार पर छोड़ दिया है। राज्य सरकार ने भारत सरकार से यह अनुरोध भी किया है कि वह इस विषय के सभी पहलुओं पर विचार करके आवश्यक कार्रवाई करे। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिए एक न्यायपीठ के गठन की मांग से उत्पन्न होने वाली सभी बातों पर और राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री जसवन्त सिंह की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की है। आयोग की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

कोल इण्डिया लि० तथा अन्य कोयला कम्पनियों के कार्यकरण की जांच के लिए समिति

303. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रही कोल इण्डिया लि. भारत कोकिंग कोल लि० तथा अन्य कोयला कम्पनियों के कार्यों की जांच के लिए सरकार एक समिति गठित करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक गठित की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) योजना आयोग के सदस्य श्री मोहम्मद फजल की अध्यक्षता में गठित जिस विशेषज्ञ समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ कोयला उद्योग की कार्य प्रणाली का अध्ययन किया था उसकी सिफारिशों पर कोल इण्डिया और इसकी सहायक कम्पनियों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में कुछ निर्णय लिए जा चुके हैं।

तेल की पाइप लाइन में लीकेज

304. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय टैंक फार्म और पम्पिंग स्टेशनों पर दबाव गेजों की निरन्तर निगरानी रखने की प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो पाइप लाइन में चोरों द्वारा की गई लीकेज का तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को 36 घण्टे के बाद भी उस समय तक पता क्यों नहीं लगा जब एक किसान ने सूचित किया था कि जिसके खेत में 4 से 18 इन्च तक खनिज तेल रिस गया था; और

(ग) कितने खनिज तेल की हानि हुई है और क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने उस किसान को मुआवजा दिया है जिसके खेतों को हानि हुई है और क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों का इसमें हाथ है, क्योंकि अन्यथा पाइपलाइन के रास्ते का पता चलना सम्भव नहीं है और गुप्त सूचना के बगैर कोई भी उसमें गड़बड़ नहीं कर सकते ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) दबाव गेजों द्वारा छोटी मोटी लीकेज का पता लगाना सम्भव नहीं है :

(ग) खनिज तेल की हानि की मात्रा लगभग 50 घन मी. टन है। मुआवजे के लिए किसान के आवेदन पत्र पर कार्रवाई की जा रही है। मामला राज्य पुलिस के पास जांच के लिए पड़ा हुआ है। प्रत्येक 100 मी. पर लाइन के रास्ता बताने वाला निशान पत्थर लगाया गया है।

समाचार-पत्र विकास आयोग स्थापित करना

305. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय प्रेस आयोग ने एक समाचार पत्र विकास आयोग स्थापित करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां, ब्योरा द्वितीय प्रेस आयोग की रिपोर्ट जिसकी प्रति लोक सभा की मेज पर 5 नवम्बर, 1981 को रखी गई थी, के अध्याय आठ के पैरा 75-79 में निहित है।

(ग) सिफारिश पर विस्तार से विचार किया गया है, किन्तु अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

विद्युत क्षेत्र में परियोजना प्रबन्ध सम्बन्धी सेमिनार की सिफारिशें

306. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1982 में नई दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में परियोजना प्रबन्ध के बारे में कोई सेमिनार हुई थी;

(ख) यदि हां, तो सेमिनार में क्या-क्या सिफारिशें की गई थीं; और

(ग) जल और ताप विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने हेतु देश में समानुरूपता को सुनिश्चित करने तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की बाधाओं और अड़चनों को समाप्त करने लिए समयावधि और लागत सम्बन्धी राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा जीवन रक्षक औषधियों के निर्माण में गिरावट

307. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों से बाहुर्राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा जीवन रक्षक औषधियों का निर्माण तेजी से समाप्त होता जा रहा है क्योंकि इन औषधियों से उन्हें अधिक लाभ नहीं होता;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त का ब्यौरा सभा पटल पर रखेगी;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कम से कम प्रमुख भारतीय कम्पनियों को इन औषधियों के निर्याण की अनुमति दी जाए और उन्हें इसके लिए सहमत कराया जाए ताकि कमजोर वर्गों के लोगों को उन औषधियों के बदले उन्हीं कम्पनियों द्वारा बनाई गई महंगी औषधियां न खरीदने पड़ें, पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह की तोड़फोड़ जीवन रक्षक औषधियों के क्षत्र में इस वर्ष न हो, यदि कोई योजनायें बनाई गई हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) कुछ ऐसी विदेशी कम्पनियां है जिनको श्रेणी-I और II के किसी फार्मूलेशन का निर्माण करने के लिये लाइसेंस नहीं दिये गये है । ये कम्पनियां हैं मे. आर्गेनान (इन्डिया) लि., ई. मर्क (इन्डिया) लि., यूनि-सेक्यों लि., रोश प्रोडक्ट्स लि., एस्के लैब्स, भूतपूर्व स्मिथ क्लाइनं एण्ड फ्रेन्च (आई.) लि. आदि । कुछ अन्य विदेशी कम्पनियों द्वारा श्रेणी-I और II फार्मूलेशनों का उत्पादन दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है । विवरण पत्र दर्शाता है कि इन कम्पनियों द्वारा उत्पादन में कोई युक्तिसंगत कटौती नहीं की गई ।

(ग) और (घ) आवश्यक समझे जाने वाले श्रेणी-I और II के फार्मूलेशनों की पर्याप्त उपलब्धता है । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा अनेक भारतीय कम्पनियां और लघु एकक भी श्रेणी-I और II के फार्मूलेशनों का उत्पादन कर रहे है । सरकार न केवल श्रेणी-I और II के फार्मूलेशनों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिये ही वचनबद्ध है किन्तु उपभोक्ताओं को उन्हें उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिये भी वचनबद्ध है ।

विवरण

क्र.सं.	विदेशी कम्पनी का नाम	उत्पादन का नाम	इकाई	उत्पादन			टिप्पणियां
				1980	1981	1982	
1.	मै. हिन्दुस्तान सी बा गैंगी	एण्टरोवियाफार्म गोलियां	50 × 10	178118	40087	420622	कम्पनी ने दर्शाया है कि उन्होंने उत्पादन में कटौती नहीं की है किन्तु श्रमिक समस्याओं के कारण 1980 और 1981 में हुआ उत्पादन 1982 दिसम्बर तक में हुये उत्पादन की तुलना में काफी कम हैं।
		एसिडैक्स गोलियां 25 मि.ग्र.	10 × 10	38041	शून्य	62848	
		एसिडैक्स गोलियां 50 ,,	10 × 10	37487	,,	69702	
				1980-81	1981-82	1982-83	
2.	मै. बैयर (इं) लि•	लूमिनल 100 मि.ग्रा. गोलियां	मिलियन	1.2	शून्य	शून्य	कम्पनी ने दर्शाया है कि 1981-82 के दौरान उनके कारखाने में तीन माह की तालाबंदी थी।
		,, 30 ,, ,,	,,	25.6	3.2	3.2	
		,, गोलियां	,,	7.0	4.0	4.0	
		रैशोविस गोलियां ,,	,,	120.8	79.0	100.5	
		,, बोल (एम्पस)	,,	1.729	1.391	2.107	
				1980	1981	1982	
3.	मै. मर्क शार्प एण्ड डोमे आफ (इं) लि.	मर्क्सटैप 11 इन्जेक्शन (वियल्स)	लाख	80.99	80.39	19.86	
		सेपिन-5 (वियल्स)	,,	0.27	शून्य	शून्य	
		ट्राइसिन कैप्सूल	,,	शून्य	27.99	25.74	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	मै. ग्लैसो लैबोरेटरिज	ट्रिपल एन्टीजन केप्सूल	1मलियन	2.1	2.3	2.2	
		क्रिस्टोपेने-I गोलियां	वही	2.5	1.2	शून्य	
		टेटनस टोक्सोइड एम्पूल्स	वही	3.2	5.1	5.9	
		पिपराजइन गोलियां	वही	22.5	21.4	17.0	
		पिपराजाइन सिरप	लिटर	175.6	166.7	139.7	
		डेल्टा एप्क्रोलिन गोलियां	मिलियन	1.9	2.9	1.5	
				1980-81	1981-82	1982-83	(दिसम्बर 1982)
5.	मै. मै एन्ड बेकर (इं) लि.	ओरेसिन के. 85 मि.ग्रा. गोलियां	10 के पत्ते	2.22 लाख	1.68 लाख	—	
		ओरेसिन के. 130 मि.ग्रा. गोलियां	10 ,,	5.35 ,,	7.39 ,,	—	
		गार्डनल 30 मि.ग्रा. गोलियां	500 ,,	1.76 ,,	2.86 ,,	1.38 लाख	
		,, 60 मि.ग्रा. गोलियां	500 ,,	0.56 ,,	0.82 ,,	1.37 ,,	
		निवेक्विन 200 मि.ग्रा. गोलियां	4 ,,	75.62 ,,	126.59 ,,	116.20 ,,	
		,, टीके	किलो लि.	26.75	34.50	19.35	
		थेलानोल	10 के पत्ते	21.56 लाख	36.77 लाख	7.74 लाख	

बिजली की अत्यधिक क्षति का कारण पारेषण लाइनों पर कम निवेश का होना

308. **श्री ईरा अनबारासू** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में पारेषण पर निवेश, बिजली के क्षेत्र में किए कुल परिव्यय का मात्र 25 प्रतिशत है, जो हमारे देश में बिजली की अत्यधिक क्षति का संभवतया मुख्य कारण हैं;

(ख) क्या ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और जापान में बिजली के क्षेत्र में कुल परिव्यय के 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत, पारेषण और वितरण पर निवेश किया जाता है, जहां पारेषण क्षति न्यूनतम है; और

(ग) यदि हां, तो भारत में पारेषण और वितरण पर निवेश में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने राज्यों को कहा है कि उपलब्ध सीमित स्रोतों के अन्तर्गत पारेषण तथा वितरण हानियों में सम्भावित अधिकतम कमी करने की दृष्टि से, विशिष्ट प्रणाली सुधार परियोजनाओं का पता लगाया जाये तथा उन्हें कार्यान्वित किया जाये।

अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य

309. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन वर्ष 1982 के लिए निर्धारित लक्ष्य से काफी कम रहा;

(ख) यदि हां, तो क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा कितनी कितनी अतिरिक्त क्षमता पैदा की गई; और

(ग) कमी के यदि कोई कारण थे तो वे क्या थे ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 1982 के लिए अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का लक्ष्य 3507 मेगावाट निर्धारित किया गया था, इसमें कुल मिलाकर 3457 मेगावाट क्षमता चालू रोल की गई। इस प्रकार उपलब्धि लगभग 98·6% थी। इस अवधि के दौरान निम्नलिखित दो यूनिटों को कार्यक्रम के अनुसार चालू नहीं किया जा सका :—

(1) लोकतक जल विद्युत परियोजना यूनिट-I (35 मेगावाट)। हैड रेस सुरंग को पूरा करने में विलम्ब के कारण इस यूनिट को चालू करने में विलम्ब हुआ।

(2) लकवा गैस टर्बाइन यूनिट-3 (15 मेगावाट)। कुछ आयतित संघटकों के प्राप्त न होने के कारण इस यूनिट को चालू करने में विलम्ब हुआ।

केरल में बिजली की कमी

310. **श्री एम० रमन्ना राय** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में बिजली की बहुत कमी है और परिणाम-स्वरूप बिजली में कटौती की जाती है और इसके कारण उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) बिजली की कटौती से सरकारी क्षेत्र के किन उपक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या केरल सरकार ने उस राज्य में बिजली की स्थिति के सुधार में सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार को विशिष्ट प्रस्ताव भेजे है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) बिजली की कटौती से किसी भी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) वर्तमान विद्युत कमी को दूर करने में सहायता करने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

"इलेक्ट्रोनिक स्विचिंग" प्रणाली का लागू किया जाना

311. **श्री के० ए० राजन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन उद्योग में इलेक्ट्रोनिक स्विचिंग प्रणाली लागू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि नेशनल काउंसिल आफ अप्लाइड इकोनामिक रिसर्च (एन.सी.ए.ई.आर.) ने इस प्रणाली को लागू करने के विरुद्ध सचेत किया है;

(घ) यदि हां, तो किन आधारों पर तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) अनुमोदित नीति के अनुसार देश में इलेक्ट्रानिक स्विचन प्रणाली की दो बड़ी फैक्टरियां स्थापित की जानी हैं, जिसमें प्रत्येक की वार्षिक उत्पादन क्षमता 500,000 लाइनों की होगी।

पालघाट इलेक्ट्रोनिक स्विचन प्रणाली फैक्टरी का, जो कि भारतीय टेलीफोन उद्योग की ही यूनिट है, 150,000 लाइनों (स्वचल ट्रंक एक्सचेंज, छोटे ग्रामीण एक्सचेंज और पी ए बी एक्स, आदि) का उत्पादन करने के लिए विस्तार किया जाना है।

(ग) एन.सी.ए.ई.आर. ने अपना यह अभिप्राय प्रकट किया है कि "भारत में विद्यमान भारी परियात की स्थिति के लिए भारतीय टेलीफोन प्रणाली अनुपयुक्त है और यही उसकी अक्षमता का मुख्य कारण रहा है। ऐसी स्थिति में उन्नत देशों में विकसित अधिकांश प्रणाली के असफल होने की सम्भावना बनी रहती है।

(घ) किसी विदेशी प्रणाली का चयन करते समय उसका भारतीय परियात के वातावरण के लिए उपयुक्त होना अनिवार्य मानदंडों में से एक है।

कंकरतला तथा कालिदासपुर कोयला खानों का कार्य बन्द किया जाना

3।2 **डा० सरदीश राय:** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगला में कंकरतला और कालिदासपुर की दोनों कोयला खानों को खोलने के कार्य को रोक देने के आदेश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या प्रत्येक परियोजना की नींव रखी गई थी और प्रत्येक नींव पर धनराशि खर्च की गई थी;

(ग) प्रत्येक परियोजना पर अब तक अलग-अलग कितना धन खर्च किया गया है;

(घ) क्या राज्य सरकार को इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने को कहा गया था; और

(ङ) काम रोक देने के ऐसे आदेश देने के क्या कारण हैं तथा ऐसे आदेशों से अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयले की उपलब्धता सम्बन्धी राज्य के अनुमानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ङ) कोलियरी कम्पनी ने सरकार से परियोजनाओं की मंजूरी मिलने तक कंकरतला और कालीदासपुर में अग्रिम कार्रवाई स्थगित करने के लिए आदेश जारी किए गए थे जिसका कारण यह था कि कोयले की पक्की मांग प्राप्त नहीं हुई थी। अगली पंचवर्षीय योजना में कोयले की उपलब्धता इससे प्रभावित नहीं होगी।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरक संयंत्र लगाने का प्रस्ताव

3।3. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 में कितने उर्वरक संयंत्र लगाने का विचार है;

(ख) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां उपरोक्त उर्वरक संयंत्र खोलने का विचार है;

(ग) उपरोक्त उर्वरक संयंत्रों में से प्रत्येक की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) उपरोक्त संयंत्रों को लगाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) वर्ष 1983-84 के दौरान सरकारी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के गूना जिले में गैस पर आधारित एक उर्वरक संयत्र का कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है ।

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत अन्तिम रूप से 6 '0 करोड़ रुपये लगायी गयी है ।

(घ) निवेश-निर्णय के लिए अपेक्षित तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गयी है । वित्त प्रबन्ध तथा अन्य व्यवस्थाओं को अन्तिम रूप देने का कार्य चल रहा है ।

नागार्जुन उर्वरक कारखाने की प्रगति

314. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुन उर्वरक कारखाना बनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा होगा ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) मै. नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (एन. एफ. सी. एल.) को फीड-स्टाक के रूप में ईंधन तेल पर आधारित यूरिया का निर्माण करने के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस 3.6.1978 को जारी किया गया था । लाइसेंस की बढ़ाई गई अवधि 3.6.1982 को समाप्त हो गई है । कम्पनी ने लाइसेंस की अवधि बढ़ाने और फीड-स्टाफ के रूप में नैप्था के प्रयोग की अनुमति के लिये लाइसेंस में संशोधन करने का अनुरोध किया है ।

सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार केवल उन अन्दरुनी क्षेत्रों में फीड स्टाक के रूप में नैप्था के प्रयोग की अनुमति दी जाती है जहां निपटान की पद्धति मितव्ययी नहीं है । यदि इस क्षेत्र में गैस की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने की पुष्टि हो जाये तो एन. एफ. सी. एल. के आवेदन पर विचार किया जा सकता है ।

उड़ीसा में गांवों का विद्युतीकरण

315. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में विद्युतीकरण के लिए चल रहे कार्यक्रम की तुलना में वर्ष 1982-83 के दौरान अब तक जिलावार कितने गांवों का विद्युतीकरण हुआ है;

(ख) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के लिए शुरू किये जा रहे कार्यक्रम का जिलावार ब्योरा क्या है और इन कार्यक्रमों तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यक्रमवार, कितने गांव लाभान्वित होंगे;

(ग) क्या यह सच है कि उड़ीसा के कालाहांडी और फूलबनी जिले ग्रामीण विद्युतीकरण प्रतिशतता में सबसे नीचे हैं; और

(घ) यदि हां, तो गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित जिलों में कौन से विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कोडैकेनाल, तमिलनाडु में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

316. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को कोडैकेनाल में दूरदर्शन केन्द्र के लिए भूमि सौंप दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कोडैकेनाल में दूरदर्शन केन्द्र की शीघ्र स्थापना हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) भवन के नक्शों को अन्तिम रूप दे दिया गया है तथा प्राक्कलन तैयार कर लिए गए हैं। प्रेषण और स्टूडियो उपकरणों के लिए आर्डर दे दिया गया है। मद्रास-कोडैकेनाल के बीच माइक्रोवेव लिंक हासिल करने के लिए डाक-तार विभाग को पक्की मांग भेज दी गई है। नागरिक विमानन प्राधिकारियों से आवश्यक स्वीकृति पहले ही ली जा चुकी है।

केरल में प्रयुक्त पन-बिजली की अद्यतन क्षमता

317. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में कितनी पन बिजली क्षमता का अब तक उपयोग किया गया है; और

(ख) केरल में अब कौन सी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और कौन सी परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) केरल राज्य में वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता 1011.5 मेगावाट है।

(ख) निर्माणाधीन परियोजनाओं तथा केन्द्र सरकार से स्वीकृति के लिए रुकी पड़ी परियोजनाओं के सम्बन्ध में सूचना क्रमशः विवरण एक और दो में दी गई है।

विवरण-I

केरल में निर्माणाधीन/क्रियान्वयनाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1.	इदामलयार	2×37.5
2.	कक्कड	2×25
3.	इदुक्की चरण-दो	3×130

4.	इदुक्की चरण-तीन	अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए व्यपवर्तन परियोजना
5.	कल्लड	2 — 7.5
6.	साबिरीगिरी विस्तार	अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए

टिप्पणी : इन परियोजनाओं के अतिरिक्त 3 — 60 मेगावाट की क्षमता प्रतिष्ठापित की लोअर पेरियार परियोजना आयोग द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।

विवरण-II

केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु पड़ी केरल की जल-विद्युत परियोजनाएं

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा०)
1.	करापारा कुरियार कुट्टी	$1\times 15+1\times 20+2\times 3=95$
2.	पडियार पुन्ना पूझा	$2\times 35=70$
3.	मनन्थवाडी	$4\times 60=240$
4.	पुयान कुटी	$2\times 30+2\times 45+2\times 40+4\times 120=750$
5.	चालकुडी चरण-2	$2\times 40+2\times 60=200$
6.	साइलैंट वेली	$2\times 60=1.0$
7.	कुटियाडी विस्तार	अतिरिक्त ऊर्जा में लिए व्यपवर्तन परियोजना

गोवा में दूरदर्शन रिले कार्यक्रम का त्रुटिपूर्ण ट्रांसमिशन

318. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में आरम्भ किया गया दूरदर्शन रिले ट्रांसमिशन त्रुटिपूर्ण है और उस क्षेत्र के कई भागों में उसका कार्यक्रम नहीं पहुचता; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पणजी में वर्तमान दूरदर्शन सेवा अन्तरिम है। यह 20 किलोमीटर की परिधि को कवर करती है।

(ख) छठी योजना के अन्त तक पणजी में 10 किलोवाट का एक टी. वी. ट्रांसमीटर चालू किया जा रहा है। इससे यह अजीद की जाती है कि यह समूचे गोवा क्षेत्र में सेवा उपलब्ध करेगा।

वे राज्य जिनमें बिजली की कमी है तथा वे राज्य जो बिजली के मामले में आत्म-निर्भर हैं

319. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें बिजली की कमी है तथा जो बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं; और

(ख) जिन राज्यों में बिजली का अभाव है उन्हें आवश्यकतानुसार बिजली की सप्लाई के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं और बिजली उत्पादन की क्षमता तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए नई यूनिटें सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जनवरी, 1983 महीने के दौरान विभिन्न विद्युत प्रणालियों में विद्युत की प्रत्याशित आवश्यकता, सप्लाई तथा कमियां उपाबध-एक में दी गई हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5799/83]

(ख) विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए ताप विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने और नई विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने के लिए उपाय किए गए हैं। फालतू विद्युत वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को विद्युत का अन्तरण करने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। निर्माणाधीन जल विद्युत और ताप परियोजनाओं का ब्यौरा उपबन्ध दो और तीन में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०5799/83]

हिमाचल प्रदेश में माइक्रो जल विद्युत योजनाएं

320. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में बिजली का उत्पादन करने के लिए छोटी-छोटी नदियों पर किन्हीं माइक्रो जल विद्युत योजनाओं की मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में जिले-वार ऐसे कौन-कौन से स्थान हैं और प्रत्येक योजना का, अनुमानित व्यय सहित ब्यौरा क्या है तथा परियोजनाओं का कार्यान्वयन आरम्भ करने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में किन्हीं ऐसी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना विवरण में दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

हिमाचल प्रदेश की इस समय निर्माणाधीन माइक्रो/मिनि/लघु जलविद्युत स्कीमें

स्कीम का नाम	जिला	प्रतिष्ठापित क्षमता (संख्या किलो-वाट)	कुल क्षमता (किलोवाट)	अनुमानित लागत (लाख रु० में)	योजना आयोग द्वारा स्वीकृति की तारीख
आन्ध्रा	शिमला	3 × 5000	15,000	974.23	21.9.1976
बिन्वा	कांगड़ा	3 × 2000	6,000	432.29	21.9.1976
रोंगटोंग	लाहोल स्फीति	4 × 500	2,000	281.00	20.9.1976
बानेर	काँगड़ा	2 × 3000	6,000	720.46	11.9.1981
थिरोट	लाहोल स्फीति	3 × 1000	3,000	434.50	1.5.1982
गाज	कांगड़ा	3 × 3500	10,500	1286.00	1.5.1982
चम्बा विस्तार	चम्बा	1 × 250	250	42.68	राज्य द्वारा अपनी शक्तियों के अंतर्गत शुरू कर दी गई है ।

सलाल पन बिजली परियोजना

321. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) सेन्ट्रल सेक्टर में 3×1'5 मेगावाट की सलाल पनबिजली परियोजना में कितना समय और धन निर्धारित सीमा से अधिक लग गया; और

(ख) उसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) सलाल जल विद्युत परियोजना के लिए 345 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता की लागत की 1978 में 222.15 करोड़ रुपये अनुमान लगाया गया था, तथा इसकी पहली यूनिट मार्च, 1982 में चालू करने की आशा थी । पहले यूनिट को अब दिसम्बर, 1985 में चालू करने की सम्भावना है । परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत 431 करोड़ रुपये है ।

(ख) मुख्य कारण इस प्रकार हैं—

(1) अप्रत्याशित भूवैज्ञानिक कारण ।

(2) कठिन भू-वैज्ञानिक परिस्थितियां ।

(3) कार्यों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन ।

(4) सामग्री, उपस्कर और श्रम लागतों में वृद्धि ।

बाल श्रमिक रोजगार

322. **श्री आनंद पाठक** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में "ढाबों" (खाने के स्थानों) में हजारों बालक रोजगार में लगे हैं, किन्तु उन्हें कार्य घंटों से अधिक घंटों तक काम करना पड़ता है, उन्हें बीच में आराम करने के लिए समय नहीं दिया जाता है तथा दिल्ली दुकान तथा स्थापना अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उल्लंघन करके उन्हें खराब से खराब सेवा स्थितियों में काम करने को कहा जाता है;

(ख) क्या देश के अन्य भागों में तथा अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के कार्य कराये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले की विस्तृत जांच करने और ऐसे बाल श्रमिकों के हितों की रक्षा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) सरकार को दिल्ली के छोटे-छोटे ढाबों और जलपान-गृहों में बच्चों के नियोजित किए जाने की जानकारी है । दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 में बच्चे की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में की गई है जो 12 वर्ष की आयु का न हुआ हो । बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में कार्यघंटों का उल्लंघन किए जाने की दिल्ली प्रशासन के पास कोई शिकायत नहीं की गई है ।

(ख) यह सूचना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है ।

(ग) बाल श्रम सम्बन्धी गुरु पद स्वामी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में बाल श्रम सम्बन्धी एक केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड नियुक्त किया गया है, ताकि वह बाल श्रम सम्बन्धी समस्याओं के बारे में सरकार को सलाह दे सके । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए राज्य/जिला स्तर पर बाल श्रम सलाहकार बोर्ड स्थापित करें । इनके अतिरिक्त, उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे बच्चों के नियोजन से सम्बन्धित श्रम कानूनों को कड़ाई से लागू करने के लिए वर्तमान तन्त्र को मजबूत बनाएं ।

बरौनी में पेट्रो-केमिकल्स काम्पलेक्स एंड केप्रोलेक्टम परियोजना

323. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी. ए. एस. एफ, जर्मनी के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने मई, 1982 तथा नवम्बर, 1981 में बिहार का दौरा किया था और बिहार में पेट्रो-केमिकल्स काम्पलेक्स और एक 'केप्रोलेक्टम' परियोजना की स्थापना के लिए भारत सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी;

(ख) क्या यह सच है कि बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना 1960 में इस आशय से की गई थी कि बरौनी में एक पेट्रो-केमिकल्स काम्पलेक्स की स्थापना हो;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार द्वारा गठित एक तकनीकी समिति ने पहले ही बरौनी स्थान चुने जाने के पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी; और

(घ) इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) सरकार को कोई ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। बी. ए. एस. एफ. इंडिया लि. द्वारा केप्रोलेक्टम के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ख) बरौनी शोधनशाला की स्थापना मुख्यत: शोधित पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए स्वदेशी कच्चे तेल के परिशोधन के लिए की गई थी।

(ग) वर्ष 1981 में स्थल चयन समिति ने बिहार में एक बड़े पेट्रोरसायन परियोजना के निर्माण के लिए सिफारिश की थी।

(घ) निर्णय शीघ्र लिए जाने की संभावना है।

तमिलनाडु और कर्नाटक में बिजली की कमी

324. **श्री टी० आर० शन्ना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में बिजली की भारी किल्लत की जानकारी है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उद्योगों, श्रमिकों और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की कमी के कारण हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपाय करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में विद्युत की कमी का मुख्य कारण वर्षा का न होना है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन ताप विद्युत केन्द्र के लिए हल्दिया पोर्ट से कोयले की सप्लाई बढ़ा दी गई है और नेवेली ताप विद्युत केन्द्र के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कर्नाटक को महाराष्ट्र से लगभग 100 मेगावाट की सहायता दी जा रही है।

राजस्थान में तेल की खोज

325. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसलमेर जिले में विशेषरूप से जैसलमेर जिले के आधे दक्षिणी क्षेत्र में गोतारी में छिद्रण कार्य में वहां तेल और गैस की खोज तथा छिद्रण कार्य में हुई प्रगति के बारे में सूचना का ब्योरा क्या है; और

(ख) राजस्थान में तलछटी बेसिनों में बाडमेर, बीकानेर तथा नागौर में तेल और गैस की खोज में हुई प्रगति के बारे में सूचना का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) व (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अब तक राजस्थान के जैसलमेर जिले में 17 अन्वेषी कूप खोदे हैं। तथापि इस क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन के वाणिज्यिक भण्डार नहीं मिले हैं। गोतारू कूप की खुदाई 3548 मीटर की गहराई तक पूरी कर ली गई है और इस समय उसमें परीक्षण किया जा रहा है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस द्वारा जोधपुर से पश्चिम की तरफ राजस्थान के पश्चिमी कगार के समग्र क्षेत्र का भूवैज्ञानिक रूप से मानचित्र किया गया है, 17890 वर्ग किलोमीटर का टोह सर्वेक्षण, 25110 वर्ग किलोमीटर का अर्ध विस्तृत मानचित्रण, 3584 वर्ग कि. मी. का विस्तृत भूवैज्ञनिक सर्वेक्षण और 1734 किलोमीटर का तिरछे गुरूत्व चुम्बकीय सर्वेक्षण शाहगढ़, जैसलमेर मारी आर्क और किशनगढ़ कगार में आयोजित किये गये हैं जिनको पूर्व में नागौर तक और बढ़ाया गया है; स्टेशनों की कुल संख्या 35469 है। चुने हुए सम्भावी क्षेत्र में 3554 लाईन कि. मी. से अधिक भूकम्पीय सर्वेक्षण आयोजित किये गये। जहां तक जैसलमेर बेसिन के उत्तरी अर्ध का सम्बन्ध है, इसको अभी हाल में आयल इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया है। व्यधन परिसंचालनों का आरंभ करना भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य पूरा करने के पश्चात् संरचनाओं की पहचान पर निर्भर करेगा।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने बीकानेर नागौर बेसिन में भूमि के भीतर स्ट्रेटीग्रैफिक और संरचनात्मक सूचना प्राप्त करने के लिए एक संरचनात्मक कूप (पूगल-1) खोदा है। इस कुएं से तेल अथवा गैस के विद्यमान होने के संकेत नहीं मिले हैं। बाड़मेर क्षेत्र को कम सम्भावना वाले क्षेत्र का दर्जा दिया गया है।

स्वस्थ मजूरी तथा श्रम नीति तैयार करने में विफलता

326. **श्री के० लकप्पा** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में स्वस्थ मजूरी तथा श्रम नीति तैयार करने में विफल रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियन नेताओं ने भी इस संबन्ध में सरकार की आलोचना की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल):(क) जी, नहीं। सरकार ने समय समय पर विभिन्न मंचों में त्रिपक्षीय परामर्शों के माध्यम से मजदूरी नीति सहित श्रम नीति तैयार की है, जिसके मूल तत्वों का छठी पंचवर्षीय योजना में उल्लेख किया गया है। मजदूरी नीति से संबंधित मामलों पर सितम्बर, 1982 में राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में विशेष रूप से विचार किया गया। इस सम्मेलन ने सिफारिश की कि विशेषज्ञों सहित त्रिपक्षीय समिति नियुक्त की जाए, जो मामले की जांच और सिफारिश करेगी।

(ख) कुछ ट्रेड यूनियन संगठन नीति के कतिपय पहलुओं की आलोचना कर सकते हैं, परन्तु सरकार को विश्वास है कि अधिकांश श्रमिक इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि इससे उनके हितों को बढ़ावा मिलता है।

(ग) सरकार विभिन्न मंचों में श्रमिकों तथा नियोजकों के साथ लगातार बात-चीत कर रही है, ताकि यह देखा जा सके कि नीतियों और कार्यक्रमों में कौन-कौन से परिवर्तन, यदि कोई आवश्यक हो, किए जाने चाहिएं।

लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के रिक्त स्थानों को भरने के लिए उप निर्वाचन

327. **श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य विधान सभाओं और लोक सभा में अब तक रिक्त हुए स्थानों को भरने के लिए (राज्यवार) कितने उप निर्वाचन किए जाने हैं;

(ख) रिक्त स्थानों को भरने के लिए उप निर्वाचन कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग से प्राप्त एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है, जिसमें राज्य विधान सभाओं में और लोक सभा में रिक्त स्थानों को भरने के लिए कराए जाने वाले उप निर्वाचनों की संख्या और उप निर्वाचन कराने के लिए किए गए उपाय बताए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5800/83]

कहलगांव सुपर ताप बिजली केंद्र

328. **श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल सैक्टर में पब्लिक 1000 मेगावाट कहलगांव सुपर ताप बिजली घर का प्रस्ताव इन्वेस्टमेंट बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या परियोजना 1983-84 में आरम्भ की जाएगी और आरम्भ में योजनागत परिव्यय से वित्तपोषित होगी; और

(ग) बिहार में इस यूनिट को वित्त पोषित करने के लिए सरकार द्वारा क्या दीर्घकालीन उपाय किए जा रहे हैं जिस पर 1000 करोड़ रु० लागत आने का अनुमान है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) कहलगांव सुपर ताप विद्युत केन्द्र के चरण-I (4200 मेगावाट) की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. के प्रस्ताव को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। निवेश निर्णय के लिए परियोजना का मूल्यांकन आवश्यक वित्तीय व्यवस्था किए जाने के पश्चात् ही किया जायगा।

जनवरी, 1983 में कोयला खान श्रमिकों द्वारा हड़ताल

329. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री एन० ई० होरो :
श्री नारायण चौबे :
श्री रेणुपद दास : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश के कोयला खान श्रमिकों ने अपनी मांगों के समर्थन में 17 जनवरी से 19 जनवरी, 1983 तक तीन दिन की हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उससे उत्पादन में कुल कितनी हानि हुई ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मांगें अन्य बातों के साथ-साथ इन मुद्दों से सम्बन्धित थीं—विभिन्न अनिर्णीत पड़े मामलों का निपटान, समुचित सुरक्षा उपायों का प्रावधान, सरकारी उपक्रमों में मजदूरी सम्बन्धी वार्ता पर सरकारी उद्यम कार्यालय के दिशा-निर्देशों को समाप्त करना और कोयला उद्योग का द्विपक्षीय समिति में विभिन्न ट्रेड यूनियनों को उचित प्रतिनिधित्व।

(ग) कोल इण्डिया में उत्पादन में हानि 249405 टन रही।

औद्योगिक अल्कोहल के निर्यात पर प्रतिबन्ध हटाया जाना

330. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान औद्योगिक अल्कोहल के निर्यात पर प्रतिबन्ध हटाने के बारे में समाचार मद (बिजनेस स्टेन्डर्ड-5.12.82) की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो देश में अल्कोहल की कमी को ध्यान में रखते हुए प्रतिबन्ध हटाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पेट्रोल में 20 प्रतिशत अल्कोहल मिलाया जाता था और प्रथा को समाप्त करने के क्या कारण हैं;

(ग) औद्योगिक अल्कोहल की प्रति लीटर लागत क्या है और आजकल के मूल्यों तथा पैट्रोलियम पदार्थों के भारी मात्रा में आयात को ध्यान में रखते हुए इसको पेट्रोल में प्रयोग करना बचत की दृष्टि से लाभप्रद है; और

(घ) क्या सरकार का शीरा निर्यात करने हेतु नीतियां जारी रखने का प्रस्ताव है अथवा उसे बेकार फेंकना का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : अल्कोहल पर लगाए गए प्रतिबन्ध को हटाया नहीं गया है। कई कारणों से अल्कोहल पर आधारित उद्योग आसवनियों से अल्कोहल नहीं उठा पायें। आल इण्डिया डिस्टिल्टलरीज एसोसिएशन तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित किया और बताया कि कुछ आसवनियों में अल्कोहल के टैंक पूरे भरे हैं और उनको बन्द करने का खतरा है। उन्होंने सरकार से कुछ अल्कोहल निर्यात करने की अनुमति मांगी। स्थिति का पुनर्रीक्षण करने के बाद, सरकार ने केवल तदर्थ-उपाय के रूप में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से पचास-पचास लाख लीटर अल्कोहल के निर्यात को अनुमति दी।

(ख) से (ग) एथाइल अल्कोहल मूल्य नियंत्रण आदेश, 1961 के अधीन सरकार द्वारा निर्धारित एथाइल अलकोहल का मूल्य 25 अगस्त, 1980 से निम्न प्रकार है :—

1.	एबसोल्यूट अल्कोहल आई.एस.आई. स्टेण्डर्ड सं० 321-1952 नेकेड के समनुरूप 100 प्रतिशत बी/बी स्ट्रैंग्थ समकक्ष वाल्यूम के लिए	रु० 960.70 पै० प्रति लिटर
2.	रेकटिफाइड स्पिरिट, आई. एस. आई. स्टेण्डर्ड नं० 323-1959 नेकेड, के समनुरूप, 100 प्रतिशत बी/बी स्ट्रैंग्थ	रु० 873.37 पै० प्रति कि. ली.
3.	रेकटिफाइड स्पिरिट, आई. एस. आई. स्टेण्डर्ड नं० 323-1959 नेकेड, के समनुरूप-94.68 प्रतिशत बी./बी. स्ट्रैंग्थ के समकक्ष वाल्यूम के लिए	रु० 826.90 पै० प्रति लीटर

उपर्युक्त केवल आधार मूल्य है तथा कुछ आसवनियों को शीरा की परिवहन लागत, फर्नेस आयल के उपयोग, राज्य सरकार के उत्पाद स्टाफ के वेतनों तथा शीरा पर देय चुंगी आदि की लागतों के कारण प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य सरकारें औद्योगिक अल्कोहल पर अनेक शुल्क और उपकर लगाती है तथा परिणामस्वरूप उपभोक्ता मूल्य उपर्युक्त मूल्यों से उच्चतर होते हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, एबसोल्यूट अल्कोहल का इस्तेमाल फ्यूल एडिटिव के रूप में किया जाता था। सम्भवतः गेसोलीन की सहज उपलब्धता के कारण ऐसा करना बन्द कर

दिया गया। पेट्रोल के एडिटिव के रूप में अल्कोहल के उपयोग की सम्भावना की जांच श्री एस. पी. भट्टाचार्य, उप महानिदेशक, डी. जी. टी. डी. की अध्यक्षता में अल्कोहल और अल्कोहल पर आधारित उद्योगों संबंधी तकनीकी विशेषज्ञों सम्बन्धी समिति ने की। जिसने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1980 में दी और उनके निष्कर्ष निम्न प्रकार थे :—

1. शीरा से अल्कोहल उत्पादित करने की हमारी वर्तमान प्रक्रिया से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे अधिक ऊर्जा उत्पादन के लिए अपेक्षित होती है उसे गेसोलीन के साथ मिश्रित करके आटोमोबाइल फ्यूल के लिए प्रयोग किया जाता है।

2. मिट्टी के तेल, डीजल, तथा ईंधन तेल की तरह के भारी पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता की तुलना में हमारी गेसोलीन का प्रति व्यक्ति उपभोग अपेक्षाकृत कम है। बीते तथा वर्तमान समय की भारी पेट्रोलियम उत्पादों की मांग यह दर्शाती है कि इनकी मांग गेसोलीन की मांग से उच्चतर दर पर पड़ेगी। नेफ्था तथा गेसोलीन की वर्तमान उपलब्धता मांग से उच्चतर है और कुछ मात्राओं का निर्यात किया जाए।

3. आर्थिक लाभ अधिक होगा यदि न केवल बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बल्कि निर्यात के लिए भी हायर वेल्यू एडेड कैमिकल प्राडक्टस का उत्पादन करने के लिए अल्कोहल के इस्तेमाल को अधिमान्यता दी जाए।

5. अबसोल्यूट अल्कोहल उत्पादन करने की वर्तमान क्षमता केवल 800 कि. ली. प्रति वर्ष है, जो दो एककों में वितरित है।

(घ) सरकार की नीति के अनुसार, पूरे उपलब्ध शीरा का देश के भीतर ही यथासंभव सीमा तक लाभप्रद रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। सामान्यतः शीराओं के निर्यात की अनुमति तभी दी जाती है जब इनकी उपलब्धता से अधिक होती है।

बाल श्रम पर प्रतिबन्ध

331. **श्री के० प्रधानी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था में बहुत सारे बाल श्रमिक लगे हुए है; और

(ख) क्या सरकार का विचार 12 वर्ष की कम उम्र के बच्चों की नियुक्ति पर कोई रोक या प्रतिबन्ध लगाने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां। सरकार को हमारी जटिल आर्थिक-सामाजिक स्थिति के एक अंग के रूप में बाल श्रमिकों की समस्या के बारे में जानकारी है।

(ख) विभिन्न कानूनों के उपबन्धों के अधीन 12 वर्ष की आयु से कम के बालकों को रोजगार में लगाना पहले से प्रतिषिद्ध किया गया है।

जवाहरलाल नेहरू पर फिल्म

332. **श्री रेणुपद दास** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन विभाग चेकोस्लोवाकिया के साथ जवाहरलाल नेहरू पर एक टेलिविजन फिल्म तैयार करेगा; और

(ख) इस योजना की कुछ मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) फिल्म का शीर्षक "दि बिटर आटम विद ए सेंट आफ मेंगो" होगा। चेकोस्लोवाकिया की ओर से, निर्देशक जिरि सिक्वेंस होंगे जो बरानडोव फिल्म स्टुडियो, प्राग का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के सहयोजित निर्देशक श्री बसु भट्टाचार्य होंगे। भारत में व्यय, जो सात लाख रुपये तक सीमित है, दूरदर्शन द्वारा वह किया जायेगा जबकि चेकोस्लोवाकिया पक्ष फिल्म के निर्माण के लिए शेष धनराशि उपलब्ध करेगा।

सौराष्ट्र, गुजरात के लिए उच्च न्यायालय की न्यायपीठ

333. **श्री रामजी भाई मावाणी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए गुजरात के मुख्य मत्री, विधि मत्री और मुख्य न्यायाधिपति से अभी हाल में और 1977 से 1982 के दौरान अभ्यावेदन, पत्र और ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त न्यायपीठ की घोषणा और स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) सौराष्ट्र क्षेत्र में और इस क्षेत्र के अन्य भागों में उक्त उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने में गुजरात और केन्द्र को क्या कठिनाइयां हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (घ) माननीय सदस्य महोदय ने मई, 1981 में सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना के लिए केन्द्रीय विधि, न्याय और कम्पनी कार्य को लिखा था। विधान सभा सदस्यों, बार एसोसिएशनों, आदि ने गुजरात सरकार से राजकोट, सूरत और बड़ौदा में न्यायपीठों की स्थापना की मांग की है। केन्द्रीय सरकार की इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। केन्द्रीय सरकार ऐसे विषय पर राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार करती है।

कच्चे तेल का आयात

334. **श्री नवीन वाणी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान कच्चे तेल की कुल कितनी मात्रा आयात की गई और इस वर्ष अर्थात 1982-83 के दौरान कितनी मात्रा आयात किये जाने की संभावना है; और

(ख) क्या यह सच है कि भारत कच्चे तेल का निर्यात भी कर रहा है, यदि हां, तो उस वर्ष अर्थात् 1982-83 के दौरान कितनी मात्रा में कच्चे तेल के निर्यात किये जाने की सम्भावना है, उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी और किन-किन देशों को निर्यात किया जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) सूचना निम्न प्रकार है :—

मात्रा मि० मी० टनों में
मूल्य करोड़ रुपयों में

	खनिज तेल का आयात		खनिज तेल का निर्यात	
	माला	सी.आई.एफ. मूल्य	मात्रा	सी.आई.एफ. मूल्य
1980-81	16.248	3348.67	—	—
1981-82*	15.298	3736.10	0.838	196.23
1982-83**	17.683	4261.00	5.922	1296

* अस्थायी

** अनुमानित

खनिज तेल का निर्यात निविदाएं आमन्त्रित करने के पश्चात् किया जाता है जिसमें दक्षिणी-अफ्रीका, दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका और इस्राइल को खनिज तेल की बिक्री निषेध की गई है, निश्चित किया जाता है। 1982-83 के दौरान निम्नलिखित पार्टियों द्वारा भारत से खनिज तेल की खरीद की गई।

(क) ट्रांसवर्ल्ड आयल (बरमूदा)

(ख) ट्रेडीनेफ्ट (जेनेवा)

(ग) शेल इंटरनेशनल ट्रेडिंग कम्पनी (लंदन)

(घ) गल्फ आयल ट्रेडिंग (बरमूदा)

(ङ) पेट्रोनर (मेडरिड)

उच्च न्यायालय, बिहार में विचाराधीन मामले

335. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालय, बिहार में इस समय कितने मामले निर्णयाधीन हैं;

(ख) इस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं; और

(ग) इन मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए तथा न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) 31.12.82 को पटना उच्च न्यायालय में 49,347 मामले लम्बित थे ।

(ख) 18.2.1983 को पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति के पद सहित न्यायाधीशों के तीन पद रिक्त थे ।

(ग) न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

उच्च न्यायालयों में मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण में देखे जा सकते ह ।

विवरण

लम्बित मामलों की संख्या में कमी करने के लिए किए गए उपाय

उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में 1976 में संशोधन किया गया (देखिए धारा 100क) ।

2. विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अधिनियमित की गई और उसका 1978 और 1980 में संशोधन किया गया ।

3. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में समय-समय पर वृद्धि की गई है ।

4. उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय, मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं :—

   (क) कई उच्च न्यायालय ऐसे मामलों को जिनमें एक जैसे प्रश्न जुड़े होते हैं, एक ग्रुप में रखते हैं;

(ख) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत किए जाते हैं;

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना;

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन आने वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना ।

5. सरकार ने उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को, जिनमें 5 वर्ष से अधिक पुराने सिविल मामले भारी संख्या में लम्बित हैं, यह भी लिखा है कि वे संविधान के अनुच्छेद 224क के अधीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विचार करें ।

6. सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10वें विधि आयोग) की भी नियुक्ति की है । विधि आयोग को सौंपे गए विषयों में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकुल हो और विशेष रूप से—

(i) इस आधारभूत सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिएं, मामलों के शीघ्र और कम खर्च पर निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलंब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए;

(ii) तकनीकी बारीकियों और विलम्बकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करे, प्रकिया को सरल बनाने के लिए; और

(iii) न्याय प्रशासन से संबद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए; न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना ।

(ख) सार्वजनिक महत्व के केंद्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके ।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों को या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना ।

जल विद्युत शक्ति का उपयोग

336. **श्री वी० एस० विजयाराघवन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) देश में कुल कितनी जल विद्युत शक्ति उपलब्ध है;

(ख) इसमें से अब तक कितनी शक्ति का उपयोग किया जा चुका है;

(ग) क्या उपयोग में न लाई गई शक्तियों को बड़ी मात्रा में उपयोग में लाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) देश के जल विद्युत संसाधनों का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे पुनर्मूल्यांकन के अनुसार जल विद्युत शक्यता का 60% भार अनुपात पर अनन्तिम रूप से 75 मिलियन किलोवाट अनुमान लगाया गया है।

(ख) अब तक शक्यता का 11.33% विकास किया गया है तथा निर्माणाधीन स्कीमों के पूरे हो जाने के पश्चात 7.8% शक्यता का और विकास होगा।

(ग) और (घ) 5567 मेगावाट की कुल प्रतिस्थापित क्षमता वाली 43 जल विद्युत स्कीमों से छठी योजना में 4768 मेगावाट जल विद्युत क्षमता की अभिवृद्धि की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त 7313 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता की जल विद्युत स्कीमें निर्माणाधीन हैं योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की जा रही हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 3476 मेगावाट की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता वाली जल विद्युत स्कीमों को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दे दी है। इसके अतिरिक्त कई जल विद्युत स्कीमें अन्वेषण/राज्य/केन्द्रीय ऐजन्सियों द्वारा तैयार किए जाने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

मानहानि अधिनियम में संशोधन

337. **श्री जे०एस० पाटिल:**

श्री टी० एस० नेगी : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन्डियन एडीटर्स गिल्ड द्वारा पारित हाल के संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमें शासकीय गुप्त बात अधिनियम की धारा 5 को निकालने तथा मानहानि अधिनियम में कुछ संशोधन करने की मांग की गई है जिससे कि समाचारपत्रों को परेशान करने में उनका दुरुपयोग न हो;

(ख) इस संबंध में सरकार का क्या उत्तर है; और

(ग) क्या सरकार ने समाचारपत्रों को परेशान करने के विशेष उदाहरणों का पता लगाया है; यदि हां, तो उनका क्या निष्कर्ष है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एडीटर्स गिल्ड आफ इंडिया से विषय पर संकल्पों की प्रति कुछ दिन पहले ही प्राप्त हुई थी। इनको गृह मंत्रालय, जो संकल्पों की विषय वस्तु से संबंधित है, को भेजा जा रहा है ।

फैक्ट का आधुनिकीकरण

338. **श्री जेवियर अराकल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैक्ट (एम. ए. सी. टी.) उद्योग मंडल भारत के सर्वाधिक पुराने उर्वरक एककों में एक ऐसा है जिसका अभी तक आधुनिकीकरण नहीं किया गया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस एकक का आधुनिकीकरण करने और उसमें विविधता लाने का है, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) यह सच है कि उद्योग मंडल का "फैक्ट" हमारे देश का सबसे पुराना उर्वरक उत्पादक एकक है । फैक्ट के उद्योग मंडल एकक का निर्माण कार्य 1944 में आरम्भ हुआ था । 1976 तक उद्योग मंडल ने चार स्तरों पर विस्तार/नवीकरण किए हैं ।

(ख) सरकार ने उद्योग मण्डल में एक हाई सल्फेंट रूट केपरोलेक्टम संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है, जिसकी क्षमता 50,000 टन प्रति वर्ष होगी तथा जो बेंजीन की कच्ची सामग्री पर आधारित होगा । इस पर कुल लागत लगभग 147.94 करोड़ रुपये की होगी जिसमें 32.41 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा में होंगे । मुख्य करार के अनुमोदन की तारीख से 46 महीने के भीतर परियोजना पूर्ण की जाएगी ।

सोवियत रूस द्वारा कोयला खानों का विकास

339. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ रूस प्रति वर्ष 360 लाख टन उच्च कोटि का कोयला उत्पादित करने के लिए हमारे देश की कोयला खानों का विकास करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन-किन कोयला क्षेत्रों को चुना गया है और प्रत्येक क्षेत्र में कितना उत्पादन करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस निर्धारित उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने के लिए व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार हो गई है; और

(घ) कार्य कब तक आरम्भ हो जाएगा और किस समय 360 लाख टन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सोवियत संघ भारत की कुछ कोयला खानों के विकास में सहायता देने के लिए सहमत हो गया है । इस समय चल रहे खान सहायता कार्यक्रम के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

परियोजना का नाम	क्षमता (मिलियन टन/वर्ष)	सहायता का स्वरूप	अवस्था	अन्तिम क्षमता कब तक प्राप्त होने की संभावना है।
मुकुन्दा ओपेनकास्ट (मा. को. को. लि.	12	विस्तृत साध्यता रिपोर्ट तैयार करना	रिपोर्टें बनाई जा रही है	1989-90
निगाही ओपेन कास्ट (से. को. लि.)	14	विस्तृत साध्यता रिपोर्ट तैयार करना	रिपोर्ट बनाई जा रही है	वर्ष 1995-96 में 11 मि. टन
झाँझरा भूमिगत (ई. को. लि.)	3.5	शाफ्ट पैवस्त करने और इन्कलाइनों के ड्राइवेज में सहायता	संविदा पर बातचीत हो रही है	1993-94
टिपोंग भूमिगत (ना. ई. को.)	0.221	खनन की शील्ड पद्धति में प्रयोग करना	संविदा पर बातचीत हो रही है	1985-86
कुल	29.721			

विंध्याचल रिहांद आदि बिजली घरों के लिए ठेका

340. **श्री राम जेठमलानी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विंध्याचल बिजली घर और रिहांद बिजली घर चन्द्रपुर (2 × 500 मेगावाट) और रामागुंडम (3 × 200 मेगावाट) बिजली घरों के ठेके की शर्तें तथा मूल्य क्या हैं;

(ख) ठेके कब तथा किस को दिए गए प्रत्येक मामले में पार्टी को ठेका देने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या प्रत्येक मामले में विश्वव्यापी टेंडर या अन्यथा मांगे गए थे, यदि हां, तो टेंडर भेजने वाली पार्टियों के नाम क्या हैं, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रत्येक परियोजना को पूरा करने का निर्धारित समय क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (घ)

विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र (चरण-1)

दिसम्बर, 1980 में भारत और यू. एस. एस. आर. के बीच आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए अन्तः सरकारी करार के अनुसरण में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना के प्रथम चरण (1260 मेगावाट) स्थापित करने के लिए यू. एस. एस. आर. की मै० टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट के साथ एक ठेके पर हस्ताक्षर किए थे।

परियोजना को आंशिक रूप सोवियत ऋण से वित्त पोषित किया जा रहा है। मैसर्ज टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट के साथ हस्ताक्षर किए ठेके की कुल लागत लगभग 321.3 करोड़ रुपए (यह एक रूबल = 10.13 रुपये में बदलने के गुणांक पर आधारित है। ठेके में आवश्यक सामग्रियों के साथ उपस्करों की सप्लाई तथा फुटकर पुर्जे, सामग्री, इस्पात संरचनाओं, परियोजना इंजीनियरी और विशेषज्ञों की सेवाएं शामिल हैं लेकिन कोयले की सप्लाई, पल्वराइजर्स और कोयला हैण्डलिंग उपस्कर ट्रांसफार्मर आदि जैसी कुछ आनुषंगिक प्रणालियां इसमें शामिल नहीं हैं। परियोजना 1989 में पूरी होने की आशा है।

रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना (चरण-I)

रिहन्द सुपर, ताप विद्युत परियोजना का चरण-I (1000 मेगावाट) यू. के. की वित्तीय सहायता से स्थापित किया जा रहा है। सीधे बातचीत के आधार पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने मैसर्ज नार्थन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, यू. के. के साथ 30.9.1982 को सप्लाई के ठेकों पर तथा मै० एन. ई. आई. प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि०, यू. के. के साथ 19.10.82 को उत्थापन ठेकों पर हस्ताक्षर किए थे। इन ठेकों में विद्युत केन्द्र द्वारा अपेक्षित समस्त उपस्कर तथा विद्युत केन्द्र के प्रथम चरण (1000 मेगावाट) की केन्द्र इंजीनियरी और पर्यवेक्षण शामिल हैं। ठेके का

कुल मूल्य लगभग 410 करोड़ रुपये है) यह 1.00 पौण्ड=16.5 रुपये में बदलने के गुणांक पर आधारित है)।

परियोजना 1988 के दौरान पूरी होने की आशा है।

रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र

रामागुण्डम परियोजना के समस्त कार्यक्षेत्र को पूरा करने के लिए कोई एक ठेका नहीं है। इस परियोजना के लिए महत्वपूर्ण ठेकों में से एक ठेका 200-200 मेगावाट की तीन यूनिटों के लिए टर्बाइनों और स्टीम जेनेरेटरों की सप्लाई करने, उत्थापित करने और चालू करने के लिए है। इस ठेके के मूल्य में 101,041,640 अमरीकी डालर तथा 240,890,002 रुपये शामिल हैं (यह एक अमरीकी डालर=10 रुपये में बदलने के गुणांक पर आधारित है)। कुल मूल्य लगभग 125.13 करोड़ रुपए बैठेगा।

यह ठेका 9.10.1980 को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और इटली के मैसर्ज ए. एम. एन. तथा मै० अन्साल्डो स्पा के बीच हुआ था। इन पार्टियों का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि उनकी कोटेशन, प्राप्त हुई बोलियों में से तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य सबसे कम बोली आंकी गई थी। इस ठेके के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमन्त्रित की गई थीं और मै० अन्साल्डो तथा मै० भेल ने बोलियां दी थीं। परियोजना की 200-200 मेगावाट की पहली तीन यूनिटें 1984 तथा 1985 के दौरान चालू किए जाने की आशा है।

चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र

महाराष्ट्र में चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र (2×500 मेगावाट) के लिए उपस्कर की प्राप्ति के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

खानों तक रेत की ढुलाई करने के लिए परिवहन ठेकेदार

341. **श्री ए० के० राय :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1.1.1983 को खानों तक रेत की ढुलाई करने वाले परिवहन ठेकेदारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितनी मात्रा में रेत की ढुलाई की गई;

(ग) गत तीन वर्षों में एक टन रेत की प्रति घन मीटर ढुलाई पर कितनी लागत आई;

(घ) गत तीन वर्षों में रेत की ढुलाई करने वाले परिवहन ठेकेदारों की प्रति वर्ष कितनी राशि अदा की गई;

(ङ) क्या भूमिगत खान से उठाये जाने वाले प्रति टन कोयले पर ट्रक द्वारा रेत की ढुलाई लागत प्रति वर्ष बढ़ रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरेवार तथ्य क्या हैं और गत तीन वर्षों का वर्षवार ब्योरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मतदान के इलेक्ट्रोनिक यंत्र

342. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधान सभा या लोकसभा निर्वाचनों में मतदान में इलेक्ट्रोनिक यंत्रों का प्रयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन यंत्रों का कब, कहां और कितनी बार प्रयोग किया गया है; और

(ग) ऐसे यंत्रों के प्रयोग में कितनी सफलता मिली है।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) कुछ विधान सभा निर्वाचनों में मतदान की इलेक्ट्रोनिक मशीनों का प्रयोग किया गया है।

(ख) मतदान की इलेक्ट्रोनिक मशीनों का सर्वप्रथम प्रयोग मई, 1982 में केरल विधान सभा के लिए हुए साधारण निर्वाचन के दौरान 70-परूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के 50 मतदान केन्द्रों में प्रयोगात्मक आधार पर किया गया था। इसके पश्चात् इन मशीनों का प्रयोग नागालैंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा की विधान सभाओं के और दिल्ली महानगर परिषद् के साधारण निर्वाचनों में निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया :—

क्रम सं०	निर्वाचन क्षेत्र का संख्यांक और नाम		मतदान केन्द्रों की संख्या	प्रयोग की गई मशीनों की संख्या	वर्ष
1	3		3	4	5
1.	70-परूर (केरल)		50	50	मई, 1982
2.	10-उत्तरी अंगामी—I (नागालैंड)		12	12	नवम्बर, 1982
3.	84-शान्ति नगर (अ. जा.) (कर्नाटक)		89	75*	जनवरी, 1982
4.	191-शाद नगर (अ. जा.) (आंध्र प्रदेश)		126	126	जनवरी, 1983
5.	9-बनमालीपुर (त्रिपुरा)		20	12*	जनवरी, 1983
6.	1-सरोजनी नगर	दिल्ली	37	26*	फरवरी, 1983
7.	3-गोल मार्किट (अ. जा.)		41	27*	
8.	5-दिल्ली छावनी		36	25*	

(*एक ही परिसर में स्थित दो मतदान केन्द्रों में एक ही मशीन का उपयोग किया गया था।)

(ग) निर्वाचन आयोग ने रिपोर्ट दी है कि अब तक किए गए प्रयोग सफल हुए हैं।

टेलीविजन पर फिल्मों का दिखाया जाना

343. **श्री अनन्त रामुलु मल्लू।** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अच्छी फिल्मों" का प्रसारण बढ़ाने विशेषकर ब्लैक और ह्वाइट में टेलिवीजन पर सप्ताह में कम से कम तीन बार दिखाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय ऐतिहासिक फिल्मों व-सामाजिक फिल्मों की संख्या बढ़ाने का है जिन्हें परिवार के सभी लोग एक साथ बैठ कर देख सकें और जिससे बच्चों की जानकारी में भी वृद्धि हो सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी, हां।

(ख) भारतीय ऐतिहासक फिल्में और सामाजिक फिल्में दूरदर्शन द्वारा पहले ही दिखाई जा रही हैं।

रक्षित विद्युत स्टेशनों का तेजी से विकास

344. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रमों द्वारा पर्याप्त मात्रा में बिजली की सप्लाई न किये जाने के कारण लौह और अलौह धातु उद्योगों वाले क्षेत्रों में रक्षित विद्युत स्टेशन तेजी से बढ़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के बड़े आकार वाले नये अल्यूमिनियम संयन्त्र को ध्यान में रखते हुए अधिकतम उपयोगक्षमता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारी उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) लौह और अलौह धातु उद्योगों वाले क्षेत्रों में कैप्टिव विद्युत केन्द्रों में कोई अधिक वृद्धि नहीं है। तथापि सरकार ने उद्योगों के लिए अनेक प्रचालन में लगातार प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कप्टिव संयंत्र स्वीकृत किए हैं। कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए समय-समय पर प्राप्त प्रस्तावों की क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की स्थिति, सम्बन्धित उद्योगों के लिए विद्युत गहनता तथा संगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले में गुण दोषों के आधार पर जांच की जाती है।

(ख) तलचेर में नेशनल अल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा स्थापित किए जा रहे नए अल्यूमिनियम संयंत्र की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति के लिए और संयंत्र की क्षमता का अधिकतम समुप-

योजन सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत सरकार ने तलचेर में 6 × 120 मेगावाट का कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए एक स्कीम को मंजूरी दे दी है।

विभिन्न समाचारपत्रों का पंजीकरण रद्द किया जाना

345. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ जिला मजिस्ट्रेटों ने प्रेस काउंसिल आफ इण्डिया के पास औपचारिक शिकायत दर्ज किये बिना ही बहुत से समाचारपत्रों का पंजीकरण और घोषणा रद्द कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उन समाचारपत्रों के नाम तथा सम्बन्धित मजिस्ट्रेटों द्वारा बताए गए पंजीकरण और घोषणा को रद्द करने के कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 8-ख में निहित उपबन्धों के अन्तर्गत, यदि कोई मजिस्ट्रेट समुचित जाँच करने बाद इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि जिस समाचारपत्र के बारे में घोषणा की गई है उसका प्रकाशन अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके किया जा रहा है या उसके उक्त धारा में निहित अन्य उपबन्धों का उल्लंघन किया है तो वह, आदेश द्वारा, उस समाचारपत्र की घोषणा को रद्द कर सकता है और वह इस प्रकार पारित आदेश की एक प्रति घोषणा करने वाले या उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को तथा पत्र पंजीयक को भी यथाशीघ्र भेजेगा। सम्बन्धित मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षित नहीं है कि वह भारतीय प्रेस परिषद के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराए। जिन समाचारपत्रों के बारे में घोषणा रद्द की गई है उनके तथा घोषणाएं रद्द कराने के कारणों के बारे में सभी ब्यौरे सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपलब्ध नहीं हैं।

दिल्ली में अस्थाई टेलीफोन लगाना

346. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अस्थाई टेलीफोन की मंजूरी के लिए क्या मानदंड निर्धारित किया गया है; और

(ख) दिल्ली में, क्षेत्रवार कुल कितने अस्थाई टेलीफोन हैं और वे अलग-अलग किन-किन तारीखों से लगाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटील) : (क) अस्थाई जरूरतों को पूरा करने के लिए अस्थाई टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये जाते हैं। ऐसे टेलीफोन विभागों के लिए और जनहित में भी मंजूर किए जा सकते हैं।

(ख) 1-1-83 को दिल्ली टेलीफन जिले में काम कर रहे अस्थायी टेलीफोन कनेक्शनों के सम्बन्ध में सूचना दी जा रही है—

दूर संचार क्षेत्र	6 महीने तक	6 महीने से अधिक लेकिन 1 वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष तक	दो वर्ष से अधिक	योग
सेंट्रल	317	196	169	87	769
उत्तर	203	70	50	22	345
पश्चिम	496	216	114	56	882
दक्षिण	909	529	158	61	1657
	1925	1011	191	226	3653

तमिलनाडु में बिजली की कटौती

347. **श्री पीयूष तिरकी :**

श्री सी० चिन्ना स्वामी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले की अनियमित सप्लाई के कारण तमिलनाडु राज्य में इस समय सभी प्रमुख उद्योगों को बिजली की भारी कटौती और पूर्णरूपेण ऊर्जा की कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु को कोयला भिजवाने के सम्बन्ध में भारत सरकार क्या कदम उठा रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) तमिलनाडु राज्य इस समय विद्युत की कमी का सामना कर रहा है जिसका मुख्य कारण लगातार मानसून का फेल होना है। राज्य को उनके तूतीकोरिन ताप विद्युत केन्द्र के लिए कोयले की सप्लाई हल्दिया बन्दरगाह से बढ़ा दी गई है।

जनवरी-फरवरी, 1983 के चुनावों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का दल-वार ब्यौरा

348. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में जनवरी और फरवरी 1983 में कुछ चुनाव हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन चुनावों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का दल-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) डाले गए मतों की प्रतिशतता का दल-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) दल-वार ऐसे कितने उम्मीदवार हैं जिनकी जमानत जब्त हुई;

(च) सरकार ने राज्य-वार कितनी राशि व्यय की; और

(छ) सरकार को हुई आय का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) जी, हां, जनवरी, 1983 में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और त्रिपुरा और में तथा फरवरी, 1983 में असम और मेघालय में निर्वाचन हुए हैं।

(ग) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और त्रिपुरा में हुए निर्वाचनों के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गई है।

(च) और (छ) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

[देखिए प्रश्न का भाग (ग)]

इन निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों का दल-वार ब्यौरा निम्नलिखित है—

दल का नाम	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	त्रिपुरा
1. इण्डियन नेशनल कांग्रेस	294	220	45
2. इण्डियन कांग्रेस (सोशलिस्ट)	9	19	3
3. जनता पार्टी	44	193	5
4. लोकदल	33	26	—
5. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी	49	7	1
6. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	27	4	56
7. भारतीय जनता पार्टी	81	110	4
8. भारत की रिपब्लिकन पार्टी	—	6	—

1 2	3	4	5
9. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	—	1	—
10. त्रिपुरा उपजाति जुवा समिति	—	—	14
11. आल इण्डिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	—	1	—
12. रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	—	—	2
13. आल इण्डिया फार्वर्ड ब्लाक	—	—	1
14. इण्डियन कांग्रेस (जे)	80	26	2
15. निर्दलीय	1101*	743	73
कुल	1718*	1356	206

* इसमें तेलुगु देशम के 293 उम्मीदवार भी सम्मिलित हैं।

देखिए प्रश्न का भाग (घ)

प्राप्त हुए मतों के प्रतिशत का दल-वार ब्यौरा निम्नलिखित है—

प्राप्त हुए मतों का प्रतिशत।

दल का नाम	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	त्रिपुरा
1. इण्डियन नेशनल कांग्रेस	33.52	40.32	30.52
2. इण्डियन कांग्रेस (सोशलिस्ट)	0.21	0.14	0.06
3. जनता पार्टी	0.97	3[illegible].08	0.06
4. लोकदल	0.91	0.53	—
5. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी	2.79	1.25	0.83
6. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	2.01	0.90	46.74
7. भारतीय जनता पार्टी	2.76	7.97	0.06
8. इण्डियन कांग्रेस (जे)	0.50	0.09	0.02
9. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	—	0.09	—
10. आल इण्डिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	—	0.13	—
11. भारत की रिपब्लिकन पार्टी	—	0.14	—
12. त्रिपुरा उपजाति जुवा समिति	—	—	10.47

13. रिवोल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी (पश्चिमी बंगाल)	—	—	1.64
14. आल इण्डिया फार्वर्ड ब्लाक (पश्चिमी बंगाल)	—	—	0.71
15. निर्दलीय	56.33*	15.36	8.90

*तेलुगु देशम द्वारा प्राप्त 46.45% मत भी इसमें सम्मिलित हैं।

[देखिए प्रश्न का भाग (ङ)]

ऐसे उम्मीदवारों की दल-वार संख्या निम्नलिखित है जिनकी जमानत जब्त हुई—

जमानत जब्त हुई

दल का नाम	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	त्रिपुरा
1. इण्डियन नेशनल कांग्रेस	12	1	4
2. इण्डियन कांग्रेस (सोशलिस्ट)	7	18	3
3. जनता पार्टी	38	44	5
4. लोक दल	26	26	—
5. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी	30	1	—
6. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	15	—	—
7. भारतीय जनता पार्टी	63	71	4
8. भारत की रिपब्लिकन पार्टी	—	1	—
9. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	—	—	—
10. त्रिपुरा उपजाति जुवा समिति	—	—	1
11. आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	—	—	—
12. रिवोल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी	—	—	—
13. आल इण्डिया फार्वर्ड ब्लाक	—	—	—
14. इण्डियन कांग्रेस (जे)	78	23	2
15. निर्दलीय	785*	582	59
कुल	1054	767	78

*इसमें तेलुगु देशम के 29 उम्मीदवार भी सम्मिलित हैं।

इलैक्ट्रानिक मशीन से मतदान

349. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक मशीन से मतदान पद्धति जहां कहीं भी यह प्रारंभ की गई, सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो चुनावों के दौरान सारे देश में इस पद्धति को प्रारम्भ करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) चुनावों में इस पद्धति को सरकार का कब तक प्रारम्भ करने का विचार है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि इलेक्ट्रानिक मतदान प्रणाली, जहां कहीं भी आरंभ की गई, सफल हुई है।

(ख) यदि धनराशि और मशीनें उपलब्ध हों तो आयोग को निर्वाचनों के दौरान संपूर्ण देश में इस प्रणाली को आरंभ करने में कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती।

(ग) सम्पूर्ण देश में यह प्रणाली आरम्भ करने के लिए पर्याप्त संख्या में मशीनों को यथा-समय क्रय करने के आयोग के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। आयोग का विचार 1985 तक सम्पूर्ण देश में इस प्रणाली को लागू करने का है।

तापीय विद्युत उत्पादन के लिए गैर-कोकिंग कोयले को "प्रोसेस" करने के लिए तैयारी संयंत्र का न होना

350. **श्री डी० पी० जदेजा** :

श्री नवीन रवाजी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तापीय विद्युत उत्पादन के लिए गैर-कोकिंग कोयले को प्रोसेस करने के लिए कोई तैयारी संयंत्र नहीं है और उसके कारण विद्युत उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) अकोककर कोयले का विनिर्माण संयंत्र न होने के कारण बिजली के उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है : फिर भी, अकोककर कोयले के प्रसाधन हेतु कोयला विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए तीन परियोजना रिपोर्टें तैयार की गई हैं।

भारत में विद्युत परियोजनाओं के लिए सोवियत रूस से वित्तीय सहायता

351. **श्री डी०पी० जदेजा** :

श्री नवीन रवाणी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस ने भारत में विद्युत परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता की पेशकश की है;

(ख) क्या इस बारे में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ग) सोवियत रूस की सहायता से चालू की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) विंध्याचल ताप विद्युत केन्द्र के चरण-I (6 × 210 मेगावाट) की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, मुख्य संयंत्र और उपस्कर की सप्लाई करने और विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने सोवियत रूस के मैसर्ज टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट के साथ अनुबन्धों पर हस्ताक्षर किए है। इन कार्यों को सोवियत ऋण के अन्तर्गत किया जाएगा।

उन राज्यों में झगड़े जहाँ निर्वाचन हुए थे

352. **श्री वी०वी० देसाई** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में तीन राज्यों में हुए निर्वाचनों के दौरान तीन राज्यों में अनेक झगड़े हुए थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि मतपत्रों के लूटे जाने की अनेक घटनाएं निर्वाचन आयोग के ध्यान में लाई गई थी;

(ग) कुल कितने झगड़े हुए;

(घ) क्या निर्वाचनों में गड़बड़ी के आरोप भी निर्वाचन आयोग के सामने लाए गए थे; और

(ङ) निर्वाचन आयोग ने शिकायतों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए थे और शिकायतों के ब्यौरे क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ङ) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इण्टरनेशनल प्रेस इन्स्टीट्यूट द्वारा भारत सरकार की आलोचना

353. **श्री वी० वी० देसाई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा प्रेस को किसी प्रकार के प्रभावी नियंत्रण तथा विनियमन लाने के प्रयासों के कारण भारत की स्पष्ट आलोचना की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्टरनेशनल प्रेस इन्स्टीट्यूट ने, "वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिव्यू फार, 1982" में टिप्पणी की है कि अत्याधिक मूल्य वाले आयातित अखबारी,कागज पर दंडात्मक सीमा शुल्क के रूप में आर्थिक दबाव डाला जाता है जब कि दूसरी ओर केवल नाममात्र के समाचार पत्रों को काफी मात्रा में कोटा दिया जाता है और सीमा शुल्क से भी छूट दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या संघ सरकार ने "वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिव्यू फार 1982" को देखा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उसमें उठाये गये प्रश्नों पर किस सीमा तक विचार किया है और सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) इन्टरनेशनल प्रेस इन्स्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट (दिसम्बर, 1982 में रिलीज की गई) में प्रेस को नियंत्रित और विनियमित करने के कथित उद्देश्य से भारत सहित बड़ी संख्या में देशों द्वारा किए गए उपायों के बारे में प्रेस रिपोर्टें सरकार के ध्यान में लाई गई हैं।

(घ) सरकार की स्पष्ट नीति प्रेस की स्वतत्रता का परिरक्षण करने की है और इस पर रोक लगाने के लिये कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। भारतीय प्रेस के संबंध में रिपोर्ट में निकाले गए निष्कर्षों का औचित्य नहीं है।

एशियाई खेलों की "कवरेज" के लिए किए गये प्रबन्ध

354. **श्री वी० वी० देसाई** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस प्रकार की बहुत शिकायतें मिली है कि एशियाई खेलों के दौरान टी. वी. "कवरेज" के लिये किये गये प्रबन्ध अपर्याप्त थे;

(ख) यदि हां, तो अपर्याप्त "कवरेज" के क्या कारण थे;

(ग) संघ सरकार ने स्थिति का सामना करने के लिये तथा टी. वी. एवं रेडियों में "कवरेज" बढ़ाने के लिये क्या प्रबन्ध किये थे; और

(घ) क्या सरकार इस बात से संतुष्ट थी कि टी. वी. "कवरेज" के लिये किये गये प्रबन्ध पर्याप्त थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। वास्तव में, दूरदर्शन और सरकार को प्रेस और विदेशी प्रसारण संगठनों सहित विभिन्न क्षेत्रों से अनेक प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें एशियाड, 82 के दूरदर्शन द्वारा कवरेज की सराहना की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूरदर्शन ने मौजूदा सभी 41 प्रेषण केन्द्रों से एशियाई खेलों को रिले करने के लिए कदम उठाए थे। खेलों को कवर करने के लिये विदेशी प्रसारण संगठनों को भी सुविधाएं उपलब्ध की गईं थीं। दूरदर्शन द्वारा विभिन्न खेलों का उपलब्ध किया गया कुल कवरेज, जीवन्त या रिकार्ड किया हुआ, लगभग 10 घन्टे प्रतिदिन था। राष्ट्रीय दर्शकों को प्रतिदिन व्यापक कवरेज उपलब्ध करने के अलावा, विदेशी प्रसारण टेलीविजन संगठनों को "मास्टर इन्टरनेशनल पिक्चर" भी उपलब्ध की गई थी।

आकाशवाणी ने भी खेलों का हिन्दी और अंग्रेजी में बारी-बारी से व्यापक राष्ट्रीय कवरेज उपलब्ध किया था। इसने 11 प्रादेशिक भाषाओं में भी कवरेज उपलब्ध किया था।

(घ) जी, हां।

बिहार में बोकारो इस्पात नगर के सैक्टर छः में डाकघर खोलना

355. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के बोकारो इस्पात नगर के सैक्टर छः की जनसंख्या दस हजार से अधिक है और वहां कोई डाकघर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो बोकारो इस्पात नगर के कथित सैक्टर में डाकघर खोलने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) विभाग डाकघर खोलने के प्रस्ताव पर पहले से ही सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

बकाया मामलों को निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना

356. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बकाया मामलों को निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) ऐसोसिएशन से ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

357. **श्री राम लाल राही** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में किसी खाड़ी देश की एक सुविख्यात औद्योगिक संस्था की सहायता से चार उर्वरक कारखानों की स्थापना की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्था से कितनी सहायता राशि प्राप्त होगी; और

(ग) ये कारखाने कब तक चालू हो जायेंगे तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित चार उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जिन की क्षमता 1350 टन अमोनिया प्रतिदिन होगी । इन संयंत्रों की मलकियत, कार्यान्वयन की समय-सूची, वित्तीय व्यवस्थाओं तथा अन्य ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

तथापि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गैस पर आधारित चार उर्वरक संयंत्रों में से एक को एक गल्फ कम्पनी की वित्तीय सहायता से स्थापित करने का प्रस्ताव किया है । राशि तथा सहायता की शर्तों के स्पष्ट ब्यौरे उपलब्ध नहीं ह ।

निजी एवं सरकारी क्षेत्र में हड़तालें

358. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में 31 जनवरी, 1983 तक औद्योगिक विवादों अथवा अन्य कारणों से निजी एवं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कितनी हड़तालें हुई और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन हड़तालों के कारण, राज्यवार, कितने जन दिवस नष्ट हुए;

(ग) उपरोक्त अवधि में देश में राज्य-वार तालाबन्दी की कितनी घटनायें हुईं;

(घ) हड़तालों तथा तालाबन्दियों के कारण, अलग-अलग उत्पादन की कितनी हानि हुई; और

(ङ) उपरोक्त अवधि में, राज्यवार कितने बड़े, मध्यम तथा छोटे उद्योग बन्द किये गए ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) **विवरण-I** संलग्न है, जिसमें जनवरी-अक्तूबर, 1982 के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्रों में हुई हड़तालों और नष्ट हुए श्रम दिनों को राज्य-वार संख्या दी गई है । राज्य सरकारों द्वारा सूचना भेजने में

समय-अन्तराल के कारण जनवरी, 1983 तक समाप्त होने वाले एक वर्ष के समय के लिए तदनुरूपी तत्काल सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) विवरण-II संलग्न है, जिसमें जनवरी-अक्तूबर, 1982 के दौरान हुई तालाबंदियों की राज्य-वार संख्या दी गई है। राज्य सरकारों द्वारा सूचना भेजने में समय अन्तराल के कारण जनवरी, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तदनुरूपी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(घ) जनवरी-अक्तूबर, 1982 के दौरान हुई हड़तालों और तालाबंदियों के कारण नष्ट हुई उत्पादन की कीमत क्रमश: 76 88 करोड़ रुपये और 41,77 करोड़ रुपये है।

(ङ) विवरण-III संलग्न है, जिसमें जनवरी-मई, 1982 के दौरान हुई काम-बंदियों की राज्यवार संख्या दी गई है। राज्य सरकारों द्वारा सूचना भेजने में समय-अन्तराल के कारण जनवरी, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तदनुरूपी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। औद्योगिक ूनिटों की कामबन्दी के सम्बन्ध में सूचना प्रतिष्ठानों के आकार के अनुसार नहीं रखी जाती हैं।

विवरण-I

जनवरी-अक्तूबर, 1932 (अन्तिम) के दौरान सरकारी एवं निजी क्षेत्र-वार और राज्य-वार हुई हड़तालों और उनके कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	सरकारी क्षेत्र में हुई हड़तालों की संख्या	सरकारी क्षेत्र में नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या (हजारों में)	निजी क्षेत्र में नष्ट हुए हड़तालों की संख्या	निजी क्षेत्र में नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या (हजारों में)
1.	आंध्र प्रदेश	204	657	71	443
2.	असम	3	1	2	1
3.	बिहार	81	71	66	265
4.	गुजरात	14	12	144	276
5.	हरियाणा	—	—	10	21
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	5	4	21	139
9.	केरल	10	53	47	597
10.	मध्य प्रदेश	55	174	41	54

11.	महाराष्ट्र	19	677	93	528 @
12.	मणिपुर	—	—	—	—
13.	मेघालय	—	—	—	—
14.	नागालैंड	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	11	69	4	4
16.	पंजाब	2	1	54	109
17.	राजस्थान	6	195	54	123
18.	सिक्किम	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	9	123	142	901
20.	त्रिपुरा	—	—	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	19	62	67	161
22.	पश्चिमी बंगाल	87	258	19	136
23.	अन्डमान निकोबार	1	53	1	+
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
25.	चण्डीगढ़	—	—	2	2
26.	दादर और नागर हवेली	—	—	—	—
27.	दिल्ली	1	+	21	23
28.	गोआ, दमन और दीव	2	22	11	26
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
30.	मिजोरम	—	—	—	—
31.	पाँडिचेरी	16	8	—	—
	जोड़	549	2440	870	8560

(अनन्तिम)=अनन्तिम और श्रम ब्यूरो, शिमला से 18.12.82 तक प्राप्त सूचना के आधार पर।

(—)=कुछ नहीं।

(×)=500 से नीचे।

(+)=टैक्सटाइल हड़ताल के कारण नष्ट हुए श्रम दिन सम्मिलित नहीं है जो सितम्बर, 1982 के अन्त तक 480.67 लाख थे।

विवरण-II

जनवरी-अक्तूबर, 1982 (अनंतिम) के दौरान राज्यवार हुई तालाबन्दियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	तालाबन्दियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	105
2.	असम	—
3.	बिहार	19
4.	गुजरात	17
5.	हरियाणा	2
6.	हिमाचल प्रदेश	...
7.	जम्मू और कश्मीर	...
8.	कर्नाटक	3
9.	केरल	26
10.	मध्य प्रदेश	1
11.	महाराष्ट्र	15
12.	मणिपुर	...
13.	मेघालय	1
14.	नागालैंड	...
15.	उड़ीसा	2
16.	पंजाब	5
17.	राजस्थान	19
18.	सिक्किम	—
19.	तमिलनाडु	24
20.	त्रिपुरा	...
21.	उत्तर प्रदेश	13
22.	पश्चिम बंगाल	86
23.	अंडमान और निकोबार	1

24.	अरुणाचल प्रदेश	...
25.	चंडीगढ़	—
26.	दादर और नागर हवेली	—
27.	दिल्ली	9
28.	गोआ, दमन और दीव	—
29.	लक्षद्वीप	...
30.	मिजोरम	...
31.	पांडिचेरी	—
	जोड़	348

(अनंतिम(=अनंतिक और श्रम ब्यूरो, शिमला से 18.12.82 तक प्राप्त सूचना के अनुसार

(—)=कुछ नहीं

(...)=उपलब्ध नहीं है

विवरण-III

जनवरी-मई, 1982 (अनंतिम) के दौरान राज्य-वार हुई काम बन्दियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	काम बन्दियों की सं० ×
1.	आंध्र प्रदेश	...
2.	असम	1
3.	बिहार	7
4.	गुजरात	12
5.	हरियाणा	2
6.	हिमाचल प्रदेश	—
7.	जम्मू और कश्मीर	...
8.	कर्नाटक	1
9.	केरल	...
10.	मध्य प्रदेश	3
11.	महाराष्ट्र	25

12. मणिपुर	—
13. मेघालय	—
14. नागालैंड	...
15. उड़ीसा	4
16. पंजाब	8
17. राजस्थान	2
18. सिक्किम	...
19. तमिलनाडु	6
20. त्रिपुरा	156
21. उत्तर प्रदेश	2
22. पश्चिम बंगाल	4
23. अंडमान और निकोबार	—
24. अरुणाचल प्रदेश	...
25. चंडीगढ़	...
26. दादर और नागर हवेली	...
27. दिल्ली	20
28. गोआ, दमन और दीव	...
29. लक्ष्यद्वीप	...
30. मिजोरम	...
31. पांडिचेरी	1
जोड़	254

अनंतिम=अनंतिम

(—)=कुछ नहीं

(...)=उपलब्ध नहीं है

(×)=औद्योगिक विवाद से भिन्न कारणों जैसे कच्चे माल की कमी, बिजली की कटौती, मशीनों के खराब हो जाने आदि से सम्बन्धित कामबन्दियां।

नलकूप जलधारा से पन-बिजली

359. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या ऊर्जा मंत्री नलकूपों से पानी गिरने से बिजली बनाने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1317 दिनांक 12 अक्तूबर 1982 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स तथा अन्य एजेन्सियां मिनी-हाईडल, बायोगैस, सौर-ऊर्जा अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य तरीके से नलकूपों को चालू करने का कोई प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) क्या उत्तर बिहार और देश के अन्य भागों में बिजली के अभाव में स्वनियोजन के कुटीर तथा अन्य लघु उद्योगों का विकास नहीं हो रहा और सिंचाई वाले नलकूप काम नहीं कर रहे हैं; यदि हां, तो क्या उनके लिए डीजल अथवा अन्य सेटों के लिए राजसहायता देने का विचार है; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि. ने फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी के मैसर्स डोरनियर के सहयोग से अपने अनुसंधान तथा विकास डिविजन, हैदराबाद में एक प्रायोगिक सौर ताप पम्प स्थापित किया है। फिलहाल इस पम्प के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जा रहा है। लगभग एक किलोवाट के जलीय उत्पादन के बड़ी क्षमता वाले पम्प को विकसित करने का भी एक कार्य हाथ में ले लिया गया है। सौर ताप पम्प अभी तक क्षेत्र में प्रयोग की जाने की अवस्था में नहीं आए हैं।

सैंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि० द्वारा सौर फोटोवोल्टेक पम्पों का विकास किया गया है। ऐसे लगभग 60 पम्पों को, जिन्हें लगभग 300 वाट के एक पैनल द्वारा ऊर्जित किया जाता है, देश के विभिन्न भागों में प्रदर्शन, क्षेत्र परीक्षण और विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए प्रतिष्ठापित किया गया है। इन पम्पों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है।

लघु सिंचाई और पीने के पानी के प्रयोजना के लिए जल पम्प करने वाली पवन चक्कियों का विकास किया गया है। इन पवन चक्कियों की विकास एजेन्सियां आई ई. आर. टी., इलाहाबाद, एन. ए. एल. बंगलौर, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर और भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० हैदराबाद का नियमित अनुसंधान और विकास प्रभाग है। 100 प्रतिशत बायो गैस पर प्रचालित होने वाले ऐकइंजन/पम्प पर भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० के अनुसंधान तथा विकास केन्द्र हैदराबाद में परीक्षण कार्य चल रहा है।

नहर प्रपात्र विद्युत केन्द्रों से सामान्य रूप में ट्यूबवैलों को ऊर्जित करने के लिए और विशेष रूप से उत्तर बिहार क्षेत्र में प्रस्तावित पूर्वी गंडक नहर, जल विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन के समुपयोजन का निर्णय उत्पादित विद्युत की किस्म की उपयुक्तता, ट्यूबवैलों के लिए अलग पारेषण लाइनों, ट्यूबवैलों इत्यादि से विद्युत का रिजर्वेशन पर निर्भर करेगा।

(ग) बिहार में कोई भी विद्युत की अधिसूचित कटौती नहीं है और राज्य के द्वारा विद्युत की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए कभी कभी लोड शेडिंग की जाती है। डीजल सेटों को आर्थिक सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जवाहर लाल नेहरू पर फिल्म

360. **श्री मोहनलाल पटेल :**

श्री चिंतामणि जना : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू पर फिल्म की पटकथा तैयार कर ली गई है और सरकार से स्वीकृत करा ली गई है;

(ख) क्या यह भारत तथा सोवियत रूस का संयुक्त प्रयास है;

(ग) इस फिल्म का वित्त पोषण करने वाली एजेंसी का नाम क्या है;

(घ) क्या इस फिल्म के विश्वव्यापी वितरण के बारे में भी समझौता हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सोवियत पक्ष से आल यूनियन कारपोरेशन "सोविन फिल्म" और सेन्ट्रनोच-फिल्म स्टूडियो, मास्को और भारतीय पक्ष से फिल्म प्रभाग बम्बई।

(घ) जी, हां।

(ङ) वितरण सम्बन्धी करार में यह व्यवस्था है कि फिल्म के वितरण अधिकार सोवियत संघ, बलगारिया, क्यूबा, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन जनवादी गणराज्य, हंगरी, मंगोलिया, पोलैंड, रूमानिया, वियतनाम, कम्पूचिया, लाओस, कोरिया जनतांत्रिक गणराज्य, चीन, अंगोला, इथोपिया, मोजम्बीक, यमन जनतांत्रिक गणराज्य, यूगोस्लाविया और फिनलैंड के क्षेत्रों में सोवियत्र संघ को प्राप्त होंगे। विश्व के शेष भाग में वितरण अधिकार भारत को प्राप्त होंगे। अन्य शब्दों में, समूचे अमरीकी द्वीप (क्यूबा को छोड़कर) इंगलैंड, पश्चिमी यूरोप, अधिकांश अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बड़ी संख्या में एशियाई देशों में वितरण अधिकार भारत को प्राप्त होंगे।

बम्बई कपड़ा मिल हड़ताल का समाधान किया जाना

361. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रताप ने टिप्पणी की है कि बम्बई में कपड़ा श्रमिकों की काफी समय से चली आ रही हड़ताल से उत्पन्न विवाद को औद्योगिक न्यायालय को सौंप करके हल किया जा सकता है और सरकार, प्रतिनिधि यूनियन तथा अन्य यूनियनें उस न्यायालय के सामने अपने अपने पक्ष पेश कर सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बम्बई में एक वर्ष पुरानी कपड़ा हड़ताल को हल करने के लिए इस सुझाव को मानने को तैयार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जो रिट याचिका बम्बई के एक अधिवक्ता द्वारा जुलाई, 1982 में दायर की गई थी तथा जिसमें बाद में एक दूसरे अर्जीदार के रूप में बम्बई मिल ओनर्स ऐसोसिएशन भी शामिल हो गई थी, उसकी स्वीकृति-पूर्व (प्री-एडमिशन) सुनवाई के दौरान 12 अगस्त, 1982 को बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रताप ने यह जानना चाहा कि क्या महाराष्ट्र सरकार बम्बई मिल ओनर्स ऐसोसिएशन और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान विवाद को बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम की धारा-73 के अधीन विवाचन हेतु औद्योगिक न्यायालय को भेजने के लिए राजी है या नहीं।

(ख) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को यह बतलाया था कि निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस विवाद को औद्योगिक न्यायालय के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है :—

(i) एक अधिनिर्णय पहले से ही अस्तित्व में है जो लागू है तथा जिसमें दिसम्बर, 1984 के अन्त तक कर्मकारों की मांगें सम्मिलित हैं;

(ii) महाराष्ट्र गिरनी कामगार यूनियन नामक जिस यूनियन ने हड़ताल का आह्वान किया है, उसे बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम के अधीन बम्बई टैक्सटाइल कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कपड़ा उद्योग की मान्यता प्राप्त एवं अनुमोदित यूनियन राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ चली आ रही है; और

(iii) कपड़ा उद्योग की समस्याओं तथा हड़ताली कपड़ा श्रमिकों की मांगों की जांच करने के लिए, भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय त्रिपक्षीय समिति नियुक्त की है।

आइल इंडिया लि० द्वारा महानदी बेसिन में छिद्रण

2762. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आइल इंडिया लिमिटेड ने महानदी बेसिन में छिद्रण कार्य पुनः आरम्भ कर दिया है;

(ख) कितने कुंए खोदे जायेंगे;

(ग) क्या खुदाई कार्य के लिए कोई विदेशी सहायता ली गई है; यदि हां तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनकी शर्तें क्या हैं; और

(घ) परियोजना के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) आइल इंडिया द्वारा मार्च, 1983 में महानदी बेसिन में छिद्रण कार्य शुरू करने की समावना है।

(ख) 27 महीनों की अवधि में 6 अन्वेषणात्मक कुएं खोदने का प्रस्ताव है।

(ग) इन 6 अन्वेषणात्मक कुओं की खुदाई के कार्यक्रमों के लिये आइल इंडिया लिमिटेड ने एक मोबाइल छिद्रण यूनिट, दो सप्लाई बेसल तथा अन्य इंजिनियरिंग टेक्नीकल सेवाओं के लिये विदेशी फर्मों से अनुबन्धित किराये पर लिये गये हैं। मुख्य अनुबन्ध तथा उसकी दूसरे नियम व शर्तों को संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) इस प्रोजेक्ट के लिए 122 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	सेवाओं/अनुबन्ध की प्रकार	पार्टी/देश का नाम	अनुबन्ध की मुख्य शर्तें तथा अवधि
1.	मोबाइल छिद्रण यूनिट किराये पर लेने के लिये	मैसर्स प्रफोरेशन्स मेरीटीमस मैक्सीबन्स मैक्सिको	अनुमानित अनुबन्ध 30.990 मिलियन यू. एस. डालर जिसमें से 26.150 मिलियन यू एस डालर आयल तथा मेक्सीकन बैंक, बांका सर्फिन एस ए के बीच करार द्वारा दिये जाने हैं। यह धन 8.6 प्रतिशत ब्याज तथा अन्य अधिभार प्रति वर्ष दिये जाने हैं। कुल मूलधन 10 बराबर किश्तों में अर्धवार्षिक लौटाया जाना है यह कार्य शुरू होने के 36 महीनों के बाद शुरू होगा मोबाइलाइजेशन शुल्क : 2,478,000 यू एस डालर आपरेटिंग रेट : 35,200, यू एस डालर प्रतिदिन
2.	दो सप्लाई वेसल किराये पर लेने के लिये	मैसर्ज टाइडेक्स इंटरनेशनल यू एस ए	अनुमानित अनुबन्ध मूल्य 7,290,000 यू एस डालर जो 6,94,28,571.43 भारतीय रुपये के बराबर है। अनुबन्ध के अनुसार किराया अवधि एक वर्ष की है जिसे एक वर्ष तथा तीन महीने के लिये उन्हीं शर्तों पर बढ़ाया जा सकता है। यह अनुबन्ध किसी भी समय 6 महीने के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है।
3.	मड लोगिंग सर्विस	मैसर्स जियोसर्विसेस ओवरसीस एस. एस. सिंगापुर	अनुमानित अनुबन्ध मूल्य 11,41,500 यू एस डालर जो 1.11 करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर है।
4.	मड इंजीनियरिंग सर्विस	मैसर्स ड्रसर सिंगापुर लिमिटेड सिंगापुर	अनुमानित अनुबन्ध मूल्य 432.075 यू एस डालर जो 41.69 लाख भारतीय रुपयों के बराबर है।
5.	एसिड स्टीमूलेशन तथा फ्रेक्चारिंग सर्विसेस	मैसर्स डोवेल-स्कलमबरगर यू ए एफ	अनुमानित अनुबन्ध मूल्य 5,534,737 यू एस डालर जो 5.39 करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर हैं।

क्र० सं०	सेवाओं/अनुबन्ध की प्रकार	पार्टी/देश का नाम	अनुबन्ध की मुख्य शर्तें व अवधि
6.	सिमेंटिंग सर्विसेस	मैसर्स नोसको वेल सर्विसेस लिमिटेड कनाडा	अनुमानित अनुबन्ध मूल्य 1,428,083 कनेडियन डालर जो 1.13 करोड़ भारतीय रुपये के बराबर हैं। विदेशी मुद्रा की वित्त व्यवस्था सी आई डी ए क्रेडीट के अन्तर्गत की जायेगी।
7.	मिट्टी की जांच के अध्ययनों के लिये कोरिंग वेसल किराये पर लेना	मैसर्स मेकेलण्ड इंजीनियर्स एस ए सिंगापुर	अनुमानित अनुबन्ध मूल्य 388,712 यू के एस डालर जो 38 लाख भारतीय रुपये के बराबर है। इसका 4 प्रतिशत भारतीय रुपये में देय है।
8.	कम्पूटराईजड केसिंग टोर्क टर्न मेकअप सेवायें	मैसर्स बेकरलाइन यू एस ए	3,00,820 यू एस डालर विदेशी मुद्रा का कुल व्यय जो कि लगभग 29 लाख भारतीय मुद्रा के बराबर है।
9.	वायरलाइन लोगिंग सर्विसेस	मैसर्स स्कलमवरगर फार ईस्ट इनकोरपोरेट सिंगापुर	अनुमानित अनुबन्ध मूल्य 36,52,900 यू एस डालर जो कि लगभग 3.56 करोड़ भारतीय रुपये के तुल्य है। विदेशी मुद्रा भी जारी की जानी है तथा अनुबन्ध अभी किया जाना है।
10.	उत्पादन परीक्षण सेवायें, उपकरण किराये पर तथा परीक्षण के लिये तकनीकी कार्मिकों की व्यवस्था करना	मैसर्स फ्लोपेट्रोल इंटरनेशनल सिंगापुर	अनुमानित अनुबन्ध मूल्य 20,78,178 यू एस डालर जो 2.03 करोड़ भारतीय रुपये के बराबर है। विदेशी मुद्रा अभी जारी की जानी है तथा अनुबन्ध भी किया जाना है।

गाजीपुर में औषध कारखाने की स्थापना करना

363. **श्री जैनुल बशर** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजीपुर में एक औषध कारखाना लगाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) । (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण विकास के लिए विद्युत कार्यक्रम

364. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्यवार, लक्ष्य नियत किए गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा के लिए उक्त कार्यक्रम के लक्ष्य नियत किए गये थे; और

(ग) यदि हां, तो वर्षवार लक्ष्य क्या थे और उड़ीसा में बिजली के क्षेत्र में अब तक क्या उपलब्धियां हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) वर्षवार निर्धारित किए गए लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं—

(I) **ग्राम विद्युतीकरण**

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1980-81	1,600	1,573
1981-82	1,550	1,206
1982-83	1,250	471*

(II) **पम्पसेटों/ट्यूबवैलों का उर्जन**

1980-81	5,130	3,236
1981-82	1,010	2,929
1982-83	9,000	2,045*

1.4.1982 से 31.12.1982 तक की अवधि की प्रगति ।

उड़ीसा को मिट्टी के तेल और डीजल की सप्लाई

365. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982 में उड़ीसा को आवंटित की गई मिट्टी के तेल और डीजल की मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : वर्ष 1982 के दौरान उड़ीसा राज्य को 96036 मी. टन मिट्टी का तेल और 181700 मी. टन डीजल का आवंटन किया गया था।

गुजरात में अगुड़ा के निकट तेल कुंए में आग

366. **श्री गुलाम रसूल कोचक :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में महसाना जिले के अगुड़ा गांव के निकट तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के एक तेलकूप में 2 दिसम्बर, 1982 को आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982 के दौरान गुजरात में किसी तेलकूप में आग लगने की यह दूसरी घटना है;

(ग) इसके मुख्य कारण क्या थे;

(घ) उक्त आग के फलस्वरूप भारत को कुल कितनी हानि हुई; और

(ङ) तत्सम्बन्धी सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक पुर: स्थापित किया जाना

367. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

विभिन्न केन्द्रीय मजदूर संगठनों के परामर्श के साथ सरकार की व्यापक औद्योगिक संबंध विधेयक कब तक पुर:स्थापित करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन और सनत मेहता समिति ने औद्योगिक सम्बन्ध कानूनों में परिवर्तन करने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं।

कोयल-कारो पन बिजली परियोजना

368. **श्री राजेश कुमार सिंह :**
श्री जगपाल सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कोयल-कारो पन बिजली परियोजना का प्रस्ताव कब तैयार किया गया था और परियोजना को अन्तिम रूप कब दिया जाएगा;

(ख) परियोजना को निष्पादन के लिए केन्द्र द्वारा अपने अधिकार में कब लिए गया और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना को निष्पादन के लिए लेने में क्या कठिनाइयां हैं और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) अन्वेषण कार्य पूरे हो जाने के बाद परियोजना 1973 में तैयार की गई थी और स्कीम को योजना आयोग द्वारा सितम्बर, 1976 में अनुमोदित किया गया था ;

(ख) परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में क्रियान्वयन के लिए निर्णय जुलाई, 1980 में लिया गया था। इसके केन्द्रीय क्षेत्र में हाथ में लेने का कारण परियोजना की व्यापकता है, जिसकी क्षमता 710 मेगावाट है, जिससे पूर्वी क्षेत्र में जल विद्युत और ताप विद्युत के मिश्रण की असमानता को कम किया जा सकता है तथा ऐसी परियोजना के लिए भारी निवेश अपेक्षित है।

(ग) भूमि के अधिग्रहण करने और भूमि का कब्जा लेने में कुछ कठिनाइयां हुई हैं। अब इन समस्याओं को बिहार सरकार भूमि स्वामियों के साथ बातचीत करके तथा बिहार सरकार और भारत सरकार के बीच विचार-विमर्श करके हल किया जा रहा है।

प्रसारण और दूरदर्शन माध्यम पर सलाह देने के लिए विशेषज्ञ समिति ग्रुप का गठन

369. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्रसारण और दूरदर्शन माध्यमों पर सलाह देने के लिए विशेषज्ञ समिति/ग्रुप का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति/ग्रुप के निदेश पद क्या हैं;

(ग) गत वर्षों में कितनी बार विशेषज्ञ समितियां/ग्रुप गठित किये; और

(घ) इन समितियों/ग्रुपों द्वारा की गई सिफारिशों/दिये गये सुझावों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां। दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम सम्बन्धी योजना तैयार करने के लिए दिसम्बर, 1982 में एक कार्य दल गठित किया गया है।

(ख) कार्य दल के विचारणीय विषय परिशिष्ट में दिए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० 5801/83]

(ग) और (घ) कार्य दल का गठन दूरदर्शन के लिए "इनसैट" का उपयोग करने के लिए कार्यक्रम सम्बन्धी योजना तैयार करने के लिए किया गया था। "इनसैट" की सहायता में ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवाओं का विस्तार करने के लिए विस्तृत कार्यवाई योजनाएं तैयार करते समय इस दल की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा, सरकार ने पहले अपने माध्यमों से सम्बन्धित नीति मुद्दों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए एक माध्यम सलाहकार समिति गठित की थी। रंगीन दूरदर्शन चालू करने और समाचार नीति के सम्बन्ध में इस समिति की दूरदर्शन तथा आकाशवाणी सम्बन्धी सिफारिशों पर विचार करके उनको कार्यान्वित कर दिया गया था। इसी प्रकार, स्टाफ आर्टिस्टों को पेंशन देने से सम्बन्धित सिफारिशों के बारे में सरकार के निर्णय को कार्यान्वित किया जा रहा है।

सोवियत रूस में टरबो-जेनरेटरों की खरीद

370. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री रशीद मसूद : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी बिहार में कहलगांव सुपर तापीय बिजलीघर के लिए सोवियत रूस से 210 मेगावाट के कुछ टरबो-जेनरेटर खरीदे गये हैं जबकि "भेल" द्वारा पिछले एक दशक से वास्तव में उन्हीं जेनरेटरों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सोवियत रूस से कितने जेनरेटर खरीदे गये हैं और उन पर क्या लागत आई है; और

(ग) इन जेनरेटरों को सोवियत रूस से खरीदने का निर्णय सरकार ने किस कारण से किया जबकि इसी प्रकार के जेनरेटरों का स्वदेशी निर्माण हो रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) सम्भवतः यह संदर्भ कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में है। इस परियोजना के लिए उपस्करों के आर्डर अभी तक नहीं दिए गए हैं, क्योंकि इस परियोजना पर निवेश सम्बन्धी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

टेट्रासाइक्लीन का चोरी छिपे आयात

371. **श्री राजेश कुमार सिंह :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि टेट्रासाइक्लीन का आयात टेट्र-यूरिया कामालेक्स के

नाम में तथा पुन: वैद्य किये गये लाइसेंसों एवं खुले सामान्य लायसेंसों के अधीन बड़ी मात्रा में अवैध रूप से किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और क्या यह सही है कि टेट्रासाइक्लीन के आयात पर प्रतिबंध होना ही उक्त औषध के अवैध आयात का कारण है और क्या इसके कारण भारतीय औषध उद्योग तथा विशेष रूप से इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि. पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) (क) से(ग) : टेट्रासाइक्लीन यूरिया कम्पलेक्स के आयात की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं। आयात और निर्यात नीति 1982-83 के अधीन टेट्रासाइक्लीन एक सरणीबद्ध है। तथापि, 1982-83 के दौरान देश में मूल स्तर से टेट्रासाइक्लीन के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। एस. टी. सी. के माध्यम से आयात करना आवश्यक नहीं समझा गया था। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये कि टेट्रासाइक्लीन का अनधिकृत अथवा अवैध आयात न हो।

उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

372. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री राम विलास पासवान : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों से उच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इन न्यायाधीशों के चयन पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लगभग 70 सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंता की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया का ब्योरा क्या है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियाँ करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) सरकार ने जनवरी, 1983 के "स्टेट्समैन" में छपे इस आशय के समाचार को देखा है।

(घ) सरकार उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियाँ न्यायालय की न्यायप्रियता और निष्पक्षता में नागरिकों की निष्ठा और विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता को पूर्णत: ध्यान में रखकर

करती है । संविधान के अनुच्छेद 124 में उपबंधित रक्षोपायों का सदैव पालन किया जाता है और उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् ही की जाती हैं ।

निर्वाचनों में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिए अनुदेश

373. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन आफिसरों को सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिए विस्तृत अनुदेश जारी किए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल):(क) और(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए जारी की गई आदर्श आचार संहिता के पैरा 7 का उद्धरण संलग्न है, जिसमें निर्वाचनों में सरकारी तंत्र के उपयोग/दुरुपयोग के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं । आयोग ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन आफिसरों/मुख्य सचिवों का ध्यान इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों की ओर आकर्षित किया था । आयोग ने निर्वाचनों के संचालन के सम्बन्ध में, तारीख 30 नवम्बर, 1982, 2 दिसम्बर, 1982 और 14 दिसम्बर, 1982 के अपने तारों द्वारा भी इन राज्यों के सम्बन्धित प्राधिकारियों का ध्यान निर्वाचन कराने के सम्बन्ध में आयोग के समेकित अनुदेशों की ओर भी विशेष रूप से आकर्षित किया था ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये एल. टी. 5802/82]

प्रेस पत्रकारों के साथ बिहार प्रेस विधेयक पर चर्चा

374. **श्रीमती गीता मुखर्जी** :
श्री कमल नाथ :
श्री कमला मिश्र मधुकर :
श्री पी० एम० सईद :
श्री एडआर्डो फैलीरो : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार प्रेस विधेयक पर प्रेस के विभिन्न प्रतिनिधियों, पत्रकारों आदि के साथ चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन-किन व्यक्तियों ने भाग लिया तथा उन्होंने किन-किन संगठनों का प्रतिनिधित्व किया;

(ग) उसमें क्या-क्या मुख्य बातें/आपत्तियां उठाई गई;

(घ) वार्ता का क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या मन्त्रालय ने बिहार सरकार को कुछ सुझाव दिये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हाँ ।

(ख) इन चर्चाओं में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम और उन संगठनों के नाम जिनका प्रतिनिधित्व करने का उन्होंने दावा किया था, संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ग) और (घ) इन संगठनों के प्रतिनिधियों का विचार था कि "बिहार प्रेस विधेयक" को अधिनियमित करने का कोई औचित्य नहीं है। तथापि, प्रेस और समाचारपत्र उद्योग की एसोसिएशनों के साथ हुई बातचीत के परिणामस्वरूप सरकार इस बारे में सही तस्वीर प्राप्त कर सकी कि उनके द्वारा विधेयक की कौन-कौन सी बातें आपत्तिजनक समझी गई। यह सरकार द्वारा विधेयक पर विचार किये जाने में सहायक हुआ । इसके अलावा, विधेयक के विरुद्ध प्रेस द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाये गये आन्दोलन को भी स्थगित कर दिया गया था ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

(क) 29-10-1982 को हुई बैठक

क्रम संख्या	प्रेस एसोसिएशन का नाम	जिसके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया
1.	इण्डियन फैडरेशन आफ वार्किंग जर्नलिस्ट्स	1. श्री ए० राघवन और 2. श्री एम० के० राममूर्ति
2.	दि नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स (आई)	1. श्री एन० के० त्रिखा और 2. श्री पृथ्वीस चक्रवर्ती
3.	प्रेस एसोसिएशन आफ इण्डिया	1. श्री एस० सी० अनन्तरामन और 2. श्री सुनीत घोष
4.	आल इण्डिया न्यूजपेपर्स एडिटर्स कान्फ्रेंस	1. श्री विश्व बन्धु गुप्त

5.	एडिटर्स गिल्ड आफ इण्डिया	1. श्री एस० सहाय 2. श्री के० नरेन्द्र और 3. श्री एम० वी० देसाई
6.	इण्डियन एंड इस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसायटी	1. श्री रमेश चन्द्र
7.	इण्डियन लेंग्वेज न्यूजपेपर्स एसोसिएशन	1. श्री प्रताप टी० शाह
8.	आल इण्डिया स्माल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर्स एसोसिएशन	1. श्री प्रेम चन्द वर्मा
9.	आल इण्डिया स्माल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर्स फेडरेशन	1. श्री हरमजन सिंह 2. श्री सी० एल० खन्ना और 3. श्री केसर सिंह

(ख) 6 दिसम्बर, 1982 को हुई बैठक

1.	इण्डियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स	1. श्री ए० राघवन और 2. श्री उपेन्द्र बाजपेयी
2.	नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स (आई)	1. श्री एन० के० त्रिखा और 2. श्री पृथ्वीस चक्रवर्ती
3.	प्रेस एसोसिएशन आफ इण्डिया	1. श्री एस० सी० अनन्तरामन 2. श्री सुनीत घोष और 3. श्री विजय संघवी
4.	आल इण्डिया न्यूजपेपर्स एडिटर्स कान्फ्रेंस	1. श्री विश्व बन्धु गुप्ता
5.	इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसायटी	1. श्री रमेश चन्द्र 2. श्री बसुदेव रे
6.	इण्डियन लेंग्वेज न्यूजपेपर्स एसोसिएशन	1. श्री महेन्द्र मोहन गुप्ता
7.	आल इण्डिया स्माल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर्स एसोसिएशन	1. श्री प्रेम चन्द्र वर्मा
8.	आल इण्डिया स्माल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स फेडरेशन	1. श्री अतुर संगतानी 2. श्री हरभजन सिंह

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अतिरिक्त पुर्जों की चोरी

375. **श्री त्रिलोक चन्द :**

श्री जगपाल सिंह :

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के और बम्बई में उपयोग में लाये जाने वाले लाखों रु० मूल्य के अतिरिक्त पुर्जे चोरी चले गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और चोरी गये पुर्जों की कीमत क्या थी;

(ग) क्या सरकार ने इस चोरी की कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के 3.5 लाख रुपये के पुर्जे जो कि बम्बई तटेतर परियोजना के लिए थे 12 विक्टोरिया डांक के खुले क्षेत्र से चोरी हो गए थे । इस क्षेत्र पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट का पहरा था ।

(ग) व (घ) पुलिस ने 13 दिसम्बर, 1982 को सी. आर. सं० 242/82 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379/114 के अधीन अपराध दर्ज किया है । पुलिस द्वारा की गई जांच से यह पता चला है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के किसी कर्मचारी ने इस अपराध के लिए दुष्प्रेरित नहीं किया था । दो अभियुक्तों से 2.07 लाख रुपये मूल्य की सम्पति बरामद हुई है । छानबीन चल रही है और अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र पुलिस द्वारा जांच पूरी हो जाने पर प्रस्तुत किया जायेगा ।

सरकार द्वारा प्रकाशित टिकटों, फोल्डरों और प्रथम दिवस आवरणों में त्रुटियां

376. **श्री त्रिलोक चन्द :**

श्री जयपाल सिंह कश्यप : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली में हाल ही में एक टिकट-संकलक द्वारा आयोजित प्रदर्शनी की जानकारी है जिसमें गत तीन दशकों के दौरान सरकार द्वारा प्रकाशित टिकटों, फोल्डरों और प्रथम दिवस आवरणों में भयंकर त्रुटियों के बारे में बताया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि प्रकाशित की जाने वाली भारतीय टिकटें, फोल्डर और प्रथम दिवस आवरण तथ्यात्मिक दृष्टि से देखने में और तैथिक रूप से सही हों ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रदर्शनी के आयोजक द्वारा बताई गई त्रुटियां और भूल-चूक अधिकांशत: सूचना पत्रों और प्रथम दिवस आवरणों से सम्बन्धित थीं और साधारणतया मुद्रण और अनुवाद की गलतियों के बारे में थी। केवल कुछेक मामलों में डाक टिकटों में भी त्रुटियों की ओर संकेत किया गया है। हालांकि सरकार यह सुनिश्चित करने के सभी संभव प्रयास करती है कि सूचना पत्रों, प्रथम दिवस आवरणों और डाक टिकटों में दी गई सूचना सही हो, तथापि प्राय: विभिन्न विचारधाराएं होने के कारण कभी-कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और किसी एकाध मामले में त्रुटियां भी हो सकती हैं। टित्रुयों एवं भूल-चूकों से बचने के लिए सरकार ने डाक टिकटों, प्रथम दिवस आवरण एवं सूचना पत्रों के जारी होने से पहले सम्बन्धित विषय की जांच करने के लिए मान्य प्राधिकारियों से परामर्श करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है।

रसोई-गैस के खराब सिलेंडरों का परीक्षण

377. श्री वसंत कुमार पंडित : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम निगम के गृहस्थों को वितरित किये जाने वाले रसोई-गैस के खराब सिलेंडरों का पता लगाने के लिये बम्बई में अक्तूबर, 1982 में "आप्रेशन विड्रावल" चलाया था;

(ख) यदि हां, तो कितने निर्माता एककों के कितने सिलेंडरों का परीक्षण किया गया। लागू की गई 'क्लाक' तथा 'डेगर' पद्धति के क्या परिणाम निकले और कितने सिलेंडर 'लीक' करते हुए पाये गये;

(ग) सभी निर्माताओं के सिलेंडरों का परीक्षण करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है और उनकी किन-किन स्थितियों में जांच की जायेगी और क्या निर्णय किये जायेंगे;

(घ) क्या "आपरेशन विड्रावल" को दिल्ली, भोपाल, मद्रास, कलकत्ता तथा अन्य बड़े वितरण केन्द्रों में परीक्षण हेतु लागू किया गया है;

(ङ) बम्बई, दिल्ली और अन्य स्थानों पर वर्तमान उपभोक्ताओं को आज तक रसोई-गैस के कितने दूसरे अतिरिक्त सिलेंडर जारी किये गये हैं; और

(च) गृहस्थों की रक्षा करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की क्या रक्षा करने के लिए खराब तथा 'लीक' करने वाले सिलेंडरों का पता लगाने के लिए क्या अन्य उपाय किये जायेंगे और उपायोजन प्रयोग में लाये जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केवल भारतीय मानक संस्थान द्वारा ही जांच और अंकित किये गये एल. पी. जी. सिलेंडरों को ही सभी तेल कम्पनियों द्वारा स्वीकार किया जाता है। इन सिलेंडरों को जारी करने से पूर्व विस्फोटक मुख्य नियंत्रक का प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किया जाता है।

(घ) जी, नहीं। पुणे बाजार में कुछ परिवारों को छोड़कर।

(ङ) जनवरी, 1983 के दौरान भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा विभिन्न बाजारों में स्थापित किये सिलेंडर निम्नलिखित रूप में थे :—

हैदराबाद	210
कुरनूल	250
दिल्ली	1735

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन के द्वारा अपने अन्य बाजारों के सम्बन्ध में सिलेंडर का जारी करना अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है।

(च) यह सुनिश्चित करने के लिये किसी प्रकार का रिसाव नहीं है, एल. पी. जी. के सिलेंडरों का कानूनी परीक्षण और नियमित रूप से किये जाने वाले निरीक्षणों के अतिरिक्त सब सिलेंडरों का जल परीक्षण और साबुन के घोल के परीक्षण किये जाते हैं। इसके अलावा सिलेंडरों की वितरकों के गोदामों में प्रत्यक्ष जांच की जाती है और हिसाब/दोषपूर्ण सिलेंडर यदि पाये जाते हैं तब उन्हें अलग रख दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहकों को दोषमुक्त सिलेंडर देने के लिये प्रयास किये जाते हैं।

महाराष्ट्र को एसोसियेट गैस का आवंटन

378. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं के लिये बम्बई हाई से प्रतिदिन 3 करोड़ 20 लाख घन मीटर एसोसियेट गैस के आवंटन की माँग की है;

(ख) केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र की उपरोक्त मांग के बदले कितनी मात्रा में गैस मंजूर की है;

(ग) क्या महाराष्ट्र के राज्य औद्योगिक तथा निवेश निगम ने केन्द्र को एसोसियेट गैस की आवश्यकता के बारे में विस्तृत ज्ञापन दिया है;

(घ) आगामी पांच वर्षों में (एक) ट्राम्बे और थल वायेशेट स्थित राष्ट्रीय केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स, (दो) तलेजा स्थित दीपक फर्टिलाइजर्स, (तीन) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का रसोई गैस का उत्पादन, (चार) टाटा तापीय केन्द्र, और (पाँच) उरन स्थित महाराष्ट्र विद्युत बोर्डों की परियोजना, परियोजनाओं के लिये वास्तविक आवश्यकताएं कितनी-कितनी हैं; और

(ङ) क्या सरकार अतिरिक्त एसोसियेट गैस के आवंटन के लिये महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर विचार कर रही है, यदि हां, तो किस सीमा तक और कब ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ङ) बम्बई हाई में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के साथ इस प्राकृतिक गैस के अनुकूलतम उपयोग के लिए एक योजना बनाने का प्रयास किया गया। इस उद्देश्य के लिए इस प्रकार के पहले कार्यकारी दल 1977 में नियुक्त किये गये और गुजरात तथा महाराष्ट्र में अतटीय गैस के उपयोग के बारे में उनकी रिपोर्ट में अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होने की सम्भावना वाली प्राकृतिक गैस के लिए यह दृष्टिकोण था कि महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री का उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जैसे उर्वरकों के उत्पादन में किया जाना चाहिए जहां गैस की अवसरानुकूल लागत नेपथा की अवसरानुकूल लागत से ज्यादा हो जाती हो और ईंधन तेल की अवसरानुकूल लागत कहीं ज्यादा बढ़ जाती है और दूसरे, देश में ईंधन-तेल की वर्तमान खपत को कोयले से प्रतिस्थापित करके न कि प्राकृतिक गैस से अधिक अनुपात में बचाया जा सकेगा परन्तु जब तक कि गैस काफी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो जाए या कोई बहुत बड़ा कारण जैसे गम्भीर पर्यावरण समस्या ही न बन जाए।

प्राकृतिक गैस के सर्वोतम उपयोग पर बनाए दूसरे कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट 1979 में प्रस्तुत की जिसका विचार था कि उच्च कीमती उत्पादों के लिए देश के सीमित हाइड्रोकार्बन संसाधनों को बनाए रखने के बारे में पूर्व संस्तुत और आम नीति पर फिर से जोर दिया जाए। इस कार्यकारी दल के अनुसार इंडियन गैस की अधिकतम अवसरानुकूल लागत नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन में है और सी-2 और सी-3 अंश का उपयोग पेट्रो रसायन के उत्पादन में है तथा सी-4 और सी-3 अंश के भाग का उपयोग एल. पी. जी. के उत्पादन में है जो किरोसीन के स्थान पर काम आते हैं।

अगले 5 वर्षों में भाग (घ) में उल्लिखित परियोजनाओं की गैस की खपत का ओ.एन. जी. सी. द्वारा लगाया गया अनुमान नीचे दिया गया है :

	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
			एम. एम. प्रति दिन	
1. आर. सी. आर. ट्राम्बे	1.8	1.8	1.80	1.80
2. आर. सी. एफ. थल	0.275	0.53	2.80	3.00
3. डी. एफ. पी. सी. एल	0.25	0.25	0.25	0.25
4. एल. पी. जी. यूरान	0.40	0.40	0.80	0.80
5. टाटा थरमल	1.4	1.4	1.4	1.4
6. एम. एस. ई. बी.	1.8	1.8	1.8	1.8

कच्चे तैल के बढ़े हुए उत्पादन और बढ़े हुए गैस तेल अनुपात के कारण पिछले अनुमानों

के मुकाबले गैस का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में बढ़ गया है। सर्वोतम उपयोग का अध्ययन करने और गैस के उपयोग सम्बन्धी सिफारिशें करने के लिए पेट्रोलियम विभाग ने एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया। कार्यकारी दल की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

महाराष्ट्र सरकार ने 35 एम.सी.एम.डी. गैस की अपनी खपत के लिये अनुरोध किया है।

उपर्युक्त अनुरोध से अधिक मंजूरी के प्रश्न पर कार्यकारी बल की रिपोर्ट आने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

तेल के तट-दूर कुओं की खुदाई

379. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक क्षेत्र में अब तक तेल के कुल कितने तट-दूर कुएं खोदे गये, इस समय कितने कुंओं पर काम चल रहा है;

(ख) (एक) तेल तथा (दो) प्राकृतिक गैस के उत्पादन से लिये कितने कुंओं का उपयोग किया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस का कुल कितना औसतन दैनिक उत्पादन होता है; और

(ग) क्या प्रत्येक क्षेत्र में तेल के सभी कुंओं का उनकी पूरी-पूरी क्षमता के उपयोग किया जा रहा है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ह ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) 1.2.1983 तक अपतट में कुल 239 कुपों की खुदाई की गई है। इनमें 209 कूप पश्चिमी तट में (93 अन्वेषी और 116 विकास) और 30 अन्वेषी कूप पूर्वी तट में थे।

(ख) 1.2.1983 को बम्बई हाई में 96 कूप उत्पादन कर रहे हैं। तेल और सम्बद्ध गैस का औसत उत्पादन प्रतिदिन क्रमश: 3,10,000 बी. ओ. पी. डी. और 7.9 मि. घन मीटर है।

(ग) जी, हां।

डाक-तार विभाग द्वारा धनुष-बाण लिए भगवान कृष्ण का टिकट जारी किया जाना

380. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तार विभाग ने एक टिकट पर भगवान कृष्ण को धनुष-बाण धारण किए हुए दिखाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदाई है;

(ग) ऐसा टिकट जारी करने पर सरकार द्वारा कुल कितना व्यय किया गया है;

(घ) कुल कितने मूल्य के टिकट बेचे गये हैं तथा कुल कितने मूल्य के टिकट नष्ट किये गये हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार को कितना घाटा हुआ है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इस विषय पर डाक टिकट जारी करने के बारे में विभाग ने सोच समझकर निर्णय लिया था।

(ग) तीन मिलियन डाक टिकट के मुद्रण का कुल खर्चा 3,60,000/-रु० है।

(घ) इन टिकटों की देश तथा विदेश में भारी मांग है और उनकी बिक्री अभी की जा रही है। इन टिकटों को नष्ट करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आशा है कि तीन मिलियन डाक टिकट जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 1/-रु० है, शीघ्र ही बेच दी जाएंगी।

(ङ) इन टिकटों के कारण सरकार द्वारा हानि उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसके विपरीत इन टिकटों की बिक्री से विदेशी मुद्रा के रूप में काफी राजस्व अर्जित होने की आशा है।

"पाइजन आफ बांडेड लेबर" शीर्षक समाचार

381. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21-27 मार्च, 1982 की साप्ताहिक पत्रिका "दिनमान" में प्रकाशित "पाइजन आफ बांडेड लेबर" शीर्षक लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) इस समय देश में बन्धुआ मजदूरों की संख्या कितनी है तथा उनमें से कितने मजदूरों को मजदूरी के बदले नकद भुगतान करने की बजाए "केसरी दाल" दी जाती है जिसको खाने से मजदूरों की टांगों में तीन से पांच महीने की अवधि के भीतर लकवा हो जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और 1981-82 के दौरान कितने व्यक्तियों को मुक्त कराया गया तथा उन्हें किस तरह का नया रोजगार दिया गया ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पता लगाए तथा मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या 31.12 82 को 1,52,338 थी। ऐसे बंधुआ श्रमिकों की संख्या के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिन्हें वेतन के रूप में नकद राशि के स्थान पर केसरी दाल दी गई, जिसे खाने के कारण 3 से 5 महीने के दौरान उन्हें टाँगों का लकवा हो गया।

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 31.12.82 तक 1,11,769 मुक्त कराए

गए बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास हो चुका है। 1981-82 के दौरान मुक्त कराए गए व्यक्तियों की संख्या 17,621 है।

मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास राज्य सरकारों द्वारा क्षेत्र विकास तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी अपनी चालू योजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है। उन्हें 1978-79 से चल रही उस केन्द्र संचालित योजना के अधीन भी पुनर्वासित किया जाता है, जिसमें भूमि पर आधारित, पशुपालन/मुर्गीपालन पर आधारित, कौशल/दस्तकारी/व्यवसाय पर आधारित योजनाओं के अन्तर्गत पुनर्वास की परिकल्पना की गई है। मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों को दिलाया गया रोजगार (क) सामुदायिक भूमि पर आधारित योजनाओं, (ख) रेशमकीट पालन और टस्सर से सम्बन्धित योजनाओं, (ग) मत्स्य पालन (घ) बागवानी, (ङ) ईंट-भट्टों, (च) औद्योगिक सहकारी समितियों, और (छ) पत्थर खदानों इत्यादि के रूप में है।

फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा अनुसरण किये जा रहे दिशा-निर्देश

382. **श्री मनोहर लाल सनी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेंसर बोर्ड द्वारा कानूनों और मार्ग-निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं किया जाता जिसके कारण "अपराध" और "फिर भी" नामक हिन्दी फिल्मों को पहली ही बार में कमशः ("यू" और "ए" प्रमाणपत्र दिए गए थे यद्यपि इन फिल्मों में अश्लीलता और हिंसा के दृश्यों की भरमार थी तथा वे क्रमशः विवाहेतर सम्बन्धों के मूल विषय पर केन्द्रित थीं;

(ख) क्या "अपराध" फिल्म के निर्माता ने कुछ वर्षों के बाद जब इसके सेंसर प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया तो इस फिल्म पर इस दलील पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था कि यह हीन भावनाओं को उत्तेजित करती है, और फिल्म "फिर भी" को "यू" प्रमाण पत्र दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो पहले "यू" और "ए" प्रमाण पत्र जारी करने तथा बाद में प्रतिबन्ध लगाने और "यू" प्रमाण-पत्र देने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी, नहीं। "अपराध" (हिन्दी) नामक फिल्म को 1972 में काटछांट के के साथ "यू" प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। जब यह फिल्म 1982 में पुनः प्रमाणीकरण किए जाने के लिए आई तब फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा इसकी पुनः जांच की गई थी। चूंकि पुनरीक्षण समिति में मतभेद है, इसलिए फिल्म को सरकार के पास भेजा गया है। मामले में सरकार द्वारा अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

"फिर भी" (हिन्दी) नामक फिल्म को 1971 में "ए" प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था।

जांच समिति जिसने फिल्म की जांच की थी, ने महसूस किया कि फिल्म को 'यू" प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है बशर्ते कि इसमें से सपने वाला अनुक्रम निकाल दिया जाए। इसके बाद, आवेदक ने "ए" प्रमाण-पत्र के लिए अनुरोध किया क्योंकि वे सपने वाले अनुक्रम को कायम रखना चाहते थे। इस प्रकार इस फिल्म को एक काटकांट के साथ "ए" प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया था। जब यह फिल्म 1982 में पुन: प्रमाणीकरण किए जाने के लिए आई तब आवेदक ने बोर्ड से यह अनुरोध किया कि वह पुन: यह देखें कि क्या इस फिल्म को "यू" प्रमाण-पत्र प्रदान किया जा सकता है। इस फिल्म को पुनरीक्षण समिति द्वारा देखा गया जिसने 7-1 के बहुमत से फिल्म को स्पष्ट "यू" प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की सिफारिश की। तदनुसार इस फिल्म को 1982 में "यू" प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था।

नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए टिकटों की बिक्री

383. **श्री जय नारायण रौत :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में 3 जनवरी से 17 जनवरी, 1983 तक हुए नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए प्रत्येक मूल्य-वर्ग के कितने टिकट मुद्रित किये गये;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिये प्रत्येक मूल्य-वर्ग के कितने टिकट बेचे गये; और

(ग) प्रत्येक मूल्य-वर्ग के कितने टिकट नहीं बेचे गये और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) प्रत्येक मूल्य-वर्ग में मुद्रित किये गये, प्रत्येक मूल्य-वर्ग में बेचे गये और प्रत्येक मूल्य-वर्ग में नहीं बेचे गये टिकटों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। समारोह का उद्देश्य विश्व का सिनेमाटोग्राफियों को अपनी अपनी फिल्म कला की उत्कृष्ठता को प्रतिबिम्बित करने और विश्व के विभिन्न लोगों के बीच मैत्री और सहयोग बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करना था। यह एक सांस्कृतिक गतिविधि के स्वरूप का था न कि वाणिज्यिक उद्यम के स्वरूप का। फिल्म समारोह में प्रदर्शित की जाने वाली फिल्में वाणिज्यिक फिल्में नहीं होतीं बल्कि उत्कृष्ठ कलात्मक तत्व वाली फिल्में होती हैं।

विवरण

मूल्य वर्ग	कुल मुद्रित किए गए	बेचे गए	नहीं बेचे गए
25 रुपए	55216	16567	38649
20 रुपए	119084	43127	75957
15 रुपए	117740	63188	54552
10 रुपए	66892	47663	19229
5 रुपए	54510	16 80	37950
4 रुपए	40152	5953	34199

विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले

384. **श्री जयनारायण रौत :**

श्री विरदा राम फुलवारिया :

श्री चिरंजी लाल शर्मा :

श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में आज तक श्रेणीवार कितने मामले लम्बित पड़े हैं; और

(ख) उन मामलों को तेजी से निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

विधि, न्याय और कपनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्री द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, श्रेणीवार लम्बित मामले विवरण सं. 1 में बताए गए हैं।

(ख) उनको शीघ्रता से निपटाए जाने के लिए की गई कार्रवाइयां विवरण सं. 2 में बताई गई हैं।

विवरण-I

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या

न्यायालय का नाम	मामलों की श्रेणी		
उच्चतम न्यायालय (31.12.82 को)	नियमित सुनवाई वाले मामले	ग्रहण किए जाने के लिए मामले	योग
	33949	29092	63041*
उच्च न्यायालय (30.6.82 को)	सिविल	दांडिक	कुल
	811973	100791	912764@

*इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय में 31-12-82 को प्रकीर्ण सिविल और दांडिक अर्जियां भी लम्बित थीं।

@उच्च न्यायालयों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार इन आंकड़ों में कलकत्ता, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पटना और राजस्थान उच्च न्यायालयों में लम्बित केवल मुख्य मामले सम्मिलित हैं। अन्य उच्च न्यायालयों में लम्बित मुख्य और प्रकीर्ण, दोनों प्रकार के मामले सम्मिलित हैं।

विवरण-II

लम्बित मामलों को कम करने के लिए की कार्रवाईयां

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या कम करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाइयां की गई हैं :

1. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में 1976 में संशोधन किया गया। (देखिए धारा 100क)।

2. विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अधिनियमित की गई और उसका 1979 और 1980 में संशोधन किया गया।

3. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का संशोधन करके 31.12.1977 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई, इसमें मुख्य न्यायाधिपति सम्मिलित नहीं है।

4. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या समय-समय पर बढ़ाई गई है।

5. उच्चतम न्यायालय के नियमों का संशोधन करके रजिस्ट्रारों और चैंबर में न्यायाधीशों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं जिससे कि न्यायालय का समय छोटे प्रकीर्ण मामलों में नष्ट न हो।

6. उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित उपाय भी किए हैं :

   (i) कतिपय मामलों को पूर्विकता दी जाती है।

   (ii) प्रकीर्ण मामले प्रतिदिन सुनवाई के लिए रखे जाते हैं।

   (iii) ऐसी रिट पिटीशनों की जिनमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, एक ग्रुप में रखा जाता है और 50 से लेकर 100 मामले सुनवाई के लिए एक साथ बैंचों में रखे जाते हैं।

   (iv) ऐसे अन्य मामलों का भी जिनमें एक समान प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, समय-समय पर पता लगाकर उन्हें एक साथ रखा जाता है और इस बात का ध्यान रखने का प्रयास किया जाता है कि ऐसे ग्रुपों का निपटारा शीघ्र हो जाए।

   (v) उच्चतम न्यायालय नियमों को 1966 में पुनरीक्षित किया गया था और उसमें यह उपबन्ध किया गया था कि अभिलेखों का मुद्रण उच्चतम न्यायालय के पर्यवेक्षण में ही कराया जाए। इसमें भी काफी समय लग जाता था, अतः कुछ दिनों से इस न्यायालय ने जहां कहीं भी सम्भव होता है अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता को

समाप्त करना और अपील की सुनवाई विशेष इजाजत पेपर बुक पर करना आरम्भ कर दिया है परन्तु वह ऐसा तब करता है जब दोनों पक्षकार अपने शपथ पत्र और प्रति-शपथ पत्र दाखिल कर देते ह ।

7. उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई कर रहे हैं :

(क) अनेक उच्च न्यायालय ऐसे मामलों को, जिनमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित हैं एक ग्रुप में रख रहे हैं;

(ख) सूचना तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना;

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना;

(घ) कुल अधिनियमों के अधीन वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना;

8. सरकार ने उन राज्यों के मुख्य मन्त्रियों और उन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को जिनमें 5 वर्ष से अधिक पुराने सिविल मामले भारी संख्या में लम्बित हैं, यह भी लिखा है कि वे संविधान के अनुच्छेद 224क के अधीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विचार करें ।

9. सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10वें विधि आयोग) की भी नियुक्ति की है । विधि आयोग को निर्दिष्ट विषयों में से कुछ निम्नलिखित हैं :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से—

(i) इस आधारभूत सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों के शीघ्र और कम खर्च पर निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलम्ब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए;

(ii) तकनीकी बारीकियों और विलम्बकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करे, प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए;

(iii) न्याय प्रशासन से सम्बन्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए; न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना ।

(ख) सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल

बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों को या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

विदेशी कम्पनियों द्वारा औषधि नीति का उल्लंघन

385. **श्री बी० डी० सिंह :**

श्री रशीद मसूद : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विदेशी औषध कम्पनियां बल्क औषधियों के उत्पादन के सम्बन्ध में 1978 में घोषित औषध नीति में यथा अपेक्षित उत्पादन के मानदण्ड का लगातार उल्लंघन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में संक्षेप में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) 1978 में घोषित की गई औषध नीति में यह व्यवस्था है कि विदेशी औषध कम्पनियों के मामले में प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशनों के उत्पादन के मूल्य का अनुपात 1 : 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्ष 1981-82 के दौरान मै. सैंडोज (इंडिया) लि., मै. ई. मर्क (इंडिया) लि., मै. एस. के. एण्ड एफ और मै. वार्नर हिन्दुस्तान ने इस अनुपात की पूर्ति नहीं की। इस अनुपात की पूर्ति न करने वाली कम्पनियां अतिरिक्त फार्मूलेशन क्षमता के लिए औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति की पात्र नहीं है। ऐसी कम्पनियां अगस्त/सितम्बर, 80 की नीति के अन्तर्गत स्थापित क्षमताओं की मान्यता प्राप्त कर सकती है तथा अप्रैल, 1982 की नीति के अन्तर्गत क्षमताओं का पुनः पृष्ठांकन भी केवल इस शर्त के अध्यधीन प्राप्त कर सकती है कि वे 2 वर्षों की अवधि के भीतर यह अनुपात प्राप्त करेंगी, जिसमें असफलता की स्थिति में उन्हें उक्त अनुपात प्राप्त करने तक औषध फार्मूलेशनों के कुल फालतू उत्पादन का निर्यात करना होगा। इसके अतिरिक्त ऐसी कम्पनियां मूल्य नियंत्रण फार्मूलेशनों तथा घरेलू उपचारों वाली औषधियों के फालतू उत्पादन की मान्यता/पुनर्पृष्ठांकन/नियमितकरण की पात्र नहीं होगी।

प्रेस परिषद की सिफारिशें

386. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस परिषद ने संसदीय विशेषाधिकारों तथा प्रेस की स्वतन्त्रता के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों का विवरण संलग्न है ।

(ग) यह महसूस किया जाता है कि मामले में निर्णय कर लेना विधायिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए ।

विवरण

1. विधायिका को अपने मौजूदा विशेषाधिकारों में वृद्धि नहीं करना चाहिए, इनको वास्तव में न्यून करने की आवश्यकता हैं । इंगलैंड में भी हाउस आफ कामन्स उन विशेषाधिकारों जो बरतानिया के न्यायालयों द्वारा क्लेम किए जाते हैं तथाजो उनके द्वारा स्वीकृत हैं के अलावा कोई अन्य नए विशेषाधिकारों का क्लेम नहीं कर सकता ।

2. न्यायालयों की तरह विधान मण्डल में उपस्थित होने तथा उसकी कार्यवाहियों की रिपोर्ट करने के प्रेस के अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता दी जानी चाहिए ।

3. तथापि, परिषद हाउस आफ कामन्स द्वारा 1965 में नियुक्त की गई चयन समिति द्वारा व्यक्त किए गए इन विचारों से सहमत है कि संसदीय विशेषाधिकारों के कानून का प्रशासन इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए कि वह राय या आलोचना की मुक्त अभिव्यक्ति पर रोक लगाए या उसको निरुत्साहित करे चाहे ऐसी राय या आलोचना कितनी भी पक्षपातपूर्ण या अत्युक्ति पूर्ण क्यों न हो ।

4. सदन को दांडिक अधिकार का प्रयोग यथा सम्भव कम से कम और केवल तभी करना चाहिए जब सदन इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि इसका प्रयोग करना सदन, इसके सदस्यों या इसके अधिकारियों को ऐसी अनुचित बाधा, जो उनके अपने-अपने कार्यों के निष्पादन में हस्तक्षेप करे, से उचित संरक्षण प्रदान करने के, लिए आवश्यक है ।

5. जहां किसी सदस्य के लिए न्यायालयों में उपचार की व्यवस्था हो, उसे उस उपचार के बदले में या उसके अलावा सदन के दांडिक अधिकारों की याचना करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

6. दांडिक अधिकारो का प्रयोग उन शिकायतों के बारे में कभी भी नहीं किया जाना चाहिए जो मामूली स्वरूप की हों या सदन के लिए महत्वहीन हों ।

7. सामान्यतया अवमानना के बारे में अधिकार का निवारक के रूप में प्रयोग कानूनी अधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किसी सदस्य या अधिकारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाहियां करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए चाहे वह सुआधारित हो या नहीं ।

8. क्या अवमानना की गई है या नहीं इसके बारे में निर्णय लेने, लगाए गए आरोपों की सच्चाई में सही और उचित तर्कों को ध्यान में रखने की बात सदन पर छोड़ दी जानी चाहिए बशर्ते कि वे सभी छानबीन करने के बाद ही लगाए गए हों, वे सही और उचित विश्वास के साथ लगाए गए हों, उनको लगाना जनहित में था और उन्हें उस ढंग से प्रकाशित किया गया है जो जनहित में उपयुक्त है। यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई थी, सदन को इन सभी मामलों से सन्तुष्ट कर सकता है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसने सदन में अनुचित रूप से बाधा डाली है या बाधा डालने का अनुचित प्रयत्न किया है और तदनुसार उसको अवमानना के आरोप से मुक्त कर दिया जाए।

9. निम्नलिखित आचरण को स्वयं में सदन की अवमानता नहीं समझा जाना चाहिए :

(1) सम्बन्धित कागज पत्रों को उनके प्रकाशन से पहले प्रकाशित करना;

(क) वस्तुतः किसी सदस्य ने कैसे मत दिया;

(ख) किसी ऐसे प्रस्ताव की विषय वस्तु जिसे वास्तव में संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है।

(2) किसी सदस्य के किसी विशेष तरीके से मत देने (या मत न देने) के व्यक्त इरादे को प्रकाशित करना।

10. सदन को यह अधिकार होना चाहिए कि वह उस व्यक्ति, जो अवभावना या अन्य अच्छे उद्देश्य का दोषी पाया गया है, से पर्याप्त वचन लेकर उस दंड को, जो उसने दिया है, हटा सके, निलम्बित कर सके या उसमें परिवर्तन कर सके।

11. विधायिका को प्रेस की इस कार्रवाई पर उदार दृष्टिकोण लेना चाहिए कि उसने काटी गई कार्रवाइयां छापी हैं क्योंकि प्रेस रिपोर्टरों को यह बताने के लिए कोई सन्तोषजनक पद्धति विद्यमान नहीं है कि कतिपय कार्यवाइयां काट दी गई हैं। इस प्रकार की स्थिति में रिपोर्टर उचित गलती कर सकता है जिसे माफ कर दिया जाना चाहिए।

12. पीठासीन अधिकारी को कार्यवाहियों को पूर्ण रूप से रिकार्ड न करने का आदेश नहीं देना चाहिए क्योंकि संसदीय लोकतन्त्र में नागरिकों को इस बात का अधिकार है कि उनको विधायिका में अपने प्रतिनिधियों के विचारों और आचरण के बारे में सूचित रखा जाए।

13. विशेषाधिकार के हनन के आधार पर समाचारपत्रों में आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन का संज्ञान लेने के लिए एक वर्ष की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

14. कथित अवहेलकों को विशेषाधिकार के हनन की कार्यवाहियों में अपने को बचाने के लिए उपयुक्त अवसर देने की व्यवस्था करने के लिये सदन के कार्य और आचरण के नियमों में आवश्यक प्रावधान किया जाना चाहिए।

15. जिस व्यक्ति के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की शिकायत की गई है, वह अधिकार के रूप में विशेषानिकार समिति की कार्यवाहियों में शामिल होने, वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने, गवाहों को बुलाने तथा यदि आवश्यक हो तो कानूनी सहायता उपलब्ध किए जाने का पात्र होना चाहिए।

16. विशेषाधिकार समिति को यह अधिकार होना चाहिए कि वह उस व्यक्ति, जिसके विरुद्ध विशेषाधिकार के हनन की शिकायत की जाती है, को किसी गवाह की जांच, जिरह और पुर्नजांच करने के अधिकारों सहित गवाह को बुलाने की अनुमति दे सके।

17. विधायिका के समक्ष किसी संसदीय समिति की रिपोर्ट रखे जाने के बाद संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए कागज-पत्रों या गवाही तक पहुँच होनी चाहिए बशर्ते कि न्यायालय यह निश्चित न कर दे कि ऐसा करना जनहित में नहीं होगा।

18. यदि विधायिका न्यायपालिका के साथ उस मामले में सहयोग करे तो जिसको न्यायालयों में विशेषाधिकार के कथित हनन के बारे में चुनौती दी गई है तो इससे सभी नागरिकों में अधिक विश्वास पैदा होगा।

19. परिषद् अपने इस विचार को दोहराती है कि संसद और राज्य विधान मंडलों के विशेषाधिकारों को प्रेस की स्वतन्त्रता के हित में संहिताबद्ध किया जाना चाहिए। द्वितीय प्रेस आयोग ने भी इसे आवश्यक पाया है।

20. परिषद् यह सुझाव देती है कि संसद के विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के लिए लोक सभा के अध्यक्ष तथा राज्य सभा के सभापति एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करें। प्रेस को इस कार्य में उसी ढंग से सहयोजित किया जाना चाहिए जिसे समिति ठीक समझे।

21. इस बीच, विशेषाधिकारों सम्बन्धी उन मामलों, जो गत 30 वर्षों के दौरान विभिन्न विधान मंडलों में घटित हुए हों, का एक सरकारी सारसंग्रह, उपयुक्त शीर्षकों के अन्तर्गत, प्रकाशित करना उचित होगा।

उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना

387. **श्री बी० डी० सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े शहरों में ऐसे दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं जो दिल्ली और कलकत्ता के बीच सूक्ष्मतरंग सम्पर्क स्थापित किए जाने की स्थिति में इन दोनों शहरों के बीच सूक्ष्मतरंग लाइन पर पड़ेंगे;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे बड़े शहरों के नाम क्या हैं और इन केन्द्रों पर अनुमानतः कितना व्यय होगा; और

(ग) इन सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क), (ख) और (ग) उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन सेवा दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मंसूरी और देवरिया के दूरदर्शन ट्रांसमीटरों से 47,647 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली 243.17 लाख जनसंख्या को उपलब्ध है। छठी योजना में वाराणसी और गोरखपुर में नए केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन दो केन्द्रों के चालू हो जाने पर दूरदर्शन सेवा 89,071 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली 443.7 लाख जनसंख्या (राज्य की जनसंख्या का 40 प्रतिशत) को उपलब्ध होगी। विशेषकर आगरा और इलाहाबाद में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुरोध विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। भावी योजना के अंग के रूप में डाक-तार विभाग के माइक्रोवेव लिंक की सहायता से दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश में आगरा इलाहाबाद और रायबरेली को पहले ही चुन लिया गया है। तथापि, इस योजना का कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विदेशी कंपनियों द्वारा औषध नियंत्रण अधिनियम पर औषधियों का निर्माण

388. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फाईजर समूह जैसी अनेक विदेशी ड्रग एण्ड फार्मास्यूटिकल निर्माण करने वाली अनेक विदेशी कम्पनियां बिना किसी प्राधिकार के 31 से अधिक औषधियों का निर्माण कर रही हैं;

(ख) क्या विदेशी कम्पनियों द्वारा बीकोसूल कैपसूल, बीकानेक्स गोलियां, मल्टी विटाप-लेक्स तथा टैरामाइसिन कैपसूल जैसी लोकप्रिय औषधियों का निर्माण और विपणन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो औषध नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) अनेक औषध निर्माता कम्पनियां, विदेशी और भारतीय दोनों, को कुछ ऐसे औषध फार्मूलेशनों का निर्माण करते हुए पाया गया है जिनके संबंध में कंपनियों द्वारा आई (डी एण्ड आर) अधिनियम के अधीन दावा किए गए प्राधिकार को स्वीकार्य नहीं पाया गया है। जहां तक मै. फाइजर का सम्बन्ध है, उप-रोक्त प्रकृति के औषध फार्मूलेशनों की 32 मदें हैं, ऐसी मदों की एक विवरण संलग्न है। यह देखा जा सकता है कि बीकोसूल कैपसूल, बीकोनैक्स गोलियां और मल्टीविटाप्लैक्स मदें संलग्न सूची में सम्मिलित की गई हैं किन्तु टेरामाइसिन कैपसूल्स उसमें सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

(ग) अलग-अलग एककों द्वारा ऐसी मदों के उत्पादन पर कोई निर्णय तभी लिया जायेगा जब ऐसी मदों के उत्पादन की ऐसी घटनाओं के बारे में एक सामान्य नीति निर्णय ले लिया जायेगा, जिनके लिए प्राधिकरण सिद्ध नहीं हुए हैं।

विवरण

1. विटामिन आदि युक्त बीकोनैक्स टीके ।
2. मल्टीविटाप्लेक्स ड्राप्स
3. मल्टी विटाप्लेक्स इलिक्सर
4. बेकासूल सिरप
5. बेकानेक्स गोलियां
6. मल्टीविटाप्लेक्स फोर्ट गोलियां ।
7. डुमास्युल्स कैपसुल्स
8. बीकोस्युल्स कैपसुल्स
9. वरमैक्स लिक्वीड वारनर 100 मिली., 500 मिली. और 45 लिटर.
10. कोरेक्स कफ सिरप 50 मिलि. 100 मिली.
11. टी. ए. ओ. सिरप 30 मिलि.
12. टी. ए. ओ. पैड, ड्राप्स 5 मिलि.
13. टी. ए. ओ. कैपसुल्स
14. विसाइन ओफथ, सोल्युशन 10 मिली.
15. फिनोसिन गोलियां ।
16. डेल्टाकोर्टिल गोलियां
17. डेल्टाकोर्टिल फोर्ट गोलियां
18. डेल्टाकोर्टियल आई. एल./आई. ए. इन्जेक्शन 3 मिली. शीशी
19. नेबासुल्फ आंख मलहम 3 ग्राम
20. नेबासुल्फ त्वचा मलहम 3 ग्राम, 15 ग्राम
21. नेबासुल्फ इन्सटीलेशन 10 मिली·
22. नेबासुल्फ पाउडर 10 ग्राम
23. नेबाकोर्टियल आंख मलहम 3 ग्राम
24. नेबाकोर्टियल त्वचा मलहम 5 ग्राम, 15 ग्राम
25. डयूरल 100 मिली.
26. नेफरिल आर. गोलियां
27. मास्टालोन यू. शीशी
28. टेरामाइसिन एस. एफ. कैपसुल्स
29. टेरामाइसिन इन्स्टरमास्क्युलर सोल्स
30. टेरामाइसिन ओटिक सोल्युशन
31. टेरामाइसिन अण्डा फार्मुला
32. पेसोनेक्स-एस

तालचर उर्वरक संयंत्र में भारी हानि

389. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा स्थित तालचर उर्वरक संयंत्र द्वारा अपनाये गये दोष-पूर्ण प्रबन्ध तरीकों के कारण संयंत्र को भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र को चालू किये जाने से लेकर उसे कुल कितनी हानि हुई है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये है कि बिजली की कटौती के कारण संयंत्र में उत्पादन बन्द न हो ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) तालचर उर्वरक संयत्र को उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा लागू की गई विद्युत कटौती, विभिन्न प्रौद्योगिकीय और उपकरण समस्याओं तथा घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई के कारण अत्यधिक हानि हो रही है।

(ख) प्लांट के चालू होने अर्थात 1.11.1980 से दिसम्बर, 82 तक तालचर उर्वरक संयंत्र को कुल 88.70 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

(ग) इस संयंत्र को विद्युत की नियमित सप्लाई जारी रखने के लिये राज्य सरकार और उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड से निरन्तर सम्पर्क किया जा रहा है। विद्युत की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार एक कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।

नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के कुप्रबन्ध के बारे में शिकायतें

390. **श्री चित्त महाता** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को नई दिल्ली में हाल ही में हुए नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के कुप्रबन्ध के संबंध में प्रदर्शकों तथा विदेशों से शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अल्कोहल और शीरा के बारे में जालान समिति की सिफारिशों की क्रियन्विति

391. **श्री के० राममूर्ति** . क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों (अल्कोहल और शीरा पर उत्पादन शुल्क के संबंध में जालान समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया है;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने अब तक शीरा के लिये भण्डारण सुविधाओं के निर्माण के लिये वित्तीय व्यवस्था (धन) का उपयोग किया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है;

(ग) अल्कोहल उद्योग और अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं की जाँच करने हेतु गठित तीन कार्यकारी दलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्यात के लिये इस समय देश में कितना फालतू अल्कोहल उपलब्ध है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) राज्य सरकारों ने जालान समिति की सिफारिशें अभी तक सन्तोषप्रद रूप से कार्यान्वित नहीं की हैं, जब कि केन्द्रीय शीरा बोर्ड जिसमें सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, ने 18.12.1976 को हुई अपनी बैठकों में समिति की सिफारिशों को सर्वसम्मति से मान लिया था और सुझाव दिया था कि सिफारिशों को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनका शीघ्र कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। भारत सरकार सिफारिशों का कार्यान्वयन करने और औद्योगिक अल्कोहल और अन्य राज्यों को परिवहन किए गए अल्कोहल पर शुल्कों को सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकारों पर समय-समय पर जोर देती रही है।

(ख) शीरा नियंत्रण (भण्डारण सुविधाओं के निर्माण के लिए निधि का विनियमन) आदेश, 1976 के साथ पठित शीरा नियंत्रण आदेश, 1961 के अधीन शीरे की पर्याप्त और सामयिक भण्डारण क्षमता को सुनिश्चित करना शीरा नियंत्रकों की जिम्मेवारी है जो राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं। अतः शीरे के लिए भण्डार सुविधाओं का निर्माण करना मुख्यतः राज्य सरकारों का कार्य है। उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ को छोड़कर ज्यादातर राज्य सरकारों ने शीरे के भण्डारण का निर्माण करने के लिए जमा निधि का पर्याप्त उपयोग किया है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखे गया। देखिए संख्या एल०टी० 5803/83]

(घ) जनवरी, 1983, में हुई बैठक में केन्द्रीय शीरा बोर्ड द्वारा लगाए गए अल्कोहल की उपलब्धता और मांग अनुमान अल्कोहल वर्ष 1982-83 के लिए देश में अल्कोहल की समग्र कमी दर्शाते हैं।

"गांधी" फिल्म पर व्यय

392. **श्री जगपाल सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "गांधी" फिल्म के निर्माता रिचर्ड एटेनबरो ने फिल्म बनाने से पूर्व किसी अनुदान या ऋण हेतु भारत सरकार के समक्ष कोई बजट प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्योरा क्या है; और

(ग) भारत में खर्च किये जाने के लिये इस बजट में प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कितनी राशि दिखाई गई और इस फिल्म के निर्माण पर यहां प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन को मेज पर रख दिया जाएगा ।

"गांधी" फिल्म का निर्माण करने के लिए ऋण/अनुदान

393. **श्री जगलाल सिंह :**

श्री बिजय कुमार यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी फिल्म का निर्माण करने के लिए कुल कितनी राशि व्यय की गई और भारतीय फिल्म विकास निगम ने इसमें अपना कितना हिस्सा दिया;

(ख) क्या यह राशि अनुदान अथवा ऋण के रूप में दी गई;

(ग) क्या कुछ अन्य संस्थाओं ने भी इसके निर्माण के लिए अनुदान अथवा ऋण के रूप में धन दिया है और सरकार अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज की दर अथवा अन्य शर्तों के बारे में ब्योरा क्या है; और

(घ) उन विदेशी फिल्म निर्माताओं के नाम क्या हैं जिनकी भारत सरकार ने अब तक वित्तीय सहायता दी है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

देश में कोयला धोवनशालाओं के लिए सुविधायें

394. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयला धोवनशालाओं के लिए सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस समय सरकारी कोयला खानों और गैर-सरकारी कोयलाखानों में कितनी प्रतिशत कोयले की धुलाई हो रही है और शत प्रतिशत कोयला धुलाई कितने समय तक सम्भव हो सकेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस समय

28.89 मिलियन टन प्रति वर्ष कुल कच्चा कोयला लेने की क्षमतावाली 17 वाशरियां काम कर रही हैं और 9.35 मिलियन टन प्रति वर्ष कुल कच्चा कोयला लेने की क्षमतावाली 5 वाशरियां निर्माणाधीन हैं।

(ख) लगभग 23% कच्चे कोयले की धुलाई सरकारी क्षेत्र में की जाती है और 1.7% की गैर-सरकारी क्षेत्र में। सारे कच्चे कोयले की धुलाई का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात में तेल की चोरी

395. **श्री टी० एस० नेगी :**

श्री सुशील चट्टाचार्य : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गुजरात में तेल चोरों की पुनः आरम्भ की गई गतिविधियों की ओर दिलाया गया है (इन्डियन एक्सप्रेस—17-1-83);

(ख) यदि हां, तो उनका क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है और इन चोरियों का पूरा ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों की घोर और भारी असफलता तथा इनकी संदिग्ध सांठ-गांठ को देखते हुए सरकार का विचार कठोर कार्यवाही करने और इसकी सुरक्षा का उपाय करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 31.12.1982 को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को गुजरात राज्य में धानेज गांव के एक भू-स्वामी से सूचना प्राप्त हुई थी कि उनकी भूमि से गुजरने वाली पाइपलाइन में से तेल रिस रहा है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के प्राधिकारी तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचे तथा पुलिस द्वारा घटना स्थल की जांच के पश्चात् उन्होंने छिद्रित पाइपलाइन की मरम्मत कर दी। घटना स्थल पर कई औजार बरामद हुए थे। तदनुसार दिनांक 1.1.1983 को कालोल पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी।

तेल तथा उपकरणों की चोरी की रोकथाम के लिए किये गये उपायों में गश्ती दलों की संख्या बढ़ाना तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सीमा सुरक्षा बल तथा गुजरात राज्य पुलिस द्वारा गश्त तेज करना; संधि स्थान (जंकशन प्वाइंट) तथा तेल क्षेत्रों को जाने वाली सड़कों पर वाहनों की जांच के लिये एस. आर. पी. का लगाया जाना; संघटन को हानि पहुँचाये बिना अनुत्पादक बन्द कूपों को बन्द करना; गांव के सुरक्षा दलों जैसे कि ग्राम रक्षक दल की सेवाओं का उपयोग; सामग्रियों को जारी तथा प्राप्त करने की प्रणाली में सुधार तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अचानक निरीक्षण शामिल हैं।

(ग) राज्य पुलिस द्वारा मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है तथा जो लोग भी दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

केरल में कायमकुलम और मावलकेरा में एस०टी०डी० की सुविधाएं

396. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के उन कस्बों का ब्यौरा क्या है जहां एस. टी. डी. की सुविधाएं हैं;

(ख) क्या उन्हें केरल में कायमकुलम और मावलकेरा में एस. टी. डी. की सुविधाएं देने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) केरल के निम्नलिखित शहरों में एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध है :—

1. एल्लेपी	14. त्रिवेंद्रम
2. अल्वै	15. नेरूयाटिकारा
3. कन्नानोर	16. कोट्टास्कारा
4. चंगन्नूर	17. तालीपरंबा
5. एर्नाकुलम	18. अंगगुल्ली
6. कोट्टायम	19. चालाकुडी
7. कोजीकोड	20. पलई
8. कुन्नमकुलम	21. चौघाट
9. नराक्कल	22. गुरुवयूर
10. पालघाट	23. मालापुरम्
11. क्वीलोन	24. मुंजेरी
12. तिस्वल्ला	25. एडूर
13. त्रिचूरा	26. मवेलीकारा

* मवेलीकार के उपभोक्ता पूसे समय केवल बाहर से आने वाली एस. टी. डी. काल पर तो बात कर सकते हैं परन्तु अन्य स्थानों के लिए एस. टी. डी. काल नहीं कर सकते।

(ख) जी हां,

(ग) मवेलीकारा में पहले से ही सीमित आवक एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध है। मवेलीकारा और क्यामकुलम के लिए पूर्ण एस. टी. डी. सुविधा प्रदान करने की योजना को लम्बी अवधि की योजनाओं में शामिल किया गया है।

केरल में परमाणु अथवा तापीय बिजलीघर

397. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में, हाल के बिजली संकट को ध्यान में रखते हुए, कोई तापीय बिजलीघर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) क्या केरल सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्र से बातचीत की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

त्रिवेन्द्रम टेलीविजन केन्द्र का निर्माण

398. **प्रो० पी० कुरियन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम टेलीविजन केन्द्र के निर्माण का ब्यौरा क्या है, उस पर कितनी धनराशि व्यय हुई और उसके पूरा होने में कितना समय लगेगा;

(ख) त्रिवेन्द्रम के आस-पास के कितने स्थान इस टेलीविजन केन्द्र के अन्तर्गत आयेंगे;

(ग) क्या समूचे केरल को टेलीविजन केन्द्र के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) क्या केलट्रान ने ऐसा कोई प्रस्ताव दिया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम की स्थापना की छटी योजनागत स्कीम के लिए सिविल निर्माण कार्य चालू है। 10 किलोवाढ़ के ट्रांसमीटर और स्टूडियो उपकरणों के लिए आर्डर मैसर्स भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड को दे दिया गया है। दिसम्बर, 1982 तक इस केन्द्र पर 187.20 लाख रुपये व्यय हुए थे। इस केन्द्र के 1984-85 तक चालू हो जाने की उम्मीद है। इस बीच, एशियाड, 82 से पहले त्रिवेन्द्रम में अल्प शक्ति वाला दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किया गया था।

(ख) त्रिवेन्द्रम का यह 10 किलोवाट वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर समूचे त्रिवेन्द्रम जिले को सेवा प्रदान करेगा और तमिलनाडु के क्वीलोन जिले के लगभग 60% क्षेत्र तथा कन्या कुमारी और तिरुनेलवेली के जिलों को भी इस ट्रांसमीटर से सेवा प्राप्ति होगी। त्रिवेन्द्रम की वर्तमान अल्प शक्ति वाली दूरदर्शन संग्रहण-व-रिले पद्धति 10-12 किलोमीटर के बीच की परिधि के अन्दर दूरदर्शन सेवा प्रदान कर रही है।

(ग) भावी योजना के अन्तर्गत डाक-तार विभाग के माइक्रोवेव मार्ग के साथ-साथ दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना के लिए एर्नाकुलम और कोझीकोड को चुना गया है। तथापि, इस योजना का कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) प्रसारण (टेलीकास्ट सहित) केन्द्रीय विषय है और किसी अन्य एजेन्सी को दूरदर्शन ट्रांसमीटरों का प्रचालन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

बिड़ला क्राटन एण्ड स्पिनिंग मिल्स, दिल्ली में तालाबन्दी

399. **श्री सुभाष यादव :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिड़ला काटन एण्ड स्पिनिंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली में 22 दिसम्बर, 1982 से तालाबन्दी घोषित है;

(ख) यदि हां, तो उससे कितने श्रमिक प्रभावित हैं; और

(ग) क्या तालाबन्दी समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) :(क) और (ख) जी, हां। दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, मैसर्स बिड़ला काटन और स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, दिल्ली ने 22-12-1982 से तालाबन्दी घोषित की, जिससे लगभग 4,000 श्रमिक प्रभावित हुए।

(ग) दिल्ली प्रशासन की मध्यस्थता तथा प्रबंधतंत्र और यूनियनों के साथ हुए विचार-विमर्शों के पश्चात्, 22.1.1983 से तालाबन्दी उठा ली गई और अब तक 15,00 श्रमिक पहले ही काम पर आ गये हैं।

गुजरात में तेलकूपों से चोरी

400. **श्री सुभाष यादव :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में गत तीन वर्षों के दौरान तेल कूपों से बड़े पैमाने पर तेल की चोरी होती रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने चोरी के कितने मामलों का पता लगाया; और

(ग) गुजरात तथा देश के अन्य राज्यों में तेल कूपों से चोरी को रोकने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गीशंकर मिश्र) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में तेल कूपों से उठाईगीरी/चोरी के मामले तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के ध्यान में आये हैं।

(ख) वर्ष 1980-81 तथा 1982 के तीन वर्षों के दौरान 92 मामलों का पता चला है।

(ग) तेल तथा उपकरणों की चोरी की रोकथाम के लिए किए गये उपायों में गश्ती दलों की संख्या बढ़ाना तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सीमा सुरक्षा बल तथा गुजरात राज्य पुलिस द्वारा गश्त तेज करना; संधि स्थान (जंकशन प्वाइंट) तथा तेल कूपों को जाने वाली सड़कों पर वाहनों की जांच के लिए एस. आर. ही. का लगाया जाना; संघटन को हानि पहुँचाये बिना अनुत्पादक कूपों को बन्द करना; गांव के सुरक्षा दलों जैसे कि ग्रामी रक्षक दलों की सेवाओं का उपयोग; सामग्रियों के जारी तथा प्राप्त करने की प्रणाली में सुधार तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अचानक निरीक्षण शामिल हैं।

क्योंझरगढ़, उड़ीसा में एक रेडियो केन्द्र की स्थापना

401. **श्री हरिहर सोरन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझरगढ़ में एक रेडियो केन्द्र की स्थापना करने के लिए सरकार ने कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो रेडियो स्टेशन की स्थापना करने के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है;

(ग) क्या उस पर काम आरम्भ हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) बसन्तपुर गांव के पास स्थान चुन लिया गया है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह प्रश्नास्पद प्रयोजन के लिए स्थान आकाशवाणी को हस्तांतरित कर दे। भवन के निर्माण का कार्य राज्य सरकार द्वारा स्थान सौंप दिए जाने के बाद शुरू किया जायेगा।

जिला क्योंझर (उड़ीसा) में मैंगनीज खानों में कर्मचारियों की छंटनी

402. **श्री हरिहर सोरेन : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि टिस्को द्वारा चलाई जा रही उड़ीसा के जिला क्योंझर की मैंगनीज खानों में काफी संख्या में श्रमिकों की छंटनी की गई है;

(ख) यदि हां, तो "टिस्को" ने उन श्रमिकों की छटनी के क्या कारण बताए हैं; और

(ग) टाटा द्वारा उन श्रमिकों को अपने प्रबन्ध के अधीन अन्य संगठनों में खपाने अथवा बहाल करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) :(क)क्योंझर जिले में टिस्को की किसी मैंगनीज खान में कोई छटनी नहीं हुई है। स्वैच्छिक सेवा निवृत्त योजना के अन्तर्गत 375 श्रमिकों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त को स्वीकार किया है। 333 श्रमिकों ने पहले ही अपना पूर्ण भुगतान प्राप्त कर लिया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

रेलवे डाक सेवा कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस

403. **श्री माधवराव सिंधिया :**

श्री जितेन्द्र प्रसाद :

श्री रेणुपद दास : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल डाकसेवा कर्मचारियों ने अपनी मांगें मनवाने के लिए "नियमानुसार काम" करने से पूर्व हड़ताल का नोटिस दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या मांगें थीं; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण में दी गई है । आंदोलन के लिए संघ द्वारा प्रस्तुत किया गया मुख्य आधार सर्टिंग सैक्शनों को ट्रांजिट सैक्शनों में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में है ।

(ग) डाक एवं दूरसंचार कर्मचारी राष्ट्रीय महासंघ के प्रतिनिधियों ने सार्टिंग सैक्शनों के ट्रांजिट सैक्शनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न संघ की समस्याओं के बारे में 27-1-83 को संचार राज्य मंत्री से विचार-विमर्श किया । मंत्री महोदय ने प्रतिनिधियों को बताया कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया जाएगा । इसके अनुकरण में संघ ने प्रस्तावित हड़ताल स्थगित कर दी ।

विवरण

संघों की मांगे

1. सर्टिंग सैक्शनों को बन्द करना, उनको समाप्त एवं परिवर्तित करना, डाक कार्यालयों को समाप्त करना, सार्वजनिक डाक में विलम्ब करने वाले डाक कार्यालय सैटों को समाप्त करना ।

2. डाक मोटर सेवा की समस्याओं, विशेषकर सभी ड्राईवरों के साथ डाक चपरासी/डाक

गार्ड की व्यवस्था और अराजपत्रित श्रेणियों के लिए मानक तैयार करने के लिए गठित कार्य अध्ययन की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाए ।

3. चतुर्थ श्रेणी के लिए आरक्षित प्रशिक्षित पूल प्रणाली चालू करना और मौजूदा आकस्मिक मजदूरों को आरक्षित प्रशिक्षण प्राप्त पूल के रूप में परिवर्तित करना जैसा कि तृतीय श्रेणी संवर्ग में अल्पकालिक स्टाफ के लिए किया गया है ।

4. आकस्मिक निधि से भुगतान किए जाने वाले अंशकालिक एवं रेल डाक सेवा में कार्य कर रहे विभागेतर कर्मचारियों को नियमित करना, भले ही वे कर्मचारी रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए हों या न भेजे गए हों ।

छठी योजना के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समूचे विद्युत संयत्रों का आयात

404. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ समय पूर्व छठी योजना के विद्युत लक्ष्यों को प्राप्त करने और योजना के अन्य अतिरिक्त विद्युत प्रजनन क्षमता में प्रत्याशित भारी विलम्ब को पूरा करने के लिए समूचे विद्युत संयंत्रों का आयात करने का निर्णय किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। छठी योजना के लिए परिकल्पित 19666 मेगावाट की कुल क्षमता में से आयात का भाग मुश्किल से 11% है । विद्युत उत्पादन उपस्करों को प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत स्वदेशी निर्माता है । तथापि कभी-कभी विशेष रूप से गुण अवगुण के आधार पर उपस्करों का आयात भी किया जाता है । उपस्करों का आयात उन परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है जो विश्व बैंक सहायता, द्विपक्षीय स्रोतों से सहायता का एक भाग होती है या जहां पर ऋण सुविधाएं तत्काल उपलब्ध हों। कुछ विशिष्ट उपस्करों का, जो स्वदेशी निर्माताओं की निर्माण क्षमता से बाहर होते हैं, विचाराधीन मामले में उत्पन्न होने वाली समग्र परिस्थितियों के आधार पर भी आयात किया जाता है ।

गोदावरी-कृष्णा बेसिन में पाई गई गैस/तेल

405. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि गोदावरी-कृष्णा बेसिन में हाल ही में नये तट-दूर तेलकूप जी-2-2 में काफी मात्रा में तेल तथा गैस का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में तेल तथा गैस भंडारी उपस्थिति का सही सही अनुमान है; और

(ग) उक्त भंडारों के लिए खोज कार्य तथा उनके दोहन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) दिनांक 14/15 फरवरी, 1983 को गोदावरी अपतटीय थाले में जी-2 नामक सरचना में तेल मिला है। 1/1" चौक के माध्यम से 865 बैरल प्रतिदिन का और एफ. 3/8" चौक के माध्यम से 1700 बैरल प्रतिदिन के प्रवाह को उत्पादन परीक्षण में देखा गया है। इस क्षेत्र में तेल एवं गैस भण्डारों के मूल्यांकन किये जाने से पूर्व और अधिक कूपों का खोदा जायेगा और आँकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। इस खोज ने इस थाले में हाइड्रोकार्बन के वाणिज्यक स्तर पर भण्डार मिलने की सम्भावनाओं को और बढ़ा दिया है।

(ग) 15 सम्भावी क्षेत्रों का चित्रण किया गया है और इस क्षेत्र में इस समय दो रिग खुदाई कर रहे हैं। इस क्षेत्र में परिसंचालनों को आरम्भ करने के लिए पश्चिमी समुद्र तट से एक तीसरे रिग को लाने का भी प्रस्ताव दिया गया है।

ठेकेदारों द्वारा मजदूरों का शोषण और देश में बन्धुआ मजदूरों का होना

406. **श्री माधवराव सिंधिया** :

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हमारे देश के विभिन्न राज्यों में राज्य-वार ठेकेदारों द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे मजदूरों के शोषण और बन्धुआ मजदूरों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए कोई आंकड़े एकत्र किए हैं; और

(ख) बन्धुवा मजदूरों की कुप्रथा को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) सरकार ने ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के शोषण के सम्बन्ध में किसी प्रकार के आंकड़े एकत्र नहीं किए हैं। तथापि, विभिन्न राज्यों में बंधुआ श्रम पद्धति की विद्यमानता सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त हो गए हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार (31-12-82 की स्थिति के अनुसार) विभिन्न राज्यों में पता लगाए गए, मुक्त कराए गए और पुनर्वासित किए गए बन्धुआ श्रमिकों की संख्या सम्बन्धी विवरण संलग्न है।

(ख) बन्धुआ श्रम पद्धति को बंधुआ श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन 25 अक्तूबर, 1975 से सम्पूर्ण देश में समाप्त कर दिया गया है। बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने उन्हें मुक्त कराने और पुनर्वासित कराने की जिम्मेदारी पूर्णतया राज्य सरकारों की है, जो अधिनियम के अधीन सम्बन्धित सरकारें हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे समय-समय पर तुरन्त और प्रभावी कार्यवाही करें, जिसमें अति संवेदनशील क्षेत्रों में गहन सर्वेक्षण प्रारम्भ करना बंधुआ श्रमिकों को, जहाँ कहीं वे पाए जाएं, शीघ्र मुक्त कराना और उन्हें पुनर्वासित करना शामिल है। राज्य सरकारों के प्रयासों की अनुपूर्ति करने के उद्देश्य से, केन्द्र द्वारा संचालित एक योजना 1978-79 से प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए बराबर-बराबर (50:50) की सहायता के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता

देने की व्यवस्था है। इस योजना में प्रत्येक बंधुआ श्रमिक के लिए 4,000/-रुपये की पुनर्वास सहायता की व्यवस्था करने का विचार है, जिसमें आधी राशि केन्द्रीय हिस्से के रूप में दी जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बंधुआ श्रमिकों को स्थाई आधार पर पुनर्वासित किया जाता है कि राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे केन्द्र द्वारा संचालित योजना का अन्य समान योजनाओं अर्थात् आई. आर. डी. पी., एन. आर. ई. पी. और अनुसूचित जाति के लिए विशेष घट संघटक योजना तथा आदिवासी उप योजना और राज्य सरकार की अन्य चालू योजनाओं के साथ उपयुक्त रूप से समाकलन सामंजस्य स्थापित करें, ताकि बंधुआ श्रमिकों के प्रभावी और स्थाई पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध सहायता को इक्ट्ठा और समाकलित किया जा सके। राज्य सरकारों को विस्तृत मार्गदर्शी रूप रेखाओं का एक सैट भी भेजा गया है, जिससे बधुआ श्रमिकों का सार्थक पुनर्वास कराने के लिए ऐसा समाकलन किया जा सके।

विवरण

राज्य	पता लगाए गए और मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या	पुनर्वासित किए गए बन्धुआ श्रमिकों की संख्या
आंध्र प्रदेश	13,458	9,449
बिहार	7,903	7,555
गुजरात	63	63
कर्नाटक	62,699	40,033
केरल	829	467
मध्य प्रदेश	1,858	193
उड़ीसा	21,726	12,878
राजस्थान	6,150	6,069
तमिलनाडु	28,686	27,960
उत्तर प्रदेश	8,664	6,810
महाराष्ट्र	302	292
कुल जोड़	1,52,338	1,11,769

गवासद तेल के कुएं में आग

407. श्री रशीद मसूद : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) सरकार ने गवासद तेल कुएं में आग लगने की घटना के बाद तेल और उपकरणों

की चोरी रोकने के लिए क्या सही निवारक उपाय किए थे और इन उपायों से ऐसी घटनाओं को रोकने में कहाँ तक मदद मिली है; और

(ख) गवासद तेल कुएं में आग लगने की घटना की जांच के क्या परिणाम निकले हैं और इस चूक के लिए यदि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का कोई अधिकारी उत्तरदायी पाया गया है, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) तेल तथा उपकरणों की चोरी की रोकथाम के लिये किये गये उपायों मे गश्ती दलों की संख्या बढ़ाना तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सीमा सुरक्षा बल तथा गुजरात राज्य पुलिस द्वारा गश्त तेज करना; सन्धि स्थान (जंकशन प्वाइन्ट) तथा तेल कूपों को जाने वाली सड़क पर वाहनों की जांच के लिएए स. आर. पी. का लगाया जाना; संघटन को हानि पहुँचाये बिना अनुत्पादक बन्द कुपों को बन्द करना; गांव के सुरक्षा दलों जैसे कि ग्राम रक्षक दल की सेवाओं का उपयोग; सामग्रियों के जारी तथा प्राप्त करने की प्रणाली में सुधार तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अचानक निरीक्षण शामिल है । इन उपायों के परिणामस्वरूप चोरी के मामलों की संख्या में कमी आ रही है ।

(ख) मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) में जांच पड़ताल हेतु विचाराधीन है ।

एन० एफ० डी० सी० को हुआ घाटा

408. **श्री रशीद मसूद** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को वर्ष 1982-83 के दौरान भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो एन. एफ. डी. सी. को 1980-81 और 1981-82 के दौरान हुए घाटे की तुलना में वर्ष 1982-83 (अब तक) के दौरान कितना घाटा हुआ है; और

(ग) एन. एफ. डी. सी. को लगातार होने वाले घाटे के क्या कारण हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या सही उपाय किए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का वित्तीय वर्ष 31.3.1983 को समाप्त होगा । अतः यह कहना असामयिक होगा कि निगम को वर्ष 1982-83 के दौरान लाभ होगा या हानि । वर्ष 1980-81 के दौरान निगम को 4.58 रुपये का लाभ हुआ था और वर्ष 1981-82 के दौरान 1.22 लाख रुपये की हानि हुई थी ।

(ग) सरकार निगम की वित्तीय स्थिति की बराबर समीक्षा करती रहती है और आवश्यकतानुसार प्रबन्धकों को शोधक उपाय सुझाए जाते हैं । निगम को विशिष्ट रूप से यह सलाह दी गई है कि वह व्यय पर नियंत्रण करे और निवेश संबंधी निर्णय पूरी जांच के बाद ले ।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ईंधन ग्रेड मेथिल परियोजना को कोयला प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना

409. **श्री नरेन्द्र घोष** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने ईंधन ग्रेड मेथिल परियोजना को कोयला प्रस्ताव केन्द्र को प्रस्तुत किया है;

(ख) क्या कोयला विभाग ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी थी;

(ग) क्या पेट्रोलियम, मंत्रालय ने इसको स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) जी, हां।

(ख) कोयला विभाग केवल 'कोल लिंकेज' पहलु से सम्बन्धित है।

(ग) और (घ) सरकार ने परियोजना के सम्बन्ध में अभी निर्णय लेना है।

ईंधन ग्रेड मेथिल और सिथेटिक अशोधित तेल के लिए योजनाएं

410. **श्री निरेन घोष** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित दो योजनाएं तथा ईंधन ग्रेड मेथिल और सिथेटिक अशोधित तेल कोयले के साथ सम्बद्ध करने के प्रस्ताव को कोयला विभाग के साथ बातचीत करके अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने इसे स्वीकार कर लिया है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कोयले से सिथेटिक अशोधित तेल का उत्पादन करने के लिए एक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करने हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा उसमें वित्तीय तथा तकनीकी सहायता के माध्यम से भाग लेने के लिए भारत सरकार को आवेदन-पत्र दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसे वित्त मंत्रालय को विचार किए जाने के लिए भेजा गया है;

(ङ) क्या इस बीच योजना आयोग से सिफारिशें प्राप्त कर ली गई हैं;

(च) क्या इसे भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) रानीगंज कोलफील्ड एरिया में रानीगंज के कोयले को डीजल और मेथानोल में बदलने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार को मूल प्रस्ताव को उन्होंने संशोधित कर दिया था और प. बंगाल सरकार ने यह प्रस्ताव रखा था कि कोयले को मेथानोल में बदलने के लिए 1/2 मिलियन टन मेथानोल की

वार्षिक क्षमता बनाई जाए । कोयला संयुजन भारत सरकार ने दे दिया था । यदि संश्लिष्ट कच्चे तेल का उत्पादन हो सके । तो संयंत्र की सम्भावित दूसरी अवस्था के लिए भी संयुजन करने की बात कह दी गई थी ।

(ख) कोयला संयुजन कोई ऐसा मामला नहीं है जिसका अनुमोदन योजना आयोग से करवाया जाए ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, हाँ ।

(ङ) साध्यता रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद योजना आयोग को मामला भेजना सुसंगत होगा ।

(च) साध्यता रिपोर्ट यू. एन. डी. पी. के सहयोग से तैयार नहीं की गई और इसलिए सरकार के अनुमोदन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

पटसन श्रमिकों द्वारा 30 सूत्री मांग पत्र दिया जाना

411. **श्री निरेन घोष** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पटसन श्रमिकों की युनियनों ने अपने-अपने प्रबन्धकों और सरकार को 30 सूत्री माँग पत्र जिसमें आधार भूत और आर्थिक मांगें शामिल हैं, प्रस्तुत किया है;

(ख) पटसन श्रमिकों द्वारा क्या माँगें रखी गई हैं;

(ग) इन माँगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हाँ । सरकार का ध्यान बंगाल चटकॅल मजदूर यूनियन द्वारा पश्चिम बगाल सरकार, दि नेशनल जूट मैन्यूफेक्चर कारपोरेशन, दि इन्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन तथा सम्बन्धित मिल प्रबन्धकों को दिए गए 29-सूत्री माँग-पत्र की ओर दिलाया गया है ।

(ख) यूनियन द्वारा की गई माँगे अन्य बातों के साथ-साथ (I) पटसन उद्योग का राष्ट्रीय-करण, (II) वेतन समिति तथा "कार्यभार समिति" के ग्रेडों और वेतन-मानों सम्बन्धी सिफारिशों के संबंध में पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री के निर्णयों का कार्यान्वयन, (III) प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की न्यूनतम दर से बोनस, (IV) मजदूरी और परिवर्ती मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी, (V) श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए आवास सुविधाएं, (VI) छुट्टी सुविधाएं, तथा (VII) छुट्टी यात्रा भत्ता ।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने पटसन उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया था, ताकि पटसन उगाने वालों और श्रमिकों तथा उद्योग के हितों की सुरक्षा की जा सके। इस प्रस्ताव को जिस पर वाणिज्य मंत्रालय में यथोचित रूप से विचार किया गया था, स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि इस प्रस्ताव से सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है। ग्रेडों और वेतन-मानों, कार्यभार, मजदूरी तथा महंगाई भत्ते में संशोधन, पटसन श्रमिकों की सेवा शर्तों आदि सम्बन्धी माँगों पर त्रिपक्षीय वार्ताओं, जो राज्य सराधन तंत्र द्वारा आयोजित की जा रही है, में विचार-विमर्श किया जा रहा है।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तेल/गैस की खोज के कार्य में धन लगाने का प्रस्ताव

412. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तेल तथा गैस की खोज के कार्य में कुछ धन लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में विश्व बैंक से भी वित्तीय सहायता माँगी गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हाँ।

(ख) **वास्तविक कार्यक्रम :**

(1) वर्ष 1980-81 से 1984-85 की छठी योजना अवधि के दौरान अपतटीय भू-कम्पीय कार्यक्रम में 10377 लाइन किलोमीटर के सर्वेक्षण की परिकल्पना है।

(2) तटीय भू-कम्पीय सर्वेक्षण कार्यक्रम में वर्ष 1980-81 से 1984-85 की अवधि के लिए ९ विभागीय पार्टियों को लगाकर 2400 लाइन किलोमीटर सर्वेक्षण कार्य करने के लक्ष्य की परिकल्पना है। इसके अतिरिक्त इसी अवधि में 1000 लाइन किलोमीटर सर्वेक्षण कार्य संविदा पार्टियों द्वारा कराये जाने का प्रस्ताव है।

(3) **व्यधन कार्यक्रम-अपतटीय :**

1980-81 से 1984-85 की अवधि के लिए 60,600 मीटर व्यधन करने का कार्यक्रम है।

(4) **व्यधन कार्यक्रम तटीय :**

1980-81 से 1984-85 तक की अवधि के लिए 55850 मीटर व्यधन कार्यक्रम परिकल्पित है।

(ग) इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित कार्य कार्यक्रमों सहित एक प्रायोजना विश्व बैंक को प्रायोजित की गई थी ।

(क) तटीय :

(1) लगभग 1700 लाइन किलोमीटर भू-कम्पीय सवक्षण;

(2) 12 अन्वेषी कूपों का व्यधन जिसमें से पांच कूप गहरे उच्च दबाव गैस संभावी क्षेत्रों में होंगे;

(ख) अपतटीय :

(1) लगभग 3500 लाइन किलोमीटर बहुत छिछले जल में भूकम्पनीय सर्वेक्षण तथा 4000 लाइन किलोमीटर तक परम्परागत इंगित भू-कम्पीय सर्वेक्षण ।

(2) 16 अन्वेषी कूपों का व्यधन, जिसमें से 5 बाहरी गागार पर होंगे । उपर्युक्त प्रायोजना पर तकनीकी सहायता, करों, शुल्कों आदि सहित 631.4 मी. अमेरिकी डालर की लागत का अनुमान था जिसमें से विदेशी मुद्रा व्यय 396.5 मि. अमेरिकी डालर होने का अनुमान है । विश्व बैंक ने इस प्रायोजना के एक भाग को वित्त व्यवस्था करने के लिए सहमति व्यक्त की है जिस पर 165.5 मि. अमेरिकी डालर की धनराशि का व्यय होगा ।

एशियाई खेलों संबंधी प्रसारण सामग्री प्राप्त करने के लिये विदेशी टेलीविजन संगठनों की सुविधायें

413. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों संबंधी प्रसारण सामग्री प्राप्त करने हेतु दूरदर्शन ने विदेशी टेलीविजन संगठन को क्या-क्या विशेष सुविधायें दीं; और

(ख) एशियाई खेलों सम्बन्धी प्रसारण सामग्री के विक्रय के माध्यम से प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा का देश-वार ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एशियाड' 82 के कवरेज के लिए दूरदर्शन द्वारा विदेशी संगठनों को उपलब्ध की गई विशेष सुविधाओं का ब्योरा विवरण-I में दिया गया है ।

(ख) ब्योरा विवरण-2 में दिया गया है ।

विवरण-I

विदेशी दूरदर्शन संगठनों को उपलब्ध की गई सुविधाएं

1. उपग्रह के माध्यम से 15 देशों को उद्घाटन समारोह का जीवन्त कवरेज उपलब्ध करना ।
2. उपग्रह के माध्यम से 11 देशों को प्रतिदिन मुख्य अंशों के सार का जीवन्त कवरेज उपलब्ध करना ।
3. 7 देशों को टेप पर मुख्य अंशों के सार की प्रतियां ।
4. उपग्रह के माध्यम से 10 देशों को समापन समारोह का जीवन्त कवरेज उपलब्ध करना ।
5. उपग्रह के माध्यम से 8 देशों को एकपक्षीय कैपसूल उपलब्ध करना ।
6. 31-1/2 घंटे की कुल अवधि की वैयक्तिक घटनाओं की टेप प्रतियां ।
7. उपग्रह के माध्यम से वैयक्तिक घटनाओं का जीवन्त कवरेज उपलब्ध करना ।
8. 7 संगठनों के लिए मास्टर कन्ट्रोल रूप के पास तकनीकी स्थान की व्यवस्था ।
9. स्टेडियमों में कमेंटेटर बूथों की व्यवस्था ।
10. स्टेडियमों या एम. सी. आर. से संबंधित देशों को 4 वायर को-आरडिनेशन सर्किटों की व्यवस्था ।

विवरण-II

एशियाई खेलों के दौरान दूरदर्शन द्वारा उपलब्ध की गई तकनीकी सुविधाओं की बाबत अर्जित विदेशी मुद्रा का देश-वार ब्यौरा ।

क्रम संख्या	देश	अमरीकी डालर में प्राप्य राशि	अमरीकी डालर में भुगतान की गई राशि	अमरीकी डालर में प्राप्य शेष राशि
1.	जापान	6345	6345	शून्य
2.	एच.के.टी.वी.बी. हांगकांग	3725	3725	शून्य
3.	ए. टी. वी. हांगकांग	900	900	शून्य
4.	टी. वी. आर. आई. इन्डोनेशिया	4575	4575	शून्य
5.	के. बी. एस. कोरिया	9300	9300	शून्य
6.	पी. बी. एस. फिलीपींस	450	450	शून्य
7.	ए. एस. बी. यू.	23575	23575	शून्य
8.	चीन	4800	4800	शून्य
9.	आर. एम. मलयेशिया	4000	4000	शून्य

1	2	3	4	5
10.	पाकिस्तान	3325	शून्य	3325
11.	ईरान	10250	10250	शून्य
12.	थाईलैंड	900	900	शून्य
13.	बंगलादेश	1775	—	1775
14.	सिडनी	4000	—	4000
15.	श्री लंका	4000	4000	शून्य
16.	कनाडा	4000	—	4000
	कुल	85,920	72,820	13,100

तेल की खोज संबंधी आपात स्थिति को संभालने हेतु विशेषज्ञ-दल के गठन का प्रस्ताव

414. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल की खोज के कार्य में पैदा होने वाली आपातस्थितियों को संभालने हेतु, जैसी कि एक स्थित गत वर्ष बम्बई हाई के क्षेत्रों में आग लगने से पैदा हुई थी, एक विशेषज्ञ दल का गठन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारी, ऐसी परिस्थितियों को सम्भालने के उद्देश्य से तेल की खोज करने वाले देशों में प्रशिक्षण तथा विशेषज्ञता प्राप्त करने हेतु, विदेश जाने का तैयार हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस बारे में सरकार ने अन्य क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने इस प्रयोजन के लिए एक विशेषज्ञ दल का पता लगाया है और वर्तमान में उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाया जा रहा है। 'रेड एडेयर' दल सहित इनमें से कुछ कार्मिकों को विदेश में प्रशिक्षित किया जा सकता है। 30 जुलाई 1982 को हुए धमाकों से सीखे गए पाठों के परिणामस्वरूप और साथ ही जांच समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप जिसने कि धमाका होने के कारणों की जांच की थी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की विद्यमान प्रणाली तथा प्रक्रियाओं में और अधिक सुधार करने की और कार्मिकों को प्रशिक्षण देने में तेजी लाने की योजना है।

भारतीय तेल निगम द्वारा कुकिंग गैस स्टोव का उत्पादन

415. **श्री एच०एन० नन्जे गौडा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने देश में एक ऐसे कुकिंग गैस स्टोव का डिजाइन तैयार किया है जिससे तत्संबंधी कार्यक्षमता में 70 प्रतिशत की वृद्धि होगी जबकि देश में विद्यमान माडलों की कार्यक्षमता 50 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो यह स्टोव मार्किट में सम्भवत: कब तक मिलने लगेगा; और

(ग) नये गैस कनैक्शन धारियों को अनिवार्य रूप से उक्त स्टोव सप्लाई करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गांगी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां, । इन्डियन आयल कार्पोरेशन ने फरीदाबाद स्थित अपने अनुसंधान तथा विकास केन्द्र के जरिये खाना पकाने के एक गैस स्टोव का विकास किया है जिसकी उन्नत क्षमता वर्तमान नमूनों की 58% की न्यूनतम क्षमता के मुकाबले में 70% है जो कि 2% अधिक या कम हो सकती है।

(ख) इस स्टोव के वर्ष के मध्य तक बाजार में उपलब्ध होने की आशा है।

(ग) यद्यपि उपभोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य नहीं कि नए गैस कनैक्शनों के साथ-साथ वे स्टोव भी खरीदें किंतु कम इंधन की खपत के कारण उनके अपने हित में ऐसी आशा की जाती है कि वे उच्च दक्षता वाले इस स्टोव को खरीदें।

फिल्म समारोह (9वां भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह)

416. **श्री सुधीर कुमार गिरी** :

प्रो० रूपचन्द पाल :

श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि वृत्तचित्र और लघु फिल्मों के निर्माताओं ने फिल्म समारोह (9वां भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह) के निदेशालय को एक पत्र भेजकर विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो उन फिल्म निर्माताओं के नाम क्या हैं;

(ग) फिल्म निर्माताओं द्वारा इस पत्र में उठाई गई मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हाँ।

(ख) पत्र "ए टाइम टु राइज" नामक डाकुमेंट्री फिल्म के निर्माता-निर्देशक श्री आनन्द पटवर्धन द्वारा लिखा गया था और उस पर निम्नलिखित व्यक्तियों के भी हस्ताक्षर थे :—

1. श्री अमोल पालेकर
2. श्री बुद्धदेव दास गुप्ता
3. श्री एम. के. रैना
4. श्री एस. जिदल
5. श्री वीरेन्द्र सैनी
6. श्री जाहनू बरूआ
7. श्री सतपलेन्दु चक्रवर्ती
8. श्री पार्था पी. चैटर्जी
9. श्री एम. एस. सत्यू
10. श्री परवेज् मेरवानजी
11. श्री सुहासनी डे
12. श्री मणि कौल
13. श्रीमती चित्रा पालेकर
14. श्रीमती मीरा दीवान
15. श्रीमती शमा जैदी

(ग) पत्र में श्री पटवर्धन का कहना यह है कि :

(1) उनकी "ए टाइम टु राइज" नामक डाकुमेंट्री फिल्म भारत के नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित नहीं की गई थी यद्यपि इसका चयन समारोह के भारतीय पैनोरमा विभाग के लिए किया गया था।

(2) उन्होंने उन डाकुमेंट्री फिल्म निर्माताओं, जिनकी फिल्मों का चयन भारतीय पैनोरमा के लिए किया गया था, के लिए स्थानीय आतिथ्य सत्कार की व्यवस्था न होने के प्रति भी विरोध किया है।

(घ) (ङ) और (च) भारतीय पैनोरमा में लघु और फीचर दोनों प्रकार की फिल्मों को भारतीय पैनोरमा विनियमों के नियम 5 के अनुसार केवल 35 मिलीमीटर में ही दिखाया जाता है। श्री आनन्द पटवर्धन की "ए टाइम टु राइज" नामक फिल्म का चयन भारतीय पैनोरमा के

लिए किया गया था तथा उनसे प्रिंट को 35 मिलीमीटर में उपलब्ध करने के लिए कहा गया था। श्री पटवर्धन ने वित्तीय कठिनाई के कारण 35 मिलीमीटर की प्रिंट उपलब्ध करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। तथापि, फिल्म को बढ़ावा देने और युवा फिल्म निर्माता को प्रोत्साहित करने के विचार से समारोह के निदेशक ने फिल्म को 16 मिलीमीटर की फिल्मों को समारोह में प्रदर्शित करने के कार्यक्रम में शामिल कर लिया। श्री पटवर्धन अपनी फिल्म को प्रदर्शित करने की तारीख से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने फिल्म को प्रदर्शन से पहले वापस ले लिया। समारोह के अन्तिम दिन फिल्म का प्रदर्शन करने का मतलब फिल्म या फिल्म निर्माता के प्रति किसी प्रकार का अनादर करना नहीं है जैसा कि श्री पटवर्धन ने आरोप लगाया है।

(2) विमान यात्रा और स्थानीय आतिथ्य सत्कार की सुविधा केवल भारतीय पैनोरमा के केवल फीचर फिल्म निर्माताओं को ही दी गई थी। वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह सुविधा सामान्य नियम के रूप में लघु फिल्म निर्माताओं को नहीं दी गई थी। तथापि, उन दो डाकुमेंट्री फिल्म निर्माताओं, जिनकी डाकुमेंट्री फिल्में लगभग फीचर लम्बाई की थी, को समारोह की आन्तरिक समिति की विशिष्ट स्वीकृति पर विशेष मामले के रूप में फीचर फिल्म निर्माताओं के बराबर समझा गया था।

तेलशोधक कारखानों की क्षमता का विस्तार

417. **श्री सुधीर कुमार गिरि** :क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू योजना के दौरान तेलशोधक कारखानों द्वारा क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

1. आजकल कार्यान्वयन के अधीन अनेक शोधनशालाओं का विस्तार और परियोजनाओं का आधुनिकीकरण 1984-85 तक पूरा किये जाने की आशा है। वे हैं :

(1) 1.2 मीलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) विस्तार (4.5 एमटीपीए की शोधन क्षमता उपलब्ध करना और कोचीन शोधनशाला में 1.0 एमटीपीए फल्यूड केटेलिटीक क्रेकिंग यूनिट;

(2) 0.75 एमटीपीए विस्तार (6 एमटीपीए की शोधन क्षमता प्राप्त करना) और 0.6 एमटीपीए भारत पेट्रोलियम रिफाइनरी, बम्बई में फल्यूड केटेलिटीक क्रेकिंग यूनिट;

(3) 2.8 एमटीपीए विस्तार (5.6 एमटीपीए की शोधन क्षमता प्राप्त करना) और मद्रास रिफाइनरी में 0.6 एमटीपीए फल्यूड कैटेलिटीक क्रेकिंग यूनिट; और

(4) 3.0 एमपीटीए विस्तार (4.5 एमटीपीए की शोधन क्षमता प्राप्त करना) साथ ही हिन्दुस्तान पेट्रोलियम रिफाइनरी, विशाखापत्तनम में 0.6 एमटीपीए फल्यूड केटेलिटीक क्रेकिंग यूनिट।

निम्नलिखित गौण प्रक्रिया सुविधाएं भी कार्यान्वयन के अधीन हैं :—

(1) इंडियन आयल कार्पोरेशन की कोयाली शोधनशाला में 10 लाख टन वार्षिक फल्यूड केटेलिटीक क्रेकिंग यूनिट;

(2) इंडियन आयल कार्पोरेशन की मथुरा शोधनशाला में 10 लाख मीलियन टन वार्षिक फल्यूड केटेलिटीक क्रेकिंग यूनिट; और

(3) बरौनी शोधनशाला में 5 लाख मी. टन डिलेड कोकिंग प्लाण्ट :

2. इसके अतिरिक्त 60 लाख मी. टन वार्षिक क्षमता की 2 नई शोधनशालाएं लगाई जानी हैं जो क्रमशः करनाल और मंगलौर के निकट लगाई जायेंगी।

3. हल्दिया रिफाइनरी का 30 लाख मी. टन वार्षिक तक विस्तार करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

सुरक्षा प्रबन्धों के बिना चल रही कोयला खानें

418. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री बापूसाहिब पुरुलेकर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कुछ कोयला खानें समुचित सुरक्षा प्रबन्धों के बिना ही चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) इन खानों में सुरक्षा प्रबन्ध करने हेतु सरकार ने क्या प्रयास किए हैं;

(घ) इन परिस्थितियों में उनको चलने देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) ये कोयला खानें बिना सुरक्षा प्रबन्धकों के कब से कार्य कर रही हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिरोही, राजस्थान में डाकघर भवन का निर्माण

419. **श्री बिरदा राम फुलवारिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सिरोही के जिला मुख्यालयों में एक डाकघर भवन बनाने के लिए राजस्व विभाग द्वारा भूमि आवंटित की गई है;

(ख) क्या कुछ कारणों से इस पर निर्माण कार्य रुका पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एम० पाटिल) : (क) राजस्थान में सिरोही जिला मुख्यालय में डाकघर भवन का निर्माण करने के लिए भूमि सिरोही नगरपालिका से खरीद ली गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) डाकघर भवन का निर्माण कार्य राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के हस्तक्षेप के कारण रुका पड़ा है।

420. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजकल राजस्थान में बिजली की भारी कमी है;

(ख) क्या यह भी सच है बिजली की कमी के कारण किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं और उद्योगों में भी बिजली की 100 प्रतिशत कटौती कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो बिजली की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) यह ठीक है कि फिलहाल राजस्थान में विद्युत की उपलब्धता, उसकी आवश्यकता से कम है।

(ख) राज्य में कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत 5 घंटे प्रतिदिन सप्लाई की जा रही है। उद्योगों पर वर्तमान विद्युत कटौतियों का विवरण नीचे दिया गया है :—

—गैर-प्राथमिकता वाले तथा प्राथमिकता प्राप्त सीमेंट उद्योगों पर 100% ऊर्जा कटौती।

—मध्यम उद्योगों पर 50% ऊर्जा कटौती।

—लघु उद्योगों को 8 घटे प्रति दिन सप्लाई।

(ग) राज्य को पड़ोसी विद्युत प्रणालियों तथा केन्द्रीय स्टेशनों से, जहां तक व्यवहार्य हो सकता है, अधिकतम सहायता दी जा रही है।

छोटे नगरों में कुकिंग गैस एजेंसियां खोलने की योजना

421. **श्री विरदाराम फुलवारियो** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार 25 हजार से कम आबादी वाले नगरों में कुकिंग गैस ऐजेंसियां खोलने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना कब तक कार्यान्वित कर दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) तेल उद्योग की 20,000 और इससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में एल. पी. जी. वितरण आरम्भ करने की पहले से ही योजना बनाई है। इन शहरों में से अधिकांश में जहां एक स्वतन्त्र एल. पी. जी. एजेन्सी के लिए पर्याप्त क्षमता विद्यमान है को 1982-83 और 1983-84 की उद्योग योजनाओं में शामिल किया जा रहा है। शेष शहरों को बाद के वर्षों में चरणबद्ध तरीके से शामिल किये जाने का विचार है।

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता है।

स्वर्गीय श्री विरसा भगवान के सम्मान में स्मारक डाक टिकट

422. **श्री राम विलास पासवान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि स्वर्गीय श्री विरसा भगवान बिहार के जनजाति लोगों के प्रतिष्ठ तथा मान्य नेता हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार स्वर्गीय श्री विरसा भगवान के सम्मान में एक डाक टिकट जारी करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ग) बिहार राज्य के सुविख्यात जनजाति नेता श्री विरसा भगवान (स्वर्गीय श्री विरसा मुंडा) के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिए सरकार को प्रस्ताव प्राप्त होते रहे है। इस महान विभूति के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव फिलैटलिक सलाहकार समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। परन्तु समिति ने इसकी सिफारिश नहीं की।

फिलहाल इस महान विभूति के सम्मान में डाक टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बंधुआ मजदूरों की रिहाई और पुनर्वास

423. **श्री राम विलास पासवान** :

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कुल कितने बंधुआ मजदूरों को मुक्त किया गया है और बसाया गया है;

(ख) उन बन्धुआ मजदूरों को कहां बसाया गया है;

(ग) उन्हें किस प्रकार से पुनर्वास किया गया है; और

(घ) इन पर कितनी धनराशि व्यय होगी ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) 31 दिसम्बर, 1982 तक राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों में पता लगाये गये, मुक्त कराए गए, और पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के विकास और कल्याण से सम्बन्धित चालू योजनाओं के अन्तर्गत तथा 1978-79 से लागू केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत भी किया जाता है। इसमें भूमि, पशु-पालन/कुक्कुट पालन, कौशल/कारीगरी/व्यवसाय आदि पर आधारित योजनाओं के अन्तर्गत पुनर्वास करने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को बराबर-बराबर (50:50) अनुदान के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रति बंधुआ श्रमिक के लिए पुनर्वास सहायता की अधिकतम सीमा 4,000/- रुपये होने के कारण, इसकी आधी राशि केन्द्रीय अंश के रूप में दी जाती है। मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास करने के लिए केन्द्रीय संचालित योजना के अन्तर्गत सहायता के केन्द्रीय अंश के रूप में 1978-79 से 1982-83 के दौरान 798.53 लाख रुपयों की राशि दी गई है।

विवरण

राज्य	पता लगाए गए और मुक्त कराए बंधुआ श्रमिकों की संख्या	पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	13,458	9,449
बिहार	7,903	7,555
गुजरात	63	63
कर्नाटक	62,699	40,033
केरल	829	467
मध्य प्रदेश	1,858	193
उड़ीसा	21,726	12,878
राजस्थान	6,150	6,069
तमिलनाडु	28,686	27,960
उत्तर प्रदेश	8,664	6,810
महाराष्ट्र	302	292
	जोड़ 1,52,338	1,11,769

मध्य प्रदेश के बिजलीघरों में बायलरों के लिए कोयले का ऊष्मीय मूल्य

424. **श्री बाबूराव परान्जपे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बिजलीघरों में विभिन्न बायलरों के लिए कोयले का कितना ऊष्मीय मूल्य रखा गया है;

(ख) क्या बिजलीघरों को सप्लाई किया जा रहा कोयला सही किस्म का है; यदि नहीं, तो विभिन्न बिजलीघरों को दिये जा रहे कोयले का ऊष्मीय मूल्य क्या है;

(ग) घटिया किस्म का कोयला सप्लाई किये जाने के कारण बिजली उत्पादन में कितनी कमी हो रही है; और

(घ) बिजलीघरों को सही किस्म का कोयला सप्लाई करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) अप्रैल, 1982 से दिसम्बर, 198' की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के ताप विद्युत केन्द्रों को सप्लाई किए गए कोयले की गुणवत्ता, क्लोरिफिक मूल्य के रूप में 3000 के. केल/किलोग्राम 56000 के. केल/किलोग्राम की सीमा में बैठती है। इसकी तुलना में सकल क्लोरिफिक मूल्य की इनकी डिजाइन आवश्यकता 36000 के. केल/किलोग्राम 5500 के. केल/किलोग्राम की सीमा में बैठती है।

(ग) केवल कोयले की घटिया गुणवत्ता के कारण उत्पादन में हुई हानि की मात्रा बता सकना कठिन है।

(घ) कोयले की सप्लाई की गुणात्मक रूप में लगातार मानीटरिंग की जाती है। कोयले की भराई का सख्ती से निरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल उचित साइज का कोयला तथा जिसमें विजातीय पदार्थ और सलेटी पत्थर शामिल न हो, भेजा जाए। सरकार ने हाल ही में श्री मोहम्मद फजल, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में अन्य बातों के साथ-साथ गुणात्मक रूप में ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की आवश्यकता की जांच करने और जहां कहीं भी आवश्यक हो विशिष्ट उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम द्वारा फिल्मों का वित्तपोषण रोका जाना

425. **श्री पीयूष तिरके** :

श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम को फिल्मों का वित्तपोषण करने की अपनी गतिविधियां पूरी तरह रोकने के निर्देश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न फिल्म निर्माताओं से कितने ऋण वसूल किये जाने बाकी हैं, उनका ब्योरा क्या है और प्रत्येक की ओर ऋण की कितनी राशि बकाया है;

(घ) क्या यह सच है कि "गांधी" फिल्म का बहुत बड़े पैमाने पर वित्त पोषण किए जाने के बाद राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम की पूंजी खत्म हो गई है; और

(ङ) निगम के पास ऋण के लिए आये आवेदन पत्रों का अद्यतन ब्योरा क्या है और उनके निपटारे में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. को यह सलाह दी गई थी कि वह फिल्मों का वित्तपोषण करने की अपनी गतिविधि को अस्थायी रूप से रोक दें और इस गतिरोध से वर्तमान नीतियों और प्रथाओं की विस्तार से समीक्षा और जांच करे। यह सलाह पिछले इस अनुभव को देखते हुए दी गई थी कि अप्राप्य ऋणों के जमा हो जाने से अनेक ऋण बट्टे-खाते में डाल देने पड़े थे जिससे निगम की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको लोक सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

(घ) जी नहीं। 'गांधी' नामक फिल्म को वित्तपोषित करने के लिए निगम को अलग से राशि दी गई थी।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको लोक सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

दूरदर्शन कर्मचारियों का बीमा

426. श्री राम अवध : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1982 के एशियाई खेलों के दौरान दूरदर्शन का एक वरिष्ठ कैमरामैन एक दुर्घटना में मारा गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकांश दूरदर्शन कर्मचारी अनुबन्ध के अधिकार पर कार्य कर रहे हैं और सरकार द्वारा इनका किसी भी रूप में बीमा नहीं कराया गया है तथा इसके फलस्वरूप किसी कर्मचारी को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता चाहे वह अपना कार्य करते-करते ही क्यों न मर जाये; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार दूरदर्शन कर्मचारियों की सुरक्षा तथा उनका बीमा कराने हेतु कोई कदम उठाने का है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केवल स्टाफ आर्टिस्टों की श्रेणी के कर्मचारियों को ही अनुबन्ध के आधार पर लगाया जाता है। ये 5,000 रुपये की बीमा राशि के साथ सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना के लाभ के पात्र हैं जो इसके बीमा की उच्चतर राशि के साथ नई समूह बीमा योजना द्वारा प्रतिस्थापन से पहले सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू थी। उन स्टाफ आर्टिस्टों जो उसी प्रकार के कार्य करते हैं जिस प्रकार के कार्य अन्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं, को पेंशन के प्रयोजन के लिए सरकारी कर्मचारी मानने के सरकार के निर्णय को कार्यान्वित किया जा रहा है। इससे वे स्वाभाविक रूप से ही उच्चतर बीमा राशि के साथ नई बीमा योजना के लाभों के पात्र बन जायेंगे। अनुग्रहपूर्वक भुगतान के बारे में भी प्रत्येक मामले के गुण दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

दूरदर्शन पर प्रायोजित कार्यक्रम

427. **श्री राम अवध** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न एजेन्सियों द्वारा भेजे गए प्रायोजित कार्यक्रमों का मुख्य ब्योरा क्या है; इनमें से कितने कार्यक्रम स्वीकृत किये गये तथा कितने कार्यक्रम अस्वीकार कर दिये गये ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : गत दो वर्षों के दौरान दूरदर्शन से टेलीकास्ट किए जाने के लिए एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित प्रायोजित कार्यक्रम भेजे गए थे :

(1) एयरविजिन एडवर्टाइजिंग के माध्यम से टैक्सला टी. वी. के निर्माता मैसर्स जूपिटर रेडियो द्वारा प्रायोजित भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम "सरब सांझी गुरबानी"।

(2) हिन्दुस्तान थोम्पसन एसोसिएट्स के माध्यम से एच. एम. वी. एण्ड वैलकम ग्रुप आफ होटल्स द्वारा प्रायोजित रूना लैला द्वारा गाये गये गीतों का एक कार्यक्रम 'सुपर रूना'।

उपरि उल्लिखित पहला कार्यक्रम दूरदर्शन केन्द्र, जलंधर/अमृतसर पर साप्ताहिक आधार पर और दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली पर पाक्षिक आधार पर प्रायोजित किया गया था। जलंधर/अमृतसर से टेलीकास्ट करने के लिए 8 सप्ताहों के लिए भेजे गये कार्यक्रमों को तकनीकी आधार पर स्वीकार नहीं किया गया था। तथापि, प्रयोजकों द्वारा दिये गये एवजी कार्यक्रमों को अनुमोदित कर दिया गया था और उनको 11.10.81 को छोड़कर इन सभी अवसरों पर टेलीकास्ट कर दिया गया था। 'सरब सांझी गुरबानी' कार्यक्रम को दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई से टेलीकास्ट नहीं किया गया था क्योंकि दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई पंजाबी में कार्यक्रम टेलीकास्ट नहीं करता।

रेल-डाक सेवा, दिल्ली सर्कल में कर्मचारियों की कमी

428. **श्री उमराव पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोस्टल विंग विशेषत: रेल-डाक सेवा के दिल्ली सर्कल में नवम्बर तथा दिसम्बर, 1982 के दौरान और जनवरी, 1983 के पहले पखवाड़े में कर्मचारियों की कमी रही थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों की कमी के कारण एक पाली का काम दूसरी पाली में तथा इसी प्रकार और आगे के लिए अन्तरित कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो चार घन्टे की देर से ड्यूटी की बजाय आठ घन्टे के काम के लिए कर्मचारी तैनात किये जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन॰ पाटिल) : (क) जी, हां। दिल्ली सर्किल के डाकघरों और रेल-डाक सेवा कार्यालयों में स्टाफ की आंशिक कमी थी।

(ख) और (ग) क्रिसमस एवं नव वर्ष के कारण दिसम्बर 1982 के अन्तिम सप्ताह और जनवरी 1983 के प्रथम सप्ताह में डाक की मात्रा में असाधारण रूप से वृद्धि हो गई थी। इस वजह से कुछ कार्य एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में स्थानांतरित करना पड़ा। वास्तविक कार्यभार को मद्देनजर रखते हुए सीमित घंटों तक स्टाफ को समयोपरि ड्यूटी पर नियुक्त किया गया था।

नागपुर दूरदर्शन केन्द्र का प्रसारण सीमा में वृद्धि करना

42०. **श्री उत्तम राव पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय नागपुर दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण सीमा और वर्तमान प्रेषण क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) क्या निकट भविष्य में ही, उक्त केन्द्र की प्रसारण सीमा को विदर्भ के कुछ सीमावर्ती जिलों तक बढ़ाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नागपुर के एक किलोवाट वाले अन्तरिम टी. वी. ट्रांसमीटर की सेवा परिधि लगभग 25 किलोमीटर है। यह 1950 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली 15.17 लाख जनसंख्या (12.98 लाख शहरी और 2.19 लाख ग्रामीण) को सेवा प्रदान करता है।

(ख) और (ग) छठी योजना के दौरान नागपुर में 10 किलोवाट वाला एक टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। जब यह ट्रांसमीटर चालू हो जायेगा, यह 70 किलोमीटर की परिधि के अन्दर विदर्भ क्षेत्र में नागपुर, चन्द्रपुर, भण्डारा और वर्धा जिलों में सेवा प्रदान करेगा। इस ट्रांसमीटर की सेवा परिधि के बाहर के चुनींदा गांवों में सीधे संग्रहण सैट भी उपलब्ध किए जायेंगे जबकि इसकी सेवा परिधि के अन्दर आने वाले चुनींदा गांवों में वी. एच. एफ. सामुदायिक अवलोकन सैट लगाये जायेंगे।

माइक्रोवेव द्वारा दूरदर्शन प्रसारणों का विस्तार

430. **श्री उत्तमराव पाटिल** :

श्री जेवियर अराकल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार माईक्रोवेव सम्पर्क व्यवस्था द्वारा माईक्रोवेव सर्कटों के मार्ग में आने वाले स्थानों के लिए दूरदर्शन प्रसारण संप्रेषित करने का कोई प्रस्ताव क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या माईक्रोवेव सर्कट के अधीन यवतमाल में एक रिले ट्रांसमीटर स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो अत्यन्त निकट भविष्य में ही महाराष्ट्र के यवतमाल में दूरदर्शन के कार्यक्रम संप्रेषित करने हेतु अन्य क्या विकल्प होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) डाक-तार माइक्रोवेव लिंकों के साथ-साथ दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना के लिए भावी योजना चरणों में कार्यान्वित करने के लिए तैयार की गई है। यवतमाल इस भावी योजना में शामिल नहीं है। तथापि, यवतमाल में और भावी योजना में शामिल स्थानों में भी दूरदर्शन सेवा का विस्तार भावी योजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

कोयले की किस्म में गिरावट और सुधार के लिए उपाय

431. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश कोयला क्षेत्रों में पिछले पांच छः वर्षों से अधिक समय से कोयले की किस्म में गिरावट आई है और उसके कारण विद्युत उत्पादन में भी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो कोयले की किस्म में गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ग) कोयले की किस्म सुधारने के साथ-साथ कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों से कुछ कोयला क्षेत्रों में कोयला की किस्म में क्रमशः किन्तु बहुत ही थोड़ी गिरावट आई है लेकिन उसके परिणामस्वरूप बिजली उत्पादन कम नहीं हुआ है। कोयले की किस्म में क्रमिक गिरावट के कारण अच्छी किस्म के कोयले के भंडारों का कम हो जाना और मूलतः घटिया ग्रेड के कोयले के दोहन के लिए नई खानें खोदना है। एक अन्य कारण कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मशीनीकृत खनन शुरू करना है। बिजली का उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है क्योंकि हाल ही में चालू किए गए ताप बिजली घरों के डिजाइन परिमापों में देश में उपलब्ध कोयले की मूलतः घटिया किस्म को ध्यान में रखा गया है। कुछ ऐसे पुराने बिजली घरों को जिन्हें अच्छी किस्म के कोयले की आवश्यकता होती है, अच्छी किस्म का कोयला उत्पादन करने वाले कोयला क्षेत्रों से ही संयोजित रखा गया है।

(ग) कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे अल्पकालीन उपाय हैं—विद्यमान खानों का पुनर्गठन और सीमान्त स्कीमों का योजनाबद्ध कार्यान्वयन। अधिक समय लेने वाले दीर्घकालीन उपाय हैं—नई खान खोदना, बड़े पैमाने पर ओपेनकास्ट खनन शुरू करना तथा बोर्ड

और पिलर प्रणाली के स्थान पर क्रमशः लांगवाल प्रणाली का प्रयोग। कोयले की किस्म को सुधारने के लिए उठाए जा रहे कदमों में शामिल हैं—कोयले निकालते समय घूल बैंड्स हटाना, कोलियरी में चुने जा सकने योग्य घूल बैंड्स को कोलियरी में ही अलग कर देना और अनेक कोयला रख-रखाव संयत्र लगाना। इन कोयला रख-रखाव संयंत्रों में धीरे चलने वाली कन्वेयर बेल्टों पर से ही बाहरी पदार्थों को चुनकर अलग करने में सहायता मिलती है।

गुजरात के समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात के कारण दूरसंचार प्रणाली की क्षति

432. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री नवीन रवाणी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1982 के महीने में चक्रवात के कारण गुजरात के समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में दूर-संचार प्रणाली को भारी क्षति हुई है;

(ख) इससे सर्वाधिक प्रभावित हुए खासतौर पर अमरेली जिले के नगरों के क्या नाम हैं;

(ग) अनुमानतः कुल कितनी हानि हुई;

(घ) क्या यह सच है कि वहां दूरसंचार प्रणाली अभी भी संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही है; और

(ङ) इस सेवा की व्यवस्था कब तक किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) सम्पूर्ण अमरेली जिला बुरी तरह प्रभावित था। निम्नलिखित मुख्य एक्सचेंज हैं :—

राजुला, जाफराबाद, खम्भा, लिलिया मोटा, बंदा, डूंगर, अमार्दी, मोटा-समाधियाला, बाबापुर, मोटा अंकादिया, मोतीराला, ढोकाडावा, अकोलवादी, इयानखाडा, सूक्षपाढ़ा, वेलन, नवसबंदर, वानकवाड़ा, सासंगीर।

(ग) सम्पूर्ण गुजरात सर्किल में अनुमानित क्षति लगभग 73,10,000 रु० है

(घ) जी, नहीं। 40 सार्वजनिक टेलीफोनघरों को छोड़कर सभी एक्सचेंज पुनः चालू कर दिए गए हैं।

(ङ) खराब सार्वजनिक टेलीफोनघरों को पुनः चालू करने का कार्य प्रगति पर है तथा इसके 31 मार्च 1983 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

आंध्र प्रदेश में डाकघर, टेलीफोन केन्द्र और तारघर खोलना

433. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में वर्ष 1983-84 के दौरान कितने डाकघर, टेलीफोन केन्द्र और तार-घर खोले जायेंगे;

(ख) 1982-83 के लिए कितने डाकघरों को खोलने का प्रस्ताव था; और

(ग) क्या वर्ष 1982-83 का लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त हो गया है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) 1983-84 के लिए आंध्र प्रदेश के बारे में अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :—

(एक) **डाकघर** :—छठी पंचवर्षीय योजना के एक अंश के रूप में विभिन्न डाक सर्किलों में ग्रामीण डाकघर खोलने के लिए 1983-84 वर्ष के लिए लक्ष्यों के आवंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या के बारे में कोई पूर्वनिर्धारित लक्ष्य नहीं है। ये लक्ष्य कार्य-भार, दूरी और आय के बारे में विभागीय मानदंडों की औचित्यता पर निर्भर करते हैं।

(दो) **टेलीफोन एक्सचेंज** : 43 टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए एक अस्थाई लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(तीन) **तारघर** : लगभग 500 मौजूदा डाकघरों में तारघर सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त 15 विभागीय तारघर खोलने का भी प्रस्ताव है।

(ख) 1982-83 की वार्षिक योजना में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 49 नए डाकघर खोलने की व्यवस्था की गई है। शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता महसूस होने पर तथा निर्धारित क्षेत्रों के अनुसार योजना के अतिरिक्त डाकघर खोले जाते हैं।

(ग) अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में 45 डाकघर खोले जा चुके हैं और 4 डाकघर 31-3-83 से पहले खोल दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में वार्षिक लक्ष्य से 15 डाकघर अधिक खोले गए हैं।

1982-83 के दौरान अतिरिक्त बिजली लक्ष्य प्राप्त करना

434. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1982-83 के लिए अतिरिक्त बिजली का लक्ष्य प्राप्त किये जाने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए उत्तरदायी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1982-83 में 3482 मेगावाट की नई उत्पादन क्षमता के लक्ष्य की तुलना में 1930 मेगावाट की क्षमता पहले ही चालू/रोल कर दी गई है। 1982-83 के दौरान जोड़े जाने वाली कुल क्षमता 2800-3000 मेगावाट तक होने की सम्भावना है।

(ख) परियोजनाओं को चालू करने में देरी निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से होती है।

(1) भूमि अधिग्रहण में देरी।

(2) अपर्याप्त स्थल अन्वेषण।

(3) सिविल कार्यों सहित परियोजना निवेशों में देरी।

(4) परियोजनाओं के लिए इन्जीनियरी विशिष्ठियों को अन्तिम रूप देने में देरी।

(5) आनुषंगिक उपस्करों का आर्डर देने/ठेके देने के कार्य में देरी।

(6) विभिन्न सप्लाई कर्त्ताओं द्वारा उपस्करों की सप्लाई में देरी।

(7) मुख्य निर्माण सामग्री में कमी।

(8) औद्योगिक सम्बन्ध ठीक न होना।

(9) निधियों का अपर्याप्त प्रावधान।

(ग) परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। परियोजनाओं की मानीटरिंग करने के कार्य को काफी बढ़ाया गया है। परियोजनाओं को विभिन्न कार्यकलापों की ध्यानपूर्वक मानीटरिंग करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में निर्माण मानीटरिंग निदेशालयों की स्थापना की गई है। परियोजना प्राधिकारियों, उपस्कर सप्लाईकर्त्ताओं, निर्माताओं, निर्माण एजेन्सियों आदि के साथ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में समन्वय तथा समीक्षा बैठकें नियमित रूप से की जाती हैं। सभी बाधाओं के लिए उपचारी उपाय करने के लिए बराबर ध्यान रखा जाता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी परियोजना स्थलों का दौरा करते हैं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए मामले को उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाते हैं। उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के स्तर पर विद्युत विभाग में समीक्षा बैठकें भी की जाती हैं। ऊर्जा मंत्रालय के स्तर पर राज्यों के विद्युत मंत्रियों के साथ बैठकें भी की जाती हैं जिनमें निर्माणाधीन परियोजनाओं की उपचारी उपाय करने के लिए समीक्षा की जाती है। परियोजना स्तर पर प्रबन्ध में सुधार करके के लिए जुलाई, 1980 में राज्य बिजली बोर्डों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए थे। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में अन्य बातों के साथ-साथ परियोजनाओं के विभिन्न कार्यकलापों पर ध्यानपूर्वक नजर रखने के लिए विभिन्न तारजाल और फार्मेट भी शामिल है। मुख्य सप्लाईकर्त्ताओं नामशः भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि. तथा इन्स्ट्रूमेंटेशन लि. कोटा से उपस्करों की समय पर सप्लाई तथा परियोजना प्राधिकारियों और अन्य सप्लाईकर्त्ताओं से अन्य विभिन्न सामग्रियों की उपलब्धता में कारगर समन्वय के लिए, हरमोनोग्राम की एक प्रणाली प्रयोग में लाई जा रही है।

1983-84 के दौरान कोयला उत्पादन का लक्ष्य और 1982-83 की उपलब्धि

435. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1983-84 के लिए कोयला उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ख) क्या इसका वर्ष 1982-83 का लक्ष्य प्राप्त होने की सम्भावना है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में मौजूद स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) देश में वर्ष 1983-84 के लिए कोयले का उत्पादन लक्ष्य 142 मिलियन टन है ।

(ख) योजना आयोग के साथ परामर्श करके 133 मिलियन टन का जो उत्पादन लक्ष्य निश्चित किया गया था उसकी तुलना में आशा है कि वास्तविक उत्पादन बहुत थोड़ा ही कम रहेगा ।

(ग) यद्यपि उत्पादन लक्ष्य से बहुत थोड़ा ही कम होने की आशा है फिर भी कोयला उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी करने में कोई कठिनाई होने की संभावना नहीं है क्योंकि योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 1982-83 में वास्तविक मांग पहले बताई गई मांग की तुलना में कम होगी । इसके अतिरिक्त कोयले के विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों की मांग पूरी करने के लिए कोयले के विशाल खान मुहाना स्टाक हैं ।

कोयले की मांग और सप्लाई में अन्तर

436. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले की मांग और सप्लाई के बीच कितना अन्तर है; और

(ख) स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अकोककर कोयला क्षेत्र में कोयले की मांग और उसकी सप्लाई में कोई अन्तर नहीं है । इस्पात के क्षेत्र में कोककर कोयले की मांग और इस कोयले की उपलब्धता में लगभग एक मिलियन टन का अन्तर चल रहा है ।

(ख) अल्पकालीन उपाय के रूप में इस्पात क्षेत्र उपलब्धता में इस कमी को पूरा करने के लिए कुछ कोककर कोयला आयात कर रहा है । दीर्घकालीन उपाय के रूप में अतिरिक्त वाशरी क्षमता स्थापित की जा रही है और परियोजनाओं को मजूरी दी जा रही है ताकि कोककर कोयले की उपलब्धता बढ़ाई जा सके ।

अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र

437. **श्री हरीश रावत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान देश में आकाशवाणी के कितने केन्द्र स्थापित किए जाने का विचार है और इन्हें किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाने का विचार है; और

(ख) क्या अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) मौजूदा आकाशवाणी के रिले केन्द्र को 1985 तक पूर्ण आकाशवाणी केन्द्र में परिवर्तित किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अनुमोदित छठी योजना में, नए रेडियो स्टेशन निम्नलिखित 12 स्थानों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है—

(1) ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश), (2) तुरा (मेघालय), (3) गंगटोक* (सिक्किम) (4) मदुरै (तमिलनाडु), (5) आगरा (उत्तर प्रदेश), (6) जमशेदपुर (बिहार), (7) आदिलाबाद (आंध्र प्रदेश), (8) दिफू (असम), (9) क्योंझर (उड़ीसा), (10) कोटा (राजस्थान), (11) नागरकोईल (तमिलनाडु), (12) शोलापुर (महाराष्ट्र)।

* 10 किलोवाट के मीडियम वेव ट्रांसमीटर से युक्त अन्तरिम ढांचा पहले ही शुरू किया जा चुका है।

(ख) अल्मोडा में अल्प शक्ति वाले एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर, स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टरों से युक्त पूर्ण रूपेण रेडियो स्टेशन स्थापित करने की एक स्कीम है। इस परियोजना के निर्माण का कार्य चालू है और उसके चालू योजना अवधि (1980-85) के दौरान मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित पड़े मुकद्मे

438. **श्री हरीश रावत** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित पड़े मुकद्मों, लेख याचिकाओं की कुल संख्या कितनी है और उनमें सबसे अधिक पुराना मुकद्मा कौन सा है और वह किस समय से लम्बित पड़ा है; और

(ख) न्यायालय द्वारा मुकद्मों को शीघ्रता से निपटाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार लम्बित मामलों और रिट अर्जियों की कुल संख्या विवरण

सं. 1 में बताई गई है । कुछ मामले 10 वर्ष से अधिक समय से लम्बित पड़े हुए हैं, किन्तु सबसे अधिक समय से लम्बित मामले के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या में कमी करने के लिए किए गए उपाय विवरण-2 में बताए गए हैं ।

विवरण-1

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 30-6-1982 को लंबित मामलों और रिट अर्जियों की संख्या ।

लम्बित रिट अर्जियों की संख्या	लम्बित अन्य मामलों की संख्या	लम्बित मामलों की कुल संख्या
82552	103410	185962

विवरण-2

लम्बित मामलों की संख्या में कमी करने के लिए किए गए उपाय

उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं—

1. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में 1976 में संशोधन किया गया (देखिए धारा 100-क) ।

2. विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अधिनियमित की गई और उसका 1978 और 1980 में संशोधन किया गया ।

3. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में समय-समय पर वृद्धि की गई है ।

4. उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय, मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित उपाए कर रहे हैं—

(क) कई उच्च न्यायालय ऐसे मामलों को जिनमें एक जैसे प्रश्न जुड़े होते हैं, एक ग्रुप में रखते हैं;

(ख) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत किए जाते हैं;

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना;

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन आने वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना ।

5. सरकार ने उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्याय-मूर्तियों को, जिनमें 5 वर्ष से अधिक पुराने सिविल मामले भारी संख्या में लम्बित हैं, यह भी लिखा है कि वे संविधान के अनुच्छेद 224 क के अधीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विचार करें ।

6. सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10 वें विधि आयोग) की भी नियुक्ति की है । विधि आयोग को सौंपे गए विषयों में से कुछ निम्नलिखित हैं—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से —

(i) इस आधारभूत सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिये, मामलों के शीघ्र और कम खर्च पर निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलम्ब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए;

(ii) तकनीकी बारीकियों और विलम्बकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त समाप्त करने के उद्देश्य से किससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करे, प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए; और

(iii) न्याय प्रशासन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए;

न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना ।

(ख) सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके ।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों को या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना ।

शीरे के निर्यात और वितरण हेतु राज्यों के आबकारी मंत्रियों के साथ बैठक ।

430. **श्री हरीश रावत : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के आबकारी मंत्रियों के साथ हाल की हुई बैठक में शीरे के निर्यात और वितरण के सम्बन्ध में कोई नीति विषयक निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सीरा उद्योग में विद्यमान मंदी की स्थिति समाप्त करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) और (ख) माननीय सदस्य ने स्पष्ट रूप से जनवरी, 1983 में नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय सीरा बोर्ड की बैठक का हवाला दिया है। बोर्ड एक परामर्शी निकाय है और अल्कोहल और शीरे की उपलब्धता का मांग की तुलना में पुनरीक्षण करने और अधिशेष वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को अल्कोहल और शीरे के आवंटन और निर्यात के लिए उपलब्धता के बारे में सिफारिशें करने हेतु वर्ष में एक बार बैठक करता है। अल्कोहल उद्योग और अल्कोहल पर आधारित उद्योग के विकास के लिए उक्त बैठक में विभिन्न सिफारिशें की गई थी।

ऐसा कोई शीरा उद्योग नहीं है। शीरा चीनी उद्योग से प्राप्त होने वाला एक उप-उत्पाद है जिसका प्रयोग आसवनियों द्वारा अल्कोहल के उत्पादन के लिए किया जाता है। अल्कोहल के उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से, विशेषकर अल्कोहल पर आधारित उद्योग में इसके प्रयोग के लिए, भारत सरकार ने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया है कि (i) समस्त उपलब्ध शीरे का लाभप्रद प्रयोग किया जा रहा है, (ii) अल्कोहल के उत्पादन के लिए खण्डसारी शीरे के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और (iii) चीनी कारखानों द्वारा शीरे के लिए पर्याप्त और उचित भंडारण सुविधाएं सृजित की जा रही हैं। शीरे के निर्यात की अनुमति अधिशेष स्वदेशी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए दी जाती है।

बिहारशरीफ मे एस० टी० डी० सुविधायें

440. **श्री तारिक अनवर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहारशरीफ जैसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थान पर कोई सीधे डायल करने की टेलीफोन प्रणाली और एस. टी. डी. सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और क्या निकट भविष्य में बिहारशरीफ में इस प्रकार की सुविधायें प्रदान करने की कोई संभावना है; और

(ग) क्या किसी नगर के उपरिलिखित सुविधायें प्रदान करने के कोई नियम है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) बिहारशरीफ एक्सचेंज देश के 1400 करचल एक्सचेंजों में से एक है और देश में उपस्करों की जो सीमित मात्रा उपलब्ध है, उसे ध्यान में रखते हुए इन करचल एक्सचेंजों को स्वचल एक्सचेंजों में उत्तरोत्तर बदला जाना है। बिहारशरीफ में चालू योजना अवधि के दौरान स्वचल एक्सचेंज उपलब्ध कराए जाने की योजना है। एक्सचेंज शीघ्र चालू किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। एस. टी. डी. प्रदान करने से पूर्व एक्सचेंज का स्वचलित होना जरूरी है।

(ग) जी, हां।

बम्बई हाई में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के प्लेटफार्म को बदलना

441. **श्री तारिक अनवर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ महीनों पूर्व बम्बई हाई स्थित तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के तेल कुएं में भारी आग लगने से नष्ट हो गये प्लेटफार्म के स्थान पर दूसरा प्लेटफार्म बना दिया गया है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय प्लेटफार्म पर शासन के स्वामित्व वाली मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा निर्मित एक नया डैक है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) प्लेटफार्म का केवल डैक क्षतिग्रस्त हुआ था जिसे प्रतिस्थापित किया है।

(ख) जी, हां।

दूरदर्शन के लिए फिल्मों का निर्माण

442. **श्री तारिक अनवर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के अवसर पर आयोजित दूरदर्शन के लिए फिल्मों का निर्माण, शीर्षक चर्चा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री(श्री मल्लिकार्जुन); (क) जी, हां।

(ख) चर्चा के मुख्य मुद्दों को नोट कर लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

औषधियों पर करों से छूट की मांग

443. **श्री तारिक अनवर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जनवरी, 1983 के दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स में दवाओं की कर मुक्ति की मांग शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय मैडिकल एसोसिएशन की यह बात सही है कि करों के लगने से अन्य औषधियों के साथ-साथ जीवनरक्षक औषधियों के मूल्य बढ़ जाते हैं;

(ग) क्या एसोसिएशन ने यह मांग की है कि राज्य व्यापार निगम को जिसके माध्यम

से औषधियां तैयार करने हेतु कच्चा माल आयात किया जाता है उन पर कोई मुनाफा लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां। सरकार ने दिल्ली से प्रकाशित 3 जनवरी, 1983 के हिन्दी दैनिक 'हिन्दुस्तान' में प्रकाशित समाचार देखा है।

(ख) देश में उत्पादित 30 बल्क औषधों पर आधारित जीवन रक्षक स्वसा के पेटेन्ट और प्रोपराइटरी फार्मूलेशन्स उत्पादन शुल्क से मुक्त है। देश में आयात करते समय 129 जीवन रक्षक औषधों या दवाईयों पर सीमा शुल्क भी नहीं है। तथापि केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य बिक्री कर और चुंगी इन दवाईयों पर भी लगाये जाते हैं।

(ग) और (घ) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात के लिये सरणीबद्ध बल्क औषधों और औषध मध्यवर्तियों का आयात उस एजेन्सी के माध्यम से किया जाता है। औषध मदों के सम्बन्ध में निगम का लाभ सी आई. एंफ. मूल्य के 3 प्रतिशत तक सीमित है।

तमिलनाडु द्वारा लिग्नाइट पर आधारित तीसरे तापीय बिजलीघर की स्थापना का प्रस्ताव

444. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने नवेली में लिग्नाइट पर आधारित तीसरा तापीय बिजलीघर स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

त्रिवेन्द्रम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

445. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय बोर्ड ने एक संकल्प पास किया है जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम से त्रिवेन्द्रम में अपना उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस संकल्प का ब्यौरा क्या है और उस पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) त्रिवेन्द्रम में उसका उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हाँ ।

(ख) क्षेत्रीय बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में नियोजकों तथा कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए किवलोन या त्रिवेन्द्रम में उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की सिफारिश की गई है । कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अनुसार, उप-क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना करने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं है, क्योंकि त्रिचुर में स्थापित क्षेत्रीय कार्यालय इस स्थिति में है कि वह राज्य के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से कार्य संभाल सकता है। यह निर्णय क्षेत्रीय निदेशक को पहले ही सूचित कर दिया गया है, जो क्षेत्रीय बोर्ड को इस मामले में रिपोर्ट देंगे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चेकोस्लोवाकिया के साथ फिल्मों का सह-निर्माण

446. **श्री कमलनाथ** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन चेकोस्लोवाकिया के साथ "द बिटर आटम विद ए सेंट आफ मेंगो" शीर्षक फिल्म का सह-निर्माण करेगा;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या दूरदर्शन द्वारा अन्य देशों के साथ इस प्रकार के कुछ और अधिक संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हाँ । एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) फिल्म का शीर्षक "दि बिटर आटम विद ए सेंट आफ मेंगो" होगा । चेकोस्लोवाकिया की ओर से निर्देशक जिरि सिक्वेंस होंगे जो बरानडोव फिल्म स्टूडियो, प्राग का प्रतिनिधित्व करते हैं । भारत के सहयोजित निर्देशक श्री बसु भट्टाचार्य होंगे । भारत में व्यय, जो 7 लाख रुपये तक सीमित है, दूरदर्शन द्वारा वहन किया जायेगा जबकि चेकोस्लोवाकिया पक्ष फिल्म के निर्माण के लिए शेष धन राशि उपलब्ध करेगा ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रंगीन प्रसारण

447. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी परिषण केन्द्रों से कार्यक्रमों का रंगीन प्रसारण शुरू करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो अन्य परिषण केन्द्रों से कार्यक्रमों का रंगीन प्रसारण कब तक शुरू किया जाएगा और उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मौजूदा 40 दूरदर्शन प्रेषण केन्द्र इस समय दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा टेलीकास्ट किए जाने वाले रंगीन कार्यक्रम रिले कर रहे हैं। मौजूदा कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों में आपरिवर्तन चरणों में किया जा रहा है। बंगलौर, अहमदाबाद, त्रिवेन्द्रम और गोहाटी में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना और कसौली, कोडैकनाल, आसनसोल, मुर्शिदाबाद, वाराणसी, विजयवाड़ा, पणजी और कटक में रिले केन्द्रों की स्थापना के लिए अनुमोदित छठी योजनागत स्कीमों को सीधे रंगीन में कार्यान्वित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय भाषाओं में आकाशवाणी के धीमी गति के समाचार बुलेटिन

448. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु समाचारपत्रों की मदद करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में आकाशवाणी से धीमी गति के समाचार बुलेटिन शुरू करने की मांग की सरकार को जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। सरकार को निकट भूतकाल में इस प्रकार की कोई मांगें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नये कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की स्थापना

449. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के विभिन्न भागों में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल और स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं, जहां इस प्रकार के कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल स्थापित किए जाने हैं;

(ग) क्या उड़ीसा में इस तरह की कोई कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल स्थापित किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा में किन-किन स्थानों पर इस प्रकार के कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल स्थापित किए जाने का विचार है; और

(ङ) उपरोक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकारियों के अनुसार, 16 अस्पताल निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। 12 और अस्पतालों के प्लान तथा अनुमानित व्यय की मंजूरी दे दी गई है और आशा है कि इन अस्पतालों का निर्माण शीघ्र आरम्भ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, निगम ने सिद्धांत रूप से 48 अस्पतालों का निर्माण करना स्वीकार कर लिया है और इन अस्पतालों के लिए भूमि खरीदने/चयन करने सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है;

(ख) ऐसे स्थानों के नामों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है, जिनमें नए अस्पताल स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है (अनुबंध)

(ग) जी, हां।

(घ) राउरकेला।

(ङ) प्रस्तावित अस्पताल के लिए भूमि की खरीद का प्रस्ताव उड़ीसा सरकार से प्राप्त होना है।

विवरण

ऐसे स्थानों के नामों को दर्शाने वाला विवरण, जहां कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल स्थापित किए जाने हैं।

क्रमांक	अस्पताल का नाम	पलंगों की संख्या
1.	**निर्माणाधीन**	
1.	राजमुन्द्री (आंध्र प्रदेश)	50
2.	गोहाटी (असम)	50
3.	रांची (बिहार)	50
4.	झिलमिल, शाहदरा (दिल्ली)	200
5.	सूरत (गुजरात)	150
6.	इन्दिरा नगर, बंगलौर (कर्नाटक)	300

7. हुबली (कर्नाटक)	50
8. देवनगर (कर्नाटक)	50
9. फेरोके (केरल)	100
10. ठोटाडा, कमानोर (केरल)	50
11. नासिक (महाराष्ट्र)	100
12. शोलापुर (महाराष्ट्र)	120
13. कोटा (राजस्थान)	60
14. सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)	50
15. नौएडा (उत्तर प्रदेश)	50
16. बरेली (उत्तर प्रदेश)	50

मंजूर किए प्लान और अनुमानित व्यय

1. पत्तनचेरू (आंध्र प्रदेश)	69
2. नरोडा, अहमदाबाद (गुजरात)	300
3. ओधाव, अहमदाबाद (गुजरात)	125
4. पालघाट, (केरल)	50
5. भोपाल (मध्य प्रदेश)	84
6. मण्डी गोविन्दगढ़ (पंजाब)	50
7. सेलम (तमिलनाडु)	50
8. वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	50
9. किदवई नगर, कानपुर (उत्तर प्रदेश)	100
10. जैमाऊ, कानपुर (उत्तर प्रदेश)	100
11. श्यामनगर (पश्चिम बगाल)	300
12. ठाकुरपुकुर (पश्चिम बगाल)	300

सिद्धांत रूप से सहमत

1. हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	200
2. बिहारशरीफ (बिहार)	50
3. गिरिडीह (बिहार)	50
4. फतुआ, पटना (बिहार)	50 (टी. बी.)
5. भागलपुर (बिहार)	25
6. दिल्ली (साउथ)	200
7. दिल्ली	150 (टी. बी.)
8. रोहिणी स्कीम, दिल्ली	250

9. चंडीगढ़	50	
10. मारगांव (गोवा)	100	
11. भावनगर (गुजरात)	50	
12. नाडियाड (गुजरात)	50	
13. पोरबन्दर (गुजरात)	50	
14. जामनगर (गुजरात)	50	
15. पेटलाड (गुजरात)	50	
16. वापी (गुजरात)	50	
17. कैम्बे (गुजरात)	50	
18. बड़ोदा (गुजरात)	100	(टी. बी.)
19. बल्लबगढ़ (हरियाणा)	200	
10. भिवानी (हरियाणा)	30	
21. बहादुरगढ़ (हरियाणा)	25	(इसमें व्यवस्था है कि इसे 50 पलंगों वाला बनाया जा सकता है)
22. गुडगांव (हरियाणा)	25	—यथोक्त—
23. बेलगांव (कर्नाटक)	50	
24. जबलपुर (मध्य प्रदेश)	50	
25. नागदा (मध्य प्रदेश)	250	
26. मन्दासौर (मध्य प्रदेश)	25	
27. औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	100	
28. बिबेवाडी, पुणे (महाराष्ट्र)	100	
29. चिचवाड़, पुणे (महाराष्ट्र)	100	
30. कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	5 100	
31. सांगली (महाराष्ट्र)	50	
32. राउरकेला (उड़ीसा)	25	(इसमें व्यवस्था है कि इसे 50 पलंगों वाला बनाया जा सकता है।)
33. फगुवाड़ा (पंजाब)	50	
34. मोहाली (पंजाब)	25	
35. राजपुरा (पंजाब)	25	
36. लुधियाना (पंजाब)	50	(टी. बी.)

37. पाली (राजस्थान)	50
38. जोधपुर (राजस्थान)	50
39. भीलवाड़ा (राजस्थान)	50
40. शिवाकासी (तमिलनाडु)	50
41. मैतूरडम (तमिलनाडु)	50
42. तिरुचिरपल्ली (तमिलनाडु)	50
43. पिपरी (उत्तर प्रदेश)	50
44. अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)	50
45. हरिद्वार (उत्तर प्रदेश)	50
46. इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	2
47. दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)	100
48. गार्डनरीच (पश्चिम बंगाल)	100

पूरे बिजली संयंत्र का विदेश से आयात

450. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मार्च, 1985 में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अतिरिक्त बिजली उत्पादन की प्रत्याशित कमी को पूरा करने के लिए पूरा बिजली संयंत्र विदेश से खरीदने तथा संस्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या तापीय बिजली घरों के कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए और भी बहुत से उपाय किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इन उपायों के क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या इन उपायों के परिणाम स्वरूप वर्ष 1979-80 में 16 प्रतिशत बिजली की कमी की तुलना में अप्रैल सितम्बर 1982 में यह कमी 8 प्रतिशत रह गई है; और

(ड) बिजली संयंत्रों में सुधार लाने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं और बिजली उत्पादन में सुधार करने में पूरा बिजली संयंत्र आयात करने में क्या सहायता मिलेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) देश में ताप विद्युत संयंत्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए कई दीर्घकालीन और अल्पकालीन कदम उठाए गए है और उठाए जा रहे है। कमियों का पता लगाने के लिए कृतिक बलों और भ्रमणकारी दलों का गठन किया गया है तथा दोषों को दूर करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। राज्य बिजली बोर्डों को उनके द्वारा अपनायी जाने वाली सुव्यवस्थित प्रचालन और अनुरक्षण प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं। उन्हें मौजूदा विभिन्न ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए नवीकरण और सुधारात्मक

कार्यक्रम बनाने की तथा तेजी से क्रियान्वित करने की भी सलाह दी गई है। प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों को समुचित प्रशिक्षण देने पर बल दिया जा रहा है। ताप विद्युत केन्द्रों का सुधार करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा एक विस्तृत कार्रवाई आयोजना बनायी गयी है और उसे क्रियान्वित किया जा रहा है। इन कदमों के फलस्वरूप ताप विद्युत उत्पादन में तेजी से सुधार हुआ है। ताप विद्युत केन्द्रों का औसतन संयंत्र भार अनुपात 1980-81 में 44.6% से बढ़कर 1982-83 (अप्रैल से दिसम्बर तक) में 48.5% हो गया।

(घ) जी हां।

(ङ) समस्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से गुण-अवगुण के आधार पर उपस्कर का आयात किया जाता है। ताप विद्युत संयंत्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए विभिन्न अल्पकालीन और दीर्घकालीन कदम उठाए गए हैं।

तेल शोधक क्षमता का विकास

451. **श्री लक्ष्मण मालिक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल के लिए शोधन क्षमता बढ़ाने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त विकास के लिये किन-किन तेल शोधक कारखानों को चुना गया है;

(ग) किन तेल शोधक कारखानों का विस्तार करने का विचार है;

(घ) क्या वर्ष 1983-84 में कोई नया तेल शोधक कारखाना खोलने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

1. आजकल कार्यान्वयन के अधीन अनेक शोधशालाओं का विस्तार और परियोजनाओं का आधुनिकीकरण 1984-85 तक पूरा किया जाने की आशा है। वे हैं :

   (1) 12 लाख मी. टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) विस्तार (4.5 एमटीपीए शोधन क्षमता प्राप्त करना) और कोचीन रिफाइनरी में 1.0 एमटीपीए फ्लूड केटेलिटिक क्रेकिंग यूनिट।

   (2) 0.75 एमटीपीए विस्तार (6 एमटीपीए शोधन क्षमता प्राप्त करना) और भारत पेट्रोलियम रिफाइनरी बम्बई में 0.6 एमटीपीए फ्लूड केटेलिटिक क्रेकिंग यूनिट।

(3) 2.8 एमटीपीए विस्तार (5.6 एमटीपीए शोधन क्षमता प्राप्त करना) और मद्रास रिफाइनरी में 0.6 एमटीपीए फ्लूड केटेलिटिक क्रेकिंग यूनिट); और

(4) 3.0 एमटीपीए विस्तार (4.5 एमटीपीए शोधन क्षमता प्राप्त करना) साथ ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम रिफाइनरी विशाखापत्तनम में 0.6 एम.टी.पीए. फ्लूड केटेलिटिक क्रेकिंग यूनिट।

निम्नलिखित गौण प्रक्रियाएं सुविधाएं भी कार्यान्वयन के अधीन है :

(1) इण्डियन आयल कार्पोरेशन की कोयाली रिफाइनरी में दस लाख मी. टन प्रतिवर्ष फ्लूड केटेलिटिक क्रेकिंग यूनिट,

(2) इण्डियन आयल कार्पोरेशन की मथुरा रिफाइनरी में दस लाख मी. टन प्रतिवर्ष फ्लूड केटेलिटिक क्रेकिंग यूनिट; और

(3) बरौनी रिफाइनरी में 5 लाख मी. टन डिलेड कोकिंग प्लांट।

2. इसके अतिरिक्त 60 लाख मी. टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली दो नई शोधशालाएं क्रमशः करनाल और मंगलौर के निकट स्थापित की जानी है।

3. हल्दिया रिफाइनरी का 30 लाख मी. टन प्रतिवर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

परभानी जिले के लिये डाकघर अधीक्षक के पद का सृजन

452. **श्री उत्तम राठौर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने शाखा डाकघरों पर डाकघर अधीक्षक की नियुक्ति की जाती है; और

(ख) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के परभानी जिले के डाक संबंधी कार्य की देखभाल करने के लिए डाकघर अधीक्षक के पद का सृजन करने हेतु बहुत लम्बे समय की मांग की जा रही है; और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) :(क) अधीक्षक डाकघर के पद का सृजन केवल शाखा डाकघरों की संख्या के आधार पर ही नहीं किया जाता। ऐसे पद का सृजन करते समय अन्य पदों मुद्दों पर भी विचार किया जाता है, जैसे मुख्य डाकघरों की संख्या, उप डाकघरों की संख्या, मंडलीय कार्यालय में शिकायत क्लर्कों की संख्या और स्टाफ निरीक्षण यूनिट के फार्मूले के अनुसार मंडलीय कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 1 स्टाफ निरीक्षण यूनिट के फार्मूले के अनुसार जब मंडलीय अधीक्षक का कार्यभार 2.6 से अधिक और प्रस्तावित मंडल के अधीक्षक का कार्यभार 0.9 से अधिक हो जाता है तो मौजूदा डाक मंडल का द्विशाखन कर दिया जाता है।

(ख) महाराष्ट्र के परभानी जिले के लिए एक डाक मण्डल खोलने का प्रस्ताव, महाराष्ट्र सर्किल के पोस्टमाटर जनरल से प्राप्त हुआ था। हालांकि स्टाफ निरीक्षण यूनिट के फार्मूले के

मानदण्डों के अनुसार डाक मण्डल का औचित्य बनता था परन्तु अतिरिक्त विभागीय शाखा डाक घर में केवल सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करके उसका अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर के स्तर तक दर्जा बढ़ाने के सम्बन्ध में डाक-तार विभाग की नीति की पुनरीक्षा होने तक डाक तार विभाग द्वारा डाक डिवीजनों के सृजन/द्विभाजन पर लगाई गई रोक के कारण डाक डिवीजन का सृजन नहीं किया जा सका। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट इस समय विचाराधीन है। विभाग द्वारा समिति की रिपोर्ट पर निर्णय लिए जाने के पश्चात ही परमानी डाक मंडल को खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। आशा है कि यह निर्णय शीघ्र ही हो जाएगा।

राज्यों में पिछले छः महीनों में बिजली की कटौतियां

453. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी राज्यों में गत छः महीनों के दौरान, राज्य-वार और माह-वार, कितनी बिजली की कटौती की गई;

(ख) उन राज्यों में बिजली की कटौतियों के विभिन्न कारण क्या है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाए किए गए है; और

(घ) कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) पिछले 6 महीनों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में विद्युत कटौतियों/प्रतिबन्धों का विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 5804/83]

मोटे तौर पर विद्युत कमी के मुख्य कारण मानसून का फेल होना, ताप-विद्युत यूनिटों की जबरन बन्दी तथा अपर्याप्त विद्युत उत्पादन क्षमता आदि है।

माँग और सप्लाई के बीच के अन्तर को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में ये शामिल है :—

(1) विद्यमान ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों से अधिकतम उत्पादन करना।

(2) अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना।

(3) फालतू विद्युत वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को विद्युत अन्तरित करने की व्यवस्था करना।

आवश्यक और जीवनदायी औषधियों की उपलब्धता

454. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि : आवश्यक और जीवन दायी औषधियों का उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : राज्य औषध नियंत्रकों केन्द्रीय औषध नियंक्षण संगठन के क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों तथा जनता से प्राप्त पत्रों के आधार पर औषध फार्मूलेशनों की उपलब्धता पर मेरे मंत्रालय में लगातार निगरानी रखी जाती है। कुछ ब्रेंड उत्पादों की कुछ जगहों पर अलग-अलग समय पर कभी की रिपोर्टें मिलती हैं। अधिकांश मामलों में अन्यों द्वारा उत्पदित समकक्ष फार्मूलेशन उपलब्ध होते हैं।

सरकार ने दवाइयों की उपलब्धता को बढ़ाने तथा उपभोक्ताओं को उचित दरों पर उपलब्ध के लिए निम्नलिखित उपाय किए है :—

(1) देश में प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशनों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है या तो अधिकाधिक एककों की स्थापना द्वारा उत्पादन करवा कर या वर्तमान एककों की क्षमताओं में विस्तार से,

(2) सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से विनियमित किया जाता है। मांग तथा स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अन्तर की सीमा तक आयातों की व्यवस्था की जाती है।

(3) 30 अनिवार्य तथा जीवन रक्षक औषधों पर आधारित दवाइयों, जैसे कि डेपसोन, इन्सुलिन, थियासैटाजोन, इथमबुटोल, टेट्रासाइक्लीन, हाइड्रोक्लोराइड आदि, को पूर्णतः उत्पाद शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

(4) 32 अनिवार्य और जीवन रक्षक प्रपुंज औषधों, जैसे कि रिफमपिसिन, विनक्रिस्टिन सल्फेट आदि का जब देश में आयात किया जाता है तो उन्हें सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया जाता है ताकि इन से उत्पादित किए जाने वाले फार्मूलेशन को उपभोक्ताओं को उचित दामों पर उपलब्ध कराया जा सका।

(5) देश में उत्पादित की जाने वाली कुछ प्रपुंज औषधों को और सस्ता करने के लिए, अनिवार्य प्रपुंज औषधों के स्वदेशी उत्पादन के लिए अपेक्षित नोवलडियामाइन, डी. एल-2 अमीनोबुटानोल, गुआनीडीन निटरेट, 6-ए. पी. ए. जैसी औषध मध्यवर्तियों के आयात पर सीमा शुल्क की रियायती दरें लागू की गई हैं। सम्बन्धित प्रपुंज औषध के कम मूल्य के परिणामस्वरूप उस से उत्पादित फार्मूलेशनों के मूल्य कम होते हैं।

(6) वित्त मंत्रालय की दिनांक 22 सितम्बर, 1981 की अधिसूचना द्वारा 129 जीवन रक्षक औषधों और दवाइयों के आयात पर सीमा शुल्क से छूट स्वीकृत की गयी है।

(6) तपेदिक के उपचार के लिए अपेक्षित रिफमपिसिन फार्मूलेशनों के मूल्यों को हाल ही में कम किया गया है जो कि इस औषध के आयात मूल्य में कमी के कारण हुआ है। देश में उत्पादित ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल के मूल्य में भी कमी हुई है।

औषध और भेषज उद्योग सम्बन्धी समिति ने, दवाइयों की अनिवार्यता, उनकी आवश्यकता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, 116 ऐसी दवाइयों की शिनाख्त की जिनका उनके विचार में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों डाक्टरी पद्धति में व्यापक रूप से प्रयोग होता है। उनके उत्पादन के लिए 91 प्रमुख औषध/सक्रिय संघटक अपेक्षित होते है। सरकार न केवल इन दवाइयों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए बल्कि उन्हें उचित मूल्यों पर उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रयास कर रही है।

रेल डाक वितरण प्रणाली में परिवर्तन

455. **श्री जैनुल बशर :**
श्री मोहम्मद असरार अहमद :
श्री ई० बालानन्दन :

श्री रेणुपद दास : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल डाक सेवा ने डाक वितरण प्रणाली में कुछ परिवर्तन किए हैं।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या नई प्रणाली आरम्भ करने के बाद डाक के वितरण में विलम्ब के बारे में शिकायतें मिल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त शिकायतें दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) डाक वितरण प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। किंतु डाक-तार विभाग ने रेल डाक सेवा की कार्य प्रणाली को सरल और कारगर बनने के लिए कुछ कदम उठाए हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में किए गए प्रयास इस प्रकार हैं :—और अधिक बन्द थैली की ढुलाई की सुविधा के लिए चुनिंदे सार्टिंग सैक्शनों को ट्रांजिट सैक्शनों में बदलना, डाकघरों में आरम्भिक छंटाई की व्यवस्था शुरू करना, लेटर बक्सों से जल्दी निकासी करना और कार्य के लिए बेहतर वातावरण के साथ पूर्ण सुविधाओं से युक्त छंटाई कार्यालयों की व्यवस्था करना।

(ग) जी, हां। कर्मचारियों का एक वर्ग इस परिवर्तन के विरुद्ध था और उन्होंने धीरे काम करो आन्दोलन छेड़ दिया था जिसकी वजह से दिसम्बर 82 और जनवरी 83 में डाक को लाने-ले-जाने में विलंब हुआ।

(घ) डाक को गलत जगह भेजा और अन्य कार्यालयों को जाने वाली डाक एकत्र हो जाने से बचने के लिए स्टाफ के कार्य पर निगरानी को सख्त कर दिया गया है।

लघु पन-बिजली परियोजनाओं के लिए योजना

456. **श्री जैनुल बशर** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय लघु पन-बिजली परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर कोई योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी राशि खर्च करने का विचार है; और

(घ) इससे कितनी बिजली पैदा की जायेगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) प्रधानमन्त्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के एक भाग के रूप में लघु जल विद्युत साधनों के विकास पर बल दिया जा रहा है।

विशेष रूप से सुदूरवर्ती और पहाड़ी क्षेत्रों में आर्थिक परिस्थितिक तथा कल्याण की दृष्टि से लघु जल विद्युत परियोजनाओं का पता लगाने और विकास के लिए हाथ में लेने के लिए राज्य सरकारों/बिजली संगठनों को एक सुव्यवस्थित योजना तैयार करने की सलाह दी गई है। राज्य सरकारों ने तदनुसार परियोजनाओं का निर्धारण करने/रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है।

(ग) लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास पर किए जाने वाले सम्भावित व्यय की राशि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह विद्युत की आवश्यकताओं तथा वित्तीय साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वयन हेतु हाथ में ली गई स्कीमों की संख्या पर निर्भर करेगी।

(घ) इस समय देश में कुल लगभग 135 मेगा. प्रतिष्ठापित क्षमता के 77 लघु जल-विद्युत केन्द्र प्रचालन में हैं। इसके अतिरिक्त 125 मेगा. की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता की 54 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, इनमें विस्तार तथा आंशिक रूप से चालू परियोजनाएं शामिल हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने हाल ही में लगभग कुल 28 मेगा. प्रतिष्ठापित क्षमता की ऐसी 5 स्कीमों को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की है। तथा कुल लगभग 160 मेगा. की प्रतिष्ठापित क्षमता की 41 और लघु जल-विद्युत स्कीमें अनुमोदन के लिए प्राधिकरण में विचाराधीन हैं।

'ड्रग्स मल्टीनेशनल कम्पनीज एक्सालएटिंग पूअर" शीर्षक समाचार

457. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिजनेस स्टैंडर्ड दिनांक 13 दिसम्बर, 1982 में 'ड्रग्स मल्टी-नेशनल कम्पनीज एक्सालएटिंग पूअर शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जो कि लन्दन की एक धर्मार्थ संस्था आक्सफेम द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक पर आधारित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या है और बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों को देश में अनावश्यक औषधियों का विपणन करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) कु. डायना मैलरोज द्वारा लिखित 'बिकर मिल्स' नामक पुस्तक में व्यक्त की गई प्रमुख राय, जैसा कि 13 दिसम्बर, 1982 के 'बिजनेस स्टैंडर्ड' में रिपोर्ट दी गई है, प्रत्येक के मामले में स्थिति निम्न प्रकार है :

(I) जहां तक इस राय का सम्बन्ध है कि बहुराष्ट्रीय औषध एकक अधिक लाभप्रद किन्तु गैर अनिवार्य औषधियों का विपणन करते हैं, यह कहा जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जीवन रक्षक और अनिवार्य औषधों तथा अन्य औषधों, दोनों का निर्माण करती है, काउन्टर पर बिकती है। भेषज कम्पनियों के उत्पाद मिश्रण में सम्पूर्ण विश्व में बहुधा आचारिक उत्पाद सम्मिलित हैं अर्थात् वे उत्पाद जो केवल नुस्खों तथा उसी समय तैयार करके बेचे जाते हैं। यह उल्लेख करना उचित होगा कि अनेक जीवन रक्षक औषधें जिनका प्रयोग हृदय रोग, केन्सर, टी. बी., मच्छर के काटने, वार्म इन्फेस्टेशन, मलेरिया, गठिया रोग में किया जाता है, का विपणन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा देश में किया जा रहा है।

(II) एनाबोलिक स्टेराइड्स को मुख्य बढ़ाने वाली औषध के रूप में बढ़ावा देने के लिए और बिटामिन बी-12 का अधिक उपयोग करने के बारे में एक विचार व्यक्त किया गया है। ये दवाइयां अनिवार्य हैं अथवा नहीं, इस प्रश्न पर चिकित्सा व्यवसाय द्वारा विचार किया जाना है।

(III) दूसरी राय का सम्बन्ध उन मादक औषधों से है जिन पर विदेशों से प्रतिबन्ध लगा हुआ है और भारत में प्रयोग किया जाता है। प्रेस रिपोर्ट में उल्लिखित औषधें आयडोक्लोरा हाइड्रोक्सी क्वीनोलाइन और अन्य एन्टी डायरोहिल औषधें सम्भवत: लोमोटिल हैं। सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयडोक्लोरो हाइड्राक्सी क्वीनोलाइन पर कुछ देशों में प्रतिबन्ध लगाया गया है। इस प्रश्न पर भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद सहित विशेषज्ञों के परामर्श से स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा विचार किया गया था कि इस औषध को भारत में प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध लगाया जाये अथवा नहीं। सर्वसम्मत विचार यह था कि आयडोक्लोरो हाइड्रोक्सी क्वीनोलाइन दस्त और पेचिस के उपचार के लिए एक अनिवार्य औषध है और इस औषध की प्रतिक्रिया जापान में देखी गई है वह भारत में नहीं पाई गई है। तदनुसार यह निर्णय किया गया कि इस औषध का विपणन जारी रखा जाये बशर्ते कि इसे चिकित्सा नुस्खों पर ही बेचा जाये। जहाँ तक लोमोटिल का सम्बन्ध है, यह उल्लेख किया जाता है कि नवजात शिशुओं के इलाज के लिये औषध के प्रयोग की सिफारिश नहीं की जा रही है। औषध नियन्त्रक (भारत) द्वारा जारी

किये गये अनुदेशों के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिये इस उत्पाद की सिफारिश नहीं की जा रही है ।

कोयला खानों में अपराधियों तथा गुन्डों की भूमिका की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट

458. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद झरिया में कोयला खानों के कार्यकरण में अपराधियों तथा गुन्डों की कथित भूमिका की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष एवं सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने भा. को. को. लि. के प्रशासनिक और वित्तीय क्रियाकलाप कार्यों को देखने और उनमें सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक एक-सदस्यीय समिति नियुक्त की थी। समिति से यह अनुरोध भी किया गया था कि वह ऐसे उपाय सुझाए जो भा. को. को. लि. एक कम्पनी की हैसियत से झरिया कोयला क्षेत्र में गुन्डों और दादा लोगों की कार्रवाइयों की रोकथाम में राज्य सरकार की सहायता के लिए कर सके और साथ ही इस सम्बन्ध में भा. को. को. लि. द्वारा किए गए उपायों के प्रभाव का आकलन करे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की है और उसकी जांच की जा रही है ।

असम में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण

459. **श्री राम प्रसाद अहीरवार** :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री सूरज भान : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में निर्वाचक नामावलियों को पिछली बार कब पुनरीक्षित किया गया था;

(ख) क्या निर्वाचक नामावलियों का वार्षिक पुनरीक्षण किया जाना कानूनी अपेक्षा है;

(ग) ऐसे युवा व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है जो 1 जनवरी, 1983 को मतदान की आयु के हो गए थे, किन्तु वहां हाल में हुए निर्वाचनों में उन्हें मतदान से वंचित रखा गया;

(घ) संदिग्ध नागरिकता वाले ऐसे व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है जिनके नाम

1979 की निर्वाचक नामावलियों से, उनके द्वारा हाल ही के निर्वाचनों में मतदान किए जाने से पूर्व नहीं हटाए जा सके; और

(ङ) निर्वाचक नामावलियों को संशोधित करने में वास्तविक बाधा क्या थी और वह बाधा निर्वाचन किए जाने में क्यों नहीं आई, यदि निर्वाचन हो सकते थे तो निर्वाचक नामावलियों पुनरीक्षित क्यों नहीं की जा सकती थीं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) असम राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का (114-जोनाई (अनुसूचित जनजाति) निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर 1-1-1979 को अर्हता की तारीख मानकर 19 9 में गहन रूप से पुनरीक्षण किया गया था। किन्तु 114 जोनाई(अनुसूचित जनजाति) निर्वाचन क्षेत्र की नामावलियों का संक्षेपत: पुनरीक्षण किया गया था, क्योंकि उस क्षेत्र में भारी बाढ़ के कारण गहन पुनरीक्षण नहीं किया जा सका।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जब तक असम की निर्वाचक नामावलियों के 1-1-1983 के प्रतिनिर्देश से पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई ऐसा अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ङ) निर्वाचन आयोग के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(2) के अधीन किए गये तारीख 7 जनवरी, 1983 के उस आदेश की एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है जिसमें उन परिस्थितियों को उपदर्शित किया गया है, जिनके कारण निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण 1979 के पश्चात नहीं किया जा सका और निर्वाचन कराना पड़ा।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5805/83]

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की प्रदूषण नियन्त्रण परियोजना को गलत ढंग से चलाया जाना

460. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की प्रदूषण नियन्त्रण परियोजना को गलत ढंग से चलाये जाने की ओर दिलाया गया है जिसकी वजह से बी. एच. ई. एल. और राष्ट्रहित की अनदेखी करके संयुक्त राज्य अमेरिका की फर्म को उपस्करों का आर्डर दिया गया है (स्टेट्समैन 18 नवम्बर, 1982)

(ख) क्या इस मामले में हुए सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की जांच की जा रही है और विशेष लेखा परीक्षा के लिए कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के लिए की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत केन्द्र के कारण होने वाले वायु-प्रदूषण के सम्बन्ध में जांच करने तथा उसे कम करने के लिए उपायों के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए 1976 में एक उच्च शक्ति तकनीकी जांच समिति नियुक्त की गई थी। इन्द्रप्रस्थ केन्द्र में 5 विद्युत यूनिटों के सम्बन्ध में 3 चरणों में वायु-प्रदूषण विरोधी परियोजना तैयार की गई थी। परियोजना रिपोर्ट को योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था।

परियोजना की कुल 925 लाख रुपए (लगभग) की लागत में से परियोजना को दो सोपानों अर्थात् यूनिट 1 और 5 पर कार्य करने के लिए लगभग 470 लाख रुपये के मूल्य का आर्डर मै. भारत हैवी इले. लि. को दिया गया था। परियोजना के दूसरे सोपान अर्थात् यूनिट 2, 3 और 4 पर कार्य के लिये अमरीका के मै. यू. ओ. पी. (जो यूनिट 2, 3 और 4 के ई. एस. पी उपस्करों के मूल सप्लाईकर्त्ता हैं) के प्रस्ताव का ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा नियुक्त की गई उप समिति ने निम्नलिखित कारणों से पक्ष लिया था :—

(1) आशोधन, विस्तार और गैस कन्डीशनिंग के टर्न-की आधार पर कार्य की कम लागत होना, जिसमें 56 लाख रुपये स्थानीय रूप से बनाने और उत्थापन सेवाओं के लिए तथा 2.1 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 170 लाख रु.) एस. ए. एस., न्यूयार्क का आयात करने के लिए शामिल है।

(2) बन्दी की कम अवधि।

(3) डा. सरन समिति द्वारा सिफारिश की गई और भारत हैवी इले. लि. द्वारा प्रस्तावित 99.3% की तुलना में 99.7% की अधिक कार्य क्षमता होना; और

(4) बेहतर प्रिनिविटेशन में सहायक बनाने हेतु राख की विद्युत कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अनुसन्धान और विकास परियोजना के रूप में गैस की मांग को अपनाना।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

———

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : कांग्रेस (आई) के एक विधान सभा सदस्य के साथ हाथापाई की गई तथा उसको कलकत्ता के अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले हम असम के सम्बन्ध में चर्चा को पूरा करना चाहते हैं। यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। इसे पूरा करने दीजिये। श्री संतोष मोहन देव।

प्रो० के० के० तिवारी : एक मिनट का समय और दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं आपको अनुमति देता हूं तो मुझे दूसरे व्यक्तियों को भी अनु-

मति देनी पड़ेगी। असम के सम्बन्ध में यह बहुत ही गंभीर चर्चा है। कृपया बैठ जाइये। मुझे इसे पूरा करने दीजिये।

प्रो० के० के० तिवारी : उसको बड़ी नृशंसता के साथ पीटा गया। मैं इस सम्बन्ध में गृहमंत्री जी से एक वक्तव्य चाहता हूं। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं। श्री संतोष मोहन देव।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जायेगी।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं जो काम करने जा रहा हूं, अगर आप नहीं करने देना चाहते हैं, तो नहीं करूंगा। मैं असम की स्थिति पर चर्चा के विषय को ले रहा हूं और आप इसमें बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसमें से कुछ भी रिकार्ड मे सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले एक सब्जैक्ट को लेने दें, उसके बाद दूसरा लिया जा सकता है। मैं हर-एक को डिस्कस करवाऊंगा, लेकिन यह क्या तरीका है ? ऐसा करने से क्या लाभ है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। जारी रखिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में कुछ भी सम्मिलित न किया जाये।

(व्यवधान)*

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : 2000 परिवार असम छोड़कर पश्चिमी बंगाल आ गये हैं। प्रधान मंत्री जी को इस बारे में कुछ कहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दीजिये। 377 में ला सकते हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : हमें उन सभी की चिन्ता है । आप उनको लिखिए ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री संतोष मोहन देव ।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं सभा पटल पर एक पत्र रखना चाहता हूं क्योंकि मुझे दूसरे सदन में जाना है ।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां । उनको अपर हाउस में जाना है । इसको बाद में नहीं रखा जा सकता । इसलिये अब मैं उनको इसकी अनुमति दे रहा हूँ ।

———

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

वर्ष 1982-83 का वार्षिक सर्वेक्षण

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं "वर्ष 1982-83 के आर्थिक सर्वेक्षण" की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5681/83]

———

असम के बारे में प्रस्ताव—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रो० मधु दंडवते द्वारा 21 फरवरी, 1983 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे, अर्थात्—

"कि यह सभा असम के बारे में गृह मंत्री द्वारा 21 फरवरी, 1982 को सभा में दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है ।"

श्री संतोष मोहन देव ।

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : अध्यक्ष महोदय, असम की स्थिति पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं । मैं पिछले एक माह से असम में था । इस सम्बन्ध में कुछ भाषणों, विशेषकर अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण को सुनकर मुझे दुर्भाग्य-वश बहुत दुःख हुआ है । मैं असम से निर्वाचित सदस्य हूं और प्राप्त विवरण के आधार पर यह कह सकता हूँ कि असम में हाल ही में जो हत्याकाण्ड हुए हैं वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति द्वारा उत्पन्न किये गये हैं । जो राष्ट्रीय नेता के रूप में सदन में बैठे हैं । (व्यवधान) यह एक इश्तहार है जिसको भारतीय जनता पार्टी द्वारा छपवाया गया है । इस पर नाम भी छपा

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

हुआ है। इस इश्तहार के द्वारा उन्होंने असम के लोगों से अपील की है कि।* (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आप पहले इस लीफलेट को देख लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने एलाउ नहीं किया है।

एक माननीय सदस्य : वह मेज पर रख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अपनी मेज पर रख रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव : न्यायाधीशों के क्षेत्र में उन्होंने भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा*

उन्होंने कहा···(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं। मेरा भाषण मेरे पास है। मैं इसको लाया हूं। यह भाषण समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : आपने यह कहा है। आप इससे मुकर रहे हैं।

(व्यवधान)

केवल इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा ऐसा भाषण हो, तो सरकार मुझ पर मुकदमा चलाए। मैं अदालत में जाने के लिये तैयार हूं।

श्री संतोष मोहन देव : मैं इसके परिणामों का सामना करने को तैयार हूं। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसके लिये जिम्मेदार हूं। मैं त्यागपत्र देने को तैयार हूं। (व्यवधान) यदि आपने ऐसा नहीं कहा होगा तो मैं त्यागपत्र देने को तैयार हूं। इसकी जांच कराइये। अथवा आप, त्यागपत्र दे देना। (व्यवधान) केवल इतना ही नहीं एक खुले सभा में सार्वजनिक सभा में--उन्होंने यह कहा है*

उन्होंने यह सार्वजनिक सभा में कहा है। मैं इसको चुनौती देता हूं। उनको यह प्रमाणित करने दीजिये। उसके उपरान्त मैं संसद् की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा। (व्यवधान) इन दो दस्तावेजों को जिन्हें अखिल असम विद्यार्थी संघ तथा असम गण संग्राम परिषद द्वारा प्रकाशित किया गया है। जिसका प्रारूप श्री जार्ज फर्नाण्डीस तथा श्री वाजपेयी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जुजन बाजार कार्यालय, गोहाटी में तैयार किया गया था। (व्यवधान) महोदय मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। (व्यवधान)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : यहां एक माननीय सदस्य के नाम का उद्धरण किया जा रहा है और आपके पास ऐसा करने के लिये प्रायर इन्टीमेशन नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री संतोष मोहन देव : मैं यह कहना चाहता हूं। उस इश्तहार में—जो लिखित में है—यह पूछा गया था—"यदि आपकी पत्नी तथा युवा लड़कियों के साथ किसी भी स्थान पर तथा हर एक स्थान पर बलात्कार किया जाये तो क्या ये लोग उनके सतीत्व की क्षतिपूर्ति करेंगे ?" इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किये गये थे। यह सार्वजनिक रूप से कहा गया है। केवल इतना ही नहीं सरकार को उकसाया भी गया है। उन्होंने कहा है—असम के लोगों को विशेषकर मुस्लिम जाति के लोगों को 1962 तथा 1972 में उकसाया गया था जब चीन तथा पाकिस्तान के आक्रमण का स्वागत किया गया था। क्या यह बात सच है ? उन्होंने ऐसा कहा है। क्या उनको ऐसा कहना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं। मैंने यह नहीं कहा।

श्री संतोष मोहन देव : आप एक*

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : आपने यह कहा है। आप एक*

(व्यवधान)

श्री मनी राम बागड़ी : (हिसार) यह शब्द ये वापस लें।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप 353 पहले पढ़ लें।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ये बहुत बहादुर हैं।

*और यहां बहादुरी दिखाने आए हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये मेरी बात सुनिये। आर्डर, आर्डर। आप बैठिये, ये जो अनपार्लियामेंटरी वर्ड्स हैं।

...(व्यवधान)...

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप पहले ही बोलने लगते हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : आप मुझे धमका रहे हैं, धमकाना तो उन्हें चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे धमकाने भी दो। बीच में ही मत बोलिये। देखिये, मेरी बात सुनिये। मैं एक बात बताना चाहता हूं। 353 में यह है कि अगर कोई एलीगेशन लगानी है···

श्री जगदीश टाईटलर : जो सच्चाई है, वही ये बोल रहे हैं।

श्री रसीद मसूद : सच्चाई है, तो उसके लिए पहले नोटिस देना चाहिए।

देखिये हरेक मेम्बर को हक है, जो बात वह कहना चाहता है वह रूलों के अनुसार कहे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई अनपार्लियामेंटरी चीज रिकार्ड पर नहीं जानी चाहिये।

असंसदीय शब्दों को निकाल दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि कोई मान्य आपत्तियां उठाई गई हैं, तो उसके लिये नियम मौजूद हैं।

अध्यक्ष महोदय : अरे बाबा, क्यों नहीं बोलने देते हो ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये आप 353 में

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे क्यों समझा रहे हैं ? बैठ जाइये।

अध्यक्ष महोदय : आप तो बूढ़े आदमी हैं, आप भी इस तरीके से बोलते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप रूल 353 को देख करके, अपनी सीमा में रह कर बोलिये।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं। एक तो असंसदीय शब्द होता है। एक किसी को गाली देना है। वह चार्ज है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है, वह नहीं आ सकता।

श्री मनीराम बागड़ी : अगर किसी को कोई चोर, डाकू कहेगा···

अध्यक्ष महोदय : कैसे कह देगा, वह नहीं कह सकता है।

श्री मनीराम बागड़ी : अगर वह कह देगा तो क्या आप उसको एक्सपेज करोगे या वह वापस लेगा ?

अध्यक्ष महोदय : चोर, डाकू किसी को कोई नहीं कह सकता ।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : यह तो इन्हें वापस लेना चाहिए···(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : यह एक फोरम है, जहां पर हमें स्वतन्त्रतापूर्वक बोलना चाहिए । लेकिन, विडम्बना यह है कि अन्य लोग सार्वजनिक रूप से बोल सकते हैं और यदि मैं कुछ कहता हूं तो वह गैर-संसदीय हो जाता है । उन्होंने असम में जाकर प्रत्येक स्थान पर लोगों को उकसाया । लेकिन यदि मैं इस सदन में आकर वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करना चाहूँ तो मेरी ही गलती बताई जा रही है । यह एक विडम्बना है । आपको मुझे रोकना नहीं चाहिए । मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नियमों का पालन करते हुए बोलने को कहा है ।

श्री संतोष मोहन देव : असम जल रहा है और प्रत्येक व्यक्ति···

अध्यक्ष महोदय : हम इसका कोई समाधान निकालना चाहते हैं । अब आप बैठिए ।

श्री राम विलास पासवान : सर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कल से इस पर डिबेट चल रही है, आप इस डिबेट को स्पोरल मत होने दीजिये । सदन की नेता यहाँ बैठी हैं, ये अपने मेम्बरों को रोक सकती ह ।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, इस इश्तहार को अखिल असम विद्यार्थी संघ तथा जन-संग्राम परिषद् द्वारा प्रकाशित किया गया है तथा इसको सारे असम में मुफ्त में बांटा गया है । उस इश्तहार में यह शीर्षक है "चुनावों को कैसे रोका जाये ।" इस चुनाव नीति में इन्होंने अपने संगठन को यह अनुदेश दिये कि पुलों को जलाओ, सड़कों को काट दो तथा मत-पेटियों को नष्ट कर दो । केवल इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि एक क्षेत्र में आग लगाओ तथा फायर ब्रिगेड को दूसरे क्षेत्र में जाने को कहो । इसी कारण से गोहपुर में केन्द्रीय आरक्षी पुलिस गांव में नहीं पहुँच सकी क्योंकि अखिल असम विद्यार्थी संघ तथा जनसंग्राम परिषद् द्वारा पुलों को जला दिया गया था । इसके अलावा मैं सरकार पर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जब अखिल असम विद्यार्थी संघ तथा जनसंग्राम परिषद् वहाँ पर खुले रूप से गई, इश्तहार बांटे गये, लोगों को उकसाया गया जिसके फलस्वरूप अल्पसंख्य भाषायी तथा धार्मिक लोग मारे गये । अब बात यह है कि अखिल असम विद्यार्थी संघ तथा जनसंग्राम परिषदों को गैर-कानूनी निकाय घोषित क्यों नहीं किया जाता है ? यदि आप एम. एन. एफ. के सन्दर्भ में ऐसा कर सकते हैं तो वहां पर भी क्यों नहीं कर रहे ह ?

प्रधान मंत्री जी ने बताया है कि दरवाजा खुला है । हम भी इस बात से सहमत हैं कि दरवाजा खुला है । जब जनसंघ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी राजनैतिक दलों के प्रति-

निधि निकाय यह कहते हैं कि उनके साथ वार्ता की जानी चाहिए। रिकार्ड से यह बात प्रमाणित हो गई है – अखिल भारतीय समाचारपत्रों द्वारा भी कुछ रिकार्ड दिया गया है, लेकिन मैंने असम के चुनाव आयुक्त से यह रिकार्ड प्राप्त किया है कि कछार में 65 से 75 प्रतिशत तक मतदाताओं ने वोट डाले, गोलपारा में यह 50 से 60 प्रतिशत था। गोहाटी में···

एक माननीय सदस्य : यह सब झूठा है।

श्री संतोष मोहन देव : मैं रिकार्ड के अनुसार बोल रहा हूं। असम में 126 निर्वाचन क्षेत्र हैं। उनमें से सभी शहरीकृत कस्बे नहीं है जहां पर कुछ मुट्ठी भर लोग कुछ राष्ट्रीय दलों तथा कुछ सरकारी अधिकारियों की सहायता से समस्या उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं।

जब प्रधान मन्त्री जी असम गई थीं, तो लोगों ने कहा था हम सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय आरक्षी पुलिस से संरक्षण चाहते हैं न कि असम पुलिस से। ऐसा क्यों कहा जा रहा है ? ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकारी अधिकारी तथा असम पुलिस के कुछ अंग ठीक प्रकार से बर्ताव नहीं कर रहे हैं। इसके लिये मुझे बहुत खेद है। लेकिन हमें असम की वर्तमान स्थिति पर विचार करना चाहिए।

महोदय, मैं केवल इस बात पर ही जोर नहीं देना चाहता हूं। मैं समग्र रूप से यह कहना चाहता हूं कि यदि आप असम को इसके सही परिपेक्ष्य में रखना चाहते हैं, यदि आप लोकप्रिय सरकार के गठन के पश्चात् वर्तमान स्थिति पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो इसके लिए न केवल आपको अखिल असम विद्यार्थी संघ तथा गणसंग्राम परिषद् पर पाबंदी लगानी होगी बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर भी पाबंदी लगानी होगी जो वहां जा रहे हैं तथा असम में उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमें बहुत साहसी होना चाहिए। (व्यवधान) वे जो कुछ कहना चाहते हैं, कहने दीजिये। अब दिल्ली के लोगों ने उनको बाहर निकाल दिया है और वहां पर उन्होंने यह नीति अपनायी है।

महोदय मैं अधिक कुछ भी नहीं कहना चाहता। मैं केवल अपील करता हूं। मैं प्रधान मंत्री जी का इस बात के लिये आभारी हूं कि उन्होंने सभी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, वहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की तथा वहां पर पुनर्वास कार्य किया गया। लेकिन पुनर्वास का कार्य तथा अन्य कार्य युद्ध स्तर पर किये जाने चाहिए। वहां पर सेना तथा सीमा सुरक्षा बल को तैनात किया जाना चाहिए। क्योंकि वहां पर प्रशासन इतनी बुरी हालत में है कि वे वहां पर सामान्य स्थिति बहाल करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे।

मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इस गरिमायुक्त सदन तथा इस चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों के लिये आभारी हूं। मैं आपका भी आभारी हूं। लेकिन, मैं इस बात को दोबारा कहना चाहता हूं कि आज मैंने सदन में जो कुछ कहा है मैं इसके लिये जिम्मेदार हूं और इसके लिये मैं किसी भी परिणाम का सामना करने को तैयार हूं। लेकिन उन्हें भी प्रमाणित करने दीजिये कि मेरी बात गलत है।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : महोदय, मैं इस वाद-विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी। जो भी मुद्दे उठाये जा सकते थे दोनों तरफ से उठा दिये गये हैं। इस समूचे प्रश्न पर मुझे बहुत चिन्ता है और आज मेरा दिल इतना दुखी है कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूं। जो भी जाने गयीं हैं, वे चाहे कोई भी हों उससे दुःख होता है। जिन लोगों को मैंने विभिन्न शिविरों में जाकर देखा है उनको सांत्वना देने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, मैंने ऐसे शिविरों का दौरा किया है जिनमें केवल आसाम के लोग ही थे, कुछ ऐसे शिविर थे जिनमें केवल आदिवासी लोग थे, कुछ शिविर ऐसे थे, जिनमें केवल अल्पसंख्यक लोग थे और कुछ ऐसे शिविर थे जिनमें सभी तरह के लोग थे। वाद-विवाद में भाग लेने के लिए खड़े होने का कारण यह है कि मेरा नाम अनावश्यक रूप में इस वाद-विवाद में लाया गया है। विपक्षी अभी बहुत ही उत्तेजित थे मुझे नहीं मालूम कि ये दस्तावेज क्या है और यह भी मालूम नहीं है कि क्या ये ठीक है। परन्तु मुझे नहीं मालूम कि ऐसे मत व्यक्त किये गये हैं। वे समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए हैं। कुछ मैंने पढ़े हैं और जब मैं आसाम गई थी तो वहां असम के लोगों और दूसरे लोगों ने मुझे इनके बारे में बताया था। मुझे नहीं मालूम है कि ऐसे विचारों का प्रचार किसने किया। परन्तु खून खराबे की बात और इस प्रकार की भड़काने वाली बातें वहाँ के लोगों में आम हो गई है।

पहले मैं कुछ छोटे मुद्दों को लूंगी। ऐसा लगता है कि श्री वाजपेयी मेरे द्वारा पहले जाने वाले कपड़ों के बारे में अधिक चिन्तित हैं। मैं उनको सूचित करती हूं कि मैं भारत के प्रत्येक समूह, जो अपनी सांस्कृतिक व अन्य विशिष्टता बनाए हुए है, के प्रति वचनबद्ध हूं और उस दृष्टि से यह दिखाने के लिए कि हम एक पोशाक को दूसरी से अच्छी या अधिक सुन्दर नहीं मानते, मैं जहाँ तक संभव होता है विभिन्न वर्गों के लोगों की पोशाकें पहनती हूं। मैंने मेखला केवल तभी नहीं पहनी जब मैं आसाम के चुनावों के लिए गई थी परन्तु मैंने तो 1955 से पहनी है। मैंने इसे दिल्ली में भी पहना है मैंने इसे संसद के अन्दर भी पहना है और विदेशों में भी पहना है, क्योंकि मैंने गारो पोशाक, जम्मू पोशाक और जलवायु तथा अवसर के अनुसार अन्य पोशाकें भी पहनी हैं। यह भी कहा गया है के मैंने बगाली में भाषण दिया। यदि मुझे बंगाली अच्छी तरह आती, तो बंगाली में बोलती। परन्तु दुर्भाग्य से यह मुझे नहीं आती है। अतः जब जनता के एक वर्ग ने कहा कि "कृपया बंगाली में बोलिए।" तो मैंने एक वाक्य बोला कि "मैं बंगाली समझ सकती हूं परन्तु मैं इसे अच्छी तरह से बोल नहीं सकती, अतः मैं हिन्दी में ही बोलूंगी।" बंगाली में मेरा भाषण इतना ही था।

जहां तक भाषण की समाप्ति का सम्बन्ध है, मेरे भाषण का अन्त इस बात पर निर्भर करता है कि लोग किसका उत्तर देंगे। मैंने देश के कुछ भागों में लोगों से "जयहिन्द" बुलाने का भरसक प्रयत्न किया है। वे हमेशा ऐसा नहीं करते हैं। अतः आपको कहना तो वही है जिसका वे उत्तर दें। आम तौर पर तमिलनाडु में अपनी सभाओं में मुझे यह कहना कि मैं उनकी हिन्दी विरोधी नीति का समर्थन नहीं करती, परन्तु मैं अपने सभी राज्यों की भाषाओं को प्रोत्साहन देने की बात का समर्थन करती हूं—मैं तमिलनाडु में "वणक्कम" करती हूं। सभी राज्यों में मैं स्थानीय शब्द जानती हूं तो मैं उसी का प्रयोग करती हूं। आसाम में मैंने कुछ स्थानों पर "नमस्कार" कहा तथा अन्य स्थानों पर "वन्देमातरम" कहा। कुछ स्थानों पर मैंने जयहिंद कहा। एक स्थान पर कुछ महि-

लायें, जिनके बारे में मुझे बताया गया था कि वे हिन्दी समझती है, परन्तु मुझे लगा कि वे एक शब्द भी नहीं समझ पा रही थीं, तो एक तरह का सौहार्द बनाए रखने के लिए मैंने 'खुदा हाफिज' कहा। मैं नहीं समझती कि मेरे द्वारा ऐसा कहा जाना कुछ गलत है। खासी पहाड़ियों मे मैं कहती हूं 'गाड ब्लेस यू" (भगवान आपका भला करे) वे यहां कहते हैं और मैं उत्तर देती हूं। यह किसी भी प्रकार से राजनैतिक नहीं है। यदि हम अपनी जनता को प्रोत्साहित करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वे यह समझें कि हम एक ही हैं तो हम उनके वाक्यों को अपनाना पड़ता है और ऐसी बातें करनी पड़ती है जिनसे उन्हें हमारी एकता का अहसास हो सके। और उनको यह आश्वासन दे सकें कि हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोगों का अपनी भाषा, अपनी पोशाक, और रीति रिवाजों तथा संस्कृति का समान अधिकार है।

फिर मेरे विचार में कुछ माननीय सदस्यों ने मुझ पर यह कहने पर दोष लगाया है कि किसी को भी बाहर नहीं भेजा जायेगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। मैंने उसी बात को दोहराया है जिसको मैं प्रायः कहती हूँ और जिसका प्रस्ताव मैंने छात्रों के सामने भी, जब मैं दिसपुर में उनसे मिली थी, रखा था। 1971 आधार वर्ष नहीं होगा बल्कि शुरुआत का वर्ष होगा और उसके बाद जो कुछ किया जा सकता है उस पर हम शान्तिपूर्ण ढग से चर्चा कर सकेंगे। जो बातें हुई हैं उनके लिए मेरा यह संगत दृष्टिकोण और संगत आधार रहा है। मैंने छात्रों से तथा अपनी कुछ सभाओं में कहा है कि इतनी बडी सख्या में लोगों को हटाना बहुत मुश्किल है। शायद, आपने पढ़ा होगा कि हाल ही में एक अफ्रीकी देश में क्या हुआ है। अत मैंने पूछा है कि हम इन लोगों को कहाँ भेजेंगे ? कोई भी ऐसी घोषणा नहीं कर सकता—"मैं इन लोगों को बाहर भेज रहा हूं।" वे कहां जायेंगे। भारत का कौन सा राज्य उनको स्वीकार करेगा ? भारत से बाहर कौन सा राज्य उन्हें स्वीकार करेगा। यह प्रश्न मैंने छात्रों के समक्ष रखा था और उस समय वे मुझसे सहमत हो गये थे कि यह एक बड़ी मानवीय समस्या है। मैंने यह भी कहा था कि जो बच्चे यहां पैदा हुए हैं और मेरे विचार में हमारे संविधान में भी यह घोषणा की गयी है कि जो 1950 के बाद पैदा हुए (जब से संविधान बना) वे भारतीय नागरिक हैं और हम उन्हें बाहर नहीं भेज सकते। मैंने इससे अधिक कुछ नहीं कहा है। मैंने लगातार इस सभा में, आंदोलनकारियों से या सभी से बराबर यही कहती रही हूं। परन्तु यह सत्य है कि वहां पर अल्पसंख्यक हैं और वे केवल धार्मिक अल्पसंख्यक ही नहीं, बल्कि भाषायी अल्प संख्यक हैं, नेपाली भी हैं, चाय बागान के मजदूर हैं और मैदानी आदिवासी भी हैं। ये सभी लोग बहुत अधिक भयभीत है केवल इन हत्याओं के बाद ही नहीं बल्कि इन सभी वर्षों से भयभीत हैं और उनका भय बढ़ता जा रहा है। कुछ मैदानी आदिवासी लोग पिछले दो वर्षों से प्रायः मुझसे मिलते रहे हैं और कहते रहे हैं—भगवान के नाम पर हमें आसाम से बाहर ले जाइए, हमारा अलग राज्य बना दीजिए, हमारा एक संघ शासित राज्य बना दीजिए आप जो चाहें करें परन्तु कृपया हमें इन लोगों के साथ मत रखिए। इस प्रकार का वातावरण बन रहा है।

अभी-अभी मेरे मित्र, जो पश्चिम बंगाल गए थे, उन शरणार्थियों के बारे में बताया है। कल ही मेरे पास अरुणाचल के मुख्यमंत्री से एक लम्बा तार मिला है। नेपाल के चाय-बागान श्रमिक तथा अन्य लोग अरुणाचल में आ गये हैं। अतः उन्होंने इस समस्या को सुलझाने और

उनकी देखभाल करने के लिए हमारी सहायता मांगी है वे इसलिए चिन्तित हैं, क्योंकि उनके पास सुविधाये नहीं हैं।

चुनाव कराने पर बहुत अधिक वाद-विवाद हुआ है। अब मैं इस मामले में नहीं जाना चाहता हूं इसके बारे में पर्याप्त उत्तर दिया जा चुका है। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को केवल यही याद दिलाना चाहती हूं कि असाम में हिंसात्मक घटनायें चुनावों से पहले भी हो रही थीं। ये प्रतिवर्ष बढ़ती रही हैं। बहुत सी हत्यायें हुई हैं। जो अधिकारी अन्य भागों से वहां गये उन्हें धमकियां दी गई हैं। तोड़फोड़ हुई है। विभिन्न धर्मों और मतावलम्बियों के अनेक लोग भयभीत हैं। यह बात भी उतनी ही गंभीर है कि आंदोलनकारी ऐसी ही भावनायें अपने पड़ोसी राज्यों में भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी सीमावर्ती राज्य हैं और आप महसूस कर सकते हैं कि यदि इन सभी राज्यों में, आदिवासी राज्यों में ऐसा रुख अपना लिया जाये कि केवल स्थानीय लोग ही रह सकते हैं और सभी को बाहर जाना चाहिए तो भारत की सुरक्षा की स्थिति कितनी खतरे में पड़ सकती है। वस्तुत: मंदानी आदिवासियों ने एक मुद्दा उठाया था-"आसामी कौन हैं? हम लोग यहां के मूल निवासी हैं" वे ही बाहर से आये हैं। ये मेरे शब्द नहीं हैं। यह उनके शब्द हैं "वे बाहर से आये/और हमें जंगलों और पहाड़ियों में खदेड़ दिया है।" निस्सन्देह केवल आसाम में ही नहीं सभी आदिवासियों के बारे में यह सत्य है कि आदिवासी ही इस देश के मूल निवासी हैं।

अभी भी अधिकारियों को काम नहीं करने दिया जाता है। यह कहना सही नहीं है कि कोई भी आसामी चुनावों में या पहले, सहयोग नहीं करना चाहता था। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूं जिन्होंने सहयोग दिया है। परन्तु उन्हें अपने बच्चों तथा अपने परिवार के बारे में सोचना पड़ता है जब उनको धमकी दी जाती है, "यदि आप ऐसा करेंगे तो ठीक है आप और आपका परिवार बच नहीं सकता।" आप जानते हैं कि आम आदमी सहयोग देने और वोट देने से पहले दस बार सोचेगा। दुर्भाग्य से ऐसा कभी-कभी देश के अन्य भागों में भी हुआ है। कभी-कभी जो लोग कमजोर वर्ग के माने जाते है, जैसे हरिजन उन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा है क्योंकि उन्होंने मतदान किया इसलिए उनको पीटा गया। अब यदि ऐसी बातें होती हैं तो जो आसामी करना चाहते हैं यह उसके बारे में सही निर्णय नहीं है।

मैं जानती हूं कि आसामी लोग बहुत अधिक क्षुब्ध हैं। मेरे मित्र ने यहां पर कुछ ऐसी बात कही है जिससे लगता है कि नाराजगी पैदा हुई है। मुझे विश्वास है कि उनका आशय किसी को नाराज करने से नहीं है। वह कल मुझसे विमान मे बातें कर रहे थे। उनका दिल और दिमाग उनके राज्य में हुई दु:खद स्थिति से दुखी था। परन्तु चुनावों से पहले बिना जांच किए नाम काटे जा रहे थे।

अब हमने न्यायाधिकरणों का प्रस्ताव रखा है। हमने कोई रास्ता निकालने के लिए बहुत से सुझाव दिए हैं। हो सकता है कि ये पूर्ण तथा सन्तोषजनक नहीं। ऐसी स्थिति में आप सभी को सन्तुष्ट नहीं कर सकते। परन्तु हमें ऐसा रास्ता ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए जो असम के लिए कम से कम विध्वंसकारी हो और असम के लोगों के लिए या अन्य सभी सम्बन्धित लोगों के लिए कम से कम हानिकर हो। परन्तु आंदोलनकारी नहीं चाहते थे कि उनके अधिकारी हमें सहयोग दें। उस स्थिति में भी सीमा पर जो कदम उठाये जा सकते थे वे नहीं उठाये जा सके।

बल्कि उस सबकी उपेक्षा की गई और यह नहीं किया जा सका। केन्द्र की ओर से हमने भरसक प्रयत्न किये। परन्तु हमें स्थानीय अधिकारियों पर निर्भर करना पड़ता है। यदि स्थानीय अधिकारी केन्द्र से सहयोग नहीं करते तो काम नहीं किया जा सकता।

ऐसी ही स्थिति विकास के मामले में है। जब मैं दिसपुर में छात्रों से मिली तो उन्होंने विकास के बारे में शिकायत की। यह सत्य है कि संचार साधनों की कमी व अन्य कारणों से आसाम, तथा उ. प्र. व अन्य स्थानों पर पहाड़ी क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से अधिक पिछड़े हुए हैं। हमें खोये हुए समय की पूर्ति करनी है। मैंने सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न लोगों से तुरन्त बात की। मैंने अपने वित्त मत्री तथा कुछ व्यक्तिगत उद्योगपतियों से बात की है कि इससे चाहे कुछ हानि भी हो जाये परन्तु उन्हें आसाम में कोई न कोई उद्योग लगाना चाहिए। कुछ लोग सहमत हो गये हैं। परन्तु फिर हिंसात्मक घटनायें शुरू हो गयीं और आंदोलनकारियों ने तेल लाने से रोकने का प्रयत्न किया। अत: उद्योगपतियों ने कहा "हम आसाम में उद्योग कैसे लगा सकते हैं? कल वे कारखाने में आग लगा सकते हैं, वे कर्मकारों से कह सकते हैं कि "काम मत करो या माल को बाहर मत आने दो। हम कैसे लगा सकते है?" अत: जो कुछ विकास किया जा सकता था उसमें भी बाधा आ गई।

जैसा कि हमें मालूम है अब जो मतदाताओं की सूची प्रयोग में लाई गई है वह 1978 की सूची है जबकि आसाम से इस सभा के या उस सभा के सदस्य चुने गये थे। उन्होंने 1978 में कोई शिकायत नहीं की कि उनको नहीं चुना जायेगा, क्योंकि सूची ठीक नहीं है। मेरे साथी श्री मुखर्जी ने स्पष्ट किया है कि चुनाव कराने का निर्णय कैसे लिया गया। मैं उन मुद्दों पर नहीं जाना चाहती जो उठाये जा चुके हैं।

कुछ माननीय सदस्य : श्री मुखर्जी यहां नहीं बोले हैं। वह दूसरे सदन में बोले होंगे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अच्छा, उन्होंने यह सार्वजनिक तौर पर कहा है। जब हम किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में विपक्ष के नेताओं से मिले थे तो श्री वाजपेयी ने इस मामले को उठाया था। उस समय जब मैं उत्तर दे रही थी तो दूसरे विरोधी दलों के कुछ प्रतिनिधियों ने जो कुछ हमने कहा था उसकी पुष्टि की थी।

श्री मनीराम बागड़ी : लेकिन 1965 तक विद्यार्थी मान रहे थे। आप 1971 का कह रहे थे। और क्या विद्यार्थी सन् 1965 को मान रहे थे। झगड़ा यहीं से खत्म हुआ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : नहीं हमको नहीं मालूम कि मान रहे थे, क्योंकि यह चीज कभी स्पष्ट नहीं हुई।

श्री मनीराम बागड़ी : आपसे मांग रहे थे?

श्रीमती इंदिरा गांधी : नहीं, मुझ से तो नहीं मांगा। क्योंकि मेरी बात तो दिसपुर में हुई उसके बाद में उनसे नहीं मिली।

चुनाव हमारे संविधान को बरकरार रखने के लिए कराये गए थे । यह संवैधानिक दायित्व था । वर्तमान स्थिति में, जैसा कि वहां मेरे सहयोगी ने कहा है, सभी वर्गों को नुकसान पहुंचा है । कुछ को ज्यादा नुकसान हुआ और कुछ को कम । सभी को हानि है और सबसे बड़ी हानि राज्य को हुई है । इसी रुख के कारण लोग राज्य से विमुख हो रहे हैं । असम एक बड़ा राज्य था । यह बड़ा ही रह सकता था । लेकिन, किसी तरह एक के बाद एक लोगों ने अलग होना चाहा और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें हमें अलग-अलग गुटों के साथ कुछ समझौता करना पड़ा ।

मैंने अपनी उन बैठकों में और उस बैठक में जहां मैंने खुदा-हाफिज कहा, यह बात कही कि मैं असम के सभी लोगों को, विशेषकर युवाओं को अपने बच्चे मानती हूं । उन लोगों को भी मैं अपने बच्चे मानती हूं, जो मुझसे नाराज हैं, जो ऐसा रास्ता अपना रहे हैं जिससे मैं सहमत नहीं हूं और जिसे मैं गलत मानती हूं । मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, उनसे यह नहीं कह सकती कि हमें उनसे कोई वास्ता नहीं है । हमें निरंतर समाधान खोजने का प्रयत्न करना चाहिए । मैंने प्रत्येक बैठक में, उसकी जो भी संरचना हो यह बात कही कि हमें उन्हें शांतिपूर्ण वार्ताएं करने के लिए सहमत करने का प्रयत्न करते रहने चाहिए और ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए जिसमें सब मिल बैठ कर बात कर सकें ।

विदेशियों के प्रश्न पर भी, मैंने उनसे कहा था कि यदि वे शांत रहें और हंगामा न करें तो इसका भी समाधान ढूंढा जा सकता है । जब इस तरह का शोर हुआ तो बंगला देश ने तुरंत कहा, "हम 1971 के बाद वाले लोगों को भी वापिस नहीं लेंगे ।" यदि इस विषय पर ठंडे दिमाग से और सामूहिक तौर पर विचार किया जाता, तो शायद इसका समाधान निकल आता । उनके साथ हुई हमारी सभी वार्ताओं के दौरान हमने उन्हें आश्वस्त किया था कि हमें उनकी संस्कृति और उनकी पहचान सुरक्षित रखने में और उनके क्षेत्र के विकास के प्रति गहरी दिलचस्पी है ।

मैं पुनः चुनावों पर आती हूं । मतदान करना सभी नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है । हमने वहां मतदाताओं को नहीं रोका । अन्य लोगों ने उन्हें रोका । किसी ने कहा है कि चुनाव बन्दूक की नोक पर कराए गये थे । लोगों को मतदान करने के लिए बन्दूक का भय नहीं दिलाया गया । इसके विपरीत मतदान के लिए आने वाले लोगों को बन्दूक का भय उन लोगों द्वारा दिखाया गया जो नहीं चाहते थे कि वे वोट डालें । वे कुछ विपक्षी दलों के लोग और कुछ आंदोलनकारी थे जो बन्दूक की नोक पर काम करने का प्रयत्न कर रहे थे । हमने ऐसा कुछ नहीं किया । लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ऐसे गुट थे —उनका उद्देश्य कुछ भी हो—जिन्होंने लोगों को डराया—धमकाया और परिणामस्वरूप इतने त्रासदिक पैमाने पर हिंसा फैली ।

प्रश्न यह है कि क्या भारत में कहीं भी कोई गुट, उनकी शिकायतें चाहे कुछ भी हों—देश को दांव पर लगा सकता है ? क्या कोई गुट कह सकता है "हमारी मांगे पूरी नहीं की गई हैं और चूंकि आप हमारी मांगें पूरी नहीं कर रहे हैं इसलिए हम आपको चुनाव नहीं कराने देंगे या हम आपको कुछ और नहीं करने देंगे ? अनेकों मांगे है, प्रत्येक गुट की अपनी मांग है । उनमें कई मांगे न्यायोचित हैं, लेकिन संसाधनों की कमी या किसी अन्य कारण से हम उन्हें पूरा नहीं कर सकते । देश के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे । यदि हम एक होकर नहीं रहेंगे तो हम वास्तविक

चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। लेकिन यदि भय का वातावरण नहीं होता तो बहुत से और असमी तथा अन्य लोग वोट डालते तथा और हर तरह से सहयोग देते।

एक और प्रश्न उठता है—मैं नहीं जानती कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी और अन्य लोगों ने इस बारे में क्या कहा है। क्यों उन्होंने वहां हो रही हिंसा की निंदा की है?

श्री मनीराम बागड़ी : दोनों तरफ से, सरकारी हो या गैर-सरकारी हो।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं प्रधान मंत्री जी के भाषण में व्यवधान नहीं डालना चाहता। हमने गोहाटी के जज मैदान में लोगों को सम्बोधित किया था और भाषण समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है। मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं—

"आज शाम यहां जज मैदान में 25,000 से भी अधिक लोगों की विशाल रैली को सम्बोधित करते हुए नेताओं ने असम के लोगों से हर कीमत पर हिंसा से दूर रहने और अपनी अहिंसात्मक आंदोलन को और सरकार के साथ असहयोग करने के आंदोलन को जारी रखने की अपील की।"

आप असम सरकार से मेरे भाषणों की रिपोर्ट मंगा सकती हैं। आप रिपोर्ट मंगवायें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : बुरा न मानिये। मैंने आपका या किसी अन्य का नाम नहीं लिया। मैं वहां जो आम धारणा है उसे व्यक्त कर रही हूं। मैं जहां भी गई लोगों ने इस बात का जिक्र किया। यह कैसी बात है जो लोग आंदोलन का समर्थन करते हैं। वे हिंसा की निंदा नहीं करते। चुनाव कराने के प्रश्न के सामने आने से बहुत पहले मैंने स्वयं विपक्षी दलों से यह पूछा था। तब उन्होंने दावा किया था कि वहां हिंसा नहीं है। लेकिन हमारे पास मारे गए लोगों की सूची थी। उस समय, अधिकतर वे अधिकारी गण थे। मुझे उस समय कोई उत्तर नहीं मिला। यह कम से कम एक वर्ष पहले की बात है।

लेकिन आज मैं उन सब बातों पर विस्तार पूर्वक जिक्र नहीं करना चाहती क्योंकि मैं समझती हूं कि हमें हर प्रकार की उत्तेजना से दूर रहना चाहिए। सबसे पहले उन लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना है जिन्हें तंग किया जा रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि राहत पर्याप्त मात्रा में दी जाए और उसे सभी प्रभावित लोगों तक पहुँचाया जाये।

जनजातियों पर इसकी प्रतिक्रिया क्यों हुई? वे पहले ही दूर-दराज क्षेत्रों में रहते हैं। आंदोलनकर्ता वहां गए और पुल तोड़ दिए। अत: जो कुछ भी राहत पहुँचायी जा रही है उसे उन तक पहुँचने में समय लगेगा। पुल नष्ट किए गए, यह सच है।" उनकी मरम्मत की जानी चाहिए। उनमें से कुछ पुलों की शीघ्रता से मरम्मत कर दी गई है ताकि लोग आर-पार जा सकें। हमें उन लोगों के पुनर्वास में अवश्य मदद करनी चाहिए जो हिंसा में सब कुछ खो चुके हैं। हमें उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए और उन माता-पिता के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए जिनके बच्चे मारे गए हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए जिनके माता-पिता मारे गए हैं, उनके प्रति संवेदना प्रकट करनी चाहिए जो अपना सब कुछ खो बैठे हैं। हमें सौहार्दपूर्ण और शांति का वातावरण बनाने में सहयोग देना चाहिए।

बहुत से नए साँप्रदायिक संगठन बन गए हैं। मैं उनके नाम का उल्लेख करना नहीं चाहती। लेकिन मैं सदन के समक्ष यह प्रश्न रखती हूं: क्या इनसे हमारे बहुसंख्यक समुदाय अथवा हमारे अधिकाँश अल्पसंख्यक समुदाय सुदृढ़ हो सकते हैं? इससे विद्यमान अत्याधिक नाजुक और कठिन परिस्थिति और भी अधिक खराब हो जाएगी। ये कुछ बातें हैं जिन पर हमें तुरन्त विचार करना चाहिए।

मुझे दुःख है कि कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया है कि हम चुनाव में जीतना चाहते थे। स्वभावतः प्रत्येक राजनैतिक दल चुनाव जीतना चाहता है। यह स्वाभाविक बात है। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि यही सबसे अधिक अहम बात नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि देश किसी भी दल से ऊंचा है। देश किसी भी आंदोलन से या व्यक्ति से ऊंचा है। यही मैं कहती हूं।

अतः हमें एकता और राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारी आजादी को कब खतरा है हमारी एकता को कब खतरा है। इस बात को वे समझ सकते हैं जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया है। स्वतन्त्रता आँदोलन ने हमें एक सूत्र में बाँधा। अब भी संकट कम नहीं है और एकता बनाए रखने के लिए आज भी उसी भावना की जरूरत है। हम जानते हैं कि कितनी जल्दी इसे नष्ट किया जा सकता है, कमजोर किया जा सकता है।

मैंने राष्ट्रवाद की बात की। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मैं किसी विस्तारवाद या संकीर्ण राष्ट्रवाद की बात नहीं कर रही हूं बल्कि उस राष्ट्रवाद की बात कर रही हूं जो हमें एक साथ बाँधे रखता है। जो भारत में रहने वाले विभिन्न समुदायों, दलों, वर्गों के लोगों को मजबूत बना सके और हमें अन्तर्राष्ट्रवाद की ओर उन्मुख करें जहाँ हम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की समस्याओं का मिलकर समाधान कर सकें।

मुझे आशा है कि यह सभा इन मुद्दों पर विचार करेगी और सहयोग का वातावरण पैदा करेगी।

श्री मनीराम बागड़ी. क्या आप आसाम के सवाल को राष्ट्रीय स्तर पर हल करने पर विचार करेंगे? अकेले आसाम पर ही बर्डन न डाल कर, समूचे राष्ट्र का सवाल बना करके आप इसका हल ढूंढने पर विचार करेंगे?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी): मैं इन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया। यद्यपि सभी सदस्यों ने अपने मुद्दों को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया लेकिन कुल मिलाकर चर्चा कटुतापूर्ण नहीं रही। असम में जो खून-खराबा हुआ उसके लिए सभी को दुःख है। सभी चाहते हैं कि वहाँ पुनः शांति स्थापित हो और राहत कार्य आरंभ किए जाएं। यह कहने के बाद अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों पर बोलना चाहता हूँ।

ऐसी बात नहीं है कि चुनावों के कारण ही हिंसा आरम्भ हुई। असम में 1979 जब से आँदोलन शुरू हुआ तभी से हिंसा अधिक बढ़ गई है। सामूहिक हिंसा और पुलिस की गोलाबारी से 350 से अधिक व्यक्तियों की जानें गईं। उग्रवादी गतिविधियों में भी वृद्धि हुई है। अतः यह कहना ठीक नहीं होगा कि इस हिंसा का कारण केवल चुनाव है।

प्रो० मधु दण्डवते ने कई मुद्दे उठाए । उन्होंने कहा कि चुनाव बन्दूक की नोक पर कराए गए; उन्होंने यह भी कहा कि आसाम में कठोर सेंसर लगा हुआ है । निर्वाचन सूचियों को संशोधित नहीं किया गया और वहां चुनावों में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हुआ । उन्होंने रेल मन्त्री का नाम भी लिया है और उनके खिलाफ कुछ आरोप भी लगाए हैं ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : वर्तमान रेल मंत्री ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : आप भी रेल मंत्री रहे हैं । जहां तक इन मुद्दों का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री ने स्पष्ट किया है कि हमें वहाँ सशस्त्रबल भेजने पड़े लेकिन सेना चुनाव-कार्य के लिए सेना तैनात नहीं की गई । और यहाँ से जो भी सशस्त्रबल भेजे गए वह चुनाव आयोग की सहमति और अनुमति से भेजे गए और यह आवश्यक भी था क्योंकि स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल स्थिति से उत्पन्न समस्याओं का मुकाबला करने के लिए अपर्याप्त थे । मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि जहां तक केन्द्रिय सुरक्षा पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल का सम्बन्ध है हमें यह समझना चाहिए कि वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं । यहां तक कि दंगों में, जब सी. आर. पी. एफ. और बी. एस. एफ. को हाल ही में मेरठ में लगाया गया था, तब न केवल मेरठ के लोगों ने सी. आर. पी. एफ. की प्रशसा की थी वरन् कुछ माननीय सदस्यों ने भी उसकी प्रशंसा की थी जबकि पी. ए. सी. कार्य की आलोचना की गई । अतः कुल मिलाकर, सी. आर. पी. एफ और बी. एस. एफ. एक बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वहाँ थे । उन्हें आरम्भ से यह निर्देश दिये गए थे कि वे स्थिति पर नियंत्रण रखने में संयम बरतें और ताकत का उपयोग तब तक न करें जब तक वहां हिंसा और उनकी अपनी सुरक्षा का प्रश्न न हो । अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने का सम्बन्ध है, इसका प्रयोग वहाँ सामूहिक हिंसा का सामना करने अथवा उम्मीदवारों की सुरक्षा करने अथवा मतदान केन्द्रों या पुलों को जलाए जाने से बचाने आदि के समय ही ऐसा किया गया । और पुलिस की गोलाबारी से मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या करीब 125 है ।

जहाँ तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, अन्य आवेग बाद में भड़के और उसके कारण मरने वाले लोगों की संख्या में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है और अभी तक यह निश्चित नहीं है कि कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई। लेकिन हमें प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस की गोलाबारी से मरे लोगों के अतिरिक्त अभी तक 800 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है । लेकिन लाशों को ढूंढा जा रहा है और हमारे पास अन्तिम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । ये सब मौतें बाद में भड़काई गई भावनाओं के कारण हुई । अतः मैं यहस्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक सेना का सम्बन्ध है उसका प्रयोग किसी व्यक्ति को मतदान केन्द्र जाने के लिए बाध्य करने अथवा किसी उम्मीदवार को नामांकन पत्र दर्ज करने के लिए बाध्य करने के लिए नहीं किया गया । सेना का प्रयोग केवल तभी किया गया, जब आवश्यक समझा गया ।

जहाँ तक मतदाता सूचियों में संशोधन करने का सम्बन्ध है, सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करती रही है । हमारा हमेशा यह विचार रहा है कि इस समस्या का समाधान संविधान कानून और राष्ट्रीय वचनबद्धताओं, अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों और

समझौतों के अनुकूल होना चाहिए तथा मानवीय पहलुओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। लोगों को मनमाने ढंग से निर्वासित नहीं किया जा सकता वरन कानून के तहत पूरी जांच करके ही ऐसा किया जा सकता है। आरंभ से ही हमारा यह दृष्टिकोण रहा है और हम इसके प्रति अभी भी वचनबद्ध हैं।

जहां तक विदेशियों की समस्या का सम्बन्ध है, हम इसको हल करने के लिए तैयार हैं लेकिन उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए ही इसे हल करना होगा। जहां तक असम आंदोलन के नेताओं का सम्बन्ध है, क्योंकि कल जब मैंने आंदोलनकारियों शब्द का प्रयोग किया तो इसकी प्रशंसा नहीं की गई अथवा यह शब्द लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं उन्हें असम आंदोलन के नेता कहना चाहूंगा—वे एक बार इस बात से सहमत हो गये थे कि आधार वर्ष कुछ भी हो, जहां तक इसका सम्बन्ध है वे इससे सहमत हैं। आपको यह भी याद होगा कि एक बार अथवा कई बार हमारे सहयोगी श्री रवीन्द्र वर्मा ने न्यायाधिकरण बनाने का सुझाव दिया था और हम इस पर सहमत थे। यहां तक कि वार्ताओं के दौरान भी हमने यह माना कि हम न्यायाधिकरण बनाने के लिए तैयार हैं और जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया कि यदि वातावरण अनुकूल होता, तो न्यायाधिकरण बना दिये गये होते और उन्होंने अपना कार्य आरंभ कर दिया होता। लेकिन चूंकि इस समस्या का समाधान नहीं हो सका और यह 18 मार्च, 1983 तक राष्ट्रपति शासन समाप्त करना संविधान के अनुसार आवश्यक था अतः चुनाव आयोग से चुनाव करवाने की व्यवस्था करने का अनुरोध करने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं था।

जहां तक चुनाव कराने और मतदाता सूचियों का सम्बन्ध है, चुनाव कराने और चुनावों का निरीक्षण करने का कार्य चुनाव आयोग का है और निर्वाचन सूचियां तैयार करना और उन्हें संशोधित करना भी उन्हीं का काम है। इस सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कल मैंने बहुत से सदस्यों को यह कहते हुए सुना कि वे संवैधानिक संशोधन का समर्थन करने के लिए तैयार थे। कल मेरे सहयोगी, श्री मुकर्जी ने दूसरे सदन में इस मुद्दे को बहुत स्पष्ट कर दिया था। कुछ दल-दलों का नाम लिए बिना, मैं कहना चाहता हूं—इस शर्त पर इसका समर्थन करने के लिए तैयार थे कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए और उन्होंने यह तर्क दिया जो उन्होंने कल यहां भी कहा कि वार्ता की तारीख 6 अथवा 7 है और इसलिए यह संशोधन अभी नहीं लाया जाना चाहिए। वार्ता की तिथि 6 थी और इसलिए इसे अभी यहां नहीं लाया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने उस समय इसे एकदम स्पष्ट कर दिया था कि विशेष अधिवेशन के लिए सहमत होना कठिन होगा।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : आपने जो बात कही है—सम-आफ-दि-पार्टीज, लेकिन हमने, यानि लोकदल वालों ने पिछले सेशन में ही कह दिया था कि आप एक्सटेण्ड कीजिए। प्रणव मुखर्जी ने भी वहां पर कहा है, यहाँ पर नहीं कह रहे हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैंने ऐसा कहा है ?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्री प्रणव मुखर्जी ने उसे स्पष्ट कर दिया है। मैं उन दलों की स्थिति बता रहा हूं जिन्होंने समर्थन की शर्तें रखी थीं। लेकिन साथ ही केवल लोक दल ही नहीं बल्कि एक-दो अन्य दलों ने बिना किसी शर्त के इसका समर्थन किया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप आगे क्यों गये ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : क्योंकि वह समर्थन सशर्त समर्थन था। और उसके बाद उस बैठक में तथा उसके बाद प्रधान मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में भी, कोई एक मतैक्य नहीं था इन दलों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी दल थे जो चाहते थे कि चुनाव हों। और वे न केवल यह चाहते थे कि चुनाव कराये जाएं बल्कि उन्होंने चुनावों में भाग भी लिया। जहां तक 1979 की अथवा 1978 की मतदाता सूचियों का सम्बन्ध है, यहां तक कि जनता पार्टी ने भी उन्हीं सूचियों के आधार पर असम विधान सभा का चुनाव लड़ा और इसलिए उनका यह कहना उन्हें शोभा नहीं देता है कि हम, 1979 की मतदाता सूचियों के पक्ष में नहीं थे।

जहां तक असम में सेंसरशिप लागू करने का सम्बन्ध है, असम विशेष शक्तियां (प्रेस) अधिनियम असम सरकार द्वारा लागू किया गया था। अलबता बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगा दी गई।

यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी वे केवल समाचारपत्रों से यह आश्वासन चाहते थे कि वे ऐसा कोई समाचार प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे सांप्रदायिक असामंजस्य पैदा हो। केवल इस प्रकार का सेंसर लगाया गया था। जहां तक चुनाव प्रचार अथवा चुनाव भाषणों का सम्बन्ध है, उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। उन पर जो नियंत्रण लगाया गया था वह बहुत सीमित था। और इसको आप प्रशंसा करेंगे। यदि तनावपूर्ण वातावरण में समाचारपत्र ऐसा समाचार या लेख प्रकाशित करते हैं जो सांप्रदायिक भावनाओं अथवा असामंजस्य को बढ़ावा देता है तो स्थिति और भी गम्भीर हो जाती है। देश के कुछ अन्य भागों में हुए दंगों से हमने ऐसा महसूस किया है।

महोदय, जहां तक सरकारी तंत्र का सम्बन्ध है, यह कहना उचित नहीं है कि नामांकन पत्र दर्ज नहीं कराए गए थे बल्कि उन्हें उम्मीदवारों के घरों से एकत्र किया गया था।

जहां तक चुनावों का सम्बन्ध है, मैंने कहा है कि यह आरोप, कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, स्वयं में उचित नहीं है। चुनाव आयोग पूर्ण स्वतंत्रता से काम करता है। हमने उन पर कोई दबाव नहीं डाला और यदि हमने उन पर कोई दबाव डाला होता तो भी वे सहमत नहीं हुए होते। कभी भी हमने इस तरह दबाव नहीं डाला। अतः उन पर यह आरोप लगाना कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था, स्वयं में ठीक नहीं है। जब स्थानीय अधिकारियों की संख्या पर्याप्त न होने पर चुनाव आयोग ने अधिकारी भेजने की अनुमति दी। उन्होंने सब राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को एक परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि यदि परिस्थितियां हैं और चुनाव अवश्य कराने हैं तो आप वहां अधिकारी भेज सकते हैं। यहां तक कि बिहार में, जहां अधिकारियों ने जाने से इंकार कर दिया, वहां से करीब 1 हजार लोगों को भेजा गया। केन्द्र सरकार के 4000 से 5000 लोग वहां भेजे गए। इसी तरह कुछ कर्मचारी पश्चिम बंगाल से भी भेजे गए। जब पश्चिम बंगाल सरकार से निवेदन किया गया तब उन्होंने कुछ वाहन और अन्य वस्तुएं भेजने में बहुत सहयोग दिया, जिनकी वहां बहुत आवश्यकता थी। कर्मचारियों को भेजने के लिए जो कुछ भी किया गया वह चुनाव आयोग की सहमति से किया गया।

महोदय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और असम पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ों के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रो० मधु दंडवते दोनों ने इसका उल्लेख किया है। आपको यह समझना चाहिए कि उन दोनों के बीच जो मुठभेड़ हुई वह स्थानीय थी। मामले के तथ्य यह हैं कि असम पुलिस का एक अधिकारी उन्हें कुछ खास काम करने के लिए राजी करने का प्रयत्न कर रहा था और उन दोनों के बीच कुछ मतभेद पैदा हो गए थे और इसी-लिए उन्होंने उस अधिकारी का पीछा किया और उस अधिकारी ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के शिविर बल में शरण ली। अतः केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और असम राइफल्स के बीच झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन हमने इसमें यह सावधानी बरती कि यह झगड़ा फैले नहीं। और यह केवल एक ही स्थान तक सीमित रहे तथा वहां पूर्ण सामञ्जस्य बना रहे।

इस सम्बन्ध में, मैं यह बताना चाहता हूं कि हाल ही में मैंने इस स्थान का दौरा किया। श्री समर मुखर्जी ने भी अपने भाषण में कहा है कि अल्पसंख्यकों तथा अन्य लोगों की, जो खतरे में हैं, वास्तव में अब सब जगह का वातावरण बना दिया गया है, की रक्षा के लिए और सेना की आवश्यकता है। यह बात अन्य सदन में भी कही गई थी कि चुनाव समाप्त होने के बाद, यदि आवश्यक हुआ, तो शांति बनाए रखने के लिए सेना की भी सहायता ली जा सकती है। अतः ऐसी बात नहीं है कि हमने वहां आवश्यकता से अधिक सेना भेजी थी।

महोदय, जहां तक स्टीफन का सम्बन्ध है, उन्होंने जो पूरा समर्थन दिया और स्थिति को स्पष्ट किया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वे अगर मिनिस्टर रहते तो बहुत पावरफुल आवाज उठाते। आपने उन्हें मिनिस्टरशिप से वहां भेज दिया।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहाँ तक श्री वाजपेयी का सम्बन्ध है, वह समझते हैं कि केवल मंत्री बन जाना ही अधिक महत्वपूर्ण है। श्री स्टीफन वर्तमान स्थिति से बहुत प्रसन्न हैं और उन्होंने स्वेच्छा से दल के लिए कार्य करने को प्राथमिकता दी है और मैं यह कहूंगा कि वह यहाँ भी बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे।

महोदय, मैं श्री समर मुखर्जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने चुनावों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की है और अपने दल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव संवैधानिक आवश्यकता थी। उन्होंने यहां यह भी उद्धृत किया कि आंदोलन अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किया गया। उन्होंने कहा है कि श्री वाजपेयी की अध्यक्षता में हुई बैठकों में यह कहा गया था कि अखिल असम छात्र और असम गणसंग्राम परिषद की नीति की प्रशसा की गई थी और उन्होंने कहा कि असम आपकी मातृभूमि है और आपको इसे विदेशियों से मुक्त कराना चाहिए। बहुत सी बातें कही गयी हैं। लेकिन मैं उन पर विस्तार से बोलना नहीं चाहता लेकिन महोदय, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि बहुत से मुद्दों पर अखिल असम छात्र संघ और आसाम गणसंग्राम परिषद दोनों ही सहमत थे लेकिन साथ ही जब वे गोहाटी वापिस गए तो उन्होंने हमेशा उस स्थिति से इंकार किया। उन्होंने यह भी कहा कि इस आंदोलन में विदेशियों का हाथ लगता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या आप उससे सहमत हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : कृपया मेरी बात सुनिये । जहां तक उनकी किसी बात का संबंध है, इस मामले की जांच कराना आवश्यक है ।

महोदय, मैं श्री आनन्द गोयल मुखर्जी का भी आभारी हूं जिन्होंने स्थिति को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया और जहां तक उनके द्वारा उल्लिखित मुद्दों का सम्बन्ध है उन्होंने बहुत ही स्पष्ट और प्रभावशाली ढग से बात कही । अब मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर आता हूं ।

जहां तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी का सम्बन्ध है, वह वैधता अथवा अवैधता को ध्यान में रखने की बजाय अपनी बात भावुकता से कहते हैं । उन्होंने कहा कि असम में एक नाटक रचाया जा रहा था जिसका अन्त बहुत दुःखद हुआ । यदि किसी राज्य में चुनाव कराने हैं और यदि उसे नाटक कहा जाना है, जैसा कि अभी प्रधान मंत्री द्वारा कहा गया है, तब किसी अन्य राज्य में भी किसी एक कारण अथवा दूसरे कारण से चुनाव न कराने की मांग की जा सकती है और कोई भी दल जो अपनी हिंसक नीति सिद्ध करना चाहता है, ऐसा कह सकता है । यह कैसे हो सकता है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी का दल जो दिल्ली में चुनाव कराने की बात जोरशोर से कह रहा था, जब हमने 'एशियाड' के कारण इसे स्थगित कर दिया था तो उन्होंने प्रदर्शन किये थे, उन्होंने गलियों में प्रदर्शन किया और उस कारण सरकार-विरोधी नारे लगाए और यहां जब चुनाव प्रक्रिया आरम्भ की गयी तो उन्होंने न केवल इसमें भाग नहीं लिया बल्कि उसकी निंदा की और वहां यह कहने के लिए गए कि चुनाव नहीं कराये जाने चाहिएं और इसमें किसी को भाग नहीं लेना चाहिए ।

प्रधान मंत्री द्वारा उन क्षेत्रों के दौरे के सम्बन्ध में उन्होंने जो बातें कहीं, मैं समझता हूं, प्रधान मंत्री जी ने उन कुछ बातों को स्पष्ट कर दिया है जो निजी तौर पर उनके लिए कही गई थी । जहां तक क्षेत्रों का सम्बन्ध है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वह यह नहीं चाहती थी कि वहाँ और हिंसा हो और इसीलिए उस दृष्टि से ही क्षेत्रों का चयन किया गया था । आंदोलनकर्त्ताओं अथवा असम आंदोलन के नेताओं ने पहले ही यह बात कही थी कि वे बैठक का बहिष्कार करेंगे और प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे । हिंसा की उस स्थिति से बचने के लिए ही ऐसा किया गया था । ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने केवल कुछ विशेष क्षेत्रों को ही प्राथमिकता दी बल्कि हिंसा से बचने के लिए केवल कुछ क्षेत्रों का दौरा किया गया ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि डी. सी. ने गोहपुर का दौरा नहीं किया और यहां से 100 बटालियन भेजी गई थीं । सर्वप्रथम, जहां तक गोहपुर का सम्बन्ध है, यह सच है कि उन्हें वहां पहुँचने में कुछ समय लगा लेकिन सब संचार-व्यवस्था खराब हो जाने के कारण ही कुछ देरी हुई किन्तु अधिकारी वहाँ पहुंच गए । उन्होंने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों से वह मिले उन्होंने कहा कि उनका कार्य चुनाव कराना है न कि कानून और व्यवस्था की रक्षा

करना। उन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक नहीं है। सेना वहां चुनाव कराने के लिए नहीं भेजी गई थी बल्कि शांति बनाए रखने के लिए भेजी गई थी और जब उन्हें वहां शांति बनाये रखने के लिए भेजा गया था तो उनका प्रथम कर्त्तव्य कानून और व्यवस्था बनाये रखना था न कि यह देखना कि चुनाव ठीक ढंग से हों। स्थानीय अधिकारियों, समूचे सरकारी तंत्र, तथा यहां से भेजी गई सारी सेना का प्रथम कर्त्तव्य यह देखना था कि कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़े। लेकिन विशेषकर 14 तारीख के बाद यह हिंसा इतने व्यापक रूप से फैली कि कुछ क्षेत्रों में सेना नहीं पहुँच सकी और यह खून-खराबा हुआ।

जहां तक श्री गनी खां चौधरी के भाषण का सम्बन्ध है, वे दुर्भाग्यवश स्वस्थ नहीं हैं, अन्यथा मैं उन्हें हस्तक्षेप करने के लिये कहता।

प्रो० मधु दंडवते : और वह वही भाषण यहां देते।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : लेकिन महोदय मैंने उनसे सम्पर्क किया है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) वे कहां हैं ?

श्री प्रकाश चन्द सेठी : वे दिल्ली में हैं लेकिन अस्वस्थ हैं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : क्या उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने ऐसा कहा है।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि यदि कोई व्यक्ति आसाम अथवा भारत में रहना चाहता है तो उसे कांग्रेस को वोट देना चाहिये। उन्होंने कहा था कि श्रीमती इंदिरा गाँधी तथा कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो सभी समुदायों तथा जातियों के हितों का ध्यान रखती है और वे माननीय आधार पर सभी व्यक्तियों के हितों का ध्यान रख रहे हैं। अतः आपको कांग्रेस को वोट देना चाहिए। उन्होंने मुझे यही कहा है और मैं उनकी स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : अन्यथा आपने उनके भाषण के किसी भाग को नहीं छोड़ा है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : क्या अन्यथा।

प्रो० मधु दंडवते : अन्यथा आपको चले जाना चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यदि आप कांग्रेस को वोट नहीं देते, तो आपको जाना पड़ेगा।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : किसी एक व्यक्ति के बदले चार व्यक्ति मारे जाने के बारे में उन्होंने स्पष्टतः कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : टेप रिकार्डर भी है। यदि आप चाहें तो हम उसे यहां भी ला सकते हैं। क्या आप उसे सुनना चाहते हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मेरे विचार में कोई भी व्यक्ति उस सीमा तक नहीं कह सकता। न केवल कोई गनी खां चौधरी, बल्कि कोई अन्य भी नहीं कह सकता।

(व्यवधान)

जहां तक जीवन-रक्षक दवाओं की कमी सम्बन्धी आरोप का सम्बन्ध है, मैं कल की तरह कहना चाहूंगा कि हम वहां जीवन-रक्षक दवायें भेज रहे हैं। कुल मिलाकर 150 टन जीवन-रक्षक दवायें भेजी जा रही हैं। 50 टन पहले ही भेजी जा चुकी हैं और प्रति दिन कुछ टन दवायें भेजी जा रही हैं। इसमें ऐंटी-गैंगरनि भी शामिल है। मैं इस बात को मानता हूं कि शुरू में, कुछ कमी थी, लेकिन पता चलते ही हमने दवायें सप्लायी करनी शुरू कर दीं।

महोदय, उन्होंने यह भी कहा है कि ब्रेड और केक भी यहां से भेजे गये। जब कुछ स्थानों पर स्थानीय भोजन उपलब्ध नहीं था और पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं था तो यह देखना सरकार का कर्तव्य था कि कम से कम उन लोगों को तो कुछ खाने को मिले, जो यहां से गये हैं। और इसलिये ये खाने की चीजें यहां से भेजी गयीं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : इससे सिद्ध होता है कि बहिष्कार पूरा था।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : क्या आप अब भी वार्ता जारी रख रहे हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : क्या मध्याह्न भोजन का अवकाश होगा या बैठक जारी रहेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसे समाप्त कीजिए।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मेरे बाद श्री दंडवते बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय : हां, हम पहले इसे समाप्त करेंगे। एक समय, एक ही काम होना चाहिये।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : इन्होंने अपने नोट गुम कर दिये हैं। आप इन्हें मध्याह्न भोजन का अवकाश क्यों नहीं देते ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैंने नोट गुम नहीं किये हैं। जो माननीय सदस्य बोले हैं, उनके नाम गुम हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : कम से कम मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं कि वे यहीं हैं। मैं उन्हें गुम नहीं होने दूंगा।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय, अब मैं नामों के विवरण की चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मैं चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों का धन्यवाद करता हूं, मैंने अधिकांशत: उनके प्रश्नों के उत्तर दे दिये हैं। अब यह मेरे पास है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : क्या आप वार्ता जारी रख रहे हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं जारी रखूंगा। मैं श्री के. के. तिवारी को उनके जोरदार भाषण के लिए तथा हमें उन्होंने हमें जो समर्थन दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं।

श्री रशीद मसूद भी यहां हैं। उन्होंने यहां यह बात स्पष्ट की है कि उनका दल सवैधानिक संशोधन का समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन उस बारे में, मैं स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं तो आपने उनके प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं किया?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : नहीं, वह तो आपका कन्डिशनल सपोर्ट था न।

उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध एक स्पष्ट आरोप लगाया है कि हम एक समुदाय को दूसरे के विरुद्ध लड़ा रहे हैं। मैं इस आरोप का खडन करता हूं। वास्तव में, कांग्रेस ही केवल ऐसी पार्टी है जो सब समुदायों की ओर से बोल सकती है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : ये किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं उस कांग्रेस की बात कर रहा हूं जो मुझ से सम्बन्धित है और जो कांग्रेस (ई) है।

प्रो० मधु दडवते : आन्ध्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और तमिलनाडु को छोड़कर।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं श्री गढ्यवी के भी उस समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने दिया है। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त को भी टेलीविजन द्वारा ही नहीं बल्कि यहां भी चुनाव का समर्थन करने तथा सही स्थिति सामने रखने के लिए धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक विशेष बात यह कही है कि वार्ता के पिछले दौर के दौरान, मैंने 1965 को आधार वर्ष मानने का सुझाव दिया था। मैंने इस बात को भी वहां बिलकुल स्पष्ट कर दिया था कि यह पेशकश मेरी ओर से नहीं की गई है। यह प्रस्ताव हमारे पास किया गया है, जिसे हमने विद्यार्थियों के सामने रखा है—आशा है कि वे किसी सीमा तक इसे मानने के लिये तैयार हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको किससे प्राप्त हुई ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किसी और की राय लेने की कभी भी कोशिश नहीं की गई।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अत: यह कहना गलत है कि हम 1965 को आधार वर्ष के रूप में मानने को तैयार थे। वास्तव में हमने ऐसा कहा था; और प्रधान मंत्री ने इसे बिलकुल स्पष्ट कर दिया था कि हमें 1971 से शुरू करना चाहिये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपने इस प्रस्ताव का प्रचार किया है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : नहीं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैंने संसद में पूछा था। आपने इनकार नहीं किया था। आप जाकर रिकार्ड देखें। आपने केवल इस विचार का प्रचार किया है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं कहता हूं कि इस प्रकार का सुझाव आया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त का यह कहना ठीक है कि भय और आतंक का वातावरण बनाया गया है। उन्होंने पूछा था कि क्या आसाम एक समिश्रित राज्य बना रहेगा। यह हमारी कोशिश रहेगी कि आसाम एक अमिश्रित राज्य बना रहे; लेकिन यह वहां के वातावरण में शांति तथा विभिन्न धार्मिक ग्रुपों के बीच सद्भावना पर निर्भर करेगा।

मैं श्री चरणाजीत लाल शर्मा को भी समर्थन देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी को कोई अनुमति नहीं दी गयी। इस सम्बन्ध में, मैं कहना चाहूंगा कि श्री वाजपेयी ने अभी समाचारपत्र में पढ़ा होगा कि उन्होंने 25,000 लोगों की एक विशाल बैठक में भाषण दिया था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह अखबार की खबर है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अतः यह कहना ठीक नहीं है कि अनुमति नहीं दी गयी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : डिब्रुगढ़, तेजपुर, के बारे में आपको क्या कहना है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इन्होंने यह भी कहा है कि इंदिरा-मुजीब तथा नेहरू-लियाकत संधियों की व्याख्या नहीं की गयी है। हमने और मैंने प्रस्तावना में कहा है कि हम इन सब अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों तथा वचनों के लिए वचनबद्ध हैं, आसाम के नेताओं से कड़ा रवैया न अपनाने तथा सब पार्टियों द्वारा समस्या हल करने की कोशिश सम्बन्धी अपील करने के लिए भी मैं इनका आभारी हूं। मैं श्री जमीलुर्रहमान को भी हमें समर्थन देने तथा स्थिति का स्पष्टीकरण करने के लिए धन्यवाद देता हूं। इसके बाद मैं श्री चित्त बसु का भी बहुत आभारी हूं क्योंकि उनके तर्क न केवल जोरदार थे बल्कि शक्तिशाली तथा प्रभावशाली भी थे।

प्रो० मधु दण्डवते : न केवल राष्ट्रवादी बल्कि कट्टर भी।

अध्यक्ष महोदय। प्रोफेसर, क्या वह असंसदीय नहीं है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इन्होंने बहुत ठीक कहा है कि पृथकतावादी तथा विघटनकारी ताकतों का मुकाबला किया जाना चाहिए ताकि देश की एकता बनाई रखी जा सके। इन्होंने यह भी कहा है कि 1977 में 1971 को आधार वर्ष मानना केवल कल्पना ही थी।

(व्यवधान)

प्रधान मंत्री ने अभी हाल में इसका स्पष्टीकरण किया है। श्री चित्त बसु ने यह बात भी कही कि आसाम बहु-भाषी है और एक समूह की मांग पर पृथकतः विचार नहीं किया जा सकता और 1971 की राष्ट्रीय चेतना को इन आंकड़ों पर ध्यान देते हुए यह दृष्टि में रखना चाहिए।

मैं बेगम अबिदा अहमद को भी स्थिति स्पष्ट करने और समर्थन देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं श्री उन्नीकृष्णन् तथा कर्ण सिंह जी को भी उनके दृष्टिकोणों के लिये धन्यवाद देता हूं। डा० कर्ण सिंह ने कहा है कि वहां एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाये। इस सम्बन्ध में श्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रस्ताव विचारार्थ आ रहा है और मैं उस समय अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। उन्होंने यह बात भी कही है कि हमें इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये और हमें वार्ता शुरू करनी चाहिये। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमने कभी भी इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया है और वार्ता के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहे। लेकिन साथ-साथ वार्ता शुरू करने के लिए एक अनुकूल वातावरण तथा सामान्यता भी होनी चाहिए। अनुकूल वातावरण तथा सामान्य स्थिति कायम होते ही हम निश्चय ही वार्ता शुरू करेंगे लेकिन केवल आसू और ए.ए.जी.एल.पी. के ही साथ वार्ता करना, मुझे यकीन है, लाभदायक न होगा। हमें न केवल उन्हें ही सम्बद्ध करना है बल्कि राष्ट्रीय दलों तथा आसाम के अन्य नेताओं, विशेषकर निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी वार्ताओं में शामिल करना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि आसाम के अन्य ग्रुप, धार्मिक अल्पसंख्यक पर्वतीय आदिवासी आदि तथा आसू आदि की राय भी लेनी होगी। हम उनकी राय पहले ले चुके है। वास्तव में, उनमें से कुछ ने पहली बैठक में भाग लिया था। लेकिन उसके अतिरिक्त, त्रिपक्षीय वार्ताओं में भाग लेने के अतिरिक्त भी हम समय-समय पर उनसे मिलते रहे हैं। मैं श्री गिरधारी लाल व्यास को भी हमें अपना समर्थन देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

इसके बाद में श्री चन्द्रजीत यादव को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने स्पष्ट राय से कहा हैं कि कुछ लोग मांगों के नाम पर इसके लिये जिम्मेवार हैं।

एक माननीय सदस्य : वे मांगें क्या हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं श्री चन्द्रजीत यादव को अच्छी तरह से जानता हूं। वे हमेशा वार्ताओं के पक्ष में रहते हैं। वे हमेशा बातचीत करके मामलों को निपटाने के पक्ष में रहते हैं और वे साधारणत: किसी समस्या का समाधान करने में सहायता करते हैं। और, श्रीमन् उनके पास···

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : आपकी स्पीच खाली तारीफ करने वाली स्पीच है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उन्होंने यह भी कहा है कि संवैधानिक जिम्मेवारी औचित्यपूर्ण है।

श्रीमन्, अन्त में मैं श्री बनातवाला का भी उनके भाषण के लिए आभारी हूं। मैं आखिरी वक्ता श्री संतोष मोहन देव का भी आभारी हूं। लेकिन मुझे इस पर खेद है कि उनके भाषण के दौरान कुछ गर्मागर्मी पैदा हो गई।

एक माननीय सदस्य : अनावश्यक रूप से।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : लेकिन वह दुखी थे, उनका मन बहुत दुखी था। यह निश्चित था कि वह वास्तविक स्थिति के बारे में अवश्य ही बोलेंगे।

श्री सन्तोष मोहन देव : उनका भाषण तथ्यों से पूर्ण था।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या आप अध्यक्षपीठ को कोई धन्यवाद नहीं देंगे जिसने इतना अवसर प्रदान किया है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं आपका धन्यवाद ही नहीं करता बल्कि समय देने के लिए आपका आभारी भी हूं। मैं विपक्ष तथा अपने दल के नेताओं को भी चर्चा में भाग लेने के लिए तथा मुझे दोनों सदनों में उसमें भाग लेने का अवसर देने के लिए देता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : कल मैंने आंदोलन को पृथकतावादी कहा था और उसे चुनौती दी गई। मुझे यह बात सिद्ध करनी होगी।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए समय नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जब श्री दंडवते उत्तर देंगे—उन्हें उत्तर देना चाहिए लेकिन आंदोलन के नेताओं के बारे में मेरे पास दस्तावेज तथा उद्धरण हैं और आपकी अनुमति से मैं उन्हें पढ़ना चाहूंगा।

(व्यवधान)

मैं केवल कुछ ही क्षण लूंगा। यह घोषणा पत्र है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। आप किसी अन्य समय ऐसा करें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मुझे कहने दें।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए यह समय नहीं है। मुझे खेद है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :.....*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा। नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे उत्तर देंगे। यदि मैं इस तरीके से शुरु करूं...

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं जवाब दे रहा हूं, आप क्यों बोल रहे हैं। मेरा काम करना हो तो यहीं आजाइये।

यदि मुझे.....

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे बाद में कर सकते हैं, कुछ वैयक्तिक स्पष्टीकरण दीजिये। मैं सहमत नहीं हो सकता। फिर हर व्यक्ति कहेगा कि यह महत्वपूर्ण है। मैं जादू का पिटारा नहीं खोल सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। कुछ उचित बात कीजिए।

हाँ, प्रो० मधु दण्डवते

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, कल से लम्बी चर्चा चलती आ रही है और सबसे पहले मैं यह जानकर खुश हूं कि सारी चर्चा के दौरान कोई भी आक्रोश नहीं रहा, यद्यपि श्री सन्तोष मोहन देव ने कुछ बातों का जिक्र किया। आसाम से आने वाले किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को मैं समझा सकता हूं। अतः यद्यपि हमारे बीच कुछ मामलों में मतभेद हो सकते हैं, फिर भी मैं उनके क्षोभ और चिंता में उनके साथ हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि चर्चा के दौरान कोई भी आक्रोश नहीं रहा।

मैं अपनी बात उस बात से शुरू करता हूं जो प्रधान मन्त्री ने कही है। उन्होंने एक स्वागत योग्य घोषणा की है कि वह हर राज्य की सांस्कृतिक पहचान का आदर करती है। निस्संदेह यह वे जो विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करती है उसके कारण सम्बन्धी वैयक्तिक स्पष्टीकरण के रूप में आया है और उन्होंने कहा है कि वे हर राज्य की वेशभूषा को पसंद करती हैं और वे सब वेशभूषायें समान रूप से अच्छी हैं।

भारत के विचार में कभी भी एकता का अर्थ एकरूपता नहीं रहा है, भारत के विचार में एकता का अर्थ अनेकता में एकता रहा है। अतः हम बहुत खुश हैं और हमें प्रधान मन्त्री के खिलाफ विभिन्न राज्यों में जाकर विभिन्न पोशाक पहनने के बारे में कोई भी शिकवा नहीं है। सभी पोशाकें सुन्दर हैं और यदि प्रधान मन्त्री अधिक सुन्दर नजर आती हैं तो हम अधिक खुश होंगे क्योंकि हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन उनके द्वारा व्यक्त यह भावना अधिक महत्वपूर्ण है कि वे विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक पहचान का आदर करती हैं। जब वे महाराष्ट्र आयेंगी तो मैं उन्हें महाराष्ट्र की सबसे सुन्दर साड़ी भेंट करूंगा। लेकिन मुझे आशा है कि वे महाराष्ट्र की समस्याओं पर भी ध्यान देंगी।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आपने हमें वे आम नहीं भेजे जिनका वायदा आपने किया था।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि मैं कोंकण क्षेत्र के आम नहीं भेज सका तो मुझे आशा है कि उससे सारी संसद के मन में गलत भावना पैदा नहीं होगी।

समूची चर्चा के दौरान कुछ गम्भीर प्रश्न उठाये गये हैं। कई सदस्यों ने एक ही प्रश्न मुझसे तथा भा. ज. पा. और लोकदल के सदस्यों से पूछा है जो कि सरकार के अंग थे। प्रश्न यह था—विदेशियों सम्बन्धी समस्या का यह प्रश्न इस समय ही इतना गम्भीर क्यों बन गया है; यह प्रश्न आज जीवित क्यों हो गया है, आंदोलनकारियों ने इसे पहले क्यों नहीं उठाया। यहां मेरा

उत्तर केवल इतना ही है कि कभी भी कोई प्रत्यक्ष, महत्वपूर्ण तथा ज्वलन्त प्रश्न होते हैं, जिन्हें कभी-कभी किसी विशेष समय पर उठाया जाता है और किसी मामले में उन्हें कुछ पहले उठाया जाता है, यदि हमारे आलोचक यह कहते जायें कि लोग इस समस्या के प्रति इतनी देर से जागरूक कैसे हुए तो इसके लिए यदि मुझे कोई समान उदाहरण प्रस्तुत करना हो तो मैं कहूंगा कि 1929-30 में रावी नदी के किनारे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरी आजादी का प्रस्ताव पारित किया तो अंग्रेज यह प्रश्न कर सकते थे कि अब तक के वर्षों में आपने पूरी आजादी की मांग क्यों नहीं की और 1929-30 में क्यों इसके बारे में बात की जा रही है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह कोई समान उदाहरण नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि राष्ट्र अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के प्रति देर से भी जागरूक हो तो मेरे लिए यह एक स्वागत योग्य बात है। यदि आजादी का प्रण और इसकी मांग 1930 में आई और अनेक वर्षों तक हमने इस बारे में कोई बात नहीं की तो इसका अर्थ यह नहीं कि इस मांग का विरोध उचित माना जाये। अतः यदि कई लोग, सांस्कृतिक पहचान और भारतीय संविधान के व्यापक संदर्भ में पहचान, भारत की एकता, अखंडता के बारे में बातें करते हैं तो मेरे विचार में कोई ऐसी बात नहीं है जिसका किसी को विरोध करना चाहिए।

एक दूसरा प्रश्न भी उठाया गया था और वह गम्भीर प्रश्न हिंसा और आगजनी के बारे में था। एक बैठक के बारे में श्री वाजपेयी जिक्र कर चुके हैं। काफी सदस्यों ने यह प्रश्न पूछा है- क्या जनता पार्टी भा. ज. पा. तथा लोकदल ने अपने आपको हिंसा से दूर रखा है और लोगों से इस बात का ध्यान रखने की अपील की है कि विभाजनकारी तत्वों को मजबूत न बनने दिया जाये ? जनता पार्टी के महासचिव श्री रवीन्द्र वर्मा द्वारा दिए गए एक बयान की प्रति मेरे पास है। यह 17 फरवरी को जारी किया गया था। मैं उसमें से एक छोटा ही पैराग्राफ पढ़ूंगा—

> "भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री गोलप बारबोरा तथा मेरे द्वारा हर बैठक में दिए गए भाषणों में हमने लोगों को हिंसा से दूर रहने और अहिंसक तरीकों को अपनाने की अपील की है। हमने लोगों से अपील की कि उन लोगों को कोई महत्व न दिया जाये जो विभाजनकारी, साम्प्रदायिक, भाषाई प्रश्नों के बारे में अपील करते हैं और सौहार्दपूर्ण वातावरण को भंग करके हिंसा करते हैं, और लोगों को विभाजित करते हैं, फलतः चुनाव से पहले हमारे दल के अध्यक्ष श्री बारबोरा ने तथा राज्य सभा में हमारे सदस्यों ने लोगों से हिंसा से दूर रहने तथा हर कीमत पर शांति बनाये रखने की अपील की थी। हमारी पार्टी की कार्यकारी सभा ने भी अभी हाल में बंगलौर में एक प्रस्ताव द्वारा ऐसी ही अपील की थी।"

श्री सी०एम० स्टीफन : हमने यह कहा था कि आपने कभी भी हिंसा की निंदा नहीं की।

प्रो० मधु दण्डवते : हमने हर जगह खुलकर हिंसा की निंदा की है। हमने अहिंसक और शांतिपूर्ण संघर्ष की प्रभावकारिता भी बताई थी और मैंने उन गांधीवादी तरीकों का हवाला भी दिया था जिसके द्वारा उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके थे और हमने यह भी अपील की कि

आंदोलनकारियों को अच्छी सूझबूझ और सद्भाव से काम लेना चाहिए और उन्हें शांतिपूर्ण लोकतंत्रीय मार्ग को अपनाना चाहिए ।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या आप कम से कम इस समय इसकी निंदा कर रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : यदि श्री स्टीफन इससे संतुष्ट होते हैं तो मैं अब भी इसकी निंदा कर रहा हूं, यदि श्री स्टीफन को लोकतंत्रीय तरीकों अथवा लोकतंत्रीय इच्छाओं के बारे में कोई संदेह हो तो उस मामले में मैं इस सभा में भी कहूंगा । कि मैं हर प्रकार की हिंसा की निंदा करता हूं चाहे यह हिंसा शासकों ने की हो अथवा आंदोलनकारियों ने की हो, मैं दोनों प्रकार की हिंसा की भी समान रूप से निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि यह बात कार्यवाही वृतान्त में रहे ।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : इसमें बहुत देर हो गई है ।

प्रो० मधु दण्डवते : नहीं, इसमें अधिक विलम्ब नहीं हुआ है, क्योंकि मैं इसे पहले ही कर चुका हूं । (व्यवधान) यहां तक कि जब हिंसा हुई तो मैंने अनेक सभाओं को सम्बोधित किया था जिसमें मैंने यही बात कही थी । (व्यवधान)

मैं मामले की समग्र पृष्ठ भूमि के बारे में सदन को पहले ही बता चुका हूं, जिसमें सरकार और उसकी नीतियों की असफलता के विरुद्ध हमारी शिकायतें रखी गई हैं । परन्तु कुछ ऐसे अतिरिक्त पहलू भी हैं जिनका मैं सरसरी तौर पर उल्लेख करना चाहूँगा ।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, उसने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जो कि ब्रिटिश शासन काल में जारी की गई थीं । राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और आवश्यक सेवा अधिनियम को, जो की उन्होंने स्वयं बनाये है, छोड़ दें तो भी उन्होंने कुछ उन पुराने उपबन्धों को भी अपना लिया है जिनको अंग्रेजों ने तब अपनाया था जबकि वे इस देश में राज्य करते थे । महोदय, असम में सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम को लागू किया गया है, और यह अधिनियम किसी कमीशन प्राप्त अधिकारी को, वारंट आफिसर या गैर कमीशन प्राप्त अधिकारी को अथवा सशस्त्र सेनाओं में समान पद के किसी भी व्यक्ति को गोली चलाने या किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध शक्ति प्रयोग करने यहाँ तक कि उसे मौत के घाट उतारने तक का अधिकार देता है । जो कि वर्तमान विधि या व्यवस्था के विरुद्ध कार्य में संलग्न हो । इसी प्रकार आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब इन उपायों से संतोष नहीं हुआ तो राष्ट्रपति ने असम कार्यकारी मजिस्ट्रेट (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम लागू कर दिया जो कि प्रशासक को, किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी को अस्थायी शक्तियाँ प्रदान करने का अधिकार देता है और इससे भी बढ़कर कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अभूतपूर्व न्यायिक शक्तियां प्रदान करता है, "अन्य मजिस्ट्रेटों का बहिष्कार करना, भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराधों अथवा अन्य किसी ऐसे कानून के तहत जिसमें छः मास के कारावास का प्रावधान हो, से सम्बद्ध मामलों की सुनवाई करना और निपटाना," "जन-शान्ति के विरुद्ध अपराधों और जन-सेवकों के विधिक प्राधिकार के हनन की सुनवाई करना ।"

और महोदय, ब्रिटिश शासन के इन सभी बदनाम कानूनों से भी आगे बढ़कर सरकार ने भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 की 17 और 18 धाराओं का आह्वान किया है जो सरकार को अधिकार प्रदान करती है, "पड़ोस के निवासियों को विशेष पुलिस अधिकारी का कार्यभार देकर नियुक्त कर सके जिसके पास वैसी ही शक्तियां, विशेषाधिकार या संरक्षण प्राप्त हो और उसी प्रकार का जुर्माना लगा सके और जैसा कि पुलिस के सामान्य अधिकारी होते हैं उन्हीं प्राधिकरणों के अधीनस्थ होने चाहिये।"

महोदय ये प्रावधान जिनको मैंने उद्धृत किया है, उनसे एकदम स्पष्ट पता चलता है कि असम आन्दोलनकर्त्ताओं के आन्दोलन को दबाने के लिए वे सभी प्रकार के दमनकारी उपाय अपनाने को तैयार हैं। परन्तु सरकार के लिए यह सम्भव होना चाहिये कि वह विद्यमान कानूनों का सहारा ले और यह देखे कि विधि और व्यवस्था बनायी रखी जाए, परन्तु आप देख सकते हैं कि वास्तव में पुलिस बल का किस प्रकार उपयोग किया गया। गृह मन्त्री महोदय ने असम की समग्ररुपेण स्थिति का उल्लेख करते समय कहा था कि समस्त अर्ध-सैनिक बल ने शानदार और उल्लेखनीय ढंग से व्यवहार किया है। महोदय, आप वह ढंग देख सकते हैं, कि किस प्रकार से युवकों, बच्चों को छाताधारियों ने स्त्रियों को, वकीलों को, प्रोफेसरों और डाक्टरों को पुलिस द्वारा सताया गया है। ऐसे बहुत से गाँव हैं जहाँ के युवाजन, अर्ध-सैन्य बलों के वहाँ पहुंचाने पर खेतों में चले जाते हैं और अपने घरों से गायब हो जाते हैं क्योंकि जब इन अर्ध-सैन्य बलों को कोई अपराधी/दोषी नहीं मिल पाता है तो युवा के बदले युवा पेश करने के लिए वे युवा-जनों को पकड़ कर ले जाने का प्रयास करते हैं और सभी अर्ध-सैन्य बल ऐसा ही कर रहे हैं।

स्थानीय पुलिस और केन्द्रीय आरक्षी पुलिस के बीच झड़प का भी उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति केवल तभी उत्पन्न होती है जबकि असंतोष गहन हो जाता है। मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि स्वयं पुलिस बलों के मध्य ही झड़पें हुई हैं क्योंकि इसका अर्थ होगा कि भारत की एकता और अखण्डता का विनाश। कोई भी इससे खुश नहीं होगा, परन्तु जब पुलिस ही दूसरों पर हथियार उठाने पर आमदा हो जाती है तो इसका मतलब है कि असंतोष व्यापक तथा गहरा है और इसलिए इस विशिष्ट तथ्य की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, हमारे गृहमन्त्री महोदय का कहना है कि सभी आवश्यक सावधानियां बरती गई थीं और जहां तक मतदाता सूचियों और उनमें संशोधन का सम्बन्ध है, इस बारे में उन्होंने सदन में एक वक्तव्य दिया था कि यह कार्य पूर्णतया चुनाव-आयोग के कार्यक्षेत्र में आता है। यदि उन्होंने पता लगाया है कि इसमें कुछ गलतियां हैं और उन हजारों व्यक्तियों के नाम इसमें सम्मिलित नहीं हैं जो कि हाल ही में मतदाता बनने योग्य हुए और विदेशियों की समस्या का भी हल नहीं निकल पाया है तो मैं जन प्रतिनिधित्व अधि-नियम के उपबन्धों के आधार पर यह समझता हूं कि सरकार को चाहिये था कि वह इन सभी प्रक्रियाओं पर ध्यान देती।

मैंने जो कुछ कल कहा था उसे दोहराना चाहता हूं, कि जहां तक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का सम्बन्ध है, भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त पहले ही कुछ दायित्वों का उल्लेख कर चुके हैं, जैसे प्रत्येक जनगणना के बाद इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि सूचियां संशोधित की जाएं और जो कि नये-नये मतदाता बने हैं उन्हें मतदाता सूची से बाहर न रखा जाए जो कि उनका उत्तरदायित्व और कर्त्तव्य है। यहां तक कि उसको भी पूरा नहीं किया गया है। जब उन्हें यह पता चला कि उनकी समग्र नीति और कार्यान्वयन में यह वास्तव में एक कमी है आज गृहमन्त्री महोदय यह विधान लेकर आ गये हैं कि जहां तक इस क्षेत्र का सम्बन्ध है यह पूर्णरूपेण चुनाव आयोग का कार्यक्षेत्र और उत्तरदायित्व है और वे पूरी तरह से इससे अपने को अलग कर रहे हैं।

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्थानीय जनता मतदान केन्द्रों पर निर्वाचन अधिकारी तथा विभिन्न अधिकारियों और अभिकर्त्ताओं के रूप में कार्य करने को आगे नहीं आ सकी और इसलिए बड़ी संख्या में बिहार से आदमी लाने पड़े। बिहार सरकारी कर्मचारी संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया और उन्होंने वहां जाने से इन्कार कर दिया। जब दिल्ली से अधिकारियों को असम और गोहाटी ले जाया गया तो यह एक देखने लायक दृश्य था। इन सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सभी सदस्य उन्हें इस प्रकार विदाई देने के लिए आए जैसे कि वे युद्ध स्थल पर जा रहे हों। उस आशय का लक्ष्मण का एक कार्टून छपा था कि लोगों को अर्थात सरकारी कर्मचारियों को उनके परिवार के सदस्य इस प्रकार विदा कर रहे थे जैसे कि वे लड़ाई के मैदान में जा रहे हों। ऐसी अस्थिर, विषम स्थिति पैदा कर दी गई थी।

अभी भी कोई बहुत देर नहीं हुई है। मैंने कल जिन बातों पर बल दिया था मैं उन सभी को यहां दोहराना नहीं चाहता हूं। परन्तु मैं गृह मन्त्री महोदय को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप विदेशियों के मामले को हल करने के इच्छुक हैं और यह चाहते हैं कि असम की जनता को स्थायी प्रशासन मिले तो यह आवश्यक है कि आप उस बातचीत का क्रम न तोड़ें जिसे आप पहले ही आरम्भ कर चुके हैं। यह वार्ता चालू रखिये और विपक्ष की ओर से मैं आश्वासन देता हूं कि इस वार्ता में हम समस्या का हल ढूंढ़ने के लिए अपना सहयोग जारी रखेंगे। यदि हमारी सरकार वार्ता द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है तो भारतीय समस्याओं का वार्ता द्वारा हल बातचीत द्वारा करने में हम असफल क्यों रह जाते हैं ? अतः, मैं गृहमन्त्री महोदय तथा प्रधान मन्त्री महोदया से अनुरोध करता हूं कि जो कुछ हुआ है उसके बावजूद, वार्ता का मार्ग कभी बन्द नहीं किया जाना चाहिए। वार्ता जारी रहनी चाहिये। मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि जो विधान सभा चुनी जायेगी वह अवशेष होगी और जो सरकार गठित होगी वह भी पुच्छल सरकार होगी। यह कभी भी असम की जनता की आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं करेगी। अतः यह नई कठपुतली सरकार कभी भी लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी और इसलिए प्रजातान्त्रिक और लोगों की सरकार बनानी पड़ेगी। मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है और मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि यदि

आप असम में एक गैर-प्रतिनिधि सरकार बैठाना चाहते हैं तो वह कभी भी असम के लोगों को साथ लेकर नहीं चलेगी।

आप संविधान के दायित्वों को पहले ही पूरा कर चुके है। आपको गैर-प्रतिनिधि और अप्रजातान्त्रिक सरकार समाप्त करना होगा जिससे कि नवीन सरकार लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर सके और विदेशियों का मामला भी हल किया जा सके। यदि यह वाद-विवाद विदेशियों के मामले को हल करने की अपरिहार्य आवश्यकता पर सरकार को राजी कर सकें तो मेरे विचार से इस वाद-विवाद का उद्देश्य पूरा हो जायेगा।

मैं अपने उस प्रस्ताव के बारे में भी एक शब्द कहना चाहता हूं जो कि मैंने प्रस्तुत किया है। मैं नहीं समझता कि मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह विवादास्पद भी है क्योंकि मैंने इसे नियम 184 के अधीन उठाया है जिसमें कहा गया है—

"कि यह सभा सभापटल पर रखे गये वक्तव्य पर विचार करती है।"

अर्थात जिसे गृहमन्त्री ने सभा में पढ़कर सुनाया है। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव पास हो अथवा न हो परन्तु मेरा प्रस्ताव पहले ही लागू किया जा चुका हैं क्योंकि इसमें कहा गया है :

"कि यह सभा मन्त्री महोदय के वक्तव्य पर विचार करती है।" और इसलिए चाहे आप इसके हक में या विरोध में मत देते है, मेरे विचार से वास्तव में मेरा प्रस्ताव लागू कर दिया गया है।

श्री जो० लक्ष्मनन् (मद्रास उत्तर) : मुझे भूतपूर्व रेल मन्त्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहिये। जब श्री मधु दण्डवते रेल मन्त्री थे तब मान लो कि वह किसी चालक से रेल का इंजन चलाने को कहते और यदि वह मना कर देता तो वह रेल मन्त्री के रूप में क्या करते ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह बात स्पष्ट कर देता हूं यदि यह स्थिति आन्दोलन के ही मात्र के रूप में खड़ी होती तो मैं यह कहने की हिम्मत रखता कि इन आन्दोलनकर्त्ताओं की मांगें उचित हैं और मैं इसलिए .....(व्यवधान) यदि ऐसी बात है तो मैं त्यागपत्र दे देता परन्तु इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करता। (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : इसलिए तो जनता ने आपको अस्वीकार कर दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : चुनावों में मेरे दल को प्राप्त मतों का प्रतिशत सबसे अधिक है।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, क्या आप अपना सब्स्टीच्यूट मोशन वापस ले रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझता था कि मेरा सब्स्टीच्यूट मोशन स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अगर मेजोरिटी पार्टी को कोई कठिनाई है तो मैं इस सवाल पर हाउस को बांटना नहीं चाहता। अगर सरकार की मर्जी हमारा सहयोग लेने की नहीं है तो बात दूसरी है। मैं तो यह चाहता था कि सदन की ओर से एक स्वर में कुछ कहा जाता।

अध्यक्ष महोदय : वह आ जाएगा । क्या सभा उन्हें अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति देती है ।

माननीय सदस्य : जी, हाँ ।

सभा की अनुमति से प्रस्ताव वापिस लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आनरेबल मेम्बर्स, अभी आपके सामने सारा विवाद हुआ ।...आप लोगों ने समस्या का समाधान सोचा । सारे हाउस की तरफ से यह राय है कि हम इस मसले पर कुछ कहें जो कि एक मरहम के तौर पर हो और देश के लिए सुखदायी भी हो । जो कुछ हुआ है, उसको हम ठीक करें ।

यह देश बहुत बड़ा है और इसकी जड़ें भी बहुत गहरी हैं । उन जड़ों को कोई दीमक लगाने वाला न रहे, इस वजह से, इस हाउस की तरफ से म यह रेजोल्यूशन आपके सामने रख रहा हूँ ।

"यह सभा, असम की स्थिति पर विचार करने के बाद, वहाँ हुई नृशंस हत्याओं और दंगों की निन्दा करती है और असम के लोगों से आपसी सहयोग और भाई-चारे की भावना को सुदृढ़ करने और इस जटिल समस्या को मैत्री भाव से हल करने तथा शांति स्थापित करने में प्रशासन की सहायता करने की अपील करती है ।

संकल्प स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अत: संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

———

नये मन्त्री का परिचय

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : मन्त्रियों का परिचय उस दिन कराया गया था । उनमें से एक का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और इसलिए उनका परिचय नहीं कराया जा सका । अब मैं यहां उनका आपसे और आपके माध्यम से सभा से परिचय कराती हूं ।

यह हैं, मेरे सहयोगी, श्री धर्मवीर, श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ।

———

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० शिव शंकर ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सर मैंने नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे नोटिस दिया है, मैं आपको बताता हूं ।

श्री राम विलास पासवान : मैंने इसके विरोध में दिया है कि इसको टेबल पर नहीं रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं कह रहा हूं।

श्री राम विलास पासवान : आप कैसे कहेंगे। यह तो मिनिस्टर को कहना है, आप कैसे कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : रूलिंग तो मुझे देनी है।

श्री राम विलास पासवान : यह तो हाउस तय करेगा कि इसको रखा जाए या नहीं। यह हाउस का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी सांविधिक आवश्यकता है। इसे करना होगा, और कोई रास्ता नहीं है।

अगर आप इस पर मेरी रूलिंग नहीं चाहते हैं···

श्री राम विलास पासवान : यह हाउस का हमेशा नियम रहा है कि जब कोई मेम्बर आपत्ति उठाता है तो आप उसको सुनते हैं और सुनने के बाद फिर जो आपको कहना होगा, वह कहेंगे, सरकार को जो कहना होगा, वह कहेगी। चूंकि सदन में आपकी यह रूलिंग है कि बजट सेसन जब आये तो बजट सेसन के पहले किसी चीज का दाम नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार ने दाम बढ़ाये हैं और उसी के सम्बन्ध में सरकार पेपर ले करना चाहती है। मैं सरकार को पेपर ले नहीं करने देना चाहता हूं। यह एक-दो रुपये का नहीं, आठ सौ करोड़ रुपए का मामला है। इस आठ सौ करोड़ रुपये के मामले को सरकार कैसे टेबल पर रखेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है····· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम उस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मैं अब इस पर अपना विनिर्णय दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : पिछली बार आपने अध्यक्षपीठ से एक टिप्पणी की थी। आप संभवत: उसे दोहराने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कर सकता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकार के अधिकार पर प्रश्न नहीं किया जा रहा है। यह औचित्य का प्रश्न है। इसका अर्थ यह हुआ आप द्वारा पिछली बार की गई टिप्पणी का उनके द्वारा जान-बूझ कर उल्लंघन किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त यह सभा का अवमान है।

अध्यक्ष महोदय : सर्वश्री चित्त बसु, राम विलास पासवान, सोमनाथ चटर्जी और सुनील मैत्रा ने श्री पी० शिव शंकर द्वारा सभा-पटल पर पत्र रखने के बारे में कतिपय आपत्तियां उठाने की अनुमति मांगी थी।

इस सम्बन्ध में मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 305 (ग) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :—

"305 ग. यदि कोई सदस्य नियम 305 ख के उप नियम (1) में उल्लिखित किसी विषय पर कोई चर्चा उठाना चाहे तो वह उसे समिति के पास भेजेगा और मामले को सदन में नहीं उठायेगा।"

मैं यह भी टिप्पणी करना चाहता हूं कि सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ाने के लिए अधिसूचनायें सम्बन्धित अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के द्वारा प्राप्त अधिकारों के अधीन जारी की है।

सदस्य, यदि चाहें तो, सभा-पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति को लिख सकते हैं।

मैं सदस्यों की भावनाओं से सहमत हूं। मूल्यों में वृद्धि की घोषणा सभा में करना उचित था क्योंकि सभा 18 फरवरी 1983 से बैठने वाली थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे क्या करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह नियमों में दिया हुआ है। मेरा यही विनिर्णय है। नियम यही कहता है। मैं कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : ये विचार आपने चेयर की तरफ से प्रकट किए हैं या व्यक्तिगत रूप से प्रकट किए हैं।

अध्यक्ष महोदय : चेयर की तरफ से, मैं तो हमेशा चेयर की तरफ से ही कहता हूं। यह मेरी सलाह है। यह बाध्यकारी नहीं हो सकती।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र-जारी

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा भारत सरकार और आयल इंडिया लिमिटेड, असम के बीच समझौता आदि

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : मैं श्री पी० शिव शंकर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भट्टी तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण और वितरण) (संशोधन) आदेश, 1983, जो 15 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 84 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) लाइट डीजल तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1983, जो 15 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 85(अ), में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1983, जो 17 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 88(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 5682/83]

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 42 के अन्तर्गत भारत सरकार और आयल इंडिया लिमिटेड असम के बीच 12 नवम्बर, 1982 को हुए समझौते की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 5683/83]

(3) (एक) तेल तथा प्राकृतिक, गैस आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष, 1981-82 के और उसकी सहायक कम्पनी हाइड्रोकार्बन्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1981 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1981-82 के और उसकी सहायक कम्पनी हाइड्रोकार्बन्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1981 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5684/83]

(4) (एक) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 20 की उपधारा (4) के अन्तर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 5685/83]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) **मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास** का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

6. उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 5686/81]

7. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत पेट्रोलियम उत्पाद (पूर्ति तथा वितरण) संशोधन आदेश, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 17 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 89(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 5687/83]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज आ रहा है, मैंने कालिंग अटेंशन इस पर लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कालिंग अटेंशन आ रहा है इस पर।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, फोर्थ नम्बर पर मेरा आब्जेक्शन है।

अध्यक्ष महोदय : वह तो हो गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : हम विरोध में बहिर्गमन कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : हम लोग निन्दा करते हैं, सरकार जो कुछ कर रही है और आपकी बात भी नहीं सुनी जा रही हैं यह और भी आपत्तिजनक है। इसके लिए हम अपना विरोध प्रकट करते हैं। **(व्यवधान)**

(तत्पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए)

उच्च न्यायालय न्यायधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, बम्बई उच्च न्यायालय (गोवा, दमन और दीव पर क्षेत्राधिकार का विस्तारण) अधिनियम, के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, केन्द्रीय वक्फ परिषद् नई दिल्ली का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्री जगन्नाथ कौशल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता (दूसरा संशोधन) नियम, 1982, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 30 अक्तूबर 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 887 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5688/83]

(2) बम्बई उच्च न्यायालय (गोवा, दमन और दीव पर क्षेत्राधिकार का विस्तारण) अधिनियम, 1981 की धारा 13 की उपधारा (1) के अन्तर्गत बम्बई उच्च-न्यायालय (गोवा, दमन और दीव पर क्षेत्राधिकार का विस्तारण) कठिनाइयां निवारण आदेश, 1982, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 30 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 633 (अ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5689/83]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) लागत लेखा अभिलेख (सीमेंट) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 14 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) लागत लेखा अभिलेख (साइकिल) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 15 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) लागत लेखा अभिलेख (टायर और ट्यूब) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या स० का० नि० 16 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) लागत लेखा अभिलेख (कास्टिक सोडा) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी,

1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 17 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) लागत लेखा अभिलेख (कमरा वातानुकूलक) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 18 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) लागत लेखा अभिलेख (प्रशीतक) संशोधन नियम, 1983 जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 19 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) लागत लेखा अभिलेख (वाहनों की बैटरियाँ) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 20 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) लागत लेख अभिलेखा (बिजली के लैम्प) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 21 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) लागत लेखा अभिलेख (बिजली के पंखे) संशोधन नियम, 1983 जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 22 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) लागत लेखा अभिलेख (बिजली की मोटरें) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 23 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) लागत लेखा अभिलेख (मोटरयान) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 24 में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) लागत लेखा अभिलेख (ट्रैक्टर) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 25 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) लागत लेखा अभिलेख (अलमोनियम) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 26 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) लागत लेखा अभिलेख (वनस्पति) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 27 में प्रकाशित हुए थे ।

(पन्द्रह) लागत लेखा अभिलेख (औषध पुंज) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 28 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) लागत लेखा अभिलेख (चीनी) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 29 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) लागत लेखा अभिलेख (शिशु दुग्धाहार) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 30 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) लागत लेखा अभिलेख (औद्योगिक मद्यसार) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 31 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) लागत लेखा अभिलेख (पटसन का माल) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 32 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) लागत लेखा अभिलेख (कागज) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 33 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) लागत लेखा अभिलेख (रेयन) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 35 में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) लागत लेखा अभिलेख (रंग) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 35 में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) लागत लेखा अभिलेख (सोडा ऐश) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 36 में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) लागत लेखा अभिलेख (पोलिएस्टर) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 37 में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) लागत लेखा अभिलेख (नाइलोन) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 38 में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) लागत लेखा अभिलेख (ड्राइ सैल बैटरियां) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 39 में प्रकाशित हुए थे ।

(सत्ताइस) लागत लेखा अभिलेख (सूती वस्त्र) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 40 में प्रकाशित हुए थे ।

(अठाइस) लागत लेखा अभिलेख (सलफ्यूरिक एसिड) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 41 में प्रकाशित हुए थे ।

(उनतीस) लागत लेखा अभिलेख (पटसन का माल) संशोधन नियम, 1983, जो 8 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 41 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5690/83]

(4) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 5691/83]

(5) स्टाइरीन बूटाडयिन रबड़ क्षमता के पर्याप्त विस्तार और (क) विनाइल पेरोडीन लेटिसेस और (ख) स्टाइरीनेटिड फेनोल के निर्माण के लिए मैसर्स सिंथेटिक्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, बम्बई के मामले में, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार, अधिनियम, 1969 की धारा 21 (3) (ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत 21 दिसम्बर, 1982 का सरकारी आदेश तथा एक स्पष्टीकरणात्मक टिप्पण ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 5692/83]

श्री राम विलास पासवान : मैं जानना चाहता हूं कि फोर्थ नम्बर पर मेरा आब्जेक्शन था या मिनिस्ट्री पर ?

अध्यक्ष महोदय : आपने भी दिया था ?

श्री राम विलास पासवान : हां, मैंने भी फोर्थ नम्बर पर दिया था ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक ही है ।

श्री राम विलास पासवान : हमारी बात नहीं सुनी जा रही है । हम वाक आउट करते हैं ।

प्रोजेक्टस एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा पायराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) प्रोजेक्टस एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) प्रोजेक्टस एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लिमिटेड का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5693/83]

(2) (एक) पायराइट्स फॉस्फेटस एण्ड केमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पायराइट्स फॉस्फेटस एंड केमिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5694/83]

(3) (एक) इंण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5695/88]

(4) (एक) स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्मिथ स्टे निस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5696/83]

(5) (एक) फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 5697/83]

(6) (एक) भारतीय उर्वरक निगम के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय उर्वरक निगम का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 5698/83]

(7) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5699/83]

(8) (एक) राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5700/83]

(9) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 5701/83]

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह, वन और बागान विकास निगम, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने के बारे में विवरण

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : मैं अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह वन और बागान विकास सिगम, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-वर्ष की समाप्ति के बाद

9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5702/83]

विभिन्न आश्वासनों, वचनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बंधी विवरण

संसदीय कार्य, खेल और निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों वचनों और की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) विवरण संख्या 25—सातवां सत्र, 1979 छठी लोक सभा
(दो) विवरण संख्या 22—तीसरा सत्र, 1980
(तीन) विवरण संख्या 16—चौथा सत्र, 1980
(चार) विवरण संख्या 16—पांचवां सत्र 1981
(पांच) विवरण संख्या 10—छटा सत्र, 1981
(छः) विवरण संख्या 8—सातवां सत्र, 1981 सातवीं लोक सभा
(सात) विवरण संख्या 7—आठवां सत्र, 1982
(आठ) विवरण संख्या 3—नवां सत्र, 1982
(नौ) विवरण संख्या 2—दसवां सत्र, 1982

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 5703/83]

(2) संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) दिल्ली प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (1983 का संख्या 1), जो राष्ट्रपति द्वारा 2 जनवरी, 1983 को प्रख्यापित किया गया था ।

(दो) दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (1983 का संख्या 2), राष्ट्रपति द्वारा 2 जनवरी, 1983 को प्रख्यापित किया गया ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5704/83]

(3) (एक) गाँधी स्मृति समिति, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) गांधी स्मृति समिति, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी 5705/83]

(4) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5706/83]

(5) (एक) दिल्ली नागर कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 20 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली नागर कला आयोग नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली नागर कला आयोग, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5707/83]

(6) (एक) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5708/83]

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केंद्रीय (संशोधन) नियम, 1983 राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पत्र, आदि

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं—

(1) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 17 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 30 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5709/83]

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5710/83]

(3) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5711/83]

(4) (एक) केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5712/83]

(5) (एक) राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् धनबाद के वर्ष 1981 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् धनबाद, के वर्ष 1981 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5713/83]

(6) (एक) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5714/83]

(7) (एक) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5715/83]

(8) (एक) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5716/83]

भारतीय तार अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा के अन्तर्गत भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 9 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 744 (अ) में प्रकाशित हुए थे। सभा पटल पर रखता हूं—

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5717/83]

राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5718/83]

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : मैं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद, के वर्ष 1982 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं—

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5719/83]

हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन का वर्ष 1982-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय के राज्य मंत्री(श्री रामचंद्र रथ) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1)के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं—

(एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5720/83]

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा, आदि

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड नई दिल्ली, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5721/83]

(2) (एक) राष्ट्रीय ताप-बिजली निगम, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय ताप-बिजली निगम, नई दिल्ली, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5722/83)

कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 के अधीन अधिसूचना

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत कोयला खान परिवार पेंशन (संशोधन) स्कीम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 10 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 750 (अ) में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5721/83]

दिल्ली महानगर परिषद सम्बंधी अधिसूचनायें तथा आवश्यक सेवा अधिनियम के अंतर्गत असम सरकार की अधिसूचना का शुद्धि-पत्र

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वेंकटसुब्बय्या) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं —

(1) अधिसूचना संख्या का. आ. 99 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 8 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसमें दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 31 के अन्तर्गत जारी किया गया राष्ट्रपति का आदेश दिया हुआ है, जिसके द्वारा दिल्ली महानगर परिषद से सम्बन्धित, समय समय पर यथासंशोधित, 21 मार्च, 1980 के आदेश का निरसन किया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5724/83]

(2) आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 द्वारा यथासंशोधित आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 की धारा 2 की उपधारा (2) के अन्तर्गत असम सरकार अधिसूचना संख्या पी०एल०ए० 906/82/147 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 29 अक्तूबर, 1982 के असम राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 30 सितम्बर, 1982 की अधिसूचना संख्या पी०एल०ए० 906/82/125 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5725/83]

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, सिक्का निर्माण अधिनियम, दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, सीमाशुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 114 की उपधारा (3) के अन्तर्गत स्वर्ण (नियन्त्रण) अपील (संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) जो 10 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 795 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5726/83]

(2) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सिक्का निर्माण ("नवम् एशियाई खेल दिल्ली, 1982" के लिए ताम्बे और निकल के बनाये गये दो रुपये के स्मारक सिक्कों का मानक भार और उपचार)

नियम, 1982, जो 3 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 774 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सिक्का निर्माण (75 प्रतिशत ताम्बे और 25 प्रतिशत निकल वाले एक रुपये के सिक्कों का मानक भार और उपचार) नियम, 1982, जो 3 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 775 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सिक्का निर्माण (राष्ट्रीय एकता 1982 के लिए बनाये गये 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबे, 5 प्रतिशत निकल और 5 प्रतिशत जस्ते वाले 100 रुपये के और 75 प्रतिशत तांबे और 25 प्रतिशत निकल वाले 10 रुपये, 2 रुपये और 50 पैसे के स्मारक सिक्कों का मानक भार और उपचार) नियम, 1982, जो 20 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 853 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 5727/83]

(3) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 6 दिसम्बर, 1983 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 4 (116/82—फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 5728/83]

(4) देखिये उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पहला संशोधन) नियम, 1983, जो 11 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 19 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (12वां संशोधन) नियम, 1982 जो 10 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 682 (अ) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 5729/83]

(5) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 2 (अ), जो 1 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो आयात और निर्यात के अनुमानन के प्रयोजनार्थ भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में और विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में बदलने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है ।

(दो) सा० का० नि० 8 (अ), जो दिनांक 5 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, जो सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 75, 77, 80 और 81 के अन्तर्गत आने वाली मदों, जैसे टिन तथा

उसकी वस्तुओं, निकल तथा उसकी वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ की टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत अतिरिक्त (प्रतिसंतुलनकारी) शुल्क से छूट को समाप्त करने के बारे में है।

(तीन) सा०का०नि० 11 (अ), जो 6 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 19 जुलाई, 1969 की अधिसूचना संख्या 1716 में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि "यात्री (अपर्यटक) सामान नियम, 1960" और "निवास-स्थान का स्थानान्तरण नियम, 1969" के स्थान पर "यात्री सामान नियम, 1978" और "निवास-स्थान का स्थानान्तरण नियम, 1978" प्रतिस्थापित किये जा सकें, क्योंकि वे नियम, 1978 के नियमों द्वारा प्रतिस्थापित किए गए थे।

(चार) सा० का० नि० 12 (अ), जो दिनांक 7 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 7 जुलाई, 1982 की अधिसूचना सं. 178—सी. शु. के अधिलंघन में रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को रूसी रूबल में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में है।

(पाँच) सा० का० नि० 95, जो 29 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 2 जुलाई, 1980 की अधिसूचना संख्या 132-सी. शु. में संशोधन किया गया है, ताकि भारत- नेपाल व्यापार संधि 1978 के अन्तर्गत भारत में वरीयता के आधार पर प्रवेश के लिए अर्ह पाये गये नेपाली मूल के 6 और उत्पादों को शामिल किया जा सके।

(छः) सा०का०नि० 678 (ड़), जो 9 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 1 अक्तूबर, 1982 की अधिसूचना संख्या 216—सी. शु. के अधिलंघन में हांगकांग के डालर को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को हांगकांग के डालर में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में है।

(सात) सीमा शुल्क (अपील) संशोधन नियम, 1982, जो 10 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा० का० नि० 681 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सा० का० नि० 701 (अ) से 704 (अ), जो 16 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 16 नवम्बर, 1982 से लागू ताम्बे और ताम्बे की मदों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की पुनरीक्षित दरों के बारे में है।

(नौ) सा०का०नि० 707 (अ), जो 16 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 23 जुलाई, 1980 की अधि-

सूचना संख्या 150—सी. शु. में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि पोलिप्रोपीलीन पीवीसी, उच्च मोलेकूलर अथवा उच्च घनत्व पोलीथीन से बने मुद्रित थैलों पर रियायत दी जा सके ।

(दस) सा०का०नि० 716 (अ), जो 23 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, जो पोलिएस्टर फिलामेंट, यार्न, पोलिएस्टर मोनोफिल और पोलिएस्टर स्ट्राइप सीमाशुल्क में 15 रु० प्रति किलोग्राम वृद्धि करने के बारे में है ।

(ग्यारह) सा० का० नि० 719 (अ), जो 24 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा स्टेनलैस स्टील की छड़ों (चमकदार छड़ों सहित) और तारों को, जिनकी मोटाई 10 मिलीमीटर से कम है, 60 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक मूल सीमाशुल्क से छूट देने और स्टेनलैस स्टील की छड़ों (चमकदार छडों सहित) और तारों जिनकी मोटाई 10 मिलीमीटर अथवा उससे अधिक है, को 150 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक मूल सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है ।

(बारह) सा० का० नि० 721 (अ), जो 25 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 5 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या 232—सी. शु. की वैधता को 30 नवम्बर, 1983 तक बढ़ाया जाये ।

(तेरह) सा० का० नि० 725 (अ), जो 30 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो 1 अक्तूबर, 1982 की अधिसूचना संख्या 216—सी. शु. के अधिलंघन में पाउण्ड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को पाउण्ड स्टर्लिंग में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में है ।

(चौदह) सा० का० नि० 736 (अ) से 743 (अ), जो 8 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो लोह और इस्पात की कतिपय मदों पर सहायक सीमा शुल्क और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क से छूट समाप्त करने के बारे में है ।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 747 (अ), जो 9 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 24 अगस्त, 1979 की अधिसूचना संख्या 181—सी. शु. में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि मछलियां पकड़ने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली नौकाओं में लगाई जाने

वाली नौकाओं में लगाई जाने वाली आउटबोर्ड मोटरों के लिए शुल्क की रियायत दी जा सके ।

(सोलह) सा० का० नि० 759 (अ), जो 16 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, जो काफी पर निर्यात शुल्क की दर को 440 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 530 रुपये प्रति क्विंटल करने के बारे में है ।

(सत्रह) सा० का० नि० 761 (अ), जो 17 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 2-11-1982 की अधिसूचना संख्या 236—सी. शु. का निरसन किया गया है ।

(अठारह) सा० का० नि० 762 (अ), जो 18 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिसमें 5 अप्रैल, 1982 की अधिसूचना संख्या 107/82—सी.शु. का शुद्धि पत्र दिया हुआ है ।

(उन्नीस) सा० का० नि० 678 (अ), जो 18 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 1 अक्तूबर, 1 82 की अधिसूचना संख्या 216—सी. शु. के अधिलंघन में जापानी येन को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को जापानी येन में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में है ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या 5730/83]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 1(अ), जो 1 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 12 सितम्बर, 1977 की अधिसूचना संख्या 291/76-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत रियायत को 31 मार्च, 1983 तक बढ़ाने के बारे में है ।

(दो) सा० का० नि० 3 (अ) और 4 (अ) जो 1 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो ताम्बे की तारों पर उतने मूल उत्पाद शुल्क से जो 8 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर, से आकलित राशि से अधिक है, छूट देने और विशेष उत्पादन शुल्क से पूर्ण छूट देने के बारे में है ।

(तीन) सा० का० नि० 42(अ), जो 31 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो गुजरात राज्य में तूफान से प्रभावित लोगों को दान दिये गये उत्पाद शुल्क लगाने योग्य सामान को उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है ।

(चार) सा० का० नि० 679(अ), जो 10 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो मद 68 सी. ई. टी. के अन्तर्गत कापर सल्फेट को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अदायगी से छूट देने के बारे में है।

(पाँच) सा० का० नि० 684 (अ), जो 11 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो चाय क्षेत्रों के पुनंवर्गीकरण के बारे में है।

(छः) सा० का० नि० 705 (अ), और 706 (अ) जो 16 नवम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशिक हुए थे तथा जो ताम्बे और उसकी वस्तुओं पर सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क के पुनंसमायोजन के बारे हैं।

(सात) सा० का० नि० 709(अ), जो 17 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो आयुध कारखानों में बने और सशस्त्र सेनाओं तथा आयुध कारखानों के इस्तेमाल के लिए बनाये गये सभी समान को समस्त उत्पादन शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(आठ) सा० का० नि० 717 (अ) और 718 (अ), जो 24 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो छपाई के कागज पर शुल्क की रियायती दर के बारे में है।

(नौ) सा० का० नि० 731(अ), जो 1 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो खुली बिक्री की चीनी पर उत्पाद शुल्क की दरों के बारे में है।

(दस) सा० का० नि० 754(अ), जो 11 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की "टीटन" परियोजना के कम्प्यूटर/दूरसंचार के उपकरणों को शुल्क से छूट देने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5731/83]

(7) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1981 का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग तेरह—भूतपूर्व हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के समग्र कार्य निष्पादन, जिसमें बिक्री निष्पादन आदि भी शामिल है, का व्यापक विहंगावलोकन।

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1982 का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग एक प्रस्तावना ।

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1982 का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग तीन—स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 5/32/83]

(8) दिसम्बर, 1982 में जारी किये गये बाजार ऋणों के परिणामों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5733/83]

———

सभा-पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति

बैठकों के कार्यवाही सारांश

श्रीमती कृष्णा साही (बेगू सराय) : मैं सभापटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति के 12वें प्रतिवेदन से सम्बन्धित बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखती हूं ।

———

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने आज, 21 फरवरी, 1983 को हुई अपनी बैठक में मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1981 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने सम्बन्धी निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया ।"

"कि मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1981 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने का समय राज्य सभा के 127वें सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक और बढ़ाया जाये ।"

———

विधेयकों पर अनुमति

सचिव : महोदय, 2 नवम्बर, 1982 को सभा को सूचित करने के पश्चात पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयकों को मैं सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) विमान अपहरण निवारण विधेयक, 1982 ;

(2) सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन विधेयक, 1982।

2. श्रीमन्, 2 नवम्बर, 1982 को सभा को सूचित करने के पश्चात संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 14 विधेयकों की प्रतियां भी, राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत प्रमाणिकृत रूप में सभा पटल-पर रखता हूं :—

(i) अमृतसर आयल वर्क्स (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक, 1982

(2) खाद्य निगम (संशोधन) बिधेयक, 1982

(3) पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 1982

(4) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1982

(5) सिक्किम स्टेट बैंक (शेयरों का अर्जन) तथा प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 1982

(6) सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक, 1982

(7) चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 1982

(8) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा बैंक (संशोधन) बिधेयक, 1982

(9) औषधि तथा प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 1982

(10) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1982

(11) चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1982

(12) आन्ध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक, 1982

(13) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1982

(14) संविधान (46वां संशोधन) विधेयक, 1982

———

सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति

12वां प्रतिवेदन

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : मैं सभा-पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखती हूं।

———

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 50 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजकर 55 मिनट पर पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

———

दिल्ली में पत्थर और बजरी की खानों में हुई दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पत्थर, क्वार्ट-जाइट सैंड (बजरी) और चीनी मिट्टी की 26 खानें हैं। इनमें से 12 पत्थर-खानों, 3 बजरी-खानों और एक चीनी मिट्टी की खान का पट्टा तथा इन खानों से खनिज निकालने का अधिकार दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम के पास है। तथापि, यह काम वस्तुत: अनेक ठेकेदारों द्वारा किया जाता है। इन खानों में लगभग 10 000 श्रमिक हैं। इन खानों से खनिज निकालने का काम हाथ द्वारा किया जाता है और निकाले गए खनिज ट्रकों द्वारा ढोए जाते हैं।

इन खानों में कामकाज की दशाएं संतोषजनक नहीं रही हैं। मुख्य श्रमायुक्त और खान सुरक्षा महानिदेशक ने इन खानों में कई श्रम कानूनों का आम तौर से और खान अधिनियम के सुरक्षा उपबन्धों का खास तौर से उल्लंघन किए जाने की सूचना दी है। समय-समय पर इन उल्लंघनों की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा दिल्ली प्रशासन का ध्यान दिलाया जाता रहा है। जब कभी यह देखा गया है कि खानों में खतरनाक परिस्थितियां विद्यमान हैं, तो खान अधिनियम की धारा 22 के अधीन, ऐसे व्यक्तियों को छोड़ कर जो नोटिस की शर्तों का अनुपालन कराने के लिए जरूरी हों, किसी भी व्यक्ति के नियोजन को प्रतिषद्ध करने के आदेश जारी किए गए हैं। दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम की छ: खानों में अधिनियम की धारा-22 के अधीन जारी किए गए प्रतिषेद्धात्मक आदेश अभी भी लागू हैं। तथापि, ठेकेदार इन आदेशों की उपेक्षा करके गुप्त रूप से बार-बार कार्य करते रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप हाल ही में कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं।

भट्टी बजरी खानों में 10, 16 और 24 जनवरी, 1983 को तीन दुर्घटनाएं और 17 फरवरी को एक दुर्घटना हुई। इस वर्ष के प्रारम्भ से इन दुर्घटनाओं में कुल 9 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

खान सुरक्षा महानिदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, ये सभी दुर्घटनाएं साइड के गिरने के कारण हुईं।

सरकार इन दुर्घटनाओं के बारे में बहुत चिन्तित है।

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने प्रत्येक मृत श्रमिक के कानूनी वारिसों को 5,0000 रुपये की अनुग्रह पूर्वक अदायगी की है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायामूर्ति श्री वी. एस. देशपांडे की अध्यक्षता

में एक जांच न्यायालय नियुक्त किया गया है, ताकि वह इन दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करे और सुधारात्मक उपायों का सुझाव दे।

इस बीच, दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। दिल्ली प्रशासन से निम्नलिखित कार्यवाही करने के लिए कहा गया है :—

1. ऐसे स्थानों पर खननप्रक्रिया रोक दी जाये जहां खतरनाक स्थिति पाई जाएं।

2. पुलिस टुकड़ियां बैठायी जानी चाहियें और ऐसे क्षेत्रों को, जहां निषेधाज्ञायें लागू हैं, छान डालना चाहिए ताकि खनन प्रक्रियाएं रोकी जा सकें।

3. उन व्यक्तियों को, जो खानों के बन्द हो जाने पर बेकार हो गए हैं, रोजगार देने के लिए नए खनन क्षेत्रों का पता लगाया जाये और दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम बिना किन्हीं बिचौलियों के इन क्षेत्रों में स्वयं व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से खनन संक्रियायें आरम्भ करें।

4. इन खानों में कामकाज की दशाओं को सुधारने के लिए दिल्ली प्रशासन को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। इसके लिए खानों में अधिभार/ओवरहैंगिंग को हटाया जाना चाहिए। हेल्मिट और बूट दिए जाने चाहियें। प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाओं, पीने के पानी और अन्य अत्यावश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

5. दिल्ली प्रशासन को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबन्धों के अधीन मुआवजे की अदायगी के लिए तुरन्त व्यवस्था करनी चाहिए।

मुख्य श्रमायुक्त और खान सुरक्षा महानिदेशक को निदेश दिए गए हैं कि वे अपने निरीक्षणों को तेज करें और श्रम कानूनों का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेवार पाए गए सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही प्राप्त करें।

जो खानें दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम के नियंत्रण में नहीं हैं, उनमें भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। मैसर्स सिन्दिया पोटरीज की कुसमपुर पत्थर खानों में 7 फरवरी, 1983 को एक दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना में एक व्यक्ति मारा गया था। प्राप्त सूचना के अनुसार, यह दुर्घटना साइड के गिरने से हुई थी। खान सुरक्षा महानिदेशालय का एक अधिकारी इस दुर्घटना की जांच कर रहा है और उसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

———

कार्य-मंत्रणा समिति

39 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 21 फरवरी, 1983 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 39 वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 21 फरवरी, 1983 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 39वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने 21 फरवरी, 1983 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 39वें प्रतिवेदन में संशोधन की सूचना दी है।

माननीय सदस्य अब अपना संशोधन पेश कर सकते हैं।

मैं समझता हूं कि आपको अपने संशोधन के बारे में याद होगा...

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई बत्तर पूर्व) : हां, मुझे याद है। मैं जनता पार्टी का सदस्य हूं, डी. एम. के. का नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम दोनों ही आज सत्ता में नहीं हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव में ,'प्रतिवेदन से" के पश्चात् यह जोड़ दिया जाये। "बशर्ते कि रेल बजट के लिए निर्धारित समय को बढ़ाकर 20 घन्टे किये जाय।"

श्रीमन्, मैं इसलिए समय वृद्धि चाहता हूं, कि इस वर्ष पहले ही रेल बजट और रेल मंत्रालय में जो कुछ घटित हो रहा है उसका खास प्रचार हो गया है। इसलिए अब इन सब पर चर्चा होना अनिवार्य है। अगर चर्चा को केवल 12 घन्टे तक ही सीमित कर दिया गया, तो कई एक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा ही नहीं हो पायेगी। मैं खासतौर से बम्बई के उपनगरों के यात्रियों की समस्या के बारे में कहना चाहता हूं। उनको 20 वर्षों से नजरान्दाज किया जाता रहा है। अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। बिजली बन्द होने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। कई एक परियोजनाएं विचाराधीन हैं। मिसाल के तौर पर मंखुर्द-बेलापुर रेल लाईन प्रोजेक्ट पिछले 25 वर्षों से विचाराधीन है। यही हालत पूर्व-पश्चिम तट की है। ये सभी परियोजनाएं आवश्यक हैं। केन्द्रीय सरकार के खजाने में 60% बम्बई से सीमाशुल्क और अन्य करों द्वारा आता है, वे यह भी जानते हैं कि बम्बई से ही सबसे अच्छे संसद सदस्य आते हैं। इसलिए मैं

कहता हूं कि बम्बई की समस्याओं पर बारीकी से चर्चा करने के लिए 12 घंटे का समय काफी नहीं है। निर्धारित समय को बढ़ाकर 20 घन्टे कर दिया जाये।

श्री बूटा सिंह : असम में रेल बजट समेत रेलवे के मामलों पर चर्चा 12 घण्टों से ज्यादा होगी। कुल मिलाकर यह 17 घन्टे तक होगी। मैं समझता हूं कि 17 घन्टे का समय काफी है, इस पर तीन दिन लगेंगे। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को उपनगरीय रेल यात्रियों की समस्याओं को रखने के लिए काफी अवसर मिलेगा। मैं भी बम्बई में सफर करता रहा हूं, मैं बम्बई में छात्र भी था। मैं इनके विचारों से सहमत हूं। कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित समय काफी है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि, वह अपने संशोधन के लिए जोर न दें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उनके बम्बई के दैनिक यात्रियो के प्रति कहे गये सहानुभूति-पूर्ण शब्दों को देखते हुए, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :—

"कि यह सभा 21 फरवरी, 1983 को सभा में प्रस्तुत किये गए कार्य मंत्रणा समिति के 39वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दिल्ली प्रशासन (संशोधन) विधेयक

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : मैं श्री प्रकाश चन्द्र सेठी की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अब, प्रो० अजित कुमार मेहता बोलेंगे।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, 18 फरवरी को संसद का बजट अधिवेशन आरम्भ होने वाला था। हर साल बजट अधिवेशन लगभग इसी समय पर होता है। इस बात को जानते हुए भी सरकार ने 2 जनवरी को आर्डिनेन्स जारी करना उचित समझा-इसका क्या कारण था? आखिर सरकार की मंशा क्या है? क्या इससे ऐसा सावित नहीं होता कि सरकार यह चाहती है कि विधान मण्डलों की ताकत को कम से कम किया जाए?

सारे काम विधानमडल के बाहर ही करा लिए जायें, इस तरह के कारनामों पर पहले भी आब्जैक्शन उठाया जा चुका है, लेकिन फिर भी सरकार सारे काम विधानमंडल के बाहर करा लेती है। आपकी तो पूरी मैजोरिटी है, आप जो चाहें पास करवा सकते हैं, फिर भी आप विधानमंडल की अवहेलना क्यों करते हैं ? आप कहेंगे दिल्ली का चुनाव करवाना बहुत आवश्यक था। चुनाव कराने के लिए यह आर्डिनेस जारी किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर आप क्या चाहते हैं ? तीन साल तक आपने दिल्ली का चुनाव नहीं करवाया, उसके लिए आपको कोई जल्दी नहीं हुई, लेकिन कुछ दिनों के लिए, जब तक कि नई सूची तैयार हो जाती, नए लोग जो व्यस्क हुए हैं, उनके नाम भी मतदाता सूची में शामिल हो जाते, उनको वंचित करने के लिए आपने जल्दी से जल्दी आर्डिनेंस निकालकर चुनाव करवा लिया। यदि आप कुछ दिन और ठहर जाते तो कोई प्रलय नहीं आ जाती, आकाश नहीं फट जाता। असम के चुनाव में भी आपने ऐसा ही किया है, जल्दी से जल्दी चुनाव करवा लिए हैं। यह आपने ऐसा इसलिए किया कि कम से कम मतदाता ही मतदान में भाग लें या ऐसे मतदाता मतदान में भाग न ले पायें जो आपके विरोधी हों। इसलिए यह परम्परा निश्चित रूप से अच्छी नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : श्रीमन्, हम अभी केवल विधेयक को पुर:स्थापित ही कर रहे हैं जब इस पर चर्चा होगी तो सरकार अध्यादेश को जारी करने के कारणों को स्पष्ट करेगी। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे धैर्य से सरकार का उत्तर सुनें। मैं समझता हूँ कि आप खुद ही दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 का संशोधन करने वाले विधेयक, लाने के सरकार की कार्यवाही से संतुष्ट होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

दिल्ली प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के बारे में वक्तव्य

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : मैं श्री प्रकाश चन्द्र सेठी की ओर से दिल्ली प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश, 1983 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाली स्पष्टीकरणात्मक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : मैं श्री प्रकाश चन्द्र सेठी की ओर

से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं ।

———

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया) : श्री प्रकाश चन्द्र सेठी की ओर से मैं दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1983 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाले एक स्पष्टीकरणात्मक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

———

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हरियाणा के उन किसानों को मुआवजा देना जिनकी फसलें ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गयी थी

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

बहुत अरसे से हरियाणा प्रान्त के हर जिले में आम तौर से जीन्द, भिवानी, नरवाना, सोनीपत, हिसार, सरसा में ओलावृष्टि से किसानों को भारी क्षति हुई है । हरियाणा सरकार ने एलान किया था कि क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा सरकार देगी और इस कायदे के मुताबिक सरकार मुआवजा देती भी है । लेकिन, इस दफा किसानों को ओलावृष्टि की क्षति का मुआवजा नहीं दिया गया । इसमें घूसखोरी चल रही है और किसान बहुत परेशान और बेहाल हैं । यह किसान तहसीलों के और जिला कचहरियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और कई लोगों की हालत तो भुखमरी जैसी हो गई है । सरकार तुरन्त इन किसानों को, जिनको ओलावृष्टि से क्षति हुई है, मुआवजा दे क्योंकि अब किसान इतना दुःखी हो गया है कि अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो भुखमरी से मौत भी हो सकती है ।

(दो) उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों को उनकी बकाया धनराशि का भुगतान

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से केन्द्रीय

सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश विशेषकर गोरखपुर जनपद में गन्ना किसानों के बकाये मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, गन्ना के मामले में उत्तर प्रदेश को पश्चिम, मध्य एवं पूर्व तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन कहां तक न्यायसंगत है, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। फिर भी सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की दयनीय दशा होती जा रही है, उसका मूल कारण सही समय पर सही मूल्य न देने के कारण हो रही है। यो तो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपये आज भी गन्ना किसानों के गन्ना मिल मालिकों पर भुगतान के लिये बाकी पड़े हुए हैं, फिर भी उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। श्रीमन्, आप का ध्यान खास कर मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बांसगांव में स्थित एक गन्ना मिल-मालिक के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं। केवल इस मिल पर क्षेत्रीय गन्ना किसानों का लगभग दो करोड़ रुपया आज भी बाकी पड़ा हुआ है इसके कारण क्षेत्रीय किसानों की दशा अत्यन्त दयनीय होती जा रही है। फलस्वरूप क्षेत्रीय किसानों में काफी असन्तोष व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से पुनः केन्द्रीय सरकार का ध्यान गन्ना किसानों की रक्षा के लिये अविलम्ब उनके बकाए धन के भुगतान के लिये आकर्षित करना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के ऊपर दबाव डाल कर अवशेष बकाए धन का भुगतान कराये। धन्यवाद।

(तीन) डाक और तार विभाग के लिए लखीसराय (बिहार) में एक नए भवन के निर्माण की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के मुंगेर जिला के लखीसराय अनुमंडल का प्रशासनिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्व है। आबादी भी तकरीबन 80 हजार के आसपास है। यहां रेलवे का भी बहुत बड़ा जंक्शन है। गल्ले की भी बहुत बड़ी मंडी है। हजारों लोगों का प्रतिदिन आवागमन है। परन्तु संचार की सुविधा नहीं रहने के कारण अनुमंडलीय स्तर पर जितना चतुर्दिक विकास होना चाहिए, वह अवरुद्ध हो गया है। लखीसराय टेलीफोन केन्द्र 1956 में स्थापित किया गया था। टेलीफोन केन्द्र के सभी पार्ट्स-पूर्जे तब से चले आ रहे हैं जो अब बहुत ही पुराने हो गये हैं। जिनका निर्माण या तो कम कर दिया गया है या बिलकुल ही बन्द सा हो गया है। यह एक्सचेन्ज 200 लाइनों का हस्तचालित एक्सचेंज है, जिसमें 150 फोन कार्यरत् हैं और जिसमें बहुत से नम्बर खराब हैं। जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय योजना के अनुसार सभी हस्तचालित एक्सचेंज को स्वचालित करना है। अगर इसको स्वचालित किया जाये तो विभाग दोहरे खर्च से बच सकता है और साथ ही साथ व्यापारिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से इलाके का विकास तेजी से हो सकेगा। स्वचालित टेलीफोन पद्धति के अभाव में इस शहर का सम्बन्ध अन्य बड़े शहरों से जोड़ा नहीं जा सकता। पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट का लखीसराय एक्सचेंज और इसके एम्पलाइज के लिये अपना भवन नहीं है। इसी कारण स्वचालित केन्द्र की स्थापना में कठिनाई है। टेलीग्राम भेजने

की जो पुरानी पद्धति 50 वर्षों से चली आ रही है, वही पद्धति वर्तमान में भी चली आ रही है। अत: सरकार से निवेदन है कि पोस्ट आफिस एवं टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की एक कम्बाइण्ड बिल्डिंग बनाई जाये। जिसमें पोस्ट आफिस और टेलीफोन केन्द्र दोनों की स्थापना की जा सके। जब तक कम्बाइण्ड बिल्डिंग वहां नहीं बन सकेगी तब तक न तो वहां हस्तचालित टेलीफोन पद्धति स्वचालित पद्धति में बदली जा सकती है और न ही टेलीग्राम भेजने की पुरानी पद्धति की जगह नई पद्धति टेलीप्रिन्टर की स्थापना की जा सकती है। अत: इस विषय की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

(चार) फैक्टरियों में बच्चों को काम पर लगाने पर प्रतिबंध लगाने और सम्बन्धित कानून को कठोरता से लागू करने की आवश्यकता

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान में बारह वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी कराने का निषेध किया गया है। भारत में कम से कम 2 करोड़ बच्चे मजदूरी करने को बाध्य हैं। ये अधिकांश बच्चे निर्धन परिवारों के होते हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार चाय बागान, माचिस फैक्टरी, हथकरघा, कालीन व मत्स्य उद्योग, होटलों, रेस्तरां, मरम्मत की दुकानों तथा कृषि जैसे निजी क्षेत्रों में ही मुख्य तौर पर बाल मजदूरों को नियुक्त किया जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार इन क्षेत्रों और विशेषकर चाय बागानों, कालीन उद्योग और होटलों में बहुत अधिक शोषण होता है। बाल मजदूरों को प्रात: 5 बजे रात्रि के 10 बजे तक काम करना पड़ता है। उन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती है, अर्थात् 25 रुपये प्रति माह। इसके अलावा बाल मजदूरों को जोखिम भरे कार्यों पर नियुक्त किया जाता है और इस प्रकार उन्हें खतरनाक रसायनों से काम करना पड़ता है। कारखाना अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इन कारखानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता और 14 से 15 वर्ष के बच्चों को पूरी डाक्टरी जांच के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु इस कानून का पालन नहीं किया जाता। लगभग 20,000 बच्चे केरल के कोयलर के आठ बड़े मत्स्य संसाधन संयंत्रों में काम करते हैं। उन्हें दस किलो मछली छीलने पर पचास पैसे दिये जाते हैं जबकि उन्हें सुबह चार बजे से लेकर सांय सात बजे तक काम करना पड़ता है। बाल मजदूरों को खानों में भी काम करना पड़ता है। लड़कियों को भी नियुक्त किया जाता है। मेघालय की निजी खानों में लगभग 28,000 बच्चे काम करते हैं। बम्बई में 14 वर्ष से कम आयु के 80,000 बच्चों को 12 से 15 घंटे तक काम करना पड़ता है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस समस्या की गम्भीरता को समझे तथा इसके समाधान के लिए शीघ्र प्रभावी कदम उठाये।

(पांच) आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) में पुलिस द्वारा न्यायालयों में प्रवेश करके वकीलों, न्यायालय कर्मचारियों तथा आम जनता को पीटा जाना

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, 25 जनवरी, 1983 को आजमगढ़

में पुलिस ने दीवानी न्यायालय के कक्षों में घुसकर वकीलों, कर्मचारियों और जन-साधारण को लाठियों से पीटा और दर्जनों व्यक्तियों को घायल कर दिया। गत 4 फरवरी, 1983 को आजमगढ़ जिला अधिवक्ता संघ और दीवानी अधिवक्ता संघ की संयुक्त बैठक हुई, जिसको उस दिन मैंने भी संबोधित किया था और उस बैठक में प्रदेश बार कौंसिल के अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी, लखनऊ हाई कोर्ट बैंच अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधि और अन्य अधिवक्ता संघों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस बैठक की कार्यवाही चल ही रही थी कि उस दिन पुनः पुलिस ने लाठी चार्ज किया और न्यायालय के परिसर में घुसकर मारपीट की। पुलिस की इस प्रकार की बर्बरता से पूरे उत्तर प्रदेश में रोष का वातावरण व्याप्त हो गया और पूरे प्रदेश के वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया और अपने रोष को प्रकट किया। आजमगढ़ के अधिवक्ता संघ ने एक प्रस्ताव पास करके इस घटना के लिए जिम्मेदार अपराधी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाने की मांग की है। उनकी यह मांग अत्यन्त उचित है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की है किन्तु वह पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की पुलिस और पी. ए. सी. ने बहुत अधिक अनुशासनहीनता और जन-विरोधी रवैये का परिचय दिया है।

इस सदन के माध्यम से मैं यह मांग करता हूं कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस और पी. ए. सी. संगठनों को इस प्रकार से पुनरगठित करने का आदेश दे, जिससे यह संगठन जन-सेवा और समाज में शान्ति-व्यवस्था बनाने की प्रहरी बन सके।

(छः) आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के समुचित विकास की आवश्यकता

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, 1947 से ही जब हमारे प्रधान मंत्रियों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कार्यभार स्वयं सम्भाल कर गहरी रुचि ली है। दुर्भाग्य से, आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को इसमें स्थान नहीं मिला है। इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन छोड़ दिया गया, जो पहले ही बहुत समस्याओं से घिरा हुआ है और हमारे विशाल देश में आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए इसके पास समय और संसाधन दोनों ही की कमी है। प्रधान मंत्री और सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा कृषि और आणुविक ऊर्जा को विशेष प्रोत्साहन देने के कारण इसमें और विकास हुआ है। वर्तमान स्थिति यह है कि केन्द्र सरकार और साथ ही हमारे देश की राज्य सरकारों ने आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी को पर्याप्त धन आवंटित करने और बड़े पैमाने पर आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए आवश्यक संगठन बनाने और पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। यदि ऐसा किया जाए, तो हमें विभिन्न रोगों का सामना करने के लिए हमारे देश के लोगों के अनुकूल नई औषधियां बनाने के लिए पश्चिम देशों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। अतः मेरे भारत की माननीय प्रधान मन्त्री तथा माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध है कि वे इस महत्वपूर्ण मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और कोई स्पष्ट नीति निर्धारित करें ताकि हमारे देश में

आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अन्य विभागों जैसे कृषि, आणुविक ऊर्जा इन्जीनियरी, अन्तरिक्ष आदि की भांति प्रोत्साहन मिल सके ।

मेरा यह भी अनुरोध है कि आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस विकास की ओर स्वयं माननीय प्रधान मन्त्री ध्यान दें ताकि आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजादी के बाद से जो कमियां रह गई हैं वे उन्हें पूरा किया जा सके ।

———

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी (नरसारावपेट) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि जब कभी मुझे बोलने का अवसर मिला आप पीठासीन होते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : और जब कभी मैं अन्य सदन में बोला, आप तब गृह मन्त्री थे ।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : यह बहुत अच्छी व्यवस्था है ।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : यह हम सब की साजिश है ।

श्री के ब्रह्मानन्द रेड्डी : महोदय, यद्यपि मैं जानता हूं कि आप बहुत उदार हैं, मैं समय के सम्बन्ध में व्यवधानों के बावजूद आपसे ज्यादा उदारता की इच्छा नहीं रखता ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 18 फरवरी, 1983 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यन्त आभारी है ।"

महोदय, संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण हमें राष्ट्र के समक्ष विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों पर शान्ति से विचार करने का अवसर मिलता है ।

महोदय, वर्तमान स्थिति के राजनैतिक पहलुओं पर बोलने से पहले मैं माननीय सदस्यों का ध्यान, मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और हमारे संसाधनों पर दबाव होने के बावजूद पिछले कुछ समय में अर्थ-व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जैसे, विद्युत उत्पादन, सिंचाई, कोयला, सीमेंट, तेल आदि में हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियों की ओर दिलाना चाहता हूं ।

महोदय, राष्ट्रपति जी ने उस ओर हमारा ध्यान दिलाया है । यहां मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में यह चिंता का विषय है कि अधिक समय और अधिक लागत के कारण लागत और समय दोनों में वृद्धि हुई है । आपने देखा होगा कि पूरे देश में कई सिंचाई परियोजनाएं और विद्युत परि-

योजनाएं समय में 6 से 7 वर्ष अधिक समय से 4 या 5 गुना अधिक लागत आयी है। और कुछ मामलों में इस पर समय और लागत और अधिक वृद्धि हुई है। अतः योजना आयोग और संबंधित मन्त्रियों को चाहिए कि राज्य सरकारों को सुझाव दें कि वे यह सुनिश्चित परियोजनाओं के अनुमान और निर्धारित समय का सख्ती से अमल किया जाये ताकि परियोजनाएं नियत समय में पूरी की जा सकें। सरकार इसके लिए भी बधाई की पात्र है कि कई देशों द्वारा मुद्रास्फीति पर दबाव डाले जाने और देश के बड़े भागों में सूखे की परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी मुद्रास्फीति में केवल 2.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह निश्चित रूप से ऐसी उपलब्धि है जिस पर हम सब को खुश होना चाहिये। लेकिन मैं यहां इसमें थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूँ। यद्यपि खुदरा मूल्यों में बहुत कम वृद्धि हुई है, लेकिन यह केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए निरंतर चिंता का विषय होना चाहिए कि खुदरा मूल्यों में भी थोक के अनुपात में कमी हो, क्योंकि इसका आम निर्धन जनता के 80-90 प्रतिशत लोग प्रभावित होते है। आखिर उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना सबसे अधिक आवश्यक है। अतः यदि हमारे निर्धन और मध्यम वर्ग के लोग आस-पास के कई देशों में स्फीति-विषयक दबावों को ध्यान में रखते हुए पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं, तो हमारा कर्त्तव्य होगा कि हम सुनिश्चित करें कि खुदरा मूल्य, जिनसे उपभोक्ताओं का सम्बन्ध है, कम से कम बने रहें ताकि उन्हें ठीक समय तथा उचित मूल्य पर वस्तुएं मिल सकें।

हमें यह जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि देश में 50,000 और उचित दर की दुकानें खोल कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया है। यह अच्छी बात है लेकिन साथ ही यह केन्द्र सरकार के लिए इनका निरंतर देख रेख करना नियंत्रण और भी चिंता का विषय है ताकि उचित दर की दुकानें ठीक ढंग से चलें और उपभोक्ताओं को वस्तुएं उचित मूल्यों में मिल सकें।

राष्ट्रपति जी ने अनुत्पादक व्यय में कमी करने के साथ-साथ यह भी कहा है कि हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है और उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों को बढ़ाना है। निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए लेकिन मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, जैसा कि मैंने करीब 3 वर्ष पूर्व आम बजट पर वाद-विवाद आरम्भ करते समय कहा था, कि केन्द्र का विशेषकर: राज्यों का अनुत्पादक गैर-योजना व्यय इतना तेजी से बढ़ रहा है कि कुछ ही वर्षों में सम्भवत हम सब, केन्द्र सहित, इसे महसूस करेंगे और तब सार्थक योजना के लिए हमारे पास पैसा नहीं होगा। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि हमारा अनुत्पादक व्यय करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारी यह दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि हम इसे आवश्यक सीमा तक रोकें ताकि पूरे देश में हमारी योजनाएं ठीक ढंग से चल सकें।

मुझे यह सुनकर भी बहुत खुशी हुई कि परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपनाने वालों की संख्या में भी 16% वृद्धि हुई है। निजी रूप से मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि मेरे विचार से, और कई अन्य लोगों के विचार से भी यदि हमारे देश के लोग कम से कम अगले दो दशकों में सार्थक जीवन बिताना चाहते हैं तो हमारी योजना में जनसंख्या वृद्धि को रोकने से महत्वपूर्ण कोई अन्य

कार्यक्रम नहीं होगा। मुझे यह पढ़कर भी खुशी हुई है कि सार्वजनिक क्षेत्र की आय में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मेरे विचार में सार्वजनिक क्षेत्र, जिसके प्रति हम सभी वचनबद्ध हैं, कुछ वर्ष पूर्व घाटे में चल रहा था। यह हम सबके लिए बड़ी चिन्ता का विषय था। अब जब कि उनकी हालत में सुधार आ रहा है, मैं समझता हूं कि सरकार को इस स्थिति को बनाये रखने के लिए बेहतर प्रबन्ध कुशलता, मजदूरों की भागीदारी और अधिकारों के प्रत्यायोजन आदि द्वारा अपने प्रयत्न जारी रखने चाहिएं।

भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बात, जिसे सारे संसार में सराहा गया है, एशियाई खेलों का सफलतापूर्ण आयोजन है। जिन्होंने इसमें काम किया, वे हमारी हार्दिक बधाई के पात्र हैं। निस्सन्देह इस सबके पीछे प्रेरणा स्रोत प्रधानमन्त्री ही हैं, लेकिन इसके साथ ही मैं अपने अच्छे मित्र श्री बूटा सिंह और उनके साथियों को भी नहीं भूलना चाहूंगा जिन्होंने लगन से कार्य किया और उस छोटी सी छोटी बात को भी ध्यान में रखा है तथा इस ओर भी ध्यान दिया है कि विश्व में भारत का नाम ऊंचा रहे। हम सबको इस पर गर्व होना चाहिए। यदि भारत में हम इतने बड़े कार्य को इतने कम समय में इतनी अच्छी तरह से कर सकते हैं तो हम अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हम यह तभी कर सकते हैं जबकि इस पर राष्ट्रीय संकल्प हो और हम सभी अपनी सारी ताकत इस ध्येय की प्राप्ति के लिए लगा दें। इसलिए, मैं समझता हूं कि यह शानदार कार्य हम सबके लिए आंख खोलने वाला है और इससे हम में यह विश्वास पैदा हुआ है कि अगर हम सब मिल जुलकर राष्ट्रीय मामलों पर लगन से कार्य करें तो मैं समझता हूं कि भारत एक अच्छी स्थिति में आ सकता है।

एक आधुनिक, न्यायसंगत और नीति संगत समाज का निर्माण करने के लिए सूचना मन्त्रालय को लोगों को नैतिक और बौद्धिक दृष्टि से शिक्षित करने और तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हमें बढ़ते हुए इलेक्ट्रोनिक माध्यमों का उपयोग अपनी महान परम्पराओं और आशाओं के अनुकूल करना है। मैं मानता हूं कि विश्व दूरदर्शन के कार्यक्रमों का युवा पीढ़ी पर काफी असर पड़ता है। लेकिन आपको यह भी देखना है कि हमारे दूरदर्शन कार्यक्रमों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्यक्रमों में, भारत की आत्मा को भुला न दिया जाए और इसके साथ ही इस बात का दृढ़ता से प्रदर्शन किया जाये कि भारतीय सांस्कृतिक विचारधारा और अन्तर्राष्ट्रीय नीतियां जो कि हम अपना रहे हैं, विश्व को संकट से बचा सकें।

अब मैं राष्ट्रपति द्वारा विघटनकारी और विध्वंसक शक्तियों के कार्यों पर चिन्ता व्यक्त करने, के बारे में कहना चाहता हूं। असम को ही लें। पिछले दो दिनों से इस पर काफी चर्चा हुई है। हम सभी वहां पर हुई मौतों, विशेषकर औरतों और बच्चों के अमानवीय नरसंहार पर काफी दुःख है। मुझे विश्वास है कि सरकार ने वहां राहत और पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत काफी मात्रा में चिकित्सा सामग्री भेजने में प्राथमिकता दी है और पहली जिम्मेदारी निभायी है। हमें इस बात की भी खुशी है कि प्रधानमन्त्री सबसे पहले प्रभावित क्षेत्र में गई हैं और वहां के

लोगों में आत्म विश्वास जगाया और राहत कार्यों के लिए सामान आदि भेजा है ताकि संचार व्यवस्था में आई कई रुकावटों के बावजूद पुनर्वास कार्य तेजी से आगे बढ़ते रहें।

आज, हम सभी ने प्रधानमन्त्री का भाषण बड़े ध्यान से सुना है। असम समस्या समेत देश को प्रभावित करने वाली सभी समस्याओं, जो कि हमारी प्रगति, विकास, एकता और अखंडता में बाधक हैं, के लिए प्रधानमन्त्री का और कोई समझौतापूर्ण भाषण नहीं हो सकता।

इसलिए, मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि गैर-साम्यवादी दलों के नेताओं के भाषण, खासकर श्री दण्डवते और श्री वाजपेयी ने भाषणों के लहजे और विषय से मुझे भारी दुःख हुआ है। उनको ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए था। ये भाषण तो यहां सदन में भी काफी उत्तेजित कर देने वाले हैं। मैं नहीं समझता कि असम के लोगों और वहां के स्थानीय क्षेत्रों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा ?

किसी भी प्रकार का गुस्सा दिखाने या लम्बे चौड़े भाषण देने से तथ्य नहीं बदल सकते। क्या मैं जनता पार्टी को बताऊं कि यह असम समस्या जनता सरकार की देन है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : नहीं, नहीं।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यह 1979 में शुरू हुई।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : 1951 में।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन)

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यह एक भिन्न मामला है। 1947 पर मत जायें। क्या मैं इसी सांस में कहूं कि राष्ट्रपति के शासन की अवधि एक वर्ष तक सीमित करना भी जनता सरकार की देन है ? मैं गुणावगुण पर नहीं जाना चाहता कि क्या एक वर्ष की अवधि करने से लाभ है या हानि। मैं सिर्फ तथ्य ही पेश कर रहा हूं। आप समझते हैं कि आप संविधान निर्माताओं से भी ज्यादा समझदार हैं। लेकिन वे आप से ज्यादा जानते थे। उनको इन हालातों, धर्मावलम्बी समूहों, कई भाषाओं, क्षेत्रों और स्थानों की जानकारी थी। उन्हें लोगों की भावना और उनकी स्थिति की भी जानकारी थी इसलिए ऐसा नहीं था कि वे राष्ट्रपति शासन के प्रति मोहित थे। भारत के लोगों के बारे में उनकी गहरी जानकारी की वजह से उन्होंने इस प्रकार के राज्य को पसन्द किया। आपने इसको बिगाड़ दिया।

मैं कहना चाहता हूं कि इस सन्दर्भ में यह संगत नहीं। क्या आपने भारत में संघीय ढांचे, चाहे यह कमजोर ही था, को समाप्त नहीं किया ? चूंकि आपने 1977 के लोक सभा के चुनाव जीत लिए, इसलिए निर्वाचित विधान सभायें, निर्वाचित सदस्य खत्म हो जायें ? क्या यही संघवाद है ? आपने प्रवृत्ति बनायी है। आपने हवा चलाई है, इस बवण्डर को देखो।

अब मैं कुछेक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप नहीं जानते कि पिछले लगभग 2-1/2 से

3 वर्षों में सरकार द्वारा असम समस्या का सर्वसम्मत हल निकालने के प्रयास किये जाते रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि एक वर्ष से अधिक समय तक तेल रोके रखा गया, लेकिन सरकार ने इसलिए उंगली नहीं उठाई कि स्थानीय लोगों की भावनाएं भड़क न उठें। क्या आप नहीं जानते हैं कि प्रतिष्ठा का विषय बनाए रहने के बजाय क्या प्रधानमन्त्री कोई भी सम्भव हल निकालने के लिए वहां के नेताओं से बातचीत करने के लिए गोहाटी नहीं गई? क्या प्रधानमन्त्री ने नहीं कहा था, आइये कोई भी आधार वर्ष न रखें, आइये किसी भी आधार वर्ष पर इस समय सहमत न हों? आइये 1971 को आधार वर्ष मानकर, समस्या को समझकर, कोई सर्वसम्मत हल निकालने की कोशिश करें? आपने क्या किया? क्या उन्होंने आपको संविधान में संशोधन की पेशकश नहीं की थी? आपने हिचकिचाहट दिखाई। आप सबने नहीं। मुझे माफ करें जब मैं कहता हूं 'आप' तब मेरा मतलब, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी और लोकदल से होता है।

एक माननीय सदस्य : श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी बैठे हैं।

श्री के ब्रह्मानन्द रेड्डी : आपने आनाकानी की। न केवल आनाकानी की, बल्कि हिचकिचाहट भी दिखाई क्योंकि मूलतः, मैं तुम्हें बताऊं···(व्यवधान)

श्री जी० लक्ष्मनन् (मद्रास उत्तर) : क्या आपने श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी से पूछ लिया है कि वह अब भी जनता पार्टी में ही हैं।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : उनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : क्या आप पर नियन्त्रण रखा जा सकता है?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं आपको दोष देने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं तो सिर्फ आंकड़े दे रहा हूं। आप अलग-अलग हैं, यहां तक कि राष्ट्रीय मामलों पर भी अलग हैं; आप अपनी सुविधानुसार बोलते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भारत की इस महात्मा गांधी और पं० जवाहरलाल नेहरू के भारत और भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन जैसी महान विरासत के उत्तराधिकारी हैं। क्या राष्ट्रीय दलों का ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए? मुझे यह कहते हुए दुःख होता है। आप में फूट हो सकती है। आप फिर भी बंट सकते हैं। जब तक मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा तब तक आप फिर अलग-अलग हो सकते हैं। इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरी दिलचस्पी इसमें है कि संकीर्ण और राष्ट्रीय मामलों पर और छोटे मामलों में भेद रखिये। आप केवल इन्दिरा-विरोधी भय से ग्रस्त हैं। यही सब कुछ है। क्या मैं आपको एक बात बताऊं? राष्ट्रीय मामलों का हल जल्द ही आसानी से नहीं निकल जाता। इसके लिए जरूरी है धैर्य, ईमानदारी और हम सब की ओर से ईमानदारीपूर्ण समझने की कोशिश। इससे हम सब पर असर पड़ता है। अगर यह मात्र आसान कार्य हो, तो भी क्या मैं इसको आप से बताऊंगा?

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, आप उन्हें आसान हल बता रहे हैं।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : क्या मैं आपको बताऊं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी, अगर सत्ता में हों या नहीं, वह आप सब को इकट्ठे हरा सकती हैं। कृपया ऐसी कोशिश न करें।

अध्यक्ष महोदय : आप उनको बिना कोई फीस लिए, सलाह दे रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहे हैं। उन्होंने उन्हें एक तरफ कर दिया है।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : दुर्भाग्यवश, मैं, इन्हें यहां जनता पार्टी का एकमात्र प्रतिनिधि पा रहा हूँ। अगर श्री दण्डवते या श्री वाजपेयी यहां उपस्थित होते तो मैं और अधिक कठोर शब्दों का प्रयोग करता। लेकिन मैं कठोर भाषा प्रयोग नहीं करना चाहता।

अध्क्षय महोदय : आप उनको सलाह दे रहे ९। वह केवल नाम के ही स्वामी हैं।

एक माननीय सदस्य : अब वह किसी और के स्वामी हैं।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : अब आप क्या सच्चे मन से अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी या उनकी सरकार ने असम समस्या के बारे में कोई गलती की है ? आपके दल के सदस्य श्री रवीन्द्र वर्मा को सरकार की तरफ से श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इस समस्या को सुलझाने के लिए पूरी छूट दे दी थी। क्या वह इसे सुलझा सके। क्या उन्होंने कोशिश नहीं की थी ? क्या उन्होंने भी निराश होकर यह नहीं कह दिया था कि वे (असम नेता) किसी की बात नहीं सुनते, इसलिए वह इससे अलग हो रहे हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्री इन्द्रजीत गुप्त के शब्दों को मैं नहीं जानता। श्री वर्मा यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : श्री वर्मा इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने उनसे क्या कहा, हालांकि आप उनको कुछ और करने के लिए संकेत दे रहे हैं।

अतः मैं अब भी इस सदन से निवेदन करता हूं कि प्रधान मंत्री और सरकार के बहुत ही सहायक और समझौतापूर्ण रुख को ध्यान में रखते हुए, कृपया अब भी मेरी सलाह मान लीजिए। कृपया कुछ योगदान कीजिए—मैं जानता हूं कि तुम्हारा योगदान कम है, लेकिन आपका दल राष्ट्रीय दल है। आप उसका यहां प्रनिनिधित्व करते हैं। अतः हमें समाधान खोजना चाहिए। यह केवल कांग्रेस (आई) की समस्या नहीं है। यह हमारी सबकी समस्या है। असम भी आंध्र प्रदेश या बंबई के समान जहां से आप आते हैं, हमारे देश का एक अंग है। वास्तव में, यह क्षेत्र ज्यादा अच्छा है। मैंने पूरा क्षेत्र देखा है। मैं जानता हूँ यह कितना सुन्दर है। वे लोग हमारे देश के अंग हैं। हमें जान-बूझकर या अनजाने में यह कहकर किसी व्यक्ति के प्रति या समाज के किसी अंग में इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए कि आप पृथकतावादी हैं। आपको इसे प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। यदि कहीं ऐसी प्रवृत्ति है तो भी हमें इसे समाप्त करने और उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए अतः समूचे सदन से मेरा केवल यही अनुरोध है कि

राष्ट्रीय मामलों पर राष्ट्रीय स्तर पर देश की अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा समाज की महान परम्पराओं को ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिए।

आपमें से कुछ लोगों से मेरा निवेदन है कि वाद-विवाद के छोटे-छोटे मुद्दों पर आगे बढ़ने के लालच में मत पढ़िये। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो कृपया स्वय ही कीजिए। लेकिन उससे आपका वर्जा नहीं बढ़ेगा। उससे राष्ट्र को कोई योगदान नहीं मिलेगा। अन्ततः राष्ट्र के समाने कठिनाई है। हमारे यहां 70 करोड़ लोग निर्धन हैं हमें तेजी से कुछ ऐसा काम करना होगा ताकि हम निकट भविष्य में लोगों को एक सार्थक जीवन प्रदान कर सकें।

अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं। केन्द्र ने कहा है कि हम इस समस्या न पर केवल जन युग मित्रों के साथ बल्कि समाज के अन्य वर्गों जैसे आदिवासियों और अन्य लोगों के साथ जो वहां काफी अर्से से रह रहे हैं, बात करने के लिए तैयार हैं। हमें उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें उन्हें यह महसूस नहीं करने देना चाहिए कि उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। जी हां, उन सबके साथ परामर्श किया जाना चाहिए। और प्रतिनिधिक संस्थान, अर्थात विधान सभा, जो अभी बनी हैं निश्चय ही इन विषयों पर अपने विचार व्यक्त करेगी और निर्णय देगी। मुझे विश्वास है कि वह विदेशियों के प्रश्न पर अवश्य ही कुछ प्रकाश डालने में समर्थ होंगे। मुझे विश्वास है कि यदि सब लोग इसमें ईमानदारी के साथ सहयोग दें, और इधर उधर की बातें न करें, ऐसा आप न करें यदि आप ऐसा करते हैं तो यह केवल आपके अपने जोखिम पर होगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न निकाला जा सके। प्रधान मन्त्री राष्ट्र की अखंडता के लिए, इसका सद्भावपूर्ण समाधान खोजने में लगी हुई हैं ताकि सभी लोग सौहार्द के साथ रह सकें।

मैं पंजाब के प्रश्न पर विस्तार में जाना नहीं चाहता। मैं इस नाजुक समय पर उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। यह बताया गया है कि जहां तक प्रादेशिक समस्या का सम्बन्ध है, इसका समाधान होने वाला है। मैं नहीं जानता कि वह कितना समाधान कर चुके हैं। लेकिन कुछ भी हो, यदि इच्छा हो तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, जिसका समाधान न किया जा सके। यदि उसका समाधान सद्भावपूर्ण ढंग से मिल जाये तो क्या फर्क पड़ता है कि कोई गांव यहां है अथवा वहाँ। मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने मद्रास और आंध्रप्रदेश के लिए क्या किया। इस पर कुछ झगड़ा हुआ था कि कुछ क्षेत्र मद्रास में जाना चाहिए और कुछ आंध्र प्रदेश में। हमने कहा, ठीक है, हमने उस पर चर्चा की और उस पर सहमत हो गए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई गांव पंजाब में हो या हरियाणा में। यह साधारण सी बात है। अतः न तो अकाली दल को और न ही किसी अन्य दल को इस समस्या पर अड़े रहना चाहिए। उन्हें इस पर राष्ट्रीय पृष्ठ भूमि में विचार करना चाहिए। आखिर कार हरियाणा पंजाब के बिना और पंजाब हरियाणा के बिना उन्नति नहीं कर सकता। राज्य का कोई भी भाग, बाकी देश, जो कल्याण और विकास कार्यों में लगा हुआ है, के बिना उन्नति नहीं कर सकता। यह एक आधारभूत तथ्य है जिसे हम सब जानते है। उस मुद्दे पर बल देने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक पानी के मामले का सम्बन्ध है, राजस्थान रेगिस्तानी क्षेत्र है। यदि वहां 10 वर्षों में। वर्ष भी अच्छी वर्षा हो जाती है, तो यह अच्छी बात है। हम हर साल सुनते हैं कि राजस्थान में गंभीर सूखा पड़ा है, वहां पीने का पानी नहीं है और इस तथ्य के बावजूद लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है कि वे सीमावर्ती क्षेत्र है और उसने भी देश के सीमांतवासियों की रक्षा के लिए उतना ही योगदान दिया जितना कि देश के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों ने। अतः हमें उनके प्रति थोड़ा उदार होना चाहिए। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि थोड़ा पानी इस क्षेत्र में जाये या दूसरे क्षेत्र में। निस्सन्देह यदि कोई ऐसा महसूस करता है, यहां तक कि यदि पंजाब या हरियाणा यह सोचते हैं कि इसमें कुछ अन्याय किया गया गया है तो अधिक पानी देने के और भी रास्ते हैं। आप नहरें बना सकते हैं। आप अन्य छोटी-छोटी सिंचाई योजनाएं बना सकते हैं। आप भूमिजल को ऊपर ला सकते हैं। आप अन्य कई कार्य कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि आप किसी बात पर अड़े न रहें। आप यह नहीं सोचें कि आपका मन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह धारणा बनाने की कोशिश न कीजिए। कि आप भारत सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। कोई भी सरकार दबाव के आगे नहीं झुक सकती। वह किसी सरकार का अन्तिम शब्द होगा। आपको हर कारण के लिए जिम्मेवार होना चाहिए। आपको लोगों की भावनाओं के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि मामला क्या है लेकिन यह सब राष्ट्रत्व की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अकाली दल या सिख उस मामले में हमारे समाज के बड़े अंग हैं। जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन दिया है जो कर्मठ और उद्यमी हैं और जो पूरे संसार में घूमे हैं और बड़े पैमाने पर इस देश के विकास में योगदान किया है। क्या भारत में कोई व्यक्ति यह समझता है कि वे हमारे समाज के अंग नहीं हैं ? नहीं। मुझे विश्वास है, उनमें सद्बुद्धि आएगी, ताकि वे चर्चा जारी रख सकें और समाधान खोज सकें। मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रीय दलों को सम्बद्ध किया है। लेकिन मैं प्रधान मंत्री जी को भी यह बता देना चाहता हूँ कि, कृपया यह मत सोचें कि केवल वे लोग ही आपको अच्छा हक देने में सहायता देंगे। यदि वे सहायक हैं तो उनकी सहायता लीजिए। यदि अन्य क्षेत्रों से भी सहायता मिल रही है, तो वह भी लीजिए। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि वे इस ओर विशेष रूप से देखें कि इससे कोई बड़ी समस्या न बन जाए। यदि आवश्यक हो तो आप उन्हें बुलायें उन्हें अपने साथ बैठाकर बात करें और केवल हरियाणा के बारे में ही नहीं बल्कि राजस्थान और अकाली दल की बात भी सुनें। मुझे विश्वास है कि अकाली दल में हमारे सहयोगियों को सद्बुद्धि आएगी। धमकी देना ही पर्याप्त नहीं होगा। पद से त्याग-पत्र देना ही सहायक नहीं होगा। वह कैसे सहायक हो सकता है। यदि त्यागपत्र दिए जाएंगे तो निश्चय ही संविधान का प्रश्न आयेगा और उन खाली सीटों के लिए पुनः लोग निर्वाचित किये जायेंगे। उसका क्या लाभ है ? हम उनकी भावनाओं से विमुख होने के लिए, पंजाब में समाज के किसी वर्ग से, चाहे वह सिख हों या हिंदू, विमुख नही होना चाहते। अतः मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि सरकार तथा अन्य दलों की ओर से हर तरह के प्रयत्न करने चाहिएं कि वे देखें कि इसका कुछ हल निकाला जा सके। मुझे खुशी है कि मेरे सहयोगी, श्री चरणजीत यादव, कुछ सहयोग देने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है।

इस बारे में गंभीर आशंकाएं हैं कि अनेक आंतरिक शक्तियां, मेरे पास तथ्य नहीं है— और हो सकता है कि कुछ बाहरी शक्तियां भी देश में अस्थिरता पैदा कर रही हैं अथवा दो समुदायों के बीच, और अलग अलग क्षेत्रों के बीच मनमुटाव लाने की परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं। कृपया समय रहते इस ओर ध्यान दीजिए। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि हमारा गुप्तचर विभाग बहुत पुराना पड़ गया है वह समय की मांग पूरी नहीं कर सकता, मैं किसी एक व्यक्ति पर, चाहे वह कोई भी हो, आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मेरी दिलचस्पी यह देखने में है कि आपको विभिन्न क्षेत्रों से उचित, आवश्यक और समय पर खबर मिल सके। यह मत सोचिए कि गुप्तचर विभाग केवल आसाम या पंजाब के लिए है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां शांति भंग करने का प्रयास किया गया है और जहां मनमुटाव पैदा किया जा रहा है। ये मात्र छुट-पुट घटनाएं नहीं हैं। उनके पीछे कुछ उद्देश्य प्रतीत होता है चाहे वह आंतरिक हो अथवा बाहरी, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि सरकार बहुत सतर्क रहे।

अब मैं चुनावों के अन्तिम मद पर आता हूं। हाल ही में कई राज्यों में चुनाव कराये गये। कुछ स्थानों पर हम जीते हैं और कुछ स्थानों पर हम हार गए हैं। हमें खेद है। हम सत्तारूढ़ सरकार को हर तरह सहयोग देते हैं। मुझे जनता पार्टी की पराजय पर प्रसन्नता नहीं हुई लेकिन खेद का विषय यह है कि सफाया हो गया। मुझे खेद है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि जहाँ तक कांग्रेस (ई) का सम्बन्ध है, कई रुकावटों के बावजूद, मुझे पूरी आशा है कि बशर्ते उचित दिशा में कदम उठाए जायें तो कांग्रेस (ई) को उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति पुनः प्राप्त होगी। आपको इस बारे में खुशी होनी चाहिए। अन्त में मैं कहूंगा कि सभी दलों को ईमानदारी से और जागरूक होकर हमारी राष्ट्रीय समस्याओं का हल निकालने तथा राष्ट्र की शक्ति और संसविध में योगदान देना चाहिए। धन्यवाद।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त सत्र में दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस दस्तावेज में संक्षेप में राष्ट्र की, लोगों की समस्याओं को सदन तथा देश के सम्मुख रखा गया है। इस अभिभाषण में हमारे राष्ट्रीय जीवन के आर्थिक पहलू का उल्लेख उन उपलब्धियों के साथ किया गया है जो हमने जनता पार्टी शासन के बाद तीन वर्षों की अल्पवधि में प्राप्त की हैं। जब समूचा आधार आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक छिन्न भिन्न हो गया था। उस समय राष्ट्र को एक दल, एक नेता की जरूरत थी जो इसका पुनरुद्धार कर सके, राष्ट्रीय जीवन को उन्नत कर सके और इसको पुनः ठीक दशा में ला सके। अतः 1980 के बाद, भगीरथ प्रयत्नों के बाद हमारी सरकार ने श्रीमती इंदिरा गांधी के ऐतिहासिक और योग्य नेतृत्व में, देश को सभी क्षेत्रों में पुनः प्रतिष्ठा प्रदान की। आप स्वयं इसे देख सकते हैं। जैसाकि भूतपूर्व अध्यक्ष श्री रेड्डी ने इस बात को बलपूर्वक कहा है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में पुनः बल और स्थायित्व मिला है। हमने महत्वपूर्ण उन्नति की है। संसाधनों की कमी तथा प्रतिकूल मौसम के बावजूद हमने विद्युत उत्पादन, सीमेंट और कोयला, और वास्तव में सभी क्षेत्रों में असाधारण उन्नति की है।

यहां मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि अपने चुनाव घोषणा पत्र, अपने दल की विचारधारा के अनुसार हमने सभी वायदों को ध्यान में रखा है और हमारी आर्थिक योजनाएं

तथा कार्यक्रम देश के अधिकतम निर्धन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू किये गए हैं। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि उचित दर की दुकानों की संख्या में वृद्धि की गई है, और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों जैसे हरिजनों, जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई है तथा नया बीस सूत्री कार्यक्रम बनाया गया है जिसकी पहल श्रीमती इंदिरा गांधी ने की है। इन सब योजनाओं को केन्द्र तथा राज्य सरकारें दृढ़ता से कार्यान्वित कर रही हैं। (व्यवधान)

सरकार और राष्ट्र के नाते हमने हाल ही में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उनका मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं। जब कभी हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जब हमें लम्बा सफर तय करना पड़ा तो हमने साहस से और अवसर के अनुकूल काम किया।

एशियाई खेलों के दौरान हम इसका प्रचुर मात्रा में प्रदर्शन कर चुके हैं। एशियाई खेलों के पूर्ण रूप से असफल हो जाने के बारे में बुरी भविष्यवाणी और संदेह किए जाने के बावजूद भी यह सफल हुआ। यह उस सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय उपलब्धि है। जिसको कि सभी दलों, संयुक्त विपक्ष की ओर से, जिनमें से कुछ एशियाई खेल कराने का निर्णय लेने के स्वयं जिम्मेदार थे, सभी प्रकार की निन्दाओं का सामना करना पड़ा। अतः ये सभी उपलब्धियां ऐसी ऐतिहासिक घटनायें हैं जिसके बारे में न केवल सत्तारूढ़ दल को बल्कि समूचे देश को गर्व होना चाहिए।

मेरे वरिष्ठ साथी श्री रेड्डी ने घरेलू समस्या के बारे में बोला है। उस पर आने से पहले मैं इस सम्बोधन में उल्लिखित किए गए कुछ अन्य पहलुओं पर विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से सम्बन्धित पहलुओं पर बोलना चाहूंगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही, वास्तव में स्वतन्त्र होने से पहले भी हमने भारत की उस भूमिका पर जोर दिया है जिससे सहस्रों शताब्दियों से चली आ रही हमारी संस्कृति व सभ्यता के साथ अन्तर्राष्ट्रीय जागरूकता से परिपूर्ण रही है। अतः महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल के नेतृत्व में हमने हमेशा स्थिति को पूर्णरूप से अवलोकन करने का प्रयत्न किया है और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की भूमिका पर जोर दिया है। अतः श्रीमती गांधी के नेतृत्व में, आज संसार के सामने जो स्थिति है उस पर बल देना हमारे लिए उचित है। चाहे आर्थिक मोर्चा हो या सुरक्षा का मोर्चा हो, अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण को खतरा रहा है। हर जगह युद्ध का खतरा नजर आ रहा है। शून्य विकल्प या मिसाईलों का प्रश्न या निरस्त्रीकरण के बारे में महाशक्तियों में अरुचि पार उसके प्रति गाम्भीर्य का अभाव, ये सभी मुद्दे हमारे सामने हैं। हमारे देश के निकट ही, हिन्दमहासागर के बारे में इस दस्तावेज में उस समस्या पर ठीक ही बल दिया गया है जिसका कि तटवर्ती देश होने के नाते हमें सामना करना पड़ता है क्योंकि हिन्द महासागर में, जिसको संयुक्त राष्ट्रसंघ के एक संकल्प में शान्ति क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव किया गया था, शास्त्रीकरण की समस्या बढ़ती जो रही है। इस क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत शान्ति है उसे अमेरिका द्वारा हिन्दमहासागर के कुछ देशों विशेष रूप से डियगो गार्शिया

और फारस की खाड़ी के देशों को शस्त्र सज्जित करने के इरादे द्वारा नष्ट किया जा रहा है। एक षड़यन्त्र की वजह से पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे हमारे देश की सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा हो जाता है। (व्यवधान)

फिर, महोदय, हमारे निकटतम् पड़ोसी पाकिस्तान को आधुनिकतम् शस्त्रों से सज्जित करना हमारे लिए भारी समस्या पैदा कर रहा है। डा० स्वामी मेरी बात में व्यवधान डाल रहे हैं, मुझे उनके बारे में भी कुछ कहना होगा।

महोदय, मैं हिन्दमहासागर की बात कर रहा था। परन्तु जैसे ही मैं पाकिस्तान के बारे में बात करता हूं। डा. स्वामी कुछ परेशान हो जाते हैं। इस पाकिस्तान—चीन—अमेरिका तिकड़ी—कृपया यह कहने के लिए मुझे माफ कर दें—के. डा. स्वामी एक विश्वसनीय मित्र हैं क्योंकि मैंने बार बार यह कहा है कि वे हिन्दमहासागर में समस्या पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे सारे तथ्य पर हमारे लिए हमेशा समस्या पैदा करते रहे हैं। अत: इस पहलू जिस पर राष्ट्रपति ने जोर दिया है, ध्यान में रखा जाना चाहिए और इस अवसर पर मैं आपका ध्यान उस बात की ओर आकर्षित करता हूं जब कि श्रीमती गांधी ने राष्ट्र का ध्यान प्रधान मंत्री होने के नाते यह उनका परम कर्त्तव्य था—भारत की सुरक्षा को सन्निकट खतरे, महाशक्तियों के दुराग्रहपूर्ण रुख की वजह से उपमहाद्वीप की सुरक्षा के खतरे तथा एक महाशक्ति की उपमहाद्वीप के अन्दर तथा चारों ओर भूमिका की ओर आकृष्ट किया तो समूचे विचार का मजाक उड़ाया गया। जब उन्होंने पाकिस्तान को एफ.-16 लड़ाकू विमान भेजे जाने की बात की थी तो उसको हंसी में उड़ा दिया गया।

मेरे पास कम समय है, मैं समूची स्थिति के ढांचे तथा तन्त्र के विस्तार में नहीं जाना चाहता। परन्तु मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आप सभी इस सभा के ज्ञानी सदस्य हैं और पाकिस्तान को आधुनिकतम हथियार दिये जाने, पाकिस्तानी सैनिक शासकों के हाथों में नवीनतम् हथियार, आधुनिकतम हथियार देने के परिणामों से अवगत है। हमें बताया गया है कि उनमें कुछ अणुबम हमारे सिरों पर फेंकने की क्षमता है, उनमें इतनी विकसित क्षमता है। जब श्रीमती गांधी ने इन बातों पर प्रकाश डाला और राष्ट्र को सचेत किया तो श्री वाजपेयी और डा. स्वामी— वे एक दूसरे के विपरीत हैं अधिकतर वे एक दूसरे की बात काटते हैं—परन्तु जब यह प्रश्न आया तो उन्होंने अभियान शुरू कर दिया। देश में एक गलत प्रचार किया गया कि श्रीमती गाँधी देश में एक युद्ध का भय पैदा करने का प्रयत्न कर रही हैं। महोदय, यह प्रश्न मैं इस सभा तथा देशवासियों—उन महान देशवासियों जिन पर हमें गर्व है, पर छोड़ देता हूं कि वे जिस प्रश्न पर श्रीमती गांधी जोर देती आ रही है वह सत्य है या नहीं। भारत पर पाकिस्तान तथा अन्यों के द्वारा बहुत से आक्रमण किए है। यदि हम अपनी उचित सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो कहा जाता है कि हम युद्ध का डर पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है और राष्ट्रपति ने हमारा ध्यान इस पहलू की ओर ठीक ही आकृष्ट किया है।

हमें इस बात पर भी गर्व है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शीघ्र ही भारत सातवें निर्गुट शिखर सम्मेलन का मेजबान बनाने जा रहा है। आप सभी को निर्गुटवाद का परम्पराओं की जानकारी है। हम इस महान आन्दोलन के प्रतिपादकों, पहलकर्ताओं में से हैं जो कि दो एक देशों के साथ ही शुरू किया गया था। परन्तु अब संसार में इसकी अभिवृद्धि हुई है और इसके सदस्यों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है और वह बहुत अधिक हो गयी है तथा मित्र देशों में भी निर्गुट आन्दोलन का सदस्य बनने के लिए होड़ लगी है। हमें गर्व है, और विशेषरूप से इस बात पर गर्व है कि यह सम्मेलन बगदाद में होना था परन्तु वहां की अस्थिर दशाओं की वजह से निर्गुट देशों ने स्वयं एकमत होकर यह निश्चय किया कि केवल भारत ही इस सम्मेलन का मेजबान बन सकता है और उन्हें श्रीमती गांधी के नेतृत्व में जो कि अब निर्गुट अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की मान्यता प्राप्त नेता बन गयी हैं, में विश्वास और आस्था थी।

फिर राष्ट्रमण्डल सरकारों के प्रधानों की भी बैठक भारत में ही हो रही है। ये हमारी विदेश नीति की ऐतिहासिक घटनायें हैं।

इसके पश्चात् माननीय राष्ट्रपति द्वारा घरेलू मामलों में दिया गया संदर्भ भी मेरे ख्याल से एकदम सटीक है। इस मुद्दे पर मुझे बहुत सी बात कहनी हैं क्योंकि दिन प्रति दिन हमारी खुलेआम निन्दा की जा रही है, हमें गाली दी जा रही है, श्री रेड्डी ने, जो काफी वरिष्ठ हैं, सभा के एक वरिष्ठ सदस्य हैं जानबूझकर और किसी उद्देश्य से कुछ गलत वक्तव्य दिये हैं। मैं सही बात कहने की हिम्मत करूंगा। यही संमय है जब हमें जो कुछ भारत में हो रहा है उसको महसूस करना है तथा पक्षपात की भावनाओं से ऊपर उठना है और मैं समूची सभा को उन मामलों पर विचार करने के लिए आमन्त्रित करता हूं जो कि देश भर में विचारशील लोगों के लिए काफी चिन्ताजनक है और वे इस फैलते हुए अन्धकार व उदासी को टटोलने का प्रयत्न कर रहे हैं।

हमें यह कह कर बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है कि हम लोकतन्त्र के विरोधी हैं, एक ऐसी पार्टी जिसका इतिहास शताब्दियों पुराना है। जिसका ऐसा नेतृत्व है जिसने उत्प्रेरक संसार भर में स्वतन्त्रता आन्दोलन की प्रेरणा दी है। यदि तृतीय विश्व निर्गुटवाद की स्वतन्त्र विदेश नीति की शेखी बघारता है तो इसका श्रेय गांधी तथा नेहरू परिवार के नेतृत्व को जाता है। वाजपेयी या दण्डवते के नेतृत्व को नहीं। अतः जब हम इस प्रकार के राजनैतिक दृश्यों से घिरे हों तो हमें आधारभूत मसलों की बात करनी पड़ती है, पूरे राजनैतिक तन्त्र और भारत के सम्पूर्ण राजनैतिक जीवन की बात करनी पड़ती है। भारत के समूचे राजनैतिक तन्त्र का परीक्षण है इस पर बहुत अधिक तनाव है।

कल मैं बात कर रहा था और अपने भाषण में मैंने कुछ स्थानीय तनावों की बात की है बिना निश्चित संरचना के और डा० स्वामी इसको समझ जायेंगे निश्चित संरचना या मूल्यों का माप···(व्यवधान)

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी भी इसको समझते हैं केवल डा० स्वामी ही नहीं। मैं दूसरे रेड्डी का संदर्भ दे रहा हूं श्री रामगोपाल रेड्डी का संदर्भ दे रहा हूं।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : रेड्डी को 'रद्दी' मत बनाइये ।

प्रो० के० के० तिवारी : जब हमारे समाज जैसी इन निश्चित संरचनाओं और निश्चित श्रेणियों को समाज में, जिनका इतिहास सहस्रों शताब्दियों पुराना है। सामाजिक-आर्थिक आधुनिकरण की चुनौती का सामना करना पड़ता है तब निश्चित रूप से इसकी भिड़न्त कुछ अनचाहे आन्दोलनों व कुछ अनचाहे दृश्यों से होता है जैसा कि आज हो रहा है। ये प्रारम्भिक कठिनाइयां हैं। यह बदलती हुई सामाजिक स्थिति के साथ विकासशील अर्थ व्यवस्था की प्रारम्भिक समस्याये हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है ? स्थानीय आन्दोलन और नया प्रतीकवाद खोज लिया जाता है और राष्ट्रीय संसाधनों में बड़ा हिस्सा लेने के लिए एक संकीर्ण प्रकाश डालने की कोशिश की जाती है। हम इन परिवर्तनों के इन तरीकों और प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं परन्तु जब कुछ मुट्ठी भर लोगों द्वारा जो देश के हित के प्रति निष्ठावान नही हैं, राजनैतिक तन्त्र को विध्वंश करने और नष्ट करने का प्रयास किया जाता रहेगा तब हमें सजग होना पड़ेगा और सावधान होना पड़ेगा और वास्तविक चुनौतियों का पता लगाने के लिए पूरी प्रक्रिया की जांच करनी पड़ेगी और उचित उपाय करने पड़ेंगे।

मेरे माननीय साथी श्री रेड्डी ने देश में विपक्ष की भूमिका का संदर्भ दिया। जिस पर मैं जोर देने का प्रयत्न कर रहा हूं वह सतत अभियान और सतत-प्रयास है जो भारत के साहस को कमजोर बनाने और देश की जनता के साहस को कमजोर बनाने, लोगों में असंतोष फैलाने और लोगों को राजनैतिक प्रक्रिया तथा स्वयं राजनैतिक तन्त्र से दूर रखने के लिए किया जा रहा है। यह हमारे राष्ट्रीय जीवन पर सबसे बड़ा धब्बा है। मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा था कि जब ये परिवर्तन होते हैं तब ये सरल विचारधारायें तथा सरल राजनैतिक विचारधारायें इन परिवर्तनों को नियन्त्रण में कर लेती हैं। ये इन परिवर्तन सदन करती हैं तथा इन परिवर्तनों को सृजनात्मकता में प्रवाहित करती हैं। परन्तु जब ये नष्टों हो जाते हैं तो क्या होता है ? मेरे मित्र डा. स्वामी व्यवधान डाल रहे थे और समय समय पर कुछ मुद्दों पर जोर देने का प्रयत्न कर रहे थे। मैं उनकी पार्टी जनता पार्टी की भूमिका उनको ध्यान में लाना चाहूंगा। यह गुस्से के बजाय दया का विषय है। मुझे जनता पार्टी पर दया आत है। मैं दीन-हीन महसूस नहीं करता। उनकी सत्ता अब नहीं रही।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आप अपनी ही भाषा में खो रहे हैं।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : चिन्ता न कीजिए। यह तो पेशेवर ईर्ष्या है।

प्रो० के० के० तिवारी : श्री रेड्डी ने अस्थिरीकरण की भूमिका भारत सरकार बनाम अस्थिरीकरण का संदर्भ दिया है। भारत में अस्थिरीकरण विपक्ष का पर्यायवाची बन गया है। मैं इस अस्थिरीकरण के बारे में निश्चित रूप से कहना चाहता हूं। मैं विपक्ष में बैठे लोगों को पूरी राजनीति का प्रतिबिम्ब मानता हूं। इसमें वे सभी प्रतिक्रियावादी तथा प्रगतिवादी सम्मिलित हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप श्री जगन्नाथ को अस्थिर करने का प्रयत्न कर रहे हैं आपकी पार्टी के लोग आपके अपने लोगों को अस्थिर करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं खुश हूं···(व्यवधान) सभापति महोदय अस्थिरीकरण का यह खेल तृतीय विश्व के बहुत से देशों में खेला जा रहा है। यहां भारतवर्ष में भी, चूंकि हमने उन शक्तियों के दबावों, धमकियों और झांसों के समक्ष झुकने से इन्कार किया है जो हमें तीसरी दुनिया में से अपने प्रभाव में रखना चाहते हैं और चूंकि हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वाधीनता, आत्म-निर्भरता की अर्थ-व्यवस्था तथा गुट-निरपेक्षता नीति का निरन्तर अनुपालन कर रहे हैं तो, हम पर दबाव डाला जा रहा है। कभी-कभी हमें गुमराह करने का प्रयास किया जाता है और यहां पर जो उनके सहयोगी हैं, जो उनकी विचारधारा तथा कूटनीति के समर्थक हैं, वे न केवल 1977 से ही अस्थिरता का घृणित खेल खेल रहे हैं अपितु, जिस दिन से भारत स्वतन्त्र हुआ उसी दिन से और जब से श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमन्त्री बनी हैं तब से और यह खेल और भी तेज हो गया है।

आपको 1967 का दृश्य याद होगा। जनसंघ का तथाकथित सुधरा हुआ रूप जिसे भारतीय जनता पार्टी नाम दिया गया है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी—कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का तब जन्म ही हुआ था और यह शैशव अवस्था में ही थी, इसका अभी हाल ही में जन्म हुआ है···

एक माननीय सदस्य : उस समय आप जनसंघ में थे।

प्रो० के० के० तिवारी : इसका कहीं भी कोई आधार नहीं था। 1967 में जनसंघ ने, जो स्वयं को पूंजीवाद का प्रचारक तथा प्रतिक्रियावादी ताकतों और भारत में कालाबाजारी करने वाले साम्प्रदायिकतावादियों, रुढ़िवादियों, दकियानूसियों के समर्थक कहते थे, सी. पी. आई. से गठबन्धन किया था और भारत की जनता की आंखों में धूल झोंक कर उसे डरा-धमका कर···(व्यवधान)अपना इतिहास मत भूलिए 1967 में प्रथम प्रयास यह किया गया कि तथाकथित वामपन्थियों और दक्षिणपन्थियों ने मिलकर भारतीय जनता की आंखों में धूल झौंककर वे सत्ता में आ गये। उन्होंने 8 राज्यों में सत्ता हथिया ली। परन्तु आन्तरिक विरोधाभासों और बिल्कुल अवैध राजनीतिक गठबन्धनों के कारण—वे अपने आदर्शों को भूल गये जो कि एक राजनीतिक असंगति थी—वे ताशों के घर की तरह ढह गये और समाप्त हो गये। श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में, राष्ट्रवादी, देशभक्त और प्रगतिशील ताकतें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में फिर से सत्ता में आ गईं। प्रतिक्रियावादी ताकतें मिलकर एक हो गई थीं और एक बार फिर उनके आघात का सामना करना पड़ा 1971 में अगवानी करने वाले और टांगे फैलाकर बैठने वाले एक बार फिर एक हो गये। उनमें से बहुत से, बचे खुचे अपनी तरह के अकेले जो संग्रहालय में रखने योग्य है, हो सकता है एक हो गये और उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी को चुनौती दी। इस बार

श्रीमती गांधी ने उनको पूर्णतया धराशायी कर दिया और वे भटकते रहे और सुप्त अवस्था को प्राप्त हो गये चार वर्ष तक वे जड़ी-बूटियों और घास पर जीवित रहे। एक बार फिर, उचित समय देखकर उन्होंने एक बार फिर प्रहार किया।

1975 में, वे सम्पूर्ण क्रान्ति के नाम पर और प्रहार किया। जनता पार्टी का जन्म हुआ। मैं जनता पार्टी को राजनीतिक संगठन के रूप में नहीं, अपितु एक-एक राजनीतिक प्रवृत्ति के रूप में देखता हूं। यह प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति हमारी राजनीतिक प्रणाली में रहा है और इसका सामना करना होगा तथा इसे हराना होगा। एक आसन्न और सम्पूर्ण क्रान्ति का जन्म हुआ : इस सदन में भी, ये छुट-पुट तोड़-फोड़ करने वाले, जो कि रेलगाड़ियों को उड़ाने के जिम्मेदार हैं, वे तात्कालिक क्रान्तिकारी बन बैठे और सत्ता में आ गये। फिर हुआ क्या ? उन्होंने राष्ट्रों के बीच भारत को हंसी का पात्र बनाया। भारत ने अपना स्थान खो दिया, अपनी आत्मा खो दी और ठीक ही हुआ है कि उन्हें इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया गया। उन्हें भुला दिया गया और अस्थिरता का वातावरण समाप्त कर दिया गया है। जब से 1980 से श्रीमती इन्दिरा गांधी फिर से सत्ता में आई हैं, एक बार फिर से अस्थिरता की वही प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है।"

असम और पंजाब का जहां तक सम्बन्ध है केवल अपने को खतरे में डालकर ही पंजाब या असम पर अलग-अलग विचार करेंगे। उनको अलग करके नहीं देखा जा सकता है। जनता पार्टी क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है ? हमारे इतिहास में युगों-युगों से सदैव जयचन्दों की, देशद्रोहियों की कमी नहीं रही है और वे ही लोग फिर मिलकर एक हो रहे हैं।

असम पर लम्बी चर्चा हुई है। मैं इसका उल्लेखमात्र करूंगा। असम को ही क्यों चुना गया ? ऐसे लोग भी थे जो कि प्रजातन्त्र और संविधान के बड़े समर्थक थे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य, श्री तिवारी को विपक्ष पर प्रहार करने की छूट है। मैं विपक्ष पर प्रहार के उनके अधिकार का विरोध नहीं करता हूं। परन्तु उन्हें 'देशद्रोही' शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी इस सभा के माननीय सदस्य हैं और यह कहना कि विपक्ष के कुछ सदस्य देशद्रोही हैं। मेरे विचार से उन्हें इसका परित्याग करना चाहिए।

प्रो० के० के० तिवारी : मुझे इस पर घोर आपत्ति है। वे मुझसे जबरदस्ती बुलवा रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप क्या कह रहे हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी : यह एक सामान्य कथन है। मैंने कहा है कि इस देश में सदैव जयचन्द रहे हैं। आप इसमें नहीं आते हैं। आपकी समझ में बात नहीं आई है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं सब समझ गया हूं कि उससे आपका क्या तात्पर्य है।

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने यह कभी नहीं कहा कि सभा के सदस्य देशद्रोही हैं।

(श्री के० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : नहीं, नहीं, यह अनुचित है।

सभापति महोदय : यदि यह असंसदीय है तो इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जायेगा।

प्रो० के० के० तिवारी : प्रो० चक्रवर्ती बड़े ही भावुक हैं। मैं नहीं जानता कि क्यों ? जब कभी ये विचार उनके समक्ष रख जाते हैं, मैं नहीं समझ पाता कि वह भावुक क्यों हो जाते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं इसलिए भावुक हूं क्योंकि मैं यह शब्द आपके विरुद्ध प्रयोग करना नहीं चाहता हूं।

मैं तो आपका बचाव करने का प्रयास कर रहा था क्योंकि यह कईयों पर लागू होता है।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं जो कुछ अपने मित्र चक्रवर्ती और उन जैसे बाकी मित्रों को बताना चाहता हूं वह आज के राजनीतिक दृश्य का सम्पूर्ण चित्र है। अब मैं सदन में बैठे अपने मित्रों की बात करता हूं, विपक्ष के साहसी और निष्ठावान सदस्य श्री चक्रवर्ती ने कभी सदन के बाहर और भीतर अपने मार्क्सवादी मन्त्रों की बात करने या उनका उच्चारण करने का कभी प्रयास नहीं किया।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : क्या आप जानते हैं कि मार्क्सवादी मन्त्र क्या होते हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी : मुझे पता है कि आप मार्क्सवादी पाठशाला से आए हैं मार्क्सवादी विश्वविद्यालय से नहीं।

श्री सुनील मैत्रा : आपकी समझ में बात नहीं आई है।

प्रो० के० के० तिवारी : वे अनावश्यक रूप से व्यवधान डाल रहे हैं।

सभापति महोदय : आपको इतना आशावादी क्यों होना चाहिए ?

प्रो० के० के० तिवारी : आज भारतवर्ष में क्या हो रहा है ?

श्री रेड्डी ने कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश और उसी के साथ-साथ असम का उल्लेख किया है।

अब राजनीतिक दृश्य पर दृष्टिपात कीजिए। जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने असम को ही क्यों चुना था ? यह नहीं है कि वे अपनी भूमिका से बेखबर हैं। और न ही वे इस बात से बे-खबर हैं कि वे असम में क्या कुछ कर सकते हैं। सभी लोकतान्त्रिक महत्वाकांक्षाएं भुला दी गई हैं और जबकि भारत में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, जबकि गुट-

निरपेक्ष देश भारत में मिलने जा रहे हैं, वे सरकार के कार्य में अड़चन डालने के और अस्थिरता की स्थिति पैदा करने के प्रयास कर रहे हैं। वे इस आन्दोलन को भड़काने का प्रयास कर रहे थे और यह बात रिकार्ड में है कि जब से श्री वाजपेयी और श्री चरणसिंह··· (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : श्री चरणसिंह और श्री वाजपेयी भारत के इन दो दानखोते और सान्चूपांजा ने जब असम का भ्रमण किया तो वहां रक्तपात आरम्भ हो गया। यह एक पूर्वनियोजित चाल थी। जैसा कि श्री मुखर्जी ने बलपूर्वक कहा है, श्री चक्रवर्ती भी जानते हैं और श्री चटर्जी भी जानते हैं, अस्थिरता कायम करना एक बहुरूपीय विरूपता है। इसके अनेक स्वरूप और अनेक रूप हैं। अतः, असम का यह प्रयास एक प्रयास था।

असम में स्थिति को बिगाड़ने के लिए यह एक प्रयास था।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : आप राज्य और केन्द्र के सम्बन्धों पर बोलिए। आप उसके विशेषज्ञ हैं, उस पर बोलिए।

प्रो० के० के० तिवारी : पंजाब में भी स्थिति खराब है और पंजाब में हो क्या रहा है ? सिखों की वीरता की और जो कुछ इतिहास में उन्होंने किया है उसकी हम भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। परन्तु एक मुट्ठी भर लोग, जो कि ऐसी धोखेबाज ताकतों के प्रभावाधीन हैं, वे मुसीबत पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं और असम के नाम पर···

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं दस मिनट और लूंगा।

सभापति महोदय : आप आधा घण्टा पहले ही ले चुके हैं। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं दस मिनट का समय और लूंगा।

अतः, देश में ऐसी बातें हो रही हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप इतने भावुक क्यों हो जाते हो। आपकी भूमिका बड़ी ही हास्यास्पद लगती है। यदि आप अस्थिरता की ताकतों से लड़ना चाहते हैं, साम्राज्यवादी षड्यन्त्र की ताकतों से और अराजकतावादी ताकतों से लड़ना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी का समर्थन किस प्रकार कर रहे हैं जबकि स्वयं आपके ही कथनानुसार ये अराजकतावादी और अस्थिरतावादी ताकतें हैं और आप कर्नाटक में उनके मित्र कैसे बन गए और असम में उनका विरोध कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप त्रिपुरा में किसके साथ हैं ? आप आतंकवादियों से मिले हुए हैं ? (व्यवधान)

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

प्रो० के० के० तिवारी : अतः, मेरा कहना है कि अस्थिरता की इस प्रक्रिया ने व्यापक

रूप धारण कर लिया है। छोटे छोटे राजनीतिक लाभों के लिए, वामपन्थी और दक्षिणपन्थी दोनों ही ताकतें व्यापक और भारी मरकम राष्ट्रीय हितों की अवज्ञा कर रहे हैं। लोगों में असन्तोष फैलाने और आतंक और संघर्ष के क्षेत्र खोलने के इस प्रयास से समस्त राजनीतिक प्रक्रिया को खतरा पैदा हो गया है। ऐसा जानबूझ कर किया जा रहा है और मैं धर्मनिरपेक्षता आस्था रखने वाले राजनैतिक दल के सदस्य के नाते, जन प्रगति में आस्था रखने के नाते गांधी तथा नेहरू के समाजवादी आदर्शों में आस्था रखने के नाते कहता हूं कि हम देश की एकता की वैसी ही रक्षा करेंगे, जैसा कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे और आजादी प्राप्त की थी। हम काफी शक्तिशाली हैं, हम काफी मजबूत हैं, हम काफी संगठित हैं और इस देश की अराजकता की ताकतों का सामना कर सकते हैं और करेंगे चाहे कुछ भी हो।

मैं दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं। इस सभा में अनेक सदस्यों ने भारत में विदेशी धन के गलत प्रभाव पर प्रकाश डालने के लिए काफी समय लिया है। निस्संदेह विदेशी धन आता रहा है और सम्भवतः अब भी आ रहा है। विदेशी धन का उपयोग हमेशा अस्थिरता तथा तनाव पैदा करने के लिए किया जाता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी एजेन्सियां तथा संगठन हैं जो विदेशों से धन प्राप्त···

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस (आई)।

प्रो० के० के० तिवारी : उनमें से कितनी संस्थाओं की जांच-पड़ताल की गयी। यदि मैं कुछ कहूं तो आपका पर्दाफाश हो जायेगा और पश्चिम बंगाल में आप अपने लोगों को मुंह नहीं दिखा सकेंगे, यदि मैं कहूं कि सी. पी. एम. ने क्या किया है और कह रहा है तो आपका मुंह काला हो जायेगा और आपको अपने चुनाव क्षेत्र में ही अस्वीकार किया जायेगा। **मुझे न भड़कायें !** (व्यवधान)

सभापति महोदय : शांति-शांति। प्रो, तिवारी कृपया समाप्त करने की कोशिश करें।

प्रो० के० के० तिवारी : इस बारे में, मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री इसका ध्यान रखें। मुझे यह गृह मन्त्रालय से प्राप्त हुआ है जब कि मैंने लोक सभा में विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस दिया था :—

"उपरोक्त विषय पर लोक सभा सचिवालय यू. ओ. संख्या 17/79/82 प्रिव/एल-I दिनांक 2-8-1982 के सन्दर्भ में विषय यह है :—

"विषय: प्रो० के० के० तिवारी, संसद सदस्य का श्रीमती प्रमिला दंडवते, संसद सदस्य के विरुद्ध समाजवादी महिला संघ पुणे के कार्यकलाप के लिये विदेशी धन प्राप्त करने हेतु लोक सभा के सदस्य के नाते अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस" मैं इसकी ओर सभा का ध्यान दिला रहा हूं।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

समाजवादी महिला संघ नामक यह संस्था महाराष्ट्र के जिले में कुछ समय से चल रही

है । गृह मंत्रालय की सूचना जिसे लोक सभा ने मुझे सप्लाई किया है के अनुसार इस संस्था ने तीन वर्षों के दौरान लगभग 40 लाख रुपये प्राप्त किये हैं और इस संस्था को 1977 में पंजीकृत किया था । जब श्री दंडवते रेल मंत्री थे तब यह संस्था पंजीकृत की गयी थी । श्री दण्डवते, इस सभा की माननीय संसद सदस्या, इस संगठन की अध्यक्ष हैं ।

मैं नहीं.....

(व्यवधान)

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : श्रीमती दंडवते सभा में इसका उत्तर दे चुकी हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ ।

सभापति महोदय : आपने इसके बारे में कोई नोटिस नहीं दिया है । कृपया इसका जिक्र न करें नहीं मुझे खेद है ।

प्रो० के० के० तिवारी : ये कागजात वे हैं जिन्हें लोक सभा ने सप्लाई किया है ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हो सकता है । लेकिन आपने नोटिस नहीं दिया है । आप इसका जिक्र नहीं कर सकते । मुझे खेद है ।

प्रो० के० के० तिवारी : ये कागजात मुझे लोक सभा से मिले हैं । मैं गृह मंत्री से केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि क्या कोई छानबीन की गयी है क्या धन का उपयोग उस प्रयोजन के लिये किया गया है जिसके लिये यह प्राप्त हुआ था अथवा क्या इस धन का उपयोग राजनैतिक कार्यों, अस्थिरता पैदा करने वाले कार्यों, देश में अराजकता तथा आन्दोलन करने के लिये किया जाता है । ऐसी अनेक संस्थायें हो सकती हैं और मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री इसका ध्यान रखें और अपने उत्तर विशेष तथा स्पष्ट रूप से दें ।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : आज मैंने एक समाचार पत्र पढ़ा ।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें ।

प्रो० के० के० तिवारी : पश्चिम बंगाल विधान सभा में हमारे सहयोगी हैं, जिनमें एक भूतपूर्व गृह मन्त्री श्री सुव्रतो मुखर्जी हैं, जो अब एक विधायक हैं । आप मुझे से सहमत होंगे कि आपका दर्शन कुछ भी हो—जब आप अपने ही प्रभाव से सत्ता में आते हैं तो आपको राजनीति, लोकतंत्र सम्बन्धी सिद्धान्त भिन्न हो सकते हैं लेकिन जब तक आप वर्तमान संविधान ढांचे के अन्तर्गत चला रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में भी, आपको यह बात माननी पड़ेगी कि आपको पश्चिम बंगाल के नागरिकों को भी उन्हीं मूलभूत अधिकारों की गारंटी देनी होगी जिनकी गारंटी सरकार ने दिल्ली अथवा अन्य राज्यों के नागरिकों को दी हैं । वे बैठक कर रहे थे और जब वे

बैठक कर रहे थे तो पश्चिम बंगाल सरकार पुलिस का फासिस्टवादी गिरोह लाठियों के साथ आया और वे लाठियों के साथ आये...

(व्यवधान)

और उस पर हमला किया।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : शांत-शांत। हां, कृपया जारी रखें।

प्रो० के० के० तिवारी : मेरा मित्र बुरी हालत में अस्पताल में दाखिल है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या आप श्री सुव्रतो मुखर्जी की बात कर रहे हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी : बुरी हालत में।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : (कलकत्ता दक्षिण) क्या आप श्री सुव्रतो मुखर्जी** का जिक्र कर रहे हैं ?

सभापति महोदय : नहीं कृपया इस प्रकार किसी का जिक्र न करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

प्रो० के० के० तिवारी : आप पश्चिम बंगाल के एक माननीय सदस्य हैं।

मैं अपने सहयोगी की हालत के बारे में एक अनुरोध करूंगा। श्री सुव्रतो मुखर्जी से मारपीट की गयी है और वह गम्भीर हालत में अस्पताल में पड़े हैं।

पश्चिम बंगाल के बारे में बोलते हुये मैं अपने कर्तव्य को न निभा पाऊंगा यदि मैं यह जिक्र न करूं कि लोगों द्वारा बनाई गई लोगों की सरकार केवल मार्क्सवादी लोगों के लिए है...

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहें हैं। हम राज्य सरकारों की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : इसमें सब बातें आ जाती हैं। इसमें राजनैतिक स्थिति भी आती है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिये।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : अतः, महोदय...

(व्यवधान)

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं ।

प्रो० के० के० तिवारी : यह दस्तावेज, राष्ट्रपति का अभिभाषण...

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

प्रो० के० के० तिवारी : अब व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठता है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यदि वह सचमुच श्री सुव्रतो मुखर्जी, जो एक विधायक हैं, का जिक्र करते है, तो इस बारे में मुझे कहना है कि पश्चिम बंगाल विधान सभा का अधिवेशन चल रहा है और, इस स्थिति में क्या माननीय सदस्य के लिये इस बात का यहां जिक्र करना उचित है ? इसकी चर्चा पश्चिम बंगाल विधान सभा में की जानी चाहिये । श्री आनन्द गोपाल मुखर्जी की पार्टी इसे उठा सकती है और इस पर चर्चा कर सकती है...

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह एक व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । कृपया अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : मुझे इन्हें सभा के नियम तथा प्रक्रिया सिखाने के लिये कक्षा चलानी पड़ेगी ।

सभापति महोदय : आप ऐसा बाहर कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा है । ...(व्यवधान) मैं सभी माननीय सदस्यों से चुप रहने के लिये कहूंगा । कृपया अब समाप्त करें । मैं कह सकता हूं कि क्या कोई असंसदीय बात कही गयी है, तो उसे कार्यवाही वृत्तान्त से बाहर निकाला जायेगा ।

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने कोई भी असंसदीय बात नहीं कही है ।

सभापति महोदय : मैंने कहा है कि यदि किसी माननीय सदस्य ने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया हो ।

प्रो० के० के० तिवारी : अतः राष्ट्रपति अभिभाषण से हमारी उपलब्धियों तथा राष्ट्र की समस्याओं की झलक मिलती है और मैं विपक्ष से छोटी-छोटी राजनैतिक बातों से प्रेरित संकीर्णता को त्यागने तथा राजनैतिक सिद्धान्तों, राजनैतिक दलों से बड़ी-बड़ी समस्याओं तथा राष्ट्र के भाग्य को निर्धारित करने वाली बातें उठाने के लिए अनुरोध करता हूं। इन बातों के साथ मैं राष्ट्रपति को उनके विवेकपूर्ण अभिभाषण के लिये धन्यवाद देता हूं ।

सभापति महोदय : "कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 18 फरवरी, 1983 को एक-साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं ।"

सभापति महोदय : सभा में उपस्थित माननीय सदस्य गण...

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं श्री आनन्द गोपाल मुखर्जी ने कहा, अध्यक्ष पीठ को उलझन में मत डालिए।' इसका क्या तात्पर्य है ? उनका इससे क्या तात्पर्य है ?

सभापति महोदय : अध्यक्ष पीठ उलझन में नहीं पड़ती। जिन माननीय सदस्यों के धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन परिचालित किये गये हैं वे यदि अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे 15 मिनट के अन्दर अन्दर अध्यक्ष पीठ के पास अपने संशोधनों की क्रम संख्या लिखकर पर्ची भेज दें केवल उन्हीं प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जायेगा। जिन संशोधनों को प्रस्तुत किया गया माना जायेगा उनके क्रमांकों की सूची शीघ्र ही सूचना पट पर लगा दी जायेगी। यदि किसी सदस्य को कोई त्रुटि नजर आये तो वह इसकी सूचना तुरन्त टेबल पर उपस्थित अधिकारी को दे।

श्री चन्द्र जीत यादव।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी प्रभाव से मुक्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सुनियोजित एवं स्वतंत्र विकास के बारे में कोई उल्लेख नहीं।"(1)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र की भूमिका की महत्ता एवं सार्थकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं ।" (2)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनसाधारण की आवश्यकता पर आधारित आय जैसी न्यूनतम शर्तों की उपलब्धता पर आधारित उचित एवं समान आय तथा मंजूरी सम्बन्धी नीति, तथा बड़े पूंजीपतियों तथा जमीदारों और जनसाधारण की आय में अत्यधिक विषमता में कमी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (3)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वयोवृद्ध कृषि कर्मकारों के लिए पेंशन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (4)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि श्रमिकों और गरीब किसानों तथा अर्ध सर्वहारा वर्ग के लिए मुफ्त मकान बनाने हेतु प्लाट आवंटित करने और कम ब्याज की दर पर उधार और उपभोक्ता ऋण देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (5)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषक जनसाधारण के लिए पर्याप्त शिक्षा सुविधाओं की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (6)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण बेरोजगारों के लिए पूर्ण रोजगार प्रदान करने की वृहद् योजना और बेरोजगारी राहत के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (7)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तालाबंदी, जबरी छुट्टी और मिलों के बंद होने की घटनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (8)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी बंद-पड़े मिलों और कम्पनियों को सरकारी नियंत्रण में लिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (9)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषणों में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को श्रमिक संघ सम्बन्धी पूर्ण अधिकार दिये जाने और पुलिस द्वारा सत्यापन किये जाने की व्यवस्था को समाप्त करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (10)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्वचालित मशीनों के लगायें जाने और अन्य ऐसे तरीके अपनाये जाने, जिनसे बेरोजगारी बढ़ती है, के विरुद्ध कोई उल्लेख नहीं है।" (11)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में औषध उद्योग का राष्ट्रीयकरण किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी राज्यों में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक तत्काल मुफ्त शिक्षा शुरू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (24)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ जायें, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी जरूरतमंद छात्रों के लिए होस्टल सुविधाओं और पूर्ण छात्रवृत्तियों के प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है।" (25)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देने के बारे ने कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (26)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्ण सुधार हेतु शिक्षण निकायों में छात्रों के प्रतिनिधित्व के अधिकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (27)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा को लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक बनाने के लिए आमूल-चूल परिवर्तन करने की जरूरत का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (28)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार करने वाले लोगों के प्रति कठोर कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (29)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जमींदारों और ठेकेदारों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों पर आर्थिक और सामाजिक दबाव को समाप्त करने और उनके द्वारा छीनी गई भूमि को फिर से दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (30)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के लिए पदों के आरक्षण और उनकी शैक्षिक और आर्थिक उन्नति हेतु विशेष सुविधाओं प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (31)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी सेवाओं तथा शिक्षा संस्थानों में रोजगार के मामले में तथा उर्दू के प्रति भेदभाव करने के विरुद्ध मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का कोई उल्लेख नहीं है।" (32)

कि प्रस्ताव के अन्य में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली, मैथिली, मनीपुरी और डोगरी भाषाओं को शामिल करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (33)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्राज्यवाद रंगभेद और जातिगत प्रभुत्व के प्रति नामीबिया के और अन्य अफ्रीकी लोगों के स्वतंत्रता सग्राम को पूर्ण समर्थन देने का कोई उल्लेख नहीं है।" (34)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के लोगों के मुल अधिकारों के रूप में उनके 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मतदान करने के अधिकार का कोई उल्लेख नहीं है।" (35)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में छोटे हथियार रखने के मूल अधिकार; नागरिकों के मूल अधिकार का कोई उल्लेख नहीं है।।" (36)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समान प्रतिनिधित्व देने अर्थात् 30 लाख से अधिक आबादी वाले सभी राज्यों और संघ शासित राज्य क्षेत्रों प्रत्येक में से 26 और उससे कम आबादी वाले सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों प्रत्येक में से 4 के बारे में संविधान में संशोधन करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (37)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, रोजगार की नैमित्तिक प्रणाली को समाप्त करने और वर्ष भर भारतीय नाविकों को रोजगार की गारंटी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (38)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काला बाजारी करने वालों, जमाखोरों, तस्करों, सट्टे-बाजों और उन्हें बचाने वाले कर्मचारियों के प्रति कठोर कदम उठाने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (39)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जीवन निर्वाह के मूल्य सूचकांकों को सुधारने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (40)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् —

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रेलवे कर्मचारियों का कार्य भार कम करने और उनके कार्य के घंटों को कम करने की जरूरत के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (41)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय सरकार के वेतनों में पिछले सात वर्षों से सरकार द्वारा संशोधन करने से इन्कार करने, जिस के फलस्वरूप पिछले 8 वर्षों में कर्मचारियों की मजदूरी में 7 से 37 प्रतिशत तक गिरावट आई है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (42)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 272 अंक पार कर जाने के बाद वेतन संशोधन के लिए तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (43)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुप्त मतदान के माध्यम से ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (44)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहुत सी रेल दुर्घटनाओं और हजारों लोगों के मारे जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (45)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् —

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के संविधान के निदेशक तत्वों को पूर्णतः क्रियान्वित करने की सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (46)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बहुत से गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और चिकित्सा सुविधाओं की शोचनीय कमी के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (47)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने की जरूरत का कोई उल्लेख नहीं है।" (48)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में ठेका मजदूरी प्रणाली को समाप्त करने के बारे में कोई उल्लेख नही है।" (49)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के खेल मानकों में सुधार लाने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नही है।" (50)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् —

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रेस की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाने और समाचारों पर सेंशरशिप लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (51)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्त खेद है कि अभिभाषण में राज्यों की संविधानिक शक्तियों के निरन्तर कम होने तथा केन्द्र की शक्तियों के बढ़ने का कोई उल्लेख नहीं है।" (52)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को जानबूझकर गिराने के प्रयासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (53)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् —

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हरिजनों और अनुसूचित जनजातियों के वास्तविक उत्थान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (54)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के आदिवासी क्षेत्रों में पृथकतावाद के प्रचार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (55)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आदिवासियों को मानवीय अधिकारों से वंचित रखने, बंधुआ मजदूरों के रूप में उन्हें बेचने, उनकी जवान लड़कियों को वेश्यालयों में बेचने, उनको देश के अन्य लोगों से तथा आम लोकतांत्रिक संघर्ष से अलग रखे जाने, और आदिवासी क्षेत्रों में कुछ विदेशी मिशनों द्वारा देश से अलगाव की नीति फैलाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (56)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ईसाई मिशनों द्वारा अलगाव की भावना का कुप्रचार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (57)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित और जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वोत्तर क्षेत्र में विदेशी ईसाई मिशनों के षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने और उनका मुकाबला करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (58)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित और जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यकों की समस्याओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (59)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित और जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन भारतीय महिलाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जो दकियानूसी अर्द्ध सामन्तवादी दृष्टिकोण की शिकार हैं और भारतीय संविधान में लैंगिक समानता की उद्घोषणा के बावजूद उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता और उन्हें पुरुषों के समान मजदूरी नहीं दी जाती।" (60)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित और जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ तथा बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।" (61)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित और जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गांवों में हरिजनों और आदिवासियों पर हुए भारी हमलों तथा ऐसे अत्याचारों को रोकने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (62)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित और जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी बैंकों, एकाधिकारी गृहों और बहुराष्ट्रिकों की शाखाओं का राष्ट्रीयकरण करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (63)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित और जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्यान्नों, खाद्य तेलों, कपड़ा, चीनी आदि आवश्यक वस्तुओं को लोक समितियों के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षणाधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली

में दुकानों के माध्यम से कम दाम पर बेचने तथा इन वस्तुओं की पर्याप्त तथा निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (64)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित और जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी देने सम्बन्धी मजदूरी नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (65)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित और जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बार बार आने वाली बाढ़ तथा सूखा से उत्पन्न संकट को रोकने के उपायों पर विचार करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (66)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के अनुच्छेद 356-360 को हटाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (67)

कि प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में काम के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में शामिल करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (68)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में निष्कासन विरोधी उपायों, किसान को उपज के लिए उचित दामों की गारन्टी, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण देने और किसानों को कम दाम पर आदान उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।" (69)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा अविकसित और विकासशील देशों को हथियार सप्लाई करने के प्रश्न का कोई उल्लेख नहीं है।" (70)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमेरिकी रक्षा व्यय में की गई बहुत अधिक वृद्धि जिस से विश्व शांति को खतरा हो गया है का कोई उल्लेख नहीं है।" (71)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अंगोला, इथोपिया, मोजाम्बीक और यमन जनवादी गणराज्य में लड़ रहे लोगों का कोई उल्लेख नहीं है।" (72)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में तनाव शैथल्य और शस्त्रीकरण समझौते के बावजूद युद्ध के खतरे का कोई उल्लेख नहीं है ।" (73)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के विभिन्न भागों जिसमें दिल्ली भी शामिल है, में हुई विशाल युद्ध विरोधी रैलियों का कोई उल्लेख नहीं है ।" (74)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा अपनाई गई नीति के कारण परमाणु युद्ध के खतरे का जिससे मानवता को खतरा है, उल्लेख नहीं है ।" (75)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्व को परमाणु युद्ध की तबाही से बचाने के लिए परमाणु युद्ध के खतरे का सामना करने तथा साम्राज्यवादी योजनाओं का लोगों के समक्ष भांडाफोड़ करने के संबंध में श्रमिक वर्ग और सभी प्रगतिवादी समुदायों के आवश्यक कार्य संबंधी आह्वान का कोई उल्लेख नहीं है ।" (76)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से विश्व पर प्रभुत्व जमाने की योजनाओं का कोई उल्लेख नहीं है ।" (77)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमेरिका के कहने पर इजराइल द्वारा लेबनान में की गई बहादुर फिलीस्तीन सेनाओं की तबाही और लेबनानियों के कत्लेआम का कोई उल्लेख नहीं है ।" (78)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्व में विकास के पूंजीवादी तंत्र के खतरे और तृतीय विश्व के देशों द्वारा अनुभव किए गए इसके अपरिहार्य परिणामों का कोई उल्लेख नहीं है ।" (79)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल सल्वडोर, निकारगुआ, जिम्बाबवे, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध लड़ रही साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों का कोई उल्लेख नहीं है ।" (80)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि लगभग एक दशक से बिना किसी रुकावट के अत्यधिक मुद्रास्फीति जारी है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थायी प्रवृत्ति बन गई है।" (81)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में तेल उत्पादक देशों द्वारा की गई मूल्यवृद्धि का लाभ उठाते हुए, तेल के एकाधिकारियों द्वारा थोपी गई ऊंची कीमतें जिससे कि इन कीमतों में और वृद्धि हुई का कोई उल्लेख नहीं है।" (82)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एजेंसियों जोकि भारत सरकार से अपनी मांगों के माध्यम से अत्यधिक मुद्रास्फीति बढ़ाने में सक्रिय है कि कराधान के चरणों को बढ़ाने, तेल और उर्वरक के मूल्य बढ़ाने, और लोगों का उपभोग का स्तर कम करने के लिए सक्रिय हैं का कोई उल्लेख नहीं है।" (83)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में निर्यात आय में हुई तेजी से वृद्धि के बावजूद भी ऋण सेवाओं के भार और पश्चिमी देशों पर निर्भरता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (84)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्व बैंक का भारत पर दबाव डालना कि भारत को अपनी योजनाओं के लिए वाणिज्यिक ऋण लेना चाहिए और आयात प्रतिस्थान नीति बन्द करनी चाहिए और सक्रिय निर्यात प्रोत्साहन नीति ऐसी नीति जिससे कि माल को आंतरिक बाजार से विदेशी बाजार भेजा जा सकें, अपनानी चाहिए, का कोई उल्लेख नहीं है।" (85)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्य अंशों को कम करने के बारे में औषध कम्पनियों तथा बहुराष्ट्रिकों द्वारा सरकार के निदेशों की निरन्तर अवहेलना का कोई उल्लेख नहीं है।" (86)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधारों में आमूल-चूल परिवर्तन करने में असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (87)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि श्रमिकों के शोषण और उनकी मजदूरी के स्तर के संरक्षण के लिए उचित कानून न होने का कोई उल्लेख नहीं है।" (88)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को लाभप्रद मूल्य देने का कोई उल्लेख नहीं है।" (89)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की प्रतिशतता का कोई उल्लेख नहीं है।" (90)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् —

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहुत अधिक लोगों को भूमि से बेदखल करने, जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है, का कोई उल्लेख नहीं है।" (91)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आवास समस्या का कोई उल्लेख नहीं है।" (92)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गंदी-बस्तियों में रहने वाले लोगों की बढ़ती हुई समस्याओं का कोई उल्लेख नहीं है।" (93)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि का थोड़े ही लोगों के पास होने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (94)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है अभिभाषण में मूल्यों के बढ़ने से समाज के सभी वर्गों के लोगों, विशेषकर असंगठित उद्योगों के श्रमिकों, कृषि श्रमिकों और किसानों को होने वाली कठिनाई का कोई उल्लेख नहीं है।" (95)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत और रूस के बीच मित्रता और सहयोग की संधि को सुदृढ़ करने, जो साम्राज्यवादी सैनिक दबाव और आक्रमण को समाप्त करने हेतु एक अच्छा माध्यम है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (96)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, देश में कानून व व्यवस्था की स्थिति के सामान्य रूप से बिगड़ने का कोई उल्लेख नहीं है।" (97)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पुलिस अफसरशाही और असामाजिक तत्वों के बीच बढ़ रही सांठगांठ के फलस्वरूप उत्तरोत्तर बिगड़ रही स्थिति का कोई उल्लेख नहीं है।" (98)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ट्रेड यूनियन आंदोलन की स्वतंत्रता और संगठन के अधिकार पर आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं है।" (99)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में उन कानूनों को जो श्रमजीवी वर्ग के हित में नहीं हैं, ठीक करने के लिए की गई कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है।" (559)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

'किंतु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने के लिए मुसलमानों में पृथक राष्ट्रीयता की भावना उभारने के उद्देश्य से प्रेरित इस्लाम धर्म के कट्टर अनुयायियों की अपील के खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (560)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखिब जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि कतिपय अतिवादी तत्वों की हिन्दू राष्ट्र के नाम से संकीर्ण राष्ट्रवादी अपील से मुसलमान लोग धर्मान्धता-वादी रुख अपना सकते हैं।" (561)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

'किंतु खेद है कि अभिभाषण में हमारे देश के वास्तविक संघीय स्वरूप के महत्व के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (562)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों की शक्तियों को बढ़ाने के लिए और उनकी स्वायतत्ता की गारंटी देने के लिए नए संवैधानिक उपबंधों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (563)

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं की बेकारी की समस्या का समाधान निकालने के लिए सरकारी एवं अर्ध-सरकारी नौकरियों में उनके लिए 25 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (100)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखिब जोडा जाए, अर्थात्—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण महिलाओं में व्याप्त भयंकर बेरोजगारी की समस्या का हल निकालने के लिए एक विशेष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार का कार्यक्रम तैयार करने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (101)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में बेकारों को काम या बेरोजगारी भत्ता देने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (102)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में आय, मजदूरी और मूल्यों के संबंध में एक व्यापक नीति तैयार करने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (103)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में सभी भूमि-सुधार कानूनों को संविधान की नवम् अनुसूची में शामिल करने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (104)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में राजभाषा अधिनियम, 1963 की क्रियान्विति में ढील-ढाल की नीति का परित्याग कर उसे ठीक प्रकार से लागू करने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (105)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में उर्दू भाषा के प्रयोग के संबध में गुजराल समिति की सिफारिशों को पूर्णरूप से लागू करने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (106)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा देने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (107)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में वांचू समिति की इस राय को कि काला धन देश की अर्थव्यवस्था में नासूर की तरह बढ़ता चला जा रहा है और यदि इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह देश को निश्चित रूप से विनाश की ओर ले जायेगा मानकर इस बुराई को शीघ्र और कारगर ढंग से रोकने के तरीकों का उल्लेख नहीं किया गया है।" (108)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और आवश्यक सेवा अधिनियम को रद्द करने का उल्लेख नहीं है।" (109)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए किसी प्रयास का उल्लेख नहीं किया गया है।" (110)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में वृद्ध व्यक्तियों के जीवन-यापन के लिए उन्हें सहायता करने सम्बन्धी किसी नीति का उल्लेख नहीं किया गया है।" (111)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि जन-वितरण प्रणाली को और विस्तारित एवं मजबूत बनाकर उपभोक्ताओं को सभी आवश्यक वस्तुएं सस्ते दर पर देने के लिए किसी ठोस कार्यक्रम का उल्लेख अभिभाषण में नहीं किया गया है।" (112)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि जन-वितरण प्रणाली को ठीक प्रकार से चलाने के लिए गल्ले के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (113)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि पंजाब में अकालियों के साथ चल रहे विवाद का हल निकालने में सरकार की असफलता का उल्लेख अभिभाषण में नहीं किया गया है।" (119)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश को टुकड़ों में बांटने वाली राष्ट्र-विरोधी शक्तियों एवं तत्वों के मंसूबों को चकनाचूर कर देने का उल्लेख नहीं है।" (120)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि आसाम में हुए चुनावों में मतदाताओं की सुरक्षा करने में सरकार की असफलता का कोई जिक्र अभिभाषण में नहीं किया गया है।" (121)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आसाम के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (122)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आसाम की एकता को नष्ट भ्रष्ट करने के षडयंत्र में व्यस्त दलों, संगठनों एवं तत्वों की निन्दा नहीं की गई है।" (123)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब के अकाली आन्दोलन में घुसे अति उग्रवादी तत्वों खालिस्तान का नारा देने वालों तथा पृथकतावादियों की भर्त्सना करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (124)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्प्रदायिक दंगे करवाने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।" (125)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्प्रदायिक दलों एवं तत्वों की निन्दा नहीं की गई है।" (126)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्प्रदायिक प्रचारों पर रोक लगाने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (127)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में "काम के अधिकार" को संविधान में मूल अधिकार के रूप में शामिल करने का उल्लेख नहीं है।" (128)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयला उत्पादन और उसकी वितरण प्रणाली में व्याप्त घोर कुव्यवस्था के कारणों तथा उनके निवारण के उपाय का उल्लेख नहीं किया गया है।" (129)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (130)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में असंगठित एवं अदक्ष मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी प्रति माह पाँच सौ रुपये निर्धारित करने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (131)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन करने का उल्लेख नहीं है।" (132)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की तीन किस्तों को शीघ्र भुगतान करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (133)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सन् 1981 की जनगणना के बाद आबादी में वृद्धि को ध्यान में रखकर शहरों या नगरों को वर्गीकृत करने का उल्लेख नहीं किया गया है। (134)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी कर्मचारियों को मिल रहे महंगाई भत्ते के वर्तमान फार्मूले का पुनरीक्षण करने का उल्लेख नहीं है।" (135)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी कर्मचारियों को बिना किसी शर्त के कम से कम 8.33 प्रतिशत बोनस देने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (136)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीका, चीन तथा अन्य देशों द्वारा पाकिस्तान को आधुनिकतम अस्त्र-शस्त्र देने की नीति की निन्दा नहीं की गई है।" (137)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में चल रही वृद्धि को रोकने के लिए किसी प्रभावी कदम का उल्लेख अभिभाषण में नहीं किया गया है।" (224)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न राज्यों में गिरती हुई ईख की कीमत को ठीक रखने तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मूल्य दिलवाने के लिए कोई आवश्यक कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (225)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

'परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चीनी के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद उसके मूल्य में कमी करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (226)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि मूल्य निर्धारण समिति द्वारा किसानिया उपज का लाभकारी मूल्य निर्धारित करने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (227)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है किसानों के जिन्सों के लाभकारी मूल्य तय करने के उद्देश्य से कृषि मूल्य निर्धारण समिति में किसानों के सच्चे प्रतिनिधियों को रखने की आवश्यकता का उल्लेख अभिभाषण में नहीं किया गया है।" (228)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीका द्वारा पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और हिन्द सागर के क्षेत्रों में केन्द्रीय फौजी कमान स्थापित करने एवं सभी स्थानों पर फौजी केन्द्र कायम होने के कारण भारत की सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे का कोई उल्लेख नहीं है।" (229)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि देश के विभिन्न राज्यों में फैले अल्पसंख्यकों के जानमाल की हिफाजत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का उल्लेख अभिभाषण में नहीं किया गया है।" (230)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सूखा और बाढ़-पीड़ित राज्यों को आवश्यकता के अनुसार वित्तीय सहायता देने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (231)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्प्रदायिक दंगों का नियंत्रण करने के लिए सभी तबकों के लोगों को शामिल कर एक विशेष पुलिस बल स्थापित करने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (232)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि मुस्लिम सम्प्रदाय के विशेष हितों की रक्षा करने तथा सरकारी नौकरियों में उनके साथ किये जा रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए कोई भावी कदम उठाने का उल्लेख अभिभाषण में नहीं किया गया है।" (233)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछड़ी जातियों से सम्बन्धित मण्डल आयोग की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों को क्रियान्वित करने का उल्लेख नहीं किया गया है।"(234)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार की कर्पूरी ठाकुर सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के फार्मूले को लागू करने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (235)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक सन् 1980 से आयोजित नहीं करने के कारणों तथा उसकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (236)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में महंगाई वृद्धि को देखते हुए स्वतन्त्रता सेनानियों को मिल रहे स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन की तीन सो रुपये माहवारी राशि को बढ़ाकर पांच सौ रुपये माहवारी निर्धारित करने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (237)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में शहीद स्वततंत्रता सेनानियों की स्मृति में दिल्ली में शहीद स्मारक बनाने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (238)

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बालकों को अध्ययन हेतु सभी केन्द्रीय सरकार के विद्यालयों में तथा आवासीय शिक्षण संस्थाओं में निःशुल्क सुविधायें उपलब्ध कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (114)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ लिया जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में शुद्ध पेयजल समस्याग्रस्त गांवों का पेयजल प्रदाय के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा वर्ष 1983-84 में पेयजल प्रदाय करने हेतु पेयजल आवश्यकता की प्राथमिकता निश्चित कर लक्ष्य निर्धारित कर लक्ष्य की पूर्ति अनिवार्यतः करवाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (115)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ लिया जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दिलाने की "गारन्टी" सरकार को स्वयं लेगी तथा जहां आवश्यक हुआ काम न मिलने की स्थिति में उसी स्थान पर काम के बदले न्यूनतम वेतन भुगतान की व्यवस्था करने को कोई उल्लेख नहीं है।" (116)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ लिया जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में खेल प्रतिभाओं की तलाश के लिए विशेष प्रयास के तहत जिला स्तर पर प्रतियोगिता में चयन कर अभिरुचि को विकसित करने के लिए समुची सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने तथा, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सरकारी महकमों में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारियों की तरह क्रमशः तृतीय, द्वितीय तथा प्रथम श्रेणी का वेतन भत्ते और सुविधायें उपलब्ध कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (117)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ लिया जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों के निर्माण कार्य को त्वरित गति से किये जाने तथा जल विद्युत उत्पादन योजनाओं के कार्यों को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर निश्चित समय में पूरा करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (118)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आम उपभोग की सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हो रही वृद्धि के परिणामस्वरूप आम जनता की बढ़ती हुई मुसीबतों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (138)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने और उसका विस्तार करने में, जो मूल्य वृद्धि को रोकने और लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, सरकार की असफलता पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया है।" (139)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी नीतियों में पश्चगामी प्रवृत्तियों द्वारा प्रोत्साहित की गई खुले बाजार की अर्थव्यवस्था के व्यापक रूप में प्रचलित होने पर कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (140)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् —

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए आवंटित धन अमीरों के लाभ के लिए मुख्यत: प्रयोग किया जाता है जबकि गरीब लोगों को यह लाभ नहीं मिलता।" (141)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों की सहायता करने के लिए, जिन्हें वित्तीय सहायता की सबसे अधिक जरूरत होती है, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ऋण नीति में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।" (142)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि ग्रामीण लोगों का शोषण एक ओर तो सरकार की गलत नीतियों और दूसरी ओर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद के अनधिकृत प्रवेश के कारण अर्ध-सामन्तवादी प्रवृत्तियों के जारी रहने के परिणामस्वरूप दिनोदिन बढ़ रहा है।" (143)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया है कि बहुत से राज्यों में भूमि सीमा और कृषक को फालतू भूमि के वितरण समेत भूमि सुधारों का क्रियान्वयन एकदम रुक गया है।" (144)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि कृषि मजदूरों की संख्या 5 करोड़ से बढ़कर 6 करोड़ से अधिक हो गई है जो ग्रामीण निर्धनता और ग्रामीण जनता में बढ़ रही भूमिहीनता का द्योतक है।" (145)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि सरकार और प्रशासन पर भूस्वामियों के प्रभाव के कारण कई राज्यों में न्यूनतम कृषि मजदूरी सम्बन्धी वर्तमान कानूनों का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है।" (146)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन मुसीबतों और अकाल की परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया है जिनका देश के विभिन्न भागों में लाखों लोग कर रहे हैं और नही अभिभाषण में लोगों की मुसीबतों को दूर करने के लिए केन्द्र द्वारा राहत सहायता और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पर्याप्त उपबन्ध का वचन दिया गया है।" (147)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि स्वतंत्रता के 34 वर्षों के बाद भी लगभग एक तिहाई भारतीय ग्रामों में पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है।" (148)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार की अपनी एजेंसियों के माध्यम से पटसन, रुई तम्बाकू आदि खरीदने में सरकार का असफलता के कारण, मिलें और कुछ बिचौलिये कृषकों को समुचित मूल्य से वंचित रखकर लाभ उठा रहे हैं जबकि स्टाक न उठाये जाने के कारण जमा हो रहा है।" (149)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्यान्नों और कतिपय अन्य आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (150)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

'किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि अभी भी ग्रामीण भारत में लगभग 30 लाख बंधुआ मजदूर हैं।" (151)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

'किंतु खेद है कि अभिभाषण में खेतिहर मजदूरों के लिए एक व्यापक केन्द्रीय विधान बनाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (152)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई ग्रामीण ऋणग्रस्तता का कोई उल्लेख नहीं है जिसके कारण खेतिहर मजदूरों और निर्धन किसानों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और न ही इसमें उन्हें सहायता देने के किसी उपाय का उल्लेख है।" (153)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में एकाधिकारियों और बहुराष्ट्रकों को प्रोत्साहन के नाम पर दी गई अनुचित रियायतों की भर्त्सना नहीं की गई है।" (154)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में एकाधिकारियों को प्रोत्साहित करके आर्थिक और औद्योगिक विकास करने की खोखली नीति के विरुद्ध सरकार को चेतावनी नहीं दी गई है।" (155)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में एकाधिकारियों के हितों को पूरा करने के उद्देश्य से बनाई गई औद्योगिक लाइसेंस नीति का कोई उल्लेख नहीं है।" (156)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उल्लंघन में उद्योगपतियों द्वारा क्षमता के अनधिकृत विस्तार को कानूनी रूप देने की नीति को समाप्त करने का उल्लेख नहीं है।" (157)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है और उसका बहुराष्ट्रीयकों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है।" (158)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय हित के विरुद्ध पश्चिमी देशों के साथ किए गये 'सहयोग' 'समझौतों' के विरुद्ध कोई चेतावनी नहीं दी गई है।"(159)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात के प्रति चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है कि तकनीकी जानकारी देने के नाम पर बहुराष्ट्रीयक आत्मनिर्भरता के हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य के प्रतिकूल भारतीय अर्थव्यवस्था में पुनः प्रवेश करने का प्रयास कर रहे ह।" (160)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में नवउपनिवेशवाद और इसके सभी प्रकार के प्रयोग के विरुद्ध अधिक प्रभावी उपाय करके आत्मनिर्भरता के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाने के लिए सरकार से आग्रह नहीं किया गया है।" (161)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बहुराष्ट्रीयकों द्वारा लाभ, ब्याज, रायलटी, लाभांश आदि के रूप में हमारे देश से धनराशि बाहर भेजने के परिणामस्वरूप हमारे राष्ट्रीय संसाधनों में होने वाली कमी को रोकने के लिए प्रभावी उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है।" (162)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आसाम स्थिति की गंभीरता पर जो एक और अतिवादियों द्वारा प्रयुक्त हिंसात्मक, लोकतंत्र विरोधी और राष्ट्रविरोधी तरीके अपनाकर

निर्वाचन करवाने में बाधा डाली जा रही है और दूसरी ओर सरकार द्वारा एक सिद्धांत-पूर्ण तरीके से असाम समस्या को हल करने में विलम्ब किया जा रहा है, का कोई उल्लेख नहीं है।" (163)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में स्वतन्त्रता के 35 वर्षों के पश्चात् भी देश के विभिन्न भागों में दंगों में भाग लेने वाले तथा उन्हें भड़काने वाले व्यक्तियों को दंड देने के लिए कोई कारगर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।" (164)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उनकी भाषा तथा संस्कृति के विकास तथा प्रगति में सहायता देने के लिए किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (165)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में अवैध खनन कार्य करने में लगे खान मालिकों द्वारा आदिवासियों के निरन्तर शोषण पर कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (166)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आणविक युद्ध का मुकाबला करने के लिए श्रमजीवी वर्ग तथा सभी प्रगतिशील समाज के अविलम्ब कार्य के लिए विश्व को आणविक विनाश से बचाने के लिए लोगों के समक्ष अमरीका तथा अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों का पर्दा-फाश करने के लिए आह्वान का कोई उल्लेख नहीं है।" (167)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में निर्वाचन सुधार के उपाय के रूप में समानुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (168)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पृथकतावादी तत्वों द्वारा जो खालिस्तान गणतंत्र के नाम पर कनाडा और अमरीका से हमारे देश के विरुद्ध अपना प्रचार कर रहे हैं, खालिस्तान आन्दोलन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (169)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब विवाद को हल करने में अत्यधिक विलम्ब का

जिसके फलस्वरूप अतिवादी नारों को और प्रोत्साहन दिया जा रहा है, कोई उल्लेख नहीं है।" (170)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में लगभग सभी नकली फसलों के मूल्य में तेजी से आई गिरावट का, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को कठिनाई उठानी पड़ रही है, कोई उल्लेख नहीं है।" (171)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में सूखाग्रस्त तथा तूफान प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की नितान्त अपर्याप्तता का कोई उल्लेख नहीं है।"(172)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की तीन देय किस्तों की अदायगी की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(173)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बम्बई कपड़ा मिलों के लाखों कर्मकारों की लम्बी हड़-ताल के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (174)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में न तो देश की तेजी से बढ़ रही विदेशी ऋणग्रस्तता का उल्लेख किया गया है और न ही यह आश्वासन दिया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आगे धन नहीं लिया जायेगा।" (175)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर कोई गम्भीरता नहीं दिखाई गई है कि सरकार ने हाई स्पीड डीजल तेल और मिट्टी के तेल जैसी वस्तुओं के मूल्य में संसद के बजट सत्र के ठीक पूर्व वृद्धि करने की एक प्रथा बना ली है।" (176)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रेलगाड़ियों में बारबार तथा निरन्तर हो रही डकैतियों के बारे में कोई गम्भीर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (177)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में ऊंची स्थिति के लोगों द्वारा सीमेंट जैसे नियंत्रित वस्तुओं के वितरण में कदाचार किया जाता है, उसका कोई उल्लेख नहीं है।" (178)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में गम्भीर आर्थिक संकट की ओर जिससे देश गुजर रहा है और जिसके गम्भीर सामाजिक परिणाम हो सकते हैं, सम्यक जागरुकता नहीं दिखाई गई है।" (179)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात की उपेक्षा की गई है कि आर्थिक व्यवस्था के कई क्षेत्रों में मन्दी तथा ह्रास हो रहा है।" (180)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात की ओर सम्यक चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है कि आर्थिक विषमतायें बढ़ रही हैं और साथ ही साथ और अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ रहे हैं।" (181)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि यद्यपि राष्ट्रीय आय वर्तमान मूल्यों के हिसाब से बढ़ रही है, किंतु राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय असली माने में स्थिर मूल्यों के हिसाब से दोनों ही घट रही हैं।" (182)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखिख जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सरकारी घोषणा तथा वायदों के बावजूद हरिजनों तथा समाज के अन्य दलित तथा पिछड़े वर्गों की दशा और अधिक बिगड़ रही है।" (183)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि देश के विभिन्न भागों में विशेषकर बिहार तथा उत्तर प्रदेश में हरिजनों पर निरन्तर नृशंस अत्याचार किये जा रहे हैं।" (184)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिलित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात की ओर जागरुकता नहीं दिखाई गई है कि जनजाति लोगों में केवल उनके आर्थिक तथा सस्कृति के विकास के लिए ही नहीं अपितु उनके राजनीतिक अधिकारों तथा अवसरों के लिए भी नये आंदोलन चल रहे हैं।"(185)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर कोई गौर नहीं किया गया है कि एकाधिकारियों के व्यापार-कदाचारों के फलस्वरूप गैर-सरकारी क्षेत्र में लघु उद्योग तथा माध्यम उद्योगों को भारी कठिनाई उठानी पड़ रही है।" (186)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बड़े व्यापार मंडलों तथा सत्तारूढ़ व्यक्तियों के बीच गहरे सम्पर्क से उत्पन्न खतरे का कोई संकेत नहीं दिया गया है।" (187)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकार के श्रमजीवी वर्ग विरोधी नीति का जो मजदूर संघों के अधिकारों पर आक्रमणों और अन्यथा दमनकारी उपायों द्वारा भी स्पष्ट हैं, कोई उल्लेख नहीं है।" (188)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सामूहिक हितसाधन की प्रक्रिया के अधिकार को मानने से सरकार द्वारा इंकार किये जाने के कारण समस्त देश में सरकारी क्षेत्रों के कर्मचारियों में प्रर्याप्त असंतोष का कोई उल्लेख नहीं है।" (189)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात की ओर कोई जागरुकता नहीं दिखाई गई है कि देश में औद्योगिक संबंध समान स्तर पर तब तक नहीं स्थापित किये जा सकते जब तक कि सरकार मजदूर संघों के प्राधिकारों को तथा कर्मकारों के सामूहिक हितसाधन के अधिकार को न माने।" (190)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् —

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि, शिक्षा के क्षेत्र में भय तथा भ्रांति है क्योंकि सरकार की कोई स्पष्ट लोकतंत्रात्मक शिक्षा नीति नहीं है।" (191)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् —

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में स्त्रियों के सम्मान की रक्षा के बारे में बड़ी बड़ी बातों के बावजूद स्त्रियों पर अपराधियों, समाज विरोधी तत्व और यहां तक कि पुलिस द्वारा भी अत्याचारों और बलात्कार से रक्षा करने के लिए कोई कारगर कार्यवाही करने का प्रस्ताव नहीं है।" (192)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में दिएगो गर्शिया में अमरीकी सैनिक अड्डे का बढ़ते विस्तार और हथियारों के संकेन्द्रण, जिसमें आणविक हथियार भी हैं, का कोई सम्यक उल्लेख नहीं किया गया है।" (193)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, भारत की विदेश नीति में साम्राज्यवाद विरोधी बात को दृढ़तापूर्वक कहने की अनिवार्यता और महत्ता पर बल नहीं दिया गया है।" (194)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, पश्चिमी विकसित देशों की संरक्षणवादी नीतियों के परिणामस्वरूप कुल विश्व-व्यापार में भारत के हिस्से की गिरावट होने की बात का उल्लेख नहीं किया गया है।" (195)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, राज्यों को अधिक शक्तियां देने और उन्हें और अधिक वित्तीय सहायता देने की दृष्टि से केन्द्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया गया है।" (196)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, निगम कर, सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क से प्राप्त हुई आय का हिस्सा राज्यों को देने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया गया है।" (197)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, उद्योगों में ठेके पर काम देने की पद्धति को समाप्त करना सुनिश्चित नहीं किया गया है।" (198)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि सरकारी प्रचार तन्त्र सरकारी वक्तव्यों तथा अन्य प्रचार सामग्री का आवश्यकता से अधिक प्रचार करता है और लोगों में धर्मनिरपेक्षता और लोकतन्त्र की भावना पैदा करने तथा सांप्रदायिक और विघटनकारी प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रचार करने में उपेक्षा करता है।" (204)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, इस बात पर गम्भीर रूप से ध्यान नहीं दिया गया कि हमारे देश में अमरीकी गुप्तचर विभाग तथा अन्य साम्राज्यवादी एजेंसियां, प्रतिक्रियावादी, विखंडनकारी तथा तोड़फोड़ करने वाली ताकतों को बढ़ावा देने की दृष्टि से सक्रिय हैं। (205)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई निरक्षरता को समाप्त करने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (206)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, बढ़ते हुए क्षेत्रीय असंतुलन और उसे ठीक करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (207)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और अल्पनियोजन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (208)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और उसको समाप्त करने के उपायों तथा बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (209)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, काले धन को प्रकाश में लाने में सरकार की विफलता के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है।" (210)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, ऋण माफ करने तथा सूदखोरी रोकने सम्बन्धी कानूनों, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, तथा ऐसे ही अन्य कानूनों को, जो सामाजिक और आर्थिक अत्याचारों को समाप्त करने के बारे में हैं, लागू करने में सरकार की लगभग पूर्ण असफलता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (211)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में, पाकिस्तान के सैनिक शासकों द्वारा न्यूट्रोन हथियारों से लैस अमरीकी एफ-16 आधुनिकतम विमानों को खरीदे जाने, जिनसे भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पैदा हो गया है, की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।" (212)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में, वयोवृद्ध कृषि श्रमिकों को पेंशन देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (213)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में, सभी बंद पड़े मिलों और कम्पनियों को सरकारी नियंत्रण में लेने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।"(214)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों को श्रमिक संघ संबंधी पूर्ण अधिकार और सभी लोकतांत्रिक अधिकार देने तथा पुलिस द्वारा सत्यापन की पद्धति को समाप्त करने के संबंध में, कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (215)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में, शिक्षा में मूलभूत सुधार करने हेतु संस्थाओं में विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व देने संबंधी उनके अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया है।" (216)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में, श्रमिक संघों को गुप्त मतदान द्वारा मान्यता दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (217)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में, देश में औषध उद्योग के राष्ट्रीयकरण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (218)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण मे, 'काम के अधिकार' को मूलभूत अधिकार बनाने हेतु संविधान मे संशोधन करने के लिए सरकार की असमर्थता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (219)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में, देश में दहेज के बढ़ते हुए अभिशाप और दहेज के कारण होने वाली अधिक मौतों का उल्लेख नहीं किया गया है।" (220)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में, विश्वविद्यालय अधिनियमों को लोकतन्त्रीय बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (221)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति तथा शिक्षा के क्षेत्र में दकियानूसी साम्प्रदायिक तथा लोकतन्त्र विरोधी विचार फैलाने वालों के विरुद्ध संघर्ष करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (222)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, भारतीय महिलाओं के प्रति इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि वे दकियानूसी और अर्ध-सामंतशाही दृष्टिकोण का शिकार बनी रहती हैं और संविधान में महिलाओं तथा पुरुषों के लिए समता की घोषणा के बावजूद उन्हें समान मजूरी सहित बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है।" (223)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में, अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा न केवल दिएगोगार्शिया बल्कि इस क्षेत्र के अन्य भागों में भी सैनिक अड्डे बनाकर हमारे देश की सुरक्षा और स्वतन्त्रता को अधिक खतरा उत्पन्न करने के लिए मुख्य अपराधी नहीं ठहराया गया है।" (552)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न भागों में धन शक्ति के प्रभुत्व की अत्यधिक वृद्धि होने पर गहरी चिन्ता प्रकट नहीं की गई है।" (553)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कार्मिक संघ आंदोलन और राजनीतिक विपक्षियों तथा श्रमिकों के लोकतांत्रिक संघर्षों को दबाने के लिए एन एस ए और एस्मा के दुरुपयोग के विरुद्ध कड़ी चेतावनी नहीं दी गई है।" (554)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में साम्राज्यवाद विरोधी तत्व पर, जिसे उसके सिद्धांतों तथा शांति स्वतंत्रता और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के लिए और लगातार मजबूत बनाया जाना है, पर कोई बल नहीं दिया गया है।" (555)

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों का छोटे राज्यों में पुनर्गठन करने के लिए ताकि क्षेत्रीय असमानतायें दूर हो सकें और संतुलित तरीके से प्रशासनिक सुधार और विकास योजनाएं लागू की जा सकें, राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (241)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सीमेंट, कोयला, कागज, चीनी, लोहा, डीजल और

उर्वरकों के व्यापार में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए इन वस्तुओं पर से नियंत्रण हटाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (242)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अभूतपूर्व अकाल और सूखे से पीड़ित छोटा नागपुर (बिहार) को केन्द्रीय सहायता देने के लिये प्रभावी कदम उठाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (243)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्वीकृत ग्राम विकास कार्यक्रमों तथा लघु और सीमांतिक कृषक विकास कार्यकरण की योजना के सुनियोजित कार्यों में समुचित निदेश करने का कोई उल्लेख नहीं है बल्कि ऋण नीति को सरल बनाने तथा ग्रामीण ऋण ग्रस्तता के समाप्त करने और राष्ट्रीय सम्पन्नता में वृद्धि करने में राष्ट्रीयकृत बैंकों को और अधिक भूमिका निभाने के लिये एक राष्ट्रीय निर्णय लिये जाने की आवश्यकता है।" (244)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हर गांव में उठाऊ सिंचाई योजनाओं, माध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं तथा विद्युत सप्लाई और भूमि समतल बनाने में लगे हुए विभिन्न कार्यकरणों के प्रयासों में सामंजस्य लाये जाने और लोगों में इनके प्रति रुचि उत्पन्न करने का कोई उल्लेख नहीं है ताकि "हर खेत को पानी और हर हाथ को काम" के आदर्श राष्ट्रीय विचार को व्यावहारिक बनाया जा सके।" (245)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि विदेशी एजेंट पेट्रोडालर की सहायता से बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं।" (246)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है कि संविधान के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय भाषा हिन्दी को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है।" (247)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सरकार यह पता लगाने में असफल रही है कि देश में हुए साम्प्रदायिक दंगों के पीछे किन तत्वों का हाथ था।" (248)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि अभी तक देश में कोई राष्ट्रीय समान शिक्षा नीति नहीं अपनाई गई है।" (249)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में छठी योजना के दौरान 1000 से 1500 तक की आबादी वाले ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़े जाने का कोई उल्लेख नहीं है जैसा कि राष्ट्रीय आयोजन सम्बन्धी जयकर समिति ने सिफारिशें की हैं।" (250)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोगों के जीवन स्तर को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए सरकारी उपक्रमों में अनिवार्यतः स्थानीय लोगों को रोजगार देने का कोई उल्लेख नहीं है।" (251)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में दवाइयों, औषधियों और अन्य उपकरणों की कमी का कोई उल्लेख नहीं है।" (252)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में शहरों की निरन्तर वृद्धि और लाखों रुपए की लागत वाले भवनों के निर्माण में पैसा लगाकर करों की चोरी करने और इस प्रकार अपनी पूंजी को बढ़ाने तथा गरीबों का शोषण करने और राष्ट्रीय हित में इन नव पूंजीपतियों पर क़राधान की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (253)

कि प्रस्ताव के अंत मे यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय श्रमिकों को विदेशों में काम करने के लिए सप्लाई करने वाले लाइसेंस शुदा एजेंटों के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखने की दिशा में सरकार द्वारा कोई रचनात्मक कार्यवाही न किये जाने तथा इन एजेन्सियों का सरकारीकरण करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (254)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भारत में उद्योग लगाने हेतु विदेशों से अपने साथ मशीनरी तथा अन्य उपकरण लाने की इजाजत देने तथा इस पर कोई शुल्क न लगाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (255)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को घाटे में चलने तथा उनके कुप्रबन्ध तथा प्रबंधक मंडल को उत्तरदायी ठहराने की आवश्यकता तथा इन उपक्रमों में राजनीतिक नियुक्तियों पर पूरी तरह रोक लगाने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं हैं।" (256)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सभी सरकारी उपक्रकों के उत्पादन का अनुमान लगाने तथा उनमें काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किये जाने वालेकार्य का लेखा-जोखा रखने, जिसके आधार पर उन्हें पदोन्नति तथा अन्य लाभ दिए जायें, की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (227)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पिछड़े वर्ग द्वारा अन्य वर्गों के साथ समानता के लिए छेड़ी गई लड़ाई को समाप्त करने के लिए हरिजनों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों को प्राथमिकता तथा जनसंख्या में उनके अनुपात के आधार पर इंजीनियरी, तकनीकी तथा प्रशिक्षण संस्थानों में स्थान देकर उनको समाज के अन्य वर्गों में समकक्ष लाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (58)

कि यह प्रस्ताव के अंत में जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि राष्ट्र के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत क्षेत्र में वन सुरक्षित करने, वनरोपण के कार्य करने तथा वनों की अवैध कटाई, वनपालों, वनरक्षकों एवं अन्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को वन क्षेत्र के स्थानीय लोगों में से नियोजन करके वन काटने पर पूरा उत्तरदायित्व नहीं सौंपने तथा राजनीतिक प्राणियों एवं वन अधिकारियों द्वारा वन काटे जाने के कार्यों को रोकने संबंधी कोई कारगर कदम उठाने की चर्चा नहीं की गई है।" (259)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में असम में चुनाव 14 से 20 फरवरी 1983 तक हो रहा है, जिसमें हिंसा, पुलिस द्वारा गोलीकाण्ड में अभी तक कोई 500 व्यक्तियों की निर्मम हत्या हो चुकी है, का उल्लेख नहीं है।" (260)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण ने पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन के संदर्भ में अकालियों से हो रही वार्ता के असफल होने का उल्लेख नहीं है।" (261).

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि सभी चुनावों में प्रत्याशियों का चुनाव खर्च सरकार द्वारा वहन करने का उल्लेख नहीं है।" (262)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में छोटा नागपुर एवं संथाल परगना में शिक्षा की कमी दूर करने के लिए हर प्रखण्ड में कालेज तथा तकनीकी शिक्षा के लिए पोलिटेकनीक संस्थाओं की स्थापना एवं कृषि या कामर्स कालेज की स्थापना सरकारी स्तर पर खुलवाने तथा हजारीबाग में विश्वविद्यालय की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में कर के समान स्तर पर वहां की दो करोड़ जनता को शिक्षा सुलभ कराने की दिशा में कोई उल्लेख नहीं है।" (263)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में छोटा नागपुर एवं संथाल परगना के 11,500 समस्यामूलक गांवों में 'पेयजल' की आपूर्ति करने में असफलता जिसके कारण हरिजन वनवासियों तथा कमजोर वर्गीय लोगों द्वारा एक दो किलोमीटर दूर से गंदा जल लाकर पीने, बीमारीग्रस्त होने का उल्लेख नहीं है।" (264)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में छोटा नागपुर एवं संथाल परगना के अन्तर्गत चल रहे सभी उपक्रमों, कोयला/अभ्रक उद्योगों, लोहा उद्योगों तथा अन्य खनिज उत्खननों में 800 रुपये तक न्यूनतम वेतनमान के सभी पदों पर स्थानीय जिलों तथा प्रखण्डों की जनता को प्राथमिकता देकर नियोजन नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (265)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हरिजनों की की जा रही सामूहिक हत्याओं को रोकने और उन्हें अत्याचारों से बचाने के लिए कुछ प्रभावी उपाय अपनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (266)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हरिजनों, आदिवासियों और अन्य दुर्बल वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए तथा एक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार की गारन्टी देकर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हेतु उपाय अपनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (267)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम से विदेशियों को अन्यत्र भेजने के लिए ताकि वहां बढ़ती हुई जनसंख्या का भार कम हो सके और पूर्वोत्तर राज्यों में कानून तथा व्यवस्था पुनः स्थापित हो सके इस दिशा में सरकार द्वारा उपाय न करके जिस अदूरदर्शिता का परिचय दिया गया है उसका उल्लेख नहीं है।" (268)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में क्षेत्रीय असंतुलन और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक उपेक्षित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक बड़ा उद्योग और एक लघु उद्योग की स्थापना करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (269)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होने और स्वतंत्रता के 35 वर्ष के बाद भी लगभग 2 लाख गांवों में दुर्बल वर्गों को पेय जल सुलभ करने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (270)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए आबंटित धनराशियों का उपयोग करने में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं है।" (271)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ तथा राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किये जाने तथा कृषि उत्पादों के लिये लाभप्रद मूल्य दिए जाने के बावजूद किसानों से उनके उत्पाद खरीदने और उन्हें न्यूनतम मूल्य देकर निर्यात एजेंसियों की मदद कर रहे हैं और सरकार इस प्रवृत्ति को रोकने में विफल रही है।" (272)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कदाचारों से मुक्त करने और इस प्रकार इस प्रणाली में सुधार लाने के लिए उचित दर की दुकानों के मालिक वेतन के आधार पर नियुक्त करने की आवश्यकता की ओर गंभीर रूप से ध्यान देने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (273)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अभ्रक परिष्करण कार्य में लगे लाखों श्रमिकों के लिए उचित वेतन तथा मजूरी और अन्य कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करने के लिए अभ्रक मजूरी बोर्ड गठन करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (274)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

'किंतु खेद है कि अभिभाषण में दुर्बल वर्गों के 5000 अभ्रक बिक्रेताओं तथा अभ्रक खानों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों के लिए जिनके लिए भारतीय अभ्रक निगम बनाया गया है राहत सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (275)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

'किंतु खेद है कि अभिभाषण में बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने के बाद उन्हें राष्ट्र के निर्माण कार्यों में लगाने की किसी योजना का उल्लेख नहीं है।" (276)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में छोटा नागपुर और संथाल परगना के खनिजों से होने वाली 50,000 करोड़ रुपये की वार्षिक आय में खनिज उपकर के रूप में प्राप्त 410 करोड़ रुपए इस क्षेत्र की चहुमुखी प्रगति के लिए प्रतिवर्ष वितरित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (258)

श्री बाबराव परांजपे (जबलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है अभिभाषण में आसाम में हाल ही में हुई उन व्यापक हिंसाओं व आगजनी की घटनाओं का उल्लेख नहीं किया गया है जो कि आसाम में सार्वजनिक विरोध तथा व्यापक प्रदर्शनों के बावजूद वहां चुनाव थोपे जाने के कारण हुई है।" (298)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा तथा दिल्ली में हुए चुनावों में सरकारी मशीनरी के व्यापक दुरुपयोग पर अभिभाषण में कहीं भी चिन्ता प्रकट नहीं की गयी है।" (299)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर चिन्ता प्रकट नहीं की गई है कि आसाम में जो चुनाव हाल ही में हुए हैं वे निष्पक्ष और स्वतंत्र वातावरण में नहीं किए गए हैं।" (300)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब समस्या का सरकार द्वारा संतोषजनक समाधान न किए जाने पर कोई चिन्ता प्रकट नहीं की गई है।" (301)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि बम्बई कपड़ा मिल मजदूरों की लम्बे समय से चली आ रही हड़ताल को समाप्त कराने में सरकार की असमर्थता का अभिभाषण में कहीं उल्लेख नहीं है और न ही हड़ताल से पीड़ित लाखों मजदूर परिवारों की कोई समयबद्ध राहत दिए जाने का कोई आश्वासन दिया गया है।" (302)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों के हित संरक्षण के लिए ऐसे किसी सुझाव का उल्लेख नहीं है जिसके अनुसार, खेती में लगने वाली वस्तुओं के मूल्यों के अनुपात में, किसानों को उनकी उपज का मूल्य निश्चित किए जाने का आश्वासन हो।" (303)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्देश की सरकार द्वारा अवहेलना किए जाने पर अभिभाषण में कोई चिन्ता प्रकट नहीं की गयी कि बड़ी संख्या में जेलों में बन्द ऐसे सभी हवलातियों को मुक्त किया जाना चाहिए जो कि उतनी कैद से ज्यादा जेल में रह चुके हैं, जितनी कि उन्हें सजा मिलने पर होती।" (304)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये मकानों और स्कूलों के इस्तेमाल होने के पहले ही, गिरने तथा बाद में भी उनके निर्माण सम्बन्धी अनेकानेक शिकायतों के न सुधारे जाने से उत्पन्न स्थिति का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (305)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि सेना, नौसेना तथा वायुसेना में सेवारत अफसरों व कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर बहुत निराशाजनक होने पर तथा कई श्रेणियों के वेतनमान सिविल सेवाओं में उनकी समकक्ष श्रेणियों से कम होने पर, अभिभाषण में कोई चिन्ता प्रकट नहीं की गयी है।" (306)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि पैंशन पाने वाले सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए अभिभाषण में ऐसा कहीं कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि न्यूनतम पारिश्रमिक से कम पैंशन किसी को भी नहीं मिलेगी।" (307)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में न तो इस बात पर चिन्ता प्रकट की गयी है कि भारत में चुनाव, अधिक से अधिकतर खर्चीले होते जा रहे हैं जो कि लोकतंत्रीय प्रणाली के लिए खतरनाक हैं और न ही इस बात पर दुःख प्रकट किया गया है कि चुनाव सम्बन्धी सुधारों के प्रति आवश्यक सक्रिय रुचि लेने के बजाय, सरकार सुधारों के निर्णय को कोई न कोई बहाना बनाकर वर्ष-दर-वर्ष टालती जा रही है। (308)

श्री इ० के० इम्बोयाबावा (कालीकट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्व में विकास की पूंजीवादी प्रणाली के संकट तथा तृतीय विश्व के देशों में अनुभव किये जा रहे अपरिहार्य परिणामों का कोई उल्लेख नहीं है।" (313)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि विकास के पूंजीवादी मार्ग को बदले बिना भारत को समाजवादी गणतंत्र घोषित किए जाने के बावजूद अधिकांश जनता भूखमरी का शिकार है। इसलिए, वर्तमान आर्थिक नीति में आमूल्य परिवर्तन किया जाना चाहिए तथा विकास का गैर-पूंजीवादी मार्ग निर्धारित किया जाना चाहिए।" (314)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि भारत-चीन बातचीत के तीन दौरों के बावजूद भी सीमा समस्या पर कोई मैत्रीपूर्ण समझौता नहीं हो पाया है और निकट भविष्य में किसी मैत्रीपूर्ण समझौते पर पहुंचने के लिए उदार नीति अपनाई जानी चाहिए।" (315)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में लाखों बेरोजगार युवकों को रोजगार देने संबंधी कार्यक्रम तथा उनको बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।" (316)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।" (317)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा 272 अंक पार कर जाने पर, तीसरे वेतन आयोग की वेतन संशोधन संबंधी सिफारिशों का कार्यान्वयन करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (318)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों को सम्पूर्ण मजदूर संघ अधिकार दिये जाने तथा सत्यापन प्रणाली को समाप्त करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।" (319)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुप्त मतदान द्वारा मजदूर संघों को मान्यता दिए जाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।" (320)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर मतदान अधिकार का मौलिक अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"(321)

श्री एम० रमन्ना राय (कासरगोड) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त करने के प्रयासों का कोई उल्लेख नहीं है।" (354)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में न्यायपालिका को कमजोर बनाने संबंधी जान बूझकर किये गए प्रयासों का कोई उल्लेख नहीं है।" (355)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

'खेद है कि अभिभाषण में किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य देने का कोई उल्लेख नहीं है।' (356)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक तरफ 20 प्रतिशत अमीर व्यक्तियों तथा दूसरी तरफ 80 प्रतिशत गरीब व्यक्तियों के बीच बढ़ती सामाजिक-आर्थिक खाई का कोई उल्लेख नहीं है।" (406)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे लाखों नौजवान लड़कों और लड़कियों को, जो वर्षों से बेरोजगार हैं तथा निकट भविष्य में उन्हें रोजगार मिलने की कोई आशा नहीं है, प्रतिमाह 150/- रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का कोई उल्लेख नहीं है।" (407)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारी जनसंख्या के लगभग 50 प्रतिशत लोगों का, जो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जीवन-स्तर उठाने के लिए कोई प्रभावी आर्थिक कार्यक्रम शुरू करने का कोई उल्लेख नहीं हैं।" (408)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बी. पी. मंडल पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिवेदन को लागू करने, ताकि अखिल भारतीय सरकारी सेवाओं समेत सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों को, जो जनसंख्या के 52 प्रतिशत हैं, उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, का कोई उल्लेख नहीं है।" (409)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का संवैधानिक आरक्षण कोटा को पूरा करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है जो आजादी के 35 वर्षों के पश्चात् भी 8 प्रतिशत से कम है।" (410)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यकों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रयत्न न करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (411)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में साम्प्रदायिक तथा पृथकतावादी तत्वों की वृद्धि को रोकने हेतु ठोस कदम उठाने तथा सम्प्रदायिक षडयंत्र करने वाले और निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करने वाले तथा सम्पत्तियों को बरबाद करने वाले व्यक्तियों को मृत्यु दंड देने की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।" (412)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यकों में बढ़ती असुरक्षा की भावना को दूर करने तथा उनका आर्थिक विकास करने हेतु प्रभावी उपाय करने का उल्लेख नहीं है।" (413)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नौकरशाही विशेषकर पुलिस तथा प्रान्तीय सशस्त्र-वाहिनी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा सीमा सुरक्षा बल जैसे संगठनों के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को सुदृढ़ करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (414)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रीय आय को वितरित करने में प्राथमिकता उन वर्गों को, जो शताब्दियों से सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित रहे हैं, दी जाये।" (415)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रभावी रूप से भूमि-सुधारों को लागू करने तथा भूमि वितरण करने और ग्रामीण उत्थान पर विशेष ध्यान ध्यान देने का कोई उल्लेख नहीं है।" (416)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान हेतु प्राथमिकता के आधार पर धन की व्यवस्था करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (417)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शैक्षणिक प्रणाली में सुधार करने तथा शिक्षा में एकरूपता लाने, ताकि सभी बच्चों को उनके मां-बाप की आर्थिक पहुँच के अन्दर अच्छी शिक्षा मिल सके, का कोई उल्लेख नहीं है।" (418)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में शांतिपूर्ण औद्योगिक वातावरण में गिरावट तथा मजदूरों में क्षोभ की बढ़ती हुई भावना का कोई उल्लेख नहीं।" (419)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में उपभोक्ता वस्तु उद्योग में बहुराष्ट्रीक निगमों के प्रवेश पर प्रभावी प्रतिबन्ध लगाने और कुटीर लघु तथा मध्यम उद्योग का, जो बुनियादी रूप से रोजगार देने के लिए उत्तरदायी हैं, विकास करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (420)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिन्द महासागर को 'शांति का क्षेत्र' रखने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रभावी उपाय करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (421)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि आसाम में हाल ही में हुए चुनाव में मतदाताओं के विरुद्ध जो अभूतपूर्व आतंकपूर्ण प्रचार किया गया है, उसका अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (480)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब की समस्या को सुलझाने में सरकार की

विफलता, जिसके कारण उग्रवादियों के अड्डे मजबूत होते जा रहे हैं, का कोई उल्लेख नहीं है।" (481)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विघटनकारी, विखंडनकारी और अलगाववादी ताकतों की बढ़ती हुई गतिविधियों को, जिनसे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो रहा है, समाप्त करने के लिए, किसी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।" (482)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बड़ोदा और त्रिवेंद्रम में, जहां हाल में ही साम्प्रदायिक ताकतों के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (483)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के विभिन्न स्थानों, विशेष रूप से संथाल परगना में आदिवासियों पर किये गए अत्याचार और दमन के बारे में कोई उल्लेख नहीं हैं।" (484)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गत 13 महीनों से चली आ रही बम्बई कपड़ा-मिल हड़ताल को समाप्त करने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (485)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लगभग सभी वाणिज्यिक फसलों के तेजी से गिरते हुए मूल्यों को रोकने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (486)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सूखा और तूफान से ग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त राहत कार्य प्रदान करने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं हैं।" (487)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमिक वर्ग को उसके वैध श्रमिक संघ अधिकारों और लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने हेतु सरकार द्वारा जानबूझकर किए गए प्रयास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (488)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की तीन देय किस्तों का भुगतान किये जाने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (489)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कृषि श्रमिकों के मामलों में न्यूनतम मजूरी अधिनियम को लागू करने और उन्हें पुलिस की सांठगांठ से जमीदारों द्वारा उन पर किये गये अत्याचारों और दमन से बचाने में अब भी व कानून सम्मत न्यूनतम मजूरी मांगते हैं, सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है ." (490)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में आकर अपनायी गई उदार आयात नीति के खतरे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (491)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एकाधिकार गृहों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इस समय दी जा रही आर्थिक और वित्तीय रियायतों को कम करने के बारे में किसी नीति उल्लेख नहीं है।" (492)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्य पदार्थों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में हो रही भारी वृद्धि को रोकने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (493)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में मिट्टी के तेल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि की घोषणा जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा स्फीति में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी और जिससे निर्धन लोगों का कष्ट और बढ़ेगा तथा जिससे संसद के प्रति अपमान भी प्रकट होता है, का कोई उल्लेख नहीं है।" (494)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का विस्तार करने और उसे सुदृढ़ बनाने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (495)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में मार्च, 1983 में दिल्ली में हो रहे गुट-निरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षों के सम्मेलन में गुट-निरपेक्ष आंदोलन की साम्राज्यवाद विरोधी आवाज को कम करने और समाप्त करने के कुछ पक्षों के सुनियोजित प्रयास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (496)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में वास्तविक भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने के किसी कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।" (497)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में उच्च स्तर पर बढ़ते हुए भ्रष्टाचार का कोई उल्लेख नहीं है।" (498)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

'किंतु खेद है कि अभिभाषण में दल-बदल पर रोक सहित व्यापक चुनाव सुधार लाने के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।" (499)

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बगाल राज्य में दार्जिलिंग के लोगों को क्षेत्रीय स्वायत्तता देने के बारे में कोई उल्लेख नही है।" (527)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता देने तथा इसे भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (528)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग और उत्तरी बगाल के अन्य भागों में विदेशी पर्यटकों पर लगाये गये प्रतिबन्ध को उदार बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (529)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आर्थिक रूप से पिछड़े दार्जिलिंग जिले के औद्योगिक विकास के लिए विशिष्ट केन्द्रीय निवेश के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (530)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चाय उद्योग, जो उत्तरी बंगाल तथा दार्जिलिंग जिले का एकमात्र आर्थिक सहारा है, की रुग्णता दूर करने हेतु शीघ्र उपाय करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (531)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग जिले में रुग्ण चाय-बागानों तथा बन्द पड़े चाय बागानों का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबन्ध-ग्रहण करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(532)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग पर्वतीय चाय बागानों के सुधार हेतु 42 करोड़ रुपये की तैयार की गई स्कीम को प्रभावी तथा उचित ढंग से लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (533)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग और उत्तरी बंगाल के अन्य भागों में कुटीर तथा लघु उद्योग स्थापित करने के लिए शिक्षित बेरोजगारों तथा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें सहायता प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (534)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग और उत्तरी बंगाल के अन्य भागों में वनों में पाये जाने वाले कच्चे माल की प्रचुरता को देखते हुए वन पर आधारित लघु उद्योग स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (535)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर बंगाल के केंद्रीय स्थान पर एक कागज मिल स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (536)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्त खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग, जो पर्यटन संवर्धन के लिए विश्व में एक सुन्दरतम स्थान है, के विभिन्न भागों में पर्यटन स्थल स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (537)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग जिले में जहां की नदियों में पूरे वर्ष पानी बहता है, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए लघु-मध्यम पन-बिजली परियोजनाओं की स्थापना करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (538)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिमी बंगाल में पश्चिमी दिनाजपुर जिले में इस्लाम पुर में एक ताप बिजली घर स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (539)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिमी बंगाल में पश्चिमी दिनाजपुर जिले में इस्लामपुर, चोपरा, बालूरघाट, रायगंज तथा अन्य भागों में लघु उद्योग स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (540)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग में विशेष तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए तकनीकी स्कूलों और कालेजों की स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं, जबकि उपरोक्त जिले में ऐसे तकनीशियनों की अत्यधिक कमी है।" (541)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग जिले में सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (542)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिमी बंगाल सरकार के समान नेपाली भाषा को सभी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और संस्थाओं में सभी प्रकार के सरकारी कार्यों के लिए लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (543)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि में वृद्धि करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (544)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग में चाय उद्योग से एकत्र की गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा अन्य शुल्कों और करों के एक भाग का आवंटन इस जिले के सम्पूर्ण विकास के लिए तथा चाय उद्योग के विकास के लिए भी किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (545)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जलपाईगुड़ी और कलकत्ता के बीच दार्जिलिंग मेल के अलावा एक और तेज गति की गाड़ी चाल करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (546)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में न्यू जलपाईगुड़ी से नई दिल्ली तक एक और गाड़ी चालू करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (547)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर सीमान्त रेलवे के अंतर्गत दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के विकास और विस्तार तथा इस आकर्षित खिलौनागाड़ी के लिए उपयुक्त इन्जनों तथा डिब्बों के निर्माण के लिये एक आधुनिक फैक्टरी की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।" (548)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात्

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग के चाय उद्योग के लिए कोयला, उर्वरक आदि ले जाने हेतु पर्याप्त मात्रा में वैगनों की व्यवस्था करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (549)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र के हितों के विरुद्ध और विशेष रूप रूप से सिलिगुड़ी के हितों के विरुद्ध पी०ओ०एच० डीजल ओवर हालिंग सेंटर के प्रस्तावित स्थानान्तरण का कोई उल्लेख नहीं है।" (550)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में पश्चिमी दिनाजपुर जिले में तपन, दरनालघाट और बेलूरघाट होकर एकलाथी स्टेशन से दिल्ली तक नई रेल लाईन बिछाने में कोई उल्लेख नहीं है।" (551)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति जी, इस साल राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ है, मैं समझता हूँ कि एक ऐसे मौके पर उन्होंने सारे देश का ध्यान कुछ मौलिक समस्याओं की तरफ खींचा है जो सारे देश के लिए चिन्ता का विषय बनी हुई हैं। यह एक ऐसा अवसर होता है जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर इस सदन में राष्ट्रीय नीतियों पर, चाहे वे सामाजिक नीतियां हों, आर्थिक नीतियां हों, देश की प्रशासन व्यवस्था के सम्बन्ध में हों, समाज के विभिन्न वर्गों की आर्थिक, सामाजिक स्थिति के बारे में हों, सारी दुनिया की स्थिति के बारे में हों, विचार करने का अवसर मिलता है। इस साल के अभिभाषण में वही अवसर हमें एक बार पुनः प्रदान किया गया है।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के शुरू में ही इस बात को कहा है कि हमारे देश ने इस आर्थिक संकट के समय में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं।

और बहुत से ऐसे काम सरकार ने किये हैं, जिनसे हमारे देश का उत्पादन बढ़ा है। हमने अपने देश में मुद्रा-स्फीति को रोकने में कामयाबी हासिल की है और प्रगति की तरफ देश कदम बढ़ा रहा है। इस बात की उन्होंने चर्चा की है और मैं समझता हूं कि इस बात पर ज्यादा विवाद नहीं है कि आजादी के बाद देश निरन्तर प्रगति कर रहा है। देश की राष्ट्रीय आय निरन्तर बढ़ती हुई चली जा रही है और देश का चतुर्मुखी विकास और प्रगति हुई है। इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है लेकिन जिस बात की तरफ राष्ट्रपति जी ने ध्यान नहीं दिया है और जो सबसे बड़ी चिन्ता की बात है, वह यह है कि बावजूद इसके कि देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है देश का उत्पादन कृषि के क्षेत्र में बढ़ रहा है, उद्योगों के क्षेत्र में बढ़ रहा है, बिजली के क्षेत्र में बढ़ रहा है और देश का आयात-निर्यात बढ़ रहा है लेकिन

इस उत्पादन का लाभ इस देश में किसको हो रहा है। आज देश में सबसे अधिक चिन्ता की बात जो है वह यह है कि देश के इस बढ़ते हुए उत्पादन का लाभ समाज के 20 फीसदी अमीर लोगों को, चाहे वे उद्योगपति हों, चाहे बड़े व्यापारी हों, चाहे बड़े सरकारी कर्मचारी हों या राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ ऐसे लोग हों जो जनहित स्वार्थों की जगहों पर बैठे हुए हैं, आज इन सब को ही इसका मुख्य लाभ मिल रहा है, आज चिन्ता इस बात की है कि देश में आजादी के बाद जितना समय बीतता जा रहा है उतनी ही गरीबी देश में बढ़ती चली जा रही है। आज हिन्दुस्तान में सभी इस बात को मानते हैं और मैं विरोधी दल की तरफ से यह नहीं कह रहा हूं बल्कि हमारा जो नियोजन विभाग है, वह भी इस बात को मानता है और सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है। देश के अर्थशास्त्री भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि देश की आजादी का लाभ गरीब लोगों को नहीं मिला है और देश का आधा हिस्सा यानी 30-35 करोड़ लोग आज भी निहायत गरीबी की जिन्दगी बसर कर रहे हैं और गरीबी की रेखा के नीचे हैं और उनकी जिन्दगी बहुत मुश्किल होती जा रही है। इसलिए कि रुपये की कीमत बराबर घटती जा रही है और बावजूद इसके कि मुद्रा-स्फीति नियंत्रण में आ गई है लेकिन सच्चाई यह है कि महंगाई इस देश में बराबर बढ़ रही है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि पिछले साल पौने दो रुपये प्रति किलो गेहूं बाजार में मिल रहा था और आज वही गेहूं 3 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। यही स्थिति चावल के दामों की है। खाने के तेलों की कीमतें, दवाओं की कीमतें, कपड़े की कीमतें, किसानों के लिए रासायनिक खादों की कीमतें, बिजली की कीमतें, रेलों का भाड़ा, यातायात के साधनों का भाड़ा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सबकी सब चीजें महंगी होती जा रही हैं। आज हमारे देश की स्थिति यह है कि जहां हमारे स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों से लाखों नौजवान लड़के-लड़कियां शिक्षित होकर निकल रहे हैं, वहां इस देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। मुझे दुःख है साथ ही कहना पड़ता है कि हिन्दुस्तान के विद्यालय और विश्वविद्यालय आज बेकारों को पैदा करने के कारखाने बन गये हैं। यह हमारे लिए एक चिन्ता का विषय है।

आज हमारे देश में दो वर्ग हो गये हैं। 20 प्रतिशत आदमी एक तरफ, जिनकी आमदनी बढ़ रही है, जिनकी सुविधाएं बढ़ रही हैं, जिनकी पुरानी कारों की जगह पर नई कारें आ रही हैं, जिनके पुराने मकानों की जगह पर नये बंगले बन रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ वे 80 प्रतिशत आदमी हैं, जिनके अगर मकान गिर जाते हैं, तो वे मकान नहीं बनवा सकते हैं। उनके बच्चे पढ़ लेते हैं, तो उनको नौकरी नहीं मिलती है और उनके जीवन का स्तर बराबर नीचे गिरता चला जा रहा है।

राष्ट्रपति जी ने ठीक कहा है कि देश में ऐसी ताकतें हैं, जो बंटवारा करना चाहती हैं, देश का विघटन करना चाहती हैं, साम्प्रदायिक दंगे फैलाना चाहती हैं, देश के विभिन्न वर्गों के अंदर नफरत का वातावरण पैदा करना चाहती हैं, बढ़ रही हैं। यह चिन्ता की बात है। ऐसी ताकतें अगर बढ़ेंगी, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और भाषा के नाम पर हमारे देश के विभिन्न वर्गों के बीच नफरत पैदा करें तो हमारी राष्ट्रीय अखण्डता, राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी और इससे देश की स्वतन्त्रता खतरे में पड़ जाएगी। आसाम में जो कुछ हुआ है, कल हमने उसकी चर्चा की थी। उससे लोगों का दिल रो रहा है। आज इस देश की

प्रधानमन्त्री ने इस सदन में कहा कि उनकी बोलने की हिम्मत नहीं है, उनका दिल रो रहा है क्योंकि वे अपने आप स्थिति को देख कर आई हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि यह स्थिति आज हमारे देश में क्यों है ? जहाँ इस खतरे की तरफ हमारे राष्ट्रपति जी ने ध्यान दिया है, वहां हमें सोचना है कि ये ताकतें क्यों बढ़ रही हैं, उसका इस अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक-सामाजिक विषमता से आम जनता में असन्तोष बढ़ता है, मायूसी होती है, गुस्सा पैदा होता है, निराशा पैदा होती है तब उसका लाभ प्रतिक्रियावादी ताकतें, विघटन कारी ताकते हमेशा उठा कर अपने को और मजबूत करती हैं।

चिन्ता की बात है कि इस देश में विघटनकारी ताकतें बढ़ रही हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में कदम उठाने पड़ेंगे। आज वक्त आ गया है जबकि सरकार को सोचना पड़ेगा कि 35 साल की आजादी के बाद भी क्यों बेरोजगारी पर, गरीबी पर हम नियन्त्रण नहीं कर पा रहे हैं। क्यों यह हो रहा है कि आज भी देश में लाखों ऐसे गांव हैं जहां सड़कें नहीं बन सकीं, स्कूलों की इमारतें गिर गयीं, वे नहीं बन सकीं। देश में हजारों-लाखों ऐसे गांव हैं जहां पीने का पानी नहीं मिल सकता। क्या यह हमारे लिए चिंता की बात नहीं है ?

हमारे देश में एशियाई खेलों को करके कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा करिश्मा हासिल किया गया है। मैं मानता हूं कि हमारे पास समय कम था और जिस तरह से परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, उसमें एशियाई खेलों को खूबसूरती के साथ, अच्छे ढंग से संचालित किया गया है। श्री बूटा सिंह जी और दूसरे जिन्होंने इस काम को किया वे मुबारकबाद के पात्र हैं। पर लोग-पूछते हैं, मैं रेल की यात्रा कर रहा था, मुझ से एक साधारण आदमी ने पूछा कि साहब एशियाई खेल 16 महीने के कम समय में बहुत खूबसूरती के साथ कर लिये गये लेकिन 35 साल के अंदर इस देश के गांवों में रहने वाले लाखों आदमियों को क्या पीने का पानी नहीं मिल सका ? शायद गांवों के रहने वाले लोगों को पीने का पानी इसलिए नहीं मिल पाया कि उसके लिए उतना ही मजबूत इरादा नहीं था, उसके लिए वैसी प्राथमिकता नहीं थी, उसकी तरफ वैसा ही ध्यान नहीं है। एशियाई खेल को अच्छी तरह से करने के लिए सरकार के पास इरादा था, ध्यान था। यह बात आज एक साधारण आदमी पूछता है।

मैं समझता हूं कि अब सरकार को इन बातों पर गम्भीरता से सोचना चाहिए। मुझे प्रशंसा होती यदि राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण में कहते कि 35 वर्ष की आजादी और संविधान के लागू होने के 33 वर्ष बाद अब समय आ गया है कि हम बैठकर पुनः विचार करें कि हमारी राष्ट्रीय संस्थाओं में कहां कमी है, देश के प्रशासनिक तंत्र या नौकरशाही में क्या कमी है ? क्यों नहीं वह आम जनता का दिल जीतती है ? क्यों नहीं जनता की सेवा का साधन बनी है ?

श्रीमान् ब्रह्मानन्द रेड्डी जी ने ठीक ही कहा कि देश का इन्टेलिजेन्स ठीक तस्वीर सामने नहीं रखता है। देश की जनता के बीच में जो ऐसी ताकतें काम करती हैं उनको खबरदार करना चाहिए। इसके साथ-साथ मेरे विचार से हमारी पुलिस, प्रशासनिक तंत्र और नौकरशाही का भी पुनर्गठन होना चाहिए। क्यों इस देश की पुलिस साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में पूरी तरह से

नाकामयाब होती है ? क्यों इस देश में दंगों की साजिश करने वालों को सजा नहीं होती है ? मेरठ में साम्प्रदायिक दंगे किसने करवाये ? उस दंगे के अपराधियों का क्या अब तक पता चला ? और क्या उनको सजा हुई ? मुरादाबाद में दंगे कराने वालों को फांसी क्यों नहीं दी गयी ? इस देश में एक आदमी को मार देने वाले को फांसी होती है लेकिन सैकड़ों, हजारों निर्दोष मां-बहिनों और छोटे-छोटे मासूम बच्चों की हत्या करने वालों का कोई पता नहीं चलता ? उन्हें सजा नहीं मिलती । आज आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दुस्तान की पुलिस, हिन्दुस्तान की नौकरशाही को पूरी तरह से पुनर्गठित और रीआर्गेनाइज्ड करना चाहिए ताकि वह लोकप्रिय बन सके ।

मैं बीस दिन पहले लन्दन में था, वहां एक आदमी जेल से भाग गया । एक आदमी कार चलाता हुआ लन्दन में जा रहा था । गलत पहचान के कारण पुलिस ने समझा कि यही जेल से भागा हुआ आदमी है । पुलिस ने गोली चला दी और वह आदमी घायल हो गया । किन्तु वह जेल से भागा हुआ आदमी नहीं था । गलत पहचान की वजह से यह हो गया । सारे लन्दन की अखबारों में हैड लाइन्स में यह बात छपी । वहां की पार्लियामेंट में तहलका मच गया । गृह मन्त्री और प्रधानमन्त्री को माफी मांगनी पड़ी, संसद में जवाब देना पड़ा । संयोग से मैं भी उस दिन हाउस आफ कामंस की कार्यवाही देख रहा था । उनको माफी मांगनी पड़ी कि गलत आदमी पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई है । वहां लोग पूछ रहे थे कि गलत आदमी पर पुलिस ने गोली कैसे चला दी । चार पुलिस वालों को सुअत्तल कर दिया गया, उन्हें जेल भेज कर पांचवे दिन चार्जशीट लग गई । यहां क्या है ? हजारों निरीह लोग फर्जी एनकाउन्टर में मारे जाते हैं । लोगों की पुलिस द्वारा आंखे फोड़ दी जाती है । साम्प्रदायिक दंगों में लोग मारे जाते हैं, गांव के गांव उजड़ जाते हैं, खून-खराबा हो जाता है, लेकिन यहां का प्रशासन पता नहीं लगा सकता ।

सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पैसा भेजिए, अनाज भेजिए, बच्चों के लिए दूध भेजिए, बिस्कुट भेजिए, लेकिन वहां पर बैठे हुए नौकरशाह सारा माल खा जाएं, पीड़ितों के नाम पर जो मिले वह खा जाएं—उनका पता कोई नहीं लगा सकता ।

आज विकास के लिए पूरे के पूरे प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन होना चाहिए और इस काम में जनता के लोग शामिल किए जाएं ।

मण्डल कमीशन की रिपोर्ट में क्या था । उसमें यह था कि आर्थिक और सामाजिक पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों में स्थान आरक्षित किये जाएं, उनको प्रशासन में हिस्सेदार बनाया जाए । उनको प्राथमिकता दी जाए । जिन लोगों के साथ हजारों साल से न्याय नहीं हुआ है । आज 33 साल के बाद भी संविधान में व्यवस्था होने के बाद भी मण्डल कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार विचार नहीं करना चाहती । क्यों ? मैं पूछना चाहता हूं कि 22 प्रतिशत अनुसूचित और जन जातियों का आरक्षण हैं, लेकिन 8 फीसदी भी आरक्षण पूरा नहीं हो रहा है इसके लिए कौन जवाबदेह है ? जब कभी आरक्षण का सवाल आता है कहा जाता है कि यह जाति का सवाल है, जातीयता से प्रशासन खराब हो जाएगा । ये बात कौन लोग करते हैं ? जिन लोगों के प्रशासन में निहित स्वार्थ बन गए हैं । सैकड़ों सालों से प्रशासन के अन्दर बैठकर इन लोगों ने गरीबों का शोषण किया है । इस प्रशासन के स्वरूप को बदलने की आवश्यकता है । आज आरक्षण के खिलाफ किन लोगों की आवाज उठती है ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मतलब है जनतन्त्र का ? अगर जनतन्त्र में नौकरशाही इसी प्रकार से हावी रही तो चाहे आप यहां से बजट पास कर लीजिए, नीतियां बना दीजिए, योजना आयोग से कार्यक्रम बना दीजिए, लेकिन उनको कार्यान्वित कौन करेगा ? कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी, सारी की सारी जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों पर है और गरीब जनता की कोई नुमाइन्दगी, कोई प्रतिनिधित्व इसमें नहीं है । अगर उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो जाहिर है कि प्रशासन उसकी समस्याओं को सहानुभूति के साथ नहीं देख सकता ।

आज अगर जनतन्त्र को मजबूत करना है तो अंग्रेजी में कहते हैं "पार्टीसिपेटरी डेमोक्रेसी" कायम करनी होगी । अगर जनतन्त्र के ढांचे को जनता के लिए और जनता के द्वारा सिद्धान्त पर खड़ा करना है तो जनता के हित को ध्यान में रख कर आरक्षण नीति को सरकार को लागू करना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके प्रदेश में, तमिलनाडु में आरक्षण लागू है । 68 फीसदी, कर्नाटक में 65 फीसदी, आंध्र में 42 फीसदी, केरल में 38 फीसदी आरक्षण है । लेकिन उत्तर प्रदेश में और बिहार में जहां लागू करना चाहिए वहां सारे के सारे प्रतिक्रियावादी इकट्ठे बैठे हुए हैं । वहां का ढांचा क्या तमिलनाडु से, केरल से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से अच्छा है—"नहीं" ।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को पिछड़ा वर्ग मण्डल कमीशन की सिफारिशों को शीघ्रता से लागू करना चाहिए और अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के लिए जो आरक्षण है, जिसको पूरा नहीं किया जा रहा है, इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए और उसको पूरा कराना चाहिए । मैं इसकी आज मांग करना चाहता हूं ।

दूसरी तरफ आप देखिए कि आज देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है । इस सवाल को मैंने आज से दो साल पहले गंभीरता से उठाया । इसके बारे में मैंने प्रधानमन्त्री जी को पत्र लिखा । प्रधानमंत्री जी ने उस पत्र को योजना मंत्री के पास भेज दिया । योजना मंत्री जी ने मुझको एक बड़ा भारी पत्र जवाब में लिखा । उन्होंने कहा कि बात आपने ठीक उठाई है । यह बड़ी भारी चुनौती है । इसके लिए हम कुछ कर रहे हैं...।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कतिपय पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हाल ही में की गई वृद्धि के परिणामस्वरूप परिवहन के किराये और-भाड़े की दरों में वृद्धि के समाचार

श्री भीखाभाई (बाँसवाड़ा) : महोदय, मैं ऊर्जा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें ।

'कतिपय पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप परिवहन के किराये और भाड़े की दरों में वृद्धि होने का समाचार।"

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : महोदय, 14-15 फरवरी की मध्य रात्रि से कुछ पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात् विमानन टर्बाइन ईंधन, हाई स्पीड डीजल तेल, हल्का डीजल तेल, भट्टी का तेल और गैर-उर्वरक प्रयोग के लिए सप्लाई किए जाने वाले लो सल्फर हैवी स्टाक के मूल्य में वृद्धि की गयी है। मिट्टी के तेल के लिये दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित एक नई वितरण नीति आरम्भ की गयी है। घोषित मूल्य वृद्धि के विस्तृत ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है (परिशिष्ट-1)।

नीति में इन परिवर्तनों का निर्णय समाज के कमजोर एवं असुरक्षित वर्गों के हितों की रक्षा करते हुये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया गया था। माननीय सदस्यों को यह ज्ञात है कि सरकार आत्म निर्भरता तथा सामाजिक न्याय के उद्देश्यों के लिये वचनबद्ध है। सरकार का यह प्रयास है कि, अपनी आर्थिक नीतियां तैयार करते समय इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु तीव्रता से प्रगति की जाये।

हाल के वर्षों में, देश अपने विदेशी व्यापार में अत्यधिक प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या का सामना करता रहा है। आत्म निर्भरता सुनिश्चित करने के लिए हमें भुगतानों के संतुलन के अन्तराल को कम करने के लिए उपाय करने पड़ेंगे। माननीय सदस्य भली-भांति जानते हैं कि हमारे देश में अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों का बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है, अत: इनमें किसी किस्म की कमी करना भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है।

अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कमी करने के लिए सरकार ने तिहरी नीति अपनाई है जो इस प्रकार है :

(I) घरेलू तेल स्रोतों का त्वरित अन्वेषण तथा अनुकूलतम दोहन; (II) कोयले तथा साफ्ट कोक जैसे ऊर्जा के अन्य स्रोतों द्वारा तेल उत्पादों के प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देना; तथा (III) ऊर्जा के अकुशल उपयोग को हतोत्साहित करके ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा उपयोग की कुशलता में वृद्धि कराना।

सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में घोषित परिवर्तन इस महत्वपूर्ण नीति का एक भाग है।

जैसाकि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, सरकार एक समतावादी समाज के निर्माण के लिए वचनबद्ध है। यह देखने के लिए कि समाज के कमजोर तथा असुरक्षित वर्गों को अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयोग हेतु ईंधन के लिए अधिक मूल्य न देना पड़े, इस कारण, मिट्टी के तेल की वर्तमान विवरण प्रणाली में संशोधन करने के लिए निर्णय लिया गया है। दूसरे शब्दों

में, हमारी नीति यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गयी है कि पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि को कम करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों को कम से कम कुर्बानी देनी पड़े।

इस मूल्य संशोधन का दूसरा उद्देश्य मिट्टी के तेल का अन्य वस्तुओं में उपयोग किए जाने के कारण होने वाली मिलावट तथा कदाचारों को रोकथाम करना है। असामाजिक तत्वों द्वारा बड़ी मात्रा में मिट्टी के तेल का उपयोग हाई स्पीड डीजल तेल में मिलावट के लिये किया जाता था। इन कदाचारों के परिणामस्वरूप, गत् दो वर्षों में मिट्टी के तेल की खपत में वृद्धि उसकी सामान्य खपत में वृद्धि की अपेक्षा बहुत अधिक रही है। नए नीति परिवर्तनों से हम इन कदाचारों को रोकने में समर्थ हो सकेंगे।

मिट्टी के तेल की नयी वितरण नीति के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को उनके वर्तमान आवंटनों तथा कुल उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्यवार आवंटन करती रहेगी। विभिन्न राज्यों को वितरण के लिए आवंटित की गयी मात्रा में से, 70 प्रतिशत राज्य सरकारों को विद्यमान रिआयती मूल्यों पर वितरण के लिए सप्लाई किया जायेगा। शेष 30 प्रतिशत राज्य सरकारों को अधिसूचित गैर-रिआयती मूल्यों पर वितरित किया जायेगा। सरकार की यह नीति है कि कमजोर वर्गों पर कम से कम प्रभाव पड़े और इसी उद्देश्य से उनको रिआयती मूल्यों पर मिट्टी का तेल सप्लाई करने का निर्णय किया गया है। राज्य सरकारों को उपयुक्त रूप से सलाह दे दी गयी है। नयी नीति के सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये दिनांक 18 फरवरी, 1983 को राज्यों के नागरिक आपूर्ति विभागों के सचिवों की एक बैठक भी बुलाई गयी थी।

आगामी कुछ महीनों में, राज्य सरकारें एक विशेष प्रकार की प्रणाली तैयार करेंगी जिससे कि समाज के कमजोर और असुरक्षित वर्गों के परिवारों की आवश्यकताओं को रिआयती दरों पर राज्य सरकारों को किए गए 70 प्रतिशत आवंटनों में से 100 प्रतिशत पूरा किया जा सके।

रिआयती मूल्यों वाले मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में, भाड़े की वास्तविक लागत दर्शाने के लिए कुछ मामूली समायोजनाओं को छोड़कर मूल मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। गैर-रिआयती मूल्य वाले मिट्टी के तेल का अधिसूचित मूल्य हाई स्पीड डीजल तेल के मूल्य के समतुल्य होगा।

पिछले दो वर्षों में, तेल क्षेत्र के स्रोतों में अत्याधिक कमी रही है क्योंकि रेलवे भाड़े में अनेक संशोधनों जैसे तथ्यों से बढ़ने वाली अधिक लागत की दर्शाने के लिये हमने तेल उत्पादों के मूल्य नहीं बढ़ाये। स्रोतों में इस प्रकार की कमी को जारी नहीं रहने दिया जा सकता है विशेष रूप से जबकि सरकार ने हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण, विकास तथा अनुकूलतम उपयोग के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम आरम्भ किया है।

आगे और अधिक विकास और निवेश के लिए धनराशि निर्धारित करने के लिए, तेल कम्पनियों को घरेलू अशोधित तेल पर अधिक उप-कर देना होगा, उप-कर को 100 रुपये प्रति मी० टन से बढ़ा कर 300 रुपये प्रति मी० टन कर दिया गया है।

तेल कम्पनियों द्वारा वसूली जा रही और 14/15 फरवरी की मध्य रात्रि को हाई स्पीड डीजल के मूल्यों में घोषित वृद्धि अलग-अलग क्षेत्रों में 16 पैसे प्रति लिटर से 37 पैसे प्रति लीटर के बीच अलग-अलग है, और यह वृद्धि एच. एस. डी. को लाने ले जाने पर रेलभाड़े की वास्तविक लागत पर निर्भर है और पूरे देश भर में यह औसतन 30 पैसे प्रति लीटर के बराबर है। हिसाब लगाने पर यहां पता चला है कि 30 पैसे प्रति लीटर की इस औसत मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप सड़क परिवहन खर्च में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होनी चाहिए। सड़क द्वारा ले जाए गए माल के लिए औसत आकस्मिक खर्च मात्र 0.75 पैसे (एक पैसे का तीन चौथाई) प्रति टन किलोमीटर होने की सम्भावना है। यात्री सड़क परिवहन के लिए तो यह और भी कम अर्थात् 0.148 पैसे (एक पैसा प्रति यात्री कि. मी. के पांचवें भाग से भी कम) होगा। अब तक दिल्ली परिवहन निगम ने न तो यात्रियों के लिए किराया बढ़ाया है और न सामान भाड़ा।

तेल कम्पनियों द्वारा 25 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से विमानन टरबाइन ईंधन का मूल्य बढ़ाए जाने के परिणामस्वरूप यद्यपि देशीय एयर लाइनों को चलाने के खर्च में भी थोड़ी सी वृद्धि होगी। किन्तु अभी तक देशीय हवाई किरायों में कोई वृद्धि घोषित नहीं की गई है।

भारत सरकार का यह भी प्रस्ताव है कि ऊर्जा के इस्तेमाल में कुशलता बनाई जाये और हाइड्रो-कार्बन पदार्थों के इस्तेमाल में संरक्षण को जोरदार बढ़ावा दिया जाये। इस उद्देश्य से बेहतर ईंधन, स्नेहक और अधिक कुशल ऊर्जा साधन यथाशीघ्र आरम्भ किये जायेंगे। विशेष रूप से ईंधन दक्ष केरोसीन स्टोवों जैसे नूतन स्टोव आदि के उत्पादन कार्यक्रम में तेजी लाई जा रही है। इनसे ऊर्जा के इस्तेमाल में महत्वपूर्ण बचत होगी और भाड़ा सहित उपभोक्ता खर्च में वृद्धि का प्रभाव कम हो सकेगा।

परिशिष्ट

1. उत्पाद	विक्रय इकाई	भण्डार पर विद्यमान विक्रय मूल्य (बंबई) रु०/विक्रय इकाई	प्रस्तावित वृद्धि रु० / विक्रय इकाई	**संशोधित मूल्य रु०/विक्रय यूनिट	टिप्पणी
1. ए. टी. एफ. (अन्तर्राष्ट्रीय बिक्री को छोड़कर)	कि. लि.	3871.85	250	4121.85	
2. एस. के. ओ. (कुल बिक्री का 30%)	कि. लि.	1544.93	1300	2844.93	गैर रियायती मूल्य
3. एस. के. ओ. (कुल बिक्री का 70%)	कि. लि.	1544.93	—	1544.93	रियायती मूल्य
4. एच. एस. डी.	कि. लि.	2649.55	200	2849.55	
5. एल. एस. एच. एफ. एच. एस. डी.	कि. लि.	2649.55	1800	4449.55	
6. एल. डी. ओ.	कि. लि.	2505.97	150	2655.97	
7. एफ. ओ. (गैर-उर्वरक)	कि. लि.	2424.06	100	2524.06	
8. एल. एस. एच. एस. (गैर-उर्वरक)	मी. टन	2274.68	100	2374.68	
9. (क) बुटुमन (पैक्ड)	मी. टन	2607.91	88*	2695.91	
(ख) बिटुमन (बल्क)	मी. टन	2322.85	(—)127*	2195.85	

10. मथुरा तथा बोंगाईगांव शोधनशालाओं को भी मूल्य निर्धारण प्वाइंट के रूप में अपनाया जायेगा तथा अपेक्षित समंजन किये जायेंगे।

* इससे साधनों में कोई विशेष वृद्धि नहीं होगी।

** इन मूल्यों में मुख्य भण्डार प्रतिष्ठापनों से खुदरा बिक्री केन्द्रों तक परिवहन पर खर्च किया गया वास्तविक रेल का भाड़ा जोड़ा जायेगा।

श्री भोखाभाई : क्या मैं जान सकता हूं कि पिछले पांच वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कितनी बार वृद्धि की गयी ? वृद्धि निरन्तर होती रही। मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि सरकार की नीति राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की तथा उसके साथ ही कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करने की रही है। मैं भी उन लोगों में से हूं जो समाज की विपदाओं का शिकार होते हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से सहमत हूं जबकि वे ऐसा कहते हैं।

तथापि, मैं यह नहीं समझता कि हर परिवार को दिये जाने वाले मिट्टी के तेल की मात्रा 10 से घटाकर 7 गैलन क्यों कर दी गयी है। इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर मुझे नहीं सूझ पाया है। मंत्री महोदय को इसका उत्तर देना है।

दूसरा प्रश्न यह है कि एवियेशन टर्बाइन ईंधन तथा लो सल्फर जैसे कुछ पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर, हाई स्पीड आयल और मिट्टी के तेल, जो किसानों के लिये और सर्व-साधारण के घर में रोशनी के लिए अत्यावश्यक है, की कीमतों में सरकार क्यों वृद्धि कर रही है।

तीसरी बात यह है कि मैं ईंधन की इस दोहरी मूल्य नीति तथा वितरण प्रणाली के कारण को नहीं समझ सका। उचित दर दुकानों के माध्यम से भी आप मिट्टी के तेल का सही सही वितरण कैसे कर सकते हैं ? हम जानते है कि विभिन्न उचित दर की दुकानों में क्या हो रहा है।

दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति, यहां तक कि संसद सदस्य भी, यह जानता है कि खराबी कहां है, वितरण प्रणाली को सरकार कैसे सुधारना चाहती है, विशेषतः मिट्टी के तेल के वितरण को ? जब राज्य सरकारों को आवंटन किया जाता है तो 70 प्रतिशत रियायती दर पर वितरित करने के लिये तथा 30 प्रतिशत गैर-रियायती दर पर वितरित करने के लिये होता है। दोनों मामलों में दरें क्या हैं ? क्या उन्हे यह आशंका नहीं है कि उपभोक्ताओं के मनों में कोई भ्रम तथा शंकायें नहीं होगी। यह जन वितरण प्रणाली कैसे सफल होगी ? सीमेन्ट वितरण के मामले में हर जगह भी काफी आलोचनायें हो रही हैं। हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं कि यह दोहरी मूल्य नीति तथा दोहरी वितरण प्रणाली कैसे सफल होगी ? मुझे आशा है कि मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर देते समय इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सर्वसाधारण इससे कैसे प्रभावित नहीं होगा और यह दोहरी मूल्य प्रणाली कैसे चलेगी और वे रियायती तथा गैर-रियायती दरों के बीच कैसे तालमेल करेंगे ? उनसे भ्रम कैसे उत्पन्न नहीं होगा ?

श्री पी० शिवशंकर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहला यह प्रश्न पूछा है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई है। मेरे पास 1979 से आगे के आंकड़े हैं। पहली मूल्य वृद्धि 17 अगस्त, 1979 को हुई, जिससे 1,164 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी, फिर 8 जून, 1980 को मूल्य बढ़ाये गये, जिससे 2,082 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई। फिर 17 जनवरी, 1981 को भी मूल्य में वृद्धि की गयी जिससे 1,195

करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई। चौथी वृद्धि 11 जुलाई, 1981, को हुई जिससे 1,073 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई। फिर इस वर्ष फरवरी, 1983 में भी वृद्धि की गई जिससे हम 820 करोड़ रुपये प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं।

इसके बाद माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि मिट्टी के तेल की मात्रा 10 लिटर से घटाकर 7 लिटर क्यों कर दी गयी। मैं मिट्टी के तेल तथा हाई स्पीड डीजल के मूल्यों में वृद्धि के सम्बन्ध में सभा की तथा माननीय सदस्यों की चिंता को अच्छी तरह से समझता हूँ और इसकी सराहना करता हूं। तेल उद्योग के विकास के लिये संसाधनों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिये तेल उद्योग की कार्यचालन पूंजी सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों पर रेल भाड़े में हुई वृद्धि को पूरा करने के उद्देश्य से कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कमी करके तथा भुगतान संतुलन के अन्तर को कम करने के लिये मूल्यों में यह वृद्धि की गई है। भुगतान संतुलन में इस अन्तर को जुलाई, 1980 के बाद रुपये डालर सम्बन्ध में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण खुदरा व्यापार तक नहीं पहुंचने दिया गया।

माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक अन्य पहलू पर प्रकाश डालना चाहता हूं। मैं अपने वक्तव्य में इस बात की चर्चा कर चुका हूं कि मिट्टी के तेल तथा एच. एस. डी. में मिलावट का कदाचार चल रहा है। हमारे अनुमान के अनुसार 15% से अधिक मिट्टी के तेल की एच. एस. डी. में मिलावट की जाती है। सप्लाई किए गए मिट्टी के तेल का लगभग 10 प्रतिशत भाग औद्योगिक उपक्रमों के कार्यों के लिए जाता है। यह सब मिलकर 25 से 30 प्रतिशत बनता है। इस सब बातों के बाद यह प्रश्न उठता था कि उन सब 5 उद्देश्यों को, जिनकी मैंने चर्चा की है ध्यान में रखते हुए आय में वृद्धि की व्यवस्था कैसे की जाए और मिट्टी के तेल में मिलावट की रोकथाम कैसे की जाए। इसके लिए एक नीति सम्बन्धी निर्णय लिया जाना जरूरी है।

लेकिन फिर भी सरकार ने जिस बात पर अधिक बल दिया वह यह थी कि कमजोर और पीड़ित वर्गों पर प्रभाव न पड़े। इसी पृष्ठभूमि में दोहरे मूल्य प्रणाली लागू की गई है। मैं मानता हूँ कि हमारी वितरण प्रणाली उतनी मजबूत नहीं है। वास्तव में, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में बताया है, 28 फरवरी को, सभी राज्यों के नागरिक आपूर्ति विभागों के सचिवों की बैठक हुई थी, जिसमें मुझे भी शामिल होने और उन्हें संबोधित करने का अवसर मिला। हम उन पर यह प्रभाव डालना चाहते थे कि सभी राज्यों में वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। और मैं निःसंकोच मानता हूं कि जिस तरह से मुद्रा स्फीति के शिकार हो रहे हैं, संभवतः यह समाज के वर्गों को इस भाँति विभाजित करने की ओर प्रथम कदम होगा जिसमें बाद में निर्धन वर्गों को सभी आवश्यक वस्तुएं रियायती मूल्यों पर उपलब्ध करायी जा सकें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : यही तो हम मांग करते आ रहे हैं।

श्री पी० शिवशंकर : यह नीतिपरक दृष्टिकोण है। हम किसी समय वितरण प्रणाली में कुछ गलतियां भी कर सकते हैं। मैं इस तथ्य से इंकार नहीं कर रहा हूँ। वास्तव में, मैंने

राज्यों के नागरिक आपूर्ति विभागों के सभी अधिकारियों को कहा है और हमने उनके साथ विभिन्न मार्ग-निर्देशों तथा इस बारे में लम्बी चर्चा की है कि आय के आधार पर समाज को किस ढंग से विभाजित किया जाए ताकि अन्त में निर्धन वर्गों को सभी आवश्यक वस्तुएं रियायती मूल्यों पर उपलब्ध करायी जा सकें। वर्तमान में हमने मिट्टी के तेल से अपना कार्य आरम्भ किया है और मेरा सदन के सदस्यों से अनुरोध है कि इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार को सहयोग दें क्योंकि इसी से अन्त में समाज के निर्धन और शोषित वर्ग को सभी आवश्यक वस्तुएं रिआयती मूल्यों पर उपलब्ध कराने में सफलता मिलेगी। इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि हम इस उद्देश्य में कितना सफल हुए हैं और इसी पृष्ठभूमि में हमें मिट्टी के तेल के मूल्यों में 30 प्रतिशत तक वृद्धि करनी पड़ी।

अब राज्यों को 70 प्रतिशत मिट्टी का तेल सप्लाई किया जा रहा है। मैं अब विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने उन्हें आवंटन पिछले वर्ष की प्रथम तिमाही के आधार पर किया है। जनवरी, फरवरी और मार्च बीत चुके हैं। हमने राज्यों को पिछले वर्ष के प्रथम तीन महीनों में किए गए आवंटन में 5 प्रतिशत और जोड़ कर आवंटन करते हैं।

इसके बावजूद होता यह है कि विभिन्न राज्य और अधिक सप्लाई की मांग करते हैं और उसे पूरा किया जा रहा है। वास्तव में, 1974 और 1980 के बीच प्रतिवर्ष आवंटन में मोटे तौर पर 6.4 प्रतिशत वृद्धि की गई। लेकिन 1980 और 1982 के बीच मांग में 10 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है। और पिछले वर्ष अप्रैल से दिसम्बर तक, मांग में 12 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है। यदि राज्यों द्वारा की गई मांग का हिसाब लगाये तो इसमें 20 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हो जाएगी। इससे हमारे भुगतान सन्तुलन पर भी प्रभाव पड़ रहा था इस ओर ध्यान देना था। मुझे यह सूचना मिली थी कि काफी मात्रा में मिट्टी का तेल हाई स्पीड डीजल में मिलाया जा रहा था अतः इसी पृष्ठभूमि में हमें यह नई नीति निर्धारित करनी पड़ी। इस उद्देश्य से कि निर्धन और नाजुक वर्ग पर इसका कुप्रभाव न पड़े, 70 प्रतिशत मिट्टी का तेल रियायती मूल्यों पर सप्लाई किया जा रहा है।

जब हमने अधिसूचना जारी की तो मैं जानता था कि हमारी वितरण प्रणाली अधिक सुदृढ़ नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने राज्यों के अधिकारियों से अनुरोध किया कि फिलहाल चीनी के कार्ड पर तेल दिया जा सकता है। ये कार्ड काफी संख्या में दिए हुए हैं और चीनी कार्ड पर ही दी जाती है। अतः हमने अधिकारियों से कहा कि वे तुरंत 70 प्रतिशत तेल चीनी कार्डों पर सप्लाई करें। फिर भी हमने यह राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है कि यदि शहरी क्षेत्रों में मजदूर कालोनियां हैं तो वे मजदूरों को इस 70 प्रतिशत तेल सप्लाई में से ही 100 प्रतिशत तेल दे सकते हैं। इसी तरह गांवों में अधिकतर मिट्टी का तेल रोशनी करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और खाना आदि बनाने के लिए इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। अतः गांवों में इससे काम चल सकता है।

मैं इस बात पर विचार करने के बाद आंकड़ों पर पहुँचा हूँ कि मोटेतौर पर 15 प्रतिशत तेल का प्रयोग हाई स्पीड डीजल में मिलावट करने के लिए किया जाता है और 10 प्रतिशत तेल

उद्योगों के लिए दिया जा रहा है। मेरा अनुमान है कि शेष 70 प्रतिशत मिट्टी के तेल से, जो रियायती मूल्य पर बेचा जा रहा है, कमजोर और असुरक्षित वर्गों की शतप्रतिशत आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। लेकिन यह सभव है कि कुछ राज्य इसे कार्यान्वित करने में अधिक सतर्क हो सकते हैं। वे निर्धन वर्गों का कोटा भी कम कर सकते हैं। 100 प्रतिशत की बजाए वे 70 प्रतिशत दे सकते हैं। मैंने उन्हें आवश्यक निर्देश दे दिए हैं। मेरे अधिकारियों ने भी राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ लम्बी चर्चा की है। यद्यपि हमने राज्य सरकारों को शक्ति दी है तथापि उनसे विशेष अपील की है कि चूंकि कमजोर और गरीब वर्गों को 100 प्रतिशत तेल उपलब्ध कराना सम्भव है अतः उनकी माँग पूरी की जा सकती है। सम्भवतः सम्बद्ध अधिकारी इन बातों पर विचार करेंगे। यह मात्र अस्थाई उपाय है। हमने राज्य सरकारों से कहा है कि उन्हें दिए गए निर्देशों के अनुसार वे समाज को वर्गों में विभाजित करें और फिर राशन कार्ड या किसी और तरीके से उपयुक्त वितरण प्रणाली बनाएं। हमने कहा कि यह कार्य जल्दी से जल्दी, बल्कि 3-4 महीनों के अन्दर ही किया जाना चाहिए। एक बार यह हो जाये तो उसके पश्चात् उन राज्यों को भी जो कमजोर वर्गों का कोटा कम करके 70 प्रतिशत करना चाहें उन्हें भी रियायती मूल्यों पर 100 प्रतिशत कोटा देना पड़ेगा।

यह एक नीति का मामला है, जिस पर निर्णय लिया जा चुका है। यह संभव है कि माननीय सदस्य यह महसूस करें कि इससे समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि इसका प्रयोग किया जाये। चूंकि यह साहसिक कार्य एक अच्छा साहसिक कार्य है इसलिए मैं यह चाहता हूं कि हमें इस पर परीक्षण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या हम इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और वह नीति जो हमने न केवल विदेशी मुद्रा की बचत के लिए अपनाई है बल्कि जो कमजोर वर्गों पर भी इसका कम प्रभाव पड़ेगा, सम्भवतः सफलता प्राप्त करने का एक रास्ता भी बन सकती है। जैसा कि मैंने कहा है यह बात अधिकतर इस परीक्षण की सफलता पर निर्भर करती है जो भविष्य में सरकार को आवश्यक वस्तुओं को रियायती मूल्यों पर सप्लाई करने के लिए प्रेरित कर सकती है। महोदय, मैं जानता हूं कि यह एक विस्तृत नीति है जिसकी कार्य प्रणाली को मैं स्पष्ट कर दूंगा। यह भी सम्भव हो सकता है कि अनुचित वितरण प्रणाली के द्वारा सामान्य व्यक्ति भी प्रभावित हो सकता है। मैं इस तथ्य से इन्कार नहीं करता। लेकिन सरकार अपनी ओर से इस प्रकार के सभी प्रयत्न करेगी ताकि सामान्य व्यक्ति प्रभावित न हो। महोदय, हमने आंशिक रूप से हाई स्पीड डीजल के मूल्य में भी वृद्धि की है। लेकिन, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि माल ढुलाई तथा किरायों पर अब तक इसका असर न के बराबर रहा है। लेकिन मैं यह आशा करता हूं कि यदि यह बढ़ता भी है तो इसका असर बहुत ही कम होगा। महोदय, कुछ समय लेकर मैंने सारी नीति को स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि मेरा यह विचार है कि इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि बाद में इस चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्य इसके विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त कर सकें।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सरकार इस मूल्य वृद्धि को उचित ठहरा सकती है, लेकिन इस जन-विरोधी नीति का मैं विरोध करता हूं। मेरे विचार से अपरोक्ष कर लगाने की यह एक पुराना तरीका है और इससे मुद्रा प्रसार भी होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुद्रा-प्रसार के लिए यह एक बजट पूर्व आदेश है। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि यह सरकार वर्ष 1980

में आई। तब से लेकर पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में पांच बार वृद्धि की जा चुकी है। मेरे विचार से यह वृद्धि पांचवी बार की गई है। मंत्री महोदय यह बता सकते हैं कि यह वृद्धि चौथी बार की गई है। लेकिन इस बीच यह कितने ही बार की जा चुकी है।

श्री पी० शिवशंकर : यह वृद्धि चौथी बार की गई है।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं इस बात से सहमत हो सकता हूं कि यह वृद्धि चौथी बार की गई है। लेकिन बार-बार इस प्रकार वृद्धि करने से गलतफहमी उत्पन्न होती है क्योंकि प्रत्येक समय पर वृद्धि की गई है। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि तेल के मूल्यों में विश्व भर में कमी हो रही है। नाइजीरिया ने अभी दो अथवा तीन दिन पूर्व मूल्यों में कटौती की है। 'ओपक' के मूल्यों में भी कमी हो रही है। हमारी सरकार भी यह कहती है कि देशीय उत्पादन में वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप आयात किये जाने वाले तेल में 10 लाख टन तेल की कटौती की गई है। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए कि तेल के मूल्यों में कमी हो रही है, हमने अपने देश के उत्पादन में वृद्धि हुई है, तेल की कम मात्रा का आयात किया जा रहा है, क्या इसके बावजूद भी हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जिससे सरकार को यह विचार करना पड़े कि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की जाये ? इस बात को समझना बहुत ही कठिन है इस विशेष मुद्दे के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : वित्त मंत्री के दबाव में आकर उन्होंने ऐसा किया है। वह क्या कर सकते हैं ? इसको बजट से अलग रखा गया है। यह एक आम तरीका है।

श्री हरिकेश बहादुर : वास्तव में बजट सत्र के अवसर पर पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करना सरकार की एक आदत बन गई है। इससे सदन की अवहेलना होती है। क्योंकि इससे संसद के प्राधिकार की अवहेलना होती है। इसकी सदस्यों द्वारा आलोचना की गई है तथा दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा भी इसकी निन्दा की गई है। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि जैसे सरकार पर इसका कोई प्रभाव न हुआ हो। मैं यह महसूस करता हूं कि यह एक गलत तरीका है। ठीक बजट सत्र के अवसर पर पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने के बारे में माननीय मंत्री जी को एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। जबकि इसको नियमित बजट में सम्मिलित करके भी ऐसा किया जा सकता था।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि किसान तथा समाज के गरीब वर्गों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। किसान अपने पम्प तेलों तथा ट्रेक्टरों को चलाने के लिए डीजल का उपयोग कर रहे हैं अतः हाई स्पीड डीजल तथा मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि करके किसान तथा समाज के निर्धन वर्ग इससे प्रभावित होंगे। मिट्टी के तेल के मूल्य में इन भारी वृद्धि का गरीब लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

पहले ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तथा देश के अन्य भागों को पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं हो रहा है। कभी-कभी उनको 3 अथवा 4 महीनों के बाद यह प्राप्त होता है। वास्तव में मुझे यह बताया गया है कि दिल्ली में भी उचित

मूल्य की दूकानों में भी मिट्टी के तेल की कमी है तथा लोगों को यह समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रहा है। यदि देश की राजधानी में यह स्थिति है तो देश के अन्य भागों की स्थिति के बारे में भी हम भली-भांति कल्पना कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त यह दोहरी मूल्य प्रणाली भी निश्चित रूप से चोरबाजारी को उत्पन्न करेगी। खुले बाजार मूल्य तथा रियायती मूल्य में भारी मूल्य के अन्तर के कारण चोरबाजारी पनपेगी। मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि समाज विरोधी तत्वों द्वारा मिट्टी के तेल की भारी मात्रा को हाई स्पीड डीजल तेल में मिलावट करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। अब, मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि करने से रियायती दर का अधिकतर तेल खुले बाजार में बिकेगा जिसको डीजल तेल के साथ मिलावट करने के लिए उपयोग में किया जायेगा और इस तरह चोरबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। इसको कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि सरकार के पास ऐसी कोई तन्त्र नहीं है जिसमें कि इस वस्तु को समुचित रूप से वितरित करने को सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अलावा डीजल के मूल्यों को बढ़ाने के पश्चात सरकार अन्ततः सदन में यह कहेगी कि रेलगाड़ियों तथा बसों के किरायों-भाड़ों में भी वृद्धि की जानी चाहिए। निःसन्देह रूप से मंत्री महोदय ने अभी यह बताया है कि दिल्ली परिवहन निगम के किरायों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। यह पहले ही घाटे में चल रहा है और सरकार उस घाटे की क्षति-पूर्ति कर रही है। लेकिन दूसरे राज्यों में क्या होगा ? राज्य सरकारें यह दृष्टिकोण अपनायेगी कि डीजल के मूल्य में वृद्धि हो गयी है इस कारण से उनको बस के किराये बढ़ाने पड़ रहे हैं और केन्द्रीय सरकार उनको रोक नहीं सकती। अतः उस कदम के फलस्वरूप परिवहन के किरायों में वृद्धि होगी तथा जिसको अन्ततः इस देश के गरीब लोगों के ऊपर डाल दिया जायेगा। सरकार उनका संरक्षण करने में समर्थ नहीं हो सकेगी।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि सामान्य व्यक्ति के हित को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस लेवी को वापस लेने का प्रस्ताव रखती है। कम से कम जहां तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है इसके लिए दोहरी मूल्य नीति नहीं अपनाई जानी चाहिए। इसके अलावा मिट्टी के तेल की कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ? सरकार इस बात को कैसे सुनिश्चित करेगी कि निर्धन वर्ग के लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बिना किसी कठिनाई के मिट्टी के तेल को प्राप्त कर सके। ये मेरे विशिष्ट प्रश्न हैं मैं यह चाहता हूं कि इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर दिये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : भाषण दिये बिना आपने ऐसा पहली बार किया है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) आप कुछ सीखने में मेरी मदद कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अन्ततः आप उनको शांत करने में सफल होंगे।

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, माननीय सदस्य ने परोक्ष रूप से प्रश्न न पूछते हुए भी तेल की मूल्य वृद्धि के बारे में कुछ प्रश्न प्रस्तुत किये हैं। महोदय, यह बात सच है कि समाचारपत्रों में हमने हाल ही में यह पढ़ा है कि जहां तक तेल के मूल्यों का सम्बन्ध है कुछ देशों द्वारा उसको घटाया जा रहा है। वे ऐसा कह रहे हैं। यह बात भी सच है कि हमारे देश के उत्पादन में वृद्धि हो रही है ? माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि वर्ष 1981-82 में हमने 16 मिलियन टन कच्चा तेल उत्पादित किया तथा वर्ष 1982-83 में हमारा उत्पादन 21 मिलियन टन होने की संभावना है। लेकिन स्थिति यह है कि मांग में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। सारी परेशानी यही है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है।

श्री पी० शिवशंकर : वर्ष 1981-82 में हमनें 32.5 मिलियन टन कच्चे तेल का उपयोग किया और वर्ष 1982-83 में यह मांग बढ़कर 35 मिलियन टन से भी अधिक हो गई है। अत: उत्पादन के बढ़ने के साथ-साथ मांग में भी वृद्धि हो रही है। यह स्थिति नि:संदेह रूप से एक समस्या उत्पन्न कर रही है। अत: ऊर्जा की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं। इस स्थिति में मुझे उनको विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य यह जानकर भी प्रसन्न होंगे कि वर्ष 1981-82 में हमको 5,200 करोड़ रु० मूल्य के कच्चे तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करना पड़ा था। इसके पश्चात् वर्ष 1982-83 में यह आयात लगभग 4,600 करोड़ रु० तक घटा दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप 600 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा को बचाने में सफल हो सके हैं। मैं, माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई उत्सुकता की भी सराहना करता हूं कि उत्पादन के बढ़ने के साथ-साथ मूल्यों में भी वृद्धि हो रही है। लेकिन मांग में वृद्धि होने के कारण इन परिस्थितियों में जिनको मैं स्पष्ट करूंगा, और संभवत: बहुत अधिक उपयोग न बढ़े यह भी एक कारण है। मैं यह नहीं कह सकता कि यह केवल यह ही एकमात्र कारण है, बल्कि यह अन्य कारणों में से एक हो सकता है। मैं इसको उसी रूप में बता सकता हूं।

माननीय सदस्य ने मुद्रा-प्रसार की प्रवृत्ति उत्पन्न होने की आशंका भी व्यक्त की है। खैर इस स्तर पर मैं इसकी संभावना से इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है हम मुद्रा-प्रसार पर नियंत्रण प्राप्त करने में अन्य राष्ट्रों की तुलना में काफी सीमा तक सफल हो पाये हैं।

महोदय, यह बात सच है जो माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई है कि इसमें किसानों तथा समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। जैसा कि मैंने अर्ज किया है यह एक नई प्रणाली है जिसको हमने दोहरी मूल्य प्रणाली के रूप में लागू किया है। मैं विस्तार से पहले ही एक विवरण प्रस्तुत कर चुका हूं कि हमने दोहरी मूल्य प्रणाली का सहारा किस कारण से लिया है। मेरा यह विचार है कि जब तक हम इस नीति का अनुसरण नहीं करते हैं तो आगे चलकर निर्धन वर्गों के हितों की रक्षा

करना संभव नहीं हो सकेगा। इससे समस्यायें उत्पन्न हो सकती है। मुझे यह मालूम है कि वितरण प्रणाली के द्वारा समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन सरकार की ओर से मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि वितरण व्यवस्था को बहुत शक्तिशाली बनाने में हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। यह बात सच है कि हम अपनी सतर्कता व्यवस्था को मजबूत बनाने में समर्थ नहीं हो पाये हैं। चाहे इसमें कुछ भी प्रवीणता हो लेकिन लोग युक्तियों द्वारा कानून का उल्लंघन करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के अनुचित कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं। इसका हमें मुकाबला करना है। इसका मुकाबला सामाजिक तथा सरकार दोनों ही स्तर पर करना है। इस स्तर पर मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम अपनी ओर से बेहतर कोशिश करेंगे क्योंकि इस प्रणाली की सफलता में हमारे देश में समाज के एक बहुत बड़े भाग का हित निहित है। मैं कठिनाइयों के प्रति पूर्णत: आंखें बन्द नहीं कर रहा हूँ। कमजोर वर्गों का शोषण किया जाना भी सम्भव है। इस प्रक्रिया में उनके हिस्से का मिट्टी का तेल मिलावट करने के काम में भी दुर्पयोग किया जा सकता है जिसके बारे में माननीय सदस्य द्वारा आशंका व्यक्त की गई है। लेकिन अभी प्रयत्न करने हैं। मैं इस समय केवल इतना ही बता सकता हूं। और इस सफलता को प्राप्त करने की प्रक्रिया में हमने कठिनाइयों के बावजूद इस साहसिक कार्य को प्रारम्भ किया है।

वास्तव में जैसा कि मैंने बताया है इस दोहरी मूल्य प्रणाली के प्रति मेरा विश्वास है। यदि यह सफल रहती है तो इससे अधिक अच्छी बात नहीं होगी। इसी कारण से मैं दृढ़ता से यह कह सकता हूं कि इस प्रणाली को जिसे दोहरी मूल्य नीति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, सरकार द्वारा वापस लेना सम्भव नहीं है।

मैंने पहले ही राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि वे अपनी सतर्कता व्यवस्था को मजबूत बनायें। मैंने अपने अधिकारियों को भी उचित दर की दुकानों का समुचित रूप से जांच करने तथा बिक्री पर निगरानी रखने को कहा है। जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है हम केवल थोक व्यापारियों की ही नियुक्ति करते है। खुदरा व्यापारियों को राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किया जाता है। हमें राज्य सरकारों से सहयोग की अपेक्षा की है और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यों के सहयोग से हम समाज की बेहतर तरीके से सेवा करने में सफल होंगे।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में इस वृद्धि की आवश्यकता के बारे में कोई भी व्यक्ति गंभीरता से विवाद नहीं कर सकता। इस देश में सारे समाचारपत्रों द्वारा तथा 'इण्डियन एक्सप्रैस" जैसे इस तेल के विरोधी समाचारपत्र द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि इस स्तर पर मूल्य वृद्धि करने की आवश्यकता है। अन्तिम वृद्धि वर्ष 1981 में की गई थी और 1981 से लेकर तेल के मूल्य तथा तेल को खोजने की लागत में देश में पर्याप्त रुख से वृद्धि हुई है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं—इस समय हम कराधान के अप्रिय विषय पर विचार कर रहे है—कि तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये किये गये प्रयासों का क्या परिणाम रहा है ? कुछ समय पूर्व जब संसद् में सत्र नहीं चल रहा था समाचार-पत्रों में जो खबर छपी थी क्या वह सही है कि कृष्णा, गोदावरी नदियों के किनारे से दूर पर्याप्त

मात्रा में तेल के भण्डार खोजे गये हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस मूल्य वृद्धि से कुल कितनी धनराशि प्राप्त की जायेगी तथा खोज के पश्चात् आने वाले वर्ष में देश में कितना तेल उत्पादित किया जायेगा ? आप अनुमानित आंकड़े दे दीजिये।

महोदय, दोहरी मूल्य नीति बहुत अच्छी नीति है। कमजोर वर्गों के हित में ही ऐसा किया जा रहा है—यदि मैं गलती पर नहीं हूं—कि कुल मात्रा का 70 प्रतिशत अंश कम मूल्य पर बेचा जाने वाला है। अब, नीति अच्छी है। लेकिन दोहरी मूल्य नीति में खतरे भी हैं। खतरा इस बात का है कि रियायती मूल्य वाली वस्तु खुले बाजार में आ सकती है और इससे कालाबाजार की प्रवृत्ति वाले लोग लाभ उठा सकते हैं। मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि उन्होंने राज्य सरकारों से कहा है कि वे अपनी सतर्कता कक्ष को सशक्त करें। क्या भारत सरकार इस पर निगरानी रखेगी ? क्या उनसे कहना ही पर्याप्त नहीं रहेगा। राज्य सरकारें इस पर निगरानी रखें और यह सुनिश्चित करें कि रियायती मूल्य वाले पेट्रोलियम पदार्थ वास्तव में कालाबाजार के द्वारा खुले बाजार में न आएं, जैसे कि वे पहले आते रहे हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में जब कभी वृद्धि हुई है तभी हमेशा किसानों की समस्या खड़ी हुई है, जो कि इस देश की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देते हैं तथा जिन्हें इस वृद्धि से हमेशा ही हानि होती रही है, क्योंकि जैसा कि यहां बताया गया है इस तरह का डीजल और पेट्रोल के अन्य उत्पाद ट्रैक्टरों तथा पम्पों तथा अन्य उपकरणों में इस्तेमाल किये जाते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि इस वृद्धि के परिणामस्वरूप किसानों को हानि न हो और विशेष कर रबी फसल, जो कि अब आ रही है, के खरीद मूल्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हाल ही में हुई वृद्धि के पम्पों को चलाने की लागत में होने वाली वृद्धि को देखते हुए तय किये जायें।

महोदय, मंत्री महोदय ने यहां यह बताया है कि वृद्धि संसाधनों का संरक्षण करने के उद्देश्य से की गई है जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने अपने विभागों में पेट्रोल और डीजल के अनावश्यक व्यय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। मैं इस विषय में सूचना एकत्र कर रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का अपने ही विभागों और एजेंसियों में संसाधनों का संरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है क्योंकि आदर्श पहले स्वयं ही स्थापित करने पड़ते हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि ईंधन की बचत के लिए अपनी ही प्रौद्योगिकी में अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें बहुत प्रयास किया जा सकता है और किया जाना चाहिये।

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि हमेशा इस प्रश्न पर चर्चा करते हुए सामने आता है। हम बहुत सा धन खर्च कर रहे हैं और हमारी अधिकांश विदेशी मुद्रा तेल का आयात करने में खर्च हो जाती है। अतः हम तेल के उत्पादन को बढ़ाने पर जो व्यय कर रहे हैं उस पर हम आनाकानी नहीं कर सकते। हम विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के गैर-परम्परागत साधनों की खोज

करने की ओर अधिक ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं ? यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें पहले किए गए प्रयासों से भी और अधिक प्रयास किए जा सकते हैं। ऊर्जा के गैर-परंपरागत साधनों का विकास बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय हमें बतायें कि वे इस संबंध में क्या कर रहे हैं।

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, मैं अपने माननीय सहयोगी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दूंगा। जहां तक तेल के उत्पादन का सम्बन्ध है. मैंने जो आंकड़े दिए हैं उसके अतिरिक्त आज स्थिति यह है कि हम तेल की खोज और उपयोग की गतिविधियां तेज कर रहे हैं। गोदावरी बेसिन में, कुछ समय पहले, एक ही सप्ताह में, हमने तेल खोज लिया था और माननीय सदस्य ने भी यह पढ़ा होगा कि चौथाई इंच चॉक से हमने कच्चे तेल उत्पादन का जो अध्ययन किया वह प्रतिदिन 862 बैरल था। वास्तव में यह जानने के लिए अब आधे इंच का चॉक लगाया गया है कि इसके निकलने की गति क्या है। उसके परिणाम अभी नहीं आये हैं। लेकिन कुछ समय पहले भी मैंने संसद को इस बात से अवगत कराया था कि हमारे पास यह हमारा अनुमान है—न केवल गोदावरी प्रदेश के तटवर्ती और तट से दूर स्थानों पर कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों में भी इसके भंडार हैं। खोज की गतिविधियां तेज की जा रही हैं। लेकिन संसाधनों की कमी से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

जहां तक मूल्यों की इस वृद्धि से होने वाली आय का सम्बन्ध है, इससे करीब 802 करोड़ रुपये आय जमा कर पायेंगे। जहां तक तेल की खोज और उत्पादन बजट का सम्बन्ध है, 1983-84 में हमारा इस पर 2,280 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस समय मेरे लिए विस्तार से यह बताना सम्भव नहीं है कि हाई स्पीड डीजल में वृद्धि के कारण किसानों के उत्पाद मूल्यों के सम्बन्ध में हम उन्हें कहां तक बचा पायेंगे। वास्तव में सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए उचित समय पर निर्णय लिया जायेगा।

पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग की क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं। उन सबके बारे में उल्लेख करना मेरे लिए कठिन होगा। लेकिन निश्चित रूप से मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करूंगा।

आई. ओ. सी. अनुसंधान केन्द्र द्वारा बनाए गए नए डिजाइन के बर्नर से 15 प्रतिशत गैस की बचत होगी जिससे एक वर्ष में 40 करोड़ रुपये के बचत हो सकती है।

83 आन मोटर स्प्रिट के बदले 87 आन मोटर स्प्रिट से उपभोग में 3 से 5 प्रतिशत तक बचत हो सकती है।

नूतन स्टोव के नए डिजाइन से, जिसका मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूं, मिट्टी के तेल में महत्वपूर्ण बचत हो सकती है। अब स्टोव का निर्माण दो सरकारी कारखानों द्वारा व्यापक स्तर पर हो रहा है और मेरा अनुमान है कि वे जुलाई तक बाजार में आ जायेंगे। तेल ईंधन को बचाने के लिए उद्योगों में प्रयोग किये जा रहे अक्षम बायलरों की बजाय अधिक ईंधन वाले सक्षम बायलर लगाने की एक योजना बनाई गई है। तेल उद्योग विकास निधि से ब्याज की रियायती दरों पर ऋण दिए जा रहे हैं।

हाल ही में खुले बिटुमन के मूल्यों में कमी की घोषणा करके बन्द बिटुमन की जगह खुले बिटूमन के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। खुले बिटुमन के प्रयोग से बरबाद जाने वाले पदार्थ में करीब 3 प्रतिशत की कमी आयेगी।

उर्वरक उद्योग में नैफ्था के प्रयोग की स्वचालित वाहनों में हाई स्पीड डीजल की और कृषि में डीजल पम्प सेटों में हाई स्पीड डीजल की क्षमता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता उद्योगों और उत्पादकों के सहयोग से कई अन्य अध्ययन किए जा रहे हैं।

मैं और अधिक विस्तार में जाना नहीं चाहता मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अनुसंधान गतिविधियां तीव्र की गई हैं ताकि सरकार और जनता को बाद में बड़े पैमाने पर लाभ हो सके।

ऊर्जा के गैर-परंपरागत साधनों के विकास पर भी विशेष बल दिया गया है। वास्तव में, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और 20 सूत्री कार्यक्रम के क्षेत्र में आने वाले गैर-परंपरागत अभियान के अन्तर्गत कुछ मदों के सम्बन्ध में बहुत गहनता से कार्य किया जा रहा है।

ये सब कदम उठाये गए हैं जिनसे ऊर्जा में काफी हद तक बचत हो सकती है, ऊर्जा का अधिक अच्छा उपयोग हो सकता है, खपत में एक बड़ी सीमा तक कमी जा सकती है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी कितनी बातें कही गई हैं, मंत्री महोदय ने सब को वीकर सैक्शन के नाम पर टाल दिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर सबसे ज्यादा हानि इसमें किसी को होने जा रही है तो वह वीकर सैक्शन को ही होने जा रही है।

मैं व्यावहारिक चीज बतलाता हूं, आप दूसरी जगहों को छोड़िये, दिल्ली को ही ले लीजिये। दिल्ली में दो तरह के लोग हैं, एक वह जिनके पास गैस है और दूसरे वह जिनके पास गैस नहीं है। झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के पास गैस नहीं है, उनको किरासिन तेल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। दिल्ली में लकड़ी भी नहीं है और कोयले का इस्तेमाल भी लोग नहीं करते हैं। उनकी जीविका का एकमात्र सहारा किरासिन तेल ही है। आज दिल्ली में 5,7 लाख लोग ऐसे हैं जिनको न तो गैस मिल रही है और न जिनके पास दूसरे साधन हैं। दिल्ली में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास राशन-कार्ड भी नहीं हैं, उनको आप कैसे सस्ते दाम पर किरासिन आयल पहुंचा पायेंगे ? गरीब आदमियों के पास राशन-कार्ड नहीं है, उनको आप कैसे बेनेफिट पहुँचा रहे हैं, उसको तो मर्किट रेट पर ही तेल लेना पड़ेगा। कम दाम पर तो उन्हीं को मिलेगा जिनके पास राशन-कार्ड हैं, बाकियों को तो मार्किट से ही खरीदना पड़ेगा।

आज हम देखते हैं कि चावल, गेहूं वगैरह जितनी चीजें राशन की दुकान पर जाती हैं, वह तो गरीबों को नसीब होती ही नहीं हैं। आप कैसे किरासिन तेल को गरीबों के घर-घर तक पहुंचायेंगे ? यह तो आप ही पहुँचा सकते हैं अगर खुल्लम-खुल्ला बांटने के लिये दिया जाये। लेकिन अकेले आप कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। इसमें गरीब का भला कैसे होगा, हमको नजर नहीं आता है।

जब पेट्रोल, डीजल और किरासिन तेल का दाम बढ़ गया तो दूसरी वस्तुओं का दाम तो आटोमैटिकली बढ़ेगा, आप कहें या न कहें। इससे पेट्रोलियम गुडज के दाम बढ़ेंगे, बस, टैक्सी का किराया बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ायेंगे तो वह लोग हड़ताल करेंगे। इस तरह से आटोमैटिकली दाम बढ़ जाते हैं। जब किराये बढ़ेंगे तो बस पर तो गरीब भी जायेगा और लोगों के पास दूसरे साधन हो सकते हैं, लेकिन गरीब तो बस पर ही जाएगा और इससे उसकी परेशानी बढ़ेगी। रेलवे के किराये बढ़ेंगे तो उससे गरीब को परेशानी होगी। आपका कहना है कि गरीब पर इफैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट गरीब पर ही पड़ने वाला है।

जिनके पास गैस है, उनके बारे में भी हम जानते हैं। एम. पी. की भी गैस खत्म हो जाए 10 बार टेलीफोन करने पर भी 2,2 और तीन-तीन दिन तक गैस सप्लाई नहीं होती है। गैस जो आती है, वह सब होटलों में घूमते-घूमते हमारे पास पहुँचती है। वजन का सिस्टम तो है नहीं, वह गैस हमारे यहां लाकर पटक देता है चाहे वह 4 दिन चले या तीन दिन चले। जो डीलर 12 नम्बर राजेन्द्र प्रसाद मार्ग पर गैस सप्लाई करता है, कभी आप चैकिंग कराइये। वह कनाट प्लेस में किसी जगह पर है। आप उसकी खाली जांच ही करवा लीजिये, तो आपको पता लग जायेगा।

मैं यह भी कहता हूं कि सपोज कर लीजिए किसी की गैस खत्म हो जाती है और 2 दिन तक उसको गैस सप्लाई नहीं होती है तो वह क्या करेगा ? उसको तो किरासिन भी मिलने वाला नहीं है। वह 2 दिन तक क्या करेगा ? भूखा रहेगा या क्या करेगा ?

आपने जो डबल प्राइस का सिस्टम किया है, मैं कहना चाहता हूं कि पानी अपने से हमेशा नीचे चलता है और प्राइस हमेशा ऊपर बढ़ती है। जब भी आप डबल प्राइस करेंगे तो कम प्राइस खत्म हो जाती है। अधिक से अधिक प्राइस का भार पड़ता है और वह भी गरीब पर ही पड़ता है। जो बड़े-बड़े बहुत से लोग होते ९ वह तो अपने राइट का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन गरीब को तो वह भी नहीं मिलती है।

आज चीनी गरीब को सपने भी नहीं मिलती है। वह सपने में भी चीनी नहीं खा सकता है। उसका राशन-कार्ड कहां बना है ? कौन राशन-कार्ड पर ले रहा है, यह भगवान ही जानता है। उसको कुछ मालूम नहीं होता है। इसलिए गरीबों के सम्बन्ध में आपने जो तर्क दिया है वह समझ में नहीं आता है।

स्टेट गवर्नमेन्ट्स के बारे में आपने जो बात कहीं है, उनसे आपको क्या हमदर्दी है ? मुकर्जी साहब यहां पर बैठे हुए हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, उनको इसमें क्या मिलेगा ? यह 800 करोड़ की कमाई की जो फीगर आपने दी है, इसमें उनको क्या मिलेगा ? आपने बताया कि 8 जून, 1980 को जो बढ़ौत्तरी की गई थी उससे 2,482 करोड़ की आमदनी हुई थी, दूसरी बार 1,195 करोड़ की आमदनी हुई, तीसरी बार 1,093 करोड़ की आमदनी हुई और इस बार 800 करोड़ की आमदनी होगी। इसमें स्टेट गवर्नमेन्ट्स को क्या मिल रहा है ? स्टेट गवर्नमेंट्स कहेंगी कि सारा पैसा सेन्टर के पास जाता है।

प्राइम मिनिस्टर के भाषणों में हम एक ही बात सुनते हैं कि यह मंहगाई जो है वह इन्टर नेशनल फेनामेना है, एक अन्तर्राष्ट्रीय मामला है। लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम गिर रहे हैं लेकिन यहां पर बढ़ रहे हैं। मन्त्री जी अपने जवाब में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले दो सालों में इन्टरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेज कितनी घटी है और क्या उसी अनुपात में यहाँ पर भी घटाई गई हैं ? यहां पर तो आप दाम लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। आपका हमेशा यह तर्क रहता था कि विदेश में दाम बढ़ रहे हैं, वह हमारे कन्ट्रोल में नहीं हैं, विदेशों से हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट मंगाने पड़ते हैं इसलिए यहां पर दाम बढ़ाने पढ़ रहे है। आज का ही एक अनस्टार्ड क्वैश्चन नं० 334 था जिसमें यह पूछा गया था कि कितना क्रूड आयल इम्पोर्ट किया गया। विगत तीन वर्षों में, तो आपने जवाब में बताया कि 1980-81 में 16.248 मिलियन टन, 1981-82 में 15.298 मिलियन टन, 1982-83 म 17,683 मिलियन टन इम्पोर्ट किया गया। जब उनसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू कितनी थी तो बताया गया 1980-81 में 3348.97 करोड़ और 1981-82 में 3,736 करोड़ थी।

श्री पी० शिवशंकर : यह क्रूड आयल की है।

श्री राम विलास पासवान : जी हां। 1982-83 में 4,261 करोड़ बताई। एक तरफ तो हम विदेशी कर्जे से दबे जा रहे हैं। 1951-52 में सिर्फ 32 करोड़ का कर्जा था जो अब 23 हजार करोड़ हो गया है।

उपा यक्ष महोदय : आपने अभी कहा है अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों में कमी आई है। लेकिन आपके ही द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार मूल्यों में कमी नहीं आई है।

श्री राम विलास पासवान : यह मूल्य नहीं है, यह आयात हैं, जो माल सरकार ने विदेशों से आयात किया है। गवर्नमेंट विदेश से जो माल ले रही है उसके दाम वहां घट रहे हैं फिर यहां पर दाम बढ़ाने का क्या औचित्य है ?

श्री० पी० शिवशंकर : डिमाण्ड बढ़ रही है।

श्री राम विलास पासवान : डिमाण्ड बढ़ रही है तो आप बाम्बे हाई से अधिक उत्पादन भी कर रहे हैं। डिमाण्ड तो बढ़ेगी ही। लेकिन विदेशों से जो आप मंगा रहे हैं उसके दाम उसी अनुपात में यहां रखने चाहिए। विगत दो वर्षों में विदेशों में 40 परसेन्ट दाम घटे हैं लेकिन यहां पर दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपका कल्याणकारी राज्य नहीं है, आप मुनाफाखोरी का राज्य चला रहे हैं। जब आप ही मुनाफा करेंगे तब डीलरों से आप कैसे कह सकेंगे कि तुम मुनाफा मत करो। पहले आपको अपना मुनाफा छोड़ना पड़ेगा फिर आप डीलरों से भी कह सकेंगे कि तुम मुनाफा मत करो।

श्री फैलीरो ने अभी यहां पर अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम के सम्बन्ध में लेटेस्ट फीगर्स दी हैं। इसी पेपर से उन्होंने हवाला दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चार डालर प्रति बैरल की कमी आई है और रूस ने भी दो डालर प्रति बैरल छूट देने का फैसला किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से दो तीन सवाल पूछना चाहता हूं। इन्टरनेशनल मार्केट में इसका दाम घट रहा है, लेकिन आप डिमाण्ड के नाम पर इसका दाम क्यों बढ़ा रहे हैं—इसका क्या औचित्य है ? जब आप विदेशों से तेल लेते हैं, तो जितना दाम वहां घटता है, उसी के हिसाब से यहां भी आप को दाम घटाकर रखना चाहिए। मुझे दो शंकायें हैं—पहली यह है कि जिस तरह से आपने एशियाड-खेल में पैसा बहाया है, उसको कम्पैसेट करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए आप दाम बढ़ा रहे हैं। दूसरी—यह कि इन्टरनेशनल मोनेटरी फण्ड के पैसे का आपके ऊपर दबाव पड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पासवान, क्या आप एशियाड में उपस्थित हुए थे ?

श्री राम विलास पासवान : जी नहीं, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, कृपया आगे चलिए।

श्री राम विलास पासवान : हम जानते हैं कि आप नहीं चाहते हैं कि दाम बढ़ें, लेकिन आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं, जो आपको अन्दर और बाहर से मजबूर कर रही हैं। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब बाहर की मार्केट में दाम घट रहा है, तो आप दाम क्यों बढ़ा रहे हैं ? दूसरे आप यह बतलाइए, जैसे आपने कावेरी के सम्बन्ध में बताया, बम्बई हाईवे में आप क्या कुछ कर रहे हैं ? आपका कितना अनुमान था और कितना आप कर पाए हैं ? आप कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, उत्पादकता वर्ष आप मनाते जा रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम दूसरी ओर हो रहा है। पहले जहां हम खड़े थे, वहां से पीछे होते जा रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थ किसी भी देश की रीढ़ होती है। जब पेट्रोलियम पदार्थ का दाम बढ़ता है, तो उसका असर दूसरी चीजों पर भी पड़ता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कलकत्ता में 13 पैसे प्रति लिटर दाम बढ़ा है।

श्री राम विलास पासवान : तीसरा सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में कुल मिलाकर हमने पेट्रोलियम गुड्स इम्पोर्ट किया और कितने हजार करोड़ रुपए का किया ? जब आप गरीब की बात करते हैं, तो आपको कैटागोरिकली बताना चाहिए। क्योंकि आप भी इस समाज के अंग है और वरिष्ठ संसद सदस्य है तथा कैबिनेट में भी वरिष्ठ सदस्य हैं। सारी जिम्मेदारी आप प्रणव मुखर्जी, वित्त मंत्री पर नहीं डाल सकते है, इसमें आप की भी जवाबदेही है। इसलिए आप बतलायें कि दूसरे पदार्थों पर इसका क्या इफैक्ट पड़ रहा है ?

श्री पी० शिवशंकर : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो हमारे मित्रों...

श्री पी० शिवशंकर : आप इस तरीके से हम दोनों में फूट डालना चाहते हैं। माननीय सदस्य ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के सम्बन्ध में बातचीत की है। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक हकूमत का सवाल है, उसने पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : फिर बढ़े कैसे ?

श्री पी० शिवशंकर : हुआ यह कि जो फ्रेट-रेट है, वह आयल कम्पनीज पहले जितना बार होता था, वह खुद अपने ऊपर लेती थी। हमने यह महसूस किया कि रेलवे को फ्रेट है, वह चार-पांच मर्तबा दो सालों में बढ़ाया गया है।

यह बार आयल कम्पनीज के बरदाश्त से बाहर था। हमने यह महसूस किया था कि यह जो फ्रेट-रेट है यह अब कन्ज्यूमर को पास आने दिया जाना चाहिये। इसकी वजह से यह जरूर है कि बाज जगहों पर कुछ कमी हुई है, लेकिन कुछ जगहों पर बढ़ोतरी भी हुई हैं। जैसे दिल्ली में...

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह चुनावों का परिणाम था।

श्री पी० शिवशंकर : ऐसी बात नहीं है। जहां तक दिल्ली का सवाल है चूंकि यहां पर मथुरा रिफाइनरी से सप्लाई हो रही है इसलिए यहां पर फ्रेट कम पड़ता है, जिसकी वजह से कीमत कम हो गई है...

श्री राम विलास पासवान : दिल्ली में कम है, लेकिन बरौनी में जहां यह बनता है, दिल्ली से अधिक है। आप इसकी जांच करवा लीजिये।

श्री पी० शिवशंकर : मैं जांच करवाऊंगा, लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि जो भी बढ़ोत्तरी हुई है वह फ्रेट-रेट की हद तक ही हुई है जिसकी वजह से बाज जगह कीमत कम हुई है, बाज जगह ज्यादा हुई है। मैं मानता हूं कि कुछ जगहों पर कीमत ज्यादा हुई है, खुद मेरे मेरे शहर में ज्यादा हो गई है। हमने यह कीमत बढ़ाई हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फ्रेट बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है, यह मैंने आप को बतला दिया है।

मेरे मित्र रामविलास पासवान जी ने दिल्ली के लोगों के सम्बन्ध में, जहां पर गैस-के-तेल की कमी के बारे में, जो कहा है मुझे इस बात का ज्ञान है। मैं यह नहीं कहता कि गरीब इसमें परेशान नहीं होंगे। लेकिन हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी परेशानी को दूर किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी परेशानी रहेगी, इसका मुझे अन्दाजा है। जैसा अभी आपने कहा कि यहां पर बहुत से लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। हमने यहां के सिविल सप्लाईज के लोगों के साथ बातचीत करके यह सलाह दी है कि जहां तक हो सके उनको जल्द से जल्द राशन कार्ड दिलवाया जाए ताकि गैस-का-तेल उनको उस कार्ड पर ही मिले। मैं यह आशा रख रहा हूं कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं जल्द से जल्द राशन कार्ड पहुँचायेगा।

हम इस बात की कोशिश भी कर रहे हैं कि जो हमारे निचले वर्ग के लोग हैं उनको आसानी से गैस का तेल मिल सके, लेकिन मैंने यह नहीं कहा है कि उनको मुसीबत नहीं होगी। यह हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर डिपेण्ड करता है। जब तक हमारा वितरण का सिस्टम मजबूत नहीं होगा, हमें इस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस बात को भी हम नजरअन्दाज नहीं कर सकते—जब कोई पालिसी आप निर्धारित करते हैं और उस पालिसी पर चलने की कोशिश करते हैं तो कठिनाइयां जरूर आती हैं। इसलिए मैं आपके अनुमान को गलत नहीं कहता हूं, गरीब लोगों पर ज्यादा असर पड़ सकता है। लेकिन जहां तक सिस्टम का

सवाल है हम कोशिश करेंगे, दूसरे राज्यों की हुकूमतों के सहयोग से, जो आम लोग हैं उनको परेशानी न हो ।

आपने एक प्रश्न उठाया कि स्टेट की हुकूमतों की आप के साथ क्या हमदर्दी हो सकती है। यह तो फैडरल सिस्टम है···

श्री सोमनाथ चटर्जी : रुपया छोड़ो ।

श्री पी० शिवशंकर : उनके लिए रुपया छूट रहा है। सेल्ज टैक्स के माध्यम से कुछ रुपया उनको मिल रहा है । लेकिन यह जरूर है कि इस 800 करोड़ रुपये में से नहीं दे सकते हैं । लेकिन कीमतों के बढ़ने से उनको सेल्ज टैक्स जरूर ज्यादा मिलेगा, लेकिन यह सही बात है कि उनको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा । लेकिन आप ने जो फरमाया है —मैं जरूर फाइनेन्स मिनिस्टर साहब तक आपकी बात पहुँचा दूंगा । इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका निर्णय तो एक और ढंग से करने की जरूरत है ।

जहां तक मेरे मित्र ने पूछा कि पिछले दो वर्षों में किस तरीके से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कीमतें बढ़ीं हैं—मेरे पास इस वक्त डेटा नहीं है ।

लेकिन मैं आप से एक बात निवेदन करूं कि ऐसी कोई कीमत में कमी नहीं हुई जिससे यह कहा जा सके कि हम को कुछ लाभ हुआ । मैंने आपको फीगर्स बताये हैं और आपने भी कुछ फीगर्स पढ़े हैं । हमारी जरूरत ज्यादा होने की वजह से, हमारी डिमान्ड ज्यादा होने की वजह से हम को तेल और तेल के और जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो इम्पोर्ट है वह ज्यादा हुई है । जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था उसको रोकने के लिए भी एक कदम है । और जैसा आपने पूछा था और मैंने इससे पहले भी निवेदन किया था कि 1981-82 में 5,200 करोड़ रुपये का तेल और तेल के पदार्थों का इम्पोर्ट किया गया था और 1982-83 में 4,600 करोड़ रुपये की हद तक इम्पोर्ट किया जा रहा है। यह जरूर है कि 600 करोड़ रुपये का हमें फायदा है लेकिन आपने जैसा देखा है कि 17 मिलियन टन क्रूड आयल इस वर्ष के लिए हमको बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ा है । उसी तरीके से और दूसरे तेल के पदार्थों का भी हमको इम्पोर्ट करना पड़ा है । इस वास्ते यह एक बड़ी जटिल और कठिन समस्या है और इसका हल इतना आसान नहीं होगा । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो कीमतें बढ़ाई गई हैं ये किसी मुनाफे के लिए नहीं बढ़ाई गई हैं और न एशियाड में जो हमारा खर्चा हुआ है, उसको पूरा करने के लिए बढ़ाई गई हैं और न आई० एम० एफ० की ओर से हमें ऐसा कोई आदेश मिला है लेकिन जहां तक टार्गेट्स की बात है, मैंने आप से निवेदन किया है कि इस साल का हमारा अनुमान है कि क्रूड की पैदावार करीब 21 मिलियन टन होगी जबकि गुजिश्ता साल में यह 16 मिलियन टन हुई थी और जिस तरीके से हम तेल की खोज की कोशिश कर रहे हैं, मुझे इस बात का विश्वास है और मैं समझ रहा हूं कि 1989-90 तक हम सेल्फसफीशियेन्ट हो जायेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि इससे एक-दो साल पहले ही हम सेल्फ-सफीशियेन्ट हो जाएं, अगर हमारा भाग्य अच्छा हुआ । हमारे जो तेल के रिसोर्सेज हैं, उनमें कुछ हमें कामयाबी मिल जाती है, तो इससे पहल भी हम कामयाब हो सकते हैं ।

बम्बई हाई के बारे में मेरे पास इस वक्त फीगर्स नहीं हैं कि वहां पर कितना उत्पादन हो रहा है और दूसरी जगहों पर कितना उत्पादन हो रहा है लेकिन पूरे फीगर्स 21 मिलियन टन पूरे देश में उत्पादन होने के हैं। मैं इसका निवेदन और करूं कि तेल की खोज काफी तेजी से चल रही है और हमारी तरफ से इस बात की पूरी कोशिश की जाएगी कि हम जल्दी से जल्दी सेल्फ-सफीशियेन्ट हो जाएं।

श्री जैनुल बसर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सवाल से बात शुरू करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने केवल डीजल को ही दाम बढ़ाने के लिए क्यों चुना, पेट्रोल और लुब्रीकेटिंग आयल, जो 70 से 75 फीसदी इस्तेमाल होता है; उसकी तरफ तवज्जह क्यों नहीं दी गई। पेट्रोल लक्जरी आइटम है। कार-मैन्यूफैक्चरर्स पर इसका असर पड़ना था। पेट्रोल की खपत दाम के बढ़ने से बराबर कम होती जा रही थी। जो टैक्सी पर बैठने वाले थे या कार पर बैठने वाले लोग थे या जो बड़े-बड़े इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स थे उनको मंत्री जी ने अपने जाल में नहीं फंसाया। लेकिन डीजल इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर जो कन्जूमर्स हैं वे कमजोर वर्गों के लोग हैं, उनकी दशा नीचे-स्तर की है और उसका सब से बड़ा असर किसानों पर पड़ेगा। पहले से ही खादों के दाम बढ़ गये हैं।

कई सूबों में, जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह: में, बिहार में भी बिजली का काम बढ़ा दिया गया है। अब डीजल का दाम भी बढ़ जाने से किसानों की आर्थिक दशा पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।

इसी तरह से अभी रेलवे का बजट आ रहा है। रेल मंत्री जी, रेल भाड़े में वृद्धि करेंगे। वे भी यह आर्गुमेंट देंगे कि तेल और डीजल के दाम बढ़ गये ह। इसको ध्यान में रखकर वे रेल भाड़े में और किराये में वृद्धि का प्रस्ताव रखेंगे। ट्रकों के द्वारा जो माल ढोया जाता है, वह बड़े पैमाने पर कंज्यूमर की दैनिक आवश्यकता का सामान ढोया जाता है। इस डीजल का दाम बढ़ने से कोड ट्रांसपोर्ट के भाड़े में वृद्धि होगी। इसका असर आम कंज्यूमर, देश में फैले हुए आम कंज्यूमर पर पड़ेगा। इससे चीजों की कीमतें बढ़ेंगी।

हम इसको नहीं मान सकते कि इसका असर बहुत ही मामूली होगा। बल्कि इसका असर काफी पड़ेगा और इसके काफी दूरगामी परिणाम हमको दिखाई दे रहे हैं।

एक मिट्टी के तेल की बात आयी। मिट्टी के तेल की दोहरी मूल्य नीति मंत्री जी ने अपनायी है। जाहिर है कि उनकी मंशा बहुत अच्छी है। वह समाज के कमजोर लोगों पर भार कम डालना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे देश में वितरण प्रणाली है, वह मंत्री से छिपी नहीं है। हमारे मंत्री जी बहुत काबिल और इन्टेलिजेन्ट आदमी हैं। मैं उनकी कद्र करता हूं। उनको मालूम होगा कि हमारे देश में वितरण प्रणाली कैसी है, फेअर प्राइस शाप्स कैसी हैं। मैं दो-चार राज्यों केरल या दक्षिण के और दो-तीन राज्यों के बारे में नहीं कहना चाहता। लेकिन हमारे जो हिन्दी प्रदेश हैं, जहां हिन्दुस्तान की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, वहां वितरण प्रणाली भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। बड़े पैमाने पर उसमें भ्रष्टाचार होता है।

अभी सीमेंट की चोर बाजारी खत्म हुई है। अब सीमेंट खुलेआम कर दिया गया है। बहुत अच्छा किया गया। खुलेआम करने से थोड़े से लोगों को थोड़ी तकलीफ तो हुई लेकिन जो एक

भ्रष्टाचार का बाजार फैला हुआ था उससे लोगों को बहुत राहत मिली। अब इस मिट्टी के तेल से भ्रष्टाचार होगा। इस दोहरी मूल्य नीति से मंत्री जी ने जो फायदा सोचा है, वह कमजोर लोगों को नहीं पहुँचेगा। आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में, उसके गांवों में सस्ते गल्ले दुकानों पर, फेयर प्राइस शाप्स पर मिट्टी के तेल का भाव तीन रुपये के आसपास है। आज भी खुलेआम मिट्टी का तेल नहीं है। वह दूसरे दरवाजे से बिक रहा है। सारे के सारे, ऊपर से नीचे तक यह भ्रष्टाचार है। हमारे उत्तर प्रदेश में फेयर प्राइस, शाप्स वालों का कोई चालान नहीं हो सकता है, अर्शेशल कमोडिटीज एक्ट में उनकी रिपोर्ट नहीं हो सकती। वह एक्ट इन पर लागू नहीं हो सकता। खुले-आम लूट मची हुई है।

मैं तो इस राय का था कि जब डीजल उसी रेट पर मिलेगा तो डीजल के रेट के बराबर मिट्टी के तेल का भी रेट कर दिया जाए। इससे लोगों को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम जो घूम-घूम कर राशन कार्ड बनवाना पड़ता है और राशन कार्ड बनवाने के बाद ही लोगों और बच्चों को खिलाना पड़ता है, जिससे कि बहुत परेशानी होती है, उससे तो लोगों को राहत मिलेगी। खुलेआम तो मिट्टी का तेल मिलने लगेगा। मैं तो अब भी कहता हूं कि इस तरह की दोहरी नीति को हटा देना चाहिए। थोड़ी तकलीफ जरूर होगी लेकिन लोगों का आसानी से मिट्टी का तेल डीजल के भाव पर मिलने लगेगा। मिलावट को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसके रेट को डीजल के बराबर कर दिया जाए। इससे दुनिया भर के झंझट खत्म हो जायेंगे। ऐसी बातें बहुत कही जाती हैं कि कमजोर वर्ग के लोगों पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन असल चीज यह है कि इससे लोगों को सुविधा होगी। आप सोचते हैं कि कमजोर वर्ग के लोगों को सस्ते दाम पर चीज मिले, लेकिन आप 2-3 महीने बाद ही इन्क्वारी करवा लीजिए कि डीजल के रेट पर ही तेल मिल रहा है या नहीं। आज नहीं तो एक साल बाद आपको मज-बूरन मिट्टी के तेल को डीजल के भाव के बराबर करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है।

तो मैं बहुत लम्बा भाषण न करके आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि सरकार में जो विभिन्न मंत्रालय हैं। कृषि मंत्रालय है, फाइनांस मिनिस्ट्री है, आपका मंत्रा-लय है ये सब मिलकर कम से कम इस बात पर गौर करें कि किसानों को आप राहत कैसे देंगे। कृषि उत्पादनों के दाम आप नहीं बढ़ाएंगे लेकिन बिजली की कीमतें दिन-ब-दिन बढ़ती जायेंगी। बिजली मिल भी नहीं रही है और उसकी कीमतें बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं। किसानों को राहत देने के बारे में आप क्या सोच रहे हैं इस मामले में आप क्या करेंगे, यह मेरा आपसे सवाल है।

दूसरे जो कोस्टल एरियाज हैं जहां कुछ लोग फिशिंग का धंधा कर रहे हैं। ईस्ट, वेस्ट और साउथ के अन्दर कोस्टल एरियाज हैं वहां डीप सी फिशिंग और मैकेनाइज फिशिंग होती है। डीप सी फिशिंग के लिए आप सस्ते दर पर डीजल दे रहे हैं तो उनको तो इससे कोई अन्तर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैकेनाइज फिशिंग जिसकी आज अधिक आवश्यकता है वह आज की दर पर भी घाटे में जा रही है तो आगे तो और घाटा उसको उठाना पड़ेगा। अभी तक जिस तरह से

फिशिंग को एक्सप्लाइट किया जाना चाहिए। समन्दर एरिया में वह एक्सप्लाइटेशन अभी तक नहीं हुआ है और वह एक्सप्लाइटेशन तभी हो सकता है जब फिशिंग मैकेनाइज तरीके से की जाए। लेकिन उनका घाटा और बढ़ेगा। तो क्या मंत्री जी इस बारे में सोचेंगे कि जैसे डीप सी फिशिंग में सस्ती दर पर डीजल उपलब्ध कराया जाता है उसी तरीके से मैकेनाइज फिशिंग के में सस्ती दर पर डीजल उपलब्ध कराएंगे। पहला सवाल मैंने उनसे पूछा था कि पेट्रोल-लुबरी-कैटिंग आइल को उन्होंने क्यों छोड़ दिया है। अगर थोड़ा-थोड़ा सब पर बढ़ा देते तो डीजल इस्तेमाल करने वाले लोगों को कुछ राहत मिलती और जो मूल्य बढ़ने की आशंका है उसमें भी कुछ कमी आती।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा सदन में पहले कही गयी बात के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूँ। क्या मैं उसे अब पूछ सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, यह ध्यानाकर्षण पर है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : जो भी है, महोदय, इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय ने संसद की अवहेलना क्यों की है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, इसे पूर्वोदहरण के रूप में उद्धृत किया जायेगा। आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आप उन्हें बाद में मिल सकते हैं।

श्री पी० शिव शंकर : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का यह प्रश्न था कि पेट्रोल वगैरह को क्यों छोड़ दिया गया है और केवल डीजल और तेल की कीमतें क्यों बढ़ा दी गई हैं···। यह पौलिसी का विषय है, इस वक्त विस्तार से मुझे बोलना जरूरी नहीं है। कुछ हालात को देखकर मुनासिब यह समझा गया कि तेल के पदार्थों की कीमत बढ़ायी जाये और जैसा पहले कहा जहां तक गैस के तेल का सवाल है इसमें कुछ हद तक कीमत बढ़ानी पड़ी क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर गैस के तेल को डीजल के साथ मिलाकर ऐडल्टरेट किया जाता। यह पौलिसी के मैटर्स हैं। बहुत सी चीजें देखकर निर्णय किया जाता है और यदि यह निर्णय किया गया तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि बहुत सी समस्याओं को सामने रख कर यह निर्णय लिया गया।

माननीय सदस्य ने पूछा कि डीप सी फिशिंग को डीजल सस्ते दामों में क्यों दिया जाता है और मैकेनाइज्ड फिशिंग में दाम बढ़ा कर क्यों दिया जाता है ? मेरा जहां तक अनुमान है इस किस्म का कोई भेद तो नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं जरूर जांच करूंगा क्यों इस तरह से हो रहा है। मैं समझता हूं कि जहां डीजल बेचते हैं डीप सी फिशिंग और मैकेनाइज्ड फिशिंग के अन्दर, उनको जो डीजल मिलता है किसी किस्म का कीमत में कोई भेद नहीं है।

किसानों को राहत देने के सम्बन्ध में जो सवाल उठाया गया है उसके बारे में मैंने पहले ही कहा है कि यह मामला हमारे जेरे गौर है कि उनको किस तरह से लाभ पहुंचाया जाए।

बाकी तो मैंने जहां तक समझा माननीय सदस्य ने सिर्फ अपने ख्यालात का इजहार किया है, उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछे। जहां तक प्रश्न का सवाल है मैं समझता हूं मैंने उनका जवाब दे दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.32 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 23 फरवरी, 1983/ 4 फाल्गुन, 1904 (शक) को 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

1983 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय द्वारा प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और ए० जे० प्रिन्टर्स नई दिल्ली-2 द्वारा मुद्रित।